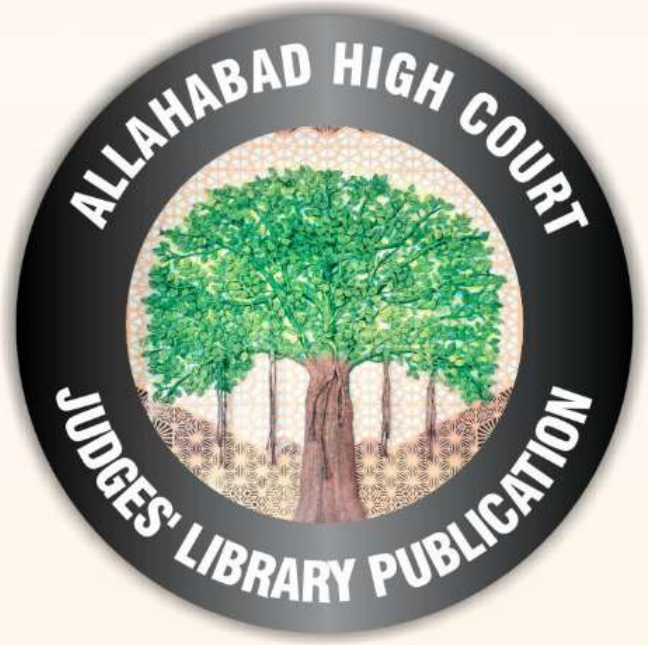
Laws of Uttar Pradesh, 2023
Volume 4 (Part A)
Uttar Pradesh Rules



Judges' Library Publication
High Court of Judicature at Allahabad
Prayagraj

U.P. RULES 2023

(Arranged in Alphabetical)

Vol. 4 Part A

Name of Rules	*Page No.*
General Provident Fund (Uttar Pradesh) (Amendment) Rules, 2023	1-3
Uttar Pradesh Arbitration and Conciliation Rules, 2020 in 2023	4-7
Uttar Pradesh Arbitration and Conciliation Rules, 2020 CORRIGENDUM 2023	8-9
Uttar Pradesh Ayush Department Ayurvedic Pharmacists Service Rules, 2023	10-22
Uttar Pradesh Ayush Department Unani Pharmacists Service Rules, 2023	23-35
Uttar Pradesh Ayush Department Unani Pharmaceutical Services (First Amendment) Rules, 2023	36-37
Uttar Pradesh Child Labour (Prohibition and Regulation) (First Amendment) Rules, 2023	38-69
Uttar Pradesh District Panchayat Monitoring Cell Gazetted Officer (First Amendment) Service Rules, 2023	70-77
Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Rules, 2023	78-105
Uttar Pradesh Electricity Reforms (Amalgamation and Merger of State Generating Companies) Scheme, 2023	106-122
Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) Regulations, 2023	123-132
Uttar Pradesh Engineer Service (Irrigation Department) (Group "A") (Sixth Amendment) Rules, 2023	133-134
Uttar Pradesh Establishment and Regulation of Saw Mills (Seventh Amendment) Rules, 2023	135-136
Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Retail Sale of Beer) (Twenty-first Amendment) Rules, 2023	137-181
Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Retail Sale of Country Liquor) (Sixteenth Amendment) Rules, 2023	152-224
Uttar Pradesh Excise (Settlement of Retail Licenses for Model Shop of Foreign Liquor) (Sixteenth Amendment) Rules, 2023	225-268
Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licences for Foreign Liquor Bonded Warehouse (Ninth Amendment) Rules, 2023	269-328

Continued in Vol. 2

U.P. RULES 2023

(Arranged in Alphabetical)

Vol. 4 Part B

Continued from Vol. 1

Name of Rules	*Page No.*
Uttar Pradesh Excise Settlement of Licences for Retail Sale of Foreign Liquor (Excluding Beer) (Twenty First Amendment) Rules, 2023	329-372
Uttar Pradesh Finance and Accounts Service (Second Amendment) Rules, 2023	373-374
Uttar Pradesh Fisheries (Gazetted) Service (Second Amendment) Rules, 2023	375-376
Uttar Pradesh Geology and Mining Directorate Subordinate Technical Services (Third Amendment) Rules, 2023	377-380
Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Fifty-eighth Amendment) Rules, 2023	381-383
Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Fifty-Ninth Amendment) Rules, 2023	384-418
Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Sixtieth Amendment) Rules, 2023	419-421
Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Sixty-First Amendment) Rules, 2023	422-448
Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Sixty-Second Amendment) Rules, 2023	--
Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Sixty-Third Amendment) Rules, 2023	449-457
Uttar Pradesh Higher Judicial Service (Fourteenth Amendment) Rules, 2023	458-462
Uttar Pradesh Higher Judicial Service (Fifteenth Amendment) Rules, 2023	463-465
Uttar Pradesh Higher Judicial Service (Sixteenth Amendment) Rules, 2023	466-473
Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Chhabbeeswan Sanshodhan) Rules, 2023	474-485
Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sattaeeswan Sanshodhan) Rules, 2023	486-490
Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Atthaswan Sanshodhan) Rules, 2023	491-494
Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Crusher Units Gur and Khandsari) Compounding of Market Fee) Order, 2023	495-501
Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Work (Second) Amendment) Rule, 2003	502-504
Uttar Pradesh Motor Vehicles (Twenty-Ninth Amendment) Rules, 2023	505-522
Uttar Pradesh Motor Vehicles (Thirtieth Amendment) Rules, 2023	523-526
Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) (Fourth Amendment) Rules, 2023	527-530
Uttar Pradesh Police Service (Second Amendment) Rules, 2023	531-536
Uttar Pradesh Printing and Stationery Security Service Rules, 2023	537-551
Uttar Pradesh Private Security Agency Rules, 2023	552-598

Name of Rules	*Page No.*

Uttar Pradesh Public Works Department Assistant Engineer (Electrical and Mechanical Branch) Service (Second Amendment) Rules, 2023	599-606
Uttar Pradesh Revenue Code (Fifth Amendment) Rules, 2023	607-610
Uttar Pradesh Rights of Persons with Disabilities (Second Amendment) Rules, 2023	611-613
Uttar Pradesh Secondary Education Service Selection Board (Sixth Amendment) Rules, 2022 in 2023	614-619
Uttar Pradesh State Property Department Reception Cadre Service Rules, 2023	620-631
Uttar Pradesh Subordinate Revenue Executive (Naib Tehsildar) Service (Third Amendment) Rules, 2023	632-634
Uttar Pradesh Transport Taxation (Subordinate) Service (Second Amendment) Rules, 2023	635-639
Uttar Pradesh Vintnery (Third Amendment) Rules, 2023	640-643
Uttar Pradesh Zila Panchayat Executive Engineer (Civil) Central Transitional Cadre, Service Rules, 2023	644-651

क्रम-संख्या–199(क–2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 4 दिसम्बर, 2023

अग्रहायण 13, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–2

संख्या 7 / 2023-जी–2-209 / दस-2023
लखनऊ, 4 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

संशोधन

सा0प0नि0–48

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 21 मार्च, 2023 से प्रवृत्त होगी।

नियम 7 (1) का संशोधन

2–सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 7 के उपनियम (1) में, द्वितीय परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:-

''परंतु यह कि किसी वित्तीय वर्ष में जमा किये गये बकाये अभिदानों की धनराशि सहित उस वित्तीय वर्ष के दौरान मासिक अभिदानों की राशि नियम 8 के उपनियम (1) के परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगी।''

नियम 8 (1) (4) का संशोधन

3–उक्त नियमावली में, नियम 8 में;

(क) उपनियम (1) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात :–

''परंतु यह कि किसी वित्तीय वर्ष में मासिक अभिदानों की राशि आयकर नियम, 1962 के नियम 9 घ के उपनियम (2) के नीचे स्पष्टीकरण के खण्ड (ग) के उप–खण्ड (एक) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगी।''

(ख) उप–नियम (4) में:–

(1) प्रथम परंतुक को निकाल दिया जायेगा;

(2) द्वितीय परंतुक में, शब्द 'और' को हटा दिया जायेगा।

(ग) उप-नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:-

(5) ''उप-नियम (3) के अधीन निर्धारित या उप-नियम (4) के अधीन घटाये या बढ़ाये गये अभिदान की धनराशि, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं के अध्यधीन होगी'';

नियम 10(3) का संशोधन

4–उक्त नियमावली में, नियम 10 के उप-नियम (3) में निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:-

''परंतु यह कि किसी वित्तीय वर्ष में अभिदानों के बकाये की धनराशि और उस पर वसूल किये गये ब्याज सहित उस वित्तीय वर्ष के दौरान मासिक अभिदानों की राशि नियम 8 के उप-नियम (1) के परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट सीमा से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगी।''

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव ।

———

IN pursuance of the provisions of clause (3) of the Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 7/2023-G-2-209/X-2023, dated December 4, 2023:

No. 7/2023-G-2-209/X-2023

Dated Lucknow, December 4, 2023

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985.

THE GENERAL PROVIDENT FUND (UTTAR PRADESH) (AMENDMENT) RULES, 2023

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the General Provident Fund (Uttar Pradesh) (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force from 21 March, 2023.

Amendment of rule-7(1)

2. In General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985 hereinafter referred to as the said rules in rule 7, in sub-rule (1), after the second proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely:-

"Provided that the sum of the monthly subscriptions during a financial year together with the amount of arrear subscriptions deposited in that financial year shall not exceed the limit as specified in the proviso to sub-rule (1) of rule 8."

Amendment of rule 8(1)(4)

3. In the said rule in rule 8;

(a) in sub-rule (1) the following proviso shall be *inserted*, namely:-

"Provided that the sum of monthly subscriptions in a financial year shall not exceed the threshold limit referred to in sub-clause (i) of clause (c) of the Explanation below sub-rule (2) of rule 9D of the Income Tax Rules, 1962":

(b) in sub-rule (4),–

(1) The first proviso shall be *omitted*;

(2) In the second proviso, the word 'further' shall be deleted;

(c) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be *inserted*, namely:-

(5) "The amount of subscription fixed under sub-rule (3) or reduced or enhanced under sub-rule (4) shall be subject to the minimum and maximum limits specified in sub-rule (1)":

Amendment of rule 10(3)

4. In the said rules in rules 10 in sub-rule (3) the following proviso shall be *inserted*, namely:-

"Provided that the sum of the monthly subscriptions during a financial year together with arrears of subscription and the interest thereon recovered in that financial year shall, in no case, exceed the limit as specified in the proviso of the sub-rule (1) of rule 8".

By order,
DEEPAK KUMAR,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 802 राजपत्र–2023–(2297)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 15 सा0 वित्त–2023–(2298)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
802 RPH 2023 (vitt samanya anu-2) (data 8e

क्रम-संख्या–13 (ग)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 1 फरवरी, 2023

माघ 12, 1944 शक सम्वत्

UTTAR PRADESH SHASAN

Nyaya Anubhag-7 (Kalyan Nidhi)

No. 683/VII-Nyaya-7–2022-01G-2022

Dated Lucknow, February 1, 2023

NOTIFICATION

प०आ०–53

THE UTTAR PRADESH ARBITRATION AND CONCILIATION RULES, 2020

IN exercise of powers conferred by Section 82 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996, the High Court of Judicature at Allahabad makes the following rules :–

1. **Short title, commencement and applicability**–(1) These rules shall be called "The Uttar Pradesh Arbitration and Conciliation Rules, 2020".

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Uttar Pradesh *Gazette*.

(3) They shall extend to the State of Uttar Pradesh and shall apply to all proceedings before the 'Court' under the Arbitration and Conciliation Act, 1996 and to Commercial Court dealing with arbitration matters in accordance with Section 10 of the Commercial Courts, Commercial Divisions and Commercial Appellate Division of High Court Act, 2015.

2. **Definitions**– (1) In these rules, unless the context otherwise requires :–

(a) "Act" means the Arbitration and Conciliation Act, 1996;

(b) "Application" means an application filed in the 'Court' under the Act;

(c) "Code" means the Code of Civil Procedure, 1908, as amended from time to time;

(d) "Commercial Court", "Commercial Dispute" and "Specified Value" shall have such meaning as is defined in Section 2 of the Commercial Courts Act, 2015;

(e) "Court", shall mean 'Court' as defined in Section 2 (e) of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 and includes the Commercial Court as defined in Section 2 (1) (d) of the Commercial Court Act, 2015.

(2) The words and phrases not defined here shall bear the same meaning as used or defined in the Arbitration and Conciliation Act, 1996 and Commercial Court Act, 2015 as the case may be.

3. **Mode of Application**–(1) Every application duly supported by an affidavit under the Act shall be filed before the Principal Civil Court of original jurisdiction in a district, and in the case where claim is of a commercial dispute and is of the specified value before the Commercial Court. Such application shall be made in writing, duly signed and verified on oath in the manner prescribed in Rule 15A of Order VI of the Code. It shall be divided into paragraphs, numbered consecutively and shall contain name, description and place of residence of the parties. It shall also contain a statement.

(a) Precisely disclosing all of the material facts constituting cause of action, and also identify the point of law, if any;

(b) of facts showing that the Court to which the application is presented has jurisdiction;

(c) relief (s) asked for; and

(d) names and addresses of the persons liable to be affected by the application :

Provided that where a party by reason of absence or for any other valid reason is unable to sign and verify the same the application may be signed and verified by a person duly authorized by the party on his behalf and is proved to the satisfaction of the Court to be acquainted with the facts of the case.

(e) in the event the applicant seeks to rely upon documents than the applicant must include and enclose all such documents along with his application;

(f) the respondent may within thirty days of the receipt of the notice of the application or within the time prescribed by the Court issuing such notice (whichever is earlier), shall file a reply duly supported by an affidavit addressing all the matters as setforth in the application and in addition thereto any other such matter that the respondent may deem relevant must be disclosed and shall also identify the point of law, if any including stating the reasons why the relief sought by the applicant should not be granted;

(g) in the event the respondent seeks to rely upon any documents in its reply, the respondent must include and enclose all such documents along with its reply;

(h) Notwithstanding anything contained in this Rule and if the applicant whishes to file any documentary evidence in reply to the defendant's documentary evidence the applicant must file such documentary evidence in reply with the leave of the Court and serve a copy of such a documentary evidence on the concerned respondent at least a week prior to the date of hearing;

(i) Notwithstanding anything contained in this Rule and if the respondent after filing its response wishes to rely on any additional documentary evidence during the hearing the respondent must file such documentary evidence with the leave of the Court and serve copies of such documentary evidence on every other party to the application at least a week prior to the date of hearing;

(j) the parties shall also furnish a registered address indicating the current/permanent address of the parties to the litigation and well as such other details including the *e-mail* ID or such other address upon which the summons/notices can be served on such party;

(2) An application for enforcement of an arbitral award under Section 36 or Foreign award under Sections 49 and 58 of the Act shall be in the same manner as nearly as possible as per sub-rule (2) of rule 11 of Order XXI of the Code and shall be accompanied by (i) copy of the award duly signed by the Arbitrator, and in case of a foreign award the copy of the award, duly authenticated as per the law of the country in which it was made; and (ii) the copy of the agreement for arbitration as specified in Section 7 of the Act.

(3) The application for enforcement of a Foreign award in terms of Sections 49 and 58 of the Act shall further state that (i) the award has become final; and (ii) in case of Foreign award under Section 58 of the Act that the conditions mentioned in clauses (a) and (c) of Section 57(1) of the Act are satisfied.

4. **Court Fees**–The Court fees payable on all applications/appeals preferred before the Court shall be in accordance with the Court Fees Act, 1870, as amended and applicable in the State of Uttar Pradesh as well as in General Rules, (Civil), 1957, as applicable in the State of Uttar Pradesh.

5. **Form of Appeal**–(i) Every appeal under Section 37 of the Act filed before the Court arising from an order passed refusing to refer the parties to arbitration under Section 8 of the Act or from an order passed under sub-section (2) or (3) of Section 16 or from an order granting or refusing to grant an interim measure under Section 17, shall be presented in form of a memorandum which shall contain the name and complete address of the parties, the date and relevant particular of the award/order appealed against and shall set forth precisely in chronological order, in distinct paragrahps, concise statement of all material relevant facts, the grounds of objections and relief prayed for.

(ii) the memorandum of appeal shall be signed by the appellant or one of the appellant or its duly authorized agent and the counsel and shall contain a declaration that the contents set forth in memorandum are true to the best of knowledge of the person signing it that it has been filed for the first time.

(iii) the memorandum of appeal shall be accompanied by the copy of the award certified by the arbitral Tribunal or certified copy of the order as the case may be.

6. **Registration**–(1) Every application filed under the Act shall be numbered as Arbitration Case or execution arbitration application and every appeal shall be registered as an arbitration appeal and be registered in a separate register to be maintained for the purpose.

(2) Where the application or an appeal as the case may be, made, does not fulfill the requirement under the Act and these rules the Court may reject the same, summarily, after affording reasonable opportunity to the applicant to cure the defect.

(3) All miscellaneous applications filed in an Arbitration Case shall be allotted paper number in the same manner as is done in original suits.

7. **Issuance of notice**–The Court to which an application is presented shall direct notice to be given to all the opposite party(s) as may be arrayed and to such other person(s) as the Court deems fit and which as are likely to be affected by the proceedings, by registered post with acknowledgement due. The notice shall be accompanied by a copy of the application together with the documents filed by the applicant. Wherever possible the Court may also direct the party to additionally serve such of the opposite party (s) by *e-mail* and the party so directed to take steps for service on the other party through additional mode as mentioned above shall file an affidavit of service where it shall bring on record the proof/receipt of mode of service and shall also provide wherever possible the proof of delivery.

8. **Applicability of the provisions of the Code**–Save as otherwise expressly provided for in the Act or these Rules the provisions of the Code, as are amended from time to time, in relatiion to Commercial Courts established under the Commercial Courts Act, 2015, shall apply to all proceedings before the Court and shall be adhered to as for as possible for disposal of applications/appeal, as the case may be filed under Section 8, 9, 14, 27, 34, 37, 39, 43, 49 and 58 of the Act.

9. **Time to decide**–Save the period prescribed in the Act of 1996 duly amended, all Applications filed before the Court and Appeals arising out of Section 17 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 for which no time has been prescribed in the Act of 1996 shall be decided by the Court as far as possible within a period of six months from the date of service on the respondent and if so not decided the Court will have to record reasons in writing.

10. **Power to Call for Records**–The Court shall not ordinarily call for the records from the Court which has refused to refer the parties to arbitration under Section 8 of the Arbitration and Conciliation Act or from the Arbitrator while dealing with the application under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 or an appeal under Section 37 arising from an order passed by the Arbitrator under Section 16 or Section 17 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996, before it, unless for reasons to be recorded in writing the Court finds that the record from the Court/Arbitrator as the case may be, is necessary for deciding the controversy between the parties effectively and within the time frame prescribed by these rules.

11. **Repeal and Savings**–On coming into force of these rules, all exsting rules, circulars governing the matter or dealt with or covered by these rules so for as they are inconsistent with the provisions of these rules or the Act shall stand repealed :

Provided that such repeal shall not affect or invalidate anything done, any action or decision taken, any decree or order or proceedings made or issued under the existing rules prior to the commencement of these rules.

By order of Court,

AJAI KUMAR SRIVASTAVA-I,
Registrar General.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1221 राजपत्र–2023–(1993)–599 (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 3 सा0 न्याय–2023–(1994)–150 (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या–186 (क–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 2 नवम्बर, 2023
कार्तिक 11, 1945 शक सम्वत्

UTTAR PRADESH SHASAN
Nyaya Anubhag-7 (Kalyan Nidhi)

No. 780/VII-Nyaya-7–2023-01G-2022
Dated Lucknow, November 2, 2023

CORRIGEDUM

प०आ०–524

IN the English translation of the Uttar Pradesh Arbitration and Conciliation Rules, 2020, promulgated *vide* notification no. 683/saat-Nyaya-7-2022-01G-2022, dated February 1, 2023, in place of certain typographical errors, the following amendments are made :-

(1) In sub-rule (1) of rule 3, the punctuation mark (,) be *read* as the punctuation mark (;) *after* the word "district";

(2) In clause (a) of sub-rule (1) of rule 3, the word "Precisely" be *read* as "precisely" and the punctuation mark (,) be *read* as the punctuation mark (;) *after* the word "action";

(3) In clause (d) of sub-Rule (1) of rule 3, the punctuation mark (:) be *read* as the punctuation mark (;) *after* the word "application";

(4) In clause (e) of sub-Rule (1) of rule 3, the word 'than' be *read* as 'then';

(5) In clause (j) of sub-Rule (1) of rule 3, the phrase 'and well as' be *read* as 'as well as';

(6) In sub-rule (2) of rule 3, the word "rule" be *read* as "Rule" and the punctuation mark (,) be *read* as the punctuation mark (;) *after* the word "Arbitrator";

(7) In rule 4, the punctuation mark (,) be deleted *after* the word "Rules";

(8) In rule 8, the word 'Section' be *read* as 'Sections';

(9) In rule 10, the words "Court/Arbitrator" be *read* as "Court/arbitrator";

(10) In rule 11, the word 'for' be *read* as 'far'.

2. The English translation of the Uttar Pradesh Arbitration and Conciliation Rules, 2020 should be modified to the above extent.

By order,

PRAMOD KUMAR SRIVASTAVA-II,
Pramukh Sachiv.
Nyaya evam vidhi Paramarshi.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 633 राजपत्र–2023–(1914)–599 (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 3 सा0 न्याय–2023–(1915)–150 (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

म-संख्या–78

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 27 अप्रैल, 2023

बैशाख 7, 1945 **शक सम्वत्**

उत्तर प्रदेश शासन

आयुष अनुभाग–1

———

संख्या 2083 / 96–आयुष-1–2023-290-2013

लखनऊ, 27 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–13

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश आयुष विभाग (आयुर्वेदिक) भेषजिक सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश आयुष विभाग आयुर्वेदिक भेषजिक सेवा नियमावली, 2023

भाग–एक

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आयुष विभाग आयुर्वेदिक भेषजिक सेवा नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2– उत्तर प्रदेश आयुष विभाग आयुर्वेदिक भेषजिक सेवा एक अधीनस्थ सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं

3–जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हों, इस नियमावली में–

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य निदेशक से है;

(ग) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(घ) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है;

(ङ) 'संविधान' का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(च) 'निदेशक' का तात्पर्य निदेशक, आयुर्वेद सेवाएं, उत्तर प्रदेश से है;

(छ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(ज) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(झ) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(ञ) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ट) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आयुष विभाग आयुर्वेदिक भेषजिक सेवा से है;

(ठ) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग के किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो, और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो, और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ड) 'भर्ती वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–दो

संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4–(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्नलिखित होगी–

क्र0 सं0	पद का नाम	संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1	मुख्य भेषजिक(आयुर्वेदिक)	156	––	156
2	भेषजिक(आयुर्वेदिक)	2094	06	2100

परन्तु यह कि :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है, या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं; जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न हो; या

(दो) राज्यपाल ऐसे स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जितना वह उचित समझें।

भाग–तीन

भर्ती

भर्ती का स्रोत

5–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(एक) भेषजिक (आयुर्वेदिक)–आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) मुख्य भेषजिक (आयुर्वेदिक)–मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे भेषजिक (आयुर्वेदिक), जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण

6–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, समय–समय पर यथासंशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 एवं भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार

अर्हता

राष्ट्रीयता

7–सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु यह कि श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए ऐसा व्यक्ति होना आवश्यक है जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु जिसे न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक अर्हता

8–सेवा में पदों पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश से विज्ञान (जीव विज्ञान वर्ग) में इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो और अभ्यर्थी आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रीकृत किसी मान्यताप्राप्त संस्था से आयुर्वेद भेषजिक में डिप्लोमा अवश्य धारित करता हो।

अधिमानी अर्हता

9–अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमानी दिया जायेगा जिसने,–

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो;

या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10–भेषजिक (आयुर्वेदिक) के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जायें, की पहली जुलाई को अठ्ठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और चालीस वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो:

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और ऐसी अन्य श्रेणियों, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, के अभ्यर्थियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिए ऐसे चरित्र का होना आवश्यक है जैसा कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस बिन्दु पर अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12–सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता

13–किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नही किया जायेगा जब तक कि मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड–2, भाग–3 के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेन्टल रूल–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

भाग–पाँच

भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

14–नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती वर्ष के प्रक्रम के दौरान सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना उन्हें दी जायेगी।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15–सेवा में पद पर सीधी भर्ती समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश समूह ''ग'' के पदों पर सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16–(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर निम्नानुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी,–

(एक) निदेशक, आयुर्वेद	–	अध्यक्ष
(दो) किसी राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश के प्राचार्य	–	सदस्य
(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी	–	सदस्य

टिप्पणी :– किसी अधिकारी का नाम निर्दिष्ट करने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को शासनादेश संख्या–15/25/75–राष्ट्रीय एफ–1–सारण दिनांक–10 मई, 1979 में अन्तर्विष्ट शासनादेश अथवा भर्ती के समय यथा प्रवृत्त अन्य आदेश को ध्यान में रखना होगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार पात्रता सूचियॉ तैयार करेगा और उन्हें उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी और यदि आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग–छः

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

17–(1) मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम, जिसमें वे यथास्थिति नियम 15 या 16 के अधीन तैयार की गयी सूची में आयें हो, में लेकर नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उसी ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसा कि चयन में अवधारित किया गया हो, या उस संवर्ग में, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया हो।

परिवीक्षा

18–(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से विस्तारीकरण प्रदान किये जाने वाले दिनांक को विनिर्दिष्ट करते हुए वैयक्तिक मामलों में परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है :

परन्तु यह कि अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नही बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है, या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद, यदि कोई हो पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं हों किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

स्थायीकरण

19–(1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि :–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो; और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने हेतु अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण किया जाना आवश्यक न हो, वहां उस नियमावली के नियम (5) के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है, स्थायीकरण का आदेश माना जायेगा।

ज्येष्ठता

20–सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–सात

वेतन इत्यादि

वेतनमान

21–(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नवत है–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान
1	मुख्य भेषजिक (आयुर्वेदिक)	वेतन मैट्रिक्स लेवल–7 (रू0–44,900–1,42,400)
2	भेषजिक (आयुर्वेदिक)	वेतन मैट्रिक्स लेवल–5 (रू0–29,200–92,300)

परिवीक्षा अवधि में वेतन

22–(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबंध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, को समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान करने में विफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना तब तक वेतन वृद्धि के लिए नही की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति को जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित किया जायेगा परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान करने में विफलता के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है तो ऐसे विस्तार की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग–आठ

अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

23–सेवा में किसी पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों, चाहें लिखित हो या मौखिक, पर विचार नही किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपने अभ्यर्थन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने पर कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

24–ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों से आच्छादित न हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति, राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होगें।

सेवा शर्तों में शिथिलता

25–जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहॉ वह उस मामले में लागू नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम के अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्याधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

26–इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नही पड़ेगा जिनकी व्यवस्था इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से
लीना जौहरी,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2083/XCVI-Ayush-1–2023-290-2013, dated April 27, 2023 :

No. 2083/XCVI-Ayush-1–2023-290-2013

Dated Lucknow, April 27, 2023

IN exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Ayush Department (Ayurvedic) Pharmacists service.

THE UTTAR PRADESH AYUSH DEPARTMENT AYURVEDIC PHARMACISTS SERVICE RULES, 2023

PART-I

GENERAL

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Ayush Department Ayurvedic Pharmacists Service Rules, 2023.

(2) They shall come into force at once.

Status of the service

2. The Uttar Pradesh Ayush Department Ayurvedic Pharmacists Service is a Subordinate service comprising Group "C" Posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :

(a) 'Act' means The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994;

(b) 'appointing authorit' means Director ;

(c) 'citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under part-II of the Constitution ;

(d) 'Commission' means the Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission ;

(e) 'Constitution' means Constitution of India;

(f) 'Director' means the Director of Ayurved Services Uttar Pradesh;

(g) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;

(h) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;

(i) 'member of service' means a person substantively appointed under these rules or the rules or order in force, prior to commencement of these rules to a post in the cadre of the service;

(j) 'Other Backward Classes of citizens' means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Act, as amended from time to time;

(k) 'service' means the Uttar Pradesh Ayush Department Ayurvedic Pharmacists Service;

(l) 'substantive appointment' means an appointment, not being an adhoc appointment, or a post in the cadre of the service, and after selection in accordance with the rules, and if there were no rules in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(m) 'year of recruitment' means a period of twelve months commencing from the first day of July of calendar year.

PART-II

CADRE

Cadre of service

4. (1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service and of each category of posts therein, shall, until orders verying the same are passed under sub rule (1) be as given below :-

Serial no.	Name of the posts	Number		
		Permanent	Temporary	Total
1	Chief Pharmacists (Ayurvedic)	156	----	156
2	Pharmacists (Ayurvedic)	2094	06	2100

Provided that :–

(i) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation : or

(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART-III

RECRUITMENT

Source of recruitment

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources :-

(i) Pharmacist (Ayurvedic) – By direct recruitment through the Commission.

(ii) Chief Pharmacist (Ayurvedic) – By promotion through the Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed Pharmacist (Ayurvedic) who have completed ten years services as such on the first day of the year of recruitment.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the "Act" and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex. Servicemen) Act, 1993, and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) Act, 2020 as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of recruitment.

PART-IV

QUALIFICATION

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be :–

(a) A citizen of India ; or

(b) A Tibetan refugee who came over to India before the Ist January, 1962 with the intention of permanently setling in India; or

(c) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Srilanka…. or any of East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly….Tanganyika and Zenziban)with the intention of permanently settling in India :

Provided that the candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided further that a candidate belongs to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh :

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in a service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE :– A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused may be admitted in an examination or interview and he may be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic qualification

8. A candidate for direct recruitment to the post in the service must have passed Intermediate Examination in Science (Biology Group) from the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an Examination recognised by Government as equivalent thereto and candidate must possess diploma in Ayurvedic Pharmacy from a recognized institution registered with Board of Ayurvedic and Unani Tibbi System of Medicine U.P.

Preferential qualification

9. A candidate who has :–

(i) served in the territorial army, for a minimum period of two years; or

(ii) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps shall, other things being equal be given preference in the matter of direct recruitment.

Age

10. A candidate for direct recruitment to the post of Pharmacist (Ayurved) must have attained the age of eighteen years and must not have attained the age of more than forty years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the Commission:

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Character

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE :– Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital status

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service :

Provided that the Government may, if satisfied that there exists special grounds for doing so exempt any person from the operation of this rule.

Physical fitness

13. No candidate shall be appointed by direct recruitment to a post services unless he/she be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his/her duties. Before a candidate is finally approved for appointment he/she shall be required to produce a medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under fundamental rule 10 contained in Chapter III of Financial Hand book, Volume II, Part III.

PART-V

PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies

14. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled by direct recruitment during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes and other categories under rule 6. The vacancies to be filled through commission shall be intimated to them.

Procedure for direct recruitment

15. Direct recruitment to the post in the service shall be made in accordance with the Uttar Pradesh Direct Recruitment to Group "C" Posts (Mode and Procedure) Rules, 2015 as amended from time to time.

Procedure for recruitment by Promotion

16. (1) Recruitment by Promotion shall be made on the basis of seniority subject to rejection of unfit, through the Selection Committee comprising :-

(i) Director Ayurved	–	Chairman
(ii) Principal of any Government Ayurvedic College, U.P.	–	Member
(iii) An Ayurvedic Medical Officer nominated by the appointing authority	–	Member

NOTE :– In nominating the Officer the appointing authority shall keep in view the order of the Government contained in G.O. as 15/25/75-Rashtriya F1-saran dated May 10, 1979 of Such other order as may be in force at the time of recruitment.

(2) The appointing authority shall prepared eligibility lists of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on the post outside purview of the Public Service Commission). Eligibility list Rules, 1986 and place the same before the Selection Committee along with their character rolls and such other records pertaining to them as may be, considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the case of candidates on the basis of records referred to in sub rule (2) and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority and forward the same to the appointing authority.

PART VI

APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

17. (1) On the occurrence of substantive vacancies the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in order in which they stand in a list prepared under Rule -15 and 16 as the case may be.

(2) If more than one orders of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning names of the persons in order of seniority as determined in the selection, or as the case may be as it stood in the cadre from which they are promoted.

Probation

18. (1) A person substantively appointed to a post in the service shall be placed in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules, 2013 as amended from time to time on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual case specifying the date up to which the extension is granted:

Provided that save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationary has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any posts, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub rule (3) shall not be entitled to any compensation.

Confirmation

19. (1) Subject to the provisions of sub rule (2) a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if ;

(a) his/her work and conduct is reported to be satisfactory;

(b) his/her integrity is certified; and

(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

(2) Where in accordance with the provisions of Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules 1991, confirmation iş not necessary, the order under sub rule (3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.

Seniority

20. The seniority of persons substantively appointed in any category of posts in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

PART-VII

PAY *ETC*.

Scale of Pay

21. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of the posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scale of pay at the time of commence of these rules are given as follows :-

Sl. no.	Name of the post	Scales of pay
1	Chief Pharmacists (Ayurvedic)	Pay Matrix level -7 Rs. 44,900 – 1,42,400
2	Pharmacists (Ayurvedic)	Pay Matrix level - 5 Rs. 29,200 – 92,300

Pay during Probation

22. (1) Notwithstanding any provision in the fundamental rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service and second increment after two years service when he has completed the probationary period and he is also confirmed:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increments, unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of persons who has already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant fundamental rules :

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the state.

PART–VIII

OTHER PROVISIONS

Canvassing

23. No recommendation, either written or oral other than those required under the rules, applicable to the post or service will be taken into consideration, any attempt on the part of a candidates to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

24. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of service

25. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule, regulating the conditions of service, of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rules to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Savings

26. Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order,
LEENA JOHRI,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 258 राजपत्र–2023–(756)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सा0 आयुष–2023–(757)–200 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
258 RPH (Ayurvedic Anu.-1) data 4e

क्रम-संख्या–79

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 27 अप्रैल, 2023

बैशाख 7, 1945 **शक सम्वत्**

उत्तर प्रदेश शासन

आयुष अनुभाग–1

———

संख्या 2084 / 96–आयुष-1–2023-290-2013
लखनऊ, 27 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–14

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश आयुष विभाग (यूनानी) भेषजिक सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश आयुष विभाग यूनानी भेषजिक सेवा नियमावली, 2023

भाग–एक

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश यूनानी भेषजिक सेवा नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2–उत्तर प्रदेश यूनानी भेषजिक सेवा एक अधीनस्थ सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं

3–जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हों, इस नियमावली में,–

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य निदेशक से है;

(ग) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(घ) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है;

(ङ) 'संविधान' का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(च) 'निदेशक' का तात्पर्य निदेशक, यूनानी सेवाएं, उत्तर प्रदेश से है;

(छ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(ज) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(झ) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(ञ) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ट) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश यूनानी भेषजिक सेवा से है;

(ठ) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग के किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो, और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो, और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ड) 'भर्ती वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–दो

संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4–(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्नलिखित होगी :–

क्र0 सं0	पद का नाम	संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1	मुख्य भेषजिक (यूनानी)	10	––	10
2	भेषजिक (यूनानी)	263	01	264

परन्तु यह कि :

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है, या राज्यपाल उसे स्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा ; या

(दो) राज्यपाल ऐसे स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जितना वह उचित समझें।

भाग–तीन

भर्ती

भर्ती का स्रोत

5–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(एक) भेषजिक (यूनानी)–आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(दो) मुख्य भेषजिक (यूनानी)–मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे भेषजिक (यूनानी), जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण

6–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, समय–समय पर यथासंशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 एवं भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार

अर्हता

राष्ट्रीयता

7–सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु यह कि श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए ऐसा व्यक्ति होना आवश्यक है जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु जिसे न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

शैक्षणिक अर्हता

8–सेवा में पदों पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश से विज्ञान (जीव विज्ञान वर्ग) में इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो और अभ्यर्थी आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रीकृत किसी मान्यता प्राप्त संस्था से यूनानी भेषजिक में डिप्लोमा अवश्य धारित करता हो।

अधिमानी अर्हता

9–अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमानी दिया जायेगा जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो,

या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10–भेषजिक (यूनानी) के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जांय, की पहली जुलाई को अठ्ठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और चालीस वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य ऐसी श्रेणियों, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, के अभ्यर्थियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिए ऐसे चरित्र का होना आवश्यक है जैसा कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस बिन्दु पर अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण में किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगें। नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होगें।

वैवाहिक प्रास्थिति

12–सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

भाग–पाँच

भर्ती की प्रक्रिया

शारीरिक स्वस्थता

13–किसी अभ्यर्थी की सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नही किया जायेगा जब तक कि मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड–2, भाग–3 के अध्याय तीन में दिये गये फन्डामेन्टल रूल–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।

रिक्तियों की अवधारणा

14–नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना उन्हें दी जायेगी।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15–सेवा में भेषजिक (यूनानी) के पद पर सीधी भर्ती समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश समूह ''ग'' के पदों पर सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 के उपबंध के अनुसार की जायेगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16–(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से निम्नानुसार गठित की जायेगी :–

(एक) निदेशक, यूनानी	अध्यक्ष
(दो) किसी राजकीय यूनानी महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश के प्राचार्य	सदस्य
(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई यूनानी चिकित्साधिकारी	सदस्य

टिप्पणी :– किसी अधिकारी का नाम निर्दिष्ट करने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी शासनादेश संख्या 15/25/75–राष्ट्रीय एफ–1–सारण, दिनांक, 10 मई, 1979 में अन्तर्विष्ट शासनादेश अथवा भर्ती के समय यथा प्रवृत्त अन्य आदेश को ध्यान में रखना होगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार पात्रता सूचियाँ तैयार करेगा और उन्हें उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी और यदि आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग–छः

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

17–(1) मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम जिसमें वे यथास्थिति नियम 15 या 16 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो में लेकर नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उसी ज्येष्ठता क्रम में जैसा कि चयन में अवधारित किया गया हो या उस संवर्ग में, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया हो।

परिवीक्षा

18–(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से विस्तारीकरण प्रदान किये जाने वाले दिनांक को विनिर्दिष्ट करते हुए वैयक्तिक मामले में परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है :

परन्तु यह कि अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नही बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है, या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद, यदि कोई हो पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हों किसी प्रतिकर का हकदार नही होगा।

स्थायीकरण

19–(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि :–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने हेतु अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण किया जाना आवश्यक न हो, वहां उस नियमावली के नियम (5) के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण कर ली है, स्थायीकरण का आदेश माना जायेगा।

ज्येष्ठता

20–सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–सात

वेतन इत्यादि

वेतनमान

21–(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नवत है :–

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान
1	मुख्य भेषजिक (यूनानी)	वेतन मैट्रिक्स लेवल–7 (रू0 44,900–1,42,400)
2	भेषजिक (यूनानी)	वेतन मैट्रिक्स लेवल–5 (रू0 29,200–92,300)

परिवीक्षा अवधि में वेतन

22–(1) फन्डामेण्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबंध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, को समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान करने में विफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना तब तक वेतन वृद्धि के लिए नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान करने में विफलता के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है तो ऐसे विस्तार की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग–आठ

अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

23–सेवा में किसी पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों, चाहे लिखित हो या मौखिक पर विचार नही किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपने अभ्यर्थन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने पर कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

24–ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों से आच्छादित न हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति, राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होगें।

सेवा शर्तो में शिथिलता

25–जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम के अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्याधीन रहते हुए, जिन्हे वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

26–इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नही पड़ेगा जिनकी व्यवस्था इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
लीना जौहरी,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2084/XCVI-Ayush-1–2023-290-2013, dated April 27, 2023 :

No. 2084/XCVI-Ayush-1–2023-290-2013

Dated Lucknow, April 27, 2023

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in super session of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Ayush (Unani) Pharmacists Service.

THE UTTAR PRADESH AYUSH DEPARTMENT UNANI PHARMACISTS SERVICE RULES, 2023

PART-I

GENERAL

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Unani Pharmacists Service Rules, 2023.

(2) They shall come into force at once.

Status of the service

2. The Uttar Pradesh Unani Pharmacists Service is a Subordinate service comprising Group "C" Posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :

(a) 'Act' means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994;

(b) 'Appointing authority' means Director;

(c) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under part-II of the Constitution;

(d) 'Commission' means the Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission;

(e) 'Constitution' means Constitution of India;

(f) 'Director' means the Director of Unani Services Uttar Pradesh;

(g) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;

(h) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;

(i) 'Member of service' means a person substantively appointed under these rules or the rules or order in force, prior to commencement of these rules to a post in the cadre of the service;

(j) 'Other Backward Classes of citizens' means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Act, as amended from time to time;

(k) 'Service' means the Uttar Pradesh Unani Pharmacists Service;

(l) 'Substantive appointment' means an appointment, not being an ad hoc appointment, or a post in the cadre of the service, and after selection in accordance with the rules, and if there were no rules in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(m) 'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing from the first day of July of calendar year.

PART-II

CADRE

Cadre of service

4. (1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders verying the same are passed under sub-rule (1) be as given below :-

Sl. No.	Name of the Posts	Number		
		Permanent	Temporary	Total
1	Chief Pharmacist (Unani)	10	-	10
2	Pharmacist(Unani)	263	01	264

Provided that :

(i) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitiling any person to compensation ; or

(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART-III

RECRUITMENT

Source of recruitment

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources :–

(i) Pharmacist (Unani)–By direct recruitment through the Commission;

(ii) Chief Pharmacist (Unani)–By promotion through the Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed Pharmacist (Unani) who have completed ten years services as such on the first day of the year of recruitment.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the "ACT" and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex. Servicemen) Act, 1993, and also in accordance with Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) Act, 2020 as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of recruitment.

PART-IV

QUALIFICATION

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be :

(a) A citizen of India ; or

(b) A Tibetan refugee who came over to India before the Ist January, 1962 with the intention of permanently settling in India ; or

(c) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Srilank or any of East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zenzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that the candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belongs to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh :

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in a service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE :– A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused may be admitted in an examination or interview and he may be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic qualification

8. A candidate for direct recruitment to the post in service must have passed Intermediate Examination in Science (Biology Group) from the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an Examination recognised by Government as equivalent thereto and candidate must possess diploma in Unani Pharmacy from a recognized institution registered with Board of Ayurvedic and Unani Tibbi System of Medicine U.P. .

Preferential qualification

9. A candidate who has :

(i) served in the territorial army, for a minimum period of two years; or

(ii) obtained a 'B' certificate of National Cadet Crops shall other things being equal be given preference in the matter of direct recruitment.

Age

10. A candidate for direct recruitment to the post of Pharmacist (Unani) must have attained the age of eighteen years and must not have attained the age of more than forty years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the Commission :

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Character

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service.The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE :– For Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital status

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service :

Provided that the Government may, if is filled that there exists special grounds for so except any person from the operation this rule.

PART-V

PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Physical fitness

13. No candidate shall be appointed by direct recruitment to a post in the services unless he/she be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his/her duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he/she shall be required to produce a medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under fundamental rule 10 contained in Chapter III of Financial Hand book, Volume II, Part III.

Determination of vacancies

14. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6. The vacancies to be filled through the commission shall be intimated to them.

Procedure for direct recruitment

15. Direct recruitment to the post of Pharmacist (Unani) in the service shall be made in accordance with the Uttar Pradesh Direct Recruitment to Group "C" Posts (Mode and Procceding) Rules, 2015 as amended from time to time.

Procedure for recruitment by promotion

16. (1) Recruitment by Promotion shall be made on the basis of seniority subject to rejection of unfit, through the Selection Committee comprising :–

(i) Director, Unani	*Chairman*
(ii) Principal of any Government Unani Medical College, U.P.	*Member*
(iii) A Unani Medical Officer nominated by the appointing authority	*Member*

NOTE :– In nominating the Officer the appointing authority shall keep in view the order of the Government contained in G.O. as 15/25/75-Rashtriya F-1-Saran, dated May 10, 1979 of Such other order as may be in force at the time of recruitment.

(2) The appointing authority shall prepared eligibility lists of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on the post outside purview of the Public Service Commission). Eligibility list Rules, 1986 and place the same before the Selection Committee along with their character rolls and such other records pertaining to them as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the case of candidates on the basis of records referred to in sub-rule (2) and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority and forward the same to the appointing authority.

PART–VI

APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

17. (1) On the occurrence of substantive vacancies the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in order in which they stand in a list prepared under Rule 15 and 16 as the case may be.

(2) If more than one orders of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning names of the persons in order of seniority as determined in the selection, or as the case may be as it stood in the cadre from which they are promoted.

Probation

18. (1) A person substantively appointed to a post in the service shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules, 2013 for a period of two years.

(2) The appointing authority may for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual case specifying the date up to which the extension is granted :

Provided that save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationary has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any posts, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

Confirmation

19. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if;

(a) his/her work and conduct is reported to be satisfactory;

(b) his/her integrity is certified; and

(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

(2) Where in accordance with the provisions of Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991, confirmation is not necessary, the order under sub-rule (3) of rule 5 of these rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.

Seniority

20. The seniority of persons substantively appointed in any category of posts in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991 as amended from time to time.

PART-VII

PAY *ETC*.

Scale of Pay

21. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of the posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scale of pay at the time of commencement of these rules are given as follows :–

Sl. no.	Name of the post	Scales of pay
1	Chief Pharmacists (Unani)	Pay Matrix level - 07 Rs. 44,900 – 1,42,400
2	Pharmacists (Unani)	Pay Matrix level - 05 Rs. 29,200 – 92,300

Pay during Probation.

22. (1) Notwithstanding any provision in the fundamental rules to the contrary a person on probation, if he is not already in permanent Government service shall be allowed his first, increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service and second increment after two years' service when he has completed the probationary period and he is also confirmed :

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increments, unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of persons who has already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant fundamental rules :

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

PART–VIII

OTHER PROVISIONS

Canvassing

23. No recommendation, either written or oral other than those required under the rules, applicable to the post or service will be taken into consideration, any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

24. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of service

25. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule, regulating the conditions of service, of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rules to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Savings

26. Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Schedule Castes, Scheduled tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order,
Leena Johri,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 259 राजपत्र–2023–(758)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सा0 आयुष–2023–(759)–200 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
259 RPH (Ayush anu-1) (Unani) data 4e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम–संख्या–196 (क–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–डब्लू० / एन0पी0–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 30 नवम्बर, 2023
अग्रहायण 9, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
आयुष अनुभाग–1

संख्या 6728 / 96-आयुष-1–2023-290-2013
लखनऊ, 30 नवम्बर, 2023

अधिसूचना
प्रकीर्ण

सा0प0नि0–42

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश आयुष विभाग यूनानी भेषजिक सेवा नियमावली, 2023 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :–

उत्तर प्रदेश आयुष विभाग यूनानी भेषजिक सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आयुष विभाग यूनानी भेषजिक सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–8 का प्रतिस्थापन

2–उत्तर प्रदेश आयुष विभाग यूनानी भेषजिक सेवा नियमावली, 2023 में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान नियम–8 के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

विद्यमान नियम स्तम्भ–एक	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम स्तम्भ–दो
8–**शैक्षणिक अर्हता**–सेवा में पदों पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश से विज्ञान (जीव विज्ञान वर्ग) में इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष	8–**शैक्षणिक अर्हता**–सेवा में पदों पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की विज्ञान (जीव विज्ञान या गणित वर्ग) के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष

विद्यमान नियम स्तम्भ–एक	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम स्तम्भ–दो
कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो और अभ्यर्थी आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रीकृत किसी मान्यता प्राप्त संस्था से यूनानी भेषजिक में डिप्लोमा अवश्य धारित करता हो।	कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो और अभ्यर्थी आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रीकृत किसी मान्यता प्राप्त संस्था से यूनानी भेषजिक में डिप्लोमा अवश्य धारित करता हो और आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश में अवश्य रजिस्ट्रीकृत हो।

आज्ञा से,
लीना जौहरी,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6728/XCVI-Ayush-1–2023-290-2013, dated November 30, 2023:

No. 6728/XCVI-Ayush-1–2023-290-2013

Dated Lucknow, November 30, 2023

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending The Uttar Pradesh Ayush Department Unani Pharmacists Service, Rules, 2023 :-

THE UTTAR PRADESH AYUSH DEPARTMENT UNANI PHARMACISTS SERVICE (FIRST AMENDMENT) RULES, 2023

Short title and commencement

1. (1) The rules may be called The Uttar Pradesh Ayush Department Unani Pharmacists Service (First Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force atonce.

Substitution of rule-8

2. In the Uttar Pradesh Ayush Department Unani Pharmacists Service, Rules, 2023, *for* existing rule-8 set out in column-I below, the rule as set out in column-II shall be *substituted*, namely :-

Existing Rule Column-I	*Rule as hereby substituted* Column-II
8. **Academic Qualification-** A candidate for direct recruitment to the post in service must have passed Intermediate Examination in Science (Biology Group) from the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an Examination recognised by Government as equivalent thereto and must possess diploma in Unani Pharmacy from a recognised institution registered with the board of Ayurvedic and Unani Tibbi System of Medicine U.P.	8. **Academic Qualification-** A candidate for direct recruitment to the post in service, must have passed Intermediate Examination with Science (Biology or Mathematics Group) of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an Examination recognised by the Government as equivalent thereto and must possess diploma in Unani Pharmacy from a recognised Institution registered with the Board of Ayurvedic and Unani Tibbi System of Medicine Uttar Pradesh and must be registered in Board of Ayurvedic and Unani Tibbi System of Medicine Uttar Pradesh.

By order,
LEENA JOHRI,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए०पी० 728 राजपत्र–2023–(2142)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए०पी० 3 सा० आयुष–2023–(2143)–200 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या–217(क–3)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू0 / एन0पी0–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 29 दिसम्बर, 2023

पौष 8, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग–3

———

संख्या 01 / 2024 / 2568 / 36–3–2023–37(सा0)–2022

लखनऊ, 29 दिसम्बर, 2023

———

अधिसूचना

सा0प0नि0–51

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या 61 सन् 1986) की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करती हैं उसका निम्नलिखित प्रारूप समस्त सम्बन्धित की सूचना के लिये और उसके सम्बन्ध में आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उक्त नियमावली के सम्बन्ध में समस्त आपत्तियों और सुझावों को दो प्रतियों में प्रमुख सचिव, श्रम अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ 226001 / श्रमायुक्त कार्यालय जी0टी0 रोड, कानपुर को प्रेषित की जाएंगी।

केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पैंतालीस दिन के भीतर प्राप्त होंगी।

प्रारूप नियमावली

उत्तर प्रदेश बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन)(प्रथम संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन)(प्रथम संशोधन) नियमावली, 2023 कही जाएगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

सामान्य संशोधन

2–उत्तर प्रदेश बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियमावली, 1994 (जिसे आगे ''उक्त नियमावली'' कहा गया है) में, शब्द ''उत्तर प्रदेश बालक श्रम'' संक्षिप्त नाम, दीर्घ नाम, पार्श्व शीर्षक सहित जहां कहीं आया हो, के स्थान पर शब्द ''बालक और कुमार श्रम'' रख दिये जायेंगे।

नियम 2, 3 व 4 का संशोधन

3–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 2, 3 व 4 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
परिभाषाएं– 2–इस नियमावली में– (क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या 61 सन् 1986) से है; (ख) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है; (ग) ''रजिस्टर'' का तात्पर्य धारा 11 के अधीन रखे जाने वाले रजिस्टर से है; (घ) ''अनुसूची'' का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची से है; (ङ) ''धारा'' का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है; (च) पद ''अल्पव्यय व्यक्ति'' का वही अर्थ होगा जो कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 63 सन् 1948) में इसके लिए दिया गया है।	**परिभाषाएं–** 2–इस नियमावली में– (क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या 61 सन् 1986) से है; (ख) ''कुमार'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (i) में यथापरिभाषित किसी कुमार से है; (ग) अधिनियम या नियमावली की विभिन्न धाराओं के क्रियान्वयन हेतु ''जिला मजिस्ट्रेट'' का तात्पर्य स्वयं जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से है; (घ) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है; (ङ) ''निधि'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 14 ख के उपधारा (1) के अधीन गठित बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि से है; (च) किसी बालक या कुमार के सम्बन्ध में ''अभिभावक'' का तात्पर्य बालक या कुमार की देखभाल तथा अभिरक्षा करने वाले व्यक्ति से है और इसमें किसी न्यायालय या परिनियम द्वारा नियुक्त या घोषित कोई नैसर्गिक अभिभावक या अभिभावक सम्मिलित है; (छ) ''निरीक्षक'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए निरीक्षक से है; (ज) ''चिकित्सा प्राधिकारी'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में सम्बन्धित जिला या क्षेत्र के राजकीय चिकित्साधिकारी से है; (झ) ''नगर पालिका'' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–थ के अधीन गठित स्थानीय स्व–शासी संस्था से है; (ञ) ''पंचायत'' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–ख के अधीन गठित पंचायत से है; (ट) ''माता–पिता'' का तात्पर्य नैसर्गिक अथवा सौतेले अथवा दत्तक माता–पिता से है; (ल) ''रजिस्टर'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 11 के अधीन रखे जाने वाले रजिस्टर से है; (व) ''अनुसूची'' का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची से है;

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(ह) ''धारा'' का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है;
	(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु इसमें अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जैसा कि अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित हैं।
रजिस्टर [धारा 11 और धारा 18(2)(घ)] – 3–धारा 11 के अधीन रजिस्टर, प्रपत्र ''क'' में प्रत्येक वर्ष रखा जाएगा। एक वर्ष का रजिस्टर तीन वर्ष की अवधि के लिए अभिलेख में रखा जाएगा।	अधिनियम की धारा 11 के अधीन रजिस्टर अनुरक्षित किया जाना 3–(1) किसी प्रतिष्ठान का प्रत्येक अधिष्ठाता (प्रपत्र–क) में, नियोजित या कार्य करने की अनुमति वाले कुमारों के सम्बन्ध में एक रजिस्टर अनुरक्षित करेगा। (2) रजिस्टर वार्षिक आधार पर अनुरक्षित किया जायेगा किन्तु नियोक्ता द्वारा उसमें की गयी अन्तिम प्रविष्टि के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये प्रतिधारित किया जायेगा।
चिंहित चिकित्सा प्राधिकारी, जिसके द्वारा आयु का प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा और प्रपत्र जिसमें जारी किया जायेगा और उसके प्रभार– 4–(1) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी या किसी सरकारी अस्पताल का कोई चिकित्सा अधिकारी (जिसमें कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल/औषधालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी सम्मिलित हैं) जो एम0बी0बी0एस0 की उपाधि रखते हों, अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर विहित चिकित्सा प्राधिकारी होंगे। (2) विहित चिकित्सक अधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला आयु का प्रमाण–पत्र प्रपत्र ''ख'' में होगा। (3) ऐसा प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए विहित चिकित्सा प्राधिकारी को देय प्रभार वह होगा जो समय–समय पर यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए। (4) विहित चिकित्सा प्राधिकारी को देय प्रभार का वहन अधिष्ठाता द्वारा किया जाएगा।	**आयु का प्रमाण-पत्र–** 4–(1) जहां निरीक्षक को यह आशंका है कि किसी कुमार को किसी ऐसे व्यवसाय या प्रसंस्करणों में नियोजित किया गया है जिनमें उसे अधिनियम की धारा 3क के अधीन नियोजित किया जाना प्रतिषिद्ध है, वहां वह ऐसे कुमार के नियोक्ता से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह समुचित चिकित्सा प्राधिकारी से आयु का प्रमाण-पत्र, निरीक्षक को प्रस्तुत करें। (2)समुचित चिकित्सा प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन आयु का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए कुमार का परीक्षण करते समय विद्यालय से जन्म तिथि का प्रमाण-पत्र या, कुमार के सम्बद्ध परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण-पत्र, यदि उपलब्ध हों; और उसके अभाव में, निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिए गए कुमार के जन्म प्रमाण-पत्र पर विचार करेगा। केवल पूर्वोक्त तरीके के न होने पर ही अस्थिविकास परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण परीक्षण के माध्यम से ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा कुमार की आयु अवधारित की जाएगी। (3) अस्थिविकास परीक्षण या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण परीक्षण, सहायक श्रमायुक्त से अनिम्न रैंक के समुचित प्राधिकारी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, के आदेश पर संचालित किया जाएगा और ऐसा आयु अवधारण, ऐसे आदेश के दिनांक से

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	पन्द्रह दिन के भीतर पूरा किया जाएगा। (4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आयु प्रमाण-पत्र प्रपत्र–ख में जारी किया जाएगा। (5) आयु प्रमाण-पत्र के जारी किए जाने के लिए चिकित्सा प्राधिकारी को संदेय प्रभार वहीं होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किए जाए। (6) चिकित्सा प्राधिकारी को संदेय प्रभार उस कुमार के नियोक्ता द्वारा वहन किए जाएंगे जिसकी आयु इस नियम के अधीन अवधारित की जाती है।
नये नियम 5 से 16 का बढ़ाया जाना	उक्त नियमावली में, नियम 4 के पश्चात निम्नलिखित नये नियम बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :–
अधिनियम के उल्लंघन में बालक और कुमार के नियोजन के प्रतिषेध के सम्बन्ध में जागरूकता–	5–(1) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम के उपबन्धों के उल्लघंन में बालकों और कुमारों को किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजित या कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार, समुचित उपायों के माध्यम से– (क) नियोक्ता तथा बालकों और कुमारों सहित आम जनता को लोक और पारंम्परिक मीडिया तथा जनमीडिया जिसमें दूरदर्शन, रेडियो, इन्टरनेट आधारित एप्लिकेशन और प्रिन्ट मीडिया सम्मिलित है, का उपयोग कर लोक जागरूकता अभियानों का प्रबन्ध करेगी जिन्हें अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में नियोजित किया जा सकता है और अधिनियम की प्राथमिकताओं के बारे में जागरूक करेगी, और इस प्रकार नियोक्ताओं या अन्य व्यक्तियों को, बालकों को अभिनियोजित करने का प्रतिषेध करेगी और अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में कुमारों को नियोजित करने से हतोत्साहित करेगी; (ख) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों के लिए संचार के आसानी से सुलभ साधनों का विकास और विज्ञापन करके, अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में उद्यमों या बालकों या कुमारों के रोजगार के मामलों की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करेगी; (ग) अधिनियम के उपबन्धों, इस नियमावली और उनसे संबंधित किसी भी अन्य सूचना को बस स्टेशनों, टोल प्लाजा और अन्य सार्वजनिक स्थलों जिसमें शॉपिंग सेंटर, बाजारों, सिनेमा हॉल, होटल, अस्पताल, पंचायत कार्यालय, पुलिस स्टेशन, रेजिडेन्ट वेल्फेयर एसोसिएशन कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र, स्कूल,

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय परिसर और अधिनियम के अधीन प्राधिकृत समस्त प्राधिकरणों के कार्यालय सम्मिलित हैं, पर यथासंभव प्रदर्शित करेगी; (घ) स्कूली शिक्षा में शिक्षा सामग्री एवं पाठ्यक्रम में अधिनियम के उपबंधों को सम्मिलित करने को समुचित माध्यम से प्रोत्साहित करेगी; और (ङ) श्रम पुलिस, न्यायिक, सिविल सेवाओं, शैक्षणिक, शिक्षकों के प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में अधिनियम के उपबंधों और उसके विभिन्न हितधारकों के उत्तरदायित्वों पर प्रशिक्षण और संवेदीकरण सामग्री को सम्मिलित करने हेतु प्रोत्साहित करेगी और अन्य सुसंगत हितधारकों जिसमें पंचायत सदस्य, चिकित्सक और राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी सम्मिलित हैं, के लिए संवेदीकरण कार्यक्रमों की व्यवस्था करेगी।
बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि से बालक या कुमार को धनराशि का संदाय–	6–(1) अधिनियम की धारा 14 ख की उपधारा (3) के अधीन यथास्थिति, जमा, निक्षेप या विनिधानित की गयी धनराशि और किसी भी मामले के अधीन किसी भी अन्य स्रोत से बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि और उस पर अर्जित ब्याज की वसूली की गई धनराशि, उस बालक या कुमार को संदत्त की जायेगी जिसके पक्ष में ऐसी धनराशि निम्नलिखित तरीके से जमा की गयी है :– (क) अधिकारिता रखने वाला निरीक्षक या नोडल अधिकारी अपने पर्यवेक्षण में यह सुनिश्चित करेगा कि बालक या कुमार का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाए और इसकी सूचना यथास्थिति उस बैंक को जिसमें निधि की धनराशि निक्षेपित की गयी है या, अधिनियम की धारा 14 ख की उपधारा (3) के अधीन निधि की धनराशि को विनिधान करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी को प्रदान करेगा; (ख) निरीक्षक की सूचना के अधीन यथास्थिति, बैंक या विनिधान हेतु उत्तरदायी अधिकारी द्वारा बालक या कुमार के पक्ष में निधि की आनुपातिक धनराशि पर प्रोद्भूत ब्याज को प्रत्येक छह मास में बालक या कुमार के खाते में अंतरित किया जाएगा; (ग) जब संबंधित बालक या कुमार अट्ठारह वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तब तत्काल यथासंभव शीघ्र या तीन मास की अवधि के भीतर, अधिनियम की धारा 14ख की उपधारा (3) के अधीन बालक के पक्ष में कुल

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	जमा, निक्षेप या विनिधान की गयी धनराशि और उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित कुल धनराशि जो बैंक में शेष है या विनिधान किये जाने हेतु शेष है, यथास्थिति बालक या कुमार के उक्त बैंक खाते में अन्तरित की जाएगी; और (घ) निरीक्षक सम्बन्धित बालक या कुमार के पहचान के लिये पर्याप्त विशिष्टियों के साथ खण्ड (ख) तथा (ग) के अधीन अंतरित धनराशि की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और वह जानकारी के लिये राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्रेषित करेगा; (ङ) अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए किसी बालक या कुमार के पक्ष में न्यायालय के आदेश या निर्णय के अनुसरण में जुर्माने के माध्यम से या अपराधों के शमन के लिए वसूल की गई कोई धनराशि भी निधि में निक्षेपित की जाएगी और ऐसे आदेश या निर्णय के अनुसार व्यय की जाएगी।
गैर खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजित कुमारों के कार्य की परिस्थिति–	7–(1) इस सम्बन्ध में प्रत्येक नियोक्ता का यह दायित्व होगा किः– **(क) कार्य स्थल की स्वच्छताः**– प्रत्येक कार्यस्थल, जहां कुमार को नियोजित किया गया है, को प्रत्येक दिन कम से कम एक बार पोंछा और साफ किया जाएगा और ऐसे स्थानों पर फिसलन वाली वस्तुएं और बदबूदार सामग्री नहीं होनी चाहिए। यदि कार्यस्थल पर नमी की कोई संभावना है, तो जल निकासी के प्रभावी उपाय सुनिश्चित और बनाए रखे जाएंगे। प्रत्येक नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यस्थल पर या उसके आस–पास अपशिष्ट पदार्थ या कचरा इस तरह से डंप न किया जाए कि वह बाहर फैल जाए। **(ख) हवा का प्रवाह (संवातन) और तापमानः**– प्रत्येक कार्यस्थल पर यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त और प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए कि ऐसे कार्यस्थल के प्रत्येक कमरे में ताजी/शुद्ध हवा का प्रवाह हो और इन कमरों में ऐसा तापमान बनाए रखा जाए जो नियोजित कुमारों के कार्य करने के लिए आरामदायक हो और जिससे उनके स्वास्थ्य हानि को रोका जाये। **(ग) प्रकाशः**– प्रत्येक कार्य स्थल पर प्राकृतिक अथवा कृत्रिम प्रकाश अथवा दोनो उपलब्ध कराये जायेंगे और बनाये रखा जायेगा। आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था के लिये एक सक्षम वहनीय बैटरी चालित या कुशलतापूर्वक सुसज्जित बैटरी टॉर्च समुचित स्थान पर उपलब्ध करायी जायेगी।

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(घ) सुरक्षित पीने का पानीः– कार्यस्थल पर सार्वजनिक जल वितरण प्रणाली के नलों या हैण्डपम्पों के माध्यम से ताजा और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी। यदि कार्यस्थल पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नलों या हैण्डपम्पों के माध्यम से ताजा और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सम्भव न हो तो पीने का पानी उपयुक्त बर्तनों में रखा जायेगा और इन बर्तनों को प्रत्येक दिवस पुनः भरा जायेगा। नियोक्ता को पीने के पानी का भण्डारण सुनिश्चित करने और इन बर्तनों को साफ और संदूषण से मुक्त रखने के लिये समस्त व्यवहारिक कदम उठाने होंगे। **(ङ) शौचालयः**–नियोक्ता कार्यस्थल पर पर्याप्त संख्या में कुमार, बालक और बालिकाओं के लिए पृथक और सुगमता से सुलभ शौचालय स्थापित करेगा और उनकी नियमित रूप से साफ–सफाई की व्यवस्था रखेगा। ऐसे प्रत्येक शौचालय में पर्याप्त प्रकाश और हवा होनी चाहिए और उसे साफ और स्वास्थ्यकर दशा में बनाए रखा जाना चाहिए। प्रत्येक शौचालय में समुचित दरवाजे और ताले होंगे और इसे इस तरह से ढका और विभाजित किया जायेगा कि एकांतता सुनिश्चित हो सके। **(च) भारी–भारः**– किसी भी कुमार को अपने हाथों से या अपने सिर पर दस किलोग्राम से अधिक वजन उठाने, ले जाने या रखने की अनुज्ञा नही दी जायेगी। **(छ) आँखों की सुरक्षाः**– जहाँ पर अत्यधिक प्रकाश उत्पन्न होने के कारण या ऐसे किसी प्रक्रिया के कारण जिसमें सामग्री के बिखरने, टूटने या उछलने के कारण आँखों को क्षति पहुँचने का जोखिम हो, वहां कार्यस्थल पर नियोजित कुमारों की आखों की सुरक्षा हेतु प्रभावी आवरक (परदें) या समुचित चश्में उपलब्ध कराये जायेंगे। **(ज) विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ और गैस आदिः**– ऐसे प्रत्येक कार्यस्थल जहाँ पर कुमार नियोजित हों, को वहाँ पर विस्फोटक सामग्री, ज्वलनशील पदार्थ तथा विषैली गैसों से मुक्त रखा जाये। **(झ) अग्नि से सुरक्षाः**– प्रत्येक कार्यस्थल पर नियोजित कुमारों को आग से सुरक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे और आपातकालीन निकास द्वार इस तरह स्थापित किए जाएंगे कि प्रत्येक कुमार बिना किसी बाधा के दरवाजे तक उचित रूप

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	से पहुंच सके। इन आपातकालीन दरवाजों के आयाम की चौड़ाई 2.5 फीट और ऊंचाई 5.5 फीट से कम नहीं होगी। समस्त वहनीय अग्निशामक यंत्रों को सदैव क्रियाशील स्थिति में रखा जाएगा। **(ञ) भवन और मशीन की सुरक्षाः**– नियोक्ता ऐसे भवन और मशीनों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा जहां पर कुमार नियोजित हैं। **(ट) साप्ताहिक अवकाशः**– प्रत्येक कुमार को सवैतनिक साप्ताहिक अवकाश का अधिकार होगा। **(ठ) चिकित्सा सुविधाः**– ऐसे कार्यस्थल का प्रत्येक नियोक्ता जहां कुमार श्रमिकों को नियोजित किया गया है, संपूर्ण प्राथमिक चिकित्सा किट के साथ एक ''प्राथमिक उपचार पेटिका'' उपलब्ध कराएगा, जिस पर ''प्राथमिक उपचार'' शब्द पठनीय रूप से उल्लिखित किया जाएगा और ऐसे बॉक्स को ऐसे स्थान पर रखा जाएगा जहाँ पर कुमार आसानी से पहुंच सके।
बच्चे द्वारा शिक्षा को प्रभावित किए बगैर अपने परिवार की सहायता करना–	8–(1) धारा 3 के उपबन्धों के अध्यधीन कोई बालक, अपनी स्कूली शिक्षा को प्रभावित किए बिना, किसी भी रीति से अपने परिवार को उनके पारिवारिक उद्यम में इस शर्त के अध्यधीन सहायता कर सकेगा कि ऐसी सहायताः– (एक) अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध किसी खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया में नहीं होगी, (दो) इसमें विनिर्माण, उत्पादन, आपूर्ति या खुदरा श्रृंखला के किसी भी चरण में कार्य या व्यवसाय या प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होगी जो बालक या उसके परिवार या परिवार के उद्यम के लिए पारिश्रमिक प्रदान करती हो, (तीन) उसे केवल अपने परिवार में या किसी पारिवारिक उद्यम में मदद करने की अनुमति दी जाएगी जहां उसका परिवार अधिभोगी है, (चार) वह विद्यालय समय और 7 बजे सायं से 8 बजे प्रातः के मध्य कोई कार्य नहीं करेगा, (पांच) वह सहायता के ऐसे कार्य में नियोजित नहीं होगा, जो बालक की शिक्षा के अधिकार या विद्यालय में उसकी उपस्थिति में बाधा डालती हो या हस्तक्षेप करती हो या जो प्रतिकूल रूप से उसकी शिक्षा को प्रभावित करती हो, जिसके अंतर्गत ऐसे क्रियाकलाप हैं, जो पूर्ण शिक्षा से अविभाज्य रूप से जुड़ी हैं,

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	जैसे गृह कार्य या कोई पाठ्येतर क्रियाकलाप हैं, जो उसे विद्यालय द्वारा समनुदेशित की गई हैं, (छः) बिना विश्राम के सतत रूप से किसी कार्य में नही लगाया जायेगा जिससे वह थक जाये और उसके स्वास्थ्य और मस्तिष्क को तरोताजा करने के लिए विश्राम की अनुमति दी जायेगी। कोई बालक एक दिवस में विश्राम की कालावधि को अपवर्जित करते हुए तीन घंटे से अधिक के लिए सहायता नहीं करेगा, (सात) किसी भी तरह से अपने परिवार या परिवार के उद्यम में मदद करते समय किसी वयस्क या कुमार के लिए बालक का प्रतिस्थापन सम्मिलित नहीं होगा, और (आठ) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उल्लघंन में नहीं होगी, और (नौ) अपने परिवार की मदद या सहायता ऐसी रीति में करनी होगी जो किसी व्यवसाय, संकर्म, वृत्ति, विनिर्माण या कारबार या किसी संदाय या बालक या किसी अन्य व्यक्ति के फायदा के लिए है, जो बालक पर नियंत्रण रखता है, तथा जो बालक की वृद्धि, शिक्षा और समग्र विकास के लिए अहितकर न हो। (2) यदि किसी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने वाला कोई बालक स्कूल के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक को सूचित किए बिना लगातार तीस दिवस की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, तब ऐसी स्थिति में प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक सूचना हेतु नियम 14 के उप नियम (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट सम्बन्धित नोडल अधिकारी को अनुपस्थित की रिपोर्ट देगा। **स्पष्टीकरण 1**: इस नियम के प्रयोजनों के लिए, परिवार का तात्पर्यः– (अ) बालक के माता–पिता; (ब) बालक का जैविक भाई या बहन, (स) बालक के माता–पिता द्वारा विधिपूर्वक गोद लेने के माध्यम से बालक का भाई या बहन, और (द) बालक के माता–पिता का जैविक भाई या जैविक बहन। **स्पष्टीकरण 2**: किसी भी संदेह के मामले में कि क्या काई व्यक्ति जैविक भाई या बहन है, से सम्बन्धित यथास्थिति स्थानीय निकाय या पंचायत द्वारा जारी ऐसे व्यक्ति की वंशावली, या राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी कोई अन्य विधिक दस्तावेज से परीक्षण किया जा सकता है।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
बालक का कलाकार के रूप में कार्य करना–	9–(1) धारा 3 के उपबंधो के अधीन रहते हुए बालक को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन कलाकार के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति दी जा सकेगीः– (क) किसी बालक को एक दिन में पाँच घण्टे से अधिक एवं बिना किसी विश्राम के तीन घंटों से अधिक कार्य करने के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी, (ख) किसी दृश्य–श्रव्य मीडिया प्रस्तुति या किसी वाणिज्यिक समारोह के किसी प्रस्तुतकर्ता जिसमें बालक की भागीदारी अंतर्वलित है, के बालक की सहभागिता को उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट से, जिसमें उस क्रियाकलाप को किया जाना है, अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ही अंतर्वलित होगा और जिला मजिस्ट्रेट उस क्रियाकलाप को आरम्भ करने से पूर्व (एक) प्रपत्र–ग में एक वचनबंध (दो) बालक सहभागियों की सूची (तीन) यथास्थिति, माता–पिता या संरक्षक की सहमति, (चार) प्रस्तुति या समारोह से सम्बन्धित व्यक्ति का नाम, जो बालक की सुरक्षा और संरक्षा के लिए उत्तरदायी है, की सूची प्रस्तुत करेगा। प्रस्तुतकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी फिल्म और दूरदर्शन कार्यक्रमों की स्क्रीनिंग इस अस्वीकरण (डिस्क्लेमर) का विनिर्दिष्ट करते हुए की जाएगी कि यदि किसी बालक को शूटिंग में लगाया जाता है तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि शूटिंग की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान ऐसे बालक का दुरूपयोग, अनदेखी या शोषण नहीं हो, के लिए समस्त उपाय किए गए है, (2) उपनियम (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट वचनबंध अनुमति के दिनांक से छह मास की कालावधि के लिए विधिमान्य होगा और उसमें ऐसे प्रयोजन के लिए समय–समय पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा संरक्षण नीतियों के अनुरूप बालक की शिक्षा, सुरक्षा, संरक्षा तथा बाल शोषण की रिपोर्ट करने के लिए उपबंधों का स्पष्ट कथन होगा, जिसके अंतर्गत,– (क) बालक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुविधाओं को सुनिश्चित करना, (ख) बालक के लिए समयबद्ध पोषक–आहार, (ग) दैनिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त उपबन्धों के साथ सुरक्षित, स्वच्छ आवास/आश्रय स्थल,

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(घ) बालकों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त समस्त लागू विधियों का अनुपालन, जिसके अंतर्गत उनका शिक्षा, देखरेख और यौन अपराधों से संरक्षण के लिए अधिकार सम्मिलित है,
	(ङ) बालक की शिक्षा के लिए समुचित सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्यालयों में उनके पठन–पाठन की निरंतरता बनी रहे और किसी बालक को सताईस दिवस से अधिक के लिए लगातार कार्य करने के लिए अनुज्ञा नहीं दी जायेगी,
	(च) समारोह या कार्यक्रम के लिए अधिकतम पाँच बालकों के लिए एक उत्तरदायी व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी ताकि बालक की सुरक्षा, देखरेख और उसके सर्वोत्तम हित सुनिश्चित किया जा सके।
	(छ) बालक द्वारा प्रस्तुति या समारोह से अर्जित आय के कम से कम बीस प्रतिशत को सीधे किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बालक के नाम से नियत निक्षेप खाते में निक्षेपित किया जाएगा जिसे वयस्कता प्राप्त होने पर बालक के खाते में जमा किया जा सकेगा, और
	(ज) किसी बालक को उसकी इच्छा और सहमति के विरूद्ध किसी दृश्य–श्रव्य और क्रीड़ा क्रियाकलाप, जिसके अंतर्गत अनौपचारिक मनोरंजन क्रियाकलाप भी है, में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
	स्पष्टीकरण:– धारा 3 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए उसमें अंतर्विष्ट पद–''अन्य ऐसा क्रियाकलाप'' का तात्पर्य होगा,–
	(एक) कोई क्रिर्याकलाप, जिसमें बालक स्वयं किसी क्रीड़ा प्रतिस्पर्धा या समारोह या ऐसी क्रीड़ा प्रतिस्पर्धा या समारोह के लिए प्रशिक्षण में भाग ले रहा है,
	(दो) दूरदर्शन पर सिनेमा और डाक्यूमेंटरी प्रदर्शन, जिसके अंतर्गत रियल्टी शो, क्वीज शो, टेलेंट शो, रेडियो या कोई कार्यक्रम या कोई अन्य मीडिया है,
	(तीन) नाटक–सीरियल,
	(चार) किसी शो (प्रदर्शन) या समारोह में एंकर (उद्घोषक) के रूप में भागीदारी, और
	(पांच) कोई अन्य कलात्मक अभिनय, जिसे केन्द्रीय या राज्य सरकार वैयक्तिक मामलों में अनुज्ञात करे, जिसके अंतर्गत वित्तीय लाभ हेतु नुक्कड़/गलियों में किए जाने वाले अभिनय सम्मिलित नहीं हैं।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
कार्य के घंटे	10–अधिनियम की धारा 7 के उपबंधों के अध्यधीन, किसी कुमार से किसी स्थापन में कार्य के उतने घंटों से अधिक कार्य करना अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं दी जाएगी जितने कि ऐसे स्थापन में कुमार के कार्य के घंटों को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन अनुज्ञेय है।
व्यक्ति, जो परिवाद फाइल कर सकेंगे	11–(1) कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है या भारत का निवासी है, अधिनियम या इस नियमावली के अधीन परिवाद फाइल कर सकता है। (2) इस नियमावली के अधीन, स्कूल के शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन समिति, बालक संरक्षण समिति, पंचायत या नगर पालिका के प्रतिनिधियों को उस स्थिति में शिकायत फाइल करने के लिए जागरूक किया जाएगा कि उनके अपने–अपने स्कूलों से कोई छात्र इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके नियोजित तो नहीं किया जा रहा है।
अपराधों का शमन करने की रीति	12–(1) कोई अभियुक्त व्यक्ति जो धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन पहली बार अपराध करता है या, जो माता–पिता या अभिभावक होने के नाते उक्त धारा के अधीन अपराध करता है, वह धारा 14घ की उपधारा (1) के अधीन उक्त अपराध का शमन करने की अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष समझौते के लिए आवेदन फाइल कर सकता है। (2) जिला मजिस्ट्रेट उपनियम (1) के अधीन फाइल किए गए आवेदन पर अभियुक्त व्यक्ति और संबंधित निरीक्षक को सुनने के पश्चात् ऐसे आवेदन का निस्तारण करेगा और यदि आवेदन अनुज्ञात कर दिया जाता है तो निम्नलिखित के अध्यधीन शमन प्रमाण-पत्र जारी करेगाः– (क) वह ऐसे प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे अपराध के लिए प्रदान किए गए अधिकतम जुर्माने की पचास प्रतिशत धनराशि का भुगतान करेगा, या (ख) वह पूर्वोक्त खंड के अधीन विनिर्दिष्ट शमन धनराशि के साथ–साथ ऐसे अपराध के लिए प्रदान किए गए अधिकतम जुर्माने का पच्चीस प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करेगा। यदि अभियुक्त व्यक्ति विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त खंड के अधीन शमन धनराशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो ऐसा विलंबित भुगतान एक अतिरिक्त अवधि के भीतर किया जाएगा

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	जैसा कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, जो उस खंड में विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक नहीं होगा। (3) अभियुक्त व्यक्ति से एकत्र की गयी शमनकारी रकम को जिला स्तर पर बनाये गये बालक एवं कुमार श्रम पुनर्वास निधि में निक्षेपित की जायेगी। (4) यदि अभियुक्त व्यक्ति. उपनियम (2) के अधीन शमनकारी रकम का संदाय करने में विफल रहता है तो उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट कार्यवाही जारी रहेगी।
जिला कृतिक बल का गठन	13–(1) प्रत्येक जिला में निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक जिला कृतिक बल गठित की जायेगी– (एक) जिला मजिस्ट्रेट–अध्यक्ष (दो) अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजन के लिये धारा 17 के अधीन नियुक्त निरीक्षक–सदस्य (तीन) अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए पुलिस अधीक्षक–सदस्य (चार) अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट–सदस्य (पांच) अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए नियम 14 के उप नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन निर्दिष्ट नोडल अधिकारी–सदस्य (छः) अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए जिला में तैनात श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त/श्रम प्रवर्तन अधिकारी या वरिष्ठम अधिकारी–सदस्य (सात) दो वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रमी आधार पर जिले में नियोजित बालकों के बचाव और पुनर्वास में अन्तर्वलित प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन से दो प्रतिनिधि–सदस्य (आठ) जिला न्यायाधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि–सदस्य (नौ) जिला तस्करी विरोधी ईकाई का सदस्य––सदस्य (दस) जिला की बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष–सदस्य (ग्यारह) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एकीकृत बालक

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	संरक्षण योजना के अधीन जिला बालक संरक्षण अधिकारी–सदस्य (बारह) जिला शिक्षा अधिकारी–सदस्य (तेरह) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति–सदस्य (चौदह) इस नियमावली के नियम 14 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट और अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट नोडल अधिकारी–सचिव (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट कृतिक बल प्रतिमाह कम से कम एक बार बैठक करेगी और उपलब्ध समय, तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार छापा स्थल, योजना की गोपनीयता, समय–समय पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी बचाव और पुनर्वास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतो के अनुसार पीड़ितों और साक्षियों का संरक्षण और अंतरिम राहत को ध्यान में रखते हुए बचाव कार्य संचालित करने की व्यापक कार्य योजना बनाएगा; और कृतिक बल, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए सृजित पोर्टल पर ऐसी बैठक के कार्यवृत्त को भी अपलोड कराएगा।
जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्य	14–जिला मजिस्ट्रेट,– (क) अपने अधीनस्थ ऐसे अधिकारियों को विनिर्दिष्ट करेगा जिन्हें वह आवश्यक समझता है, नोडल अधिकारी कहा जायेगा जो अधिनियम की धारा 17–क के अधीन राज्य सरकार द्वारा उसको प्रदत्त और अधिरोपित जिला मजिस्ट्रेट की समस्त या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेंगे और समस्त या किन्हीं कर्तव्यों का पालन करेंगे; (ख) नोडल अधिकारी को ऐसी शक्तियाँ और कर्तव्य समनुदेशित करेगा, जैसा वह समुचित समझे, जिनका प्रयोग और पालन वह अधीनस्थ अधिकारी के रूप में अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर करेगा; (ग) किसी जिले में गठित होने वाले कृतिक बल के अध्यक्ष के रूप में पीठासीन होना; (घ) नोडल अधिकारियों के माध्यम से, यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में नियोजित बच्चों और कुमारों को निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार बचाया जाए और पुनर्वास किया जाए:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(एक) किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (अधिनियम संख्या 2 सन् 2016) तथा किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) आदर्श नियमावली, 2016; (दो) बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1976); (तीन) केन्द्रीय बंधित श्रमिक पुनर्वास सेक्टर स्कीम, 2016; (चार) कोई राष्ट्रीय बालक श्रम परियोजना; (पांच) तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि या स्कीम, जिसके अधीन ऐसे बालकों या कुमारों का पुनर्वास सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के निर्देशों, यदि कोई हों और इस संबंध में समय–समय पर केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए बचाव और पुनर्वासन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अध्यधीन किया जाए।
निरीक्षक के कर्तव्य	15–धारा 17 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक, अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से निम्नलिखित का अनुपालन करेगाः– (क) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निरीक्षण के मानको का अनुपालन; (ख) अधिनियम के उपबंघो का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों का अनुपालन; और (ग) अधिनियम के उपबंधो का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से उसके द्वारा किये गये निरीक्षणों के संबंध में और ऐसे प्रयोजनो के लिये उसके द्वारा की गयी कार्यवाही की त्रैमासिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा।
सामयिक निरीक्षण और अनुश्रवण	16–राज्य सरकार धारा 17(ख) के उपबंधो के कार्यान्वयन हेतु अनुश्रवण व निरीक्षण की एक प्रणाली का सजृन करेगी, जिसमें शामिल हो सकते हैंः– (क) स्थानों के निरीक्षक द्वारा किये जाने वाले सामयिक निरीक्षणों की संख्या, जहां बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध है और जोखिम वाले व्यवसायों और प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन होता है; (ख) वह अन्तराल जिस पर एक निरीक्षक खण्ड ग के उपखण्ड (एक) के अधीन निरीक्षण की विषय–वस्तु से संबंधित उसको प्राप्त शिकायतों और तत्पश्चात् उसके द्वारा की गयी कार्यवाई के ब्यौरों की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा; (ग) निम्न अभिलेखों का इलेक्ट्रानिक अथवा अन्य प्रकार से अनुरक्षण :– (एक) अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन कर काम करते हुए पाये गये बच्चे और कुमारों, जिनमें वे बच्चे भी सम्मिलित हैं जो अधिनियम के उल्लंघन में परिवार या पारिवारिक उद्यमों में लगे हुए पाये जाते हैं;

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(दो) शमित अपराधों के ब्यौरों की संख्या; (तीन) अधिरोपित और वसूल की गई शमित रकम का ब्यौरा; और (चार) अधिनियम के अधीन बालकों व कुमारों को उपलब्ध कराई जा रही पुनर्वास सेवाओं का ब्यौरा।

प्रारूपों का संशोधन

4–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान प्रारूपों के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिये गये प्रारूप रख दिये जायेंगे, अर्थात्:–

स्तम्भ–1

विद्यमान प्रारूप

प्रारूप ''क''

[नियम 3 (1)देखिए]

कार्य का स्थान.....

वर्ष.....

अधिष्ठाता का नाम और पता.....

अधिष्ठान द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रकृति.....

क्र0सं0	बालक का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	स्थायी पता	अधिष्ठान में कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक
1	2	3	4	5	6
उस कार्य की प्रकृति जिस पर नियोजित हो	कार्य के दैनिक घण्टे	विश्राम अन्तराल	मजदूरी की अवधि	अभ्युक्ति	
7	8	9	10	11	

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रारूप

प्रारूप ''क''

[नियम 3 (1) देखिए]

वर्ष.....

अधिष्ठाता का नाम और पता.....

कार्य का स्थान.....

अधिष्ठान द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रकृति.....

क्र0सं0	कुमार का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	स्थायी पता	स्थापन में कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक
1	2	3	4	5	6
कार्य का नाम जिस पर नियोजित हो	कार्य के दैनिक घण्टे	विश्राम अन्तराल	मजदूरी की अवधि	टिप्पणियां	
7	8	9	10	11	

स्तम्भ–1

विद्यमान प्रारूप

प्रपत्र ''ख''

आयु का प्रमाण–पत्र

[नियम 4 (2)देखिए]

प्रमाण–पत्र संख्या.....

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैने व्यक्तिगत रूप से (नाम ..... पुत्र/पुत्री.....निवासी..... ..... की परीक्षा की है और यह कि उसने अपना चौदहवां वर्ष पूरा कर लिया है/पूरी कर ली है) और वह जैसा मेरे परीक्षण से अभिनिश्चित किया जा सकता है.....वर्ष पूरा कर लिया है) का है। उसका वर्णनात्मक चिह्न .... है। बालक का अंगूठा निशानी/हस्ताक्षर बालक का पासपोर्ट आकार का फोटो।

फोटो पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर

स्थान : चिकित्सा अधिकारी,
दिनांक : पदनाम

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रारूप

प्रपत्र ''ख''

आयु का प्रमाण–पत्र

[नियम 4 (4)देखिए]

प्रमाण–पत्र संख्या.....

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैने व्यक्तिगत रूप से (नाम ..... पुत्र/पुत्री.....निवासी..... ..... की परीक्षा की है और यह कि उसने अपना चौदह वर्ष पूरा कर लिया है/पूरी कर ली है) और उसकी आयु जैसे मेरे परीक्षण से अभिनिश्चित किया जा सकता है ....वर्ष (पूरा कर लिया है) का है। उसका वर्णनात्मक चिह्न ..... है।

बालक का अंगूठा निशानी/हस्ताक्षर.....

स्थान : चिकित्सा प्राधिकारी,
दिनांक : पदनाम

प्रपत्र–''ग''

[नियम 9(1) (ख) देखिए]

उत्तर प्रदेश बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2023 के अधीन वचनबध

मैं.....वाणिज्यिक समारोह..... का दृश्य–श्रव्य मीडिया प्रस्तुति या आयोजक..... का प्रस्तुतकर्ता हूँ जिसमें निम्नलिखित बालक भाग ले रहे हैं, अर्थात–

क्रं0सं0	बालक/बालकों का नाम	माता–पिता/संरक्षक का नाम	पता

यह वचन देता हूँ कि..... .....समारोह (समारोह को विनिर्दिष्ट करें) में ऊपर उल्लिखित बालकों के शामिल होने के दौरान, बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 61) और बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियमावली, 1994 के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं होगा और बालकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा अन्य अपेक्षाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि उसे उन्हें कोई असुविधा न हो। मै यह भी वचन

स्तम्भ–1 विद्यमान प्रारूप	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रारूप
	देता हूँ कि समारोह के दौरान बालकों के संरक्षण, जिसके अन्तर्गत उनके शिक्षा के अधिकार, देखभाल और संरक्षण, लैंगिक अपराधों के विरूद्ध विधिक उपबंध भी है, के लिए तत्समय प्रवृत्त लागू सभी विधियों का अनुपालन किया जाएगा। दिनांक..... प्रस्तुतकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

आज्ञा से,
अनिल कुमार–III
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 01/2024/2568/XXXVI-3–2023-37(Sa.)-2022, dated December 29, 2023:

No. 01/2024/2568/XXXVI-3–2023-37(Sa.)-2022

Dated Lucknow, December 29, 2023

THE following draft rules which the Governor proposes to make in exercise of the powers under sub-section (1) of section 18 of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (Act no. 61 of 1986) *read* with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act. no. 10 of 1897) are hereby published for the information of all concerned and with a view to invite objections and suggestions in respect thereof .

ALL objections and suggestions with respect to said rules should be sent in duplicate addressed to the Principal Secretary, Shram Anubhag-3, Uttar Pradesh Shasan, Bapu Bhawan, Lucknow-226001/Labour Commissioner Office , G.T. Road, Kanpur.

Only those objections and suggestions which are received within forty-five days from the date of publication of this notification shall be taken into consideration.

DRAFT RULES

THE UTTAR PRADESH CHILD LABOUR (PROHIBITION AND REGULATION) (FIRST AMENDMENT) RULES, 2023

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Child Labour (Prohibition and Regulation) (First Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official *Gazette*.

General Amendment

2. In the Uttar Pradesh Child Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 1994, (hereinafter referred to as the " said rules ") , *for* the words "Uttar Pradesh Child Labour", wherever occurring including the short title, long title, marginal headings, the words "Child and Adolescent Labour" shall be *substituted*.

Amendment of rules 2, 3 and 4

3. In the said rules, *for* rules 2, 3 and 4 set out in Column-I below, the rules as set out in Column-II shall be *substituted*, namely: -

COLUMN-I *Existing rules*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
Definitions- 2. In these rules,– (a) "Act" means the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (Act no. 61 of 1986); (b) "form" means a form appended to these rules; (c) "register" means the register maintained under section 11; (d)"schedule" means the schedule to the Act;	**Definitions-** 2**.** In these rules ,– (a) "Act" means the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (Act no. 61 of 1986); (b) "Adolescent" means an adolescent as defined in clause (i) of section 2 of the Act;

COLUMN-I *Existing rules*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
(e) "section" means section of the act	(c) "District Magistrate" for the implementation of different sections of the Act or rules means the District Magistrate himself or any officer authorized by him ;
(f) The expression "Young person" shall have the meaning assigned to it in the Factories Act, 1948 (Act no. 63 of 1948)	(d) "Form" means a form appended to these rules;
	(e) "Fund" means the Child and Adolescent Labour Rehabilitation Fund constituted under sub-section (1) of the section 14 B of the Act;
	(f) " Guardian " in relation to a child or adolescent means a person having the care and custody of the child or adolescent and includes a natural guardian or guardian appointed or declared by a Court or a statute;
	(g) "Inspector" means the Inspector appointed by the State Government under section 17 of the Act;
	(h) "Medical authority" means Government Medical Officer of the concerned District or area in Uttar Pradesh;
	(i) "Municipality" means an institution of self-government constituted under Article 243-Q of the Constitution;
	(j) "Panchayat" means a Panchayat constituted under Article 243-B of the Constitution;
	(k) "Parent" means either the natural or step or adoptive father or mother of child;
	(l) "Register" means the register maintained under section 11 of the Act ;
	(m) "Schedule" means the Schedule to the Act ;
	(n) "Section" means section of the Act .
	(2) Words and expressions used in these rules but not defined therein and defined in the Act shall have the meanings as assigned to them in the Act.
Register [section 11 and section 18 (2) (d)]	**Register to be maintained under section 11 of the Act** .
3. The register under section 11 shall be maintained in Form 'A' every year. The register of an year shall be kept in record for a period of three years.	**3. (1)** Every occupier of an establishment shall maintain a register in respect of adolescents employed or permitted to work, in Form-A . **(2)** The register shall be maintained on a yearly basis but shall be retained by the employer for a period of 3 years after the date of the last entry made therein.

COLUMN-I *Existing rules*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
Prescribed Medical Authority by whom and from which a certificate of age is issued and charges therefar 4. (1) For the purposes of the Act, the Chief Medical Officer of the district or a Medical Officer of a Government Hospital (including employees State Insurance Hospital/ Dispensary and Primary Health Centre) possessing a M.B.B.S . degree shall be the prescribed medical authority within the local limits of his jurisdiction. (2) The certificate of age to be issued by the prescribed medical authority shall be in Form 'B' . (3) The charges payable to prescribed medical authority for the issue of such certificate shall be such as may be fixed from time to time by the State Government or the Central Government as the case may be. (4) The charges payable to be prescribed medical authority shall be borne by the occupier.	**Certificate of age.** 4.(1) Where an inspector has an apprehension that any adolescent has been employed in any occupation or processes in which he is prohibited to be employed under section 3-A of the Act, he may require the employer of such adolescent to produce to the inspector a certificate of age from the appropriate medical authority. (2) The appropriate medical authority shall, while examining an adolescent for issuing the certificate of age under sub-rule (1), take into account the date of birth certificate from school or the matriculation or equivalent certificate from the concerned examination Board of the adolescent, if available; and in the absence thereof, the birth certificate of the adolescent given by Corporation or a Municipal Authority or a Panchayat shall be considered. Only in the absence of the aforesaid methods, the age of the adolescent shall be determined by such medical authority through an ossification test or any other latest medical age determination test. (3) The ossification test or any other latest medical age determination test shall be conducted on the order of the appropriate authority not below the rank of Assistant Labour Commissioner, as may be specified by the State Government in this behalf, and such age determination shall be completed within fifteen days from the date of such order. (4) The certificate of age referred to in sub-rule (1) shall be issued in Form-B. (5) The charges payable to the medical authority for the issue of certificate of age shall be such as specified by the State Government from time to time. (6) The charges payable to the medical authority shall be borne by the employer of the adolescent whose age is determined under this rule.
Insertion of new rules 5 to 16	**3. In the said rules, after rule 4 the following new rules shall be *inserted*, namely:-**
Awareness on prohibition of employment of child and adolescent in contravention to Act.	**5.(1)** The State Government shall ensure that the children and adolescents are not employed or permitted to work in any occupation or process in contravention of provisions of the Act . The State Government, through appropriate measures, shall,-

COLUMN-I *Existing rules*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
	(a) arrange public awareness campaigns using folk and traditional media and mass media including television, radio, internet based application and print media to make the general public, including the employer and the children and adolescents who may be employed in contravention to the provisions of the Act, and make than aware about the priorities of the Act, and thereby prohibit employers or other persons from engaging children and discourage them from employing adolescents in any occupation or process in contravention of the provisions of the Act; (b) promote reporting of enterprises or instances of employment of children or adolescents in contravention of the provisions of the Act, by developing and advertising easily accessible means of communication to the authorities specified by the State Government; (c) display to the possible extent the provisions of the Act, these rules and any other information relating thereto in bus stations, toll plazas and other public places including shopping centers, markets, cinema, halls, hotels, hospitals, Panchayat offices, Police Stations, resident welfare association offices, industrial areas, schools, educational institutions, Court complexes and offices of all authorities authorized under the Act; (d) promote, through appropriate methods , the inclusion of the provisions of the Act in learning material and syllabus in school education ; and (e) promote inclusion of training and sensitization material on the provisions of the Act and the responsibilities of various stakeholders thereto, in labour police, judicial, civil services , academics, teachers training and refresher courses and also arrange sensitization programmes for other relevant stakeholders including Panchayat members, doctors and concerned officials of the State Government .
Payment of amount to child or adolescent from and out of Child and Adolescent Labour Rehabilitation Fund.	6.(1) The amount credited, deposited or invested, as the case may be, under sub-section (3) of section 14B of the Act and recovered from any other sources under any case to the Child and Adolescent Labour Rehabilitation Fund and the interest accrued on it, shall be paid to the child or adolescent in whose favour such amount is credited in the following manner :-

COLUMN-I *Existing rules*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
	(a) the Inspector or the nodal officer having jurisdiction shall, under his supervision, ensure that an account of the child or adolescent is opened in a nationalized bank and shall inform about the same to the bank in which the amount of the Fund is deposited or, as the case may be, to the officer responsible for investing the amount of the Fund under sub section (3) of section 14B of the Act ; (b) the interest accrued on the proportionate amount of the Fund in favour of the child or adolescent shall be transferred every six months to the account of the child or adolescent, as the case may be, by the bank or officer responsible for investing the amount under information to the Inspector; (c) when the concerned child or adolescent completes the age of eighteen years, then, as soon as may be possible forthwith or within a period of three months, the total amount credited, deposited or invested in favour of the child along with interest accrued thereon remaining in the bank or remaining so invested under sub-section (3) of section 14B of the Act , shall be transferred to the said bank account of the child or adolescent , as the case may be; and (d) the Inspector shall prepare a report of the amount transferred under clauses (b) and (c) with particulars of the concerned child or adolescent sufficient to identify him and he shall send a copy of the report annually to the State Government for information; (e) any amount recovered by way of fine or for composition of offences , in pursuance of an order or judgment of a Court in favour of a child or adolescent , for the contravention of the provisions of the Act, shall also be deposited in the Fund and shall be spent in accordance with such order or judgment.
Working conditions for adolescent employed in non-hazardous occupations and processes	7.(1) Each employer shall be responsible for :- **(a) Cleanliness of workplace-** Each workplace, where adolescents have been employed, shall be wiped and cleaned minimum once each day and such places shall not have slippery items and stinking materials. If there is any possibility of dampening of workplace , effective measures of water drainage shall be ensured and maintained. Each employer shall ensure that there is no dumping of waste material or garbage on or near the workplace in such a manner that it is spread outside;

COLUMN-I *Existing rules*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
	(b) Flow of air (ventilation) and temperature-Suitable and effective measures should be taken at each workplace to ensure that each room of such workplace has flow of fresh/pure air and such temperature is maintained in these rooms that is comfortable for working of the adolescents employed and thereby loss to their health is prevented; **(c) Light-** Adequate and proper natural or artificial light or both shall be made available and sustained at each workplace. For emergency lighting arrangements , a capable portable battery-operated or battery torch efficiently equipped shall be made available at an appropriate place; **(d) Safe Drinking water-** It shall be the responsibility of the employer to ensure availability of fresh and clean drinking water through taps of public water distribution system or through hand pumps on workplace. If availability of fresh and clean drinking water through taps of public water distribution system or through hand pumps on workplace is not possible, then drinking water shall be kept in suitable pots and these pots must be refilled every day. Employer shall take all practical steps to ensure the storage of drinking water and to keep these pots clean and free from contamination; **(e)Toilets-** Employer shall establish separate and easily accessible toilets for adolescent males and females in adequate number on workplace and shall keep them clean regularly. Each such toilet must have adequate light and air and shall be maintained in clean and hygienic conditions . Each toilet shall have proper doors and locks and shall be covered and partitioned in such a manner that privacy is ensured; **(f) Heavy weight-** No adolescent shall be permitted to lift, carry, or keep a weight more than ten kilograms either through his/her hands or on his/her head; **(g) Safety for eyes-** Effective covers (screens) and suitable glasses shall be provided for the safety of employed adolescents on such workplaces where there is a risk to eyes due to generation of excessive light or due to any other such work process in which there is a risk of damage to eyes due to scattering or splitting of any material part of bouncing materials;

COLUMN-I *Existing rules*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
	(h) Explosive and inflammable particle and gases etc.- Each such workplace where adolescents have been employed shall be free from explosives, inflammable materials and toxic gases; **(i) Safety from fire-** Adequate resources shall be provided for safety from fire to adolescents employed on each workplace and emergency exit doors shall be established in such a way that each adolescent has proper access to the doors without any hindrance. The dimension of these emergency doors shall not be less than 2.5 feet in width and 5.5 feet in height. All portable fire extinguishers shall be always kept in working condition; **(j) Safety of building and machines-** Employer shall ensure the safety of such building and machines where adolescents have been employed; **(k) Weekly holiday-** Each adolescent shall have the right for a paid weekly holiday; **(l) Medical facilities-** Every employer of such workplace where adolescent workers have been employed, shall make available a " first aid box" with complete primary medical kit on which the words "FIRST AID" will be readably mentioned and such box shall be kept at such a place where adolescents have an easy access to it.
Child to help his family without affecting education.	8.(1) Subject to the provisions of section 3 a child may, without affecting his school education, in any manner help his family in their family enterprise, subject to the condition that such help ,— (i) shall not be in any hazardous occupation or process listed in the Schedule to the Act ; (ii) shall not include work or occupation or process at any stage of the manufacturing , production, supply or retail chain that is remunerative for the child or his family or the family enterprise; (iii) shall only be allowed to help in his family or in a family enterprise where his family is the occupier; (iv) shall not perform any tasks during school hours and between 7 p.m. and 8 a.m. ; (v) shall not be engaged in such task of helping which hinders or interferes with the right to education of the child, or his attendance in the school, or which may adversely affect his education including activities which are inseparably associated to complete education such as homework or any extra-curricular activity assigned to him by the school;

COLUMN-I *Existing rules*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
	(vi) shall not be engaged in any task continuously without rest which may make him tired and shall be allowed to take rest to refresh his health and mind . A child shall not help for more than three hours excluding the period of rest in a day; (vii) shall not include in any way substitution of the child for an adult or adolescent while helping his family or family enterprise; (viii) shall not be in contravention to any other law for the time being in force; (ix) shall be to aid or assist his family in such a manner which is not incidental to any occupation, work, profession, manufacture or business or for any payment or benefit to the child or any other person exercising control over the child ; and which is not detrimental to the growth, education and overall development of the child; (2) Where a child receiving education in a school remains absent consecutively for a period of thirty days without intimation to the Principal or Headmaster of the school, then the Principal or Headmaster shall report such absence to the concerned nodal officer referred to in clause (a) of sub-rule (1) of rule 14 for information. **Explanation 1** : For the purpose of this rule, "family" means:- (a) parents of the child ; (b) biological brother or sister of the child ; (c) brother or sister of the child through lawful adoption by parents of the child; (d) biological brother or biological sister of the parents of the child; **Explanation 2:** In case of any doubt as to whether a person is a biological brother or sister, the pedigree of such person issued by the concerned local body or Panchayat, as case may be , or any other legal document issued by the authority concerned of the State Government may be examined .
Child to work as an artist	9.(1) Subject to the provisions of section 3, a child may be allowed to work as an artist subject to the following conditions, namely:- (a) no child shall be allowed to work for more than five hours in a day and not more than three hours without rest ;

COLUMN-I *Existing rules*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
	(b) any producer of any audio-visual media production or any commercial event , involving the participation of a child, shall involve a child in participation only after obtaining permission for the same from the District Magistrate of the district where the activity is to be performed, and shall furnish to the District Magistrate before starting of the said activity: (i) an undertaking in Form-C ; (ii) the list of child participants ; (iii) consent of parents or guardian, as the case may be ; and (iv) name of the individual from the production or event who shall be responsible for the safety and security of the child. The producer shall ensure that the screening of his films and television programs shall be made with a disclaimer specifying that if any child has been engaged in shooting, then all the measures were taken to ensure that there has been no abuse, neglect or exploitation of such child during the entire process of the shooting; (2) The undertaking referred to in clause (b) of sub-rule (1) shall be valid for a period of six months from the date of permission and shall clearly state the provisions for education, safety, security and reporting of child abuse in consonance with the guidelines and protection policies issued by the Central Government or the State Government from time to time for such purpose including ,— (a) ensuring facilities for physical and mental health of the child; (b) timely nutritional diet of the child; (c) safe, clean shelter with sufficient provisions for daily necessities; (d) compliance of all laws applicable, for the time being in force, for the protection of children, including their right to education, care and protection against sexual offences; (e) appropriate facilities for education of the child to be arranged so as to ensure that there is no discontinuity from his lessons in school and no child shall be allowed to work consecutively for more than twenty-seven days; (f) one responsible person to be appointed for maximum of five children for the production or event so as to ensure the protection, care and best interest of the child; (g) at least twenty percent of the income earned by the child from the production or event shall be directly deposited in a fixed deposit account in a nationalized bank in the name of the child which may be credited to the child on attaining majority;

COLUMN-I *Existing rules*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
	(h) no child shall be made to participate in any audio-visual and sports activity including informal entertainment activity against his will and consent. **Explanation:** For the purposes of clause (c) to the Explanation to sub-section (2) of section 3, the expression - "such other activity" contained therein, shall mean – (i) any activity where the child himself is participating ; in a sports competition or event or training for such sports competition or event; (ii) cinema and documentary shows on television including reality shows, quiz shows, talent shows; radio and any program in or any other media; (iii) drama serials; (iv) participation as anchor of a show or events; and (v) any other artistic performances which the Central or State Government permits in individual cases, which shall not include street performance for monetary gain.
Hours of work	10. Subject to the provisions of section 7 of the Act no adolescent shall be required or permitted to work in an establishment in excess of such number of hours of work as is permissible under the law for the time being in force regulating the hours of work of the adolescent in such establishment.
Persons who may file complaint	11.(1) Any person who is an Indian National or a resident of India may file a complaint under the Act or these rules . (2) Under these rules, school teachers and representatives from school management committee, child protection committee, Panchayat or Municipality, shall be sensitized to file complaint in the event that any students in their respective schools is employed in contravention to the provisions of the Act .
Manner of compounding offences	12.(1) An accused person who commits an offence for the first time under sub-section (3) of section 14 or, who being a parent or a guardian commits an offence under the said section may file an application to the District Magistrate having jurisdiction for compounding the said offence under sub-section (1) of section 14D. (2) The District Magistrate shall , after hearing the accused person and the Inspector concerned, on an application filed under sub-rule (1), dispose of such application and if the application is allowed, issue the certificate of compounding, subject to:-

COLUMN-I *Existing rules*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
	(a) the payment of a sum of fifty percent of the maximum fine provided for such offence within a period to be specified in such certificate; or (b) the payment of an additional sum of twenty-five percent of the maximum fine provided for such offence together with the compounding amount specified under aforesaid clause . If the accused person fails to the pay the compounding amount under the said clause within the specified period, then such delayed payment shall be made within a further period as may be specified by the District Magistrate which shall not exceed the period specified in that clause . (3) The compounding amount collected from the accused person shall be deposited to the Child and Adolescent Labour Rehabilitation Fund created at the district level . (4) If the accused person fails to pay the compounding amount under sub-rule (2), the proceeding shall be continued as specified under clause (b) of sub-rule (2).
Constitution of District Task Force	13.(1) There shall be constituted a District Task Force in every district consisting of the following members :- (i) District Magistrate-Chairperson; (ii) Inspector appointed under section 17 for the purposes of local limits of his jurisdiction—Member ; (iii) Superintendent of Police for the purposes of local limits of his jurisdiction—Member; (iv) Additional District Magistrate for the purposes of local limits of his jurisdiction — Member ; (v) Nodal Officer referred to under clause (a) of sub-rule (1) of rule 14 for the purposes of local limits of his jurisdiction— Member ; (vi)Additional/ Deputy/ Assistant Labour Commissioner/Labour Enforcement Officer or the seniormost officer of Labour Department , Government of Uttar Pradesh posted in the district for the purposes of local limits of his jurisdiction— Member; (vii) two representatives each from a voluntary organization involved in rescue and rehabilitation of employed children in the district on rotation basis for a period of two years — Member ; (viii) A representative of District Legal Services Authority to be nominated by the District Judge — Member ;

COLUMN-I *Existing rules*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
	(ix) a member of the District Anti - Trafficking Unit — Member ; (x) Chairperson of the Child Welfare Committee of the District — Member ; (xi) District Child Protection Officer in the district under the Integrated Child Protection Scheme of the Ministry of Women and Child Development, Government of India — Member ; (xii) District Education Officer — Member ; (xiii) any other person nominated by the District Magistrate — Member ; (xiv) Nodal officers referred in clause (a) of sub-rule (1) of rule 14 of this rule and nominated by the Chairperson — Secretary . (2) The Task force referred in sub-rule (1) shall meet at least once in every month and shall make a comprehensive action plan for conducting the rescue operation taking into account the time available, point of raid in accordance with the law for the time being in force, confidentiality of the plan, protection of victims and witnesses and the interim relief, in accordance with the guidelines for rescue and rehabilitation issued by the Central Government or the State Government from time to time; and the Task Force shall also cause the minutes of such meeting to be uploaded on the portal created for such purpose by the Central Government or the State Government.
Duties of District Magistrate	14. The District Magistrate shall ,— (a) specify such officers subordinate to him, as he considers necessary, to be called Nodal Officers, who may exercise all or any of the powers and perform all or any of the duties of the District Magistrate conferred and imposed on him by the State government under section 17A of the Act; (b) assign such powers and duties, as he thinks appropriate, to a Nodal Officer to be exercised and performed by him within his local limits of jurisdiction as subordinate officer; (c) preside over as Chairperson of the Task Force to be formed in a district ; (d) ensure, through nodal officers, that the children and adolescents who are employed in contravention of the provisions of the Act are rescued and rehabilitated in accordance with the provisions of :

COLUMN-I *Existing rules*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
	(i) the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (Act no. 2 of 2016) and the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016; (ii) the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 (Act no. 19 of 1976); (iii) the Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourer, 2016. (iv) any National Child Labour Project; (v) any other law or scheme for the time being in force under which such children or adolescents may be rehabilitated subject to the directions, if any, of a Court of competent jurisdiction and the guidelines for rescue and rehabilitation issued by the Central or State Government from time to time in this regard.
Duties of Inspector	15. An Inspector appointed by the State Government under section 17, for the purposes of securing compliance with the provisions of the Act, shall ,— (a) comply with the norms of inspection issued by the State Government from time to time; (b) comply with the instructions issued by the State Government from time to time for the purposes of securing compliance with the provisions of the Act; and (c) make quarterly reports to the State Government regarding the inspections carried out by him for the purpose of securing the compliance of the provisions of the Act and the action taken by him for such purposes.
Periodical inspection and monitoring	16. The State Government shall create a system of monitoring and inspection for carrying out the provisions of section 17B which may include:- (a) the number of periodical inspections to be conducted by the Inspector , of places , at which the employment of children is prohibited and hazardous occupations or processes are carried out; (b) the intervals at which an Inspector shall report to the State Government complaints received to him relating to subject matter of inspection under sub- clause (i) of clause (c) and the details of action taken by him thereafter ; (c) maintenance of records electronically or otherwise of:- (i) children and adolescents found to be working in contravention of the provisions of the Act including children who are found to be engaged in family or family enterprises in contravention of the Act; (ii) number of details of the offences compounded; (iii) details of the compounding amount imposed and recovered; and

COLUMN-I *Existing rules*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
	(iv) details of rehabilitation services provided to children and adolescents under the Act.

4. In the said rules, for the existing Forms set out in Column-I below, the Forms as set out in Column- II shall be *substituted*, namely:- Amendment of Forms

COLUMN-I

(*Existing Forms*)

FORM-A

[See rule 3(1)]

Year ----------

Name and address of employer ----------

Place of work -----

Nature of work being done by the establishment----

Serial no.	Name of child	Father's name	Date of birth	Permanent address	Date of joining the establishment
1	2	3	4	5	6

Nature of work on which employed	Daily hours of work	Intervals of rest	Wages period	Remarks
7	8	9	10	11

FORM 'B'

(Certificate of age)

[See rule 4(2)]

Certificate No……..

I hereby certfy that I have personally examined (Name.....son/daughter of…….. residing at …..and that he/she has completed his/her fourteenth year) and his/her age, as near as can be ascertained from my examination.

His/her descriptive marks are…..

Thumb-impression/Signature of child.

Passport size photo of the child

Signature by Medical Officer on the photo

Place: Medical Officer

Date :

Designation

COLUMN-II

(*Forms as hereby substituted*)

FORM-A

[See rule 3(1)]

Year ----------

Name and address of employer ----------

Place of work ----------

Nature of work being done by the establishment ------

Sl. No.	Name of adolescent	Father's name	Date of birth	Permanent address	Date of joining the establishment
1	2	3	4	5	6

Name of the work on which employed	Daily hours of work	Intervals of rest	Wages paid	Remarks
7	8	9	10	11

FORM-B

(Certificate of age)

[See rule 4(4)]

Certificate No.....

I hereby certify that I have personally examined (name) ..... son/daughter of ..... residing at ..... that he/she has completed his/her fourteenth year and his/her age, as nearly as can be ascertained from my examination, is.....years (completed). His/her descriptive marks are…….....

Thumb-impression/signature of child ……...…….

Place …….

Medical Authority

Date …… ……..

Designation

FORM-C

[see rule 9(1)(b)]

Undertaking under rule 9-(1)(b) of The Uttar Pradesh Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) (First Amendment) Rules, 2023

I……producer of ……an audio-visual media production or organiser of ..... a commercial event, involving the participation of the following child/children, namely:-

COLUMN-I (*Existing Forms*)	COLUMN-II (*Forms as hereby substituted*)

S.No.	Name of the Child/Children	Parent's/ Guardian's	Address

do hereby undertake that in the course of the involvement of the above-mentioned child/children in the event …….....
(Specify the event), there shall be no violation of any of the provisions of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation), Act, 1986 (61 of 1986) and Uttar Pradesh Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) (First Amendment) Rules, 2023 and full care shall be taken of the physical and mental health, and other requirement of the child/children, so that he/they feel no inconvenience. I also undertake that during the event, all laws applicable for the time being in force for the protection of children, including their right to education, care and protection, and legal provisions against sexual offences will be compiled.

Dated.....

…….....
Name and signature of the producer.

By order,
ANIL KUMAR-III,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1050 राजपत्र–2024–(2910)–599 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 338 सा0 श्रम–2024–(2911)–150+150=300 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।

म-संख्या–113

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 30 जून, 2023
आषाढ़ 9, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पंचायतीराज अनुभाग–2

————

संख्या 1547 / 33-2–2023
लखनऊ, 30 जून, 2023

————

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०–23

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2004 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं –

उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ राजपत्रित अधिकारी (प्रथम संशोधन) सेवा नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ राजपत्रित अधिकारी (प्रथम संशोधन) सेवा नियमावली, 2023 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2004, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान नियम–4 के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रखा दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–एक विद्यमान नियम	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
संवर्ग– 4–(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय। (2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे में दी गयी हैं :–	4–(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय। (2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे में दी गयी हैं:–

क्र0 सं0	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	कुल
1	उपनिदेशक	03	–	03
2	अभियन्ता	02	–	02
3	कार्य अधिकारी	02	–	02
4	चिकित्साधिकारी (ऐलोपैथिक या आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक)	02	–	02

परन्तु–
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता हैं या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या
(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

क्र0 सं0	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	कुल
1	मुख्य अभियन्ता (सिविल) लेवल–2	–	01	01
2	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	–	01	01
3	अधिशासी अभियंता (सिविल)	01	01	02
4	उपनिदेशक (कार्य अधिकारी)	01	–	01
5	अभियन्ता	02	–	02
6	कार्य अधिकारी	02	–	02

परन्तु–
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता हैं या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकती हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न हो; या
(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते/सकती हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

नियम–5 का संशोधन

3–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–एक में दिए गये विद्यमान नियम–5 के स्थान पर स्तम्भ दो में दिया गया नियम रखा दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–एक विद्यमान नियम	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
भर्ती का स्रोत– 5–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायगी:– (1) **उपनिदेशक** (एक)–$33^{1/3}$ प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अभियन्ताओं में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। (दो) $33^{1/3}$ प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त कार्य अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	5–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायगी:– (1) **कार्य अधिकारी** – आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (2) **अभियंता**–आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (3) **उपनिदेशक**– मौलिक रूप से नियुक्त कार्य अधिकारियों में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। (4) **अधिशासी अभियंता (सिविल)**– जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ के मौलिक रूप से नियुक्त अभियन्ताओं में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

स्तम्भ–एक विद्यमान नियम	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(तीन) $33^{1/3}$ प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त चिकित्सा अधिकारी (एलोपैथिक या आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	(5) **अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)**–जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ राजपत्रित अधिकारी संवर्ग के मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी अभियन्ताओं में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को अधिशासी अभियन्ता के रूप में की गयी न्यूनतम छः वर्ष की सेवा को सम्मिलित करते हुए कुल पन्द्रह वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(2) **अभियंता**–आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	(6) **मुख्य अभियन्ता (सिविल) लेवल–2**–जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ राजपत्रित अधिकारी संवर्ग के चयन वर्ष के प्रथम दिवस को मौलिक रूप से नियुक्त अधीक्षण अभियन्ताओं में से जिन्होंने कुल 25 वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(3) **कार्य अधिकारी**–आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	
(4)**चिकित्सा अधिकारी (एलोपैथिक या आयुर्वेदिक या हौम्योपैथिक)** – आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	

4–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–एक में दिए गये विद्यमान नियम–17 के स्थान पर स्तम्भ दो में दिया गया नियम रखा दिया जायेगा, अर्थात् :– नियम–17 का संशोधन

स्तम्भ–एक विद्यमान नियम	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया– **17–(1)–पदोन्नति द्वारा उपनिदेशक की भर्ती की प्रकिया**– उपनिदेशक के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्ड के आधार पर समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जाएगी।	**17–(1)–पदोन्नति द्वारा उपनिदेशक/अधिशासी अभियंता/अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता की भर्ती की प्रकिया**– उपनिदेशक/अधिशासी अभियंता/ अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता की पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्ड के आधार पर की जायेगी।
टिप्पणी–चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और नागरिकों के अन्य पिछडें वर्गो के प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम–निर्देशन, समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा–7 के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा।	**टिप्पणी**–चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और नागरिकों के अन्य पिछडें वर्गों के प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा–7 के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा।
(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझें जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।	(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उन्हें उनकी चरित्र पंजियों तथा उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों, जो उचित समझें जायं, के साथ चयन समिति के समक्ष रखेगा।
(3) चयन समिति उपनियम–(2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों में विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षत्कार भी कर सकती हैं।	(3) चयन समिति उपनियम–(2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों में विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी ले सकती है।

स्तम्भ–एक विद्यमान नियम	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उसकी पदोन्नति की जाती है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।	(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी हो, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

नियम–22 का संशोधन

5–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–एक में दिए गये विद्यमान नियम–22 के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रखा दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–एक विद्यमान नियम	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
वेतनमान– **22–(1)** सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय– समय पर अवधारित किया जाय। **(2)** इस नियमावली के प्रारम्भ के समय का वेतनमान निम्न प्रकार दिये गये हैं :–	**22–(1)** सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा कि सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय। **(2)** इस नियमावली के प्रारम्भ के समय का वेतनमान निम्नानुसार दिये गये हैं :–

पद का नाम	वेतनमान
1–उप निदेशक	10,000–325–15,200 रूपये
2–अभियन्ता	8,000–275–13,500 रूपये
3–कार्य अधिकारी	8,000–275–13,500 रूपये
4–चिकित्सा अधिकारी (एलोपैथिक या आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक)	8,000–275–13,500 रूपये

पद का नाम	वेतनमान
1–मुख्य अभियंता (सिविल) लेवल–2	वेतन मैट्रिक्स लेवल–13(क) रू0 1,31,100–2,16,600/–
2–अधीक्षण अभियंता (सिविल)	वेतन मैट्रिक्स लेवल–13 रू0 1,23,100–2,15,900/–
3– अधिशासी अभियंता (सिविल)	वेतन मैट्रिक्स लेवल–11 रू0 67,700–2,08,700/–
4–उप निदेशक (कार्य अधिकारी संवर्ग)	वेतन मैट्रिक्स लेवल–11 रू0 67,700–2,08,700/–
5–अभियंता	वेतन मैट्रिक्स लेवल–10 रू0 56,100–1,77,500/–
6–कार्य अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स लेवल–10 रू0 56,100–1,77,500/–

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

———

IN Pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is Pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1547/XXXIII-2–2023, dated June 30, 2023 :

No. 1547/XXXIII-2–2023

Dated Lucknow, June 30, 2023

IN exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Zila Panchayat Monitoring Cell Gazetted Officers Service Rules, 2004 .

THE UTTAR PRADESH ZILA PANCHAYAT MONITORING CELL GAZETTED OFFICERS (FIRST AMENDMENT) SERVICE RULES, 2023

Short title and commencement

1. (1) These Rules may be called The Uttar Pradesh Zila Panchayat Monitoring Cell Gazetted Officers (First amendment) Service Rules, 2023.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 4

2. In the Uttar Pradesh Zila Panchayat Monitoring Cell Gazetted Officers Service Rules, 2004, hereinafter referred to as, said rules, *for* existing Rule 4 as set out in Column-1 below, the rules as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN- 1

Existing Rules

Cadre-

4.(1) The strength of the service and of each category of posts there in shall be such as may be determined by the government from time to time.

(2) The strength of service and of each category of posts there in shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given below: -

Serial No.	Name of Post	Number of Post		
		Perman -ent	Temp- orary	Total
1	Deputy Director	03	-	03
2	Engineer	02	-	02
3	Karya Adhikari	02	-	02
4	Medical Officer (Allopathic and Ayurvedic or Homeopathic)	02	-	02

Provided that–

(i) The appointing authority may leave unfilled or the governor may hold in abeyance any vacant post, without there by entitling any person to compensation; or

(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary post as he may consider proper.

COLUMN- 2

Rules as hereby substituted

4.(1) The strength of service and each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of service and each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub rule (1), be as given below: -

Serial No.	Name of Post	Number of Post		
		Perm- anent	Temp- orary	Total
1	Chief Engineer (Civil) level-2	-	01	01
2	Superinten ding Engineer (Civil)	-	01	01
3	Executive Engineer (Civil)	01	01	02
4	Deputy Director (Karya Adhikari)	01	-	01
5	Engineer	02	-	02
6	Karya Adhikari	02	-	02

Provided that –

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby' entitling any person to compensation; or

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary post as he/she may consider proper.

3. In the said Rules, *for* existing Rule 5 as set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:- Amendment of Rule-5

COLUMN- 1

Existing Rules

Source of Recruitment-

5. Recruitment to the various category of posts in the service shall be made from the following sources:-

(1) **Deputy Director** (i) $33^{1/3}$ percent by promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Engineers who have completed eight years service as such on the first day of the year of recruitment.

(ii) $33^{1/3}$ percent by promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Karya Adhikaris who have completed eight years service as such on the first day of the year of recruitment.

COLUMN- 2

Rules as hereby substituted

5. Recruitment to the various category of posts in the service shall be made from the following sources:-

(1) **Karya Adhikary-** By direct recruitment through the Commission.

(2) **Engineer** - By direct recruitment through the Commission.

(3) **Deputy Director** - By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Karya Adhikaris, who have completed eight years service as such on the first day of the year of recruitment.

COLUMN- 1	COLUMN- 2
Existing Rules	*Rules as hereby substituted*
(iii) $33^{1/3}$ percent by promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Medical Officers (Allopathic and Ayurvedic or Homeopathy) who have completed eight years service as such on the first day of the year of recruitment. (2) **Engineer** - By direct recruitment through the Commission. (3) **Karya Adhikary-** By direct recruitment through the Commission. (4) **Medical Officer (Allopathic and Ayurvedic or Hmeopathic)** - By direct recruitment through the Commission.	(4) **Executive Engineer (Civil)** - By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Engineers of Zila Panchayat Monitoring Cell, who have completed at least seven years service as such on the first day of the year of recruitment. (5) **Superintending Engineer (Civil) -** By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Executive Engineers of Zila Panchayat Monitoring Cell Gazetted Officer Cader, who have completed Total fifteen years substantive service on the first day of the year of recruitment including minimum six years service as Executive Engineer. (6) **Chief Engineer(Civil) level-2** - By promotion through Selection Committee from amongst the substantively appointed Superintending Engineers on the first day of selection year, who have completed a total of 25 years of substantive service in the Zila Panchayat Monitoring Cell Gazetted Officer Cader.

Amendment of Rule-17

4. In the said Rules, *for* existing Rule 17 as set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN- 1	COLUMN- 2
Existing Rules	*Rules as hereby substituted*
Procedure for Recruitment by Promotion- 17. (1)- **Procedure for deputy director recruitment by promotion-** recruitment by promotion of deputy director shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994 as amended from time to time, through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for posts outside the purview of the Service Commission, Rules, 1992. as amended from time to time. **NOTE-** Nomination of officers for giving representation to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section-7 of the Act as amended from time to time.	17. (1)-**Procedure for recruitment of Deputy Director/ Executive Engineer/Superintending Engineer / Chief Engineer by promotion-** recruitment by promotion of Deputy Director/ Executive Engineer/ Superintending Engineer/ Chief Engineer shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994 as amended from time to time through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for posts outside the purview of the Service Commission, Rules, 1992 as amended from time to time. **NOTE-** Nomination of officers for giving representation to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the selection committee shall be made in accordance with the order made under section-7 of the Act as amended from time to time.

COLUMN-1	COLUMN- 2
Existing Rules	*Rules as hereby substituted*
(2) The appointing authority shall prepare eligibility lists of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended from time to time and place the same before the Selection Committee along with their character rolls and such other records pertaining to them, as may be considered proper.	(2) The appointing authority shall prepare eligibility lists of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended from time to time and place the same before the Selection Committee along with their character rolls and such other records pertaining to them, as may be considered proper.
(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in sub-rule(2) and if it considers necessary, it may interview the candidate also.	(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in sub-rule(2) and if it considers necessary, it may interview the candidate also.
(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.	(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

5. In the said Rules, *for* existing Rule 22 as set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:- Amendment of Rule-22

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing Rules	*Rules as hereby substituted*
Scales of pay-	
22. (1) Scales of pay - The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.	**22. (1) Scales of pay** - The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

COLUMN-1

Existing Rules

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given as follows:-

Name of Post	Scales of pay
1- Deputy Director	Rs. 10,000-325-15200
2- Engineer	Rs. 8000-275-13500
3- Karya Adhikari	Rs. 8000-275-13500
4- Medical officer (Allopathic and Ayurvedic or Homeopathic)	Rs. 8000-275-13500

COLUMN- 2

Rules as hereby substituted

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given as follows:-

Name of Post	Scales of pay
1-Chief Engineer (Civil) level-2	Pay matrix Level-13(A) Rs. 1,31,100-2,16,600
2-Superintending Engineer (Civil)	Pay matrix Level-13 Rs. 1,23,100-2,15,900
3-Executive Engineer (Civil)	Pay matrix Level-11 Rs. 67,700-2,08,700
4-Deputy Director (Karya Adhikari cadre)	Pay matrix Level-11 Rs. 67,700-2,08,700
5- Engineer	Pay matrix Level-10 Rs. 56,100-1,77,500
6-Karya Adhikari	Pay matrix Level-10 Rs. 56,100-1,77,500

By order,

MANOJ KUMAR SINGH,

Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 432 राजपत्र–2023–(1422)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 10 सा0 पंचायतीराज–2023–(1423)–1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

432 RPH 2023 (Panchayati Raj folder-2023) data 8e

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

क्रम-संख्या–210

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 13 दिसम्बर, 2023

अग्रहायण 22, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग–5

संख्या 3118 / सत्तर-5–2023-25-2019-टी0सी0-18

लखनऊ, 13 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

सा0प0नि0–47

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2023) की धारा 27 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल चयन की गुणवत्ता, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए योग्य एवं सक्षम अध्यापकों / प्रशिक्षकों का चयन करने और मार्गदर्शी सिद्धांतों का सुस्पष्ट समुच्चय, जो आयोग द्वारा अपने कानूनी बाध्यताओं का निर्वहन करने के लिये अपनाये जाने वाले प्रविषय, शक्तियों, कृत्यों और प्रक्रियाओं का वर्णन करता है, को स्थापित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली, 2023

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2–(1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में,

(क) "अधिनियम"का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2023) से है;

(ख) "समिति" का तात्पर्य आयोग या अध्यक्ष द्वारा अपने सदस्यों में से गठित की गई समिति से है;

(ग)"परीक्षा" का तात्पर्य अध्यापक या अनुदेशक के चयन हेतु संचालित परीक्षा से है;

(घ) "साक्षात्कार" के अन्तर्गत मौखिक परीक्षा या व्यक्तित्व परीक्षा सम्मिलित है;

(ङ) "अधिकारी" का तात्पर्य आयोग के अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक एवं उप सचिव सम्मिलित हैं;

(च) "सचिव" का तात्पर्य आयोग के सचिव से है;

(छ) "धारा"का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;

(ज) "ज्येष्ठतम सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य के रूप में अधिकतम कुल सेवा अवधि वाले सदस्य से है। ऐसे मामलों में जहां दो या अधिक सदस्यों ने एक ही दिनांक को आयोग के भीतर अपनी भूमिकायें शुरू की हैं, ज्येष्ठता के निर्धारण के लिए उम्र निर्णायक मापदण्ड होगी।

(झ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य अध्यापक के किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और जो अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाये गये नियमों के अनुसार की गयी हो;

(ञ) "रिक्ति" का तात्पर्य किसी अध्यापक या अनुदेशक की मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्याग पत्र, सेवा समाप्ति, पदच्युति या हटाये जाने या नये पद के सृजन या किसी पदाधिकारी का किसी उच्चतर पद पर मौलिक रूप से पदोन्नति या नियुक्ति के परिणाम स्वरूप हुई रिक्ति से है;

(2) इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 10, सन् 1973), इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 20, सन् 1921), उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 34, सन् 1972), भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 27, सन् 1996), या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2023), उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अनुदेशक और फोरमैन) सेवा नियमावली, 2021, में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उक्त अधिनियम तथा नियमावली में उनके लिए समनुदेशित हैं।

अध्याय–दो

आयोग का गठन और आयोग के कर्मचारी वर्ग

चयन मानदण्ड एवं प्रक्रिया

3–(1) आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष के चयन हेतु एक तलाश समिति होगी जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगेः–

(क) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन–अध्यक्ष

(ख) अपर मुख्य/प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0 प्र0 शासन–सदस्य,

(ग) अपर मुख्य/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन–सदस्य,

(घ) अपर मुख्य/प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन–सदस्य,

(ङ) अपर मुख्य/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन –सदस्य सचिव,

(2) उक्त तलाश समिति–

(क) अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद पर चयन के लिये सूची तैयार करेगी। अधिनियम की धारा 4 में उल्लिखित अर्हता के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र विज्ञापन के दिनांक से 25 दिन के भीतर आनलाइन/आफलाइन आमंत्रित करेगी।

(ख) अध्यक्ष/सदस्यों के पद हेतु रिक्तियों से सम्बंधित प्राप्त आवेदन–पत्रों/जीवन–वृत्तों (बायो डाटा) का विस्तृत परीक्षण करेगी जिसमें विशेष रूप से उनकी शैक्षिक अर्हतायें, प्रशासनिक अनुभव, शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्य एवं उक्त अभ्यर्थियों की साख, सक्षमता एवं सत्यनिष्ठा का विवरण हो।

(ग) अभ्यर्थियों की अर्हता एवं पृष्ठभूमि से सम्बंधित अभिलेखों का सत्यापन सम्बंधित संस्थानों से करायेगी एवं उक्त से सम्बंधित अभिलेखों को अभिलेखागार में रखा जायेगा।

(घ) अभ्यर्थियों के जीवन–वृत्त के परीक्षणोपरान्त जहां तक सम्भव हो आयोग के अध्यक्ष पद हेतु यथा सम्भव 05 अभ्यर्थियों के नाम तथा सदस्य पद हेतु रिक्तियों की संख्या के सापेक्ष यथा सम्भव 03 गुना की सिफारिश की संस्तुति करेगी, किन्तु यदि किसी नाम पर तलाश समिति के 02 सदस्यों द्वारा आपत्ति की जाती है तो सम्बंधित अभ्यर्थी का नाम अल्पसूची (शार्टलिस्ट) में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(3) अध्यक्ष/सदस्य के पद पर चयन/नियुक्ति हेतु तलाश समिति की सिफारिश के अनुसार सूचीबद्ध किये गये अभ्यर्थियों की सूची मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

(4) अधिनियम की धारा 3 के अधीन मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के पूर्व प्रस्तावित नामों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी,

(क) भारत सरकार राज्य सरकार/अन्य राज्यों के सेवारत अधिकारियों को चयनित करने पर उनके संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र तथा सतर्कता जाँच विभागीय कार्यवाही प्रचलित न होने का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जायेगा;

(ख) भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य राज्यों के ऐसे व्यक्ति जो सेवानिवृत्त हो गये हैं, को नियुक्ति दिए जाने के पूर्व उनके पूर्ववृत्त की सूचना सम्बंधित विभाग अथवा अन्य स्रोतों से, जैसा उपयुक्त समझा जाय, प्राप्त की जायेगी;

(ग) राज्य या राज्य के बाहर की शिक्षण संस्थाओं के शिक्षाविदों के मामले में उनके पैतृक निवास स्थान के साथ–साथ वर्तमान निवास स्थान से सम्बंधित जिला के पुलिस अधीक्षक से उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी, जो सम्बंधित जिला के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगी,

(घ) राज्य या राज्य के बाहर के ऐसे गैर–सरकारी व्यक्तियों के मामले में उनके पैतृक निवास स्थान तथा वर्तमान निवास स्थान से सम्बंधित जिला के पुलिस अधीक्षक से उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी, जो सम्बंधित जिला के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगी,

(5) अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति आदेश तभी जारी किये जायेंगे यदि उपरोक्त प्रक्रियाओं के अनुसार जारी किये गये चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सम्बंध में रिपोर्ट संतोषजनक पायी जाये।

अनर्हता

4–कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त होने या बने रहने के लिये अपात्र होगा, यदि वह,–

(क) न्यायालय द्वारा दिवालिया न्याय–निर्णीत किया गया हो; या

(ख) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी संदत्त सेवायोजन में अभिनियोजित हो; या

(ग) राज्य सरकार की राय में, मानसिक या शारीरिक दुर्बलता या सिद्ध कदाचार के कारण पद पर बने रहने के लिए अनुपयुक्त हो; या

(घ) वह किसी ऐसे अपराध के लिये जिसमें नैतिक अधमता हो, सिद्ध–दोष ठहराया गया हो;

(ङ) वह संसद या किसी राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो;

(च) वह भारत का नागरिक न हो, या उसने स्वेच्छा से या अन्यथा किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो या उसके प्रति निष्ठा या अनुरक्ति को अभिस्वीकार किये हुए हो।

कदाचार का अन्वेषण

5–किसी अध्यक्ष या सदस्य के लिए अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट कदाचार के अन्वेषण और उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी–

(1) जहाँ किसी शिकायत पर या अन्यथा राज्य सरकार का, चाहे आरम्भिक जाँच करने के पश्चात् या अन्य प्रकार से, यह समाधान हो जाय कि प्रथम दृष्टया कदाचार का मामला बनता है, वहाँ वह सम्बंधित सदस्य या अध्यक्ष को या तो बिना शर्त के पद से त्याग–पत्र देने या अन्वेषण का सामना करने का विकल्प देगी।

(2) यदि ऐसा विकल्प देने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर कोई बिना शर्त त्याग–पत्र प्राप्त न हो तो राज्य सरकार, जाँच अधिकारी नियुक्त कर सकती है जो उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवा–निवृत्त न्यायाधीश होगा या ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किये जाने के लिये पात्र हो।

(3) जाँच अधिकारी सम्बंधित सदस्य या अध्यक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने और ऐसा साक्ष्य लेने के पश्चात् जैसा वह आवश्यक समझे, जाँच पूरी होने के 15 दिन के भीतर राज्य सरकार को अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा। जांच के दौरान सम्बन्धित सदस्य या अध्यक्ष को कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं आवंटित किये जायेंगे।

(4) ऐसी जाँच करने में जाँच अधिकारी जाँच के नियमों और नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों द्वारा मार्ग–दर्शित होगा और जाँच की प्रक्रिया से सम्बन्धित औपचारिक नियमों द्वारा आबद्ध नहीं होगा।

(5) उत्तर प्रदेश विभागीय जाँच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिये बाध्य करना) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1976) के उपबन्ध ऐसी जाँच पर लागू होंगे।

(6) यदि विचारण के अनुक्रम के दौरान किसी कारण से जाँच अधिकारी बदल दिया जाय तो नये जाँच अधिकारी के लिये नये सिरे से जाँच प्रारम्भ करना आवश्यक नहीं होगा और जाँच उस चरण से जारी रखी जा सकती है जिस चरण पर जाँच अधिकारी बदला गया हो।

(7) इस नियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन जाँच अधिकारी को जाँच की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी जिसके अन्तर्गत उसकी बैठक का स्थान और समय निर्धारित करना और यह निश्चय करना भी है कि जाँच सार्वजनिक रूप से या कैमरे की निगरानी में की जानी चाहिये।

अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग

6–(1) राज्य सरकार द्वारा आयोग में एक सचिव, जो विशेष सचिव से अनिम्न रैंक का आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 अधिकारी, एक परीक्षा नियंत्रक (ग्रेड वेतन 7600 पे–लेवल 12 के समकक्ष या से ऊपर), एक वित्त नियंत्रक (ग्रेड वेतन 8700/– पे–लेवल 13 के समकक्ष या से ऊपर), उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा का एक विधि अधिकारी (ग्रेड वेतन 7600/– पे–लेवल 12 के समकक्ष या से ऊपर), एक वित्त एवं लेखाधिकारी (ग्रेड वेतन 5400/– पे–लेवल 10के समकक्ष या से ऊपर), बाह्य प्रदाता प्राप्त एक कम्प्यूटर एवं आई0टी0 समन्वयक और चार उप सचिव (ग्रेड वेतन 6600/– पे–लेवल 11 के समकक्ष या से ऊपर) अनधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जायेंगे और उनकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसी राज्य सरकार आदेश द्वारा अवधारित करे। आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार उक्त पदों एवं वेतनमानों को घटा एवं बढ़ा सकती है।

(2) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी की सेवायें आयोग को अन्तरित हो जायेंगी। वेतन, अन्य भत्ते, चयन वेतनमान एवं पदोन्नति, पेंशन, उपदान (ग्रैच्युटी), पारिवारिक पेंशन, समस्त प्रकार के अवकाश, उपार्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, चिकित्सा सुविधाएं एवं लाभ आदि, अवकाश नगदीकरण बोनस, अवकाश यात्रा रियायत (एल0टी0सी0) आदि, सेवानिवृत्ति की आयु तथा सेवानिवृत्ति के अन्य समस्त नियम जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए शासन द्वारा प्रवृत्त हैं अथवा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायें, आयोग के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। सरकारी सेवकों के भवन निर्माण/मरम्मत, वाहन क्रय आदि के लिए अग्रिम की समस्त सुविधाएं उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग कर्मचारियों को भी देय होगी।

(3) आयोग अन्तरित सेवारत कार्मिकों का आवश्यकतानुसार उपयोग करेगा।

अवकाश

7–(1) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण उसी अवकाश के हकदार होंगे जैसा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिये अनुमन्य हैं।

(2) आयोग के अधिकारीगण एवं कर्मचारी वर्ग उसी अवकाश के हकदार होंगे जैसा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कर्मचारी के लिये अनुमन्य है।

अध्याय–तीन

आयोग की कार्य संचालन की प्रक्रिया

बैठकें

8–(1) जब तक आयोग द्वारा अन्यथा विनिश्चय न किया जाय, आयोग की बैठक साधारणतया प्रत्येक मंगलवार को होगी और यदि वह कार्य–दिवस न हो तो मंगलवार के ठीक अनुवर्ती कार्य दिवस को होगी। यद्यपि अध्यक्ष, किसी भी समय, यदि आवश्यकता पड़ती है या यदि कम से कम दो सदस्य उसके लिये लिखित रूप में अधियाचन प्रस्तुत करें तो आयोग की असाधारण बैठक आहूत कर सकता है। सचिव द्वारा सदस्यों को असाधारण बैठक के लिए कम से कम चौबीस घण्टे अग्रिम रूप से सूचना दी जायेगी।

(2) प्रत्येक बैठक का दिनांक और समय, अध्यक्ष का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात सचिव द्वारा संसूचित किया जायेगा।

(3) सचिव, बैठक की कार्य सूची तैयार करेगा और अध्यक्ष द्वारा उसे अनुमोदित करायेगा और उसे प्रत्येक सदस्य को बैठक की नोटिस के साथ भेजेगा,

(4) आयोग की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति तत्समय कुल सदस्यों की आधी संख्या से होगीः

परन्तु यह कि गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित बैठक के लिए किसी गणपूर्ति की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(5) अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित ज्येष्ठतम–सदस्य, आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेगा। आयोग के सदस्य की ज्येष्ठता, राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियुक्ति आदेश के ज्येष्ठता क्रम के अनुसार अवधारित होगी। यदि दो या अधिक सदस्य एक ही दिनांक को पद ग्रहण करें तो राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियुक्ति आदेश के ज्येष्ठता क्रम के अनुसार ज्येष्ठता में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।

(6) यथा सम्भव, बैठक में लिया गया विनिश्चय सर्वसम्मत से होगा। किसी मतभेद की स्थिति में आयोग का विनिश्चय किसी बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा। यदि मत समान हों तो अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। असहमति प्रकट करने वाला सदस्य अपनी असहमति की टिप्पणी अभिलिखित कर सकता है, जो बैठक की कार्यवाही का भाग होगी।

(7) जब अध्यक्ष छुट्टी पर रहने के कारण अनुपस्थित हो या आयोग की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तब ज्येष्ठतम सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा और अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा। परन्तु यह कि ऐसे मामलों की सूची, जिनपर अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान कोई विनिश्चय किया गया हो और जिनके सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी हो यथास्थिति उनके अवकाश से वापस आने या अपने कर्तव्यों को फिर से संभालने पर उनके समक्ष रखी जायेगी।

(8) अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में आयोग का ज्येष्ठतम सदस्य आयोग के दिन–प्रतिदिन कृत्यों का सम्पादन करेगा।

(9) अध्यक्ष को आयोग की पूर्व अनुसूचित बैठक को किसी अपरिहार्य कारणों से स्थगित अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा।

(10) यदि अध्यक्ष की राय है कि आयोग द्वारा किया जाने वाला कार्य अत्यधिक है और आयोग की बैठक सुविधानुसार नही बुलायी जा सकती है, तो प्रस्ताव के रूप में प्रचलित विषय द्वारा सदस्यों की राय मॉग सकता है। यदि अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर किसी सदस्य से राय प्राप्त नही होती है तो ऐसे सदस्य को प्रस्ताव से सहमत हुआ समझा जायेगा।

कार्य आवंटन की प्रक्रिया और समितियों का गठन

9–(1) (क) आयोग, कार्य आवंटन समिति के माध्यम से समय–समय पर अपने सदस्यों में कार्य का आबंटन करेगा। अध्यक्ष अत्यावश्यक मामलों में किसी सदस्य को कोई कार्य आबंटित कर सकता है और अपनी अगली बैठक में आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर सकता है।

(ख) आयोग अपने कार्य के सुविधाजनक और शीघ्र संचालन के लिए समिति या समितियों का गठन कर सकता है और किसी विनिर्दिष्ट कृत्य के सम्पादन या किसी विनिर्दिष्ट कार्य के संचालन के लिए किसी सदस्य को प्राधिकृत कर सकता है।

(2) उपनियम 1 के खण्ड (क) के अधीन किये गये कार्य आबंटन में संशोधन, परिवर्तन या उपान्तर जब कभी आवश्यक समझा जाय, किया जा सकता है।

(3) आयोग का ज्येष्ठतम सदस्य समिति का संयोजक होगा।

(4) उन मामलों के होते हुये भी जिनमें आयोग ने अन्यथा निदेश दिया है, अन्य मामलों में समिति का विनिश्चय आयोग के अनुमोदन के अधीन होगा।

परीक्षा समिति की शक्तियां एवं कर्तव्य

10–(1) आयोग द्वारा परीक्षाओं का संचालन परीक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। परीक्षा समिति में आयोग का अध्यक्ष, आयोग का वरिष्ठतम सदस्य, सचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं उपसचिव होंगे। आयोग का अध्यक्ष ही परीक्षा समिति का चेयरमैन होगा।

(2) परीक्षा समिति, अधिनियम और इस नियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन ऐसे कर्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन करेगी जो आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित नियमों, या आदेशों के अधीन उसे सौपें जाय।

(3) परीक्षा समिति का चेयरमैन परीक्षाओं के समुचित और समय से संचालन तथा उसकी गोपनीयता को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) जब तक अन्यथा विहित न हो, ऐसी परीक्षाओं से संबन्धित समस्त संविदायें लिखित रूप में होगी और समस्त दस्तावेज और परीक्षा सम्बंधी अभिलेख आयोग के निमित्त सचिव/परीक्षा नियंत्रक द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे किन्तु चेयरमैन के आदेश से जारी किये जायेंगे। ऐसे समस्त अभिलेख चेयरमैन के अनुदेश पर सचिव/परीक्षा नियंत्रक की अभिरक्षा में रखे जायेंगे।

(5) ऐसी परीक्षाओं के संचालन के लिए समस्त प्रबन्ध परीक्षा समिति के द्वारा आयोग के परामर्श से और ऐसे निदेशों के अनुसार किये जायेंगे जो आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किये जाय।

साक्षात्कार बोर्ड का गठन

11–(1) आयोग विभिन्न पदों या पदों के श्रेणियों, जिनके लिये साक्षात्कार आयोजित होना है, के लिये पृथक साक्षात्कार बोर्ड गठित करेगा और जहॉ किसी विशेष पद के लिए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है एक से अधिक साक्षात्कार बोर्ड का गठन कर सकता है;

(2) जब कभी एक से अधिक साक्षात्कार बोर्ड का गठन किया जाता है वहॉ ऐसे साक्षात्कार बोर्ड की संरचना में चक्रानुक्रम द्वारा, उतनी बार जितनी बार वह उचित समझे, परिवर्तन कर सकता है;

(3) किसी साक्षात्कार बोर्ड में कम से कम एक सदस्य और दो विशेषज्ञ होंगे, किन्तु आयोग, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, किसी साक्षात्कार बोर्ड में एक से अधिक सदस्यों या दो से अधिक विशेषज्ञों को सम्मिलित कर सकता है। अल्पसंख्यक संस्थाओं के अध्यापकों के चयन हेतु साक्षात्कार बोर्ड गठित करते समय अल्पसंख्यक समुदाय के विशेषज्ञ का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया विहित करेगा:

परन्तु यह कि जहॉ किसी चयन के लिये आमंत्रित विशेषज्ञ ने अपनी असमर्थता व्यक्त की हो या आने में अन्यथा विफल रहा हो और पैनल से किसी अन्य विशेषज्ञ को आमंत्रित करने के लिये पर्याप्त समय न हो, वहॉ आयोग द्वारा विहित अर्हताओं को रखने वाले किसी अन्य उपलब्ध विशेषज्ञ को अध्यक्ष के अनुमोदन से सचिव आमंत्रित कर सकता है;

(4) साक्षात्कार का कार्यक्रम आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा;

(5) साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को आनलाइन संसूचना आयोग की वेबसाइट/ई–मेल/एस0एम0एस0 पर एवं समाचार पत्रों में निर्मोचित करने से 10 दिन पूर्वसूचित किया जायेगा;

(6) यदि कोई सदस्य साक्षात्कार बोर्ड में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो अध्यक्ष उसके स्थान पर किसी अन्य सदस्य को साक्षात्कार संचालित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और इस तथ्य से ऐसे साक्षात्कार बोर्ड की कार्यवाहियॉ और उसके द्वारा किये गये चयन अविधिमान्य नहीं होंगे;

(7) साक्षात्कार बोर्ड में उपस्थित ज्येष्ठतम–सदस्य साक्षात्कार बोर्ड की अध्यक्षता करेगा। साक्षात्कार बोर्ड की कार्यवाहियाँ आयोग के समक्ष अनुमोदन के लिये यथाशक्य शीघ्र रखी जायेगी तत्पश्चात् संस्तुति जारी की जायेगी। ऐसा अनुमोदन परिचालन द्वारा आयोग की किसी बैठक में प्राप्त किया जा सकता है।

विशेषज्ञों का पैनल

12–(1) आयोग द्वारा साक्षात्कार बोर्ड के लिए विषयवार विशेषज्ञों का पैनल विहित प्रक्रियानुसार उन व्यक्तियों में से तैयार किया जायेगा जो निम्नलिखित में हो या रह चुके हों:

(एक) राज्य शिक्षा सेवा का सदस्य;

(दो) उत्तर प्रदेश राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का आचार्य, सह–आचार्य या सहायक आचार्य, किन्तु किसी सह–आचार्य और सहायक आचार्य के मामले में, उसे इस रूप में दस वर्ष से कम का अनुभव नहीं होना चाहिए;

(तीन) उत्तर प्रदेश राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त या उससे सम्बद्ध सहायता प्राप्त स्नातक या सहायता प्राप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्य;

(चार) उत्तर प्रदेश राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त या उससे सम्बद्ध सहायता प्राप्त स्नातक या सहायता प्राप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सहायक आचार्य या प्राध्यापक, जिन्हें इस रूप में दस वर्ष से कम का अनुभव नहीं होना चाहिए;

(पाँच) राजकीय स्नातक या सहायता प्राप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्य;

(छः) राजकीय स्नातक या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सहायक आचार्य या प्राध्यापक, जिन्हें इस रूप में दस वर्ष से कम का अनुभव नहीं होना चाहिए;

(सात) राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज के प्रधानाचार्य (इण्टरमीडिएट कालेज या हाईस्कूल के प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक के साक्षात्कार हेतु);

(आठ) व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के अधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य श्रेणी–1, जिन्हें कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो, अथवा संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षणार्थी/शिक्षु) अथवा अपर निदेशक (प्रशिक्षणार्थी/शिक्षु);

(2) उप नियम (1) के अधीन तैयार किये गये विशेषज्ञों के पैनलों से विशेषज्ञों का चयन अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा,

(3) विशेषज्ञों के पैनल का गुप्त दस्तावेज होगा और उसे सचिव द्वारा या उसके विनिर्दिष्ट निदेश या आदेश के अधीन किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा मुहरबन्द लिफाफा में निरापद अभिरक्षा में रखा जायेगा और अध्यक्ष के लिखित मांग पर प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) उप नियम (1) के अधीन गठित विशेषज्ञों का पैनल यथा सम्भव प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार पुनरीक्षित किया जायेगा। परन्तु यह कि पूर्व सूची में सम्मिलित कोई भी व्यक्ति पुनरीक्षित सूची में सम्मिलित किये जाने के लिये पात्र होगा।

(5) किसी साक्षात्कार बोर्ड में उपस्थित होने वाले विशेषज्ञ को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विहित दर से अनधिक ऐसी दर पर जैसा आयोग द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाए, पारिश्रमिक और तत्समय राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये शासनादेश के अनुसार यात्रा भत्ता संदत किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के बाहर से विशेषज्ञों को अनुमन्य वायुयान किराया अध्यक्ष के अनुमोदन से दिया जायेगा।

अध्यक्ष की शक्ति और कर्तव्य

13–(1) अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन अध्यक्ष, आयोग की प्रशासनिक, अनुशासनात्मक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा, और

(क) उन समितियों की जिनका वह सदस्य हो समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा;

(ख) आयोग और उसके सदस्यों की कार्य प्रणाली में समन्वय स्थापित करेगा;

(ग) आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने और यात्रा भत्ता बिलों को पारित करने के प्रयोजनों के लिए सदस्यों का नियन्त्रक अधिकारी होगा;

(घ) आयोग के अधिकारियों और कर्मचारी वर्गों की कार्य प्रणाली पर पर्यवेक्षण करने की शक्ति रखेगा।

(2) यदि अध्यक्ष अपने अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं तो वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी सदस्य को ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है:

परन्तु यह कि ऐसे समस्त विषय जिनके संबंध में अध्यक्ष की अनुपस्थिति की अवधि के दौरान विनिश्चय या कार्यवाही की जा चुकी है, जैसे ही वह अपने पद का कार्यभार पुनः ग्रहण करता है, उसके समक्ष सूचना के लिए रखे जायेंगे।

सदस्यों की शक्ति और कर्तव्य

14–अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों और आयोग के विनिश्चयों के अध्यधीन, कोई सदस्य पदों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अभ्यर्थियों के चयन में अध्यक्ष की सहायता करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का संपादन करेगा जो उसे अध्यक्ष द्वारा समानुदेशित किये जायं।

सचिव की शक्तियां एवं कर्तव्य

15–(1) सचिव, आयोग के कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान होगा और अधिनियम एवं तद्धीन बनाए गए नियमों और आयोग तथा अध्यक्ष के विनिश्चयों के उपबन्धों के अनुसार कृत करेगा,

(2) वह आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारीवर्ग का नियंत्रक अधिकारी होगा और उनके कर्तव्य समनुदेशित करेगा,

(3) ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति, जिनका आयोग नियुक्ति प्राधिकारी है, सचिव द्वारा आयोग के पूर्वानुमोदन से अधिनियम की धारा 28 के अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसार की जायेगी,

(4) सचिव निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा–

एक– आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारीवर्ग की नियुक्तियों के अभिलेखों का अनुरक्षण करना;

दो–आयोग को अपनी सूचना और सन्दर्भ के लिए शीर्षकवार व्यय की रिपोर्ट का त्रैमासिक प्रस्तुतीकरण;

तीन–आयोग के क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात राज्य सरकार को प्रस्तुत करना;

चार–आयोग या अध्यक्ष द्वारा सौपे गये किसी कार्य का निर्वहन करना;

पांच– साक्षात्कार संबंधी समस्त कार्यों को आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 28 के अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसार करेगा;

छः–चयनित अभ्यर्थियों के नाम और चयन के अभिलेखों का अनुरक्षण।

परीक्षा नियन्त्रक की शक्तियां एवं कर्तव्य

16–(1) परीक्षा नियंत्रक, आयोग की परीक्षाओं के संचालन एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन संबंधी समस्त कृत्यों का नियंत्रक प्राधिकारी होगा और आयोग एवं परीक्षा समिति के विनिश्चयों के उपबन्धों के अनुसार कार्य करेगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी होगा–

एक–परीक्षा केन्द्रों, केन्द्र अधीक्षकों तथा कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था;

दो–परीक्षार्थियों/अभ्यर्थियों को अनुक्रमांक आवंटन एवं प्रवेश पत्र की व्यवस्था;

तीन–आवेदन पत्र आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापन के प्रक्रम से चयनित अभ्यर्थियों का पैनल अग्रसारित करने के प्रक्रम तक पदों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाहियाँ;

चार–आवेदन पत्रों की समुचित और समय से संवीक्षा।

वित्त नियन्त्रक की शक्तियां एवं कर्तव्य

17—वित्त नियत्रंक, आयोग के विनिश्चयों और अध्यक्ष के विनिश्चय के अनुसार शासकीय नियमों के अधीन लेखा से संबंधित समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तथा सचिव के माध्यम से आयोग को उसकी सूचना और शीर्षकवार व्यय की रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण करेगा।

उप सचिव की शक्तियां एवं कर्तव्य

18—उप सचिव, आयोग और अध्यक्ष के विनिश्चयों के अनुसार कार्य करेगा। सचिव की अनुपस्थिति में या सचिव का पद रिक्त होने पर उसके समस्त शक्तियों एवं कर्तव्यों का निर्वहन परीक्षा नियन्त्रक द्वारा किया जायेगा।

आयोग का कार्यालय समय तथा अवकाश

19—(1) आयोग का कार्यालय समय 10.00 बजे प्रातःकाल से 5.00 बजे सायंकाल तक होगा।

(2) सप्ताह में छः दिन का कार्य दिवस होगा तथा इस सम्बन्ध में शासन द्वारा समय—समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों से भी आच्छादित होगा।

(3) यदि कार्य के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो तो अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को कार्यालय समय के पूर्व या पश्चात कार्य करने के लिए कहा जा सकता है।

(4) आयोग के अन्य अवकाश के दिन वही होंगे जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के होंगे।

अध्याय—चार

अर्हता (अध्यापक/अनुदेशक की अर्हताएं)

राष्ट्रीयता

20—अध्यापक या अनुदेशक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी, नागरिकता अधिनियम, 1955 (समय—समय पर यथासंशोधित) के अनुसार भारत का नागरिक हो ।

आयु

21—(1) अध्यापक अथवा अनुदेशक के किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थी की आयु उस कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें यथास्थिति, आयोग द्वारा रिक्तियॉ विज्ञापित की जायें, सम्बन्धित अधिनियमों/सेवानियमावली/विश्वविद्यालय परिनियमावली/राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार होंगी।

(2) उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसे अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक अर्हतायें/ आरक्षण/अधियाचन

22—किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थियों की अर्हताएं तत्समय प्रवृत्त सुसंगत अधिनियमों/सेवानियमावली/विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार होंगी। प्राधिकृत अधिकारी, भरे जाने वाले पदों के अधियाचन और आरक्षण पर विनिश्चय करेगा।

चरित्र

23—अध्यापक अथवा अनुदेशक के किसी पद पर चयन के लिए, अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होगा कि वह किसी शैक्षणिक संस्था में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। आयोग इस संबंध में अपना समाधान करेगा।

टिप्पणीः—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

24—किसी अध्यापक या अनुदेशक के पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी होः

परन्तु यह कि राज्य सरकार, किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये पर्याप्त आधार विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता

25—(1) यथास्थिति किसी अध्यापक या अनुदेशक के पद पर चयन के लिए कोई अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

(2) किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से चुने जाने के पूर्व आयोग द्वारा उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी सरकारी अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत स्वस्थता का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करे।

बालिका/महिला संस्था में पुरुष अभ्यर्थी की नियुक्ति का प्रतिषेध

26—कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका/महिला संस्था में किसी अध्यापक अथवा अनुदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

अध्याय—5
भर्ती की प्रक्रिया

भर्ती का स्रोत

27—अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों में भर्ती के स्रोत वही होंगे जो सम्बन्धित अधिनियमों/सेवानियमावली/विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित हैं।

रिक्तियों का अवधारण और अधिसूचित किया जाना

28—(1) नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी, सीधी भर्ती के प्रयोजन से अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसार रिक्तियों की संख्या का अवधारण करेगा और रिक्तियों को, यथास्थिति, निदेशक (उच्च शिक्षा) या निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) या निदेशक (बेसिक शिक्षा) या निदेशक (प्रशिक्षण एवं सेवायोजन) या महानिदेशक, अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से आयोग को यहां दी गयी रीति से अधिसूचित करेगा।

(2) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले प्रत्येक श्रेणी के पद के लिए भर्ती के वर्ष के अन्तिम दिनांक को सेवानिवृत्ति के कारण होने वाली सम्भावित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रिक्तियों का विवरण भर्ती के वर्ष की 15 जुलाई तक उपनियम (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को भेजा जायेगा और प्राधिकृत अधिकारी अपने कार्यालय के अभिलेखों से सत्यापन करने के पश्चात प्रत्येक श्रेणी के पदों की रिक्तियों के बारे में विषयवार एवं आरक्षण श्रेणीवार रिक्तियों का समेकित विवरण तैयार करेगा। इस प्रकार तैयार किया गया समेकित विवरण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसी भर्ती वर्ष के 31 जुलाई तक आयोग को भेजा जायेगाः

परन्तु यह कि यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा करना समीचीन है तो वह लिखित आदेश द्वारा किसी विशेष भर्ती के वर्ष के संबंध में आयोग को रिक्तियाँ अधिसूचित किये जाने के लिए कोई अन्य दिनांक नियत कर सकती है।

(3) यदि, उप—नियम (2) के अधीन रिक्तियों के अधिसूचित किये जाने के पश्चात अध्यापक अथवा अनुदेशक के किसी पद पर कोई रिक्ति होती है, तो नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी इसके होने के पन्द्रह दिन के भीतर उक्त उपनियम के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी को अधिसूचित करेगा और प्राधिकृत अधिकारी उसे प्राप्त करने के दस दिन के भीतर आयोग को भेज देगा।

(4) जहाँ, भर्ती के किसी वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी, उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट दिनांक तक रिक्तियां अधिसूचित नहीं करता या उक्त उपनियम के अनुसार उन्हें अधिसूचित करने में असफल रहता है तो प्राधिकृत अधिकारी अपने कार्यालय के अभिलेख के आधार पर अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसार ऐसी संस्था में रिक्तियों को अवधारित करेगा और उक्त उपनियम में निर्दिष्ट रीति से और दिनांक तक आयोग को अधिसूचित करेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के अधीन आयोग को अधिसूचित की गई ऐसी रिक्तियां संस्था के नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिसूचित की गयी समझी जायेगी।

(5) अधिसूचित रिक्तियों के पदों को एकल स्थानान्तरण द्वारा नहीं भरा जायेगाः

परन्तु यह कि विशेष परिस्थितियों में यदि एकल स्थानान्तरण आवश्यक हो तो यथा संभव शीघ्र, उक्त प्रक्रिया को आयोग के संज्ञान में लाया जाना आवश्यक होगा और एकल स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त पद निदेशक द्वारा अधिसूचित पदों में सम्मिलित माना जायेगा और यह रिक्ति भी उसी चयन प्रक्रिया से आच्छादित रहेगी। चयन प्रक्रिया प्रारम्भ होने के बाद किसी भी दशा में एकल स्थानान्तरण नही किया जायेगा।

रिक्तियों की अधिसूचना तथा आवेदन पत्र प्रस्तुत करना

29—(1) आयोग, सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के संबंध में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों और अन्य आरक्षित श्रेणियों जैसा कि सरकारी सेवाओं में समय—समय पर लागू हो, के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए रिक्तियों का विज्ञापन कम से कम दो ऐसे दैनिक समाचार—पत्रों में करेगा, जिनका राज्य में व्यापक प्रचलन हो, और चयन हेतु विचार किये जाने के लिए आनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। ऐसी विज्ञप्ति आयोग अपनी वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करेगा।

(2) यदि तीन वर्ष के अन्दर विज्ञापित पदों के सापेक्ष चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हो पाती है तो उक्त विज्ञापन आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकता है तथा आयोग को पुनः इसे विज्ञापित करने का अधिकार होगा।

(3) अल्पसंख्यक संस्थाओं में अध्यापकों के चयन हेतु विज्ञापन के लिए रिक्तियों की सूचना अलग से प्रकाशित की जायेगी और उनकी चयन प्रक्रिया में, साक्षात्कार बोर्ड में अल्पसंख्यक समुदाय से एक विशेषज्ञ प्रतिनिधि को अतिरिक्त रूप से रखा जायेगा।

चयन की प्रक्रिया

30–(1) आयोग आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगा और अध्यापक अथवा अनुदेशक के पद के सम्बंध में लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा में दो घण्टे के कालावधि का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र (सामान्य ज्ञान एवं सम्बन्धित वैकल्पिक विषय) होगा। लिखित परीक्षा के लिए पूर्णांक का 90 प्रतिशत अंक तथा 10 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के लिए होगा। जहाँ साक्षात्कार नही होगा वहॉ लिखित परीक्षा पूर्णांक का शतप्रतिशत अंक होगा। पूर्णांक का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा।

(2) लिखित परीक्षा के आयोजन के लिए यथासंभव जिला मुख्यालयों पर ही केन्द्रों का निर्धारण किया जायेगा और निरीक्षकों को मानदेय ऐसे दर पर संदत्त किया जायेगा, जैसा आयोग द्वारा नियत किया जाय।

(3) लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्याः 15/24/2018–का0–4–2018, दिनांक 20 नवम्बर, 2018 एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार अवधारित किये जायेंगे।

(4) स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्य पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा के अंक, शैक्षिक प्रदर्शन सूचक (ए0पी0आई0) के अंक एवं साक्षात्कार के अंको को समेकित कर योग्यताक्रमानुसार चयन सूची निर्गत की जायेगी। लिखित परीक्षा हेतु एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र (सामान्य ज्ञान एवं प्रशासनिक अभिक्षमता) होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संशोधित मानकों के अधीन ए0पी0आई की गणना की जायेगी।

(5) आयोग, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आयोग द्वारा नियुक्त किये परीक्षक से या कम्प्यूटर द्वारा करायेगा और परीक्षक को मानदेय, आयोग द्वारा नियत किये जाने वाले दर पर संदत्त किया जायेगा।

(6) जहाँ साक्षात्कार लिया जाना आवश्यक है वहाँ साक्षात्कार के लिए 10 प्रतिशत अंक रखे जायेंगे। साक्षात्कार अंक के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त यह होगा कि सामान्य ज्ञान, व्यक्तित्व परीक्षण एवं अभिव्यक्ति की योग्यता के दृष्टिगत साक्षात्कार के अंक दिये जायेंगे।

(7) लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या के 3 से 5 गुने तक जैसा आयोग उचित समझे, होगी, अन्तिम अंक (कटआफ) प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

(8) साक्षात्कार बोर्ड में विषय विशेषज्ञों के परामर्श के आधार पर अंक साक्षात्कार बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दिया जायेगा।

(9) चयन की निष्पक्षता एवं शुचिता को बनाये रखने के दृष्टिगत चयन प्रक्रिया के अन्तिम परिणाम से पूर्व अभ्यर्थियों के अंक प्रकट नहीं किये जायेंगे।

(10) अध्यापक अथवा अनुदेशक के जिन पदों पर साक्षात्कार लिया जाना आवश्यक है उसमें आयोग लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त हुये अंकों को जोड़कर और जहाँ केवल लिखित परीक्षा होना है उसमें आयोग मात्र लिखित परीक्षा में प्राप्त अकों के आधार पर विज्ञापन के सापेक्ष मेरिट क्रम से जो अभ्यर्थी सर्वाधिक उपयुक्त पाये जायें, उनका एक पैनल तैयार करेगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों की मेरिट समान हो तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम लिखित परीक्षा के अंक देखे जायेंगे तथा लिखित परीक्षा के भी अंक समान होने पर साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को देखा जायेगा। दोनों के भी अंक समान होने पर अनिवार्य अर्हता का अधिकतम प्रतिशत/पी0एच0डी0 और जे0आर0एफ0, नेट और पी0एच0डी0, जे0आर0एफ0, नेट, पी0एच0डी0 को देखा जायेगा एवं सभी समान होने पर अन्त में स्नातकोत्तर के प्राप्तांक देखे जायेंगे। यदि लिखित परीक्षा, साक्षात्कार तथा अनिवार्य अर्हता के प्रतिशत अंक समान है तो उस अभ्यर्थी का नाम जो अधिक आयु का हो, उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों के नामों की सूचना

31–(1) आयोग अधियाचन भेजने वाले प्राधिकृत अधिकारी को, विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष नियम 30 के उपनियम (10) के अनुसार तैयार पैनल अग्रसारित करेगा। प्राधिकृत अधिकारी इसे संस्था आवंटन के पश्चात इस निमित्त प्राधिकृत संस्था के नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी को भेजेंगे। संस्था आवंटन निम्नलिखित रीति से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगाः–

(क) अधिसूचित रिक्तियों की सूचना विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करके पैनल में अंकित अभ्यर्थियों से आनलाइन पाँच संस्थाओं की अधिमानता ली जायेगी;

(ख) वह अभ्यर्थी जिसका नाम पैनल में शीर्ष पर हो, उसके द्वारा दिये गये प्रथम अधिमानता की संस्था में उसका आबंटन होगा। जहां किसी चयनित अभ्यर्थी को इस आधार पर उसके अधिमान की संस्थायें आबंटित नहीं की जा सकती कि पैनल में उससे उच्चतर स्थान वाले अभ्यर्थियों को पहले ही ऐसी संस्थायें आबंटित की जा चुकी हैं और कि उनमें कोई रिक्ति शेष नहीं है तो प्राधिकृत अधिकारी उसको कोई भी संस्था, जो वह उचित समझे आबंटित कर सकता है।

(2) (क) प्राधिकृत अधिकारी नियम 31 के उपनियम 1 के खण्ड (ख) के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित संस्थाओं के नामों सहित सूची नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी को अग्रसारित करेगा।

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रेषित संस्तुति की प्राप्ति के एक माह के भीतर अनुपालन करने की सूचना निदेशक को देगा।

(ग) प्राधिकृत प्राधिकारी चयनित अभ्यर्थी का नाम संस्था के नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी को, जिसने रिक्ति को अधिसूचित किया है, ऐसे निर्देश के साथ सूचित करेगा कि नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी के संकल्प के अधीन प्राधिकृत किये जाने पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का आदेश रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा जारी किया जाय।

(3) नियुक्ति का आदेश अभ्यर्थी को इस निदेश के साथ प्रेषित किया जायेगा कि वह नियुक्ति प्राधिकारी या प्रबन्धतन्त्र या प्राधिकृत अधिकारी से नियुक्ति के आदेश की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जो, रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से नियुक्ति के आदेश की प्राप्ति के दिनांक से अनधिक 30 दिन हो, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी या प्रबन्धतन्त्र या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसे अनुमन्य किया जाय, नियुक्ति प्राधिकारी या प्रबन्धतन्त्र या प्राधिकृत अधिकारी को रिपोर्ट करे और यह भी सूचित किया जायेगा कि विहित समय के भीतर कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहने पर उसकी नियुक्ति रद्द किये जाने हेतु दायी होगी।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा इस निमित्त प्राधिकृत संस्था का अधिकारी, ऐसे नियुक्ति पत्र की एक प्रति रजिस्ट्रीकृत डाक तथा ई मेल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को भी प्रेषित करेगा।

(5) निदेशक, अनुश्रवण करेगा और सुनिश्चित करेगा कि आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी संस्था में विनिर्दिष्ट समय में कार्यभार ग्रहण करे और इस प्रयोजन के लिये वह नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

(6) जहाँ आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी त्रुटिपूर्ण अधियाचन या सेवा काल में मृत किसी कर्मचारी के आश्रित की नियुक्ति या माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी आदेश अथवा पद समाप्ति के कारण आवंटित संस्था में पद ग्रहण नहीं कर सका, तो ऐसे अभ्यर्थी के समायोजन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा:–

(क) ऐसे चयनित अभ्यर्थी को प्रभार ग्रहण न करने के कारणों का उल्लेख करते हुये अपना अभ्यावेदन निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा;

(ख) निदेशक अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विस्तृत जाँच करने के पश्चात त्रुटिपूर्ण अधियाचन प्रेषित करने हेतु उत्तरदायी संस्था या नियुक्ति प्राधिकारी के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करेगा और चयनित अभ्यर्थी के समायोजन हेतु अपनी संस्तुति सहित रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करेगा;

(ग) निदेशक की रिपोर्ट और संस्तुति के आधार पर, आयोग अविज्ञापित अधियाचन के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थी का समायोजन करेगा और समायोजन के पश्चात चयनित पैनल/सूची सम्बन्धित विभाग के निदेशक को प्रेषित करेगा;

(घ) उपनियम (4) के खण्ड (ग) के अधीन प्रेषित पैनल/सूची के आधार पर, सम्बंधित विभाग के निदेशक अधिनियम की धारा 11 के उपबन्धों के अनुसार चयनित अभ्यर्थी को प्रभार देने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को निदेशित करेंगे।

अध्याय–6

लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं अन्य प्रकीर्ण कार्य

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार

32–(1) लिखित परीक्षा के आधार पर, साक्षात्कार हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए विहित अंकों में से न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक दिया जाना अनिवार्य होगा तथा यथासम्भव 90 प्रतिशत तक अधिकतम अंक दिये जा सकते हैं।

(2) लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से, एक दिन में एक बोर्ड में साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की संख्या एवं प्रतिदिन संचालित होने वाले बोर्ड की संख्या परीक्षा समिति द्वारा आवश्यकतानुसार विनिश्चय किया जायेगा।

परीक्षकों और प्राश्निकों (पेपर सेटर्स) इत्यादि की सूची

33–(1) परीक्षा समिति का चेयरमैन प्रत्येक विषय के लिए, परीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगा और इसे आयोग के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। ऐसी सूची प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार पुनरीक्षित की जायेगीः

परन्तु यह कि पूर्ववर्ती सूची में सम्मिलित कोई व्यक्ति पुनरीक्षित सूची में सम्मिलित किये जाने के लिए अर्ह होगा।

(2) उपधारा–1 में निर्दिष्ट सूची में, यथासम्भव, उसमें सम्मिलित व्यक्तियों के बारे में उनकी शैक्षिक अर्हताओं, उपाधि और स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन का अनुभव या वृत्तिक अनुभव से संबंधित सूचना अन्तर्विष्ट होगी और आयोग द्वारा संचालित ऐसी पूर्व परीक्षाओं का विवरण अन्तर्विष्ट होगा जिसमें उन्होंने परीक्षक के रूप में कार्य किया हो।

(3) परीक्षा समिति का चेयरमैन आयोग के पूर्व अनुमोदन से, उपधारा 1 में निर्दिष्ट सूची में सम्मिलित व्यक्तियों में से प्राश्निकों और अनुसीमकों की नियुक्ति करेगा।

(4) ऐसी नियुक्तियां करने में, प्रत्येक तरह से यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जायेगी कि ऐसा कोई व्यक्ति इस प्रकार नियुक्त न कर दिया जाये जो किसी विश्वविद्यालय, सरकार या शासी निकाय द्वारा अवचार का दोषी पाया गया हो या जिसके विरुद्ध अवचार के अभिकथन पर कोई जाँच या अनवेषण लंबित हो, या जिसकी सत्यनिष्ठा सन्देहपूर्ण हो। कोई व्यक्ति, जिसका कार्य प्रधान परीक्षक, प्राश्निकों या मूल्यांकनकर्ता के रूप में आयोग द्वारा असन्तोषजनक पाया जाय, उक्त प्रयोजन के लिए पुनः नियुक्त नहीं किया जायेगा।

प्रश्न–पत्र को तैयार, अनुसीमन एवं मुद्रण करना

34–(1) प्रत्येक प्रश्न–पत्र तीन भिन्न–भिन्न प्राश्निकों द्वारा जो एक ही स्थान से सम्बंधित नहीं होंगे, तैयार किया जायेगा।

(2) प्राश्निकों से प्राप्त मुहरबन्द प्रश्न–पत्र परीक्षा समिति के चेयरमैन की अभिरक्षा में रखे जायेंगे।

(3) तीनों प्राश्निकों से प्राप्त प्रश्न–पत्रों के अन्तर्विष्ट मुहरबन्द लिफाफे को रसीद के साथ परीक्षा समिति के चेयरमैन द्वारा सम्बंधित अनुसीमकों को सौंप दिया जायेगा।

(4) अनुसीमक समस्त तीन प्रश्न–पत्रों का अनुसीमन करेगा, आवरण पर बिना कोई पहचान चिह्न बनाये अपनी मुहर लगाकर उसको अलग–अलग आवरण में रखेगा और उन्हें रसीद के साथ परीक्षा समिति के चेयरमैन को सौंप देगा।

(5) परीक्षा समिति का चेयरमैन किसी विषय के किन्हीं भी दो अनुसीमित प्रश्न–पत्र को मुहरबन्द आवरण खोले बिना चुनेगा और उसे उसी रूप में मुद्रणालय को भेज देगा, जो प्रश्न–पत्रों का मुद्रण करने, जिसमें प्रूफ रीडिंग सम्मिलित है, और परीक्षा समिति द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, समस्त परीक्षा केन्द्रों के लिये प्रश्न–पत्रों का पैकेट अपनी मुहर लगाकर तैयार करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(6) मुद्रणालय तथा चेयरमैन प्रश्न–पत्रों की गोपनीयता बनाये रखने के लिये, उत्तरदायी होगा और परीक्षा समिति का चेयरमैन ऐसी गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निदेशों को जारी करेगा और आवश्यक सावधानी बरतेगा।

ओ0एम0आर0 शीट की मुद्रण एवं उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन

35–(1) आफलाइन परीक्षा संचालित करने के आयोग के विनिश्चय पर ओ0एम0आर0 शीटों का मुद्रण एवं उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर पृथक रूप से किसी प्रतिष्ठित अभिकरण द्वारा कराया जायेगा। ऐसे अभिकरण की नियुक्ति करते समय इस बात की विशेष सावधानी रखी जायेगी कि उक्त अभिकरण रजिस्ट्रीकृत हो तथा उसकी ख्याति अच्छी हो और उसके विरुद्ध किसी भी राज्य में कोई प्रतिकूल तथ्य न पाया गया हो।

(2) उक्त अभिकरण की नियुक्ति परीक्षा समिति के ज्येष्ठतम सदस्य (चेयरमैन से भिन्न) द्वारा की जायेगी जो ज्येष्ठतम सदस्य द्वारा दिये गये समस्त निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी तथा उस कार्य की गोपनीयता से सम्बंधित समस्त उत्तरदायित्व संस्था एवं ज्येष्ठतम सदस्य की होगी।

(3) ओ0एम0आर0 शीटों का मुद्रण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं अन्य कार्य उपरोक्त नियुक्त किये गये संगठन द्वारा किया जायेगा तथा सम्बंधित प्रपत्र मुहर बन्द लिफाफे में परीक्षा समिति के ज्येष्ठतम सदस्य को संगठन द्वारा प्रदान कराया जायेगा।

(4) आयोग जिन परीक्षाओं को आनलाइन कराने का विनिश्चय करता है उस सम्बंध में अपनी प्रक्रिया निर्धारित करके अवधारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

पक्ष समर्थन

36–किसी पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न, किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से स्वयं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

शुल्क

37–(1) प्रत्येक अभ्यर्थी, आयोग को ऐसे परीक्षा शुल्क का भुगतान करेगा जैसा कि आयोग द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) परीक्षा शुल्क ऑनलाइन अथवा आयोग के सचिव को देय रेखांकित पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट द्वारा देय होगी, या जैसा आयोग द्वारा सविस्तार वर्णित किया जाय।

परीक्षा संचालन

38–(1) परीक्षाओं के संचालन के लिए समस्त प्रबन्ध ऐसे निदेशों के अनुसार किये जायेंगे जो आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किये जायें।

(2) आयोग ऐसी परीक्षाओं के समुचित और समय से संचालन तथा उसकी गोपनीयता को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) परीक्षाओं से सम्बन्धित समस्त संविदायें लिखित रूप से होंगी और समस्त दस्तावेज और परीक्षाओं से सम्बंधित अभिलेख परीक्षा नियंत्रक की वैयक्तिक अभिरक्षा में रखे जायेंगे।

आज्ञा से,

एम0 पी0 अग्रवाल,

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3118/LXX-5–2023-25-2019 T.C.-18, dated December 13, 2023;

No. 3118/LXX-5–2023-25-2019 T.C.-18

Dated Lucknow, December 13, 2023

In exercise of the powers under section 27 of the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Act, 2023 (U.P. Act no.15 of 2023), the Governor is pleased to make the following rules with a view to select able and worthy teachers/trainers while ensuring the quality of selection, impartiality and transparency and to establish an unambiguous set of guidelines that delineate the scope, powers, functions and procedures to be followed by the Commission to discharge its statutory obligations.

THE UTTAR PRADESH EDUCATION SERVICE SELECTION COMMISSION RULES, 2023

Chapter – I
Preliminary

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Rules, 2023.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Definitions

2. (1) In these rules, unless there is anything repugnant to the subject or context,-

(a) "**Act**" means the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Act, 2023(U.P. Act no.15 of 2023);

(b) "**Committee**" means a committee constituted by the Commission or the Chairperson from amongst its Members;

(c) "**Examination**" means the examination conducted for the selection of a teacher or instructor;

(d) "**Interview**" includes viva-voce or personality test;

(e) "**Officer**" means an officer of the Commission and includes the Secretary, Controller of Examinations, Finance Controller and Deputy Secretary;

(f) "**Secretary**" means the Secretary of the Commission;

(g) "**Section**" means a section of the Act;

(h) "**Senior-most Member**" means the member with the maximum aggregate duration of service as a member of the Commission. In cases where two or more members have commenced their roles within the Commission on the same date, age shall stand as the decisive criterion for the determination of seniority.

(i) "**Substantive Appointment**" means an appointment to a post of a teacher or instructor not being an ad hoc appointment, made in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder;

(j) "**Vacancy**" means a vacancy resulting from the death, retirement, resignation, termination, dismissal, or removal of a teacher or instructor or the creation of a new post or substantive promotion or appointment of an official to a higher post;

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Uttar Pradesh State Universities, Act, 1973, (U.P. Act no.10 of 1973), the Intermediate Education Act, 1921, (U.P. Act no.20 of 1921), the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972, (U.P. Act no.34 of 1972), the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996, (Act no.27 of 1996) or the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Act, 2023, (U.P. Act no.15 of 2023), the Uttar Pradesh Government Industrial Training Institutes (Instructors and Foreman Instructors) Service Rules, 2021 shall have the same meanings as respectively assigned to them in the said Acts and rules.

Chapter – II

Constitution of the Commission and Staff of the Commission

Selection Criteria and Procedure

3. (1) There shall be a Search Committee for the selection of Members and Chairperson of the Commission which shall consist of the following members:-

(a) Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh – **Chairperson**

(b) Additional Chief / Principal Secretary Department of Appointment and Personnel, Government of Uttar Pradesh – Member

(c) Additional Chief / Principal Secretary, Department of Basic Education, Government of Uttar Pradesh – Member

(d) Additional Chief / Principal Secretary, Department of Secondary Education, Government of Uttar Pradesh – Member

(e) Additional Chief / Principal Secretary, Department of Higher Education, Government of Uttar Pradesh – Member Secretary

(2) The said Search Committee: -

(a) shall prepare a list for selection to the post of Chairperson and Members. The application form of the concerned candidates, in accordance with the qualifications mentioned in section 4 of the Act, shall be invited online/offline within 25 days from the date of advertisement;

(b) shall conduct a detailed examination of the applications/ bio-data received regarding the vacancies for the post of Chairperson/Members, particularly in respect of their educational qualifications, administrative experience, notable work done by them in the field of education, and details of the credentials, competence, and integrity of the said candidates;

(c) shall verify the records pertaining to the qualifications and background of the candidates through the concerned institutions, and the records pertaining to the same shall be placed on record;

(d) shall recommend, after the examination of the bio-data of the candidates, the names of 5 candidates, as far as possible, for the post of Chairperson of the Commission and 3 times, as far as possible, the total number of vacancies to be filled for the post of Member, but if any name is objected to by 2 Members of the Search Committee, the name of the concerned candidate will not be included in the shortlist.

(3) As per the recommendation of the Search Committee for selection/appointment to the post of Chairperson/Member, the list of shortlisted candidates shall be presented to the Hon'ble Chief Minister for approval.

(4) Under section 3 of the Act the following procedure shall be adopted for character and antecedent verification of the proposed names before the approval of the Hon'ble Chief Minister:-

(a) on selection of serving officers of the Government of India / State Government / other States, No Objection Certificate and Vigilance Check / No Departmental Proceedings Certificate will be obtained from their respective department;

(b) before giving appointment to persons of the Government of India / State Government / other States who have retired, information about their antecedents shall be obtained from the concerned department or other sources, as deemed appropriate;

(c) in case of academicians from educational institutions of the State or outside the State, their character and antecedents verification report shall be obtained from the Superintendent of Police of the district concerned to their native place as well as the present place of residence, which shall be countersigned by the District Magistrate of the concerned district;

(d) in case of non-official persons from State or outside the State, their character and antecedents verification report shall be obtained from the Superintendent of Police of the district concerned to their native place of residence and of the present place of residence, which shall be countersigned by the District Magistrate of the concerned district.

(5) The appointment orders of the Chairperson and Members shall be issued only if the reports regarding the character and antecedents, issued in accordance with the above procedures, are found to be satisfactory.

Disqualification

4. A person shall be ineligible to be appointed or to continue as Chairperson or a Member, if he:-

(a) is adjudged insolvent by a Court of law; or

(b) engages, during his term of office, in any paid employment outside the duties of his office; or

(c) is, in the opinion of the State Government, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body or of proved misconduct; or

(d) has been convicted of any offence involving moral turpitude or financial embezzlement;

(e) is a Member of Parliament or a State Legislature; or

(f) is not a citizen of India, or has voluntarily or otherwise acquired the citizenship of, or professes allegiance or adherence to, a foreign State.

Investigation of Misconduct

5. The procedure for investigation and proving misconduct for a Chairperson or a Member, as referred to in sub-section (2) of section 6 of the Act, shall be as follows:-

(1) Where, on a complaint or otherwise, the State Government is satisfied, whether after conducting a preliminary inquiry or otherwise, that a *prima facie* case of misconduct exists, it shall give the concerned Chairperson or Member an option either to resign from the office unconditionally or to face investigation.

(2) If no unconditional resignation is received within fifteen days from the date of grant of such option, the State Government may appoint an Inquiry Officer who shall be a sitting or retired Judge of the High Court or such person who is eligible to be appointed as a Judge of the High Court.

(3) The Inquiry Officer shall, after giving a reasonable opportunity of being heard to the concerned Member or the Chairperson and after taking such evidence as he may deem necessary, submit his findings to the State Government within 15 days of the completion of the inquiry. No important work shall be allotted to the concerned Member or Chairperson during the investigation.

(4) In conducting such inquiry, the Inquiry Officer shall be guided by the rules of inquiry and the principles of natural justice and shall not be bound by formal rules relating to the procedure of inquiry.

(5) The provisions of the Uttar Pradesh Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Act, 1976 (U.P. Act no. 4 of 1976) shall apply to such inquiries.

(6) If, for any reason during the course of the trial, the Inquiry Officer is changed, it shall not be necessary for the new Inquiry Officer to start the inquiry afresh, and the inquiry may be continued from the stage at which the Inquiry Officer is changed.

(7) Subject to the provisions of these rules, the Inquiry Officer shall have the power to regulate the procedure of the inquiry, including the fixing of the place and time of its meeting and to decide whether the inquiry should be held in public or *in-camera*.

Officers and Staff

6. (1) In the Commission, a Secretary, who is an IAS/PCS officer not below the rank of Special Secretary, one Controller of Examinations (equivalent to, at or above Grade Pay 7600 Pay Level 12), one Finance Controller (equivalent to, at or above Grade Pay 8700 Pay Level 13), one Law Officer of the Judicial Service (equivalent to, at or above Grade Pay 7600 Pay Level 12), one Finance & Accounts Officer (equivalent to, at or above Grade Pay 5400 Pay Level 10), one outsourced Computer & I.T. Coordinator, and four Deputy Secretaries (equivalent to, at or above Grade Pay 6600 Pay Level 11), shall be appointed by the State Government on deputation for a period not exceeding three years and shall have such other conditions of service as the State Government may, by order, determine. On the recommendation of the Commission, the State Government can increase or decrease the said posts and pay scales.

(2) The services of every full-time employee of the Uttar Pradesh Higher Education Service Commission and the Uttar Pradesh Secondary Education Service Selection Board shall stand transferred to the Commission. Salary, other allowances, selection Pay Scale and promotions, pension, gratuity, family pension, all types of leave, earned leave, medical leave, medical facilities and benefits etc., leave encashment bonus, Leave Travel Concession (L.T.C.), etc., the age of retirement and all other rules of retirement as are enforced by the Government for the employees of the State Government or as may be issued by the State Government from time to time, shall also be applicable to the employees of the Commission. Similar to Government servants, all the facilities of advance for construction/repair of buildings, purchase of vehicles, etc., will also be payable to the employees of the Commission.

(3) The Commission will utilize the transferred serving personnel as necessary.

Leave

7. (1) The Chairman and Members of the Commission shall be entitled to leave as is admissible to the Chairman and Members of the Uttar Pradesh Public Service Commission.

(2) The officers and staff of the Commission shall be entitled to leave as permitted by the State Government.

Chapter – III

Procedure of Conduct of Business of the Commission

Meetings

8. (1) Unless otherwise decided by the Commission, the meetings of the Commission shall ordinarily be held on every Tuesday and, if it is not a working day, on the working day immediately following Tuesday. However, the Chairperson may, at any time, convene an extraordinary meeting of the Commission if the need arises or if at least two Members submit a requisition in writing for the same to him. The Secretary shall give advance notice of at least twenty-four hours to the Members for the extraordinary meeting.

(2) The date and time of each meeting shall be communicated by the Secretary after obtaining the prior approval of the Chairperson.

(3) The Secretary shall prepare the agenda of the meeting and get the same approved by the Chairperson and shall forward the same to each Member along with the notice of meeting.

(4) The quorum for any meeting of the Commission shall be one-half of the total Members at that time:

Provided that no quorum shall be required for a meeting adjourned for want of quorum.

(5) The Chairman and, in his absence, the senior-most Member present shall preside over the meeting of the Commission. The seniority of a Member of the Commission shall be determined in accordance with the order of seniority of the appointment order issued by the State Government. If two or more members share the same joining date, they will be placed higher in seniority as per the order of seniority of the appointment order issued by the State Government.

(6) As far as possible, the decision taken in the meeting shall be unanimous. In the event of a difference of opinion, the decisions of the Commission shall be taken by a majority of the members present at any meeting. In case of equality of votes, the Chairman shall have the right to a casting vote, which shall be in addition to his usual vote. The dissenting Member may record his dissent note, which shall form part of the proceedings of the meeting but which shall not be sent to the State Government or any other person or authority.

(7) When the Chairperson is absent on account of leave or is unable to attend a meeting of the Commission, the senior-most Member shall preside over the meeting and perform the functions of the Chairperson:

Provided that the list of cases on which decisions have been arrived at and those in respect of which action has been taken during the absence of the Chairman shall be placed before the Chairman immediately on his return from leave, or on resuming duty, as the case may be.

(8) In case of vacancy in the office of the Chairperson, the senior-most Member of the Commission shall discharge the day-to-day functions of the Commission.

(9) The Chairperson shall have the right to adjourn or cancel a pre-scheduled meeting of the Commission due to some unavoidable reasons.

(10) If the Chairperson is of the opinion that the work to be done by the Commission is excessive and a meeting of the Commission cannot be convened conveniently, the opinion of the members may be sought by circulating the matter in the form of a proposal. If the opinion is not received from any member within the time specified by the Chairperson, such Member shall be deemed to have agreed to the proposal.

Procedure for Allocation of Business and Constitution of Committees

9. (1) (a) The Commission shall, from time to time, allocate work among its members through a Business Allocation Committee. The Chairperson may, in cases of urgency, allocate any work to a member and obtain the approval of the Commission in its next meeting.

(b) The Commission may, for the convenient and expeditious conduct of its business, constitute a committee or committees and may authorize a member for the performance of a specific function or for the conduct of a specific business.

(2) The work allocation made under clause (a) of sub-rule (1) may be amended, changed, or modified, as and when deemed necessary.

(3) The senior-most Member of the Commission shall be the Convener of the Committee.

(4) Notwithstanding matters in which the Commission has otherwise directed, the decisions of the Committee in other matters shall be subject to the approval of the Commission.

Powers and Duties of Exam Committee

10. (1) The examinations conducted by the Commission shall be handled by the Examination Committee. The Examination Committee shall consist of the Chairperson of the Commission, senior-most Member, Secretary, Controller of Examination, and Deputy Secretary of the Commission. The Chairperson of the Commission will be the Chairman of the Examination Committee.

(2) Subject to the provisions of the Act and these rules, the Examination Committee shall perform such duties and functions as may be assigned to it under the rules or orders relating to the competitive examinations conducted by the Commission.

(3) The Chairman of the Examination Committee shall be responsible for the proper and timely conduct of examinations and for maintaining secrecy thereof.

(4) Unless otherwise prescribed, all contracts relating to such examinations shall be in writing, and all documents and examination records shall be authenticated by the Secretary/Controller of Examinations on behalf of the Commission but shall be issued under the orders of the Chairman. All such records shall be kept under the personal custody of the Secretary / Controller of Examinations on the instructions of the Chairman.

(5) All arrangements for the conduct of such examinations shall be made by the Examination Committee in consultation with the Commission and in accordance with such directions as may be issued by the Commission in this behalf.

Constitution of Interview Board

11. (1) The Commission shall constitute separate Interview Boards for different posts or categories of posts for which interviews are to be held and may constitute more than one Interview Board where the number of candidates for a particular post is large.

(2) Whenever more than one Interview Board is constituted, it may change the composition of such Interview Board, by rotation, as often as it deems appropriate.

(3) An Interview Board shall consist of at least one Member and two experts, but the Commission may include more than one Member or more than two experts in an Interview Board if it deems it necessary to do so. While constituting the Interview Board for the selection of teachers for minority institutions, a procedure to ensure expert representation from the minority community shall be given:

Provided that where an expert invited for selection has expressed his inability or has otherwise failed to turn up, and there is not sufficient time to invite any other expert from the panel, the Secretary may, with the approval of the Chairperson, invite any other available expert having the qualifications prescribed by the Commission.

(4) The Interview schedule shall be fixed by the Commission.

(5) The candidates shall be informed of the interview 10 days in advance through online intimation on the Commission's website/e-mail/SMS and through a release in newspapers.

(6) If any member is unable to attend the Interview Board, the Chairperson may authorize any other member to conduct the interview in his place, and this fact shall not invalidate the proceedings of such Interview Board and the selections made by it.

(7) The senior-most Member present on the Interview Board shall chair the Interview Board. The proceedings of the Interview Board shall be placed before the Commission for approval as soon as possible, after which a recommendation shall be issued. Such approval may be obtained by circulation at a meeting of the Commission.

Panel of Experts

12. (1) The panel of subject-wise experts for the Interview Board shall be prepared by the Commission in accordance with the prescribed procedure from amongst persons who are or have been:

(i) members of the State Education Service;

(ii) Professor, Associate Professor, or Assistant Professor of a University established by law in the State of Uttar Pradesh, but in the case of an Associate Professor and Assistant Professor, he shall have an experience of not less than ten years as such;

(iii) Principal of aided undergraduate or aided postgraduate colleges recognized by or affiliated to a University established by law in the State of Uttar Pradesh;

(iv) Assistant Professor or Lecturer of an aided graduate or aided postgraduate college recognized by or affiliated to a University established by law in the State of Uttar Pradesh, having not less than ten years of experience as such;

(v) Principal of Government undergraduate or aided postgraduate colleges;

(vi) Assistant Professor or Lecturer of a Government undergraduate or postgraduate college, having not less than ten years of experience as such;

(vii) Principal of Government Intermediate College (for interview of Lecturer and Assistant Teacher of Intermediate College or High School);

(viii) Principal Category-1 of Government Industrial Training Institute, under the Department of Vocational Education, Skill Development and Entrepreneurship, with at least 10 years of experience, or Joint Director (Trainee/Apprentice) or Additional Director (Trainee/Apprentice).

(2) The selection of experts from the panel of experts prepared under sub-rule (1) shall be done by the Chairperson.

(3) The panel of experts shall be a secret document and shall be kept in safe custody in a sealed cover by the Secretary or by any other Gazetted Officer under his specific direction or order and shall be produced on the written request of the Chairperson.

(4) The panel of experts constituted under of sub-rule (1) shall, as far as possible, be revised once every three years.

(5) An expert appearing in an Interview Board shall be paid remuneration, at such rate not exceeding the rate prescribed by the Uttar Pradesh Public Service Commission, as may be determined by the Commission from time to time, and travelling allowance in accordance with the Government Order issued by the State Government at that time. Under special circumstances, experts from outside Uttar Pradesh shall be given admissible airfare with the approval of the Chairperson.

Power and Duties of Chairperson

13. (1) Subject to the provisions of the Act, the Chairperson shall exercise the administrative, disciplinary and financial powers of the Commission, and shall:-

(a) preside over all meetings of the Committees of which he is a member;

(b) coordinate the working of the Commission and its members;

(c) be the controlling officer of the members for the purposes of sanctioning casual leave and passing of travelling allowance bills;

(d) have the power to supervise the working of the officers and staff of the Commission.

(2) If the Chairperson is unable to discharge his duties on account of his absence or for any other reason, he may, by general or special order, authorize any member to discharge such duties:

Provided that all such matters with respect to which a decision or action has been taken during the period of the Chairperson's absence shall be placed before him for information as soon as he resumes the charge of his office.

Power and Duties of Members

14. Subject to the provisions of the Act and the rules made there under and the decisions of the Commission, a Member shall assist the Chairperson in the selection of candidates for the various categories of posts and shall perform such other duties as may be assigned to him by the Chairperson.

Powers and Duties of Secretary

15. (1) The Secretary shall be the administrative head of the Commission and shall act in accordance with the provisions of the Act and the rules made there under and the decisions of the Commission and the Chairperson.

(2) He shall be the controlling officer of the officers and staff of the Commission and shall assign their duties.

(3) The appointment of such employees of whom the Commission is the appointing authority, shall be done by the Secretary with the prior approval of the Commission in accordance with regulations framed under section 28 of the Act.

(4) The Secretary shall be responsible for:-

(i) the maintenance of records of appointments of officers and other staff of the Commission;

(ii) the quarterly submission of the head-wise report of expenditure to the Commission for its information and reference;

(iii) the submission of annual report of the activities of the Commission to the State Government after obtaining the approval of the Chairperson;

(iv) the discharge of any work assigned by the Commission or the Chairperson;

(v) the discharge of all work relating to interviews in accordance with the regulations formed under section 28 of the Act by the Commission;

(vi) the maintenance of record of names of selected candidates and selection records;

Powers and Duties of the Controller of Examinations

16. (1) The Controller of Examinations shall be the controlling authority for all functions relating to the conduct of examinations and evaluation of answer sheets of the Commission and shall act in accordance with the provisions of the Commission and the Examination Committee's decisions.

(2) He shall also be responsible for:-

(i) provision of examination centers, center superintendents, and room invigilators;

(ii) allotment of Roll Numbers and provision of Admit Cards to the examinees/candidates;

(iii) proceedings of selection of candidates for various categories of posts from the stage of advertisement for inviting applications to the stage of forwarding the panel of selected candidates;

(iv) proper and timely scrutiny of application forms.

Powers and Duties of the Controller of Finance

17. The Controller of Finance shall, in accordance with the decisions of the Commission and the Chairperson's decision, perform all duties relating to accounts under the government rules and shall, through the Secretary, furnish to the Commission his information and report on head-wise expenditure.

Powers and Duties of the Deputy Secretary

18. The Deputy Secretary shall act in accordance with the decisions of the Commission and the Chairperson. In the absence of the Secretary or when the office of the Secretary becomes vacant, all his powers and duties shall be discharged by the Controller of Examinations.

Office Hours and Holidays of Commission

19. (1) The office hours of the Commission will from 10.00 AM to 5.00 PM.

(2) The working week shall be a six-day working week and shall also be covered by the guidelines issued by the Government from time to time in this regard.

(3) Officers and other employees of the Commission may be asked to work before or after office hours if it is necessary and expedient to do so.

(4) Other holidays of the Commission will be the same as those of the Uttar Pradesh Public Service Commission.

Chapter – IV

Qualification (Qualifications of Teacher/Instructor)

Nationality

20. For direct recruitment to a post of teacher or instructor, it shall be necessary that the candidate must be:

(i) a citizen of India; or

(ii) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(iii) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (ii) will also be required to obtain a certificate of eligibility issued by the Deputy Inspector-General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh:

Provided further that if a candidate belongs to category (iii) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note:-A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to the interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favor.

Age

21. (1) The age of the candidate for selection to any post of Teacher or Instructor shall be as on the 1st day of July of the calendar year in which the vacancies are advertised by the Commission, as the case may be, in accordance with the relevant Acts / Service Rules / University Statutes / Instructions issued from time to time by the State Government.

(2) In the case of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other such categories of Uttar Pradesh, the upper age limit will be higher by such number of years as may be specified by the Government.

Educational Qualifications/ Reservation/ Requisition for the Candidates

22. The qualifications of the candidates for selection to a post shall be as per the relevant Acts / service rules / University Statutes in force at that time. The Authorized Officer will decide on the reservation and the requisition of posts to be filled.

Character

23. For selection to a post of teacher or instructor, the character of a candidate shall be such as to render him suitable in all respects for employment in an educational institution. The Commission shall satisfy itself on this point.

Note.-Persons dismissed by the Union Government or a State Government or a Local Authority or by a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or any State Government shall not be eligible for appointment. Persons convicted of an offence involving judicial insolvency and moral turpitude shall also not be eligible.

Marital Status

24. No person-

(a)who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living, or

(b)who, having a spouse living, has entered into contracted marriage with a person.shall be eligible for appointment.

Physical Fitness

25. (1) No candidate shall be eligible for selection to the post of a teacher or instructor, as the case may be, unless he is in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties.

(2) Before a candidate is finally selected for appointment, he shall be required by the Commission to produce a medical certificate of fitness from the Medical Officer of any Government hospital or Primary Health Center.

Prohibition to Appoint a Male Candidate in a Girl/Women's Institution

26. No male candidate shall be eligible for appointment to the post of a teacher or instructor in any girls/women's institution.

Chapter –V

Procedure of Recruitment

Source of recruitment

27. The sources of recruitment in different categories of teachers shall be the same as mentioned in the respective Acts/Service Rules/University Statutes.

Determination and Notification of Vacancies

28. (1) For the purpose of direct recruitment, the Appointing Authority or Management or Authorized Officer shall determine the number of vacancies in accordance with sub-section (1) of section 10 of the Act and notify the vacancies through the Director (Higher Education) or the Director (Secondary Education) or the Director (Basic Education) or the Director (Training and Employment) or the Director General of Atal Residential Schools, as the case may be, to the Commission in the manner hereinafter provided.

(2) The statement of vacancies for each category of post to be filled in by direct recruitment, including the vacancies that are likely to arise due to retirement on the last day of the year of recruitment, shall be sent by the Appointing Authority or Management or Authorized Officer by July 15 of the year of recruitment to the Authorized Officer under sub-rule (1), and the Authorized Officer shall, after verification from the record of his office, prepare consolidated statement of vacancies regarding the vacancies of each category of post, subject-wise and reserved category-wise. The consolidated statement so prepared shall be sent by the Authorized Officer to the Commission by July 31 of the same year of recruitment:

Provided that if the State Government is satisfied that it is expedient to do so, it may, by order in writing, fix other dates for notification of vacancies to the Commission in respect of any particular year of recruitment.

(3) If, after the vacancies have been notified under sub-rule (2), any vacancy in the post of a teacher or instructor occurs, the Appointing Authority or Management or Authorized Officer shall, within fifteen days of its occurrence, notify the Authorized Officer in accordance with the said sub-rule and the Authorized Officer shall within ten days of its receipt by him send it to the Commission.

(4) Where, for any year of recruitment, the Appointing Authority or Management or Authorized Officer does not notify the vacancies by the date specified in sub-rule (2) or fails to notify them in accordance with the said sub-rule, the Authorized Officer shall on the basis of the record in his office, determine the vacancies in such institution in accordance with sub-section (1) of section 10 of the Act and notify them to the Commission in the manner and by the date referred to in the said sub-rule.

Explanation: The vacancies notified to the Commission under this sub-rule shall be deemed to be notified by the Appointing Authority or Management or Authorized Officer of such institution.

(5) The posts of notified vacancies shall not be filled by a single transfer:

Provided that in special circumstances, if a single transfer is necessary, then it will be necessary to bring the said process to the notice of the Commission as soon as possible, and the vacant posts as a result of the single transfer will be considered included in the posts notified by the Director, and this vacancy will also be covered by the same selection process. After the commencement of the selection process, no single transfer will be done under any circumstances.

Notification of Vacancies and Submission of Application Forms

29. (1) The Commission shall, in respect of the vacancies to be filled by direct recruitment, advertise the vacancies, including those reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and other reserved categories as applicable to Government service from time to time, in at least two daily newspapers, having wide circulation in the State and will invite online applications to be considered for selection. The Commission shall also display such notification on its website.

(2) If the process of selection against the advertised posts is not started within three years, then the said advertisement can be cancelled by the Commission and the Commission will have the right to advertise it again.

(3) For the selection of teachers in minority institutions, advertisement for vacancies shall be published separately and in their selection process, one expert representative from minority community shall be additionally placed on the Interview Board.

Procedure of Selection

30. (1) The Commission shall scrutinize the applications and in respect of the post of teacher and instructors shall conduct written examination. The written examination shall consist of one objective type question paper (General Knowledge and related optional subject) of two hours duration. 90 percent of the total marks will be for written examination and 10 percent of total marks will be for interview. Where there will be no interview, there will be 100% marks for the written test. The total marks will be decided by the Commission.

(2) As far as possible, the centers for conducting written examination shall be fixed in district headquarters only and the invigilators shall be paid honorarium at such rate as the Commission may fix.

(3) The examination centers for the written examination will be determined according to the **Government Order No. 15/24/2018- Ka-4-2018 dated November 20, 2018** of the Department of Appointment and Personnel and the instructions issued by the State Government from time to time.

(4) For selection to the post of Principal of undergraduate and postgraduate colleges, a merit-wise selection list will be issued by consolidating the marks in written test, Academic Performance Index (API) marks, and interview marks. There will be one objective-type question paper (General Knowledge and Administrative Aptitude) for the written test. API will be calculated under the amended standards of the University Grants Commission.

(5) The Commission shall evaluate the answer sheets through an examiner to be appointed by the Commission or through Computer and the examiner shall be paid an honorarium at the rate to be fixed by the Commission.

(6) Where an interview is necessary, 10 percent marks will be kept for the interview. The guiding principles for interview marks will be general knowledge, personality test, and ability of expression.

(7) The number of candidates to be called for interview from among the candidates who passed the written examination will be 3 to 5 times the number of vacancies, as the Commission may consider appropriate, all the candidates obtaining the final score (cut-off) will be invited for the interview.

(8) In consultation with the subject experts in the Interview Board, marks will be given by the Chairman of the Interview Board.

(9) In order to maintain the fairness and sanctity of the selection, the marks of the candidates shall not be disclosed before the final result of the selection process.

(10) For the posts of teacher or instructor, where an interview is necessary the Commission will add the marks obtained in the written examination and interview; and where only the written examination is to be held the Commission will consider marks obtained in the written examination only and shall prepare a panel of those found most suitable in the order of merit as per the advertisement. If more than one candidate has the same merit, then in such a situation, the marks of the written examination will be considered first and in case the marks of the written examination are also the same, then the marks obtained in the interview will be considered. If the marks are still the same, then the maximum percentage of compulsory qualification / Ph.D. and J.R.F., N.E.T. and Ph.D., J.R.F., N.E.T., Ph.D. will be considered, and if all are equal still, then marks of postgraduate will be considered. If the percentage of marks in written test, interview, and essential qualifications are the same, then the name of the candidate who is older will be placed higher.

Intimation of Names of Selected Candidates

31. (1) The Commission will forward the panel prepared as per sub-rule (10) of rule 31 against the advertised vacancies to the Authorized Officer sending the requisition. The Authorized Officer will send it to the Appointing Authority or Management or any officer of the institution authorized in this behalf, after allotting the institution. The institution allotment will be done by the Authorized Officer in the following manner:-

(a) by displaying the information of notified vacancies on the departmental website, the online preference of five institutions will be taken from the candidates named in the panel;

(b) the candidate whose name is at the top of the panel will be allotted to the institution of first preference given by him. Where a selected candidate cannot be allotted the institutes of his preference on the ground that such institutes have already been allotted to the candidates ranked higher than him in the panel and that there is no vacancy among them, the Authorized Officer may allot him to any institute which he may deem fit;

(2) (a) The Authorized Officer shall, as per clause (b) of sub-rule (1) of rule 29, forward the list along with the names of the institutions allotted to the selected candidates to the Appointing Authority or the Management or the Authorized Officer.

(b) The Appointing Authority or the Management or the Authorized Officer shall inform the Director about compliance within one month of the receipt of the recommendation sent by the Authorized Officer.

(c) The Appointing Authority shall intimate the name of the selected candidate to the Appointing Authority or Management or Authorized Officer of the institution which has notified the vacancy, with the direction that on an authorization under a resolution of the Appointing Authority or Management or Authorized Officer, an order of appointment, be issued to the candidate by registered post.

(3) The order of appointment shall be sent to the candidate with the direction to report to the Appointing Authority or Management or Authorized Officer within fifteen days of the receipt of the order of appointment by him from the Appointing Authority or Management or Authorized Officer or within such extended time, not exceeding 30 days from the date of receipt of the order of appointment through registered post, as may be allowed to him, by the Appointing Authority or Management or Authorized Officer; and also intimating him that on his failure to join within the specified time, his appointment shall be liable to be cancelled.

(4) The Appointing Authority or the Management or the officer of the Institution authorized in this behalf shall also send a copy of such appointment letter to the Authorized Officer by registered post and e-mail.

(5) The Director shall monitor and ensure that the candidate selected by the Commission joins the institution within the specified time, and for this purpose he may issue such directions to the Appointing Authority or the Management or the Authorized Officer as he may deem appropriate.

(6) Where the candidate selected by the Commission could not join the allotted institution due to erroneous requisition or appointment of a dependent of an employee dying in harness or any order of the Hon'ble Supreme Court or High Court or abolition of the post, then the following procedure will be followed for adjustment of such candidate:-

(a) such a selected candidate will have to submit his representation to the Director, mentioning the reasons for not taking charge;

(b) the Director shall, after detailed inquiry on the representation submitted by the candidate, fix responsibility against the responsible institution or Appointing Authority for sending erroneous requisition and send a report to the Commission along with his recommendation for adjustment of the selected candidate;

(c) on the basis of the report and recommendation of the Director, the Commission shall adjust the selected candidate against the non-advertised requisition and shall send, after adjustment, the selected panel/list to the Director of the concerned department.

(d) on the basis of the panel/list sent under clause (c), of sub-rule (4), the Director of the concerned department will direct the Appointing Authority to give charge to the selected candidate as per the provisions of section 11 of the Act.

Chapter-VI
Written Test, Interview and Other Miscellaneous Tasks

Written Test and Interview

32. (1) It will be mandatory for the candidates invited for an interview, on the basis of written examination, to be given a minimum 40 percent marks out of the prescribed marks for the interview, and as far as possible maximum marks can be given up to 90 percent.

(2) From the successful candidates in the written examination, the number of candidates to be interviewed in one board in a day and the number of boards to be conducted daily will be decided by the Examination Committee as may be necessary.

List of Examiners and Paper-Setters, etc.

33. (1) The Chairman of the Examination Committee shall prepare for every subject, a list of persons qualified for appointment as examiners and submit the same for the approval of the Commission. Such list shall be revised at least once in every three years:

Provided that any person included in the previous list shall be eligible for inclusion in the revised list.

(2) The list referred to in sub-rule (1) shall contain, as far as possible, information about the persons included therein with regard to their academic qualifications, designation and teaching experience at the postgraduate level or professional experience, and the particulars of the earlier examinations conducted by the Commission in which they acted as examiners.

(3) The Chairman of the Examination Committee shall, with the prior approval of the Commission, appoint Paper Setters and Moderators from amongst the persons included in the list referred to in sub-rule (1).

(4) In making such appointments, every care shall be taken to ensure that no person is so appointed who has been found guilty of misconduct by any University, Government, or Government Body or against whom any inquiry or investigation is pending on the allegations of misconduct, or whose integrity is doubtful. Any person, whose work as Head Examiner, Paper Setter, or Evaluator is found to be unsatisfactory by the Commission shall not be reappointed for that purpose.

Setting, Moderation and Printing of Question Paper

34. (1) Each question paper shall be set by three different question Paper Setters who shall not belong to the same place.

(2) The sealed question papers received from the question Paper Setters will be kept in the custody of the Chairman of the Examination Committee.

(3) The sealed envelopes containing question papers received from three Paper Setters shall be handed over to the concerned Moderators by the Chairman of the Examination Committee against a receipt.

(4) The Moderators shall moderate all the three question papers, place them in separate covers under their seal without making any mark of identification on the cover, and hand them over to the Chairman of the Examination Committee against a receipt.

(5) The Chairman of the Examination Committee shall choose any of the two moderated question papers of a subject without opening the sealed covers and send it as such to the printing press, which shall be responsible for printing the question papers including the proof-reading, and for preparing packets of question papers for all examination centers under its seal, in accordance with information furnished by the Examination Committee.

(6) The printing press and the Chairman shall be responsible for maintaining the secrecy of the question papers, and the Chairman of the Examination Committee shall issue necessary directions and take necessary precautions to ensure such secrecy.

Printing of O.M.R. Sheet and Evaluation of Answer Sheets

35. (1) On the decision of the Commission to conduct offline examination, the printing of O.M.R. sheets and evaluation of answer sheets will be done separately by a reputed agency outside the State of Uttar Pradesh. While appointing of such agency special care will be taken that the said agency is registered and has a good reputation and no adverse facts have been found against it in any State.

(2) The said agency shall be appointed by the senior-most Member of the Examination Committee (other than the Chairman) which shall be bound to comply with all directions given by the senior-most Member and all responsibility relating to the confidentiality of that work shall lie with the institution and the senior-most Member.

(3) Printing of O.M.R. sheets, evaluation of answer sheets, and other works will be done by the above-appointed organization and the relevant form will be provided by the organization to the senior-most Member of the Examination Committee in a sealed envelope.

(4) The Commission shall be at liberty to determine and set its own procedure in respect of the examinations which it decides to conduct online.

Canvassing

36. No recommendation, whether written or oral, other than those required under the rules applicable to a post, shall be considered. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for himself shall disqualify him for appointment.

Fees

37. (1) Each candidate shall pay to the Commission such fee for selection or interview as may be determined by the Commission from time to time with the prior approval of the State Government.

(2) The examination fee shall be payable online or by undersigned postal order or bank draft payable to the Secretary of the Commission, or as may be detailed by the Commission.

Conduct of Examination

38. (1) All arrangements for the conduct of examinations shall be made in accordance with such instructions as may be issued by the Commission in this behalf.

(2) The Commission shall be responsible for the proper and timely conduct of such examinations and for maintaining their confidentiality.

(3) All contracts relating to examinations shall be in writing and all documents and records relating to examinations shall be kept in the personal custody of the Controller of Examinations.

By order,
M.P. AGARWAL,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 803 राजपत्र–2023–(2299)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 10 सा0 शिक्षा–2023–(2300)–1000 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)

803 RPH (Siksha Folder) Niyamawali-5-2023 data 7e

म-संख्या–187

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 3 नवम्बर, 2023
कार्तिक 12, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा अनुभाग–2

संख्या 872/24-पी–2–2023-63(नियुक्ति)-2011
लखनऊ, दिनांक 3 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

प0आ0–522

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1999) की धारा 23 की उपधारा (4), (5), (6), (7) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003, (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) की धारा 131 की उपधारा (4), (5), (6), धारा 133 और अन्य लागू उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) और जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (जवाहरपुर वीयूएनएल) के उपक्रमों सहित कृत्यों और उपक्रमों का यूपी जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीजेवीएनएल) में समामेलन व विलयन के माध्यम से अंतरण और निहित करने के प्रयोजन उससे सम्बन्धित आनुषंगिक तथा प्रासंगिक मामलों के लिए एवं उन निबन्धन और शर्तों को अवधारित करने के लिए जिन पर ऐसे अन्तरण या निहित या पुनर्निहित किया जाएगा, एतद्द्वारा निम्नलिखित योजना बनाती हैं :–

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (राज्य उत्पादन कंपनियों का समामेलन और विलयन) योजना, 2023

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1–(1) यह योजना उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (राज्य उत्पादन कंपनियों का समामेलन और विलयन) योजना, 2023 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा और यह राज्य के बाहर जहाँ कहीं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और यू0पी0 जल विद्युत निगम लिमिटेड के कृत्यों, संपत्तियों, हितों, अधिकारों, दायित्वों, बाध्यताओं, कार्यवाहियों और कार्मिकों पर भी लागू होगी।

(3) यह सरकारी गजट में इसकी अधिसूचना के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएँ

2–(1) जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस योजना में:–

(क)''अधिनियम'' का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) से है;

(ख) ''आस्तियों'' में उत्पादन स्टेशन, संयंत्र, मशीनरी, संबंधित ट्रांसमिशन लाइन सहित उपकरण, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, स्विच यार्ड, केबल, प्रसुविधाएं, टावर, मीटर, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और जलाशय, बांध और हाइड्रोलिक कार्य, पुर्जे, उपभोज्य, कच्चा माल, ईंधन, सिविल कार्य प्रतिष्ठापन, प्रगतिशील कार्य, स्क्रैप और भूमि, भवन, कार्यालय, स्टोर, फर्नीचर, फिक्चर्स, वाहन, आवासीय क्वार्टर, अतिथि गृहों एवं उनसे सम्बन्धित सुख सुविधाएं तथा प्रतिष्ठापन, अन्य जंगम एवं स्थावर आस्तियां आदि सम्मिलित हैं।

(ग) ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से है;

(घ) ''अन्तरण का प्रभावी दिनांक'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के अधीन कृत्यों और उपक्रमों के समामेलन और विलयन के माध्यम से अन्तरण और निहित करने के लिए यथा अधिसूचित दिनांक 01–04–2022 से है;

(ङ) ''जवाहरपुर वीयूएनएल'' का तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ के अंतर्गत सीआईएन यू 40102 यूपी 200 एसजीसी 038142 के साथ एक सरकारी कंपनी जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 से है।

(च) ''दायित्वों'' में दायित्व, ऋण, देयक, बाध्यतायें और कानूनी दायित्व और किसी भी प्रकृति के सरकारी उद्ग्रहण और आकस्मिक दायित्व सहित अन्य जावक/बकाया सम्मिलित होंगे जो अन्तरण के प्रभावी दिनांक से पहले लेन–देन के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं;

(छ) ''कार्मिक'' का तात्पर्य कर्मचारिवृन्द, कामगार, कर्मचारी, अधिकारी और प्रबंधक चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों, से है और इसमें वे लोग सम्मिलित होंगे जो अन्य संगठनों या संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर हैं;

(ज) ''कार्यवाही'' में किसी भी प्रकृति की समस्त कार्यवाहियां, वाद, अपील, शिकायत, याचिकाएं, आवेदन, सुलह संबंधी कार्यवाहियां, मध्यस्थता या कोई अन्य कार्यवाही चाहे वह दीवानी हो या आपराधिक या अन्यथा, सम्मिलित होंगी;

(झ) ''संपत्ति'' का तात्पर्य बिजली प्रणालियों, बांधों, सुरंगों, जल संवाहक प्रणालियों के ग्रहण और निकास संरचनाओं, उत्पादन स्टेशन के साथ सहयुक्त संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, पारेषण टावरों, लाइनों, ट्रांसफार्मर, ब्रेकरों, भूमि, भवन, कार्यालयों, स्टोर, प्रतिष्ठापन, फर्नीचर, फिक्चर्स, वाहन, आवासीय क्वार्टर तथा अतिथि गृहों और उससे संबंधित सुख–सुविधाएं तथा प्रतिष्ठापन और अन्य जंगम एवं स्थावर आस्तियां, हाथ में नकदी, बैंक में नकदी, निवेश, पुस्तकीय ऋण–भौतिक और अभौतिक, मूर्त और अमूर्त आस्तियां , प्रसुविधायें, सहमति, प्राधिकार, रजिस्ट्रीकरण, पेटेंट, व्यापार चिन्ह और प्रत्येक प्रकार की शक्तियाँ, जिनकी प्रकृति और विवरण कुछ भी हो, विशेषाधिकार, स्वतंत्रता, सहजता, सहूलियतें, अनुमोदन, संविदायें, विलेख, योजनाएँ, बन्ध–पत्र, करार और अन्य लिखत तथा ब्याज चाहें किसी भी प्रकृति के और कहीं भी स्थित हों, को सम्मिलित करते हुए समस्त आस्तियों से है;

(ञ) ''परिणामी इकाई'' या ''समामेलित इकाई'' का तात्पर्य इस योजना के अधीन राज्य उत्पादन कंपनियों के समामेलन और विलयन के पश्चात् की इकाई अर्थात, यूपीजेवीएनएल से है;

(ट) ''अनुसूची'' का तात्पर्य इस योजना से संलग्न अनुसूचियों से है;

(ठ) ''योजना'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (राज्य उत्पादन कंपनियों का समामेलन और विलयन) योजना, 2023 से है;

(ड) ''राज्य'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;

(ढ) ''राज्य उत्पादक कंपनियों'' का तात्पर्य यूपीजेवीएनएल, यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल से होगा;

(ण) ''राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(त) ''सेवांत प्रसुविधाएं'' का तात्पर्य उपादान, पेंशन, महंगाई भत्ता, अवकाश नकदीकरण और अन्य लागू प्रसुविधाओं से है, जिसमें यूपीआरवीयूएनएल, यूपीजेवीएनएल, जवाहरपुर वीयूएनएल में प्रचलित प्रथा के अनुरूप उपरोक्त प्रसुविधाओं में समुचित पुनरीक्षण करने का अधिकार सम्मिलित है;

(थ) ''उपक्रम'' का तात्पर्य कृत्यों तथा क्रियाकलापों, आस्तियों, दायित्वों, बाध्यताओं, कार्यवाहियों और उससे संबंधित कार्मिकों की कारबार इकाई से है;

(द) ''उत्तर प्रदेश सुधार अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1999) से होगा;

(ध) ''यूपीजेवीएनएल'' का तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थान्तर्गत सीआईएन यू31901यूपी1985एसजीसी007135 के साथ एक सरकारी कंपनी उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 से है;

(न) ''यूपीआरवीयूएनएल'' का तात्पर्य, कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थान्तर्गत सीआईएन यू 40101 यूपी 198 एसजीसी 005065 के साथ एक सरकारी कंपनी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से है।

(2) इस योजना में प्रयुक्त और इस योजना में अपरिभाषित किन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 या उत्तर प्रदेश सुधार अधिनियम, 1999 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियमों में उनके लिये समनुदेशित हैं।

3–यूपीजेवीएनएल में यूपीआरवीयूएनएल व जवाहरपुर वीयूएनएल का समामेलन, विलयन और निहित किया जाना–

एक–इस योजना के उपबंधों के अध्यधीन और अन्तरण का प्रभावी दिनांक यथा दिनांक 01–04–2022 से, समस्त आस्तियों, दायित्वों, संपत्तियों, कार्यवाहियों और कार्मिकों के साथ–साथ यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल के कृत्य और उपक्रम राज्य सरकार, यूपीजेवीएनएल, यूपीआरवीयूएनएल या जवाहरपुर वीयूएनएल सहित किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा अग्रतर किए जाने वाले किसी भी कार्य, विलेख या बात के बिना, समस्त आशयों और प्रयोजनों हेतु समामेलन और विलयन के माध्यम से अन्तरित और यूपीजेवीएनएल में निहित होंगे।

दो–उप–खंड (1) के अधीन उपक्रमों का अन्तरण और निहित होना, इस अन्तरण योजना के निबन्धन में, समस्त आशयों और प्रयोजनों हेतु जहां है, जैसा है आधार पर और एक चालू व्यवसाय के रूप में राज्य सरकार या यूपीजेवीएनएल, यूपीआरवीयूएनएल या जवाहरपुर वीयूएनएल या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकार द्वारा अग्रतर किये जाने वाले किसी कार्य, विलेख या बात के बिना उपक्रमों का समामेलन और विलयन होगा।

तीन–इस योजना के अधीन उपक्रमों और परिणामी इकाई का समामेलन, विलयन, अन्तरण और निहित किया जाना इस योजना को अधिसूचित करने वाली उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की कार्यवाही के अनुसार संचालित और प्रभावी होगा और राज्य सरकार या यूपीजेवीएनएल, यूपीआरवीयूएनएल या जवाहरपुर वीयूएनएल या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकार यूपीजेवीएनएल, यूपीआरवीयूएनएल या जवाहरपुर वीयूएनएल के लेनदारों या अन्य व्यक्तियों सहित बिना किसी और कार्य, विलेख या बात के किया जाएगा।

चार–अन्तरण के प्रभावी दिनांक पर कृत्यों और उपक्रमों के समामेलन, विलयन, अन्तरण और निहित होने पर, निम्नलिखित प्रभावी होंगे:

(क) परिणामी इकाई अर्थात् यूपीजेवीएनएल उक्त प्रयोजन हेतु कंपनी रजिस्ट्रार के पास आवश्यक घोषणा दाखिल करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगा।

(ख) यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल समापन के बिना समाप्त हो जाएंगे और परिणामी इकाई, यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल, आवश्यक घोषणा दाखिल करेंगे एवं यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल का समापन किए बिना ऐसे परिसमापन हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रदान की गई औपचारिकताओं का अनुपालन करेंगे।

(ग) अन्तरण के दिनांक से परिणामी इकाई यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल के उपक्रमों के संबंध में या लागू सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का उपयोग करने की हकदार होंगी और भू–किराया सहित सभी करों और प्रभारों के संदाय हेतु दायी होगी और सभी बाध्यताओं को पूरा करेगी।

(घ) परिणामी इकाई, इस अधिसूचना के अनुसरण में समुचित प्राधिकारियों द्वारा परिणामी इकाई के नाम पर लागू की जाने वाली और बनाई जाने वाली और सम्यक रूप से अभिलिखित की जाने वाली संपत्तियों, आस्तियों और हितों के लिए हक के नामांतरण/प्रतिस्थापन की हकदार होगी।

(ङ) समस्त ऋणों, दायित्वों, समाश्रित दायित्वों, कर्तव्यों और बाध्यताओं, सुरक्षित या असुरक्षित, चाहे यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल की लेखा पुस्तकों में उपबंध किया गया हो या नहीं या तुलन–पत्र में प्रकट किया गया हो, को परिणामी इकाई समझा जाएगा और परिणामी इकाई द्वारा उसका सम्यक निर्वहन किया जाएगा।

(च) क्रयकर्ताओं के साथ यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल द्वारा किए गए विद्युत क्रय करारों सहित सभी संविदाओं, विलेखों, बन्ध–पत्रों, करारों, योजनाओं, व्यवस्थाओं और किसी भी प्रकृति के अन्य लिखितों और यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल के संबंध में कार्मिकों की सेवाओं के उपबंध के लिए की गईं अन्य संविदायें या जिसके लिए यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल एक पक्षकार है या जिसके लाभ के लिए यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल पात्र हो सकते हैं, और जो अन्तरण की प्रभावी दिनांक से ठीक पहले अस्तित्व में हैं या प्रभावी हैं, के विरुद्ध पूरी शक्ति और प्रभाव में रहेंगे या परिणामी इकाई के पक्ष में और पूरी तरह से और प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है मानो, यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल, यथास्थिति, के स्थान पर परिणामी इकाई एक पक्षकार या लाभार्थी या उससे उपकृत थी।

(छ) क्रयकर्ताओं के साथ किए गए विद्युत क्रय करारों के अधीन यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल के समस्त अधिकार और बाध्यतायें अन्तरण के प्रभावी दिनांक से परिणामी इकाई में अन्तरित और निहित माने जाएंगे और क्रयकर्ता क्रय करेंगे और समझा जाएगा कि उन्होंने परिणामी इकाई से विद्युत क्रय की है।

(ज) यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल द्वारा किसी तीसरे पक्षकार को किसी कर का समनुदेशन/उद्ग्रहण आस्थगन के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले किन्ही भी समाश्रित दायित्वों को परिणामी इकाई समझा जाएगा।

(झ) यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल द्वारा या उनकी ओर से किये गये समस्त पट्टे या अन्य समान करार और उनके संबंध में किए गये अन्य सभी करार बिना किसी और कार्य या विलेख के परिणामी इकाई को सौंपे और अन्तरित किए जाएंगे और उसमें निहित होंगे, जैसे कि परिणामी इकाई उसका एक पक्ष है, और परिणामी इकाई समस्त अधिकारों और विशेषाधिकारों का प्रयोग करने की हकदार होगी और तद्धीन समस्त बाध्यताओं को पूरा करने के लिए दायी होगी।

(ञ) यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल के संबंध में समस्त परमिट, कोटा, अधिकार, हकदारी, लाइसेंस सहित, किन्तु व्यापार चिन्ह, किरायेदारी, पेटेंट, कॉपी राइट, विशेषाधिकार, शक्तियां, प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं और किसी भी प्रकृति के विवरण लेकिन इन तक ही सीमित नहीं या जिसके लिए यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल पक्षकार हैं, या जिनके प्रसुविधा के लिए यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल पात्र हो सकते हैं, वे पूर्णतः और प्रभावी रूप से प्रवर्तनीय होंगे जैसे कि, यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल के स्थान पर, परिणामी इकाई एक पक्षकार या लाभार्थी या इसके लिए उपकृत थी।

(ट) यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल का संचालन करने के लिए, या यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल को स्वीकृत की गई, कोई कानूनी लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनुदान, रियायतें, छूट, अनुमतियां या अनुमोदन या अपेक्षित सहमतियां जिसमें उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर, जीएसटी, व्यावसायिक कर, संविदा श्रम रजिस्ट्रीकरण सम्मिलित है, लेकिन इतने तक ही सीमित नहीं है, इस अधिसूचना के अनुसरण में, उपक्रमों के निहित होने के साथ–साथ आगे के कार्य या विलेख के बिना परिणामी इकाई में निहित या अन्तरित हो जाएगा।

(ठ) यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल का संचालन करने के लिए अपेक्षित समस्त कानूनी और नियामक अनुमतियों, अनुमोदनों या सहमतियों का लाभ, इस योजना के अनुसरण में परिणामी इकाई में निहित और उपलब्ध होगा।

(ड) यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल द्वारा या उसके विरुद्ध किसी भी प्रकृति के समस्त वाद, दावे, कार्रवाईयां और कार्यवाहियां अन्तरण के प्रभावी दिनांक पर या उससे पहले लंबित और/या संस्थित किए गए इस अधिसूचना में यथा उपबंधित अन्तरित या निहित कृत्यों और उपक्रमों के कारण न तो कम होंगे और न ही किसी भी तरह से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे, और इसे जारी रखा जाएगा तथा परिणामी इकाई द्वारा और/या उसके विरुद्ध प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा जैसे कि वह यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल द्वारा या उसके विरुद्ध लंबित रहा हो और/या उसके विरुद्ध उत्पन्न हुआ हो और/या संस्थित किया गया हो।

(ढ) परिणामी इकाई अपने कर विवरणी को दाखिल/पुनरीक्षण करने और यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल द्वारा सुसंगत आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, जीएसटी या किसी अन्य कर विधि, चाहे किसी अंतर–कंपनी संव्यवहार के कारण उत्पन्न हों या नहीं, के अधीन संदत की गई समस्त धनराशियों को प्रतिदाय/प्रत्यय का दावा करने और/या सेट ऑफ करने की हकदार होगी। कर विवरणी में इस तरह के पुनरीक्षण करने और प्रतिदाय/प्रत्यय का दावा करने का अधिकार परिणामी इकाई के पक्ष में स्पष्ट रूप से आरक्षित है। अन्तरण के प्रभावी दिनांक से, यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल द्वारा संदेय समस्त करों सहित समस्त या किसी भी दावे के प्रतिदाय को परिणामी इकाई की कर दायित्व या प्रतिदाय/दावे, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में माना जाएगा।

(ण) अन्तरण के प्रभावी दिनांक से और उस समय तक जब तक सुसंगत बैंक की बहियों और अभिलेखों में यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल के समस्त बैंक खातों के संबंध में खाताधारक के रूप में परिणामी इकाई का नाम दर्ज किया जाता है, परिणामी इकाई यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल के बैंक खातों को संचालित करने की हकदार होगी।

(त) इस योजना के प्रभावी होने पर, इसके उपबंधों के अनुसार अन्तरण की प्रभावी दिनांक को परिणामी इकाई की उधार सीमा, परिणामी इकाई की ओर से किसी और कार्य या विलेख के बिना, यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल की उधारी द्वारा बढ़ाई जाएगी, और यदि अपेक्षित हो, तो कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार अंशधारकों का अनुमोदन प्राप्त करके परिणामी इकाई द्वारा इन सीमाओं को समय–समय पर बढ़ाया जा सकता है।

(थ) अन्तरण के प्रभावी दिनांक से पूर्व बैंकरों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल को अग्रिम समस्त ऋण और अन्य स्वीकृत सुविधाएं जो आंशिक रूप से आहरित/उपयोग की जाती हैं, परिणामी इकाई को स्वीकृत ऋण/अग्रिम/सुविधाएं बन जाएंगी और उक्त ऋण एवं अग्रिम, अन्तरण के प्रभावी दिनांक से यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल द्वारा या तो आंशिक या पूर्ण रूप से आहरित/उपयोग किया जाएगा और यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल द्वारा आहरित सभी ऋण/अग्रिम और/या अन्य सुविधाओं को अन्तरण के प्रभावी दिनांक को और परिणामी इकाई को उपलब्ध कराए गए अग्रिम और ऋण के रूप में माना जायेगा और उक्त खातों में कोई भी अवशेष परिणामी इकाई को अन्तरित कर दी जाएगी और किसी भी ऋण करार के अधीन यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल या परिणामी इकाई या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी और कार्य या विलेख के बिना यूपीआरवीयूएनएल और जवाहर वीयूएनएल की समस्त बाध्यतायें मानी जाएंगी और परिणामी इकाई की बाध्यतायें बन जाएंगी ।

(द) इस योजना के प्रभावी होने पर, परिणामी इकाई समस्त धन वसूल करने और यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल के संबंध में सभी लंबित संविदाओं और संव्यवहारों को परिणामी इकाई के नाम पर पूरा करने और प्रवर्तित करने की हकदार होगी जहाँ तक यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल के अधिकारों और बाध्यताओं के अन्तरण हेतु आवश्यक हो।

लेखा व्यवहार

4–(1) परिणामी इकाई में उपक्रम के अन्तरण और निहित एवं परिणामी समामेलन तथा विलयन का लेखांकन भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी ''भारतीय लेखा मानक 103: कारबार संयोजन'' में यथा अन्तर्विष्ट लेखांकन की ब्याज पद्धति की पूलिंग को लागू करके किया जाएगा।

(2) परिणामी इकाई इस योजना के अनुसरण में इसमें निहित यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल की आस्तियों और दायित्वों को अन्तरण के दिनांक के अनुसार उनके पुस्तक मूल्य पर अभिलिखित करेगी।

(3) यूपीजेवीएनएल और यूपीआरवीयूएनएल/जवाहरपुर वीयूएनएल के मध्य इंटर–कॉरपोरेट ऋण या अतिशेष की सीमा तक, उसके संबंध में दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा और किन्हीं भी आस्तियों या दायित्वों की, यथास्थिति, कमी के लिए लेखा पुस्तकों और परिणामी इकाई के अभिलेख में तदनुरूपी प्रभाव दिया जाएगा। अंतरण की प्रभावी दिनांक से ऐसे किसी भी अंतर–कंपनी ऋण या अतिशेष के संबंध में कोई ब्याज या अन्य प्रभार का प्रोद्भवन नहीं होगा।

(4) उपरोक्त के होते हुए भी, परिणामी इकाई अपने लेखा परीक्षकों के परामर्श से इनमें से किसी भी अतिशेष को किसी भी तरीके से लेखों में रखने के लिए प्राधिकृत है, यदि इसे अधिक समुचित माना जाता है।

(5) सभी तीनों कंपनियों यूपीआरवीयूएनएल, जवाहरपुर वीयूएनएल और यूपीजेवीएनएल की प्राधिकृत अंश पूंजी को परिणामी इकाई की कुल प्राधिकृत अंश पूंजी के रूप में संकलित किया जाएगा।

(6) परिणामी इकाई की निर्गत, अभिदत्त और समादत्त पूंजी परिणामी इकाई की आस्तियों और दायित्वों का शुद्ध होगी और इस योजना की अनुसूची क में यथा उपबंधित ऐसी निर्गत पूंजी का प्रतिनिधित्व करने वाले अंश, कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन अंशधारकों की न्यूनतम संख्या रखने के लिए राज्य सरकार और राज्य सरकार द्वारा छह नामनिर्देशितियों के नाम से जारी किए जाएंगे।

कार्मिकों का स्थानांतरण

5–एक–कार्मिकों का स्थानांतरण अधिनियम की धारा 133 और अन्य लागू उपबंधों में अंतर्विष्ट निबंधन और शर्तों के अध्यधीन होगा।

दो–स्थानांतरण के प्रभावी दिनांक के अनुसार जवाहरपुर वीयूएनएल में प्रतिनियुक्त कर्मियों सहित यूपीआरवीयूएनएल के कार्मिकों को उन्हीं निबन्धन और शर्तों पर परिणामी इकाई में स्थानांतरित किया जाएगा जो स्थानांतरण से ठीक पहले लागू होते। यूपीआरवीयूएनएल के कार्मिक स्थानान्तरण के प्रभावी दिनांक से पूर्व विद्यमान अपने सम्बन्धित संवर्ग को स्थानान्तरण के प्रभावी दिनांक के बाद भी यूपीजेवीएनएल में स्थानान्तरण के प्रभावी दिनांक से पूर्व विद्यमान कार्मिक के संवर्ग से पृथक बनाये रखेंगे।

तीन–इस तरह के स्थानान्तरण पर और अधिनियम के उपबंधों व इस योजना के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, कार्मिक, परिणामी इकाई का एक हिस्सा बनेंगे, लेकिन उनकी रैंक, वेतनमान और पारस्परिक वरिष्ठता क्रमशः जैसा कि यूपीआरवीयूएनएल में स्थानांतरण के प्रभावी दिनांक को थी उसे परिणामी इकाई में बनाए रखा जाएगा और स्थानान्तरण के प्रभावी दिनांक को सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य सुविधाएं किसी भी तरह से क्रमशः यूपीआरवीयूएनएल में विद्यमान कार्मिक से कम नहीं की जायेंगी।

चार–कार्मिकों का स्थानांतरण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थातः–

(1) यह कि कार्मिक तब तक स्थानांतरण के प्रभावी दिनांक को विद्यमान लागू नियमावली और विनियमावली द्वारा शासित होंगे, जब तक कि विधि कानून के अनुसार परिवर्तित या पुनरीक्षित नहीं किया जाता है;

(2) स्थानांतरण के आधार पर कार्मिकों के लिए लागू सेवाओं की निबंधन और शर्तें किसी भी तरह से स्थानांतरण दिनांक से ठीक पहले जो उन पर लागू हैं से कम अनुकूल या कमतर नहीं होंगी। तद्नुसार स्थानान्तरण के प्रभावी दिनांक पर लागू सेवान्त लाभों सहित वेतन, भत्ते और अन्य आर्थिक लाभों की रक्षा की जाएगी तथा किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं किया जायेगा;

(3) ऐसे समस्त कार्मिकों को समस्त प्रकार से सेवा की निरंतरता प्राप्त होगी;

(4) स्थानांतरण के प्रभावी दिनांक से पूर्व अर्जित सेवा के सभी लाभों को पूरी तरह से मान्य और संरक्षित किया जाएगा और ऐसे कार्मिकों के किसी भी और सभी सेवांत लाभों के संदाय सहित सभी उद्देश्यों के लिए ध्यान में रखा जाएगा;

(5) कार्मिकों का स्थानांतरण अग्रतर उन आदेशों के अध्यधीन होगा जो न्यायालयों द्वारा उनकी वरिष्ठता या ऐसे कार्मिकों की सेवा शर्तों से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में स्थानांतरण दिनांक को लंबित कार्यवाहियों में पारित किए जा सकते हैं;

(6) स्थानांतरण के दिनांक को किसी भी कार्मिक के विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही सहित कोई भी कार्यवाही या जो स्थानांतरण दिनांक से पहले किये गये कदाचार, चूक, कृत्यों या लोप के संबंध में शुरू की गयी हो, इस तरह के कार्मिकों के स्थानांतरण के कारण समाप्त नहीं होगी और इसे परिणामी इकाई द्वारा जारी रखा जा सकता है जैसे कि इसे परिणामी इकाई द्वारा शुरू किया गया था; और

(7) कर्मचारियों के बकाया दावों को इस स्थानांतरण योजना के कारण निर्वपित नहीं किया जाएगा।

पांच–जहां यूपीआरवीयूएनएल ने अपने द्वारा नियोजित कार्मिकों के लाभ के लिए भविष्य निधि या कोई अन्य निधि स्थापित किया है, उन कार्मिकों से संबंधित धन जिनकी सेवायें इस योजना द्वारा या इसके अधीन स्थानान्तरित की जाती है, स्थानान्तरण के प्रभावी दिनांक के अनुसार परिणामी इकाई को दी जाती है, और परिणामी इकाई में उपक्रमों के निहित होने के दिनांक को इस तरह की निधि का क्रेडिट पहले की तरह तब तक जारी रहेगी जब तक कि यूपीआरवीयूएनएल के कार्मिक के लिए स्वीकार्य वैकल्पिक तंत्र विकसित नहीं हो जाता है और लागू नहीं हो जाता।

तीसरे पक्ष के अधिकार और बाध्यताओं का निर्बंधित होना

6–इस योजना में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय स्थानांतरण के प्रभावी दिनांक से, इस योजना का हिस्सा बनने वाले किसी भी मामले के संबंध में सभी व्यक्तियों के अधिकार व बाध्यतायें और समामेलन व विलयन की विषय वस्तु परिणामी इकाई तक निर्बंधित होगी और ऐसे व्यक्ति के पास यूपीआरवीयूएनएल या जवाहरपुर वीयूएनएल के साथ किसी विलेख, दस्तावेजों, लिखतो, करारों या व्यवस्थाओं में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, वह यूपीआरवीयूएनएल या जवाहरपुर वीयूएनएल, जैसी भी स्थिति हो, के विरुद्ध किसी भी अधिकार या हित का दावा नहीं करेगा/करेगी।

लंबित वाद, कार्यवाहियाँ आदि

7–(1) यूपीआरवीयूएनएल या जवाहरपुर वीयूएनएल, द्वारा या उसके विरुद्ध जैसी भी स्थिति हो किसी भी प्रकृति की सभी कार्यवाहियां, स्थानांतरण के प्रभावी दिनांक को लंबित होने पर, इस योजना के अधीन स्थानांतरण के कारण इसे कम या बंद नहीं किया जायेगा या किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और परिणामी इकाई द्वारा या उसके विरुद्ध कार्यवाहियां जारी रखी जाएंगी, मुकदमा चलाया जाएगा और प्रवृत किया जाएगा, जिसे इस योजना और तद्धीन जारी किए गए आदेशों के अनुसार इसे सौंपा गया है।

(2) उपरोक्त उप–खंड (1) के अधीन आने वाली कार्यवाहियां उसी रीति से और उसी सीमा तक जारी रहेगी, जैसा कि यूपीआरवीयूएनएल या जवाहरपुर वीयूएनएल द्वारा या उसके विरुद्ध जैसी भी स्थिति हो जारी, अभियोजित और प्रवृत होती या लागू की गई होती, यदि इस योजना में विनिर्दिष्ट स्थानान्तरण नहीं किये गये होते।

करों, शुल्कों और उद्ग्रहण से छूट

8–इस योजना के अधीन स्थानांतरण और इसके कार्यान्वयन को राज्य सरकार और उसके स्थानीय निकायों के सभी करों, शुल्कों, उद्ग्रहणों से छूट दी जाएगी।

प्रकीर्ण

9–एक–इस योजना के अधीन उपक्रमों का समामेलन और विलयन अनंतिम होगा।

दो–अंतिम योजना, इस योजना के जारी होने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विनिश्चित किसी अन्य अवधि के भीतर जारी की जाएगी। अग्रतर, योजना को अंतिम रूप देते समय, उत्तर प्रदेश सरकार योजना के निबंधन और शर्तों में ऐसी रीति में और ऐसे निबन्धन और शर्तों पर संशोधन, परिवर्तन, उपांतर, परिवर्धन, विलोपन या अन्यथा बदलाव कर सकती है, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार समुचित समझे।

तीन–इस तरह से अंतिम रूप दी गई योजना के जारी होने पर, योजना के अनुसार किए गए उपक्रम, संपत्तियों, हितों, अधिकारों, दायित्वों और कार्यवाहियों का अंतरण अंतिम होगा।

नाम परिवर्तन

10–परिणामी इकाई अर्थात् यूपीजेवीएनएल, कंपनी का नाम उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी। तद्नुसार, प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् कंपनी का नाम उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड होगा।

विधि प्रवर्तन द्वारा अन्तरण

11–इस योजना के अधीन स्थानान्तरण, राज्य सरकार, यूपीजेवीएनएल, यूपीआरवीयूएनएल, जवाहरपुर वीयूएनएल या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य, विलेख या बात के बिना, स्थानान्तरण के प्रभावी दिनांक को और से इस योजना की निबंधन और शर्तों के अध्यधीन प्रवर्तित और प्रभावी होगा।

राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा

12–(1) यदि इस योजना के अधीन स्थानान्तरण के संबंध में कोई शंका, विवाद, अन्तर या विवाद्यक उत्पन्न होता है, तो उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन अंतिम होगा।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, और इस योजना के अधीन अन्तरण को कार्यान्वित करने में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

आज्ञा से,
महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव।

अनुसूची–क

(वित्तीय विवरण, अंश पूंजी एवं तुलन–पत्र)

परिणामी इकाई का दिनांक– 31 मार्च 2022 को समेकित तुलन–पत्र

	निधियों के स्रोत	(धनराशि लाख रु0 में)
1	**अंशधारियों की निधि**	**2135993.19**
	अंश पूंजी	1765870.78
	अंश आवेदन धनराशि	135744.40
	कोष व आधिक्य	234378.01
2	**गैर चालू दायित्व**	**208516.46**
	अन्य वित्तीय दायित्व	161349.79
	प्रावधान	47166.68
3	**ऋण निधिः प्रतिभूत**	**1309250.14**
	पावर फाइनेन्स कारपोरेशन	557821.98
	रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन	272793.81
	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	327854.00
	बैंक आफ बड़ौदा	136527.13
	बैंक आफ इण्डिया	10867.36
	इंडियन बैंक	3385.87
4	**ऋण निधिः अप्रतिभूत**	**1226209.65**
	पावर फाइनेन्स कारपोरेशन	572875.51
	रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन	653334.14
	निधियों के स्रोत का योग	4879969.45
	निधियों का उपयोजन	धनराशि
	स्थाई आस्तियां	3215364.09
	सकल ब्लाक	1187751.08
	घटायेंः संचयी ह्रास	2027613.01
5	**शुद्ध ब्लाक**	**2143335.54**
6	**प्रगतिशील पूंजीगत कार्य**	**371180.07**
7	**विनियोग**	**368686.85**
	संयुक्त उपक्रमों व सहायिकियों में विनियोग	2493.21
	विनियोग	79436.24
8	**अन्य गैर चालू आस्तियां**	
9	**चालू आस्तियां, ऋण व अग्रिम**	**975919.19**
	भण्डार एवं कल पुर्जे	127207.56
	विविध देनदार (यूपीपीसीएल से प्राप्य)	580878.91
	रोकड़ एवं बैंक अवशेष	96280.11
	अन्य चालू आस्तियां	27478.86
	ऋण व अग्रिम	144073.74
	घटायेंः	
10	**चालू दायित्व व उपबन्ध**	**717514.59**
	शुद्ध चालू आस्तियां	258404.60
	निधियों के उपयोजन का योग	**4879969.45**

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 872/XXIV-P-2–2023-63(Niyukti)-2011, dated January 3, 2023 :

No. 872/XXIV-P-2–2023-63(Niyukti)-2011

Dated Lucknow, November 3, 2023

IN exercise of the power conferred by sub section (4), (5), (6) of Section 131, Section 133 and other applicable provisions of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) *read* with sub sections (4), (5), (6), (7) of Section 23 of the Uttar Pradesh Electricity Reforms Act, 1999 (UP Act No. 24 of 1999), the Governor hereby makes the following Scheme for purpose of transfer and vesting by way of amalgamation and merger of the functions and undertakings including the undertakings of Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (UPRVUNL) and Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited (Jawaharpur VUNL) with the U.P. Jal Vidyut Nigam Limited (UPJVNL) and for matters incidental and ancillary thereto and for determining the terms and conditions on which such transfer or vesting or revesting shall be made.

THE UTTAR PRADESH ELECTRICITY REFORMS (AMALGAMATION AND MERGER OF STATE GENERATING COMPANIES) SCHEME, 2023

Short title, extent and commencement

1. (1)This Scheme will be called the Uttar Pradesh Electricity Reform (Amalgamation and Merger of State Generating Companies) Scheme, 2023.

(2) It extends to the whole of the State of Uttar Pradesh, and shall also apply to the functions, the properties, interests, rights, liabilities, obligations, proceedings and personnel of Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited and the U.P. Jal Vidyut Nigam Limited wherever situated outside the State.

(3) It shall come into force on and from the date of its notification in the Official *Gazette*.

Definitions

2.(1) In this Scheme, unless there is any repugnancy in the subject or context:-

(a) "Act" refers to the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) as amended from time to time;

(b) "Assets" includes generating stations, plants, machinery, equipment including associated transmission lines, transformers, switch gear, switch yard, cables, facilities, towers, meters, information technology systems and reservoirs, dams and hydraulic works, spares, consumables, raw materials, fuel, civil work installations, works in progress, scraps and land, buildings, offices, stores, furniture, fixtures, vehicles, residential quarters, guest houses and amenities and installations pertaining thereto, other moveable and immoveable assets, *etc*.

(c) "Commission" means the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission;

(d) "Effective Date of Transfer" means the 01-04-2022 as notified by the Government of Uttar Pradesh for transfer and vesting by way of amalgamation and merger of the functions and Undertakings under this Scheme.

(e) "Jawaharpur VUNL" means Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited a Government company within the meaning of the Companies Act, 2013, with CIN U40102UP2009SGC038142.

(f) "Liabilities" shall include liabilities, debt, dues, obligations and other outgoing/outstandings including statutory liabilities and Government levies of whatever nature and contingent liabilities which may arise in regard to the dealings before the Effective Date of Transfer;

(g) "Personnel" means staff, workmen, employees, officers and managers by whatever name called and shall include those on deputation to other organizations or institutions.

(h) "Proceedings" shall include all proceedings of whatever nature, suits, appeals, complaints, petitions, applications, conciliatory proceedings, arbitrations or any other proceedings whether civil or criminal or otherwise;

(i) "Property" means all assets including power systems, dams, tunnels, intake and outlet structures of water conductor systems, generating stations with associated plant, machinery, equipment, transmission towers, lines, transformers, breakers, land, building, offices, stores, installations, furniture, fixtures, vehicles, residential quarters and guest houses and amenities and installations pertaining thereto and other movable and immovable assets, cash in hand, cash at bank, investments, book debts- corporeal and incorporeal, tangible and intangible assets, benefits, consents, authorities, registrations, patents, trademarks and powers of every kind, nature and description whatsoever, privileges, liberties, easements, advantages, approvals, contracts, deeds, schemes, bonds, agreements and other instruments and interest of whatever nature and wherever situate;

(j) "Resulting Entity" or "Amalgamated Entity" shall mean the Entity after the amalgamation and merger of the State Generating Companies under this Scheme, *i.e*. UPJVNL;

(k)"Schedule" shall mean the schedules appended to this Scheme.

(l) "Scheme" means this Uttar Pradesh Electricity Reform (Amalgamation and Merger of State Generating Companies) Scheme, 2023;

(m) "State" means the State of Uttar Pradesh;

(n) "State Generating Companies" shall mean the UPJVNL, UPRVUNL and Jawaharpur VUNL;

(o) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh;

(p) "Terminal Benefits" means the Gratuity, Pension, Dearness Allowance, Leave Encashment and other applicable benefits including the right to have the appropriate revisions in the above benefits consistent with the practice that were prevalent in the UPRVUNL, UPJVNL, Jawaharpur VUNL;

(q) "Undertaking" means the business unit with functions and activities, assets, liabilities, obligations, proceedings and personnel related thereto;

(r) "UP Reforms Act" shall mean the Uttar Pradesh Electricity Reforms Act, 1999 (UP Act No. 24 of 1999);

(s) "UPJVNL" means U.P. Jal Vidyut Nigam Limited, a Government company within the meaning of the Companies Act, 2013, with CIN U31901UP1985SGC007135;

(t) "UPRVUNL" means the Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. a Government company within the meaning of the Companies Act, 2013 with CIN U40101UP1980SGC005065.

(2) Words and expressions used in this Scheme and not defined in this Scheme but defined in the Electricity Act, 2003 or UP Reforms Act, 1999 shall have the same meaning as ascribed to it in the said Acts.

Amalgamation, merger and vesting of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL in UPJVNL

3.(i). Subject to the provisions of this Scheme and with effect from 01.04.2022 as the Effective Date of Transfer, the functions and undertakings of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL alongwith all Assets, Liabilities, Properties, Proceedings and Personnel shall stand transferred to by way of amalgamation and merger and vested in UPJVNL, for all intents and purpose, without any further act, deed or thing to be done by any person or authority including the State Government, UPJVNL, UPRVUNL or Jawaharpur VUNL.

(ii). The transfer and vesting of the Undertakings under sub-clause (1) shall constitute an amalgamation and merger of the undertakings on as is where is basis and as a going concern, in terms of this transfer scheme, for all intents and purpose, without any further act, deed or thing to be done by the State Government or UPJVNL, UPRVUNL or Jawaharpur VUNL or any other person or authority.

(iii). The Amalgamation, merger, transfer and vesting of the Undertakings and the Resulting Entity under this Scheme shall operate and be effective pursuant to action of the State Government of Uttar Pradesh notifying this Scheme and without any further act, deed or thing to be done by the State Government or UPJVNL, UPRVUNL or Jawaharpur VUNL or any other person or Authority including the creditors or other persons dealing with the UPJVNL, UPRVUNL and Jawaharpur VUNL.

(iv). On the amalgamation, merger, transfer and vesting of the functions and Undertakings on the Effective Date of Transfer, the following shall be effective:-

(a) the Resulting Entity *i.e.* UPJVNL shall take necessary steps to file necessary declaration with the Registrar of Companies for the said purpose.

(b) UPRVUNL and Jawaharpur VUNL shall stand liquidated without winding up and the Resulting Entity, UPRVUNL and Jawaharpur VUNL shall file necessary declaration and comply with the formalities provided for under the Companies Act, 2013 or any other law for the time being in force for such liquidation without winding up of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL.

(c) The Resulting Entity shall be entitled to exercise all rights and privileges and be liable to pay all taxes and charges including ground rent and fulfil all obligations, in relation to or applicable to the Undertakings of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL as from the Date of Transfer.

(d) The Resulting Entity shall be entitled to the mutation/substitution of the title to the properties, assets and interests of to be applied for and to be made and duly recorded in the name of the Resulting Entity by the appropriate authorities pursuant to this notification.

(e) All debts, liabilities, contingent liabilities, duties and obligations, secured or unsecured, whether provided for or not in the books of accounts or disclosed in the balance sheets of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL, shall be deemed to be that of Resulting Entity and the same shall be duly discharged by the Resulting Entity.

(f) All contracts, deeds, bonds, agreements, schemes, arrangements and other instruments of whatsoever nature including the Power Purchase Agreement entered into by UPRVUNL and Jawaharpur VUNL with Procurers and other contracts entered for provision of services of personnel in relation to UPRVUNL and Jawaharpur VUNL, or to which UPRVUNL and Jawaharpur VUNL is a party or to the benefit of which UPRVUNL and Jawaharpur VUNL may be eligible, and which are subsisting or having effect immediately before the Effective Date of Transfer, shall remain in full force and effect against or in favour of the Resulting Entity and may be enforced as fully and effectually as if, instead of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL, the Resulting Entity had been a party or beneficiary or obligee thereto, as the case may be.

(g) All rights and obligations of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL under the Power Purchase Agreement entered into with the Procurers shall stand transferred and vested with the Resulting Entity from the Effective Date of Transfer and the Procurers shall procure and deemed to have procured electricity from the Resulting Entity.

(h) Any contingent liabilities arising out of or in connection with the assignment of any tax/levy deferrals by UPRVUNL and Jawaharpur VUNL to any third party shall be deemed to be that of the Resulting Entity.

(i) All leases or other like agreements and all other agreements entered into in relation thereto or in connection therewith, by or behalf of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL shall stand assigned and transferred to and vested in the Resulting Entity without further act or deed, as if the Resulting Entity is a party thereto, and the Resulting Entity shall be entitled to exercise all rights and privileges and shall be liable to perform all obligations thereunder.

(j) All permits, quotas, rights, entitlements, licenses including but not limited to those relating to trademarks, tenancies, patents, copy rights, privileges, powers, facilities of every kind and description of whatsoever nature in relation to UPRVUNL and Jawaharpur VUNL or to which UPRVUNL and Jawaharpur VUNL is party, or to the benefits of which UPRVUNL and Jawaharpur VUNL may be eligible shall be enforceable as fully and effectually as if, instead of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL, the Resulting Entity had been a party or beneficiary or obligee thereto.

(k) Any statutory licenses, no-objection certificates, grants, concessions, exemptions, permissions or approvals or consents required to carry on operations of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL, or granted to UPRVUNL and Jawaharpur VUNL including, but not limited to Excise, Customs, Sales Tax, Service Tax, GST, Professional Tax, Contract Labour registration shall stand vested in or transferred to the Resulting Entity without further act or deed along with and upon the vesting of Undertakings, pursuant to this notification.

(l) The benefit of all statutory and regulatory permissions, approvals or consents required to carry on the operations of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL, shall vest in and become available to the Resulting Entity pursuant to this Scheme.

(m) All suits, claims, actions and proceedings of whatsoever nature by or against UPRVUNL and Jawaharpur VUNL pending and / or instituted on or before the Effective Date of Transfer shall neither abate nor shall in any way be prejudicially affected by reason of the functions and Undertakings, having been transferred to or vested in as provided in this notification and the same shall be continued and be enforced by and/or against the Resulting Entity as effectually as if the same has been pending and/or arising against and/or instituted by or against UPRVUNL and Jawaharpur VUNL.

(n) The Resulting Entity shall be entitled to file/revise its tax returns and to claim refund/credits and/or set off all amounts paid by UPRVUNL and Jawaharpur VUNL under the relevant income tax, sales tax, service tax, GST or any other tax laws, whether or not arising due to any inter-company transactions. The rights to make such revisions in the tax returns and to claim refunds/credits are expressly reserved in favour of the Resulting Entity. With effect from the Effective Date of Transfer, all taxes payable by UPRVUNL and Jawaharpur VUNL including all or any refunds of the claims shall be treated as the tax liability or refunds/claims, as the case may be, of the Resulting Entity.

(o) From the Effective Date of Transfer and till such time as the name of the Resulting Entity is entered as the account holder in respect of all the bank accounts of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL in the relevant banks' books and of records, the Resulting Entity shall be entitled to operate the bank accounts of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL.

(p) Upon the coming into effect of this Scheme in accordance with the provisions hereof, the borrowing limits, of the Resulting Entity as on Effective Date of Transfer, without any further act or deed on the part of Resulting Entity shall stand enhanced by the borrowing of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL, and if so required, these limits as enhanced may be increased from time to time by the Resulting Entity, by obtaining shareholders' approval in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013.

(q) All the loans advanced and other facilities sanctioned to UPRVUNL and Jawaharpur VUNL by the bankers/financial institutions prior to the Effective Date of Transfer which are partly drawn/utilised shall become the loans/advances/facilities sanctioned to the Resulting Entity and the said loans and advances shall be drawn/utilised either partly or fully by UPRVUNL and Jawaharpur VUNL from the Effective Date of Transfer and all the loans/advances and/or other facilities so drawn UPRVUNL and Jawaharpur VUNL shall on the Effective Date of Transfer be treated as the advances and loans made available to the Resulting Entity and any balance in the said accounts shall be transferred to the Resulting Entity and all the obligations of UPRVUNL and Jawahar VUNL under any loan agreement shall be construed and shall become the obligation of the Resulting Entity without any further act or deed on the part of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL or the Resulting Entity or any other person.

(r) Upon the coming into effect this scheme, the Resulting Entity shall be entitled to realize all the money and complete and enforce all pending contracts and transactions in respect of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL in the name of the Resulting Entity in so far as may be necessary until the transfer of rights and obligations of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL.

Accounting Treatment

4. (1) The transfer and vesting and consequent amalgamation and merger of the undertaking in the Resulting Entity would be accounted for by applying the pooling of interest method of accounting as contained in the "Indian Accounting Standard 103: Business Combinations" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

(2) The Resulting Entity shall record the assets and liabilities of UPRVUNL and Jawaharpur VUNL vested in it pursuant to this Scheme, at their book value as on the Date of Transfer.

(3) To the extent that there are inter-corporate loans or balances between UPJVNL and UPRVUNL/Jawaharpur VUNL, the obligations in respect thereof shall be discharged and corresponding effect shall be given in the books of account and records of Resulting Entity for the reduction of any assets or liabilities, as the case may be. There will be no accrual of interest or other charges in respect of any such inter-company loans or balances with effect from the Effective Date of Transfer.

(4) Notwithstanding the above, the Resulting Entity in consultation with its auditors is authorized to account any of these balances in any manner whatsoever, if considered more appropriate.

(5) The authorised share capital of all the three companies UPRVUNL, Jawaharpur VUNL and UPJVNL shall be aggregated as the total Authorised Share Capital of the Resulting Entity.

(6) The issued, subscribed and paid up capital of the Resulting Entity shall be the net of the Assets and Liabilities of the Resulting Entity and the shares representing such issued capital as provided in Schedule A to this Scheme, shall be issued in the name of State Government and the six nominees designated by the State Government, to have the minimum number of shareholders under the provisions of the Companies Act, 2013.

Transfer of Personnel

5. (i). The transfer of Personnel shall be subject to the terms and conditions contained in Section 133 and other applicable provisions of the Act.

(ii). The Personnel of UPRVUNL, including those deputed to Jawaharpur VUNL as on Effective Date of Transfer shall stand transferred to the Resulting Entity on the same terms and conditions as would have been applicable immediately prior to transfer. The Personnel of UPRVUNL shall maintain their respective cadres as was existing prior to Effective Date of Transfer distinct and separate from the cadre of the Personnel in UPJVNL existing prior to Effective date of Transfer, even after the Effective Date of transfer.

(iii). On such transfer and subject to the provisions of the Act and other provisions of this Scheme, the personnel shall form a part of the Resulting Entity but their rank, scale of pay and *inter-se* seniority as existing in the UPRVUNL, respectively on the Effective Date of Transfer date shall be maintained in the Resulting Entity and the retirement benefits and other facilities shall in no way be reduced than the one existing in the UPRVUNL respectively, on the Effective Date of Transfer.

(iv). The transfer of the personnel shall be subject to the following conditions, namely:-

(a) That the personnel shall be governed by the applicable Rules and Regulations existing as on the Effective Date of Transfer till the same is varied or revised in accordance with law;

(b) The terms and conditions of the services applicable to the personnel on transfer shall not in any way be less favourable than or inferior to those applicable to them immediately before the Transfer Date. Accordingly, the salary, allowances and other pecuniary benefits including terminal benefits applicable on the Effective Date of Transfer shall be protected and shall not be changed in any manner;

(c) All such personnel shall have continuity of service in all respects;

(d) All benefits of service accrued before the Effective Date of Transfer shall be fully recognized and protected and taken into account for all purposes including for payment of any and all terminal benefits of such Personnel;

(e) The transfer of Personnel shall be further subject to the orders that may be passed by the Courts in the proceedings pending as on the Transfer Date in regard to their seniority or other matters concerning the service conditions of such personnel;

(f) Any proceedings including disciplinary proceedings pending against any Personnel as on the Transfer Date or which may be initiated in relation to misconduct, lapses or acts of commission or omission committed before the Transfer Date shall not abate by reason of transfer of such Personnel and the same may be continued by the Resulting Entity as if the same had been initiated by Resulting Entity; and

(g) The outstanding claims of employees shall not be extinguished because of this Transfer Scheme.

(v) Where UPRVUNL, has established a provident fund or any other fund, for the benefit of the Personnel employed by it, the moneys relatable to the Personnel whose services are transferred, by or under this Scheme to Resulting Entity standing as on Effective Date of Transfer to the credit of such fund shall on the date of vesting of the Undertakings in Resulting Entity, continue as before until such time that an alternate mechanism is developed as acceptable to the Personnel of UPRVUNL and the same is implemented.

Rights and Obligations of third parties restricted

6.Except as provided otherwise in this Scheme, from the Effective Date of Transfer, the rights and obligations of all persons in relation to any matter forming part of this Scheme and subject matter of amalgamation and merger shall be restricted to Resulting Entity and notwithstanding anything to the contrary contained in any deed, documents, instruments, agreements or arrangements which such person has with the UPRVUNL or Jawaharpur VUNL, he or she shall not claim any right or interest against the UPRVUNL or Jawaharpur VUNL, as the case may be.

Pending Suits, Proceedings *etc*

7. (1) All Proceedings of whatever nature by or against UPRVUNL or Jawaharpur VUNL, as the case may be, pending on the Effective Date of Transfer shall not abate or discontinue or otherwise in any way prejudicial be affected by reason of the transfer under this Scheme and the proceedings shall be continued, prosecuted and enforced by or against the Resulting Entity to whom the same are assigned in accordance with this Scheme and orders issued thereunder.

(2) The proceedings covered under sub-clause (1) above shall be continued in the same manner and to the same extent as it would or might have been continued, prosecuted and enforced by or against UPRVUNL or Jawaharpur VUNL, as the case may be, if the transfers specified in this Scheme had not been made.

Exemption from Taxes, duties and levies

8. The transfers under this Scheme and its implementation shall be exempted from all taxes, duties, levies of the State Government and its local bodies.

Miscllenеous

9. (i). The amalgamation and merger of Undertakings under this scheme shall be provisional.

(ii). The final Scheme shall be issued within one year from the date of issuance of this Scheme or the any other period decided by Government of Uttar Pradesh. Further while finalising the Scheme, Government of Uttar Pradesh may amend, vary, modify, add, delete or otherwise change terms and conditions of the Scheme in such manner and on such terms and conditions as Government of Uttar Pradesh may consider appropriate.

(iii). On issue of such Scheme so finalised, the transfer of undertaking, properties, interests, rights, liabilities and proceedings made in accordance with the scheme shall become final.

Change in the Name

10. The Resulting Entity *i.e.* UPJVNL shall take necessary steps to change the name of the Company from U.P. Jal Vidyut Nigam Limited to U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited. Accordingly, after completion of the process, the name of the Company shall be U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited.

Transfer by Operation of Law

11. The transfers under this Scheme shall operate and be effective on and from the Effective Date of Transfer, without any further act, deed or thing to be done by the State Government, UPJVNL, UPRVUNL, Jawaharpur VUNL, or any other person, subject to the terms and conditions of this Scheme.

Decision of State Government to be final

12. (1) If any doubt, dispute, difference or issue arises in regard to the transfers under this Scheme, the decision of the State Government thereon shall be final, subject to the provisions of the Act.

(2) The State Government may, by order published in the Official *Gazette*, make such provisions, not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulties arising in implementing the transfers under this Scheme.

By order,
MAHESH KUMAR GUPTA,
Apar Mukhya Sachiv.

SCHEDULE A

(Financials, Share Capital and Balance Sheet)

Consolidated Balance Sheet as on March 31, 2022 of Resulting Entity-

	Sources of Funds	Amount (Rs. In Lakh)
1	**Shareholder's Fund**	**2135993.19**
	Share Capital	1765870.78
	Share Application Money	135744.40
	Reserves and Surplus	234378.01
2	**Non Current Liabilities:**	**208516.46**
	Other financial libilites	161349.79
	Provisions	47166.68
3	**Loan Fund: Secured**	**1309250.14**
	Power Finance Corporation	557821.98
	Rural Electrification Corporation	272793.81
	State bank of India	327854.00
	Bank of Baroda	136527.13
	Bank of India	10867.36
	Indian Bank	3385.87
4	**Loan Fund: Unsecured**	**1226209.65**
	Power Finance Corporation	572875.51
	Rural Electrification Corporation	653334.14
	Total Sources of Funds	**4879969.45**
	Application of Funds	**Amount**
	Fixed Assets	
	Gross Block	3215364.09
	Less: Accumulated Depreciation	1187751.08
5	**Net Block**	**2027613.01**
6	**Capital Work in Progress**	**2143335.54**
7	**Investment**	**371180.07**
	Investment Insubsidiaries and Joint Ventures	368686.85
	Investment	2493.21
8	**Other Non Current Assets**	**79436.24**
9	**Current Assets, Loans and advances**	**975919.19**
	Store and Spares	127207.56
	Sundry Debtors (Receivables from UPPCL)	580878.91
	Cash and Bank Balances	96280.11
	Other Current Assets	27478.86
	Loans and Advances	144073.74
	Less:	
10	**Current Liablities and Provision**	**717514.59**
	Net Current Assets	258404.60
	Total Application of Funds	**4879969.45**

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 629 राजपत्र–2023–(1907)–599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 7 सा0 ऊर्जा–2023–(1908)–250 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
629 RPH Urja-2023 Data 7e

क्रम-संख्या–196 (ग)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

ALLAHABAD HIGH COURT JUDGES' LIBRARY PUBLICATION

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 29 नवम्बर, 2023

अग्रहायण 8, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

———————

संख्या यू0पी0ई0आर0सी0/सचिव/विनियमावली/003

लखनऊ, 29 नवम्बर, 2023

———————

अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) की धारा 91 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सभी अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके और पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, अर्थात् :-

1–संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–

(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियमावली, 2023 कही जाएगी।

(2) यह विनियमावली सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2–परिभाषाएं–

(1) इस विनियमावली में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य विद्युत अधिनियम, 2003 से है;

(ख) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है;

(ग) 'सदस्य' का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है;

(घ) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से है;

(ङ) 'परामर्शी' में कोई व्यक्ति, फर्म, निकाय या व्यक्तियों का संघ, जो आयोग के नियोजन में न हो, जो कोई विशिष्ट ज्ञान, अनुभव या कौशल रखता हो या उसको वह सुगम हो, सम्मिलित है;

(च) 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' या 'सी ई सी' का तात्पर्य विनियमन 6, 7 और 9 के अधीन गठित समिति से है;

(छ) 'अधिकारी' का तात्पर्य आयोग के अधिकारी से है;

(ज) 'सचिवालय' का तात्पर्य आयोग के सचिवालय से है इसमें वे अधिकारी सम्मिलित हैं जिन्हें उस कार्य क्षेत्र का ज्ञान है जिसके लिए परामर्शी सेवाएं प्राप्त की जानी है;

(झ) 'सचिव' का तात्पर्य आयोग के सचिव से है।

(2) उपर्युक्त के सिवाय और जब तक कोई बात संदर्भ के प्रतिकूल न हो या यदि विषय वस्तु अन्यथा अपेक्षित हो, इस विनियमावली में प्रयुक्त शब्द और पदों का, जो इसमें परिभाषित नहीं है, लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में परिभाषित है।

3–कार्य क्षेत्र–

(1) परामर्शियों के लिए निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए रखा जा सकता है, अर्थात्–

(क) आयोग से सुसंगत विशिष्ट विषयों पर और उसके हित में सटीक सलाह देने के लिए;

(ख) श्रेष्ठतम पद्धतियों, डाटा विश्लेषण, मानकों का विकास या किसी अन्य ऐसे प्रयोजन के लिए अध्ययन करना;

(ग) अनुभव और अर्हता की अपेक्षा वाले कार्यों का संपादन जो अर्हता आयोग में उपलब्ध नहीं है या आयोग के विचार से, गुणवत्ता, समय या किसी अन्य दृष्टि से परामर्शी का उपयोग कार्य को दक्ष रीति से पूरा करने के लिए अधिक प्रभावी होगा।

(घ) यदि आयोग का समाधान हो कि आयोग के कार्य की मात्रा में वृद्धि हो रही है या नियमित पदों को विभिन्न मजबूरियों के कारण भरा नहीं जा सकता, तो आयोग को कृत्यों के निष्पादन में सहयोग करना।

(ङ) यदि आयोग आवश्यक समझे तो आयोग के कृत्यों के निष्पादन में सामान्यतया सहयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करना।

4–नियोजन की अवधि–

परामर्शियों के लिये यथा अपेक्षित न्यूनतम अवधि के लिए विनियोजित किया जाएगा और किसी भी दशा में परामर्शी का विनियोजन अनवरत चार वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगा।

5–परामर्शियों का वर्गीकरण–

परामर्शियों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा;

(क) व्यावसायिक परामर्शी फर्म

(ख) व्यक्तिशः परामर्शी

(ग) सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी

(घ) व्यावसायिक विशेषज्ञ

6–व्यावसायिक परामर्शी फर्म–

1–आयोग का समाधान होने पर कि परामर्शी सेवाओं के उपयोग की आवश्यकता है जो कि उसके विचार से किसी फर्म या कंपनी या संघ या व्यक्तियों के निकाय द्वारा अधिक समुचित रूप से दी जा सकती है या जब प्रौद्योगिकी, विनियामक, वित्त और विधिक आदि भिन्न-भिन्न पृष्ठ भूमि के दो से अधिक स्रोतों का सामूहिक कार्य समाविष्ट हो और किसी विशिष्ट कार्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित हो तो आयोग उन व्यावसायिक परामर्शी फर्मों को नियोजित करने का विनिश्चय कर सकता है जिनके पास विभिन्न राज्यों और हितधारकों में इसी प्रकार के कार्यों का पूर्व में पुष्ट अनुभव हो। इस विनियम में व्यावसायिक परामर्शी फर्म के उल्लेख में सहकार्य करने वाली संस्था भी सम्मिलित होगी।

2–सचिवालय बोली लगाने के दस्तावेज तैयार करेगा जिनमें कार्य के क्षेत्र के अलावा, विभिन्न परिदेयों, मानकों और प्रत्येक मानक और प्ररूप निविदा की उपलब्धि को संयोजित करते हुए देयों की अनुसूची को इंगित करते हुए संदर्भ के निबंधन सम्मिलित हैं।

3–अध्यक्ष सी ई सी का गठन करेगा जिसमें सचिव, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखा अधिकारी और अध्यक्ष द्वारा नामित निदेशक स्तर के उपयुक्त अधिकारी, समाविष्ट होंगे।

4–सी ई सी आवश्यक उपांतर के बाद, यदि कोई हो, परामर्शी के अभियोजन के लिए संदर्भ के निबंधन सम्मिलित करते हुए बोली लगाने के दस्तावेजों पर आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगी।

5–सी ई सी, प्रोद्योगिक प्रस्ताव को न्यूनतम 70% अधिमान देते हुए, बोलियों के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए प्रत्येक मानक को आवंटित किए जाने वाले अधिमान का विनिश्चय करेगी:

परंतु यह कि प्रोद्योगिकी प्रस्ताव के 70% अधिमान के आवंटन की सीमा में अधिकतम 80% तक वृद्धि की जा सकती है यदि कार्य की प्रकृति के आधार पर आयोग ऐसा करना उचित समझें।

6–खण्ड **(5)** के अधीन अधिमानों को अंतिम रूप देने के पश्चात् सचिव कम से कम दो समाचार पत्रों में सूचना के प्रकाशन के माध्यम से, और आयोग की वेबसाइट पर भी यथासंभव तीन सप्ताह से अन्यून की सूचना देकर प्रोद्योगिकी और वित्तीय प्रस्तावों के वास्ते पृथक मुहरबंद लिफाफों में एकल बोलियाँ आमंत्रित करेगा:

परंतु यह कि आत्ययिकता की स्थिति में सूचना की अवधि को तीन सप्ताह से कम किया जा सकता है लेकिन दो सप्ताह से कम नहीं किया जायगा जो भी अध्यक्ष के अनुमोदन से निश्चय किया जाए।

7–प्रत्येक मानक को आवंटित पूर्व-निर्धारित अधिमानों के आधार पर 'संयुक्त-गुणवत्ता-एवं-मूल्य-आधारित प्रणाली' के माध्यम से सी ई सी बोलियों का मूल्यांकन करेगी:

परंतु यह कि सी ई सी तब तक बोलियों का मूल्यांकन प्रारंभ नहीं करेगी जब तक कि कम से कम तीन विधि मान्य बोलियाँ प्राप्त न हो जाएं:

परंतु यह और कि तीन विधिमान्य बोलियों की शर्त में आयोग के पूर्व अनुमोदन से छूट दी जा सकती है यदि बोलियाँ पर्याप्त संख्या में प्राप्त न हों।

8–आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् व्यावसायिक परामर्शी फर्म को नियोजित किया जाएगा।

9–व्यावसायिक परामर्शी फर्म की नियुक्ति या तो प्रतिधारण या कार्य निष्पादन की प्रकृति पर आधारित मानक के आधार पर की जाएगी और उसे बोली के दस्तावेज में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

10–इस विनियमावली में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया पर आधारित किसी कार्य निष्पादन के लिए नियुक्त व्यावसायिक परामर्शी फर्म बोली के दस्तावेज में यथा विनिर्दिष्ट स्रोतों को अभिनियोजित करेगी।

11–इस विनियमन में किसी भी बात के बावजूद, अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों में और जिसमें वित्तीय प्रतिबद्धता दस लाख रुपये से अधिक होने की संभावना नहीं है आयोग निविदा प्रक्रिया के बिना एकल सोर्सिंग के आधार पर व्यावसायिक परामर्शी फर्म की परामर्श सेवायें ले सकता है।

12–इस विनियमन में किसी भी बात के बावजूद आयोग में कार्य निष्पादन के विचार विमर्श के लिए, आयोग की वेबसाइट पर विज्ञापित और समाचार पत्रों के विज्ञापन के माध्यम से अभिरूचि की अभिव्यक्ति के सापेक्ष प्राप्त उत्तरों के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट मापदण्ड के अनुसार मूल्यांकन पर आधारित व्यावसायिक परामर्शी फर्मों/अभिकरणों/संस्थाओं/विश्वविद्यालयों का आयोग के अनुमोदन से सी ई सी सूचीकरण करेगी और पैनल तैयार करेगी। अभिरूचि की अभिव्यक्ति से संबंधित पृच्छा में अन्य बातों के साथ-साथ प्रश्नगत कार्य निष्पादन का विस्तृत स्वरूप, परामर्शियों द्वारा पूर्ण की जाने वाली पात्रता और पूर्व अर्हता संबंधी मापदंड, परामर्शी के इस प्रकार के कार्य और सेवा का पूर्व अनुभव सम्मिलित होगा। सूचीकृत व्यावसायिक परामर्शी फर्मों/अभिकरणों/संस्थाओ/ विश्वविद्यालयों की संख्या अधिकतम तीन होगी।

आयोग के अनुमोदन के पश्चात् सी ई सी द्वारा बनाया गया पैनल दो वर्ष के लिए विधि मान्य होगा। आयोग पैनल की विधि मान्यता में एक और वर्ष की वृद्धि कर सकता है।

आयोग का यह विकल्प रहेगा कि वह अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार या तो मानकीकृत संविदाओं के आधार पर या पैनल में से फर्मों के व्यक्तिश: अनुभवी परामर्शियों की चयनीकृत सेवाओं के आधार पर परामर्शी सेवाओं में नियोजन कर ले। आयोग का यह अधिकार रहेगा कि वह कार्य संपादन/योग्यता के अभाव में अभिनियोजित परामर्शियों को या व्यक्ति की अनुपलब्धता में उन्हें सेवाओं से मुक्त कर दे और फर्म उस व्यक्ति का प्रतिस्थानी उपलब्ध कराएगी:

परंतु यह कि पैनल की विधि मान्यता के दौरान वित्तीय बोलियों को पैनल में से आमंत्रित किया जाएगा और आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् 'न्यूनतम मूल्य प्रणाली' के आधार पर फर्म को नियोजित किया जाएगा।

13–आयोग का समाधान होने पर वह अपने कृत्यों के निर्वहन में राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थाओं से उनकी विशिष्टता का लाभ लेने के लिए, ऐसी फीस के भुगतान और ऐसे अन्य निबंधनों पर जिन्हें समुचित समझा जाए, समझौता ज्ञापन तैयार करने का विनिश्चय करेगा।

14–आयोग में विचाराधीन विभिन्न मामलों पर सटीक विधिक सलाह लेने के लिए, वह ऐसे निबंधन और शर्तों पर, जो समय-समय पर निर्धारित हों, किसी विधिक फर्म की सेवाओं को अभियोजित करेगा।

7–व्यकितश: परामर्शी–

1–आयोग का समाधान होने पर कि परामर्शी सेवाओं की आवश्यकता है जो उसकी राय में किसी व्यक्ति द्वारा, जिसे कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक अर्हताधारी और अनुभवी समझा जाए, और जब ऐसे कार्य का व्यक्तिश: संपादन के आलोक में मापन संभव है, अधिक दक्षता पूर्वक दी जा सकती हैं, तो आयोग व्यक्तिश: परामर्शी अभियोजित करने का विनिश्चय कर सकता है।

2–अध्यक्ष सी ई सी का गठन करेगा जिसमें सचिव, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / लेखा अधिकारी और अध्यक्ष द्वारा नामित निदेशक स्तर के उपयुक्त अधिकारी, समाविष्ट होंगे।

3–सचिवालय संदर्भ के निबंधन तैयार करेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कार्य क्षेत्र, पूर्ण किये जाने वाले मानक, प्रत्येक मानक की पूर्णता से जुड़े हुए भुगतानों की अनुसूची, अपेक्षित अनुभव, अर्हता और अभियोजन के निबंधन और शर्तें इंगित होंगी।

4–सी ई सी, आवश्यक उपांतर के बाद, यदि कोई हो, व्यक्तिश: परामर्शी के अभियोजन के लिए संदर्भ के निबंधनों के लिए अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करेगी।

5–सचिव दो समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन के माध्यम से और आयोग की वेबसाइट पर सूचना देकर आवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए यथासंभव तीन सप्ताह की अवधि में आवेदन आहूत करेगा।

6–प्राप्त आवेदनों के आधार पर, सी ई सी, शैक्षिक अर्हता और अनुभव और कार्य निष्पादन परीक्षा और लिया गया साक्षात्कार, यदि कोई हो, के आधार पर, परामर्शी के रूप में नियुक्ति के लिए लघुसूचीयन किया जायेगा, लेकिन इस तक ही सीमित न रहकर, विचार करते हुए व्यक्तियों के पैनल का अनुमोदन करेगी, अर्थात् :-

(क) शैक्षणिक पृष्ठभूमि

(ख) अनुभव

(ग) भाषा, संस्कृति, प्रशासनिक प्रणाली और अन्य सुसंगत घटकों से ओत-प्रोत या युक्तियुक्त कार्यशैली का ज्ञान:

परंतु यह कि सी ई सी पैनल का लघुसूचीयन करते समय कम से कम तीन अभ्यर्थियों की समग्रता पर विचार करेगी:

परंतु यह भी कि तीन अभ्यर्थियों की शर्त को अध्यक्ष के अनुमोदन से शिथिल किया जा सकता है यदि अभ्यर्थियों से पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थन प्राप्त न हुए हों।

7–(सी ई सी द्वारा बनाए गए पैनल से) अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थी को व्यक्तिश: परामर्शी के रूप में अभियोजित किया जाएगा।

8–व्यक्तिश: परामर्शी को, जिसके पास 10 वर्ष से अन्यून सुसंगत अनुभव हो, 'विशिष्ट परामर्शी' की श्रेणी में, और 10 वर्ष से अधिक का सुसंगत अनुभव रखने वाले को 'वरिष्ठ विशिष्ट परामर्शी' की श्रेणी में आवश्यकता के आधार पर अभियोजित किया जाएगा। समेकित फीस शैक्षणिक अर्हताओं, वर्षों का कुल अनुभव, क्षेत्र में कौशल और परिदेयता या योगदान के लिए अपेक्षित ज्ञान के समानुपाती होगी। फीस का ब्यौरा अनुलग्नक-1 में उल्लिखित है। अधिकतम समेकित फीस को आयोग द्वारा पुनरीक्षित किया जा सकता है।

9–व्यक्तिश: परामर्शियों की अधिकतम संख्या, जितनी आयोग द्वारा उचित समझी जाए, जिनकी किसी एक समय में सेवाएं ली जाएंगी, विभिन्न क्षेत्रों में सहायता करने के लिए 10 होगी:

परंतु यह कि आयोग जब उचित समझे तो ऊपर विनिर्दिष्ट व्यक्तिश: परामर्शियों की संख्या में आदेश द्वारा वृद्धि कर सकता है।

10–व्यक्तिश: परामर्शी को प्रारंभ में दो वर्ष की अवधि के लिए अभियोजित किया जाएगा जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 3 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान व्यक्तिश: परामर्शी के कार्य संपादन के आधार पर अध्यक्ष के अनुमोदन से फीस में 10% तक वार्षिक वृद्धि की जा सकती है।

11–विभिन्न श्रेणियों के लिए परामर्शी के रूप में नियुक्त किये जाने वाले आवेदक की आयु विज्ञापन के वर्ष की 1 जनवरी को 62 वर्ष से कम होनी चाहिए:

परंतु यह कि 65 वर्ष की आयु के पश्चात् आयोग में किसी भी व्यक्तिश: परामर्शी की सेवाएं नहीं ली जाएंगी।

12–उपरोक्त किसी भी बात के बावजूद प्रशासन/आई टी/लेखा संबंधी कार्यों के लिए अपेक्षा के आधार पर अध्यक्ष के अनुमोदन से परामर्शियों को नियुक्त किया जा सकता है:

परन्तु यह कि प्रशासन, आई टी/और लेखा संबंधी कार्य के लिए जो सलाहकार पहले से ही आयोग के साथ जुड़े हुए हैं उन परामर्शी की सेवाएं और अवधि और परिलब्धियां उसकी संविदा के निबंधन और शर्तों से शासित होंगी।

8–सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी–

(1) आयोग विषय संबंधी ज्ञान और सुसंगत अनुभव वाले सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, विद्युत क्षेत्र से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के सेवानिवृत्त कर्मचारी, विद्युत नियामक आयोग के सेवानिवृत्त अधिकारी को परामर्शी के रूप में अभियोजित कर सकता है।

(2) सेवाओं के लिए समेकित फीस आयोग के आदेश के अनुसार या राज्य सरकार की वर्तमान पुन: नियुक्ति की नीति के अनुसार होगी।

9–व्यावसायिक विशेषज्ञ–

(1) आयोग आवश्यकता का समाधान होने पर, परामर्शी या परामर्शियों की सेवाओं को लेने का निश्चय कर सकता है जहां पर किसी विद्यमान या नये या बार-बार आने वाले विषय पर उच्च विशिष्टता संपन्न परामर्शी की अपेक्षा हो।

(2) अध्यक्ष सी ई सी का गठन करेगा जिसमें सचिव, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखा अधिकारी और अध्यक्ष द्वारा नामित निदेशक स्तर के उपयुक्त अधिकारी, समाविष्ट होंगे।

(3) सी ई सी प्रस्ताव को मूर्त रूप देगी और उस क्षेत्र में अपेक्षित विशिष्टता रखने वाले व्यावसायिकों की एक सूची तैयार करेगी, जिसमें उनके परामर्शी कार्य को स्वीकार्य करने की इच्छा और प्रत्येक के द्वारा वांछित फीस निहित होगी।

(4) आयोग परामर्शी के रूप में ऐसी फीस के भुगतान पर और ऐसे अन्य निबंधनों पर, जिन्हें उचित समझा जाए, सेवाओं के लिए व्यावसायिक विशेषज्ञ के नाम अनुमोदित करेगा :

परन्तु यह कि इस प्रकार विनिश्चत फीस किसी एक विशिष्ट कार्य संपादन हेतु व्यक्तिश: व्यावसायिक विशेषज्ञ के लिए दस लाख से अधिक नहीं होगी। आयोग के आदेश से फीस को पुनरीक्षित किया जा सकता है।

10–हित की विश्रृंखलता–

किसी ऐसे कार्य निष्पादन के लिए परामर्शी की सेवाएं नहीं ली जाएंगी जो अन्य ग्राहकों के पूर्ववर्ती या चालू दायित्वों के निर्वहन में अवरोधी हो या जो उन्हें ऐसे उद्देश्यात्मक रूप से और निष्पक्षता से पूरा न कर सकें।

11–शिथलीकरण की शक्ति–

आयोग लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से इस विनियमावली के किसी उपबंध को शिथिल कर सकता है।

12–संशोधन की सामान्य शक्ति–

आयोग किसी भी समय और ऐसे निबंधनों पर जिन्हें यह उचित समझे, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिनके लिए इस विनियमावली को बनाया गया है, इस विनियमावली के किसी विनियम को संशोधित कर सकता है।

13–निरसन और अपवाद–

(1) इस विनियमावली में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति 2000 और उसके संशोधन इस विनियमावली की अधिसूचना के दिनांक से निरसित हो जाएंगे।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित विनियमावली के अधीन किया गया या किये जाने के लिए आशयित कोई कार्य इस विनियमावली के अधीन किया गया या किये जाने के लिए आशयित समझा जाएगा।

आयोग के आदेश से,
शैलेन्द्र गौर,
सचिव।

अनुलग्नक –1

(क) व्यक्तिश : परामर्शियों के लिए अधिकतम समेकित फीस–
1–विशिष्ट परामर्शी: रूपये 1,50,000/- प्रतिमास (कर/उपकर को छोड़कर, यदि लागू हो)।
2–वरिष्ठ विशिष्ट परामर्शी: रूपये 2,50,000/- प्रतिमास (कर/उपकर को छोड़कर, यदि लागू हो)।

(ख) पात्रता की स्थिति में, ऊपर इंगित फीस में 10% से अनधिक की अतिरिक्त फीस, सी ई सी की संस्तुति के आधार पर अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात् प्रारंभिक सेवा के समय स्वीकृत की जा सकती है।

No. UPERC/Secy./Regulation/003

Dated Lucknow, November 29, 2023

In exercise of powers conferred under Section 181 *read* with Section 91(4) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely: -

1. Short Title and Commencement–

(1) These regulations may be called the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) Regulations, 2023.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions–

(1) In these regulations unless the context otherwise requires-

(a) "Act" means the Electricity Act, 2003;

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission;

(c) "Member" means the Member of the Commission;

(d) "Commission" means the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission;

(e) "Consultant" includes any individual, firm, body or association of persons, not in the employment of the Commission, who or which possesses or has access to any specialized knowledge, experience or skill;

(f) "Consultancy Evaluation Committee" or "CEC" means the committee constituted under Regulations 6, 7 and 9;

(g) "Officer" means the officer of the Commission;

(h) "Secretariat" means secretariat of the Commission which includes Officer(s) having knowledge in the area of work for which the consultancy services are to be obtained;

(i) "Secretary" means the Secretary of the Commission.

(2) Save as aforesaid and unless repugnant to the context or if the subject matter otherwise requires, words or expressions used in these regulations and not defined herein, but defined in the Act, shall have the same meaning as in the Act.

3. Scope of Work–

(1) Consultants may be engaged for the following purposes, namely, -

(a) Providing expert advice on specific issues of relevance and interest to the Commission;

(b) Conducting study of best practices, analyzing data, developing benchmarks, or for any other similar purpose;

(c) Performance of tasks requiring experience and qualifications which are either not available within the Commission or, in the opinion of the Commission, the engagement of consultant shall be a more efficacious and efficient method of completing the task in terms of quality, time or for any other consideration;

(d) Assisting the Commission in performing their functions, if the Commission is satisfied that there has been increase in quantum of work in the Commission or regular posts could not be filled due to various constraints;

(e) Performing such other functions and for generally assisting the Commission in the performance of its functions, if the Commission considers it necessary.

4. Period of Engagement–

Consultants shall be engaged for the minimum period as required and in no case engagement of consultant shall exceed a continuous period of four years.

5. Categorization of Consultants–

Consultants shall be categorized as:

(a) Professional Consultancy Firms;

(b) Individual Consultants ;

(c) Retired Government Employees;

(d) Professional Experts.

6. Professional Consultancy Firms–

(1) The Commission, on being satisfied that there is a need for availing consultancy services which, in its opinion, may be more appropriately provided by a firm, or a company or an association or body of persons or when team work comprising of more than two resources from diverse background such as technical, regulatory, finance and legal *etc*. are required to efficiently perform any particular assignment, may decide to engage professional consultancy firms which have proven past experience of similar assignments across various states and stakeholders. Mention of professional consultancy firm in this Regulation shall also include consortium.

(2) The Secretariat shall prepare the bid documents including the terms of reference indicating among others the scope of the work, various deliverables, milestones and the schedule of payments linked to achievement of each milestone and draft contract.

(3) The Chairperson shall constitute the CEC comprising the Secretary, Senior Finance and Accounts Officer/Account Officer, and an appropriate Officer of the rank of Director as nominated by the Chairperson.

(4) The CEC shall, after necessary modification, if any, obtain approval of the Commission for the bid documents including the terms of reference for engagement of a consultant.

(5) The CEC, shall decide the weightage to be allocated to each of the parameters for the purpose of evaluation of bids, allocating minimum 70% weightage to technical proposal of the bid documents:

Provided that the limit of allocation of 70% weightage to technical proposal may be increased subject to a maximum of 80% if the Commission feels it appropriate based on the nature of assignment.

(6) After finalizing the weightages under clause (5), the Secretary shall invite single stage bids, containing technical and financial proposals in separate sealed envelopes, through publication of notice in at least two news papers and also on the Commission's website giving, as far as possible, a notice of not less than three weeks:

Provided that in matters of urgency, the period of notice may be reduced to less than three weeks but shall not be less than two weeks, as may be decided with the approval of the Chairperson.

(7) The CEC shall evaluate the bids through 'Combined-Quality-Cum-Cost-Based System' based on the pre-determined weightages allocated to each of the parameters:

Provided that the CEC shall not proceed with evaluation of bids, unless at least three valid bids have been received:

Provided further that the condition of three valid bids may be relaxed with the prior approval of the Commission in case the adequate number of bids are not received.

(8) The professional consultancy firm shall be engaged after obtaining the approval of the Commission.

(9) The appointment of the professional consultancy firm shall be either on retainership or milestone linked based on the nature of assignment and shall be specified in the bid documents.

(10) The professional consultancy firm appointed for an assignment based on the procedure specified in this Regulation shall deploy number of resources as specified in the bid documents.

(11) Notwithstanding anything contained in this Regulation, in matters of urgent nature and involving financial commitment not likely to exceed Rs. Ten lakhs, the Commission may avail consultancy services of professional consultancy firm on the basis of single sourcing without tender process.

(12) Notwithstanding anything contained in this Regulation, for consulting assignments in Commission, the CEC with the approval of the Commission may shortlist and prepare a panel of professional consultancy firms/ agencies/ institutions/ universities based on evaluation on the pre-specified criteria as specified, of responses received against Expression of Interest through advertising on the Commission's website and newspaper advertisement. Enquiry for seeking Expression of Interest shall include among others, the broad type of consulting assignments, eligibility and the pre-qualification criteria to be met by the consultants, consultant's past experience in similar work or service. The number of short-listed professional consultancy firms/ agencies/ institutions/ universities shall be limited to a maximum of three.

The panel prepared by the CEC after approval of the Commission shall be valid for two years. The Commission may further extend the validity of the panel for one more year.

The Commission has the option to engage consultancy services either through milestone-based contracts or by selectively hiring individual experienced consultants of the firms in the panel in accordance with its specific needs. The Commission shall have the right to release the consultants deployed in case of lack of performance/ ability or unavailability of the individual and the firm will provide the replacement of the individual:

Provided that during the validity of panel, the financial bids shall be invited from the panel and the firm shall be engaged on the basis of 'Least Cost System' after obtaining approval of the Commission.

(13) The Commission on being satisfied, may decide to enter into a memorandum of understanding with Nationally or Internationally reputed institutions to benefit from their expertise in discharge of its functions, on payment of such fee and on such other terms as may be considered appropriate.

(14) The Commission may engage the services of a law firm on such terms & conditions as may be decided from time to time, for seeking expert legal advice on various matters under consideration of the Commission.

7. Individual Consultants–

(1) The Commission, on being satisfied that there is a need for availing consultancy services which in its opinion can be more efficiently performed by individuals, having qualification and experience considered essential for an assignment and when such task is measurable in terms of individual performance, may decide to engage individual consultants.

(2) The Chairperson shall constitute the CEC comprising the Secretary, Senior Finance & Accounts Officer/ Account Officer, and an appropriate Officer of the rank of Director as nominated by the Chairperson.

(3) The Secretariat shall prepare the terms of reference indicating among others the scope of the work, milestones to be achieved, the schedule of payments linked to achievement of each milestone, the experience and qualification required and the terms and conditions of engagement.

(4) The CEC shall, after necessary modification, if any, obtain approval of the Chairperson for the terms of reference for engagement of individual consultant.

(5) The Secretary shall call for applications through publication of notice in two newspapers and on the Commission's website giving, as far as possible, a period of at least three weeks for submission of applications.

(6) Based on the applications received, the CEC shall, on the basis of the educational qualifications and experience and performance test or interview, if any, shortlist a panel of persons, for appointment as consultant, having regard to, but not limited to, the following, namely:-

(a) Academic background;

(b) Experience;

(c) Knowledge of the working environment such as language, culture, administrative system and other relevant factors:

Provided that the CEC shall, while short listing the panel shall consider the profile of atleast three candidates:

Provided further that the condition of three candidates may be relaxed with the approval of the Chairperson, if the responses from sufficient number of candidates are not received.

(7) The candidate (from the panel prepared by the CEC) approved by the Chairperson shall be engaged as individual consultant.

(8) Individual Consultant shall be engaged on retainership basis in the category of "Specialist Consultant" having relevant experience of less than 10 years or in the category of "Senior Specialist Consultant" having relevant experience of more than 10 years. The consolidated fee shall be commensurate with their academic qualifications, total experience in number of years, domain expertise and knowledge required for the deliverables. The details of the fee are mentioned in Annexure-1. The maximum consolidated fee may be revised by the Commission through an Order.

(9) The maximum numbers of individual consultants that can be deployed at any point of time shall be limited to ten for assisting in various fields, as considered appropriate by the Commission:

Provided that the Commission, when it deems necessary, may extend the limit of number of individual consultants as specified above through an order.

(10) Individual consultant shall be engaged initially for a period of two years, extendable upto 3 years upon approval of the Chairperson. An annual escalation upto 10% on the fee may be given with the approval of the Chairperson based on the performance of the individual consultant during the preceding year.

(11) The age of the applicant to be appointed as individual consultant for different categories as on 1st January of the year of advertisement shall be below 62 years:

Provided that no individualconsultant would be retained in the Commission after attaining the age of 65 years.

(12) Notwithstanding anything above, for Administration/ IT/ Accounts related works, Consultants may be appointed upon approval of the Chairperson depending on the requirement:

Provided that for the consultants already engaged with the Commission for Administration, IT and Accounts related works, the duration of the deployment and emoluments shall be governed as per the terms and conditions of their contract.

8. Retired Government Employees–

(1) The Commission may engage retired Government employees, retired employees of PSUs related to power sector, or retired officers of Electricity Regulatory Commissions as consultant(s) who have subject knowledge and relevant experience.

(2) Consolidated fee for engagement shall be as per the Governing order(s) of the Commission or as per the extant policy of the State Government for reappointment.

9. Professional Experts–

(1) The Commission, on being satisfied for the need, may decide to engage consultant(s) where a highly specialized consultation is required on any existing or new or evolving subject.

(2) The Chairperson shall constitute the CEC comprising the Secretary, Senior Finance & Accounts Officer/ Account Officer, and an appropriate Officer of the rank of Director as nominated by the Chairperson.

(3) The CEC shall formalize the proposal and prepare a list of professionals having the requisite expertise in the field, willingness to accept consultancy work and the fee demanded by each of them.

(4) The Commission may approve the name of the professional expert for engagement as consultant on payment of such fee and on such other terms as may be considered appropriate:

Provided that the fee so decided shall not exceed Rs. Ten lakhs for an individual professional expert for a specific assignment. The fee may be revised by the Commission through an order.

10. Conflict of Interest–

Consultants shall not be engaged for any assignment that would be in conflict with their prior or current obligations to other clients or that may place them in a position of not being able to carry out the assignments objectively and impartially.

11. Power to Relax–

The Commission may, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations.

12. General Power to Amend–

The Commission may, at any time and on such terms as it may deem fit, amend any of these regulations for the purpose of meeting the objectives with which these regulations have been framed.

13. Repeal and Saving–

(1) Save as otherwise provided in these regulations the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) Regulations, 2000 and its amendments shall stand repealed from the date of notification of these regulations.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or purported to have been done under the repealed regulations shall be deemed to have been done or purported to have been done under these regulations.

By the order of Commission,
SHAILENDRA GAUR,
Sachiv.

ANNEXURE-1

A. Maximum consolidated fee for Individual Consultants:

1. Specialist Consultant: ₹ 1,50,000/- per month (excluding tax/cess, if applicable)
2. Senior Specialist Consultant: ₹ 2,50,000/- per month (excluding tax/cess, if applicable)

B. In deserving cases, an additional fee not exceeding 10% of the fees indicated above may be granted at the time of initial engagement on the basis of the recommendations of the CEC and after approval by the Chairperson.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 797 राजपत्र–2023–(2276)–588 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 9 सा0 ऊर्जा–2023–(2277)–600 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

क्रम-संख्या–119

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 13 जुलाई, 2023

आषाढ़ 22, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग–1

संख्या 267 / 27-1–2023–50-85
लखनऊ, 13 जुलाई, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०–27

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) (समूह ''क'') नियमावली, 1990 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:–

उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) (समूह ''क'') (षष्टम संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) (समूह''क'') (षष्टम संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–5 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) (समूह ''क'') नियमावली, 1990 में, नियम–5 में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान उपनियम (तीन) के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–एक **विद्यमान उपनियम**	स्तम्भ–दो **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**
5 (तीन) मुख्य अभियन्ता, सिविल या यांत्रिक–स्तर–दो :–	5 (तीन) मुख्य अभियन्ता, सिविल या यांत्रिक–स्तर–दो :–
यथास्थिति, सिविल या यांत्रिक शाखा में मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अधीक्षण	यथास्थिति, सिविल या यांत्रिक शाखा में मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अधीक्षण

स्तम्भ–एक **विद्यमान उपनियम**	स्तम्भ–दो **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**
अभियन्ताओं, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पच्चीस वर्ष की सेवा (जिसमें अधीक्षण अभियन्ता के रूप में कम से कम एक वर्ष की सेवा भी सम्मिलित हो) पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा;	अभियन्ताओं, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को बाईस वर्ष की सेवा (जिसमें अधीक्षण अभियन्ता के रूप में कम से कम एक वर्ष की सेवा भी सम्मिलित हो) पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा;

आज्ञा से
अनिल गर्ग,
प्रमुख सचिव।

———

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 267 /XXVII-1-2023-50/85, dated, July13, 2023:

No. 267/XXVII-1–2023-50-85

Dated Lucknow, July 13, 2023

IN exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Service of Engineers (Irrigation Department) (Group "A") Rules, 1990:

THE UTTAR PRADESH SERVICE OF ENGINEERS (IRRIGATION DEPARTMENT) (GROUP "A") (SIXTH AMENDMENT) RULES, 2023

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Service of Engineers (Irrigation Department)(Group "A") (Sixth Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of Rule 5

2. In the Uttar Pradesh Service of Engineers (Irrigation Department) (Group "A") Rules, 1990, in rule 5, for existing sub-rule (iii) set out in Column-I below, the sub-rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-I *Existing sub-rule*	COLUMN -II *Sub-rule as hereby substituted*
5 (iii) Chief Engineer, Civil or Mechanical- Level II - By promotion from amongst the substantively appointed Superintending Engineers in the Civil or Mechanical Branch, as the case may be, who have completed **twenty-five** years' service (including at least one year's service as Superintending Engineer) on the first day of the year of recruitment;	**5 (iii) Chief Engineer, Civil or Mechanical- Level II -** By promotion from amongst the substantively appointed Superintending Engineers in the Civil or Mechanical Branch, as the case may be, who have completed **twenty-two** years' service (including at least one year's service as Superintending Engineer) on the first day of the year of recruitment;

By order,
ANIL GARG,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 442 राजपत्र–2023–(1439)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सा0 सिंचाई एवं जल संसाधन–2023–(1440)–100 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

क्रम-संख्या–217

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 28 दिसम्बर, 2023
पौष 7, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2

संख्या 3363/81-2–2023-165जी-2017
लखनऊ, 28 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

सा0प0नि0–50

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) की धारा 51क के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश आरामिल की स्थापना और विनियमन नियमावली, 1978 को संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है।

उत्तर प्रदेश आरामिल की स्थापना और विनियमन (सप्तम संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आरामिल की स्थापना और विनियमन (सप्तम संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नया नियम 16 का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश आरामिल की स्थापना एवं विनियमन नियमावली, 1978 में, नियम 15 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम 16 बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात :–

नियमावली की प्रयोज्यता

16. इस नियमावली की कोई बात घरेलू बढ़ईगीरी, लकड़ी के खिलौने बनाने वाली इकाई, काष्ठ हस्तकला बनाने की इकाई, जलौनी लकड़ी के डिपो, लकड़ी के बुरादे का उपयोग करने वाली इकाईयों के सामान्य प्रचालन या लघु पैमाने पर अन्य समरूप प्रचालनों, जिसके पास गोल प्रकाष्ठ के चिरान, संपरिवर्तन, कटान एवं प्रसंस्करण की सुविधा नहीं है, पर लागू नहीं होगी।

आज्ञा से,
मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3363/LXXXI-2–2023-165G-2017, dated December 28, 2023:

No. 3363/LXXXI-2–2023-165G-2017

Dated Lucknow, December 28, 2023

IN exercise of the powers conferred under clause (a) of section 51-A of the Indian Forest Act, 1927 (Act no. 16 of 1927) *read* with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Establishment and Regulation of Saw Mills Rules, 1978.

THE UTTAR PRADESH ESTABLISHMENT AND REGULATION OF SAW MILLS (SEVENTH AMENDMENT) RULES, 2023

Short title extent and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Establishment and Regulation of Saw Mills (Seventh Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the official *Gazette.*

Insertion of new rule 16

2. In the Uttar Pradesh Establishment and Regulation of Saw Mills Rules, 1978, after rule 15, the following new rule 16 shall be *inserted*, namely :-

"Application of rule

16. Nothing in these rules shall apply to the general operation of domestic carpentry, wooden toys units, wooden handicraft units, firewood depots, units using wood sawdust or other similar operations on a small scale, which does not have facility for sawing conversion, cutting and processing of round logs."

By order,
MANOJ SINGH,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 826 राजपत्र—2023—(2335)—599+50=649 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

826 RPH (Paryavaran Anubhag-2) 2023 data 4e

क्रम-संख्या–128

रजिस्टर्ड नं० एल० डब्ल्यू०/एन०पी० 561
लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, सोमवार, 21 जुलाई, 2023 ई0

(आषाढ़ 30, 1945 शक संवत्)

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या-3879/दस-लाइसेंस-77/ बियर फुटकर नियमावली /2023-2024

प्रयागराज, दिनांक 21 जुलाई, 2023 ई0

अधिसूचना

सा0प0नि0–31

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 24-ख और 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से समय समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं0 12011/दस-लाइसेंस-77/इलाहाबाद 21 मार्च, 2001 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी (बीयर के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली-2001 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-

उत्तर प्रदेश आबकारी (बीयर के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन)
(इक्कीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2023

1. संक्षिप्त नाम औरप्रारम्भ (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (बीयर के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) **(इक्कीसवाँ संशोधन)** नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. नियम-2-का संशोधन– उत्तर प्रदेश आबकारी (बीयर के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 (जिसे आगे-उक्त नियमावली कहा गया है), में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
2(1) परिभाषांए - जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में-	**2(1) परिभाषांए- जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में-**
(क)"अधिनियम'' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;	**(क)"अधिनियम'' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;**
(ख) "बीयर'' में एल, स्टाउट, पोर्टर, साइडर तथा माल्ट से बनी अन्य सभी किण्वित शराब जिसकी तीव्रता 3 प्रतिशत वी/वी से 8 प्रतिशत वी/वी के मध्य है, सम्मिलित हैं;	**(ख)''अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क'' का तात्पर्य, बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0) के अधिकतम फुटकर मूल्य को दस रूपये के अगले गुणांक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो आवसनी/ यवासवनी/ विनटनरी स्तर पर संदेय होगी तथा आसवनी/ यवासवनी/ विनटनरी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से एक्स डिस्टलरी लागत/एक्स ब्रिवरी लागत/ एक्स विनटनरी लागत के अतिरिक्त वसूली योग्य होगी जो थोक आपूर्तिकर्ता द्वारा फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक मूल्य के अतिरिक्त वसूल की जा सकेगी;**
(ग) "दैनिक लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य सम्पूर्ण वर्ष के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस के 1/365 वें भाग से है;	**(ग) "बीयर'' में एल, स्टाउट, पोर्टर, साइडर तथा माल्ट से बनी अन्य समस्त किण्वित शराब जिसकी तीव्रता 3 प्रतिशत वी/वी से 8 प्रतिशत वी/वी के मध्य है, सम्मिलित हैं;**
(घ) "आबकारी वर्ष'' का तात्पर्य एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;	**(घ) "प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा 30 के अधीन बियर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय पर राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित शुल्क से है, जो बियर और कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जाएगी;**
(ड) "परिवार''का तात्पर्य दम्पति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र/पुत्रों, अविवाहिता पुत्री/पुत्रियां तथा आश्रित माता-पिता से है और इसमें वे सम्मिलित हैं;	**(ङ)"दैनिक लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य सम्पूर्ण वर्ष के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस के 1/365 वें भाग से है;**
(च) "प्रपत्र''का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;	**(च)'धरोहर धनराशि' का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 भाग के बराबर की धनराशि से है तथा व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम-12 के उपबन्धों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी;**
(छ) "लाइसेंस प्राधिकारी''का तात्पर्य जिले के कलक्टर से है;	**(छ) "आबकारी वर्ष''का तात्पर्य एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;**

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ज) "लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24-क के अधीन फुटकर बिक्री की दुकान से बीयर ,वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विषेशाधिकार के लिये, राज्य सरकार के परामर्श से, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर सम्पूर्ण आबकारी वर्ष अथवा उसके आंशिक भाग के लिये लाइसेंस दिये जाने हेतु प्रतिफल के रूप में ली जाने वाली नियत राशि से है; परन्तु यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन अथवा पुनर्व्यवस्थापन मध्य सत्र में अवशेष अवधि के लिये किया जाता है, तो दुकान के लिए लाइसेंस फीस का निर्धारण वर्ष की अवशेष अवधि के समानुपात में किया जायेगा;	**(ज)"परिवार''का तात्पर्य दम्पति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र(पुत्रों), अविवाहिता पुत्री(पुत्रियां) तथा आश्रित माता-पिता से है और इसमें वे सम्मिलित हैं;**
(झ) "प्रतिभूति धनराशि''का तात्पर्य जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद/बैंक गारण्टी के माध्यम से अथवा राज्य सरकार के प्रति समस्त दावों और देयों का अन्तिम निस्तारण करने के पश्चात प्रतिसंदेय ई-भुगतान के माध्यम से जमा की जाने वाली लाईसेंस फीस के दस प्रतिशत के बराबर की धनराशि से है; परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय;	**(झ)"प्रपत्र''का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;**
(ञ) "कम तीव्रता के मादक पेय'' का तात्पर्य कारबोनेट युक्त मादक पेय से है, जिसमें 5 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता और 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक 10 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता एल्कोहल हो, जो एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई0एन0ए0) से निर्मित की गई हो और जो वासक या रंजक द्रव्य या दोनों या अन्य द्रव्य को मिलाकर परिष्कृत की गयी हो जिससे कि वह विशिष्ट स्वाद वाली हो जाय;	**(ञ)'अनुक्रम' का तात्पर्य ई/लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन के लिये आधार के रूप में तात्पर्यित दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है;**
(ट)''अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क'' का तात्पर्य, बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0) के अधिकतम फुटकर मूल्य को दस रूपये के अगले गुणांक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो आवसनी/यवासवनी/विनटनरी स्तर पर संदेय होगी तथा आसवनी/यवासवनी/विनटनरी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से एक्स डिस्टलरी लागत/एक्स ब्रिवरी लागत/एक्स विनटनरी लागत के अतिरिक्त वसूली योग्य होगी जो थोक आपूर्तिकर्ता द्वारा फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक मूल्य के अतिरिक्त वसूल की जा सकेगी;	**(ट) ''व्यक्ति''का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो;**

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ठ) 'धरोहर धनराशि' का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 भाग के बराबर की धनराशि से है, जो व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम-12 के उपबन्धों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी;	**(ठ) "लाइसेंस फीस" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24-क के अधीन फुटकर बिक्री की दुकान से बीयर ,वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की फुटकर बिक्री के अनन्य विषेशाधिकार के लिये, राज्य सरकार के परामर्श से, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर सम्पूर्ण आबकारी वर्ष अथवा उसके आंशिक भाग के लिये लाइसेंस दिये जाने हेतु प्रतिफल के रूप में ली जाने वाली नियत राशि से है:** **परन्तु यह कि यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन/ पुनर्व्यवस्थापन मध्य सत्र में वर्ष की अवशेष अवधि के लिये किया जाता है, तो दुकान के लिए लाइसेंस फीस का निर्धारण वर्ष की अवशेष अवधि के समानुपात में किया जायेगा;**
(ड) 'अनुक्रम' का तात्पर्य ई/लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन के लिये आधार के रूप में तात्पर्यित दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है;	**(ड) "लाइसेंस प्राधिकारी"का तात्पर्य जिले के कलक्टर से है;**
(ढ)''पोर्टल'' का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म, जिस पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से सम्बन्धित इसके वितरण के समाप्य अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड किया जायेगा, से है;	**(ढ) "कम तीव्रता के मादक पेय" का तात्पर्य कारबोनेट युक्त मादक पेय से है, जिसमें 5 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता और 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक 10 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता एल्कोहल हो, जो एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई0एन0ए0) से निर्मित की गई हो और जो वासक या रंजक द्रव्य या दोनों या अन्य द्रव्य को मिलाकर परिष्कृत की गयी हो जिससे कि वह विशिष्ट स्वाद वाली हो जाय;**
(ण)''ऋणशोधन क्षमता''का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने वाले आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय मानदण्ड से है;	**(ण) "पोर्टल" का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म, जिस पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से सम्बन्धित इसके वितरण के समाप्य अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड किया जायेगा, से है;**
(त) ''व्यक्ति '' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो;	**(त) "मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व"का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा नियतऔर लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ किसी आबकारी वर्ष के माह में अपनी फुटकर दुकान के लिये उठाये जाने हेतु प्रत्याभूत बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0) से प्राप्त समतुल्य राजस्व से है;**

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(थ)''व्यवस्थापन'' का तात्पर्य नवीकरण, ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से दुकानों के व्यवस्थापन अथवा पुनर्व्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है;	**(थ) "प्रतिभूति धनराशि"का तात्पर्य जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा राज्य सरकार के प्रति समस्त दावों और देयों का अन्तिम निस्तारण करने के पश्चात प्रतिसंदेय ई-भुगतान के माध्यम से जमा की जाने वाली लाईसेंस फीस के दस प्रतिशत के बराबर की धनराशि से है:** **परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में, पूर्व में नकद/ ई-पेमेन्ट अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा बैंक गांरण्टी के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय;**
(द) ''प्रतिफल शुल्क'' का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा 30 के अधीन बियर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय पर राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित शुल्क से है, जो बियर और कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जाएगी;	**(द) ''व्यवस्थापन'' का तात्पर्य नवीकरण, ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से दुकानों के व्यवस्थापन अथवा पुनर्व्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है;**
(ध)'राज्य' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है।	**(ध)''ऋणशोधन क्षमता''का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने वाले आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय मानदण्ड से है;**
(न)'वाइन' का तात्पर्य द्राक्षासव या किसी अन्य फल के गूदे या रस के अल्कोहलयुक्त किण्वन से प्राप्त उत्पाद से है जो प्राकृतिक हो या तेज की गयी हो और जिसकी अल्कोहलिक अन्तर्वस्तु 42 प्रतिशत प्रूफ स्प्रिट से अधिक न हो।	**(न)'राज्य' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;**
(प)''त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व''का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा नियतऔर लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ किसी आबकारी वर्ष के त्रैमास में अपनी फुटकर दुकान के लिये उठाये जाने हेतु प्रत्याभूत बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0) से प्राप्त समान राजस्व से है।	**(प)'वाइन' का तात्पर्य द्राक्षासव या किसी अन्य फल के गूदे या रस के अल्कोहलयुक्त किण्वन से प्राप्त उत्पाद से है जो प्राकृतिक हो या तेज की गयी हो और जिसकी अल्कोहलिक अन्तर्वस्तु 42 प्रतिशत प्रूफ स्प्रिट से अधिक न हो।**
(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हों।	**(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हों।**

3-नियम-6 का संशोधन–उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम-6 लाइसेंस की स्वीकृति -	नियम-6 लाइसेंस की स्वीकृति -
इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस का अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से भुगतान किये जाने पर और जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद/बैंक गारण्टी के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से प्रतिभूति जमा किये जाने पर लाइसेंस स्वीकृत किया जायेगाः परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जायेगी। लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिले में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकन द्वारा निर्गत सम्पति स्वमित्व प्रमाण-पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करे, जहाँ से उसे लाइसेंस स्वीकृति के समय जारी किया गया है।	इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस का अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से भुगतान किये जाने पर और जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत **सावधि जमा रसीद के** माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से प्रतिभूति जमा किये जाने पर लाइसेंस स्वीकृत किया जायेगाः परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद/ई-पेमेन्ट अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा बैंक गारंण्टी के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जायेगी। लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिले में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकन द्वारा निर्गत सम्पति स्वमित्व प्रमाण-पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करे, जहाँ से उसे लाइसेंस स्वीकृति के समय जारी किया गया है।

4-नियम-7 का संशोधन–उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-7 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
7. लाइसेंस स्वीकृति के लिए आवेदन-	7. लाइसेंस स्वीकृति के लिए आवेदन-
(क) जब कभी किसी क्षेत्र या स्थान में नया लाइसेंस स्वीकृत करना प्रस्तावित हो, लाइसेंस प्राधिकारी, दैनिक समाचार पत्रों, जिनका उस क्षेत्र में परिचालन हो, में व्यापक प्रचार-प्रसार करने और आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexcise.in) के साथ-साथ जिले की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के पश्चात् इस प्रयोजनार्थ आवेदन आमंत्रित करेगा।	(क) जब कभी किसी क्षेत्र या स्थान में नया लाइसेंस स्वीकृत करना प्रस्तावित हो, लाइसेंस प्राधिकारी, दैनिक समाचार पत्रों, जिनका उस क्षेत्र में परिचालन हो, में व्यापक प्रचार-प्रसार करने और आबकारी विभाग की वेबसाइट **(www.upexciseportal.in)** के साथ-साथ जिले की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के पश्चात् इस प्रयोजनार्थ आवेदन आमंत्रित करेगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ख) बीयर की फुटकर दुकानों, जिनकी लाइसेंस की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित है, की सूची दुकानवार लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि और धरोहर धनराशि सहित कलेक्टर के कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय और प्रभारी उप आबकारी आयुक्त के कार्यालय में प्रदर्शित की जायेगी। यह सूचना आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexcise.in) के साथ-साथ प्रत्येक जिले की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जायेगी।	(ख) बीयर की फुटकर दुकानों, जिनकी लाइसेंस की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित है, की सूची दुकानवार लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि और धरोहर धनराशि सहित कलेक्टर के कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय और प्रभारी उप आबकारी आयुक्त के कार्यालय में प्रदर्शित की जायेगी। यह सूचना आबकारी विभाग की वेबसाइट **(www.upexciseportal.in)** के साथ-साथ प्रत्येक जिले की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जायेगी।
(ग) लाइसेंस की स्वीकृति के लिए आवेदन समाचार पत्रों में विज्ञापित समय-सारिणी के अनुसार ऑनलाइन जमा किये जायेंगे । (1) ऋणषोधन क्षमता प्रमाण (2) आधार कार्ड, (3) पैन कार्ड (4) गतवर्ष की आयकर विवरणी (5) विहित प्रारुप में शपथ पत्र की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।	(ग) लाइसेंस की स्वीकृति के लिए आवेदन समाचार पत्रों में विज्ञापित समय-सारिणी के अनुसार ऑनलाइन जमा किये जायेंगे। **(एक) ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र; (दो) पैन कार्ड; (तीन) गतवर्ष की आयकर विवरणी की छायाप्रति; (चार) विहित प्रारुप में शपथ पत्र; (पाँच)** विहित प्रारुप में शपथ पत्र की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।
राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित दर से प्रसंस्करण फीस और धरोहर धनराषि व उस पर संदेय वैट/ जी0एस0टी0 का भुगतान आन लाइन किया जायेगा।	राज्य सरकार **द्वारा** यथानिर्धारित दर से प्रसंस्करण फीस और धरोहर धनराशि व उस पर संदेय वैट/ जी0एस0टी0 का भुगतान आन लाइन किया जायेगा।
(घ) आवेदन प्राप्ति के लिए नियत किया जाने वाला अन्तिम दिनांक समाचार पत्रों और आबकारी विभाग की वेबसाइट(www.upexcise.in) में किए गए विज्ञापन में यथा नियत दिनों की संख्या से पहले न होगा।	(घ) आवेदन प्राप्ति के लिए नियत किया जाने वाला अन्तिम दिनांक समाचार पत्रों और आबकारी विभाग की वेबसाइट **(www.upexciseportal.in)** में किए गए विज्ञापन में यथा नियत दिनों की संख्या से पहले न होगा।

5-नियम-8 का संशोधन– उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
8- आवेदक के लिए पात्रता की शर्तें- फुटकर बीयर की बिक्री की दुकानों के लाइसेंस के लिए पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी- अर्थात्-	8-आवेदक के लिए पात्रता की शर्तें- फुटकर बीयर की बिक्री की दुकानों के लाइसेंस के लिए पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी- अर्थात्-
(क) आवेदन, एक व्यक्ति द्वारा हो जो भारत का नागरिक हो, परन्तु नवीकरण की स्थिति में सह-आवेदक, यदि कोई हो, जो भारत का नागरिक हो, भी अनुज्ञात होगा।	(क) आवेदन, एक व्यक्ति **द्वारा** हो जो भारत का नागरिक हो, परन्तु नवीकरण की स्थिति में सह-आवेदक, यदि कोई हो, जो भारत का नागरिक हो, भी अनुज्ञात होगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
भागीदार वाली फर्म अथवा कम्पनी, फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये अर्ह नहीं होगी। इसी प्रकार थोक विक्रेता अथवा आसवनी /यवासवनी/ मदिरा/बीयर निर्माता भी किसी प्रकार की फुटकर दुकान का लाइसेंस धारण करने के लिये पात्र नहीं होगा।	भागीदार वाली फर्म अथवा कम्पनी, फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये अर्ह नहीं होगी। इसी प्रकार थोक विक्रेता अथवा आसवनी /यवासवनी/ मदिरा/बीयर निर्माता भी किसी प्रकार की फुटकर दुकान का लाइसेंस धारण करने के लिये पात्र नहीं होगा।
दुकान के आवंटन के पश्चात आवेदक की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन अनुज्ञात न होगा। लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में उसका विधिक वारिस, यदि अन्यथा पात्र हो लाइसेंस की अवशेष अवधि के लिए लाइसेंस बना रह सकता है।	दुकान के आवंटन के पश्चात् आवेदक की स्थिति में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा, लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में **लाइसेंसधारी द्वारा दिये गये नामनिर्देशन शपथ पत्र(यदि कोई हो) के अनुसार विधिक** वारिसों**/परिवार के** सदस्यों**/ निकट** सम्बन्धियों**, के नाम, यदि अन्यथा अपात्र न हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बने रहने के लिये नामनिर्देशन शपथ पत्र में उल्लिखित वरीयता के अनुसार विचारित किये जायेंगे:**
	परन्तु मृतक लाइसेंसधारी के नामनिर्देशन शपथ पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में उसका विधिक वारिस लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बना रह सकता है:
परन्तु यह और कि यदि संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो, तो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु की दशा में जीवित व्यक्ति मृतक के विधिक वारिस (वारिसो)के साथ यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस बना रह सकेगा या दोनों व्यक्तियों की मृत्यु की दशा में उसके विधिक वारिस (उत्तराधिकारी) यदि अन्यथा पात्र हो, लाइसेंस बना रह सकेगा दो व्यक्तियों के वैधानिक दायित्वों के मध्य कोई भेद नहीं किया जायेगा जो संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होगे।	परन्तु यह और कि यदि संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो, तो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में जीवित व्यक्ति एवं **उपर्युक्तानुसार चयनित** मृत **लाइसेंसधारी का विधिक वारिस अथवा नामनिर्देशिती, यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस की धारिता को जारी रख सकता है। दो व्यक्तियों के वैधानिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा जो संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे;**
(ख) आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के लिये नियत अवधि के प्रथम दिवस पर इक्कीस वर्ष की आयु से अधिक हो।	(ख) आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के लिये नियत अवधि के प्रथम दिवस पर इक्कीस वर्ष की आयु से अधिक हो।
(ग) व्यतिक्रमी/काली सूची वाला न हो या अधिनियम या तद्धीन बनाई गयी नियमावली के उपबन्धों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति, जो किसी आबकारी अपराध के लिए दोषसिद्ध पाया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न कर दिया गया हो।	(ग) व्यतिक्रमी/काली सूची वाला न हो या अधिनियम या तद्धीन बनाई गयी नियमावली के उपबन्धों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति, जो किसी आबकारी अपराध के लिए दोषसिद्ध पाया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न कर दिया गया हो।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(गग) आवेदनकर्ता, किसी एक दुकान के लिए स्वंय के नाम से मात्र एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए पात्र होगा। परन्तु नवीकरण की स्थिति में आवेदक एवं सह-आवेदक दोनों पात्र होंगे तथा नवीकरण हेतु उनकी पारस्परिक सहमति आवश्यक होगी।	(गग) आवेदनकर्ता, किसी एक दुकान के लिए स्वंय के नाम से मात्र एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए पात्र होगा**:** परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में आवेदक एवं सह-आवेदक दोनों पात्र होंगे तथा नवीकरण हेतु उनकी पारस्परिक सहमति आवश्यक होगी।
(घ) निम्नलिखित के प्रमाण स्वरूप पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रुप से सत्यापित शपथपत्र प्रस्तुत करेगाः-	(घ) निम्नलिखित के प्रमाण स्वरूप पब्लिक नोटरी **द्वारा** सम्यक रुप से सत्यापित शपथपत्र प्रस्तुत करेगाः-
(एक) यह कि उसके पास समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबंधों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर है अथवा उसने किराए पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध किया है।	(एक) यह कि उसके पास समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबंधों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर है अथवा उसने किराए पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध किया है।
(दो) यह कि उसकी दुकान के प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।	(दो) यह कि उसकी दुकान के प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।
(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए दोष सिद्व न किया गया हो।	(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए **दोषसिद्ध** न किया गया हो।
(चार) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में उसके चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह निवासी है, के जिला कलक्टर या सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट, सहायक पुलिस आयुक्त की रैंक से अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र यह दर्शाते हुए प्रस्तुत करना होगा कि लाइसेंस जारी होने के पूर्व उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक अभिलेख नहीं है।	(चार) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में उसके चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह निवासी है, के जिला कलक्टर या सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट, सहायक पुलिस आयुक्त की रैंक से अनिम्न अधिकारी **द्वारा** जारी प्रमाण-पत्र यह दर्शाते हुए प्रस्तुत करना होगा कि लाइसेंस जारी होने के पूर्व उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक अभिलेख नहीं है।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(पाँच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड-(तीन) में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी जिला आबकारी अधिकारी से अधिकृत बिक्रेता/प्राधिकृत प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करेगा।	(पाँच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड-तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी जिला आबकारी अधिकारी से **राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित फीस के संदाय के उपरान्त** प्राधिकृत बिक्रेता/प्राधिकृत प्रतिनिधि का फोटोयुक्त **नौकरनामा** प्राप्त करेगा।
(छः) यह कि उस पर किसी सार्वजनिक देयों या सरकारी देयों का बकाया नहीं है।	(छः) यह कि उस पर किसी सार्वजनिक देयों या सरकारी देयों का बकाया नहीं है।
(सात) यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्योरा, यदि अपेक्षित होगा, लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।	(सात) यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्योरा, यदि अपेक्षित होगा, लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।
(आठ)यह कि आवेदक माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त हो जाने के उपरान्त यह प्रमाणित हो जाता है कि वह माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे आवंटित किया गया लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।	(आठ)यह कि आवेदक माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त हो जाने के उपरान्त यह प्रमाणित हो जाता है कि वह माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे आवंटित किया गया लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।
(नौ) यह कि आवेदक बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। राज्य सरकार का कर्मचारी भी लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये अपात्र होगा।	(नौ) यह कि आवेदक बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। राज्य सरकार का कर्मचारी भी लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये अपात्र होगा।
(दस) यह कि लाइसेंसधारी के रुप में चयन हो जाने की स्थिति में चयन के 48 घंटे के भीतर धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जिसे आन-लाइन आवेदन के साथ अपलोड किया गया है, को जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करा देगा।	(दस) यह कि लाइसेंसधारी के रुप में चयन हो जाने की स्थिति में चयन के 48 घंटे के भीतर धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जिसे आन-लाइन आवेदन के साथ अपलोड किया गया है, को जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करा देगा।
(ग्यारह) यह कि उसने धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग इस चरण में किसी अन्य दुकान हेतु आवेदन में नही किया है।	(ग्यारह) यह कि उसने धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग इस चरण में किसी अन्य दुकान हेतु आवेदन में नही किया है।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ङ) आवेदक द्वारा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट जो सम्बन्धित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी हो, की स्कैन प्रति आनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा।	(ङ) आवेदक द्वारा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट जो सम्बन्धित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी हो, की स्कैन प्रति आनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा।
लाइसेंसधारी के रूप में चयन हो जाने की स्थिति में, धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट, चयन के पश्चात अड़तालीस घंटे के भीतर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा जिसे दुकान की सभी देयताओं के भुगतान के उपरान्त वापस कर दिया जायेगा।	लाइसेंसधारी के रूप में चयन हो जाने की स्थिति में, धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट, चयन के पश्चात् अड़तालीस घंटे के भीतर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा जिसे दुकान की सभी देयताओं के भुगतान के उपरान्त वापस कर दिया जायेगा।
(च) आवेदक ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र का धारक हो तथा उसकी ऋणशोधन क्षमता या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पति स्वामित्व प्रमाण पत्र की मालियत जिला में आवेदित दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिए अवधारित लाइसेंस शुल्क की धनराशि से कम नही होगी।	(च) आवेदक ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र का धारक हो तथा उसकी ऋणशोधन क्षमता या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पति स्वामित्व प्रमाण पत्र की मालियत जिला में आवेदित दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिए अवधारित लाइसेंस शुल्क की धनराशि से कम नही होगी:
परन्तु नवीकरण की स्थिति में गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किया गया ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा किसी प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र, यदि विधिमान्य है एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होगा।	परन्तु नवीकरण की स्थिति में गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किया गया ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा किसी प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र, यदि विधिमान्य है एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होगा।

6-नियम-10 का संशोधन– उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
10-लाइसेंसधारी का चयन-	10-लाइसेंसधारी का चयन-
(क) (एक) राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट निबन्धन और शर्तो के अधीन दुकान के लाइसेंस का ऑनलाइन नवीकरण किया जा सकेगा।	(क) (एक) राज्य सरकार **द्वारा** यथा विनिर्दिष्ट निबन्धन और शर्तो के अधीन दुकान के लाइसेंस का ऑनलाइन नवीकरण किया जा सकेगा।
(दो) नवीकरण न होने की स्थिति में लाइसेंसधारियों का चयन आनलाइन आवेदन आमंत्रित कर राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा। जिला आबकारी अधिकारी	(दो) नवीकरण न होने की स्थिति में लाइसेंसधारियों का चयन आनलाइन आवेदन आमंत्रित कर राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा। जिला आबकारी अधिकारी

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
आनलाइन प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेंगा और समस्त पात्र तथा अपात्र आवेदनों की अपात्रता के कारणों को उल्लिखित करते हुए सूची तैयार करेगा और इस सूची को ई-लाटरी एवं ई-टेण्डर हेतु गठित जिला स्तरीय लाइसेंस समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।	आनलाइन प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेंगा और समस्त पात्र तथा अपात्र आवेदनों की अपात्रता के कारणों को उल्लिखित करते हुए सूची तैयार करेगा और इस सूची को ई-लाटरी एवं ई-टेण्डर हेतु गठित जिला स्तरीय लाइसेंस समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
(ख) उक्त समिति पात्र एवं अपात्र आवेदकों को चिन्हित करेगी। ई-लॉटरी की स्थिति में अर्ह आवेदकों में से प्रत्येक दुकान के लिये लाइसेंसधारी का चयन कम्प्यूटर चलित यादृच्छिक विन्यास के माध्यम से किया जायेगा। या दृच्छिकीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित नियम के अधीन विहित अनुक्रम के अनुसार देशी मदिरा, माडल शाप, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर दुकानों के क्रम में अपनायी जायेगी। ई-टेण्डर के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन की स्थिति में भी पूर्वोक्त अनुक्रम का पालन किया जायेगा। किसी भी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण प्रदेश में सभी श्रेणी की देशी शराब, माडल शाप, विदेशी मदिरा, एवं बीयर की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी।	(ख) उक्त समिति पात्र एवं अपात्र आवेदकों को चिन्हित करेगी। ई-लॉटरी की स्थिति में अर्ह आवेदकों में से प्रत्येक दुकान के लिये लाइसेंसधारी का चयन कम्प्यूटर चलित यादृच्छिक विन्यास के माध्यम से किया जायेगा। या दृच्छिकीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित नियम के अधीन विहित अनुक्रम के अनुसार देशी मदिरा, माडल शाप, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर दुकानों के क्रम में अपनायी जायेगी। ई-टेण्डर के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन की स्थिति में भी पूर्वोक्त अनुक्रम का पालन किया जायेगा। किसी भी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण प्रदेश में सभी श्रेणी की देशी शराब, माडल शाप, विदेशी मदिरा, एवं बीयर की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी:
परन्तु यह कि पूर्वोक्त निर्बंधन राज्य सरकार द्वारा अधिकथित मानदण्डों के अनुसार लाइसेंसों के नवीकरण एवं लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में विधिक वारिस के पक्ष में लाइसेंस के नामान्तरण से सम्बन्धित मामलों के लिए लागू नहीं होगा ,	**परन्तु यह कि पूर्वोक्त निर्बंधन लाइसेंसधारी/ लाइसेंसधारियों की मृत्यु की स्थिति में नियम-8(क) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार मृत लाइसेंसधारी/ लाइसेंसधारियों के विधिक वारिस/ परिवार के सदस्य/ निकट सम्बन्धी के पक्ष में लाइसेंस के नामान्तरण से सम्बन्धित मामलों के लिए लागू नहीं होगी:**
परन्तु यह भी कि किसी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण राज्य में दो या दो से अधिक दुकानों का नवीकरण होने की स्थिति में वह ई-लाटरी के माध्यम से अग्रतर दुकानों के चयन हेतु पात्र नहीं होगा।	परन्तु यह **और** कि किसी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण राज्य में दो या दो से अधिक दुकानों का नवीकरण होने की स्थिति में वह ई-लाटरी के माध्यम से अग्रतर दुकानों के चयन हेतु पात्र नहीं होगा।
(ग) यदि चयनित आवेदक लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकताए पूरी नहीं करेगा या नियत अवधि में दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहेगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन को निरस्त कर देगा और शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करेगा।	(ग) यदि चयनित आवेदक लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकताऐं पूरी नहीं करेगा या नियत अवधि में दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहेगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन को निरस्त कर देगा और शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करेगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(घ) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए कोई आवेदन प्राप्त न हो या किसी दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल कदम उठायेगा।	(घ) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए कोई आवेदन प्राप्त न हो या किसी दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल कदम उठायेगा।

7-नियम-12 का संशोधन– उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-12 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
12- लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान- यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रुप में चयनित किया जाता है तो अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयन होने की सूचना के दस कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के बीस कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दे। आवेदक द्वारा लाइसेंस फीस का समस्त भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा एवं प्रतिभूति धनराशि सावधि जमा रसीद/बैंक गारंटी के माध्यम से जो जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत हो अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी। परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नगद अथवा राष्ट्रीय बचत-पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति, तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय। अनुवर्ती वर्ष में, दुकान का लाइसेंस लाइसेंसधारी की इच्छा पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार नवीकृत किया जा सकेगा। नवीकरण हेतु लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति के अन्तर की धनराशि राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नियत समयावधि में जमा की जायेगी। परन्तु,यह कि यदि वह विहित अवधि के भीतर लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा;	12- लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान- यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रुप में चयनित किया जाता है तो अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयन होने की सूचना के दस कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के बीस कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दे। आवेदक द्वारा लाइसेंस फीस का समस्त भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा एवं प्रतिभूति धनराशि, **सावधि जमा रसीद के माध्यम से** जो सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत हो अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी**:** परन्तु **यह कि** नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नगद अथवा राष्ट्रीय बचत-पत्र **अथवा बैंक गारंटी** के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति, तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय। अनुवर्ती वर्ष में, दुकान का लाइसेंस लाइसेंसधारी की इच्छा पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार नवीकृत किया जा सकेगा। नवीकरण हेतु लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति के अन्तर की धनराशि राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नियत समयावधि में जमा की जायेगी**:** परन्तु यह कि यदि वह विहित अवधि के भीतर लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा:

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
परन्तु यह और कि ई लाटरी/ई टेण्डर के माध्यम से लाइसेंस व्यवस्थित होने की दशा में, उसकी धरोहर धनराशि तथा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि, यदि उसके द्वारा जमा की गयी है, तथा लाइसेंस के नवीकृत होने की दशा में उसकी गत वर्ष की जमा प्रतिभूति का पंद्रह प्रतिशत तथा नवीकरण फीस व लाइसेंस फीस, यदि उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल राज्य सरकार द्वारा यथाविहित रीति से पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।	परन्तु यह और कि ई लाटरी/ई टेण्डर के माध्यम से लाइसेंस व्यवस्थित होने की दशा में, उसकी धरोहर धनराशि तथा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि, यदि उसके द्वारा जमा की गयी है, तथा लाइसेंस के नवीकृत होने की दशा में उसकी गत वर्ष की जमा प्रतिभूति का पंद्रह प्रतिशत तथा नवीकरण फीस व लाइसेंस फीस, यदि उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल राज्य सरकार द्वारा यथाविहित रीति से पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।

8-नियम-13 का संशोधन– उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-13 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
13 बीयर/वाइन का उठान-	13 बीयर/वाइन का उठान-
(क) इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी कम तीव्रता के मादक पेय सहित बीयर एवं वाइन के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) जो समय-समय पर उदग्रहीत किये जांय, अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से जमा करने के पश्चात् जिला के किसी थोक लाइसेंसधारी वि0म0-2/वि0म0 2(ख) लाइसेंसधारी से आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि सम्बन्धित जिला में वि0म0-2/वि0 म0 2(ख) लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक बिक्री लाइसेंसधारी से आपूर्ति प्राप्त करेगा। अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।	(क) इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी कम तीव्रता के मादक पेय सहित बीयर एवं वाइन के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) जो समय-समय पर उदग्रहीत किये जांय, अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से जमा करने के पश्चात् जिला के किसी थोक लाइसेंसधारी वि0म0-2/वि0म0 2(ख) लाइसेंसधारी से आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि सम्बन्धित जिला में वि0म0-2/वि0 म0 2(ख) लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक बिक्री लाइसेंसधारी से आपूर्ति प्राप्त करेगा। अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।
(ख) अधिकतम फुटकर मूल्य- बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बोतलों के लेबुलों पर राज्य सरकार की अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित अधिकतम बिक्री मूल्य अंकित होगा । लाइसेंसधारी बोतलों के लेबुलों पर अंकित फुटकर मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा और यदि ऐसा करता पाया जायेगा तो उसे नियमानुसार दण्डित किया जायेगा।	(ख) अधिकतम फुटकर मूल्य- बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बोतलों के लेबुलों पर राज्य सरकार की अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित अधिकतम बिक्री मूल्य अंकित होगा। लाइसेंसधारी बोतलों के लेबुलों पर अंकित फुटकर मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा और यदि ऐसा करता पाया जायेगा तो उसे नियमानुसार दण्डित किया जायेगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ग) लाइसेंसधारी के लिए ग्राहकों की मौसमी आवश्यकताओं के अनुसार स्थिर तथा निरन्तर गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने और साथ ही साथ बाजार में नकली आपूर्तियों के किन्हीं अवसरों को दूर करने हेतु लगातार बीयर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय का उठान करना बाध्यकारी होगा। उसे निरन्तर पोर्टल पर लिखित मांगपत्र अथवा संदेश थोक विक्रेता को प्रस्तुत करना होगा। इस क्रम में उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लाइसेंसधारी के लिए कम से कम पूर्ववर्ती वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में उठाई गयी अथवा प्रत्येक त्रैमास हेतु यथा आगणित बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की मात्रा में निहित प्रतिफल शुल्क के बराबर की बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की मात्रा का उठान करना बाध्यकारी होगा।	(ग) लाइसेंसधारी के लिए ग्राहकों की मौसमी आवश्यकताओं के अनुसार स्थिर तथा निरन्तर गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने और साथ ही साथ बाजार में नकली आपूर्तियों के किन्हीं अवसरों को दूर करने हेतु लगातार बीयर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय का उठान करना बाध्यकारी होगा। उसे निरन्तर पोर्टल पर लिखित मांगपत्र अथवा संदेश थोक विक्रेता को प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लाइसेंसधारी **को** प्रत्येक या सरकार **द्वारा बीयर, वाइन तथा एल.ए.बी. का किसी माह हेतु निर्धारित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य की बीयर, वाइन तथा एल.ए.बी. की मात्रा का उठान करना बाध्यकारी होगा;**
(घ) (एक) यदि लाइसेंसधारी किसी त्रैमास में कम से कम अपने त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0) का उठान करने में विफल रहता है, तो अगले त्रैमास हेतु उठान रोक दी जायेगी।	(घ) (एक) यदि लाइसेंसधारी किसी **माह में कम से कम अपने निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य मदिरा (बीयर, वाइन तथा एल.ए.बी.) का उठान करने में विफल रहता है तो वह सम्बन्धित माह के बकाया राजस्व के समतुल्य 10 दिवस के अंदर अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करने की अपेक्षा की जायेगी जिसमें विफल रहने पर लाइसेंस स्वत: निरस्त हो जायेगा और बकाया राजस्व की नियमानुसार वसूली की प्रकिया आरम्भ की जायेगी। दुकान पर अविक्रीत स्टाक जब्त कर लिया जायेगा।**
(दो) लाइसेंसधारी विलम्बमर्षण हेतु एवं उस त्रैमास के त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में कमी के समतुल्य बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय उठाने के लिए शपथ पत्र के साथ अनुरोध करेगा। विलम्बमर्षित किये जाने पर लाइसेंसधारी, त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में कमी के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करेगा।	(दो) **अतिरिक्त प्रतिभूति नियत समय के भीतर जमा करने और गत माह के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में कमी के समतुल्य बीयर/वाइन/एल.ए.बी. उठाने में विलम्ब के मर्षण के पश्चात लाइसेंसधारी को गतमाह के बकाया राजस्व और चालू माह के न्युनतम प्रत्याभूत राजस्व का उठान अनुमन्य होगा।**
(तीन) इस प्रकार जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति, अगले त्रैमास के त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व सहित गत त्रैमास में इस प्रकार हुयी कमी के बराबर बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय का उठान किये जाने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।	(तीन) इस प्रकार जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति, अगले **माह** के **मासिक** न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व सहित गत **माह** में इस प्रकार हुयी कमी के बराबर बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय का उठान किये जाने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(चार) यदि लाइसेंसधारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले एक या अधिक त्रैमासों की त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के बराबर बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय का उठान करने में विफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति एवं प्रतिभूति को राजस्व की ऐसी कमी के सापेक्ष समायोजित कर ली जायेगी और शेष प्रतिभूति वापस कर दी जायेगी। यदि जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति और प्रतिभूति राजस्व में कमी के सापेक्ष समायोजन के लिए अपर्याप्त हो तो शेष राजस्व की वसूली उसी प्रकार से की जायेगी मानों यह भू- राजस्व का बकाया हो।	(चार) यदि लाइसेंसधारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले एक या अधिक **माहों** की **मासिक** न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के बराबर बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय का उठान करने में विफल रहता है तो उसके **द्वारा** जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति एवं प्रतिभूति को राजस्व की ऐसी कमी के सापेक्ष समायोजित कर ली जायेगी और शेष प्रतिभूति वापस कर दी जायेगी। यदि जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति और प्रतिभूति राजस्व में कमी के सापेक्ष समायोजन के लिए अपर्याप्त हो तो शेष राजस्व की वसूली उसी प्रकार से की जायेगी मानों यह भू- राजस्व का बकाया हो।
(ङ) (एक) त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का अंश, जिसे वह उठाने में सक्षम न हो, उसी प्रकार के अन्य लाइसेंसधारी को अन्तरित करना चाहने वाले लाइसेंसधारी को, किसी आबकारी जिला के भीतर त्रैमासिक आधार पर ऐसे अंश(कोटा) का अंतरण करने की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है।	(ङ) (एक) अपनी दुकान के **मासिक** न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का अंश, जिसे वह उठाने में सक्षम न हो, उसी प्रकार के अन्य लाइसेंसधारी को अन्तरित करना चाहने वाले लाइसेंसधारी को, किसी आबकारी जिला के भीतर **मासिक** आधार पर ऐसे अंश(कोटा) का अंतरण करने की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है।
(दो) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी, अंतरिती लाइसेंसधारी की सहमति से जिला के जिला आबकारी अधिकारी से अनुरोध करेगा। अंतरण की निबन्धनों का विनिश्चय, दोनों अंतरणकर्ता और अंतरिती लाइसेंसधारियों द्वारा पारस्परिक रुप से किया जायेगा।	(दो) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी, अंतरिती लाइसेंसधारी की सहमति से जिला के जिला आबकारी अधिकारी से अनुरोध करेगा। अंतरण की निबन्धनों का विनिश्चय, दोनों अंतरणकर्ता और अंतरिती लाइसेंसधारियों द्वारा पारस्परिक रुप से किया जायेगा।
(तीन) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के अनुरोध का अनुमोदन किये जाने पर उसके द्वारा अंतरित किये जाने हेतु करारकृत कोटा को उसके मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में से घटा दिया जायेगा और उसे उठा लिया गया समझा जायेगा तथा उसे अंतरिती लाइसेंधारी के लेखा में अंतरित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के रुप में जोड़ दिया जायेगा। यह मात्रा अंतरिती लाइसेंसधारी के मूल मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के अतिरिक्त होगी और उसका मूल कोटा उठाये जाने से सम्बन्धित उसका दायित्व प्रभावित नहीं होगा। परन्तु यह कि इस उपबन्ध के अधीन अंतरित कुल कोटा, अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। उसी प्रकार से, अंतरिती लाइसेंसधारी अपने त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के 20 प्रतिशत से अधिक ऐसा अंतरित कोटा प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।	(तीन) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के अनुरोध का अनुमोदन किये जाने पर उसके द्वारा अंतरित किये जाने हेतु करारकृत कोटा को उसके मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में से घटा दिया जायेगा और उसे उठा लिया गया समझा जायेगा तथा उसे अंतरिती लाइसेंधारी के लेखा में अंतरित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के रुप में जोड़ दिया जायेगा। यह मात्रा अंतरिती लाइसेंसधारी के मूल मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के अतिरिक्त होगी और उसका मूल कोटा उठाये जाने से सम्बन्धित उसका दायित्व प्रभावित नहीं होगा। परन्तु यह कि इस उपबन्ध के अधीन अंतरित कुल कोटा, अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के **मासिक** न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

9-नियम-14 का संशोधन– उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-14 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
14-बिक्री की अवधि और दुकानों की बन्दी-अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल(अम्बेदकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गॉधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निश्चित तीन और दिवसों के अतिरिक्त, सभी दिवसों पर मध्यान्ह 12 से रात्रि 10 बजे तक बिक्री के लिए खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए सम्बन्धित कानून के उपबन्धों के अधीन दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।	14-बिक्री की अवधि और दुकानों की बन्दी-अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल(अम्बेदकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गॉधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निश्चित तीन और दिवसों के अतिरिक्त, सभी दिवसों पर मध्यान्ह 12 से रात्रि 10 बजे तक बिक्री के लिए खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए सम्बन्धित कानून के उपबन्धों के अधीन दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा। **परन्तु यह कि विशेष अवसरों पर कतिपय अवधि के लिए बिक्री के घंटों में, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे, परिवर्तन किया जा सकेगा।**

10-प्रपत्र-एफ0एल0-5 (ख) और एफ0एल0- 5ख (1) का संशोधन– उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान प्रपत्र-एफ0एल0-5 (ख) और एफ0एल0- 5ख (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम प्रपत्र-एफ0एल0-5 (ख) (नवीकरण हेतु)	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम प्रपत्र-एफ0एल0-5 (ख) (नवीकरण हेतु)
भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मुहरबन्द बोतलों में बीयर (वाइन एवं एल0ए0बी0 सहित) की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस	भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मुहरबन्द बोतलों में बीयर (वाइन एवं एल0ए0बी0 सहित) की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस
आवेदक का फोटो सह आवेदक का फोटो दुकान का फोटो	आवेदक का फोटो सह आवेदक का फोटो दुकान का फोटो
दुकान का अक्षांश/देशान्तर ..... लाइसेंस संख्या ..... जिला ..... परिक्षेत्र ..... लाइसेंस फीस रूपया ..... (अंकों में) ..... (शब्दों में) प्रतिभूति धनराशि रू0 ..... (अंकों में) ..... (शब्दों में) भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के बिना) ..... उत्तर :..... दक्षिण : ..... पूरब :..... पश्चिम:..... लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते (1).....पुत्र.....निवासी (2).....पुत्र.....निवासी	दुकान का अक्षांश/देशान्तर ..... लाइसेंस संख्या ..... जिला ..... परिक्षेत्र ..... लाइसेंस फीस रूपया ..... (अंकों में) ..... (शब्दों में) प्रतिभूति धनराशि रू0 ..... (अंकों में) ..... (शब्दों में) भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के बिना) ..... उत्तर :..... दक्षिण : ..... पूरब :..... पश्चिम:..... लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते (1).....पुत्र.....निवासी (2).....पुत्र.....निवासी

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मानक बोतलों या कैनो 650 मि0ली0, 500 मि0ली0,330 मि0ली0,300 मि0ली0 और 275 मि0ली0 में बीयर एवं 1000मि0ली0, 275मि0ली0 की धारिता में केवल कम तीव्रता के मादक पेय और वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है,की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस एतद्द्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को, जिला ..... के अन्तर्गत ..... स्थान, पुलिस थाना ..... तहसील ..... के लिये दिनांक ..... से 31 मार्च 20..... हेतु, जिसके लिये नियम-6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, लाइसेंस प्रदान किया जाता है। यह लाइसेंस निम्नलिखित विशेष और सामान्य शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उनमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा। सामान्य और विशेष शर्तें 1- लाइसेंसधारी, बीयर (वाइन एवंकम तीव्रता के मादक पेय सहित) की आपूर्ति, अधिमानतः ई-पेमन्ट के माध्यम से समय समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस, आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् जिला के थोक लाइसेंसधारी (वि0श0-2/वि0श0ख)से प्राप्त कर सकेगा। यदि सम्बन्धित जिला में वि0श0-2/वि0श0ख लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक लाइसेंसधारी (वि0श0-2/वि0श) 2ख) से बीयर, वाइन और कम तीव्रता के पेय आपूर्ति प्राप्त करेगा। 2-लाइसेंसधारी, अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में, जिला आबकारी अधिकारी को सूचित करेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा। 3-लाइसेंस प्राप्त परिसर पर बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी। कोई भी मदिरा परिसर में उपभोग /पेय नहीं की जायेगी।	भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मानक बोतलों या कैनो 650 मि0ली0, 500 मि0ली0,330 मि0ली0,300 मि0ली0 और 275 मि0ली0 में बीयर एवं 1000मि0ली0, 275मि0ली0 की धारिता में केवल कम तीव्रता के मादक पेय और वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है,की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस एतद्द्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को, जिला ..... के अन्तर्गत ..... . स्थान, पुलिस थाना ..... तहसील ..... के लिये दिनांक ..... से 31 मार्च 20 ..... हेतु, जिसके लिये नियम-6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, लाइसेंस प्रदान किया जाता है। यह लाइसेंस निम्नलिखित विशेष और सामान्य शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उनमें से किसी का **अथवा इस नियमावली का** व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा। सामान्य और विशेष शर्तें 1- लाइसेंसधारी, बीयर (वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय सहित) की आपूर्ति, अधिमानतः ई-पेमन्ट के माध्यम से समय समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस, आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् जिला के थोक लाइसेंसधारी (वि0श0-2/वि0श0ख) से प्राप्त कर सकेगा। यदि सम्बन्धित जिला में वि0श0-2/वि0श0ख लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक लाइसेंसधारी (वि0श0-2/वि0श) 2ख) से बीयर,वाइन और कम तीव्रता के पेय आपूर्ति प्राप्त करेगा। 2-लाइसेंसधारी, अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में, जिला आबकारी अधिकारी को सूचित करेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा। 3-लाइसेंस प्राप्त परिसर पर बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी। कोई भी मदिरा परिसर में उपभोग /पेय नहीं की जायेगी।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4-किसी भी व्यक्ति को 650 मि0ली0, 500मि0ली0, 330मि0ली0 300 मि0ली0 और 275 मि0ली0 में बीयर व कम तीव्रता के मादक पेय एवं वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है तथा अतिरिक्त रूप से केवल कम तीव्रता के मादक पेय के लिये 1000मि0ली0 व 275मि0ली0 की मानक बोतलों एवं कैंस में बिक्री की जायेगी।	4-किसी भी व्यक्ति को 650 मि0ली0, 500मि0ली0, 330मि0ली0 300 मि0ली0 और 275 मि0ली0 में बीयर व कम तीव्रता के मादक पेय एवं वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है तथा अतिरिक्त रूप से केवल कम तीव्रता के मादक पेय के लिये 1000मि0ली0 व 275 मि0ली0 की मानक बोतलों एवं कैंस में बिक्री की जायेगी।
5- बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय के लेबिल पर 1x1 सेंटीमीटर के दृश्य शब्दों में तीव्रता एवं अधिकतम् फुटकर मूल्य मुद्रित होगा। फुटकर बिक्री का लाइसेंसधारी मुद्रित अधिकतम् फुटकर मूल्य से अधिक प्रभारित नहीं करेगा।	5- बीयर/ वाइन **एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बोतलों के लेबुलों पर दायी ओर शीर्ष पर** 1X1 सेंटीमीटर के **स्पष्ट दृश्यमान बोल्ड फांट में** तीव्रता एवं अधिकतम् फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम् फुटकर मूल्य से अधिक प्रभारित नहीं करेगा।
6-उपरिलिखित क्षमता के मुहरबन्द बोतलों या कैंस में विहित तीव्रता और मात्रा के बीयर एवं वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड चस्पा हो, जैसा कि आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया हो।	6- उपरिलिखित क्षमता के मुहरबन्द बोतलों या कैंस में विहित तीव्रता और मात्रा के बीयर एवं वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड चस्पा हो, जैसा कि आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
7-लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0-25ख) जो लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित किया गया हो, नियमित और सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा एवं उसे वेबसाइट पर अपलोड करेगा और उसे जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।	7- लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0-25ख) जो लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित किया गया हो, नियमित और सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा एवं उसे **यू.पी.एक्साइज ऑनलाइन डॉट इन वेबसाइट पर एस.एम.एस. के माध्यम से अपलोड** करेगा और उसे जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।
8- लाइसेंसधारी बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय के सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल लाइसेंसयुक्त परिसर में करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अधीन विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविर्निदिष्ट पी0ओ0एस0 (प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखने की अपेक्षा की जायेगी।	8- लाइसेंसधारी बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय के सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल लाइसेंसयुक्त परिसर में करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अधीन विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविर्निदिष्ट पी0 ओ0 एस0(प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखने की अपेक्षा की जायेगी।
9- लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृष्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः-	9- लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश **द्वार** पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृष्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
''दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।	''दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।
''शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।''	''शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।''
10- लाइसेंसधारी, किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग और या छुआ-छूत से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत बिक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना तथा निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।	10- लाइसेंसधारी, किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग और या छुआ-छूत से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को **राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित शुल्क के संदाय पर विक्रेताओं हेतु जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त नौकरनामा प्राप्त करना होगा** तथा जब निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये तब उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11-लाइसेंसधारी किसी भी क्रेता को 7.8 लीटर भारत में भरी हुई व आयातित बीयर प्रत्येक अलग-अलग तथा 3 लीटर भारत में भरी हुई व आयातित वाइन दोनों अलग-अलग एवं 6 लीटर की मात्रा से अधिक कम तीव्रता के मादक पेय की फुटकर बिक्री एक बार में नहीं करेगा, जब तक अन्यथा अनुमति प्राप्त न हो।	11- लाइसेंसधारी किसी क्रेता को **भारत में निर्मित व आयातित बियर, वाइन व कम तीव्रता के मादक पेय की अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा में बिक्री किसी लाइसेंस के बिना नहीं करेगा।**
12-उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी, इक्कीस वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बिक्री नहीं करेगा।	12-उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी, इक्कीस वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बिक्री नहीं करेगा।
13-लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों या कैनों व उसके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली से फिक्स किया गया सुरक्षा कोडया मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।	13-लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों या कैनों व उसके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली से फिक्स किया गया सुरक्षा कोडया मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।
14- लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी स्प्रिट, दुग्ध, शर्करा (चाश्नी), रंग, ईत्र, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्मित करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।	14- लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी स्प्रिट, दुग्ध, शर्करा (चाश्नी), रंग, ईत्र, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्मित करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।
15- सिवाय लाइसेंसधारी /विक्रेता और उसके परिवार द्वारा, परिसर, जिसमे दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं करेगा।	15-सिवाय लाइसेंसधारी /विक्रेता और उसके परिवार द्वारा, परिसर, जिसमे दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं करेगा।
16- लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के दृष्टिगत उपभोक्ता को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी निषिद्ध है।	16- लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के दृष्टिगत उपभोक्ता को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी निषिद्ध है।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
17- लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गॉधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नही प्रदान किया जायेगा।	17- लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गॉधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नही प्रदान किया जायेगा। **परन्तु यह कि विशेष अवसरों पर कतिपय अवधि के लिए बिक्री के घंटों में, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे, परिवर्तन किया जा सकेगा।**
18-लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी, सिवाय ऐसी गतिविधियों के जिसके लिये कि लाइसेंस दिया गया है।	18-लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी, सिवाय ऐसी गतिविधियों के जिसके लिये कि लाइसेंस दिया गया है।
19-लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टाक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसका निस्तारण समय-समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा इस निमित्त दिये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।	19-लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टाक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसका निस्तारण समय-समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा इस निमित्त दिये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।
20-लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त एवं लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तो को मानने के लिए बाध्य होगा।	20-लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त एवं लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तो को मानने के लिए बाध्य होगा।
21- लाइसेंसधारी अपनी दुकान पर मदिरा बिक्री का कार्य करने के लिये विक्रेताओं की सूची जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिला आबकारी अधिकारी तद्नुसार विहित प्रपत्र में नौकरनामा निर्गत करेगा।	21- लाइसेंसधारी अपनी दुकान पर मदिरा बिक्री का कार्य करने के लिये विक्रेताओं की सूची जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिला आबकारी अधिकारी तद्नुसार विहित प्रपत्र में **विहित शुल्क का संदाय करने के पश्चात्** नौकरनामा **जारी** करेगा।
दिनांक ..... जिला..... लाइसेंस प्राधिकारी	दिनांक ..... जिला..... लाइसेंस प्राधिकारी

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
प्रपत्र एफ0एल0-5 ख (1)	प्रपत्र एफ0एल0-5 ख (1)
(नवीन लाइसेंस हेतु)	(नवीन लाइसेंस हेतु)
भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मुहरबन्द बोतलों में बीयर (वाइन एवं एल0ए0बी0 सहित) की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस	भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मुहरबन्द बोतलों में बीयर (वाइन एवं एल0ए0बी0 सहित) की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस
आवेदककाफोटो / दुकानकाफोटो	आवेदककाफोटो / दुकानकाफोटो
दुकान का अक्षांश/देशान्तर	दुकान का अक्षांश/देशान्तर .....
लाइसेंस संख्या	लाइसेंस संख्या .....
जिला	जिला .....
मुहल्ला (परिक्षेत्र)	मुहल्ला(परिक्षेत्र) .....
लाइसेंस फीस रूपया ..... (अंकों में)	लाइसेंस फीस रूपया ..... (अंकों में)
..... (शब्दों में)	..... (शब्दों में)
प्रतिभूति धनराशि रू0 ..... (अंकों में)	प्रतिभूति धनराशि रू0 ..... (अंकों में)
..... (शब्दों में)	..... (शब्दों में)
भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के बिना)	भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के बिना) .....
उत्तर :	उत्तर : .....
दक्षिण :	दक्षिण : .....
पूरब :	पूरब : .....
पश्चिम :	पश्चिम : .....
लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते	लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते
(1).....पुत्र.....निवासी	(1).....पुत्र.....निवासी .....
(2)..... पुत्र.....निवासी	(2).....पुत्र.....निवासी .....
भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मानक बोतलों, 650 मि0ली0, 500 मि0ली0, 330 मि0ली0, 300 मि0ली0 और 275 मि0ली0 में बीयर एवं 1000मि0ली0, 275मि0ली0 की धारिता में केवल एल0ए0बी0 और वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है,की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस एतद्द्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को, जिला.....के अन्तर्गत.....स्थान, पुलिस थाना.....तहसील.....के लिये दिनांक से 31 मार्च 20 हेतु, जिसके लिये नियम-6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, लाइसेंस प्रदान किया जाता है।	भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मानक बोतलों या कैनो 650 मि0ली0, 500 मि0ली0,330 मि0ली0,300 मि0ली0 और 275 मि0ली0 में बीयर एवं 1000मि0ली0, 275मि0ली0 की धारिता में केवल कम तीव्रता के मादक पेय और वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है,की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस एतद्द्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को, जिला.....के अन्तर्गत..... .स्थान, पुलिस थाना..... तहसील..... के लिये दिनांक .....से 31 मार्च 20..... हेतु, जिसके लिये नियम-6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उनमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 और स्वापक ओशधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की विधियों के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।	यह लाइसेंस निम्नलिखित विशेष और सामान्य शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उनमें से किसी का **अथवा इस नियमावली का** व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।
सामान्य एवं विशेष शर्तें	सामान्य और विशेष शर्तें
1- लाइसेंसधारी, बीयर (वाइन एवंकम तीव्रता के मादक पेय सहित) की आपूर्ति, अधिमानतः ई-पेमन्ट के माध्यम से समय समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस, आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् जिला के थोक लाइसेंसधारी (वि0श0-2/ वि0श02ख)से प्राप्त कर सकेगा। यदि सम्बन्धित जिला में वि0श0-2/वि0श02ख लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलो के थोक लाइसेंसधारी (वि0श0-2/2ख) से बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति प्राप्त करेगा।	1- लाइसेंसधारी, बीयर (वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय सहित) की आपूर्ति, अधिमानतः ई-पेमन्ट के माध्यम से समय समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस, आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् जिला के थोक लाइसेंसधारी (वि0श0-2/वि0श02ख)से प्राप्त कर सकेगा। यदि सम्बन्धित जिला में वि0श0-2/वि0श02ख लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक लाइसेंसधारी (वि0श0-2/वि0श)2ख) से बीयर,वाइन और कम तीव्रता के पेय आपूर्ति प्राप्त करेगा।
2- लाइसेंसधारी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।	2- लाइसेंसधारी, अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में, जिला आबकारी अधिकारी को सूचित करेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।
3- लाइसेंस प्राप्त परिसर पर बिक्री केवल परिसर के ''बाहर'' उपभोग के लिए की जायेगी। कोई भी मदिरा परिसर में उपभोग नहीं की जायेगी।	3- लाइसेंस प्राप्त परिसर पर बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी। कोई भी मदिरा परिसर में उपभोग /पेय नहीं की जायेगी।
4- किसी भी व्यक्ति को 650 मि0ली0, 500मि0ली0, 330मि0ली0 300 मि0ली0 और 275 मि0ली0 में बीयर व कम तीव्रता के मादक पेय एवं वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है तथा अतिरिक्त रूप से केवल कम तीव्रता के मादक पेय के लिये 1000मि0ली0 व 275मि0ली0 की मानक बोतलों एवं कैंस में बिक्री की जायेगी।	4-किसी भी व्यक्ति को 650 मि0ली0, 500मि0ली0, 330मि0ली0 300 मि0ली0 और 275 मि0ली0 में बीयर व कम तीव्रता के मादक पेय एवं वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है तथा अतिरिक्त रूप से केवल कम तीव्रता के मादक पेय के लिये 1000मि0ली0 व 275मि0ली0 की मानक बोतलों एवं कैंस में बिक्री की जायेगी।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5- बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय के लेबिल पर 1x1 सेंटीमीटर के दृश्य शब्दों में अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित होगा। फुटकर बिक्री का लाइसेंसधारी मुद्रित अधिकतम् फुटकर मूल्य से अधिक प्रभारित नहीं करेगा।	5- बीयर/ वाइन **एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बोतलों के लेबुलों पर दायी ओर शीर्ष पर 1X1** सेंटीमीटर के **स्पष्ट दृश्यमान बोल्ड फांट में** तीव्रता एवं अधिकतम् फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम् फुटकर मूल्य से अधिक प्रभारित नहीं करेगा।
6- उपरिलिखित क्षमता के मुहरबन्द बोतलों एवं कैंस में विहित तीव्रता और मात्रा के बीयरएवं वाइन की बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड चस्पा हो, जैसा कि आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया हो।	6-उपरिलिखित क्षमता के मुहरबन्द बोतलों या कैंस में विहित तीव्रता और मात्रा के बीयर एवं वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड चस्पा हो, जैसा कि आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
7- लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0-25ख) जो लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित किया गया हो, में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा एवं उसका वेबसाइट यू.पी.एक्साइज ऑनलाइन.इन. पोर्टल पर एस.एम.एस. के माध्यम से पर अपलोड करेगा और उसे जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मॉगा जायेगा, तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी विक्रय लेखा आदि उपलब्ध करायेगा तथा निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा यथाअपेक्षित सामग्री तथा दस्तावेजों को सुगमता पूर्वक उपलब्ध करायेगा।	7- लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0-25ख) जो लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित किया गया हो, नियमित और सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा एवं उसे **यू.पी.एक्साइज ऑनलाइन डॉट इन वेबसाइट पर एस.एम.एस. के माध्यम से अपलोड** करेगा और उसे जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।
8- लाइसेंसधारी बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय के सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल लाईसेंस प्राप्त लाइसेंस युक्त परिसर में ही करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अधीन विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविर्निदिष्ट पी0ओ0एस0(प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र अनुरक्षित करने की अपेक्षा की जायेगी।	8- लाइसेंसधारी बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय के सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल लाइसेंसयुक्त परिसर में करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अधीन विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविर्निदिष्ट पी0ओ0एस0 (प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखने की अपेक्षा की जायेगी।
9- लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः-	9- लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वारा पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृष्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
''दुकान के परिसर के बाहर, आस-पास या सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा। ''शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।''	''दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा। ''शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।''
10- लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो इक्सीस वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग और या छुआ-छूत से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत बिक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना तथा निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।	10- लाइसेंसधारी, किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग और या छुआ-छूत से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को **राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित शुल्क के संदाय पर विक्रेताओं हेतु जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त नौकरनामा प्राप्त करना होगा** तथा जब निरीक्षण प्राधिकारियों **द्वारा** मांगा जाये तब उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11-लाइसेंसधारी किसी भी क्रेता को 7.8 लीटर भारत में भरी हुई व आयातित बीयर प्रत्येक अलग-अलग तथा 3 लीटर भारत में भरी हुई व आयातित वाइन दोनों अलग-अलग एवं 6 लीटर की मात्रा से अधिक कम तीव्रता के मादक पेय की फुटकर बिक्री एक बार में नहीं करेगा, जब तक अन्यथा अनुमति प्राप्त न हो।	11- लाइसेंसधारी किसी क्रेता को **भारत में निर्मित व आयातित बियर, वाइन व कम तीव्रता के मादक पेय की अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा में बिक्री किसी अनुज्ञापत्र के बिना नहीं करेगा।**
12-उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी या 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बिक्री नहीं की जानी चाहिए।	12-उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी, इक्कीस वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बिक्री नहीं करेगा।
13-लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों या कैनों, उसके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली से फिक्स किया गया सुरक्षा कोडया प्रूफकैप या मोहरों से बिगाड़ करना, (विकृत करना) सर्वथा निषिद्ध है।	13-लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों या कैनों व उसके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली से फिक्स किया गया सुरक्षा कोडया मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।
14- लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी स्प्रिट, दुग्ध, शर्करा (चाश्नी), रंग, ईत्र, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्मित करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।	14- लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी स्प्रिट, दुग्ध, शर्करा (चाश्नी), रंग, ईत्र, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्मित करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।
15- सिवाय लाइसेंसधारी /विक्रेता और उसके परिवार द्वारा, परिसर, जिसमे दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं करेगा।	15-सिवाय लाइसेंसधारी /विक्रेता और उसके परिवार द्वारा, परिसर, जिसमे दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं करेगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
16- लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी निषिद्ध है।	16- लाइसेंसधारी **द्वारा** अपनी बिक्री बढ़ाने के दृष्टिगत उपभोक्ता को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी निषिद्ध है।
17- लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नही प्रदान किया जायेगा।	17- लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नही प्रदान किया जायेगा। **परन्तु यह कि विशेष अवसरों पर कतिपय अवधि के लिए बिक्री के घंटों में, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे, परिवर्तन किया जा सकेगा।**
18-लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी, सिवाय ऐसी गतिविधियों के जिसके लिये लाइसेंस दिया गया है।	18-लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी, सिवाय ऐसी गतिविधियों के जिसके लिये कि लाइसेंस दिया गया है।
19- लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टाक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसका निस्तारण समय-समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा इस निमित्त दिये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।	19-लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टाक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसका निस्तारण समय-समय पर आबकारी आयुक्त **द्वारा** इस निमित्त दिये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।
20-लाइसेंसधारी को आबकारी आयुक्त एवं लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट अनुदेशों का अनुपालन करना होगा।	20-लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त एवं लाइसेंस प्राधिकारी **द्वारा** समय-समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तो को मानने के लिए बाध्य होगा।
21- लाइसेंसधारी अपनी दुकान पर मदिरा बिक्री का कार्य करने के लिये विक्रेताओं की सूची जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिला आबकारी अधिकारी तदनुसार विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा।	21- लाइसेंसधारी अपनी दुकान पर मदिरा बिक्री का कार्य करने के लिये विक्रेताओं की सूची जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिला आबकारी अधिकारी तद्नुसार विहित प्रपत्र में **विहित शुल्क का संदाय करने के पश्चात्** नौकरनामा **जारी** करेगा।
दिनांक ..... जिला..... लाइसेंस प्राधिकारी	दिनांक ..... जिला..... लाइसेंस प्राधिकारी

आज्ञा से,
(सेंथिल पांडियन सी0),
आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

No. 3879 /X-Licence-77/ Beer Retail Niyamawali /2023-24

Prayagraj, dated: July 21, 2023

NOTIFICATION

In exercise of the powers under sections 24-B and 41of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no-IV of 1910) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no 1 of 1904), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government hereby makes the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Beer) Rules, 2001 published vide **N**otification no. 12011/X-Licence77/Allahabad/ March 21, 2001 as amended time to time;

THE UTTAR PRADESH EXCISE (SETTLEMENT OF LICENSES FOR RETAIL SALE OF BEER) (**TWENTY FIRST** AMENDMENT) Rules**, 2023**

1. Short title and Commencement–(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Beer) (**Twenty First** Amendment) Rules, **2023.**

(2) **They shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2023.**

2. Amendement of rule-2– In the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Beer) Rules,2001**(**hereinafter referred to as the **"**said rules**"**) for rule 2 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:–

Column I	**Column II**
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
2(1) Definition:- In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-	2(1) Definition:- In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-
(a)"Act" means the United Provinces Excise Act, 1910;	(a)"Act" means the United Provinces Excise Act, 1910;
(b)"Beer" includes ale, stout, porter, cider and all other fermented liquors made from malt having alcoholic strength from 3% v/v upto 8% v/v;	**(b)"Additional Consideration fee" means difference amount obtained as a result of rounding off the maximum retail price of beer/wine/LAB to the next multiple of ten rupees, which shall be payable at Distillery /Brewery/Vintenery level and recoverable by Distillery /Brewery/ Vintenery from wholesale supplier in addition to Ex-Distillery/ Ex-brewery/ Ex-Vintenery Price and which in turn could be recovered by wholesale supplier from retail licensee in addition to maximum wholesale price;**
(c) "Daily Licence Fee" means 1/365th part of the fixed licence fee for the whole year;	**(c)"Beer" includes ale, stout, porter, cider and all other fermented liquors made from malt having alcoholic strength from 3% v/v upto 8% v/v;**
(d)"Excise Year" means the financial year commencing from April 1 to March 31 of the next calendar year;	**(d) "consideration fee" means a fee for beer, wine and low alcoholic beverages as fixed by the State Government under section 30 of the Excise Act, which shall be deposited in treasury by the licensee prior to supply of beer and low alcoholic beverages;**
(e) "Family" means and includes spouse (husband or wife), dependent sons(s), unmarried daughter(s) and dependent parents;	**(e)"Daily Licence Fee" means 1/365th part of the fixed licence fee for the whole year;**
(f) "Form" means the form appended to these rules;	**(f) "Earnest money" means the amount equal to 1/10th of the amount of licence fee, to be tendered with application form, for ensuring the fulfillment of the eligibility conditions for the grant of licence and is liable to be forfeited in case of default under provisions of rule-12 of these rules;**

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(g)" Licensing Authority" means the Collector of the District;	**(g)"Excise Year" means the financial year commencing from April 1 to March 31 of the next calendar year;**
(h)"Licence fee" means a sum fixed in consideration of the grant of the licence for exclusive privilege for selling of beer , Wine and Low Alcoholic Beverages in retail shop under section 24-A of the Act as fixed by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time for the whole excise year or part thereof: Provided that if such shop is settled/ re-settled during middle session for the remaining period of the year, then license fee for shop shall be determined in proportion to the remaining period of the year;	**(h) "Family" means and includes spouse (husband or wife), dependent sons(s), unmarried daughter(s) and dependent parents;**
(i) "Security amount" means a sum equal to ten percent of the licence fee to be deposited through Fixed Deposit Receipt/Bank Guarantee pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government; Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National saving Certificate shall be acceptable until it is not refunded;	**(i) "Form" means the form appended to these rules;**
(j) "Low Strength alcoholic beverages" means the carbonated alcoholic beverages having alcohol upto 5% v/v and above 5% v/v to 10% v/v manufactured from Extra Nuetral alcohol (E.N.A.) and sophisticated by addition of flavouring or colouring matter or both and any other material so as to give it a special flavor;	**(j) "Hierarchy" means the earnest money of shops in the descending order purported to be the basis for the selection of licensee through the process of e/lottery;**
(k) "Additional Consideration fee" means difference amount obtained as a result of rounding off the maximum retail price of beer/wine/LAB to the next multiple of ten rupees, which shall be payable at Distillery /Brewery/Vintenery level and recoverable by Distillery /Brewery/ Vintenery from wholesale supplier in addition to Ex-Distillery/ Ex-brewery/ Ex-Vintenery Price and which in turn could be recovered by wholesale supplier from retail licensee in addition to maximum wholesale price;	**(k) 'Individual' means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years at the time of application;**
(l) "Earnest money" means the amount equal to 1/10th of the amount of licence fee, to be tendered with application form, for ensuring the fulfillment of the eligibility conditions for the grant of licence and is liable to be forfeited in case of default under provisions of rule-12 of these rules.	**(l) "Licence fee" means a sum fixed in consideration of the grant of the licence for exclusive privilege for selling of beer , Wine and Low Alcoholic Beverages in retail shop under section 24-A of the Act as fixed by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time for the whole excise year or part thereof:** **Provided that if such shop is settled/ re-settled during middle session for the remaining period of the year, then license fee for shop shall be determined in proportion to the remaining period of the year;**

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(m) "Hierarchy" means the earnest money of shops in the descending order purported to be the basis for the selection of licensee through the process of e/lottery;	**(m) " Licensing Authority" means the Collector of the District;**
(n) "Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the terminal stage of its distribution;	**(n) "Low Strength alcoholic beverages" means the carbonated alcoholic beverages having alcohol upto 5% v/v and above 5% v/v to 10% v/v manufactured from Extra Nuetral alcohol (E.N.A.) and sophisticated by addition of flavouring or colouring matter or both and any other material so as to give it a special flavor;**
(o) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of retail licence;	**(o) "Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the terminal stage of its distribution;**
(p) 'Individual' means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years at the time of application;	**(p)"Monthly Minimum Guaranteed Revenue" means the equivalent revenue from Beer, Wine and LAB, as fixed by the licensing authority in accordance with the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner and guaranteed by the licensee to be lifted by him for his retail shop during a month of an Excise year for the purpose of retail sale;**
(q) "Settlement" means settlement or re-settelment of shops through renewal, e-lottery or e-tender which may take place on any day of the week by giving prior notice and intimation through the newspaper and website of the excise department. The settlement of shops for the forthcoming year may also be done prior to the cessation of preceding financial year;	**(q)"Security amount" means a sum equal to ten percent of the licence fee to be deposited through Fixed Deposit Receipt pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government:** **Provided that in case of renewal, security deposited earlier through cash /e-payment or through National saving Certificate or Bank Guarantee shall be acceptable til it is not refunded;**
(r)"consideration fee" means a fee for beer, wine and low alcoholic beverages as fixed by the State Government under section 30 of the Excise Act, which shall be deposited in treasury by the licensee prior to supply of beer and low alcoholic beverages;	**(r)"Settlement" means settlement or re-settelment of shops through renewal, e-lottery or e-tender which may take place on any day of the week by giving prior notice and intimation through the newspaper and website of the excise department. The settlement of shops for the forthcoming year may also be done prior to the cessation of preceding financial year;**
(s) "State" means the State of Uttar Pradesh;	**(s) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of retail licence;**
(t)"Wine" means the product obtained on alcoholic fermentation of grape juice or pulp or juice of anyother fruit, natural or fortified the alcoholic content where of does not exceed 42% proof spirit;	**(t) "State" means the State of Uttar Pradesh;**
(u)"Quarterly Minimum Guaranteed Revenue" means the equivalent revenue from Beer, Wine and LAB, as fixed by the licensing authority in accordance with the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner and guaranteed by the licensee to be lifted by him for his retail shop during a quarter of an Excise year for the purpose of retail sale;	**(u)"Wine" means the product obtained on alcoholic fermentation of grape juice or pulp or juice of anyother fruit, natural or fortified the alcoholic content where of does not exceed 42% proof spirit.**
(2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act;	**(2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.**

3.Amendment of rule-6–In the said rules, for the existing rule 6 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely :–

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
6. Grant of license- The licence shall be granted on payment of licence fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through Fixed Deposit Receipt pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment in accordance with the provisions of these rules: Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate shall be acceptable till it is not refunded. The licensee shall be required to furnish the solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer in original copy in the district from where it has been issued at the time of grant of licence.	6. Grant of license- The licence shall be granted on payment of licence fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through **Fixed Deposit Receipt pledged** in favor of District Excise Officer or through e-payment in accordance with the provisions of these rules: Provided that in case of renewal security deposited **earlier through** cash/**e-payment** or through National Saving Certificate **or Bank Guarantee** shall be acceptable till it is not refunded. The licensee shall be required to furnish the solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer in original copy in the district from where it has been issued at the time of grant of licence.

4. Amendment of rule-7–In the said rules, for the existing rule 7 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely :–

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
7-Application for grant of license- (a) Whenever a new licence is proposed to be granted in an area or locality the Licensing Authority shall invite the applications for this purpose after giving wide publicity through daily newspapers having circulation in that area and website of the district as well as website of the Excise Department (www.upexcise.in). (b) A list of the retail shops of beer for which the Collector proposes to grant licence shall be exhibited along-with shop wise licence fee security amount and the earnest money at the Collector's office, Tehsil offices and the offices of the District Excise Officer and the Deputy Excise Commissioner of the charge. This information shall be displayed on the website of Excise Department (www.upexcise.in) along with the website of each District.	7-Application for grant of license - (a) Whenever a new licence is proposed to be granted in an area or locality the Licensing Authority shall invite the applications for this purpose after giving wide publicity through daily newspapers having circulation in that area and website of the district as well as website of the Excise Department **(www.upexciseportal.in).** (b) A list of the retail shops of beer for which the Collector proposes to grant licence shall be exhibited along-with shop wise licence fee security amount and the earnest money at the Collector's office, Tehsil offices and the offices of the District Excise Officer and the Deputy Excise Commissioner of the charge. This information shall be displayed on the website of Excise Department (www.upexcise.in) along with the website of each District.

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(c) Applications for grant of license shall be submitted online as per time schedule advertised in newspapers. It shall be compulsory to upload a photocopy of (i) solvency certificate, (ii) Aadhar Card, (iii) PAN Card, (iv) Income tax return of the preceding year and (v) affidavit in the prescribed format.	(c) Applications for grant of license shall be submitted online as per time schedule advertised in newspapers. It shall be compulsory to upload a photocopy of: **(i) Solvency certificate, or certificate of own property issued by authorized Income Tax Valuer (ii) PAN Card, (iii) Photocopy of Income tax return of the preceding year; (iv) Affidavit in the prescribed format; (v)** Scanned copy of bank draft of earnest money which is issued in favour of District Excise Officer of the district of the concern shop.
Payment of processing fee and Earnest Amount shall be made online at the rate as fixed by the State Government and VAT/GST payable on the same.	Payment of processing fee and Earnest Amount shall be made online at the rate as fixed by the State Government and VAT/GST payable on the same.
(d) The last date to be fixed for the receipt of application shall not be earlier than such number of days as stipulated, in advertisement in the newspaper and the website of Excise Department (www.upexcise.in).	(d) The last date to be fixed for the receipt of application shall not be earlier than such number of days as stipulated, in advertisement in the newspaper and the website of Excise Department (www.upexcise.in).

5.Amendement of rule 8– In the said rules, for the existing rule-8 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:–

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
8- Eligibility conditions for applicant- Eligible applicant for licence of a retail beer shop must fulfill following conditions namely:	8- Eligibility conditions for applicant- Eligible applicant for licence of a retail beer shop must fulfill following conditions namely:
a) Application by an individual who is a citizen of India. Provided, in case of renewal co-applicant, if any who is a citizen of India, shall also be allowed. No partnership firm or company shall be eligible for the grant of retail licence. Likewise, Wholesaler or Distiller/ brewer manufacturer of liquor/beer shall also not be eligible for holding licence of any type of retail shop.	a) Application by an individual who is a citizen of India. Provided, in case of renewal co-applicant, if any who is a citizen of India, shall also be allowed. No partnership firm or company shall be eligible for the grant of retail licence. Likewise, Wholesaler or Distiller/brewer manufacturer of liquor/beer shall also not be eligible for holding licence of any type of retail shop.
No change in the status of applicant shall be allowed after allotment of shop. In case of death of licensee his legal heir if otherwise eligible, may continue to hold the license for the remaining period of the license.	No change in the status of applicant shall be allowed after allotment of shop. In case of death of licensee, **the names of legal heirs/family members/close relatives mentioned as nominee in the nomination affidavit (if any) given by licencee shall be considered as per priority mentioned in the nomination affidavit, if otherwise not ineligible, to hold the license for the remaining period of the license:**
Provided further that if a license is jointly held by two persons, in the event of death of either of them, the survivor along with the legal heir (s) of deceased if otherwise eligible, may continue to hold the license or in case of death of both persons their legal heir(s), if otherwise eligible may continue to hold the license. No distinction will be made between the legal liabilities of the two persons who will be jointly and severally responsible:	Provided that in the absence of any nomination affidavit of the deceased licensee, his legal heir if otherwise eligible, may continue to hold the license for the remaining period of the license:

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
	Provided further that if a license is jointly held by two persons, in the event of death of either of them, the survivor along with the nominee or legal heir, of the deceased licensee, selected as above, if otherwise eligible, may continue to hold the license. No distinction will be made between the legal liabilities of the two persons who will be jointly and severally responsible;
(b) be above twenty-one years of age on the first day of the period fixed for receiving application.	(b) be above twenty-one years of age on the first day of the period fixed for receiving application.
(c) not be a defaulter/ blacklisted or debarred from holding an excise licence under the provisions or any rules made under the Act. Any person who has been convicted of any excise offence shall be automatically debarred from holding the licence until and unless fully and finally acquitted by the competent court of law.	(c) not be a defaulter/blacklisted or debarred from holding an excise licence under the provisions or any rules made under the Act. Any person who has been convicted of any excise offence shall be automatically debarred from holding the licence until and unless fully and finally acquitted by the competent court of law.
(cc) The applicant shall be eligible to make only one application in his own name for any one shop. Provided, in case of renewal, applicant and co-applicant both shall be eligible and their mutual consent for renewal shall be essential.	(cc) The applicant shall be eligible to make only one application in his own name for any one shop**:** Provided **that** in case of renewal, applicant and co-applicant both shall be eligible and their mutual consent for renewal shall be essential.
(d) submit an affidavit duly verified by notary public as proof of the following namely;	(d) submit an affidavit duly verified by notary public as proof of the following namely**:-**
(i) that he possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premises in that locality for opening the shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop Rules, 1968 as amended from time to time.	(i) that he possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premises in that locality for opening the shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop Rules, 1968 as amended from time to time.
(ii) that his proposed premises of the shop have not been constructed in violation of any law or rules.	(ii) that his proposed premises of the shop have not been constructed in violation of any law or rules.
(iii) that he and his family members possess good moral character and have no criminal background nor have been convicted of any offence punishable under the United Provinces Excise Act, 1910 or the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and nonbailable offence.	(iii) that he and his family members possess good moral character and have no criminal background nor have been convicted of any offence punishable under the United Provinces Excise Act, 1910 or the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and nonbailable offence.
(iv) that in case he is selected as licensee he will furnish a certificate issued by the District Collector or Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police of the concerned district or an officer not below the rank of assistant commissioner of police nominated by the police commissioner of the concerning police Commissionerate of which he is the resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record prior to issuance of license.	(iv) that in case he is selected as licensee he will furnish a certificate issued by the District Collector or Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police of the concerned district or an officer not below the rank of assistant commissioner of police nominated by the police commissioner of the concerning police Commissionerate of which he is the resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record prior to issuance of license.

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(v) that he shall not employ and salesman or representative who has criminal background as mentioned in clause (iii) or, who suffers from any infectious contagious diseases or is below twenty-one years of age or a woman. Licensee shall have to obtain Identity Cards bearing photographs of his authorized salesman / representative from District Excise Officer.	(v) that he shall not employ and salesman or representative who has criminal background as mentioned in clause (iii) or, who suffers from any infectious contagious diseases or is below twenty-one years of age or a woman. Licensee shall have to obtain **Naukarnama** bearing photographs of his authorized salesman/representative from District Excise Officer **on payment of fee as prescribed by the State Government from time to time.**
(vi) that he is not in arrear of any public dues or Government dues.	(vi) that he is not in arrear of any public dues or Government dues.
(vii) that he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds for conducting the business, the details of which shall be made available to licensing authority if required.	(vii) **t**hat he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds for conducting the business, the details of which shall be made available to licensing authority if required.
(viii) That applicant is not involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities, if after issuance of licence it is proved that he is involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities then the allotted licence shall be cancelled.	(viii) **t**hat applicant is not involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities, if after issuance of licence it is proved that he is involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities then the allotted licence shall be cancelled.
(ix) That applicant is not an advocate registered with Bar Council. If he is found registered advocate after getting the licence then the licence shall be cancelled. An employee of the Government shall also be ineligible to apply for the grant of licence.	(ix) **t**hat applicant is not an advocate registered with Bar Council. If he is found registered advocate after getting the licence then the licence shall be cancelled. An employee of the Government shall also be ineligible to apply for the grant of licence.
(x) That In case of being selected as licensee, bank draft of earnest money which has been uploaded online along with application shall be deposited in the office of District Excise Officer within 48 hours of such selection.	(x) **t**hat In case of being selected as licensee, bank draft of earnest money which has been uploaded online along with application shall be deposited in the office of District Excise Officer within 48 hours of such selection.
(xi)That he has not made use of bank draft of earnest money for the application of any other shop in the same phase.	(xi) that he has not made use of bank draft of earnest money for the application of any other shop in the same phase.
(e) The applicant shall upload a scanned copy of bank draft issued in favour of District Excise Officer of the district of concerned shop for earnest money, along with online application, as may be fixed by the Excise Commissioner with the prior sanction of the State Government. In case of selection as licensee, it shall be necessary to deposit bank draft of earnest money in the office of the concerned District Excise Officer within forty eight hours after selection, which shall be refunded to applicant after payment of all dues.	(e) The applicant shall upload a scanned copy of bank draft issued in favour of District Excise Officer of the district of concerned shop for earnest money, along with online application, as may be fixed by the Excise Commissioner with the prior sanction of the State Government. In case of selection as licensee, it shall be necessary to deposit bank draft of earnest money in the office of the concerned District Excise Officer within forty eight hours after selection, which shall be refunded to applicant after payment of all dues.

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(f) The applicant shall be the holder of solvency or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer and the worth of solvency or certificate of owned property certificate issued by authorized Income Tax valuer shall be equivalent to an amount not less than the license fee determined for the grant of licence of the applied shop in the district. Provided, in case of renewal solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer produced during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount.	(f) The applicant shall be the holder of solvency or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer and the worth of solvency or certificate of owned property certificate issued by authorized Income Tax valuer shall be equivalent to an amount not less than the license fee determined for the grant of licence of the applied shop in the district**:** Provided **that** in case of renewal solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer produced during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount.

6. Amendement of rule 10– In the said rules, for the existing rule-10 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:–

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
10-Selection of licensee- (a) (i) License of shop may be renewed online under the terms and conditions as specified by the State Government. (ii) In case of non-renewal of licences, licensees shall be selected shop wise through the process of e-lottery or e-tender as specified by the State Government through inviting online applications. District Excise Officer shall scrutinize the applications received online and prepare list of all eligible and ineligible applications, describing the reasons of ineligibility and shall put up this list before the District Level Committee of Licensing constituted for e-lottery and e-tender. (b) The said committee shall identify eligible and ineligible applicants. In case of e-lottery the licensee shall be selected for each shop from amongst the eligible applicants through the computer driven randomized arrangement. Randomization process shall be adopted in the order of country liquor, Model Shops, foreign liquor and beer shops as per prescribed hierarchy under respective rule. In case of selection of licensee through e-tender the same aforesaid sequence shall be adopted. Not more than two shops including all categories of country liquor, model shop, foreign liquor and beer shall be allotted in favour of an applicant in the entire State: Provided that aforesaid restriction shall not be applicable to matter related to renewal of licenses and mutation of licence in favor of legal heir in the event of death of licencee as per the criteria laid down by the State Government;	10-Selection of licensee- (a) (i) License of shop may be renewed online under the terms and conditions as specified by the State Government. (ii) In case of non-renewal of licences, licensees shall be selected shop wise through the process of e-lottery or e-tender as specified by the State Government through inviting online applications. District Excise Officer shall scrutinize the applications received online and prepare list of all eligible and ineligible applications, describing the reasons of ineligibility and shall put up this list before the District Level Committee of Licensing constituted for e-lottery and e-tender. (b) The said committee shall identify eligible and ineligible applicants. In case of e-lottery the licensee shall be selected for each shop from amongst the eligible applicants through the computer driven randomized arrangement. Randomization process shall be adopted in the order of country liquor, Model Shops, foreign liquor and beer shops as per prescribed hierarchy under respective rule. In case of selection of licensee through e-tender the same aforesaid sequence shall be adopted. Not more than two shops including all categories of country liquor, model shop, foreign liquor and beer shall be allotted in favour of an applicant in the entire State: **Provided that aforesaid restriction limit shall not be applicable to matter related to and mutation of licences in favour of legal heir/family member/close relative of deceased licencee/ licencees in the event of death of licencee/licencees as per procedure mentioned in Rule-8(a):**

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
Provided also that in case of renewal of two or more shops in favour of any applicant in the entire State, he will be ineligible for selection of further shops through e- lottery.	Provided **further** that in case of renewal of two or more shops in favour of any applicant in the entire State, he will be ineligible for selection of further shops through e- lottery.
(c) In case the selected applicants does not deposit the required amount and does not fulfill the prescribed formalities or a unable to arrange suitable premises for the shop within stipulated period, the Licensing authority shall cancel the allotment and take immediate necessary steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the Government.	(c) In case the selected applicant does not deposit the required amount and does not **fulfil** the prescribed formalities or a unable to arrange suitable premises for the shop within stipulated period, the Licensing authority shall cancel the allotment and take immediate necessary steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the Government.
(d) In case there is no application for a particular shop or no candidate is found suitable for a shop, the Licensing Authority shall take immediate steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the Government.	(d) In case there is no application for a particular shop or no candidate is found suitable for a shop, the Licensing Authority shall take immediate steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the Government.

7. Amendement of rule 12– In the said rules, for existing rule-12 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:–

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
12. Payment of License fee and Security amount-	12. Payment of License fee and Security amount-
In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of licence fee within three working days of being intimated of his selection. He shall be required to deposit half of the security amount within ten working days of intimation of his selection, and balance of the security amount within twenty working days of intimation of his selection. Entire amount of license fee shall be deposited by the applicant preferably through E-payment, security amount will be deposited through Fixed Deposit Receipt / Bank Guarantee pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment.	In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of licence fee within three working days of being intimated of his selection. He shall be required to deposit half of the security amount within ten working days of intimation of his selection, and balance of the security amount within twenty working days of intimation of his selection. Entire amount of license fee shall be deposited by the applicant preferably through E-payment, security amount will be deposited through **Fixed Deposit Receipt** pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment**:**
Provided, in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate shall be acceptable until it is not refunded.	Provided **that** in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate **or Bank Guarantee** shall be acceptable until it is not refunded.
In subsequent year, the licence of the shop may be renewed on the desire of the licensee according to the parameter as fixed by the State Government. Difference amount of license fee and security shall be deposited for renewal within stipulated period as specified by the State Government.	In subsequent year, the licence of the shop may be renewed on the desire of the licensee according to the parameter as fixed by the State Government. Difference amount of license fee and security shall be deposited for renewal within stipulated period as specified by the State Government**:**
Provided, if he fails to deposit the amount of license fee and security amount within prescribed period, his selection shall stand cancelled;	Provided **that** if he fails to deposit the amount of license fee and security amount within prescribed period, his selection shall stand cancelled:

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
Provided further that in case of licence being settled through the e-lottery/ e-tender, his earnest money and license fee as well as the security amount, if deposited by him, and in case of licence being renewed, fifteenth percent of security amount of last year along with renewal fee and licence fee, if deposited by him, shall also be forfeited in favour of State Government and the said shop shall be resettled forthwith, in manner as prescribed by the Government.	Provided further **that** in case of licence being settled through the e-lottery/e-tender, his earnest money and license fee as well as the security amount, if deposited by him, and in case of licence being renewed, fifteenth percent of security amount of last year along with renewal fee and licence fee, if deposited by him, shall also be forfeited in favour of State Government and the said shop shall be resettled forthwith, in manner as prescribed by the Government.

8. Amendement of rule 13– In the said rules, for existing rule-13 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:–

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
13. Lifting of beer/Wine/LAB	13. Lifting of beer/Wine/LAB
(a) The licensee under these rules shall obtain supplies of beer , wine in addition to low alcoholic beverages from any wholesale licence (FL-2/ F.L.2B) of the districts, after making full payment of cost price including all taxes, consideration fee (including additional consideration fee) as levied from time to time preferably through e-payment platform. If the FL-2/F.L-2B licence is not sanctioned or supply interrupts in the concerned district, the licensee shall obtain supplies from wholesale licencees of other district/districts with prior permission of the Excise Commissioner.	(a) The licensee under these rules shall obtain supplies of beer , wine in addition to low alcoholic beverages from any wholesale licence (FL-2/ F.L.2B) of the districts, after making full payment of cost price including all taxes, consideration fee (including additional consideration fee) as levied from time to time preferably through e-payment platform. If the FL-2/F.L-2B licence is not sanctioned or supply interrupts in the concerned district, the licensee shall obtain supplies from wholesale licencees of other district/districts with prior permission of the Excise Commissioner.
In case of insufficient supply of any district, District Excise Officer shall seek the orders from the Excise Commissioner.	In case of insufficient supply of any district, District Excise Officer shall seek the orders from the Excise Commissioner.
(b) The Maximum Retail Price- The Maximum Retail Price, as fixed by Excise Commissioner on approval of the State Government, shall be printed on the lables of bottles of beer, wine and low alcoholic beverages. The licensee shall not charge from consumers more than the maximum retail price printed on the lables of bottles and if found to be doing so, he will be penalized as per rules.	(b) The Maximum Retail Price- The Maximum Retail Price, as fixed by Excise Commissioner on approval of the State Government, shall be printed on the lables of bottles of beer, wine and low alcoholic beverages. The licensee shall not charge from consumers more than the maximum retail price printed on the lables of bottles and if found to be doing so, he will be penalized as per rules.
(c) Licensee shall be under obligation to regularly lift beer/wine/low strength alcoholic beverage (LAB) to ensure steady and continuous quality supply as per seasonal requirements of the customers as well as to remove any chances of spurious supplies in the market. He shall regularly place written indents on portal or messages to the wholesaler. In order to meet the above requirements the licensee shall be under obligation to lift in each quarter beer/wine/low strength alcoholic beverage (LAB) at least equivalent to the consideration fee involved in the quantity of beer/wine/low strength alcoholic beverage (LAB) lifted in the preceding year. or as calculated for each quarter''	(c) Licensee shall be under obligation to regularly lift beer/wine/low strength alcoholic beverage (LAB) to ensure steady and continuous quality supply as per seasonal requirements of the customers as well as to remove any chances of spurious supplies in the market. He shall regularly place written indents on portal or messages to the wholesaler. In order to meet the above requirements the licensee shall be under obligation to lift in each **month beer, wine and** low strength alcoholic beverage (LAB) at least equivalent to the consideration fee involved in the quantity of **beer, wine and LAB for a month fixed by government**;

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(d)(i) In case the licensee fails to lift beer, wine and LAB at least equivalent to his Quarterly Minimum Guaranteed Revenue in a quarter, lifting for the next quarter shall be withheld.	(d)(i) **In** case the licensee fails to lift liquor (**beer**, wine and LAB) at least equivalent to **fixed Monthly** Minimum Guaranteed Revenue in **a month**, **then he shall be expected to deposit the additional security equivalent to remaining part of revenue of concerned month within 10 days, failing which the licence shall stand cancelled automatically and further proceedings shall be initiated to recover the loss of revenue as per Rules. The unsold stock on the shop shall also be confiscated.**
(ii) The licensee shall make a request for condonation of delay and for lifting of beer, wine and LAB equivalent to the shortfall in Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of that quarter along with an affidavit. Upon condonation, the licensee shall deposit an additional security equivalent to the shortfall in Quarterly Minimum Guaranteed Revenue.	(ii) **After deposit of additional security made within the stipulated time and delay being condoned in lifting the shortfall in Monthly Minimum Guaranteed Revenue of previous month, licencee shall be allowed to lift the short fall in revenue of previous month along with Minimum Guaranteed Revenue of the current month.**
(iii) Additional security so deposited shall be refunded after lifting of beer, wine and LAB equivalent to such shortfall in previous quarter along with Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of the next quarter.	(iii) Additional security so deposited shall be refunded after lifting of beer, wine and LAB equivalent to such shortfall in previous **month** along with **Monthly** Minimum Guaranteed Revenue of the next **month.**
(iv) In case licensee fails to lift beer, wine and LAB equivalent to the Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of one or more quarters before the end of financial year, then the additional security and security deposited by him shall be adjusted against such shortfall of revenue and the remaining security shall be refunded. If the additional security and security deposited is insufficient for adjustment against the shortfall in revenue, the revenue remaining shall be recovered as if it were arrears of land revenue .	(iv) In case **licencee** fails to lift beer, wine and LAB equivalent to the **Monthly** Minimum Guaranteed Revenue of one or more **months** before the end of financial year, then the additional security and security deposited by him shall be adjusted against such shortfall of revenue and the remaining security shall be refunded. If the additional security and security deposited is insufficient for adjustment against the shortfall in revenue, the revenue remaining shall be recovered as if it were arrears of land revenue .
(e) (i) The licensee desiring to transfer the part of Quarterly Minimum Guaranteed Revenue, which he is not able to lift, to another licensee of the same type, may be allowed such transfer of such portion (quota) on a quarterly basis, within an excise district.	(e) (i) The **licencee** desiring to transfer the part of **Monthly** Minimum Guaranteed Revenue, which he is not able to lift, to another licensee of the same type, may be allowed such transfer of such portion (quota) on a **monthly** basis, within an excise district.
(ii) The transferor licensee shall make a request along with the consent of the transferee licensee to the District Excise Officer of the district. The terms of transfer shall be decided by both the transferor and transferee licensees mutually.	(ii) The transferor **licencee** shall make a request along with the consent of the transferee licensee to the District Excise Officer of the district. The terms of transfer shall be decided by both the transferor and transferee licensees mutually.
(iii) On approval of the request of the transferor licensee, the quota agreed upon to be transferred by him shall be deducted from his Quarterly Minimum Guaranteed Revenue and shall be deemed to have been lifted and it will be added as a transferred Quarterly Minimum Guaranteed Revenue in the account of the transferee licensee. This quantity will be over and above the original Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of the transferee licensee and his obligation regarding lifting of his original quota shall not be affected. Provided that the total quota transferred under this provision shall not exceed 20% of the Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of the transferor licensee. Similarly, the transferee licensee shall not be entitled to receive such transferred quota, in excess of 20% of his Quarterly Minimum Guaranteed Revenue.	(iii) On approval of the request of the transferor licensee, the quota agreed upon to be transferred by him shall be deducted from his **Monthly** Minimum Guaranteed Revenue and shall be deemed to have been lifted and it will be added as a transferred **Monthly** Minimum Guaranteed Revenue in the account of the transferee licensee. This quantity will be over and above the original **Monthly** Minimum Guaranteed Revenue of the transferee licensee and his obligation regarding lifting of his original quota shall not be affected. Provided that the total quota transferred under this provision shall not exceed 20% of the **Monthly** Minimum Guaranteed Revenue of the transferor licensee.

9. Amendement of rule 14– In the said rules, for existing rule-14 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:–

Column I	**Column II**
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
14. Hours of the sale and closuer of shops- The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10.00am to 10 p.m. night except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day), and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order for closure of shop on account of law and order or General Election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds.	14. Hours of the sale and closuer of shops- The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 p.m. night except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day), and upto 3 more days as notified by the Licensing Authority, he may also order for closure of shop on account of law and order or General Election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds**:** **Provided that the sale hours may be changed on special occasions for certain duration as the State Government may deem fit.**

10. Amendement of Form F.L.-5B and F.L. 5B (1)– In the said rules, for existing Form F.L.-5B and F.L. 5B (1) set out in Column-I below, the form as set out in Column-II shall be substituted, namely:–

Column I	**Column II**
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
F.L.--5B (FOR RENEWAL)	**Form** F.L.--5B (FOR RENEWAL)
Licence for the Retail Sale of Beer (Including Wine & Low strength alcoholic beverages) insealed Bottles for consumption "off" the premises	Licence for the Retail Sale of Beer (Including Wine & Low strength alcoholic beverages) insealed Bottles for consumption "off" the premises
Photo of shop	Photo of shop
Photo of applicant / Photo of co-applicant	Photo of applicant / Photo of co-applicant
Latitude/Longitude of shop…….....….	Latitude/Longitude of shop …….....….
Licence No…….....……..	Licence No …….....….
District…….....……	District …….....….
Locality…….....……..	Locality …….....….
Licence fee Rs…… (in figures)…….....…… (in words)	Licence fee Rs…….....… (in figures) …… (in words)
Security amount Rs….(in figures)…….....…… (in words)	Security amount Rs….(in figures) …….....… (in words)
Description of premises (without boundaries)	Description of premises (without boundaries)
North…….....….	North…….....….
South…….....….	South…….....….
East…….....….	East…….....….
West…….....….	West…….....….
Name, Father's Name & Address of Licensee(s)---	Name, Father's Name & Address of Licensee(s)---
1……s/o……R/o…….....….	1……s/o……R/o…….....….
2……s/o ……R/o…….....….	2……s/o ……R/o…….....….

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
Licence for the retail sale of beer (including Wine & Low Alcoholic Beverages) in standard bottles or cans of capacities 650ml, 500 ml, 330 ml, 300 ml and 275 ml and only L.A.B. in capacities 1000ml, 275 ml as well as wine in such capacities as provided in relevant rules are also allowed for consumption "off" the premises is hereby granted to above licence holders(s) …. at …… (place) in Police Station. ……. Tahsil ……. in the District of ……. w.e.f. from …… to March 31, 20 …… for which licence fee and security deposit has been made in accordance with rule-6.	Licence for the retail sale of beer (including Wine & Low Alcoholic Beverages) in standard bottles or cans of capacities 650ml, 500 ml, 330 ml, 300 ml and 275 ml and only L.A.B. in capacities 1000ml, 275 ml as well as wine in such capacities as provided in relevant rules are also allowed for consumption "off" the premises is hereby granted to above licence holders(s) …. at …… (place) in Police Station. ……. Tahsil ……. in the District of ……. w.e.f. from …… to March 31, 20 …… for which licence fee and security deposit has been made in accordance with rule-6.
The licence is subject to the following special and general conditions, the infraction of any of which or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.	The licence is subject to the following special and general conditions, the infraction of any of which **or these rules or a** conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.
General and special conditions	**General and special conditions**
1. The licensee can obtain supply of the Beer (including Wine & Low Alcoholic Beverages) from the wholesale licensee (F.L.-2/F.L.2B) of the district after making full payment of price of liquor including all taxes, consideration fee etc. leviable from time to time preferably through e-payment. If the F.L-.2/ F.L.-2B licence is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of beer, wine and low alcoholic beverages from wholesale licencee (F.L.-2/ F.L.2B) of other district/districts with prior permission of Excise Commissioner.	1. The licensee can obtain supply of the Beer (including Wine & Low Alcoholic Beverages) from the wholesale licensee (F.L.-2/F.L.2B) of the district after making full payment of price of liquor including all taxes, consideration fee etc. leviable from time to time preferably through e-payment. If the F.L-.2/ F.L.-2B licence is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of beer, wine and low alcoholic beverages from wholesale licencee (F.L.-2/ F.L.2B) of other district/districts with prior permission of Excise Commissioner.
2. In case of insufficient supply, the licensee shall inform to the District Excise Officer, who shall obtain orders from Excise Commissioner.	2. In case of insufficient supply, the licensee shall inform to the District Excise Officer, who shall obtain orders from Excise Commissioner.
3. Sale at the licenced premises shall be made only for consumption "off" the premises. No liquor shall be consumed/ drunk "on" the premises.	3. Sale at the licenced premises shall be made only for consumption "off" the premises. No liquor shall be consumed/ drunk "on" the premises.
4. Only Standard bottles or cans of 650ml, 500ml, 330ml ,300ml and 275 ml of beer and Low strength alcoholic beverage as well as wine in such capacities as provided in relevant rules and in addition to it 1000ml and 275ml exclusively for Low Alcoholic Beverages shall be sold to any person.	4.Only Standard bottles or cans of 650ml, 500ml, 330ml ,300ml and 275 ml of beer and Low strength alcoholic beverage as well as wine in such capacities as provided in relevant rules and in addition to it 1000ml and 275ml exclusively for Low Alcoholic Beverages shall be sold to any person.
5. Maximum retail price shall be printed in visible words of 1x1 centimeter on on the label of beer/wine/Low Alcoholic Beverages. Retail licensee shall not charge more than the printed Maximum Retail Price.	5. Maximum retail price and strength shall be printed in visible **bold font** of 1x1 centimeter **on the right top of lables of beer**/wine/Low Alcoholic Beverages. The retail licensee shall not charge more than the printed M.R.P.

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
6. The sale of beer, wine and Low Alcoholic Beverages shall be made in sealed bottles or cans of above mentioned capacities with prescribed strength and quantity and which is affixed with security code approved by Excise Department, as proof of payment of consideration fee.	6. The sale of beer, wine and Low Alcoholic Beverages shall be made in sealed bottles or cans of above mentioned capacities with prescribed strength and quantity and which is affixed with security code approved by Excise Department, as proof of payment of consideration fee.
7. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25B), as prescribed by the Licensing Authority and the account register shall be uploaded on the upexciseonline.in portal through sms produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.	7. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25B), as prescribed by the Licensing Authority and the account register shall be uploaded on the upexciseonline.in portal through sms produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.
8. The licensee shall store entire stock of Beer/Wine/Low Alcoholic Beverages in the licence premises only. He shall be required to maintain P.O.S (Point Of Sale) equipment as specified for scanning of bottles as per prescribed security code under the Track and Trace System.	8. The licensee shall store entire stock of Beer/Wine/Low Alcoholic Beverages in the licence premises only. He shall be required to maintain P.O.S (Point Of Sale) equipment as specified for scanning of bottles as per prescribed security code under the Track and Trace System.
9. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed. The signboard will also display the following information :- ">Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable. >Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive."	9. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed. The signboard will also display the following information :- ">Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable. >Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive."
10. The licensee shall not employ any person as salesmen who is below twenty-one years of age or is suffering from any infectious and /or contagious diseases, or has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain identity cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.	10. The licensee shall not employ any person as salesmen who is below twenty-one years of age or is suffering from any infectious and /or contagious diseases, or has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain **Naukarnama** of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer **on payment of fee as prescribed by the State Government from time to time** which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.
11. The licensee shall not sale retail sale to any purchaser, in quantity more than 7.8 litres of Beer, Bottled In India and imported, each separately and 3 litres of wine bottled in India and imported, both separately as well as 6 litres of Low Alcoholic Beverages at a time, except under permit.	11. The licensee shall not sell to any purchaser in quantity **more than the notified quantities of Indian made and overseas beer, wine and low alcholic beverages separately at a time, except under a permit.**

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
12. The sale should not be made to a person below the age of twenty-one years, Police personnel below the rank of sub inspector or to a soldier or a official in uniform.	12. The sale should not be made to a person below the age of twenty-one years, Police personnel below the rank of sub inspector or to a soldier or a official in uniform.
13. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles or cans, their labels, security Code affixed under security System, pilfer proof caps or seals etc.	13.The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles or cans, their labels, security Code affixed under security System, pilfer proof caps or seals etc.
14. The Licensee shall not keep in his licenced premises any spirit, caramel, colour, essence, security Code making apparatus labels capsules, seals or any other noxious material.	14. The Licensee shall not keep in his licenced premises any spirit, caramel, colour, essence, security Code making apparatus labels capsules, seals or any other noxious material.
15. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.	15. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.
16. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales. Gambling and dance programme are strictly forbidden.	16. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales. Gambling and dance programme are strictly forbidden.
17. The licenced premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 pm except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions or relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds.	17. The licenced premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 pm except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions or relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds. **Provided that the sale hours may be changed on special occasions for certain duration as the State Government may deem fit.**
18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except such activities for which licence is granted.	18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except such activities for which licence is granted.
19. The licensee shall on expiry of the licence, report to the District Excise officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with order of Excise Commissioner from time to time in this regards.	19. The licensee shall on expiry of the licence, report to the District Excise officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with order of Excise Commissioner from time to time in this regards.
20. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.	20. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.
21. The licensee shall submit the list of sellers to the district excise officer for sale of liquor at his shop. The district excise officer shall issue Naukarnama in prescribed form accordingly.	21. The licensee shall submit the list of sellers to the district excise officer for sale of liquor at his shop. The district excise officer shall **accordingly** issue Naukarnama **in prescribed form after payment of prescribed fees**.
Date…….. District……. Licensing Authority	Date…….. District……. Licensing Authority

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
F.L. 5B (1) (For new license)	Form F.L. 5B (1) (For new license)
Licence for the Retail Sale of Beer (Including Wine & L.A.B.) in sealed Bottles for consumption "off" the premises	Licence for the Retail Sale of Beer (Including Wine & L.A.B.) in sealed Bottles for consumption "off" the premises
Photo of applicant / Photo of shop	Photo of applicant / Photo of shop
Latitude/Longitude of shop……. Licence No…….. District…… Locality…….. Licence fee Rs…… (in figures)…… (in words)	Latitude/Longitude of shop……. Licence No…….. District…… Locality…….. Licence fee Rs…… (in figures)…… (in words)
Security amount Rs….(in figures)…… (in words) Description of premises (without boundaries) North…… South…… East…….. West…… Name, Father's Name & Address of Licensee(s)- 1……s/o……R/o…… 2……s/o ……R/o……	Security amount Rs….(in figures)…… (in words) Description of premises (without boundaries) North…… South…… East…….. West…… Name, Father's Name & Address of Licensee(s)--- 1……s/o……R/o…… 2……s/o ……R/o……
Licence for the retail sale of beer (including Wine & Low Alcoholic Beverages) in standard bottles or cans of capacities 650ml, 500 ml, 330 ml, 300 ml and 275 ml and only L.A.B. in capacities 1000ml, 275 ml as well as wine in such capacities as provided in relevant rules are also allowed for consumption "off" the premises is hereby granted to above licence holders(s) …. at …… (place) in Police Station. ……. Tahsil ……. in the District of ……. w.e.f. from …… to March 31, 20 …… for which licence fee and security deposit has been made in accordance with rule-6.	Licence for the retail sale of beer (including Wine & Low Alcoholic Beverages) in standard bottles or cans of capacities 650ml, 500 ml, 330 ml, 300 ml and 275 ml and only L.A.B. in capacities 1000ml, 275 ml as well as wine in such capacities as provided in relevant rules are also allowed for consumption "off" the premises is hereby granted to above licence holders(s) …. at …… (place) in Police Station. ……. Tahsil ……. in the District of ……. w.e.f. from …… to March 31, 20 …… for which licence fee and security deposit has been made in accordance with rule-6.
The licence is subject to the following special and general conditions, the infraction of any of which or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.	The licence is subject to the following special and general conditions, the infraction of any of which **or these rules or a** conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

Column I *Existing rule* General and special conditions	**Column II** *Rule as hereby substituted* General and special conditions
1. The licensee can obtain supply of the Beer (including Wine & Low Alcoholic Beverages) from the wholesale licensee (F.L.-2/F.L.2B) of the district after making full payment of price of liquor including all taxes, consideration fee etc. leviable from time to time preferably through e-payment. If the F.L-.2/ F.L.-2B licence is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of beer, wine and low alcoholic beverages from wholesale licencee (F.L.-2/ F.L.2B) of other district/districts with prior permission of Excise Commissioner.	1. The licensee can obtain supply of the Beer (including Wine & Low Alcoholic Beverages) from the wholesale licensee (F.L.-2/F.L.2B) of the district after making full payment of price of liquor including all taxes, consideration fee etc. leviable from time to time preferably through e-payment. If the F.L-.2/ F.L.-2B licence is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of beer, wine and low alcoholic beverages from wholesale licencee (F.L.-2/ F.L.2B) of other district/districts with prior permission of Excise Commissioner.
2. In case of insufficient supply, the licensee shall inform to the District Excise Officer, who shall obtain orders from Excise Commissioner.	2. In case of insufficient supply, the licensee shall inform to the District Excise Officer, who shall obtain orders from Excise Commissioner.
3. Sale at the licenced premises shall be made only for consumption "off" the premises. No liquor shall be consumed/ drunk "on" the premises.	3. Sale at the licenced premises shall be made only for consumption "off" the premises. No liquor shall be consumed/ drunk "on" the premises.
4.Only Standard bottles or cans of 650ml, 500ml, 330ml ,300ml and 275 ml of beer and Low strength alcoholic beverage as well as wine in such capacities as provided in relevant rules and in addition to it 1000ml and 275ml exclusively for Low Alcoholic Beverages shall be sold to any person.	4.Only Standard bottles or cans of 650ml, 500ml, 330ml ,300ml and 275 ml of beer and Low strength alcoholic beverage as well as wine in such capacities as provided in relevant rules and in addition to it 1000ml and 275ml exclusively for Low Alcoholic Beverages shall be sold to any person.
5. Maximum retail price shall be printed in visible words of 1x1 centimeter on on the label of beer/wine/Low Alcoholic Beverages. Retail licensee shall not charge more than the printed Maximum Retail Price.	5. Maximum retail price and strength shall be printed in visible **bold font** of 1x1 centimeter **on the right top of lables of beer**/wine/Low Alcoholic Beverages. The retail licensee shall not charge more than the printed M.R.P.
6. The sale of beer, wine and Low Alcoholic Beverages shall be made in sealed bottles or cans of above mentioned capacities with prescribed strength and quantity and which is affixed with security code approved by Excise Department, as proof of payment of consideration fee.	6. The sale of beer, wine and Low Alcoholic Beverages shall be made in sealed bottles or cans of above mentioned capacities with prescribed strength and quantity and which is affixed with security code approved by Excise Department, as proof of payment of consideration fee.
7. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25B), as prescribed by the Licensing Authority and the account register shall be uploaded on the upexciseonline.in portal through sms produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.	7. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25B), as prescribed by the Licensing Authority and the account register shall be uploaded on the upexciseonline.in portal through sms produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.
8. The licensee shall store entire stock of Beer/Wine/Low Alcoholic Beverages in the licence premises only. He shall be required to maintain P.O.S (Point Of Sale) equipment as specified for scanning of bottles as per prescribed security code under the Track and Trace System.	8. The licensee shall store entire stock of Beer/Wine/Low Alcoholic Beverages in the licence premises only. He shall be required to maintain P.O.S (Point Of Sale) equipment as specified for scanning of bottles as per prescribed security code under the Track and Trace System.

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
9. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed. The signboard will also display the following information :- ">Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable. >Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive."	9. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed. The signboard will also display the following information :- ">Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable. >Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive."
10. The licensee shall not employ any person as salesmen who is below twenty-one years of age or is suffering from any infectious and /or contagious diseases, or has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain identity cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.	10. The licensee shall not employ any person as salesmen who is below twenty-one years of age or is suffering from any infectious and /or contagious diseases, or has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain **Naukarnama** of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer **on payment of fee as prescribed by the State Government from time to time** which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.
11. The licensee shall not sale retail sale to any purchaser, in quantity more than 7.8 litres of Beer, Bottled In India and imported, each separately and 3 litres of wine bottled in India and imported, both separately as well as 6 litres of Low Alcoholic Beverages at a time, except under permit.	11. The licensee shall not sell to any purchaser in quantity **more than the notified quantities of Indian made and overseas beer, wine and low alcholic beverages separately at a time, except under a permit.**
12. The sale should not be made to a person below the age of twenty-one years, Police personnel below the rank of sub inspector or to a soldier or a official in uniform.	12. The sale should not be made to a person below the age of twenty-one years, Police personnel below the rank of sub inspector or to a soldier or a official in uniform.
13.The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles or cans, their labels, security Code affixed under security System, pilfer proof caps or seals etc.	13. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles or cans, their labels, security Code affixed under security System, pilfer proof caps or seals etc.
14. The Licensee shall not keep in his licenced premises any spirit, caramel, colour, essence, security Code making apparatus labels capsules, seals or any other noxious material.	14. The Licensee shall not keep in his licenced premises any spirit, caramel, colour, essence, security Code making apparatus labels capsules, seals or any other noxious material.
15. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.	15. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.
16. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales. Gambling and dance programme are strictly forbidden.	16. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales. Gambling and dance programme are strictly forbidden.

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
17. The licenced premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 pm except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions or relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds.	17. The licenced premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 pm except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions or relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds**:** **Provided that the sale hours may be changed on special occasions for certain duration as the State Government may deem fit.**
18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except such activities for which licence is granted.	18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except such activities for which licence is granted.
19. The licensee shall on expiry of the licence, report to the District Excise officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with order of Excise Commissioner from time to time in this regards.	19. The licensee shall on expiry of the licence, report to the District Excise officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with order of Excise Commissioner from time to time in this regards.
20. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.	20. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.
21. The licensee shall submit the list of sellers to the district excise officer for sale of liquor at his shop. The district excise officer shall issue Naukarnama in prescribed form accordingly.	21. The licensee shall submit the list of sellers to the district excise officer for sale of liquor at his shop. The district excise officer shall **accordingly** issue Naukarnam in prescribed form after **payment of prescribed fees.**
Date…….. District……. Licensing Authority	Date…….. District……. Licensing Authority

By order,
(Senthil Pandian C.)
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

पी0एस0यू0पी0-6 असाधारण गजट-24.07.2023-127 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।

क्रम-संख्या–118(क)

रजिस्टर्ड नं० एल० डब्ल्यू०/एन०पी० 561
लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, सोमवार, 10 जुलाई, 2023 ई0

(आषाढ़ 19, 1945 शक संवत्)

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या-3129/दस-लाइसेंस-59/देशी शराब/2023-2024

प्रयागराज, दिनांक 10 जुलाई, 2023 ई0

अधिसूचना

सा0प0नि0–28

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 24 और 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, आबकारी आयुक्त की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या-27091/दस-लाइसेंस-59/2002-2003, दिनांक 14 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश, आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन)
(सोलहवाँ संशोधन) नियमावली, 2023

1. संक्षिप्त नाम औरप्रारम्भ (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) **(सोलहवाँ संशोधन) नियमावली, 2023** कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. नियम-2-का संशोधन– उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002, (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
2- परिभाषाएं जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली मेः-	2- परिभाषाएं जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली मेः-
(क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;	(क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;
(ख) "वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा" का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसरण में लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा नियत और लाइसेंसधारीद्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ आबकारी वर्ष में अपनी फुटकर दुकान के लिए उसके द्वारा उठाई जाने वाली प्रत्याभूत तीव्र देशी शराब (36 प्रतिशत वी/वी के रुप में) की मात्रा से है। तथापि, यदि आबकारी वर्ष के प्रारम्भ के पश्चात् कोई लाइसेंस दिया जाता है, तो आबकारी वर्ष में शेष दिनों की संख्या के अनुसार अनुपातिक रूप से उनकी न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा को घटा दिया जायेगा;	(ख) "वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा" का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसरण में लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा नियत और लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ आबकारी वर्ष में अपनी फुटकर दुकान के लिए उसके द्वारा उठाई जाने वाली प्रत्याभूत तीव्र देशी शराब (36 प्रतिशत वी/वी के रुप में) की मात्रा से है। तथापि, यदि आबकारी वर्ष के प्रारम्भ के पश्चात् कोई लाइसेंस दिया जाता है, तो आबकारी वर्ष में शेष दिनों की संख्या के अनुसार अनुपातिक रूप से उनकी न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा को घटा दिया जायेगा;
(ग) "बेसिक लाइसेंस फीस" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24 के अधीन देशी शराब की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार हेतु सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके भाग के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने के निमित्त प्रतिफल के उस भाग से है, जो लाइसेंसधारी के रूप में चयनित व्यक्ति द्वारा, उसको लाइसेंस प्रदान किए जाने के पूर्व, ऐसी दरों पर, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाय, भुगतान किया जाय। परन्तु यदि व्यवस्थापन मध्य सत्र में होता है, तो बेसिक लाइसेंस फीस अवशेष अवधि के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के समानुपातिक होगी,	(ग) "बेसिक लाइसेंस फीस" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24 के अधीन देशी शराब की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार हेतु सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके भाग के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने के निमित्त प्रतिफल के उस भाग से है, जो लाइसेंसधारी के रूप में चयनित व्यक्ति द्वारा, उसको लाइसेंस प्रदान किए जाने के पूर्व, ऐसी दरों पर, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाय, भुगतान किया जाय। परन्तु यदि व्यवस्थापन मध्य सत्र में होता है, तो बेसिक लाइसेंस फीस अवशेष अवधि के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के समानुपातिक होगी,
(घ) "देशी शराब" में एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ई0एन0ए0) से निर्मित ऐसी अल्कोहलीय सांद्रता वाली "तनु या तीव्र" देशी स्प्रिट और उत्तर प्रदेश निर्मित शराब (यू0पी0एम0एल0) भी सम्मिलित है, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा नियत की जाय ;	(घ) "देशी शराब" में एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ई0एन0ए0) से निर्मित ऐसी अल्कोहलीय सांद्रता वाली **25 प्रतिशत और 36 प्रतिशत (सादा, सुवासित और मसाला) शराब** और **42.8 प्रतिशत (सादा, सुवासित और मसाला)** वाली उत्तर प्रदेश निर्मित शराब (यू0पी0एम0एल0) भी सम्मिलित है, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा नियत की जाय;

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ङ) ''दैनिक बेसिक लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य प्रतिफल शुल्क के उस भाग से है, जो कि अन्तरिम लाइसेंस के प्राप्तकर्ता द्वारा ऐसी दर से देय होगी जैसा कि राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाय ;	(ङ) ''दैनिक बेसिक लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य प्रतिफल शुल्क के उस भाग से है, जो कि अन्तरिम लाइसेंस के प्राप्तकर्ता द्वारा ऐसी दर से देय होगी जैसा कि राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाय;
(च) ''दैनिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'' वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 1/365 वाँ भाग होगी,	(च) ''दैनिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'' वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 1/365 वाँ भाग होगी,
(छ) ''आबकारी वर्ष'' का तात्पर्य 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेन्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;	(छ) ''आबकारी वर्ष'' का तात्पर्य 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेन्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;
(ज) ''परिवार'' का तात्पर्य दम्पत्ति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्रों, अविवाहित पुत्रियों और आश्रित माता-पिता से है और वे इसमें शामिल हैं;	(ज) ''परिवार'' का तात्पर्य दम्पत्ति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्रों, अविवाहित पुत्रियों और आश्रित माता-पिता से है और वे इसमें शामिल हैं;
(झ) ''प्रपत्र '' का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;	(झ) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;
(ञ) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है;	(ञ) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है;
(ट) ''लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य बेसिक लाइसेंस फीस के अतिरिक्त, आबकारी अधिनियम की धारा 24 के अधीन देशी शराब की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने के लिए प्रतिफल के शेष भाग से है, जो लाइसेंसधारी द्वारा देय होगी। यह धनराशि दुकान के लिए नियत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर उदग्रहणीय प्रतिफल फीस के बराबर होगी; परन्तु यदि व्यवस्थापन मध्य सत्र में होता है, तो यह अवशेष अवधि की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित प्रतिफल फीस के बराबर होगी;	(ट) ''लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य बेसिक लाइसेंस फीस के अतिरिक्त, आबकारी अधिनियम की धारा 24 के अधीन देशी शराब की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने के लिए प्रतिफल के शेष भाग से है, जो लाइसेंसधारी द्वारा देय होगी। यह धनराशि दुकान के लिए नियत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर उदग्रहणीय प्रतिफल फीस के बराबर होगी; परन्तु यदि व्यवस्थापन मध्य सत्र में होता है, तो यह अवशेष अवधि की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित प्रतिफल फीस के बराबर होगी;
(ठ) ''लाइसेंस फीस की मासिक किस्त'' बेसिक लाइसेंस फीस के अतिरिक्त होगी जो लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित प्रतिफल फीस के बराबर होगी और प्रत्येक माह देय होगी। तथापि लाइसेंसधारी द्वारा एक माह में उठाई गई देशी शराब की मात्रा में निहित प्रतिफल फीस का समायोजन नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लाइसेंस फीस की मासिक किस्त के प्रति किया जा सकता है;	(ठ) ''लाइसेंस फीस की मासिक किस्त'' बेसिक लाइसेंस फीस के अतिरिक्त होगी जो लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित प्रतिफल फीस के बराबर होगी और प्रत्येक माह देय होगी। तथापि लाइसेंसधारी द्वारा एक माह में उठाई गई देशी शराब की मात्रा में निहित प्रतिफल फीस का समायोजन नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लाइसेंस फीस की मासिक किस्त के प्रति किया जा सकता है;
(ड) ''मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'' वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा को बारह समान भागों में विभाजित किया जायेगा। इस प्रकार की गणना में प्राप्त मात्रा मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा होगी;	(ड) ''मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'' वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा को बारह समान भागों में विभाजित किया जायेगा। इस प्रकार की गणना में प्राप्त मात्रा मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा होगी;

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ढ) ''प्रतिभूति धनराशि'' का तात्पर्य बेसिक लाइसेंस फीस के अतिरिक्त लाइसेंस फीस के 1/10वॉ भाग के बराबर धनराशि से है, जो जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद/बैंक गारंटीके माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तरिम व्यवस्थापन के बाद वापसी योग्य होगी; परन्तु नवीकरण की स्थिति में, पूर्व में नकद या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0) के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।	(ढ) ''प्रतिभूति धनराशि''का तात्पर्य बेसिक लाइसेंस फीस के अतिरिक्त लाइसेंस फीस के 1/10वॉ भाग के बराबर धनराशि से है, जो जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत **सावधि जमा रसीद** के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तरिम व्यवस्थापन के बाद वापसी योग्य होगी; परन्तु नवीकरण की स्थिति में, पूर्व में नकद या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0) **अथवा बैंक गारंटी** के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।
(ण) ''प्रतिफल शुल्क'' का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा-30 के अधीन राज्य सरकार द्वारा देशी शराब की तीव्रता के अनुसार प्रति लीटर की दर से निर्धारित फीस से है, जो देशी शराब की आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जायेगी।	(ण) ''प्रतिफल शुल्क'' का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा-30 के अधीन राज्य सरकार द्वारा देशी शराब की तीव्रता के अनुसार प्रति लीटर की दर से निर्धारित फीस से है, जो देशी शराब की आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जायेगी।
(त) "अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क'' का तात्पर्य देशी शराब के आप्टिमम रिटेल प्राइस को पॉच रुपये के अगले गुणक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरुप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो आसवनी स्तर पर देय होगी तथा आसवनी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से एक्स डिस्टिलरी प्राइस के अतिरिक्त वसूलनीय होगी एवं जो थोक आपूर्तिकर्ता द्वारा फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक मूल्य के अतिरिक्त वसूल की जा सकेगी, किन्तु अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की यह धनराशि, फुटकर लाइसेंसधारी द्वारा संदेय लाइसेंस फीस के सापेक्ष समायोजित नहीं की जायेगी।	(त) "अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क'' का तात्पर्य देशी शराब के आप्टिमम रिटेल प्राइस को **दो** रुपये के अगले गुणक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरुप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो आसवनी स्तर पर देय होगी तथा आसवनी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से एक्स डिस्टिलरी प्राइस के अतिरिक्त वसूलनीय होगी एवं जो थोक आपूर्तिकर्ता द्वारा फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक मूल्य के अतिरिक्त वसूल की जा सकेगी, किन्तु अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की यह धनराशि, फुटकर लाइसेंसधारी द्वारा संदेय लाइसेंस फीस के सापेक्ष समायोजित नहीं की जायेगी।
(थ) ''धरोहर धनराशि'' का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली बेसिक लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 भाग के बराबर धनराशि से है, जो व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम 12 के उपबन्धों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी।	(थ) 'धरोहर धनराशि'' का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली बेसिक लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 भाग के बराबर धनराशि से है, जो व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम 12 के उपबन्धों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी।
(द) "अनुक्र'' का तात्पर्य ई/लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन के लिये कथित आधार दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है।	(द) "अनुक्रम'' का तात्पर्य ई/लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन के लिये कथित आधार दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ध) "पोर्टल'' का तात्पर्य विनिर्दिष्ट रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म, जिस पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से सम्बन्धित इसके वितरण के समाप्य अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड किये जाने के प्रयोजन से है;	(ध) "पोर्टल'' का तात्पर्य विनिर्दिष्ट रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म, जिस पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से सम्बन्धित इसके वितरण के समाप्य अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड किये जाने के प्रयोजन से है;
(न) "ऋणशोधन क्षमता'' का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय अर्हता के मानदण्ड से है;	(न) "ऋणशोधन क्षमता'' का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय अर्हता के मानदण्ड से है;
(प) ''व्यक्ति'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो;	(प) ''व्यक्ति'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो;
(फ) "व्यवस्थापन'' का तात्पर्य नवीकरण, ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से दुकानों के व्यवस्थापन अथवा पुर्नव्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है।	(फ) "व्यवस्थापन'' का तात्पर्य नवीकरण, ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से दुकानों के व्यवस्थापन अथवा पुर्नव्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है।
(ब) ''उत्तर प्रदेश निर्मित शराब (यू0पी0एम0एल0)'' का तात्पर्य ग्रेन एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ई0एन0ए0) से विनिर्मित ऐसी अल्कोहलीय सांद्रता वाली देशी स्प्रिट से है, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा नियत की जाय।	(ब) ''उत्तर प्रदेश निर्मित शराब (यू0पी0एम0एल0)'' का तात्पर्य ग्रेन एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ई0एन0ए0) से विनिर्मित ऐसी अल्कोहलीय सांद्रता वाली देशी स्प्रिट (**सादा, सुवासित और मसाला**) से है, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा नियत की जाय।
(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हों।	(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हों।

3-नियम-6 का संशोधन–उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
6-लाइसेंस की स्वीकृति- इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार बेसिक लाइसेंस फीस को अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से भुगतान करने एवं जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद/बैंक गारंटी के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट द्वारा प्रतिभूति धनराशि जमा करने पर लाइसेंस निर्गत किया जायेगा।	6-लाइसेंस की स्वीकृति- इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार बेसिक लाइसेंस फीस को अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से भुगतान करने एवं जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत **सावधि जमा रसीद** के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट द्वारा प्रतिभूति धनराशि जमा करने पर लाइसेंस निर्गत किया जायेगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नगद या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0) के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय। लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिले में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी स्वामित्व सम्पत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करे, जहाँ से उसे लाइसेंस स्वीकृति के समय जारी किया गया हो।	परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नगद या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0) **अथवा बैंक गारंटी** के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय। लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिले में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी स्वामित्व सम्पत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करे, जहाँ से उसे लाइसेंस स्वीकृति के समय जारी किया गया हो।

4-नियम-7 का संशोधन–उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-7 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम-7- लाइसेंस स्वीकृति के लिये आवेदन-	नियम-7- लाइसेंस स्वीकृति के लिये आवेदन-
(क) जब कभी किसी क्षेत्र या स्थान में नया लाइसेंस स्वीकृत करना प्रस्तावित हो, लाइसेंस प्राधिकारी, दैनिक समाचार-पत्रों, जिनके उस क्षेत्र में परिचालन हो, में व्यापक प्रचार और आबकारी विभाग की वेबसाइट (**www.upexcise.in**)के साथ-साथ जिला की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के पश्चात् इस निमित्त आवेदन-पत्र आमंत्रित करेंगे ।	(क) जब कभी किसी क्षेत्र या स्थान में नया लाइसेंस स्वीकृत करना प्रस्तावित हो, लाइसेंस प्राधिकारी, दैनिक समाचार-पत्रों, जिनके उस क्षेत्र में परिचाल न हो, में व्यापक प्रचार और आबकारी विभाग की वेबसाइट **(www.upexciseportal.in)** के साथ-साथ जिला की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के पश्चात् इस निमित्त आवेदन-पत्र आमंत्रित करेंगे।
(ख) देशी मदिरा की फुटकर दुकानों की सूची, जिनकी लाइसेंस की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित है, को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा एन० आई० सी० द्वारा विकसित किये गये शाप मास्टर पर अपलोड की जायेगी और इसके साथ ही साथ दुकानवार बेसिक लाइसेंस फीस, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि और धरोहर धनराशि की सूची को कलेक्टर के कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय और उप आबकारी आयुक्त प्रभार के कार्यालय में प्रदर्शित किया जायेगा । यह विभाग सूचना आबकारी (**www.upexcise.in**) के साथ-साथ प्रत्येक जिला की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जायेगी।	(ख) देशी मदिरा की फुटकर दुकानों की सूची, जिनकी लाइसेंस की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित है, को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा एन० आई० सी० द्वारा विकसित किये गये शाप मास्टर पर अपलोड की जायेगी और इसके साथ ही साथ दुकानवार बेसिक लाइसेंस फीस, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि और धरोहर धनराशि की सूची को कलेक्टर के कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय और उप आबकारी आयुक्त प्रभार के कार्यालय में प्रदर्शित किया जायेगा। यह सूचना आबकारी **विभाग** की **वेबसाइट (www.upexciseportal.in)** के साथ-साथ प्रत्येक जिला की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जायेगी।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ग) लाइसेंस की स्वीकृति के लिए आवेदन समाचार पत्रों में विज्ञापित समय-सारिणी के अनुसार ऑनलाइन जमा किये जायेंगे। आवेदन के साथ (एक) ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा अधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र (दो) आधार कार्ड, (तीन) पैन कार्ड (चार) गतवर्ष की आयकर विवरणी की छायाप्रति (पाँच) विहित प्रारूप में शपथ-पत्र (छः) धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी जो सम्बन्धित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी हो, को अपलोड करना अनिवार्य होगा।	(ग) लाइसेंस की स्वीकृति के लिए आवेदन समाचार पत्रों में विज्ञापित समय-सारिणी के अनुसार ऑनलाइन जमा किये जायेंगे। आवेदन के साथ (एक) ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा अधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र **(दो) पैनकार्ड**, (तीन) गतवर्ष की आयकर विवरणी की छायाप्रति (चार) विहित प्रारूप में शपथ-पत्र (पॉच) धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी जो सम्बन्धित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी हो, को अपलोड करना अनिवार्य होगा।
राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित दर से प्रसंस्करण फीस व उस पर संदेय मूल्य संबंधित कर/माल और सेवा कर का भुगतान आनलाइन किया जायेगा।	राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित दर से प्रसंस्करण फीस व उस पर संदेय मूल्य संबंधित कर/माल और सेवा कर का भुगतान आनलाइन किया जायेगा।
(घ) आवेदन पत्र प्राप्ति के लिए निर्धारित किया जाने वाला अन्तिम दिनांक, किंसी समाचार पत्र और आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexcise.in) में किए गए विज्ञापन में यथा नियत दिवसों से पूर्व नहीं होगा।	(घ) आवेदन पत्र प्राप्ति के लिए निर्धारित किया जाने वाला अन्तिम दिनांक, किंसी समाचार पत्र और आबकारी विभाग की वेबसाइट (**www.upexciseportal.in)** में किए गए विज्ञापन में यथा नियत दिवसों से पूर्व नहीं होगा।

5-नियम-8 का संशोधन– उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
8- आवेदकों के लिये पात्रता की शर्तें:-	8- आवेदकों के लिये पात्रता की शर्तें:-
फुटकर देशी शराब की दुकान के लाइसेंस के लिए पात्र आवेदक को निम्नलिखित शर्तें अवश्य पूरी करनी होगी अर्थात्:-	फुटकर देशी शराब की दुकान के लाइसेंस के लिए पात्र आवेदक को निम्नलिखित शर्तें अवश्य पूरी करनी होगी अर्थात्:-
(क) आवेदन एक व्यक्ति द्वारा हो जो भारत का नागरिक हो, परन्तु नवीकरण की स्थिति में सह-आवेदक, यदि कोई हो, जो भारत का नागरिक हो, भी मान्य होगा।	(क) आवेदन एक व्यक्ति द्वारा हो जो भारत का नागरिक हो, परन्तु नवीकरण की स्थिति में सह-आवेदक, यदि कोई हो, जो भारत का नागरिक हो, भी मान्य होगा।
भागीदार वाली फर्म अथवा कम्पनी फुटकर लाइसेंस स्वीकृति हेतु पात्र नहीं होंगी। इसी प्रकार थोक विक्रेता या आसवनी/मदिरा विनिर्माता भी किसी प्रकार की फुटकर दुकान का लाइसेंसधारण करने हेतु पात्र नहीं होगा।	भागीदार वाली फर्म अथवा कम्पनी फुटकर लाइसेंस स्वीकृति हेतु पात्र नहीं होंगी। इसी प्रकार थोक विक्रेता या आसवनी/मदिरा विनिर्माता भी किसी प्रकार की फुटकर दुकान का लाइसेंसधारण करने हेतु पात्र नहीं होगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
दुकान के आवंटन के पश्चात् आवेदक की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा, लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में उसका विधिक वारिस, यदि अन्यथा पात्र हो, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बना रह सकता है।	दुकान के आवंटन के पश्चात् आवेदक की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन अनुमन्य **नहीं** होगा। लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में **लाइसेंसधारी** द्वारा **दिये गये नामनिर्देशन शपथ पत्र(यदि कोई हो) नामनिर्दिशिती के अनुसार उल्लिखित विधिक वारिसों/परिवार के सदस्यों/ निकट सम्बन्धियों के नाम, यदि अन्यथा अपात्र न हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंस धारक बने रहने के लिये नामनिर्देशन शपथ पत्र में उल्लिखित वरीयता के अनुसार विचारित किये जायेंगे।** **परन्तु यह कि मृतक लाइसेंसधारी के नामनिर्देशन शपथ पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में उसका विधिक वारिस लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बना रह सकता है।**
परन्तु यह और कि यदि संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो, तो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, जीवित व्यक्ति मृतक के विधिक वारिस (वारिसो) के साथ, यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंसधारी बना रहेगा या दोनो व्यक्तियों की मृत्यु की दशा में उसके विधिक वारिस (वारिसो), यदि अन्यथा पात्र हो, लाइसेंसधारक बने रह सकते हैं। दोनों व्यक्तियों के विधिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा और दोनो सम्मिलित रूप से अलग-अलग उत्तरदायी होगे।	परन्तु यह और कि यदि संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो, तो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, जीवित व्यक्ति **एवं उपर्युक्तानुसार चयनित मृत लाइसेंसधारी का नामनिर्देशिती अथवा विधिक वारिस, यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बना रह सकता है।** दोनों व्यक्तियों के विधिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा **जो** सम्मिलित रूप से अलग-अलग उत्तरदायी होंगे।
(ख) आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के लिये नियत अवधि के प्रथम दिवस पर इक्कीस वर्ष की आयु से अधिक हो।	(ख) आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के लिये नियत अवधि के प्रथम दिवस पर इक्कीस वर्ष की आयु से अधिक हो।
(ग) व्यतिक्रमी/काली सूची में सम्मिलित अथवा अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई किसी नियमावली के उपबन्धों के अन्तर्गत आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति जिसे किसी न्यायालय द्वारा किसी आबकारी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न कर दिया गया हो।	(ग) व्यतिक्रमी/काली सूची में सम्मिलित अथवा अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई किसी नियमावली के उपबन्धों के अन्तर्गत आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति जिसे किसी न्यायालय द्वारा किसी आबकारी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न कर दिया गया हो।
(गग) आवेदनकर्ता किसी एक दुकान के लिये स्वयं के नाम से मात्र एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिये पात्र होगा। परन्तु नवीकरण की स्थिति में आवेदक एवं सह-आवेदक दोनों आवेदन हेतु पात्र होगें तथा नवीकरण हेतु दोनों की सहमति आवश्यक होगी।	(गग) आवेदनकर्ता किसी एक दुकान के लिये स्वयं के नाम से मात्र एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिये पात्र होगा। परन्तु नवीकरण की स्थिति में आवेदक एवं सह-आवेदक दोनों आवेदन हेतु पात्र होगें तथा नवीकरण हेतु दोनों की सहमति आवश्यक होगी।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(घ) निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से अभिप्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:-	(घ) निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से अभिप्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:-
(एक) यह कि समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबन्धों के अनुकूल उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा किराए पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है।	(एक) यह कि समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबन्धों के अनुकूल उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा किराए पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है।
(दो) यह कि दुकान के उसके प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।	(दो) यह कि दुकान के उसके प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।
(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए दोष सिद्व न किया गया हो।	(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए **दोषसिद्व** न किया गया हो।
(चार) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह निवासी है, के जिला कलेक्टर या सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट, सहायक पुलिस आयुक्त रैंक के अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र लाइसेंस जारी होने के पूर्व प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है।	(चार) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह निवासी है, के जिला कलेक्टर या सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट, सहायक पुलिस आयुक्त रैंक के अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र लाइसेंस जारी होने के पूर्व प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है।
(पाँच) यह कि व किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड-तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी से अपने प्राधिकृत बिक्रेता/ प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा।	(पाँच) यह कि व किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड-तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी से **राज्य सरकार** द्वारा **समय-समय पर यथाविहित फीस का संदाय करने पर** प्राधिकृत बिक्रेता/प्रतिनिधि का फोटो युक्त **नौकरनामा** प्राप्त करना होगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(छः) यह कि उस पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है।	(छः) यह कि उस पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है।
(सात) यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसके कारोबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्यौरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।	(सात) यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसके कारोबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्यौरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।
(आठ) यह कि वह सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया लाइसेंस निरस्त कर दिया जाये।	(आठ) यह कि वह सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया लाइसेंस निरस्त कर दिया जाये।
(नौ) यह कि आवेदक बार काउंसिल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउंसिल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाय। राज्य सरकार का कर्मचारी, लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये अनर्ह होगा।	(नौ)यह कि आवेदक बार काउंसिल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउंसिल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाय। राज्य सरकार का कर्मचारी, लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये अनर्ह होगा।
(दस) यह कि लाइसेंसधारी के रुप में चयन हो जाने की स्थिति में चयन के 48 घंटे के भीतर बैंक ड्रॉफ्ट, जिसे ऑन- लाइन आवेदन के साथ अपलोड किया गया है, को जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करा देगा।	(दस) यह कि लाइसेंसधारी के रुप में चयन हो जाने की स्थिति में चयन के 48 घंटे के भीतर बैंक ड्रॉफ्ट, जिसे ऑन- लाइन आवेदन के साथ अपलोड किया गया है, को जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करा देगा।
(ग्यारह) यह कि उसने धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग, इस चरण में किसी अन्य दुकान हेतु आवेदन में नही किया है।	(ग्यारह) यह कि उसने धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग, इस चरण में किसी अन्य दुकान हेतु आवेदन में नही किया है।
(ङ) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जो सम्बन्धित दुकान के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी हो, की स्कैन प्रति, ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा। लाइसेंसधारी के रूप में चयन हो जाने की दशा में धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट चयन के पश्चात् अड़तालीस घंटे के अन्दर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसे दुकान की सभी देयताओं के भुगतान पश्चात आवेदक को वापस कर दिया जायेगा।	(ङ) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जो सम्बन्धित दुकान के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी हो, की स्कैन प्रति, ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा। लाइसेंसधारी के रूप में चयन हो जाने की दशा में धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट चयन के पश्चात् अड़तालीस घंटे के अन्दर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसे दुकान की सभी देयताओं के भुगतान पश्चात् आवेदक को वापस कर दिया जायेगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(झ) आवेदक ऋणशोधनक्षमता प्रमाण पत्र या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति का स्वामित्व प्रमाण-पत्र का धारक हो तथा उसकी ऋणशोधनक्षमता या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति का स्वामित्व प्रमाण-पत्र की मालियत जिला में आवेदित दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिये अवधारित बेसिक लाइसेंस फीस व लाइसेंस फीस के योग के 1/6 भाग के समतुल्य धनराशि से कम नहीं होगी। परन्तु नवीकरण की स्थिति में गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र, यदि वैध एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होंगे।	(झ) आवेदक ऋणशोधनक्षमता प्रमाण पत्र या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति का स्वामित्व प्रमाण-पत्र का धारक हो तथा उसकी ऋणशोधनक्षमता या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति का स्वामित्व प्रमाण-पत्र की मालियत जिला में आवेदित दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिये अवधारित बेसिक लाइसेंस फीस व लाइसेंस फीस के योग के 1/6 भाग के समतुल्य धनराशि से कम नहीं होगी। परन्तु नवीकरण की स्थिति में गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र, यदि वैध एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होंगे।

6-नियम-10 का संशोधन– उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
10-लाइसेंसधारी का चयन	10-लाइसेंसधारी का चयन
(क) (एक) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन दुकान के लाइसेंस का ऑनलाइन नवीकरण किया जा सकेगा।	(क) (एक) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन दुकान के लाइसेंस का ऑनलाइन नवीकरण किया जा सकेगा।
(दो) नवीकरण न होने की स्थिति में लाइसेंसधारियों का चयन, आनलाइन आवेदन आमंत्रित कर राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर की प्रक्रिया के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा। जिला आबकारी अधिकारी, आनलाइन प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और पत्र एवं अपात्र आवेदनों की सूची, अपात्रता के कारणों को उल्लिखित करते हुए तैयार करेगा और इस सूची को ई-लाटरी एवं ई-टेण्डर हेतु गठित जिला स्तरीय लाइसेंस समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।	(दो) नवीकरण न होने की स्थिति में लाइसेंसधारियों का चयन, आनलाइन आवेदन आमंत्रित कर राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर की प्रक्रिया के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा। जिला आबकारी अधिकारी, आनलाइन प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और **पात्र** एवं अपात्र आवेदनों की सूची, अपात्रता के कारणों को उल्लिखित करते हुए तैयार करेगा और इस सूची को ई-लाटरी एवं ई-टेण्डर हेतु गठित जिला स्तरीय लाइसेंस समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
(ख) उक्त समिति आवंटन हेतु अर्ह एवं अनर्ह आवेदकों को चिन्हित करेगी। ई-लॉटरी की स्थिति में अर्ह आवेदकों में से प्रत्येक दुकान के लिये लाइसेंसधारी का चयन कम्प्यूटर चलित यादृच्छिक विन्यास के माध्यम से किया जायेगा। यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित नियम के अधीन विहित अनुक्रम के अनुसार देशी मदिरा, माडल शाप, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर	(ख) उक्त समिति आवंटन हेतु अर्ह एवं अनर्ह आवेदकों को चिन्हित करेगी। ई-लॉटरी की स्थिति में अर्ह आवेदकों में से प्रत्येक दुकान के लिये लाइसेंसधारी का चयन कम्प्यूटर चलित यादृच्छिक विन्यास के माध्यम से किया जायेगा। यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित नियम के अधीन विहित अनुक्रम के अनुसार देशी मदिरा, माडल शाप, विदेशी मदिरा तथा बीयर की

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
दुकानों के क्रम में अपनायी जायेगी। ई-टेण्डर के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन की स्थिति में उसी पूर्वोक्त अनुक्रम का पालन किया जायेगा। किसी भी आवेदक के पक्ष सम्पूर्ण राज्य में सभी श्रेणी की देशी शराब, माडल शाप, विदेशी मदिरा, एवं बीयर की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी।	फुटकर दुकानों के क्रम में अपनायी जायेगी। ई-टेण्डर के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन की स्थिति में उसी पूर्वोक्त अनुक्रम का पालन किया जायेगा। किसी भी आवेदक के पक्ष सम्पूर्ण राज्य में सभी श्रेणी की देशी शराब, माडल शाप, विदेशी मदिरा, एवं बीयर की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी।
परन्तु यह कि उपर्युक्त निर्बंधन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार लाइसेंसों के नवीकरण एवं लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में विधिक वारिस के पक्ष में लाइसेंस नवीकरण और लाइसेंस नामान्तरण से सम्बन्धित मामलों के लिए लागू नही होगा।	परन्तु यह कि **पूर्वोक्त** निर्बंधन **सीमा लाइसेंसधारी/ लाइसेंसधारियों की मृत्यु की स्थिति में नियम-8(क) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार मृत लाइसेंसधारी/ लाइसेंसधारियों के विधिक वारिस/ परिवार के सदस्य/निकट सम्बन्धी के पक्ष में लाइसेंस नवीकरण/नामान्तरण से सम्बन्धित मामलों में लागू नहीं होगा।**
परन्तु यह और कि किसी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण राज्य में दो या दो से अधिक दुकानों के नवीकरण होने की स्थिति में वह ई-लाटरी के माध्यम से अग्रतर दुकानों के चयन हेतु पात्र नहीं होगा।	परन्तु यह और कि किसी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण राज्य में दो या दो से अधिक दुकानों के नवीकरण होने की स्थिति में वह ई-लाटरी के माध्यम से अग्रतर दुकानों के चयन हेतु पात्र नहीं होगा।
(ग) यदि चयनित आवेदक बेसिक लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकताए पूरी नहीं करेगा या नियत अवधि में दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहेगा तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन को निरस्त कर देगा और शासन द्वारा विहित प्रक्रिया के माध्यम से दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा।	(ग) यदि चयनित आवेदक बेसिक लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकताए पूरी नहीं करेगा या नियत अवधि में दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहेगा तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन को निरस्त कर देगा और शासन द्वारा विहित प्रक्रिया के माध्यम से दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा।
(घ) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हो या किसी दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा विहित प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल उपाय करेगा।	(घ) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हो या किसी दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा विहित प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल उपाय करेगा।

7-नियम-12 का संशोधन– उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-12 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
12-बेसिक लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि का भुगतान-	12-बेसिक लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि का भुगतान-
यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रुप में चयनित किया जाता है तो अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के 03 कार्य दिवसों के भीतर बेसिक लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयनित होने की सूचना के 10 कार्यदिवसों के भीतर	यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रुप में चयनित किया जाता है तो अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के 03 कार्य दिवसों के भीतर बेसिक लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयनित होने की

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के 20 कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दें। आवेदक द्वारा बेसिक लाइसेंस फीस का समस्त भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा। जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत प्रतिभूति धनराशि, सावधि जमा रसीद/बैंक गारंटी के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी। परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नगद या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0) के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।	सूचना के 10 कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के 20 कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दें। आवेदक द्वारा बेसिक लाइसेंस फीस का समस्त भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा। जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत प्रतिभूति धनराशि, **सावधि जमा रसीद** के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी। परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नगद या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0)**अथवा बैंक गारंटी** के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।
अनुवर्ती वर्ष में, दुकान का लाइसेंस लाइसेंसधारी की इच्छा पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित उपभोग के मानदण्ड के अनुसार नवीकृत किया जा सकेगा। नवीनीकरण हेतु बेसिक लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति के अन्तर की धनराशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में जमा की जायेगी।	अनुवर्ती वर्ष में, दुकान का लाइसेंस लाइसेंसधारी की इच्छा पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित उपभोग के मानदण्ड के अनुसार नवीकृत किया जा सकेगा। नवीनीकरण हेतु बेसिक लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति के अन्तर की धनराशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में जमा की जायेगी।
परन्तु, यदि वह विहित अवधि के भीतर आधारभूत लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा;	परन्तु, यदि वह विहित अवधि के भीतर आधारभूत लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा;
परन्तु यह और कि ई लाटरी/ई टेण्डर के माध्यम से लाइसेंस व्यवस्थित होने की दशा में, उसकी धरोहर धनराशि तथा आधारभूत लाइसेंस फीस के साथ ही साथ प्रतिभूति धनराशि, यदि उसके द्वारा जमा की गयी है, तथा लाइसेंस के नवीकृत होने की दशा में उसकी गत वर्ष की जमा प्रतिभूति का पन्द्रह प्रतिशत तथा नवीकरण फीस व आधारभूत लाइसेंस फीस, यदि उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल सरकार द्वारा यथाविहित रीति से पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।	परन्तु यह और कि ई लाटरी/ई टेण्डर के माध्यम से लाइसेंस व्यवस्थित होने की दशा में, उसकी धरोहर धनराशि तथा आधारभूत लाइसेंस फीस के साथ ही साथ प्रतिभूति धनराशि, यदि उसके द्वारा जमा की गयी है, तथा लाइसेंस के नवीकृत होने की दशा में उसकी गत वर्ष की जमा प्रतिभूति का पन्द्रह प्रतिशत तथा नवीकरण फीस व आधारभूत लाइसेंस फीस, यदि उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल सरकार द्वारा यथाविहित रीति से पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।

8-नियम-17 का संशोधन– उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-17 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
17-बिक्री की अवधि और दुकानों की बन्दी-अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल(अम्बेदकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी हेतु यथा अधिसूचित तीन और दिवसों के अतिरिक्त, सभी दिवसों पर मध्यान्ह 10बजे से रात्रि 10बजे तक बिक्री के लिए खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के उबन्धों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रियाकलापों के कारण भी दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नही प्रदान किया जायेगा।	17- बिक्री की अवधि और दुकानों की बन्दी-**लाइसेंस प्राप्त** परिसर, 14 अप्रैल(अम्बेदकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी हेतु यथा अधिसूचित तीन और दिवसों के अतिरिक्त, सभी दिवसों पर मध्यान्ह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक बिक्री के लिए खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के उबन्धों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रियाकलापों के कारण भी दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नही प्रदान किया जायेगा। **परन्तु यह कि विशेष अवसरों पर कतिपय अवधि के लिए बिक्री के घंटों में, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे, परिवर्तन किया जा सकेगा।**

9-नियम-18 का संशोधन– उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-18 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
18. लाइसेंस की समाप्ति पर बचे अवशेष स्टाक का निस्तारण- (1) लाइसेंसधारी द्वारा वर्ष में उठायी गयी देशी शराब की सम्पूर्ण मात्रा की बिक्री उसे उसके लाइसेंस की वैधता अवधि में ही करनी होगी और लाइसेंस की समाप्ति के बाद लाइसेंसधारी को उसे बेचने की अनुमति न होगी। लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस अवधि की समाप्ति पर देशी शराब की अवशेष और अविक्रीत मात्रा, की ब्राण्डवार, धारितावार, तीव्रतावार और पैकेजिंगवार घोषणा, जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष अगले दिन 12:00 बजे तक की जायेगी और लाइसेंस की समाप्ति के अगले दिवस को 5.00 बजे अपरान्ह तक जिला के थोक लाइसेंसधारी को लौटा दी जायेगी। अवशेष स्टाक का रजिस्टर पृथक से बनाया जायेगा साथ ही अवशेष स्टाक को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। (2) फुटकर दुकानों पर उपलब्ध देशी मदिरा के अवशेष स्टाक को उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिलाधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोंग्राफी कराते हुए नष्ट कर दिया जायेगा।	18. लाइसेंस की समाप्ति पर बचे अवशेष स्टाक का निस्तारण- (1) **लाइसेंसधारी** द्वारा लाइसेंस अवधि की समाप्ति पर देशी शराब की अवशेष और अविक्रीत मात्रा, की ब्राण्डवार, धारितावार, तीव्रतावार और पैकेजिंगवार घोषणा, जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष अगले दिन **12:00** बजे तक की जायेगी। अवशेष स्टाक का रजिस्टर पृथक से बनाया जायेगा साथ ही अवशेष स्टाक को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। **(2) आबकारी वर्ष की समाप्ति के अंत में फुटकर देशी शराब की दुकानों पर उपलब्ध बचे हुये अतिशेष स्टॉक को अगले उत्तरवर्ती आबकारी वर्ष के 5 अप्रैल तक बेचा जा सकता है, ऐसे विक्रीत स्टॉक को अप्रैल महीने के एम.जी.क्यू. के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा। तत्पश्चात, अवशेष स्टॉक को प्रभारी उप आबकारी आयुक्त की देखरेख में जिला आबकारी अधिकारी और स्थानीय उप जिला मजिस्ट्रेट की एक संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी प्रदर्शित करके नष्ट कर दिया जाएगा।**

10-प्रापप्र सी0एल0 5 ग और प्रपप्र सी0एल0 5 ग(1) का संशोधन– उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान प्रापप्र सी0एल0 5 ग और प्रपप्र सी0एल0 5 ग(1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
देशी शराब-**5** ग (नवीकरण हेतु)	देशी शराब-**5** ग (नवीकरण हेतु)
भूगृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द बोतलों/टेट्रा पैक एवं पात्रों में तनु और तीव्र देशी शराब की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस	भूगृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द **कॉच/पेट** बोतलों/ **असेप्टिक ब्रिक पैक** में **''25 प्रतिशत और 36 प्रतिशत(सादा, सुवासित और मसाला) '' युक्त** देशी शराब **व 42.8 प्रतिशत (सादा, सुवासित और मसाला) युक्त यू0पी0एम0एल0** की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस
आवेदक का फोटो सह आवेदक का फोटो दुकान का फोटो	आवेदक का फोटो सह आवेदक का फोटो दुकान का फोटो
दुकान का अक्षांश/देशान्तर ..... लाइसेंस संख्या ..... वर्ष ..... दुकान का नाम..... जिला ..... बेसिक लाइसेंस फीस रूपया ..... (अंकों में) ..... (शब्दों में) वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा ..... बल्क लीटर में (36 प्रतिशत वी/वी तीव्र देशी शराब के रूप में) लाइसेंस फीस रूपया ..... (अंकों में)..... (शब्दों में) मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा. ..... बल्क लीटर में (36 प्रतिशत वी/वी तीव्र देशी शराब के रूप में) लाइसेंस फीस की मासिक किस्त रू0 ..... (अंकों में) ..... (शब्दों में) भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ) ..... उत्तर.....दक्षिण:..... पूरब.....पश्चिम:.....	दुकान का अक्षांश/देशान्तर ..... लाइसेंस संख्या ..... वर्ष ..... दुकान का नाम ..... जिला ..... बेसिक लाइसेंस फीस रूपया ..... (अंकों में) ..... (शब्दों में) वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा ..... बल्क लीटर में (36 प्रतिशत वी/वी तीव्र देशी शराब के रूप में) लाइसेंस फीस रूपया ..... (अंकों में) ..... (शब्दों में) मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा ..... बल्क लीटर में (36 प्रतिशत वी/वी तीव्र देशी शराब के रूप में) लाइसेंस फीस की मासिक किस्त रू0 ..... (अंकों में) ..... (शब्दों में) भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ) ..... उत्तर ..... दक्षिण: ..... पूरब ..... पश्चिम: .....
लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते (1) ..... पुत्र ..... निवासी ..... (2) ..... पुत्र ..... निवासी	लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते (1) ..... पुत्र ..... निवासी ..... (2) ..... पुत्र ..... निवासी .....
आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित तीव्रता एवं धारिता की तीव्र एवं तनु देशी शराब की 100 एम**0**एल**0** एवं 200 एम0एल0 धारिता की पेट/शीशे की बोतलों अथवा टेट्रापैक्स में फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस, ऊपर लाइसेंस धारकों को जिला ..... के अन्तर्गत ..... स्थान, पुलिस थाना ..... तहसील ..... के लिए दिनांक ..... से 31 मार्च 20 ..... तक के लिए जिसके लिए नियम-6 और नियम-12 के अनुसार बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गई है, एतद्द्वारा निर्गत किया जाता है।	आबकारी आयुक्त **द्वारा** यथा निर्धारित धारिता की **मुहरबंद सील पेट की बोतलों/असेप्टिक ब्रिक पैक में 25 प्रतिशत और 36 प्रतिशत (सादा, सुवासित और मसाला) युक्त** देशी शराब **व 42.8 प्रतिशत (सादा, सुवासित और मसाला) युक्त यू0पी0एम0एल0 की** फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस, ऊपर लाइसेंस धारकों को जिला ..... के अन्तर्गत ..... स्थान, पुलिस थाना..... तहसील ..... के लिए दिनांक ..... से 31 मार्च 20 ..... तक के लिए जिसके लिए नियम-6 और नियम-12 के अनुसार बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गई है, एतद्द्वारा निर्गत किया जाता है।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
यह लाइसेंस निम्नलिखित निबन्धन व शर्तों के अध्यधीन है, इसमें से किसी का व्यतिक्रम करने अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब के फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 (यथासंशोधित) के नियम-21 यथा में वर्णित उपबंधों का उल्लंघन करने पर अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक का लाइसेंस निरस्त हो जायेगा और सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप समपहृत कर ली जायेगी।	यह लाइसेंस निम्नलिखित निबन्धन **एवं** शर्तों के अध्यधीन है, इसमें से किसी का व्यतिक्रम करने अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब के फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 (यथासंशोधित) के नियम-21 यथा में वर्णित उपबंधों का उल्लंघन करने पर अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक का लाइसेंस निरस्त हो जायेगा और सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप समपहृत कर ली जायेगी।
निबन्धन एवं शर्ते	निबन्धन एवं शर्ते
1. नियम-13 के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी मूल्य एवं प्रतिफल शुल्क अधिमानतः ई-पेमेन्ट के द्वारा जमा करने के पश्चात् देशी शराब का उठान थोक अनुज्ञापन सी0एल0-2 के गोदाम से करेगा।	1. नियम-13 के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी मूल्य एवं प्रतिफल शुल्क अधिमानतः ई-पेमेन्ट के द्वारा जमा करने के पश्चात् देशी शराब का उठान थोक अनुज्ञापन सी0एल0-2 के गोदाम से करेगा।
2. नियम-14 के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी को लाइसेंस फीस की मासिक किस्त माह की अन्तिम तिथि तक जमा करनी होगी।	2. नियम-14 के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी को लाइसेंस फीस की मासिक किस्त माह की अन्तिम तिथि तक जमा करनी होगी।
3. देशी शराब की पेट/शीशे की बोतलों/टेट्रा पैक्स की लेबुलों पर 1X1 सेंटीमीटर के दृश्य अक्षरों में तीव्रता एवं मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम् फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।	3. देशी शराब(**यू.पी.एम.एल.**) की बोतलों/**असेप्टिक ब्रिक पैक** के लेबुलों पर **दायी ओर शीर्ष पर** 1X1 सेंटीमीटर के **स्पष्ट दृश्यमान बोल्ड फांट में** तीव्रता एवं अधिकतम् फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम् फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।
4. भूगृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द पेट/शीशे की बोतलों/टेट्रा पैक्स में देशी स्प्रिट की बिक्री उसी गद्दी से होगी। परिसर के एक अंश को अलग रखा जायेगा, जहाँ केवल उपभोग के लिए अनुमति होगी। परिसर में उपभोग के लिए भी खुली देशी स्प्रिट नहीं परोसी जायेगी तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुसार दुकानों पर उपभोग किये जाने के बाद खाली हुई पेट/शीशे की बोतलों तथा टेट्रा पैक्स एवं उन पर प्रयुक्त ढक्कनों को नष्ट करके हटाने की जिम्मेदारी दुकान के विक्रेता/लाइसेंस/ आसवक की होगी।	4. भूगृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द पेट/शीशे की बोतलों/**असेप्टिक ब्रिक पैक** में देशी स्प्रिट/**यू.पी.एम.एल.** की बिक्री उसी गद्दी से होगी। परिसर के एक अंश को अलग रखा जायेगा, जहाँ केवल उपभोग के लिए अनुमति होगी। परिसर में उपभोग के लिए भी खुली देशी स्प्रिट/ **यू.पी.एम.एल.**नहीं परोसी जायेगी तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुसार दुकानों पर उपभोग किये जाने के **पश्चात्** खाली हुई पेट/शीशे की बोतलों तथा **असेप्टिक ब्रिक पैक** एवं उन पर प्रयुक्त ढक्कनों को नष्ट करके हटाने की जिम्मेदारी दुकान के विक्रेता/लाइसेंस/ आसवक की होगी।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5. विहित तीव्रता और मात्रा की देशी शराब की बिक्री 100 एम0एल0 एवं 200 एम**0**एल**0** की मुहरबन्द पेट/शीशे की बोतलों एवं टेट्रा पैक्स में की जायेगी, जिस पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो।	5. विहित तीव्रता और मात्रा की देशी शराब/ **यू.पी.एम.एल.**की बिक्री मुहरबन्द पेट/शीशे की बोतलों एवं **असेप्टिक ब्रिक पैक** में की जायेगी, जिस पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो।
6. लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित प्रपत्र और रजिस्टर में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा, और उसे उत्तर प्रदेश आबकारी के पोर्टल पर भी एस.एम.एस. करेगा/अपलोड करेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो उक्त लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी बिक्री इत्यादि का लेखा भी प्रस्तुत करेगा और यथा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों की सुविधा देगा और उन्हें उपलब्ध करायेगा।	6. लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित प्रपत्र और रजिस्टर में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा, और उसे उत्तर प्रदेश आबकारी के पोर्टल पर भी एस.एम.एस. करेगा/अपलोड करेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो उक्त लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी बिक्री इत्यादि का लेखा भी प्रस्तुत करेगा और यथा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों की सुविधा देगा और उन्हें उपलब्ध करायेगा।
7. देशी शराब की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।	**7**. देशी शराब/**यू.पी.एम.एल** की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
8. लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल(आंबेडकर जयन्ती), 15अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनो जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त दिवसों पर से दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।	8. लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल(आंबेडकर जयन्ती), 15अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनो जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त दिवसों पर से दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। **परन्तु यह कि विशेष अवसरों पर कतिपय अवधि के लिए बिक्री के घंटों में, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे, परिवर्तन किया जा सकेगा।**
9. लाइसेंसधारी देशी शराब के सम्पूर्ण स्टाक का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा। वह ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अन्तर्गत विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों की स्कैनिंग के लिये दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी**0**ओ**0**एस**0 (**प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखेगा।	9. लाइसेंसधारी देशी शराब/**यू.पी.एम.एल** के सम्पूर्ण स्टाक का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा। वह ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अन्तर्गत विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों की स्कैनिंग के लिये दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी**0**ओ**0**एस**0 (**प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखेगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
10. लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किये गये प्रपत्र साइज में एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पदनाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बंद होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएँ भी मोटे अक्षरों में अंकित की जायेंगी। साईन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः- " > दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा। > शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।“	10. लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किये गये प्रपत्र साइज में एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पदनाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बंद होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएँ भी मोटे अक्षरों में अंकित की जायेंगी। साईन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः- " > दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा। > शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।“
11. लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त परिसर के भीतर पर्याप्त संख्या में बेंचों, तख्तों, कुर्सियों और मेजों सहित समुचित रूप से बैठने की व्यवस्था कर सकता है। लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ता को गिलास, पानी, बर्फ, सोडा, स्नैक्स व विभिन्न खाद्य पदार्थो को पका कर उपलब्ध करा सकेगा।	11. लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त परिसर के भीतर पर्याप्त संख्या में बेंचों, तख्तों, कुर्सियों और मेजों सहित समुचित रूप से बैठने की व्यवस्था कर सकता है। लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ता को गिलास, पानी, बर्फ, सोडा, स्नैक्स व विभिन्न खाद्य पदार्थो को पका कर उपलब्ध करा सकेगा।
12. लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से निर्गत बिक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा और जब निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये तो, उसे प्रस्तुत करना होगा।	12. लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को **सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित शुल्क के संदाय पर विक्रेताओं हेतु जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त नौकरनामा प्राप्त करना होगा** और जब निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये तो, उसे प्रस्तुत करना होगा।
13. लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को 1.0 लीटर सादा व मसाला प्रत्येक तीव्रता की अलग-अलग से अधिक देशी शराब नहीं बेंचेगा जब तक कि आबकारी मैनुअल प्रथम खण्ड 1995 संस्करण के देशी शराब के आयात-निर्यात, परिवहन व कब्जे में रखने की नियमावली के नियम-28**(3)** के अनुसार अनुज्ञा प्रदान की गई हो।	13. लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को **विहित सीमा** से अधिक देशी शराब/**यू.पी.एम.एल** नहीं बेंचेगा जब तक कि आबकारी मैनुअल प्रथम खण्ड 1995 संस्करण के देशी शराब के आयात-निर्यात, परिवहन व कब्जे में रखने की नियमावली के नियम-28 (3) के अनुसार अनुज्ञा प्रदान की गई हो।
14. किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्री नहीं की जायेगी जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या पदधारी जो वर्दी में हो।	14. किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्री नहीं की जायेगी जो21 वर्ष से कम आयु का हो या पदधारी जो वर्दी में हो।
15. लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों और पात्रों या उनके लेबुलों, सुरक्षा कोड, पिल्फरप्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।	15. लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों और पात्रों या उनके लेबुलों, सुरक्षा कोड, पिल्फरप्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
16. लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी दुग्ध,शर्करा (चाश्नी), रंग, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्माण करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।	16. लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी दुग्ध, शर्करा (चाश्नी), रंग, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्माण करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।
17. लाइसेंसधारी या उसके विक्रेता के लिए दुकान की गद्दी पर या उस स्थान से **5** फिट की दूरी पर जहाँ विक्रय के लिए देशी शराब भण्डारित की गई है, पानी का रखना सर्वथा निषिद्ध है।	17. लाइसेंसधारी या उसके विक्रेता के लिए दुकान की गद्दी पर या उस स्थान से **5** फिट की दूरी पर जहाँ विक्रय के लिए देशी शराब/**यू.पी.एम.एल** भण्डारित की गई है, पानी का रखना सर्वथा निषिद्ध है।
18. लाइसेंसधारी परिसर की समुचित देख-रेख और सफाई के लिए उसकी नालियों आदि का कृमिनाशक पदार्थ से साफ किया जाना सम्मिलित है, उत्तरदायी होगा।	18. लाइसेंसधारी परिसर की समुचित देख-रेख और सफाई के लिए उसकी नालियों आदि का कृमिनाशक पदार्थ से साफ किया जाना सम्मिलित है, उत्तरदायी होगा।
19. परिसर के भीतर प्रयुक्त सभी कुल्हड, पत्तलों आदि को कूड़े के लिए निर्मित खाली स्थानों या इस प्रयोजनार्थ रखे गए ढक्कनदार कूड़ेदानों में तत्काल हटा कर डाल दिया जायेगा, जिसे कि विक्रय के निर्धारित घण्टों के दौरान कम से कम दो बार साफ किया जायेगा।	19. परिसर के भीतर प्रयुक्त सभी कुल्हड, पत्तलों आदि को कूड़े के लिए निर्मित खाली स्थानों या इस प्रयोजनार्थ रखे गए ढक्कनदार कूड़ेदानों में तत्काल हटा कर डाल दिया जायेगा, जिसे कि विक्रय के निर्धारित घण्टों के दौरान कम से कम दो बार साफ किया जायेगा।
20. लाइसेंसधारी/ विक्रेता और उसके परिवार के सिवाय परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा।	20. लाइसेंसधारी/ विक्रेता और उसके परिवार के सिवाय परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा।
21. लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी सर्वथा निषिद्ध है।	21. लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी सर्वथा निषिद्ध है।
22. लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अतिरिक्त शेष स्टाक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-18 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।	22. लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अतिरिक्त शेष स्टाक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-18 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।
23. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों का पालन करेगा।	23. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों का पालन करेगा।
24. लाइसेंसधारी अपनी दुकान पर मदिरा की बिक्री करने के लिये विक्रेताओं की सूची जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिला आबकारी अधिकारी तद्नुसार विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा।	24. लाइसेंसधारी अपनी दुकान पर मदिरा की बिक्री करने के लिये विक्रेताओं की सूची जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिला आबकारी अधिकारी तदनुसार **नियत फीस के संदाय के पश्चात्** विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा।
दिनांक ..... जिला..... लाइसेंस प्राधिकारी	दिनांक ..... जिला..... लाइसेंस प्राधिकारी

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम देशी शराब-**5** ग(**1**) (नवीन लाइसेंस हेतु)	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम देशी शराब-5 ग(1) (नवीन लाइसेंस हेतु)
भूगृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द बोतलों/टेट्रा पैक एवं पात्रों में तनु और तीव्र देशी शराब की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस	भूगृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द **कॉंच/पेट** बोतलों/**असेप्टिक ब्रिक पैक** में **"25 प्रतिशत और 36 प्रतिशत(सादा, सुवासित और मसाला)" युक्त** देशी शराब **व 42.8 प्रतिशत(सादा,सुवासित और मसाला) युक्त यू0पी0एम0एल0** की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस
आवेदककाफोटो दुकानकाफोटो	आवेदककाफोटो दुकानकाफोटो
दुकान का अक्षांश/देशान्तर ..... लाइसेंस संख्या ..... वर्ष ..... दुकान का नाम ..... जिला ..... बेसिक लाइसेंस फीस रूपया .... (अंकों में) .... (शब्दों में) वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा ..... बल्क लीटर में (36 प्रतिशत वी/वी तीव्र देशी शराब के रूप में) लाइसेंस फीस रूपया ..... (अंकों में) ..... (शब्दों में) मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा ..... बल्क लीटर में (36 प्रतिशत वी/वी तीव्र देशी शराब के रूप में) लाइसेंस फीस की मासिक किस्त रू0 ..... (अंकों में) ..... (शब्दों में) भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ) ..... उत्तर ..... दक्षिण: ..... पूरब ..... पश्चिम: ..... लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते (1) ..... पुत्र ..... निवासी ..... (2) ..... पुत्र ..... निवासी	दुकान का अक्षांश/देशान्तर ..... लाइसेंस संख्या ..... वर्ष ..... दुकान का नाम ..... जिला ..... बेसिक लाइसेंस फीस रूपया ... (अंकों में) ... (शब्दों में) वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा ..... बल्क लीटर में (36 प्रतिशत वी/वी तीव्र देशी शराब के रूप में) लाइसेंस फीस रूपया ..... (अंकों में) ..... (शब्दों में) मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा ..... बल्क लीटर में (36 प्रतिशत वी/वी तीव्र देशी शराब के रूप में) लाइसेंस फीस की मासिक किस्त रू0 ..... (अंकों में) ..... (शब्दों में) भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ) ..... उत्तर ..... दक्षिण: ..... पूरब ..... पश्चिम: ..... लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते (1).....पुत्र.....निवासी..... (2).....पुत्र.....निवासी.....
आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित तीव्रता एवं धारिता की तीव्र एवं तनु देशी शराब की **100 एम0एल0** एवं 200 एम0एल0 **की यथाविहित** धारिता की पेट/शीशे की बोतलों अथवा टेट्रापैक्स में फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस, ऊपर लाइसेंस धारकों को जिला ..... के अन्तर्गत ..... स्थान, पुलिस थाना ..... तहसील ..... के लिए दिनांक ..... से 31 मार्च 20 ..... तक के लिए जिसके लिए नियम-6 और नियम-12 के अनुसार बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गई है, एतद्द्वारा निर्गत किया जाता है।	आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित धारिता की **पेट/शीशे की बोतलों अथवा असेप्टिक ब्रिक पैक में 25 प्रतिशत व 36 प्रतिशत (सादा, सुवासित और मसाला) युक्त** देशी शराब **व 42.8 प्रतिशत (सादा, सुवासित और मसाला) युक्त यू0पी0एम0एल0 की** फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस, ऊपर लाइसेंस धारकों को जिला ..... के अन्तर्गत ..... स्थान, पुलिस थाना ..... तहसील ..... के लिए दिनांक ..... से 31 मार्च 20 ..... तक के लिए जिसके लिए नियम-6 और नियम-12 के अनुसार बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गई है, एतद्द्वारा निर्गत किया जाता है।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
यह लाइसेंस निम्नलिखित निबन्धन व शर्तों के अध्यधीन है, इसमें से किसी का व्यतिक्रम करने अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब के फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002; यथासंशोधित) के नियम-21 यथा में वर्णित उपबंधों का उल्लंघन करने पर अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक का लाइसेंस निरस्त हो जायेगा और सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप समपहृत कर ली जायेगी।	यह लाइसेंस निम्नलिखित निबन्धन व शर्तों के अध्यधीन है, इसमें से किसी का **व्यतिक्रम करने अथवा** उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब के फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 यथासंशोधित) के नियम-21 में यथा वर्णित उपबंधों का उल्लंघन करने पर अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक का लाइसेंस निरस्त हो जायेगा और सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप समपहृत कर ली जायेगी।
निबन्धन एवं शर्ते	निबन्धन एवं शर्ते
1- नियम-13 के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी मूल्य एवं प्रतिफल शुल्क अधिमानतः ई-पेमेन्ट के द्वारा जमा करने के पश्चात् देशी शराब का उठान थोक अनुज्ञापन सी0एल0-2 के गोदाम से करेगा।	1. नियम-13 के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी मूल्य एवं प्रतिफल शुल्क अधिमानतः ई-पेमेन्ट के द्वारा जमा करने के पश्चात् देशी शराब का उठान थोक अनुज्ञापन सी**0**एल**0-2** के गोदाम से करेगा।
2- नियम-14 के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी को लाइसेंस फीस की मासिक किस्त माह की अन्तिम तिथि तक जमा करनी होगी।	2. नियम-14 के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी को लाइसेंस फीस की मासिक किस्त माह की अन्तिम तिथि तक जमा करनी होगी।
3- देशी शराब की पेट/शीशे की बोतलों/टेट्रा पैक्स की लेबुलों पर 1×1 सेंटीमीटर के दृश्य अक्षरों में अधिकतम् फुटकर मूल्य एवं तीव्रता मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम् फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।	3. देशी शराब**/यू.पी.एम.एल.**की पेट/शीशे की बोतलों/ **असेप्टिक ब्रिक पैक** के लेबुलों पर **दायी ओर शीर्ष पर** 1X1 सेंटीमीटर के **स्पष्ट दृश्यमान बोल्ड फांट में** तीव्रता एवं अधिकतम् फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम् फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।
4- भूगृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द पेट/शीशे की बोतलों/टेट्रा पैक्स में देशी स्प्रिट की बिक्री उसी गद्दी से होगी। परिसर के एक अंश को अलग रखा जायेगा, जहाँ केवल उपभोग के लिए अनुमति होगी। परिसर में उपभोग के लिए भी खुली देशी स्प्रिट नहीं परोसी जायेगी तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुसार दुकानों पर उपभोग किये जाने के बाद खाली हुई पेट/शीशे की बोतलों तथा टेट्रा पैक्स एवं उन पर प्रयुक्त ढक्कनों को नष्ट करके हटाने की जिम्मेदारी दुकान के विक्रेता/लाइसेंस/ आसवक की होगी।	4. भूगृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द **दोनों** पेट/शीशे की बोतलों/**असेप्टिक ब्रिक पैक** में देशी स्प्रिट की बिक्री उसी गद्दी से होगी। परिसर के एक अंश को अलग रखा जायेगा, जहाँ केवल उपभोग के लिए अनुमति होगी। परिसर में उपभोग के लिए भी खुली देशी स्प्रिट/ **यू.पी.एम.एल.** नहीं परोसी जायेगी तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुसार दुकानों पर उपभोग किये जाने के बाद खाली हुई पेट/शीशे की बोतलों तथा **असेप्टिक ब्रिक पैक**एवं उन पर प्रयुक्त ढक्कनों को नष्ट करके हटाने की जिम्मेदारी दुकान के विक्रेता/ **लाइसेंसधारी**/ आसवक की होगी।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5- विहित तीव्रता और मात्रा की देशी शराब की बिक्री यथानिर्धारित 100 एम**0**एल**0** एवं 200 एम**0**एल**0** की मुहरबन्द पेट/शीशे की बोतलों एवं टेट्रा पैक्स में की जायेगी, जिस पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो।	5. विहित तीव्रता और **धारिता** की देशी शराब/ **यू.पी.एम.एल.**की बिक्री मुहरबन्द पेट/शीशे की बोतलों एवं **असेप्टिक ब्रिक पैक** में की जायेगी, जिस पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो।
6- लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित प्रपत्र और रजिस्टर में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा, और उसे उत्तर प्रदेश आबकारी के पोर्टल पर भी एस.एम.एस. करेगा/अपलोड करेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो उक्त लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी बिक्री इत्यादि का लेखा भी प्रस्तुत करेगा और यथा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों की सुविधा देगा और उन्हें उपलब्ध करायेगा।	6. लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित प्रपत्र और रजिस्टर में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा, और उसे उत्तर प्रदेश आबकारी के पोर्टल पर भी एस.एम.एस. करेगा/अपलोड करेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो उक्त लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी बिक्री इत्यादि का लेखा भी प्रस्तुत करेगा और यथा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों की सुविधा देगा और उन्हें उपलब्ध करायेगा।
7- देशी शराब की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।	7. देशी शराब/**यू.पी.एम.एल** की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
8- लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल(आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनो जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त दिवसों पर से दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।	8. लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल(आंबेडकर जयन्ती), 15अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनो जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त दिवसों पर से दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। **परन्तु यह कि विशेष अवसरों पर कतिपय अवधि के लिए बिक्री के घंटों में, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे, परिवर्तन किया जा सकेगा।**
9- लाइसेंसधारी देशी शराब के सम्पूर्ण स्टाक का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा। वह ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अन्तर्गत विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों की स्कैनिंग के लिये दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी0ओ0एस0 (प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखेगा।	9. लाइसेंसधारी देशी शराब/**यू.पी.एम.एल** के सम्पूर्ण स्टाक का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा। वह ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अन्तर्गत विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों की स्कैनिंग के लिये दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी**0**ओ**0**एस**0** (प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखेगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
10- लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किये गये प्रपत्र साइज में एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पदनाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बंद होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाए भी मोटे अक्षरों में अंकित की जायेंगी। साईन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः-	10. लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किये गये प्रपत्र साइज में एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पदनाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बंद होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएँ भी मोटे अक्षरों में अंकित की जायेंगी। साईन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः-
'' दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा। शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।"	" > दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा। > शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।"
11- लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त परिसर के भीतर पर्याप्त संख्या में बेंचों, तख्तों, कुर्सियों और मेजों सहित समुचित रूप से बैठने की व्यवस्था कर सकता है। लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ता को गिलास, पानी, बर्फ, सोडा, स्नैक्स व विभिन्न खाद्य पदार्थो को पका कर उपलब्ध करा सकेगा।	11. लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त परिसर के भीतर पर्याप्त संख्या में बेंचों, तख्तों, कुर्सियों और मेजों सहित समुचित रूप से बैठने की व्यवस्था कर सकता है। लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ता को गिलास, पानी, बर्फ, सोडा, स्नैक्स व विभिन्न खाद्य पदार्थो को पका कर उपलब्ध करा सकेगा।
12- लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो **21** वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से निर्गत बिक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा और जब निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये तो, उसे प्रस्तुत करना होगा।	12. लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को **सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित शुल्क के संदाय पर विक्रेताओं हेतु जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त नौकरनामा प्राप्त करना होगा** और जब निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये तो, उसे प्रस्तुत करना होगा।
13- लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को 1.0 लीटर सादा व मसाला प्रत्येक तीव्रता की अलग-अलग से अधिक देशी शराब नहीं बेंचेगा जब तक कि आबकारी मैनुअल प्रथम खण्ड 1995 संस्करण के देशी शराब के आयात-निर्यात, परिवहन व कब्जे में रखने की नियमावली के नियम-28 (3) के अनुसार अनुज्ञा प्रदान की गई हो।	13. लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को **विहित सीमा** से अधिक देशी शराब/**यू.पी.एम.एल** नहीं बेंचेगा जब तक कि आबकारी मैनुअल प्रथम खण्ड (1995 संस्करण) के **अधीन** देशी शराब के आयात-निर्यात, परिवहन व **अभिरक्षा से सम्बंधित** की नियमावली के नियम-28 (3) के अनुसार अनुज्ञा **न** प्रदान की गई हो।
14- किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्री नहीं की जायेगी जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या पदधारी जो वर्दी में हो।	14. किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्री नहीं की जायेगी जो21 वर्ष से कम आयु का हो या पदधारी जो वर्दी में हो।
15- लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों और पात्रों या उनके लेबुलों, सुरक्षा कोड, पिल्फरप्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।	15. लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों और पात्रों या उनके लेबुलों, सुरक्षा कोड, पिल्फरप्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
16- लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी दुग्ध, शर्करा (चाश्नी), रंग, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्माण करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।	16. लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी दुग्ध, शर्करा (चाश्नी), रंग, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्माण करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।
17- लाइसेंसधारी या उसके विक्रेता के लिए दुकान की गद्दी पर या उस स्थान से **5** फिट की दूरी पर जहाँ विक्रय के लिए देशी शराब भण्डारित की गई है, पानी का रखना सर्वथा निषिद्ध है।	17. लाइसेंसधारी या उसके विक्रेता के लिए दुकान की गद्दी पर या उस स्थान से **5** फिट की दूरी पर जहाँ विक्रय के लिए देशी शराब/**यू.पी.एम.एल** भण्डारित की गई है, पानी का रखना सर्वथा निषिद्ध है।
18- लाइसेंसधारी परिसर की समुचित देख-रेख और सफाई के लिए उसकी नालियों आदि का कृमिनाशक पदार्थ से साफ किया जाना सम्मिलित है, उत्तरदायी होगा।	18. लाइसेंसधारी परिसर की समुचित देख-रेख और सफाई के लिए उसकी नालियों आदि का कृमिनाशक पदार्थ से साफ किया जाना सम्मिलित है, उत्तरदायी होगा।
19- परिसर के भीतर प्रयुक्त सभी कुल्हड, पत्तलों आदि को कूड़े के लिए निर्मित खाली स्थानों या इस प्रयोजनार्थ रखे गए ढक्कनदार कूड़ेदानों में तत्काल हटा कर डाल दिया जायेगा, जिसे कि विक्रय के निर्धारित घण्टों के दौरान कम से कम दो बार साफ किया जायेगा।	19. परिसर के भीतर प्रयुक्त सभी कुल्हड, पत्तलों आदि को कूड़े के लिए निर्मित खाली स्थानों या इस प्रयोजनार्थ रखे गए ढक्कनदार कूड़ेदानों में तत्काल हटा कर डाल दिया जायेगा, जिसे कि विक्रय के निर्धारित घण्टों के दौरान कम से कम दो बार साफ किया जायेगा।
20- लाइसेंसधारी/ विक्रेता और उसके परिवार के सिवाय परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा।	20. लाइसेंसधारी/ विक्रेता और उसके परिवार के सिवाय परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा।
21- लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी सर्वथा निषिद्ध है।	21. लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी सर्वथा निषिद्ध है।
22- लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अतिरिक्त शेष स्टाक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-**18** के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।	22. लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अतिरिक्त शेष स्टाक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-18 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।
23- लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों का पालन करेगा।	23. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों का पालन करेगा।
24- लाइसेंसधारी अपनी दुकान पर मदिरा बिक्री करने के लिये विक्रेताओं की सूची जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिला आबकारी अधिकारी तद्नुसार विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा।	24. लाइसेंसधारी अपनी दुकान पर मदिरा की बिक्री करने के लिये विक्रेताओं की सूची जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिला आबकारी अधिकारी तदनुसार **विहित फीस के संदाय के पश्चात** विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा।
दिनांक ..... जिला..... लाइसेंसप्राधिकारी	दिनांक ..... जिला..... लाइसेंसप्राधिकारी

आज्ञा से,
(सेंथिल पांडियन सी0),
आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

No. 3129 /X-Licence-59/ Country Liquor /2023-24

Prayagraj, dated: July 10, 2023

NOTIFICATION

In exercise of the powers under sections 24 and 41of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no.1 of 1904), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government hereby makes the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Retail Sale of Country Liquor) Rules, 2002 published vide Notification no. 27091/X- Licenes-59/2002-2003, dated March 14, 2002.

THE UTTAR PRADESH EXCISE (SETTLEMENT OF LICENSES FOR RETAIL SALE OF COUNTRY LIQUOR) (**SIXTEENTH** AMENDMENT) Rules**, 2023**

1. Short title and Commencement–(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Country Liquor) **(Sixteenth Amendment) Rules, 2023.**

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2023.

2. Amendement of rule-2– In the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Retail Sale of Country Liquor) Rules-2002, hereinafter referred to as the said rules, for rule 2 setout in Column-1 below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely :–

Column I	**Column II**
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
2-Definitions–	2-Definitions–
In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-	In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-
(a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time.	(a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time.
(b)"Annual Minimum Guaranteed Quantity (MGQ)", means the quantity of "Strong" country liquor (in terms of 36% v/v) as fixed by the Licensing Authority in accordance with the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner and guaranteed by the licensee to be lifted by him for his retail shop during an excise year for the purpose of retail sale. However if any license is granted after the commencement of the excise year then its annual minimum guaranteed quantity shall be reduced proportionately in accordance to the number of days remaining in the excise year.	(b)"Annual Minimum Guaranteed Quantity (MGQ)", means the quantity of "Strong" country liquor (in terms of 36% v/v) as fixed by the Licensing Authority in accordance with the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner and guaranteed by the licensee to be lifted by him for his retail shop during an excise year for the purpose of retail sale. However**,** if any license is granted after the commencement of the excise year then its annual minimum guaranteed quantity shall be reduced proportionately in accordance to the number of days remaining in the excise year**;**
(c)"Basic License Fee" means that part of consideration fee for the grant of license for the exclusive privilege of retail sale of country liquor under section- 24 of the Act, payable by the person selected as licensee before the license is granted to him, for the whole excise year or part thereof on such rates as notified by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time: Provided that if settlement is done in midsession the basic license fee will be in proportion to remaining minimum guaranteed quantity.	(c)"Basic License Fee" means that part of consideration fee for the grant of license for the exclusive privilege of retail sale of country liquor under section **24** of the Act, payable by the person selected as licensee before the license is granted to him, for the whole excise year or part thereof on such rates as notified by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time: Provided that if settlement is done in midsession the basic license fee will be in proportion to remaining minimum guaranteed quantity.

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(d) "Country Liquor" includes country spirit "mild" or "strong" manufactured from Extra Neutral Alcohol (ENA) having such alcoholic strength as may be fixed by the Excise Commissioner with prior sanction of the State Government from time to time and U.P. Made Liquor (U.P.M.L.).	(d) "Country Liquor" includes liquor of **25 percent and 36 percent (plain, perfumed and spiced) manufactured from Extra Neutral Alcohol (ENA) and 42.8 percent (plain, perfumed and spiced)** U.P. Made Liquor (U.P.M.L.)having such alcoholic strength as may be fixed by the Excise Commissioner with prior sanction of the State Government from time to time**;**
(e) "Daily Basic License Fee" means that part of consideration fee which is payable by the grantee in interim license on such rate as notified by the Excise Commissioner with prior sanction of the State Government.	(e) "Daily Basic License Fee" means that part of consideration fee which is payable by the grantee in interim license on such rate as notified by the Excise Commissioner with prior sanction of the State Government**;**
(f) "Daily Minimum Guaranteed Quantity" shall be $1/365^{th}$ part of annual minimum guaranteed quantity.	(f) "Daily Minimum Guaranteed Quantity" shall be $1/365^{th}$ part of annual minimum guaranteed quantity**;**
(g) "Excise Year" means the financial year commencing on 1st April to 31st March of the next calendar year.	(g) "Excise Year" means the financial year commencing on 1st April to 31st March of the next calendar year**;**
(h) "Family" means and includes spouse (husband or wife), dependent son (s), unmarried daughter (s) and dependent parents;	(h) "Family" means and includes spouse (husband or wife), dependent son (s), unmarried daughter (s) and dependent parents;
(i) "Form" means a form appended to these Rules;	(i) "Form" means a form appended to these Rules;
(j) "Licensing Authority" means the Collector of the District;	(j) "Licensing Authority" means the Collector of the District;
(k) "License Fee" means the remaining part of consideration fee for grant of license for exclusive privilege of retail sale of country liquor under section-24 of the Act, payable by the licensee, in addition to the basic license fee. This sum shall be equal to the consideration fee leviable on the annual minimum guaranteed quantity fixed for the shop. Provided that if settlement is done in mid session it will be equal to consideration fee leviable on minimum guaranteed quantity.	(k) "License Fee" means the remaining part of consideration fee for grant of license for exclusive privilege of retail sale of country liquor under section-24 of the Act, payable by the licensee, in addition to the basic license fee. This sum shall be equal to the consideration fee leviable on the annual minimum guaranteed quantity fixed for the shop**:** Provided that if settlement is done in midsession it will be equal to consideration fee leviable on minimum guaranteed quantity.
(l) "Monthly Installments of License Fee" It shall be in addition to basic license fee which shall be equal to the consideration fee involved in the minimum guaranteed quantity of a month fixed by the licensing authority and shall be payable every month. However the consideration fee involved in the quantity of the country liquor lifted during the month by the licensee, may be adjusted against the monthly installments of the licence fee subject to the provisions of these rules;	(l) "Monthly Installments of License Fee" It shall be in addition to basic license fee which shall be equal to the consideration fee involved in the minimum guaranteed quantity of a month fixed by the licensing authority and shall be payable every month. However the consideration fee involved in the quantity of the country liquor lifted during the month by the licensee, may be adjusted against the monthly installments of the licence fee subject to the provisions of these rules;
(m) "Monthly Minimum Guaranteed Quantity"-; Annual Minimum Guaranteed quantity shall be apportioned into twelve equal parts. Quantity obtained from such calculation shall be minimum guaranteed quantity;	(m) "Monthly Minimum Guaranteed Quantity"-;Annual Minimum Guaranteed quantity shall be apportioned into twelve equal parts. Quantity obtained from such calculation shall be minimum guaranteed quantity;

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(n) "Security amount" means a sum equal to the 1/10th part of the license fee excluding basic license fee, to be deposited through Fixed Deposit Receipt / Bank Guarantee pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government. Provided, in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) shall be acceptable till it is not refunded;	(n) "Security amount" means a sum equal to the 1/10th part of the license fee excluding basic license fee, to be deposited through **Fixed Deposit Receipt** pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government. Provided, in case of renewal security deposited **earlier through** prior in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) **or Bank Guarantee** shall be acceptable till it is not refunded;
(o) "Consideration fee" means a fee fixed, per liter by the State Government under Section 30 of the Excise Act according to the strength of the country liquor to be deposited in the Government Treasury by the licensee before taking supply of country liquor;	(o) "Consideration fee" means a fee fixed, per liter by the State Government under Section 30 of the Excise Act according to the strength of the country liquor to be deposited in the Government Treasury by the licensee before taking supply of country liquor;
(p) "Additional Consideration fee" means difference amount obtained as a result of rounding off the optimum retail price of country liquor to the next multiple of five rupees, which shall be payable at Distillery level and recoverable by distillery from wholesale supplier in addition to Ex-Distillery Price and which in turn could be recovered by wholesale supplier from retail licensee in addition to maximum wholesale price. But this amount of additional consideration fee shall not be adjusted against the license fee payable by retail licensee;	(p) "Additional Consideration fee" means difference amount obtained as a result of rounding off the optimum retail price of country liquor to the next multiple of **two** rupees, which shall be payable at Distillery level and recoverable by distillery from wholesale supplier in addition to Ex-Distillery Price and which in turn could be recovered by wholesale supplier from retail licensee in addition to maximum wholesale price. But this amount of additional consideration fee shall not be adjusted against the license fee payable by retail licensee;
(q) "Earnest Money" means the amount equal to 1/10 of the amount of basic license fee, to be tendered with application form, for ensuring the fulfillment of the eligibility conditions for the grant of license and is liable to be forfeited in case of default under provisions of rule-12 of these rules;	(q) "Earnest Money" means the amount equal to 1/10 of the amount of basic license fee, to be tendered with application form, for ensuring the fulfillment of the eligibility conditions for the grant of license and is liable to be forfeited in case of default under provisions of rule-12 of these rules;
(r) "Hierarchy" means the earnest money of shops in the descending order purported to be the basis for the selection of licensee through the process of e/lottery;	(r) "Hierarchy" means the earnest money of shops in the descending order purported to be the basis for the selection of licensee through the process of e/lottery;
(s) "Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the terminal stage of its distribution;	(s) "Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the terminal stage of its distribution;
(t) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of retail license;	(t) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of retail license;
(u) 'Individual' means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years;	(u) 'Individual' means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years;

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(v) "Settlement" means settlement or re-settlement of shops through renewal, e-lottery or e-tender which may take place on any day of the week by giving prior notice and intimation through the newspaper and website of the excise department. The settlement of shops for the forthcoming year may also be done prior to the cessation of preceding financial year.	(v) "Settlement" means settlement or re-settlement of shops through renewal, e-lottery or e-tender which may take place on any day of the week by giving prior notice and intimation through the newspaper and website of the excise department. The settlement of shops for the forthcoming year may also be done prior to the cessation of preceding financial year.
(w) "U.P. Made Liquor (U.P.M.L.)" means country spirit manufactured from grain Extra Neutral Alcohol (ENA) having such alcoholic strength as may be fixed by the Excise Commissioner with prior sanction of the State Government from time to time.	(w) "U.P. Made Liquor (U.P.M.L.)"means country spirit**(plain,perfumed and spiced)** manufactured from grain Extra Neutral Alcohol (ENA) having such alcoholic strength as may be fixed by the Excise Commissioner with prior sanction of the State Government from time to time.
(2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.	(2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3.Amendement of rule-6–In the said rules, for existing rule 6 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely :–

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
6. Grant of Licence– The licence shall be issued on payment of basic licence fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through Fixed Deposit Receipt/ Bank Guarantee pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment in accordance with the provisions of these rules.	6. Grant of Licence– The licence shall be issued on payment of basic licence fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through **Fixed Deposit Receipt pledged** in favour of District Excise Officer or through e-payment in accordance with the provisions of these rules**:**
Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) shall be acceptable till it is not refunded. The licensee shall be required to furnish the solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer in original copy in the district from where it has been issued at the time of grant of licence.	Provided that in case of renewal security deposited **earlier through** in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.)**or Bank Guarantee** shall be acceptable till it is not refunded. The **licencee** shall be required to furnish the solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer in original copy in the district from where it has been issued at the time of grant of licence.

4. Amendment of rule-7–In the said rules, for existing rule 7 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely :–

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
7. Application for grant of license–	7. Application for grant of **licence–**
(a) Whenever a new license is proposed to be granted in an area or locality the licensing authority shall invite the applications for this purpose after giving wide publicity through daily newspaper having circulation in that area and website of the District as well as website of the Excise Department (www.upexcise.in).	(a) Whenever a new **licence** is proposed to be granted in an area or locality the licensing authority shall invite the applications for this purpose after giving wide publicity through daily newspaper having circulation in that area and website of the District as well as website of the Excise Department **(www.upexciseportal.in).**

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(b) A list of the retail shops of country liquor for which the Collector proposes to grant license shall be exhibited along-with shopwise basic license fee, annual minimum guaranteed quantity, license fee security amount and the earnest money at the Collector's office, Tehsil Offices and the Officers of the District Excise Officer as well as the Deputy Excise Commissioner of the Charge. This information shall also be displayed on the website of the Excise Department (www. upexcise.in) along with the website of each District.	(b) A list of the retail shops of country liquor for which the Collector proposes to grant license shall be exhibited along-with shopwise basic license fee, annual minimum guaranteed quantity, license fee security amount and the earnest money at the Collector's office, Tehsil Offices and the Officers of the District Excise Officer as well as the Deputy Excise Commissioner of the Charge. This information shall also be displayed on the website of the Excise Department **(www.upexciseportal.in)** along with the website of each District.
(c) Application for grant of license shall be submitted online as per the time schedule advertised in newspapers. It shall be compulsory to. upload a photocopy of (i) Solvency Certificate or certificate of owned property issued by authorized Income Tax Valuer (ii) Aadhar Card (iii) PAN Card (iv) Income Tax Return of the preceding year and (v) Affidavit in the prescribed format. (vi) Scanned copy of bank draft of earnest money which is issued in favour of District Excise Officer of the District of the concerned shop. Payment of processing fee shall be made online at the rate as fixed by the State Government and Value Added Tax/Goods and Services Tax payable on the same.	(c) Application for grant of license shall be submitted online as per the time schedule advertised in newspapers. It shall be compulsory to. upload a photocopy of **(**i) Solvency certificate, or certificate of own property issued by authorized Income Tax Valuer **(ii) PAN Card,** (iii) Photocopy of Income tax return of the preceding year (iv) Affidavit in the prescribed format (v) Scanned copy of bank draft of earnest money which is issued in favour of District Excise Officer of the District of the concerned shop. Payment of processing fee shall be made online at the rate as fixed by the State Government and Value Added Tax/Goods and Services Tax payable on the same.
(d) The last date to be fixed for the receipt of application shall not be earlier than such number of days as stipulated, in the advertisement in the newspapers and the website of Excise Department (www.upexcise.in).	(d) The last date to be fixed for the receipt of application shall not be earlier than such number of days as stipulated, in the advertisement in the newspapers and the website of Excise Department **(www.upexciseportal.in)**

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
8-Eligibility conditions for applicants- Eligible applicants for license of a retail country liquor shop must fulfill the following conditions namely-	8-Eligibility conditions for applicants- Eligible applicants for license of a retail country liquor shop must fulfill the following conditions namely-
(a) Application by an individual who is a citizen of India. Provided, in case of renewal co-applicant, if any and who is a citizen of India, shall also be allowed. No partnership firm or company shall be eligible for the grant of retail licence. Likewise, Wholesaler or Distiller/ Manufacturer of liquor shall also not be eligible for holding licence of any type of retail shop.	(a) Application by an individual who is a citizen of India. Provided, in case of renewal co-applicant, if any and who is a citizen of India, shall also be allowed. No partnership firm or company shall be eligible for the grant of retail licence. Likewise, Wholesaler or Distiller/Manufacturer of liquor shall also not be eligible for holding licence of any type of retail shop.
No change in the status of applicant shall be allowed after allotment of shop. In case of death of licensee his legal heir if otherwise eligible, may continue to hold the license for the remaining period of the license.	No change in the status of applicant shall be allowed after allotment of shop. In case of death of licensee**, the names of legal heirs/family members/ close relatives mentioned as nominee in the nomination affidavit (if any) given by licencee shall be considered as per priority mentioned in the nomination affidavit, if otherwise not ineligible, to hold the license for the remaining period of the license:** **Provided that in the absence of any nomination affidavit of the deceased licensee, his legal heir, if otherwise eligible, may continue to hold the license for the remaining period of the license:**

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
Provided further that if a license is jointly held by two persons, in the event of death of either of them, the survivor along with the legal heir (s) of deceased if otherwise eligible, may continue to hold the license or in case of death of both persons their legal heir(s), if otherwise eligible may continue to hold the license. No distinction will be made between the legal liabilities of the two persons who will be jointly and severally responsible:	Provided further that if a license is jointly held by two persons, in the event of death of either of them, the survivor along with the **nominee or legal heir of the deceased licensee, selected as above, if otherwise eligible, may continue to hold the license.** No distinction **shall** be made between the legal liabilities of the two persons who will be jointly and severally responsible:
(b) be above twenty-one years of age on the first day of the period fixed for receiving application.	(b) be above twenty-one years of age on the first day of the period fixed for receiving application.
(c) not be defaulter/blacklisted or debarred from holding an excise license under the provisions of any rules made under Act. Any person who has been convicted of any excise offence by any court of law unless fully and finally acquitted shall be automatically debarred from holding the license.	(c) not be defaulter/blacklisted or debarred from holding an excise license under the provisions of any rules made under Act. Any person who has been convicted of any excise offence by any court of law unless fully and finally acquitted shall be automatically debarred from holding the license.
(cc) The applicant shall be eligible to make only one application in his own name for any one shop. Provided, in case of renewal, applicant and co-applicant both shall be eligible for applying and their mutual consent shall be essential for renewal.	(cc) The applicant shall be eligible to make only one application in his own name for any one shop. Provided, in case of renewal, applicant and co-applicant both shall be eligible for applying and their mutual consent shall be essential for renewal.
(d) submit an affidavit duly verified by notary public as proof of the following namely-	(d) submit an affidavit duly verified by notary public as proof of the following namely-
(i) that he possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premise in that locality for opening the shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop, Rules, 1968 as amended from time to time.	(i) that he possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premise in that locality for opening the shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop, Rules, 1968 as amended from time to time.
(ii) that his proposed premises of the shop has not been constructed in violation of any law or rules.	(ii) that his proposed premises of the shop has not been constructed in violation of any law or rules.
(iii) that he and his family members possess good moral character and have no criminal background not have been convicted of any offence punishable under United Provinces Excise Act. 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and non-bailable offence.	(iii) that he and his family members possess good moral character and have no criminal background not have been convicted of any offence punishable under United Provinces Excise Act. 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and non-bailable offence.
(iv) that in case he is selected as licensee he will furnish a certificate issued by the District Collector or Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police of the concerned district or an officer not below the rank of assistant commissioner of police nominated by the police commissioner of the concerning police Commissionerate of which he is resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record prior to issuance of license.	(iv) that in case he is selected as licensee he will furnish a certificate issued by the District Collector or Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police of the concerned district or an officer not below the rank of assistant commissioner of police nominated by the police commissioner of the concerning police Commissionerate of which he is resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record prior to issuance of license.

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(v) that he shall not employ any salesmen or representative who has criminal background as mentioned in clauses (iii) or who suffers from any infectious or contagious diseases or is below twenty-one years of age or a woman. Licensee shall have to obtain Identity Cards bearing photographs of his authorized salesman/representative from District Excise Officer.	(v) that he shall not employ any salesmen or representative who has criminal background as mentioned in clauses (iii) or who suffers from any infectious or contagious diseases or is below twenty-one years of age or a woman. Licensee shall have to obtain **Naukarnama** bearing photographs of his authorized salesman/representative from District Excise Officer **on payment of fee as prescribed by the State Government from time to time.**
(vi) that he is not in arrear of any public dues or Government dues.	(vi) that he is not in arrear of any public dues or Government dues.
(vii) that he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds, for conducting the business, the details of which shall be made available to the licensing authority.	(vii) that he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds, for conducting the business, the details of which shall be made available to the licensing authority.
(viii) that applicant is not involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities. If after issuance of license it is proved that he is involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities then the allotted licence shall be cancelled.	(viii) that applicant is not involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities. If after issuance of license it is proved that he is involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities then the allotted licence shall be cancelled.
(ix) that applicant is not an advocate registered with Bar Council. If he is found registered advocate after getting the license then the license shall be cancelled. An employee of the Government shall also be ineligible to apply for the grant of licence.	(ix) that applicant is not an advocate registered with Bar Council. If he is found registered advocate after getting the license then the license shall be cancelled. An employee of the Government shall also be ineligible to apply for the grant of licence.
(x) that In case of selection as licensee, bank draft of earnest money, which has been uploaded online along with application, shall be deposited in the office of District Excise Officer within 48 hours of such selection.	(x) that In case of selection as licensee, bank draft of earnest money, which has been uploaded online along with application, shall be deposited in the office of District Excise Officer within 48 hours of such selection.
(xi) that he has not made use of the earnest money bank draft for application of any other shop in the same phase.	(xi) that he has not made use of the earnest money bank draft for application of any other shop in the same phase.
(e) that he shall upload a scanned copy of bank draft issued in favour of District Excise Officer of concerned shop of the district for fixed earnest money along with online application as may be fixed by the Excise Commissioner with the prior sanction of the State Government. In case of selection as licensee, it shall be necessary to deposit bank draft of earnest money in the office of the concerned District Excise Officer within forty-eight hours after selection, which shall be refunded to applicant after payment of all dues.	(e) that he shall upload a scanned copy of bank draft issued in favour of District Excise Officer of concerned shop of the district for fixed earnest money along with online application as may be fixed by the Excise Commissioner with the prior sanction of the State Government. In case of selection as licensee, it shall be necessary to deposit bank draft of earnest money in the office of the concerned District Excise Officer within forty-eight hours after selection, which shall be refunded to applicant after payment of all dues.

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(f) That he is holder of solvency certificate or certificate of owned property issued by Income Tax valuer and the worth of solvency or property certificate issued by Income Tax valuer shall be not less than the equivalent amount of 1/6 part of sum of basic license fee and license fee determined for the grant of licence of the shop applied in the district. Provided, in case of renewal, solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer produced during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount.	(f) That he is holder of solvency certificate or certificate of owned property issued by Income Tax valuer and the worth of solvency or property certificate issued by Income Tax valuer shall be not less than the equivalent amount of 1/6 part of sum of basic license fee and license fee determined for the grant of licence of the shop applied in the district. Provided, in case of renewal, solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer produced during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount.

6.Amendement of rule 10– In the said rules, for existing rule-10 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:–

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
10- Selection of licensee– (a) (i) License of shop may be renewable online under the terms and conditions specified by the State Government. (ii) In case of non-renewal, licensees shall be selected shop wise through the process of e-lottery or e-tender, as specified by the State Government, through inviting online applications. District Excise Officer shall scrutinize the applications received online and prepare list of all eligible and ineligible applications, describing the reasons of ineligibility and shall put up this list before the District Level Committee of Licensing constituted for e-lottery and e-tender. (b) The said committee shall identify eligible and ineligible applicants. In case of lottery the licensee shall be selected for each shop from amongst the eligible applicants through the computer driven randomized arrangement. Randomization process shall be adopted in the order of country liquor, model shops, foreign liquor and beer shops as per prescribed hierarchy under respective rule. In case of selection of licensee through e-tender the same aforesaid sequence shall be adopted. Not more than two shops including all categories of country liquor, model shop, foreign liquor and beer shall be allotted in favour of an applicant in the entire State. Provided that aforesaid restriction limit shall not be applicable to matter related to renewal of licenses and mutation of licence in favor of legal heir in the event of death of licencee asper the criteria laid down by the State Government.	10- Selection of licensee– (a) (i) License of shop may be renewable online under the terms and conditions specified by the State Government. (ii) In case of non-renewal, licensees shall be selected shop wise through the process of e-lottery or e-tender, as specified by the State Government, through inviting online applications. District Excise Officer shall scrutinize the applications received online and prepare list of all eligible and ineligible applications, describing the reasons of ineligibility and shall put up this list before the District Level Committee of Licensing constituted for e-lottery and e-tender. (b) The said committee shall identify eligible and ineligible applicants. In case of lottery the licensee shall be selected for each shop from amongst the eligible applicants through the computer driven randomized arrangement. Randomization process shall be adopted in the order of country liquor, model shops, foreign liquor and beer shops as per prescribed hierarchy under respective rule. In case of selection of licensee through e-tender the same aforesaid sequence shall be adopted. Not more than two shops including all categories of country liquor, model shop, foreign liquor and beer shall be allotted in favour of an applicant in the entire State. Provided that aforesaid restriction limit shall not be applicable to matter related to renewal **and mutation of licences in favour of legal heir/family member/ close relative of deceased licencee/ licencees in the event of death of licencee/ licencees as per procedure mentioned in Rule-8(a):**

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
Provided also that in case of renewal of two or more shops in favour of any applicant in the entire state, he will be ineligible for selection of further shops through e- lottery.	Provided **further** that in case of renewal of two or more shops in favour of any applicant in the entire state, he will be ineligible for selection of further shops through e- lottery.
(c) In case the selected applicants does not deposit the required basic licence fee or security amount and does not fulfill the prescribed formalities or is unable to arrange suitable premises for the shop within the stipulated period, the Licensing Authority shall cancel the allotment and take steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the Government.	(c) In case the selected applicants does not deposit the required basic licence fee or security amount and does not fulfill the prescribed formalities or is unable to arrange suitable premises for the shop within the stipulated period, the Licensing Authority shall cancel the allotment and take steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the Government.
(d) In case there is no application for a particular shop or no candidate is found suitable for a shop, the Licensing Authority shall take immediate steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the State Government.	(d) In case there is no application for a particular shop or no candidate is found suitable for a shop, the Licensing Authority shall take immediate steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the State Government.

7.Amendement of rule 12– In the said rules, for existing rule-12 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:–

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
12. Payment of Basic License fee & Security amount-	12. Payment of Basic License fee & Security amount-
In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of basic license fee within three working days of being intimated of his selection. He shall be required to deposit half of the security amount within ten working days of intimation of his selection and balance of the security amount within twenty working days of intimation of his selection. Entire amount of basic license fee shall be deposited by the applicant preferably through e-payment. Security amount shall be deposited through Fixed Deposit Receipt/ Bank Guarantee pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment. Provided, in case of renewal, security deposited prior in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) shall be acceptable till it is not refunded.	In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of basic license fee within three working days of being intimated of his selection. He shall be required to deposit half of the security amount within ten working days of intimation of his selection and balance of the security amount within twenty working days of intimation of his selection. Entire amount of basic license fee shall be deposited by the applicant preferably through e-payment. Security amount shall be deposited through **Fixed Deposit Receipt** pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment. Provided, in case of renewal, security deposited prior in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) **or Bank Guarantee** shall be acceptable till it is not refunded.
In subsequent year, the licence of the shop may be renewed on the desire of the licensee according to the parameter of consumption as fixed by the State Government. Difference amount of basic license fee and security shall be deposited for renewal within stipulated period as specified by the State Government.	In subsequent year, the licence of the shop may be renewed on the desire of the licensee according to the parameter of consumption as fixed by the State Government. Difference amount of basic license fee and security shall be deposited for renewal within stipulated period as specified by the State Government.
Provided, if he fails to deposit the amount of basic license fee and security amount within prescribed period, his selection shall stand cancelled;	Provided, if he fails to deposit the amount of basic license fee and security amount within prescribed period, his selection shall stand cancelled;
Provided further that in case of licence being settled through the e-lottery/ e-tender, his earnest money and basic license fee as well as the security amount, if deposited by him, and in case of licence being renewed, fifteenth percent of security amount of last year along with renewal fee and basic licence fee, if deposited by him, shall also be forfeited in favour of State Government and the said shop shall be resettled forthwith, in manner as prescribed by the Government.	Provided further that in case of licence being settled through the e-lottery/ e-tender, his earnest money and basic license fee as well as the security amount, if deposited by him, and in case of licence being renewed, fifteenth percent of security amount of last year along with renewal fee and basiclicence fee, if deposited by him, shall also be forfeited in favour of State Government and the said shop shall be resettled forthwith, in manner as prescribed by the Government.

8.Amendement of rule 17– In the said rules, for existing rule-17 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:–

Column I	**Column II**
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
17- Hours of sale and closure of shops The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10.00 a.m. to 10 p.m. except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day), and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order for closure of shop on account of law and order or General Election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds.	17- Hours of sale and closure of shops The **licensed** premises shall remain open for sale on all days from 10.00 a.m. to 10 p.m. except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day), and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order for closure of shop on account of law and order or General Election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds**:** **Provided that the sale hours may be changed on special occasions for certain duration as the State Government may deem fit.**

9.Amendement of rule 18– In the said rules, for existing rule-18 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:–

Column I	**Column II**
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
18. Disposal of balance stock left at the expiry of the license-	18. Disposal of balance stock left at the expiry of the license-
(1) Entire quantity of country liquor lifted by the licensee during the year shall have to be sold during the validity of his license and the licensee shall not be permitted to sell it after expiry of the license. Any balance of country liquor quantity found outstanding and unsold at the expiry of the term of license shall be declared by the licensee brand wise, volume wise, intensity wise and packaging wise before the District Excise Officer on the next day by 12 p.m. and shall be returned by him to the wholesale shop of the District by 5.00 p.m: of the next date of expiry of license. Separate register shall be maintained for balance stock. Moreover, the balance stock shall be uploaded on portal by the District Excise Officer.	**(1)** Any balance of country liquor quantity found outstanding and unsold at the expiry of the term of license shall be declared by the licensee brand wise, volume wise, intensity wise and packaging wise before the District Excise Officer on the next day by 12 p.m. Separate register shall be maintained for balance stock. Moreover, the balance stock shall be uploaded on portal by the District Excise Officer.
(2) The remaining stock available on retail Country liquor shops shall be destroyed, under videography, by a Joint Committee of District Excise Officer and local Sub-Divisional Magistrate in the presence of the Deputy Excise Commissioner of the charge.	(2) The remaining **balance** stock available on retail Country liquor shops **at the end of cessation of excise year may be sold by the 5th April of the next succeeding excise year, such sold stock shall not be adjusted against the M.G.Q of the month April. Thereafter, the remainder stock shall** be destroyed under the supervision of the Deputy Excise Commissioner of the charge by a joint committee of the District Excise Officer and the local Sub-Divisional Magistrate **displaying** videography.

10. Amendement of Form C.L.-5C and form C.L. 5C (1)– In the said rules, for existing Form C.L.-5C and form C.L. 5C (1) set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:–

Column I	**Column II**
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
C.L.5-C (For renewal purpose) License for the Retail Sale of "Mild" & "Strong" Country Liquor in sealed Bottles/Tetra packs & Container for Consumption "On" and "Off" the premises.	C.L.5-C (For renewal purpose) License for the Retail Sale of **Country Liquor (plain, perfumed and spiced) containing straingth of 25% v/v and 36% v/v/ as well as U.P. Made Liquor (U.P.M.L.) (plain, perfumed and spiced) containing strength of 42.8% v/v** in sealed Glass/Pet Bottles/**Aseptic Brick Packs** for Consumption "On" and "Off" the premises.
Photo of applicant / Photo of co-applicant	Photo of applicant / Photo of co-applicant
Photo of shop	Photo of shop
Latitude/longitude of shop …….....	Latitude/longitude of shop ….....…….
License No …….....…. year ….....	License No …….....…… year ….....
Name of Shop …… District …….....	Name of Shop ……...… District ….....……
Basic License fee Rs ……..... (in figures) ……..... (in words)	Basic License fee Rs ……..... (in figures) ……..... (in words)
Annual Minimum Guaranteed Quantity …… bulk litres	Annual Minimum Guaranteed Quantity …..... bulk litres
(in terms of "strong" country liquor of 36% v/v)	(in terms of "strong" country liquor of 36% v/v)
License fee Rs ……..... (in figures) …..... (in words)	License fee Rs ….....…. (in figures) …..... (in words)
Monthly Minimum Guaranteed Quantity ….....…… bulk litres (in terms of "strong" country liquor of 36% v/v)	Monthly Minimum Guaranteed Quantity …….....… bulk litres (in terms of "strong" country liquor of 36% v/v)
Monthly installment of license fee Rs . ……..... (in figures) ……..... in words)	Monthly installment of license fee Rs . ……..... (in figures) ……..... in words)
Description of premises (with boundaries)	Description of premises (with boundaries)
North ……..... South …….....	North ……...…..... South …….....
East ……..... West …….....	East ……..... West …….....
Name, Father's Name & Address of Licensee(s)	Name, Father's Name & Address of Licensee(s)
1 ……..... S/o ……..... R/o …….....	1 ……..... S/o ……..... R/o …….....
2 ……..... S/o …… R/o …….....	2 ……..... S/o ……..... R/o …….....

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
License for the retail sale of "strong" and mild Country Liquor in 200ml pet/glass bottles or tetrapacks of strength and as prescribed by the Excise Commissioner is hereby issued to above license holder(s). at ……. (place) in P.S. ……. Tahsil ……. in the District of …….. w.e.f. from ……. to March, 31, 20 …….. for which basic license fee and security deposit has been paid in accordance with Rule-6 and Rule-12.	License for the retail sale of **Country Liquor (plain, perfumed and spiced) containing strength of 25% v/v and 36 % v/v as well as and U.P. Made Liquor (U.P.M.L.) (plain, perfumed and spiced) containing strength of 42.8% v/v in sealed Glass/Pet Bottles/Aseptic Brick Packs** of **capacity** as prescribed by the Excise Commissioner is hereby issued to above license holder(s). at ……. (place) in P.S. ……. Tahsil ……. in the District of …….. w.e.f. from ……. to March, 31, 20 …….. for which basic license fee and security deposit has been paid in accordance with Rule-6 and Rule-12.
The License is subject to the following terms and conditions the infraction of any of which or violation of the provisions as expounded in Rule-21 of U.P. Excise (Settlement of licenses for retail sale of country liquor) rules- 2002 (as amended) or conviction for any offence under the U.P. Excise Act. 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for cancellation of the license and forfeiture of security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.	The License is subject to the following terms and conditions the infraction of any of which or violation of the provisions as expounded in Rule-21 of U.P. Excise (Settlement of licenses for retail sale of country liquor) rules- 2002 (as amended) or conviction for any offence under the U.P. Excise Act. 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for cancellation of the license and forfeiture of security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.
TERMS AND CONDITIONS	TERMS AND CONDITIONS
1. The licensee shall lift country liquor from CL-2 Godown of wholesale licensee after payment of cost and consideration fee in accordance with the provisions of rule-13 preferably by e-payment.	1. The licensee shall lift country liquor from CL-2 Godown of wholesale licensee after payment of cost and consideration fee in accordance with the provisions of rule-13 preferably by e-payment.
2. The licensee is liable to pay the monthly installment of license fee by the last day of the month in accordance with the provisions of rule-14.	2. The licensee is liable to pay the monthly installment of license fee by the last day of the month in accordance with the provisions of rule-14.
3. Maximum Retail Price and strength shall be printed in visible words of 1x1 centimeter on the label of pet/glass bottles/ tetrapacks of country liquor. The retail licensee shall not charge more than the printed maximum retail price.	3. Maximum Retail Price and strength shall be printed in visible **bold font** of 1x1 centimeter on **the right top of labels of bottles/ Aseptic Brick Pack** of country liquor/**(U.P.M.L.)**. The retail licensee shall not charge more than the printed maximum retail price.
4. The Sale of Country Spirit in sealed pet/glass bottles /tetrapacks for consumption both "on" and "off" the premises shall be allowed from the same Gaddi. A portion of the premises shall be set apart where only "on" consumption shall be permitted. Even for "on" consumption the country spirit shall not be served loose and licensee/salesman/ distiller shall be responsible for disposing of pet/glass bottles and tetrapacks as well as capsules affixed upon them after being consumed at the shop as per Solid Waste Management (SWM) Rules, 2016.	4. The Sale of Country Spirit in sealed pet/glass bottles / **Aseptic Brick** for consumption both "on" and "off" the premises shall be allowed from the same Gaddi. A portion of the premises shall be set apart where only "on" consumption shall be permitted. Even for "on" consumption the country spirit/**U.P.M.L shall** not be served loose and licensee/salesman/ distiller shall be responsible for disposing of pet/glass bottles and **Aseptic Brick Packs** as well as capsules affixed upon them after being consumed at the shop as per Solid Waste Management (SWM) Rules, 2016.
5. The sales shall be made in 100 ml and 200 ml sealed pet/glass bottles and tetrapacks of country liquor of prescribed strength carrying security Code as approved by the Excise Department, as proof of payment of consideration fees.	5. The sales shall be made in sealed pet/glass bottles and **Aseptic Brick** of country liquor/ **U.P.M.L** of prescribed strength **and capacity** carrying security Code as approved by the Excise Department, as proof of payment of consideration fees.

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
6. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register as prescribed by the Licensing Authority and SMS upload the same on Uttar Pradesh Excise portal be produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sale etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.	6. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register as prescribed by the Licensing Authority and SMS upload the same on Uttar Pradesh Excise portal be produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sale etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.
7. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of Country Liquor for which license is granted.	7. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of Country Liquor **/U.P.M.L** for which license is granted.
8. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 pm, except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closures by the Licensing Authority, Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No Consideration fee shall be given for the closure of shop on above dates/days.	8. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 pm, except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closures by the Licensing Authority, Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No Consideration fee shall be given for the closure of shop on above dates/days. **Provided that the sale hours may be changed on special occasions for certain duration as the State Government may deem fit.**
9. The licensee shall store entire stock of Country Liquor in the licensed premises only. He shall be required to maintain P.O.S (point of sale) equipment as specified for scanning of bottles as per prescribed security code under the Track and Trace System.	9. The licensee shall store entire stock of Country Liquor **/U.P.M.L** in the licensed premises only. He shall be required to maintain P.O.S (point of sale) equipment as specified for scanning of bottles as per prescribed security code under the Track and Trace System.
10. The licensee shall affix a conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of the shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed. The signboard shall also display the following information :- ">Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable. >Drunken driving can be fatal. Please do not drink and drive."	10. The licensee shall affix a conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of the shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed. The signboard shall also display the following information :- ">Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable. >Drunken driving can be fatal. Please do not drink and drive."

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
11.The licensee may provide within the licensed premises a reasonable seating accommodation i.e. a sufficient number of benches, "takhats", chairs and tables etc. and provide tumbler, water, ice, soda, snacks and other cooked edibles.	11. The licensee may provide within the licensed premises a reasonable seating accommodation i.e. a sufficient number of benches, "takhats", chairs and tables etc. and provide tumbler, water, ice, soda, snacks and other cooked edibles.
12. The Licensee shall not employ any person as salesman who is below 21 years of age or is suffering from any infectious diseases, has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain identity cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.	12. The Licensee shall not employ any person as salesman who is below 21 years of age or is suffering from any infectious diseases, has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain **Naukarnama** of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, **on payment of fee as prescribed by Government from time to time** which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.
13. The licensee shall not sell to any person more than 1.0 litres of plain and spiced country liquor of different strength separately except under permission granted in accordance to Rule 28(3) of rules relating to import, export transit and custody of country liquor under the provisions of Excise Manual Volume-1 (1995 edition).	13. The licensee shall not sell to any person more than **the prescribed limit** of country liquor/**U.P.M.L** except under permission granted in accordance **with the** Rule 28(3) of **Rules** relating to import, export transit and custody of country liquor under the provisions of Excise Manual Volume-1 (1995 edition).
14. The sale should not be made to a person below the age of twenty-one years or any official in uniform.	14. The sale should not be made to a person below the age of twenty-one years or any official in uniform.
15. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles or with their labels, security Code, Pilfer proof caps or seals.	15. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles or with their labels, security Code, Pilfer proof caps or seals.
16. The licensee shall not keep in his licensed premises any caramel, colour, essence, security Code making apparatus, labels, capsules, seals or any other noxious material.	16. The licensee shall not keep in his licensed premises any caramel, colour, essence, security Code making apparatus, labels, capsules, seals or any other noxious material.
17. The licensee or his salesmen are strictly prohibited from keeping water on the Gaddi of the shop or within 5 feet of the place where Country Liquor is stored or kept for sale.	17. The licensee or his salesmen are strictly prohibited from keeping water on the Gaddi of the shop or within 5 feet of the place where Country Liquor/**U.P.M.L** is stored or kept for sale.
18. The licensee shall be responsible for the proper upkeep and cleanliness including its drain etc. which shall be kept disinfected.	18. The licensee shall be responsible for the proper upkeep and cleanliness including its drain etc. which shall be kept disinfected.
19. All kujjar, pattals etc. used in the premises shall be removed immediately to specially erected empty receptacles or bins with a cover kept for this purpose which shall be cleaned at least twice during the sale hours.	19. All kujjar, pattals etc. used in the premises shall be removed immediately to specially erected empty receptacles or bins with a cover kept for this purpose which shall be cleaned at least twice during the sale hours.
20. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.	20. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
21. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales. Gambling and dance programmes are strictly forbidden.	21. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales. Gambling and dance programmes are strictly forbidden.
22. The licensee shall on expiry of the license, report to the District Excise Officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with Rule-18.	22. The licensee shall on expiry of the license, report to the District Excise Officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with Rule-18.
23. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.	23. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.
24. The licensee shall submit the list of sellers to the district excise officer for sale of liquor at his shop. The district excise officer shall issue Naukarnama in prescribed form accordingly.	24. The licensee shall submit the list of sellers to the district excise officer for sale of liquor at his shop. The district excise officer shall **accordingly** issue Naukarnama in prescribed form after **payment of fixed fee**.
Date……...	Date……...
District……	District……
Licensing Authority	Licensing Authority

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
C.L.5 C (1)	C.L.5 C (1)
(For new license)	(For new license)
License for the Retail Sale of "Mild" & "Strong" Country Liquor in sealed Bottles & Container for Consumption "On" and "Off" the premises.	License for the Retail Sale of **Country Liquor (plain, perfumed and spiced) containing strength of 25 % v/v and 36% v/v as well as U.P. Made Liquor(U.P.M.L.) (plain, perfumed and spiced) containing strength of 42.8 % v/v** in sealed Glass/Pet Bottles/**Aseptic Brick Packs** for Consumption "On" and "Off" the premises.
Photo of applicant / Photo of shop	Photo of applicant / Photo of shop
Latitude/longitude of shop ……....	Latitude/longitude of shop ….....…….
License No …….....…… year ….....	License No ……..... year ….....
Name of Shop ……....…… District ……	Name of Shop ……..…… District ……....……
Basic License fee Rs ……..... (in figures) ……..... (in words)	Basic License fee Rs ……....…….. (in figures) ……..... (in words)
Annual Minimum Guaranteed Quantity …… bulk litres (in terms of "strong" country liquor of 36% v/v)	Annual Minimum Guaranteed Quantity …… bulk litres (in terms of "strong" country liquor of 36% v/v)
License fee Rs ….....…. (in figures) …..... (in words)	License fee Rs ……..... (in figures) …..... (in words)
Monthly Minimum Guaranteed Quantity …… bulk litres (in terms of "strong" country liquor of 36% v/v)	Monthly Minimum Guaranteed Quantity …… bulk litres (in terms of "strong" country liquor of 36% v/v)
Monthly installment of license fee Rs. …… (in figures) ……..... in words)	Monthly installment of license fee Rs. …… (in figures) ……..... in words)
Description of premises (with boundaries)	Description of premises (with boundaries)
North ……..... South …….....	North ……..... South ….....……
East ……..... West …….....	East ……..... West …….....
Name, Father's Name & Address of Licensee(s)	Name, Father's Name & Address of Licensee(s)
1……S/o ……R/o……..	1……S/o ……R/o……..
2……S/o ……R/o…….....	2……S/o ……R/o……....

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
License for the retail sale of "strong" and mild Country Liquor in 100 ml and 200ml pet/glass bottles or tetrapacks of strength and as prescribed by the Excise Commissioner is hereby issued to above license holder(s). at ……. (place) in P.S. ……. Tahsil ……. in the District of …….. w.e.f. from ……. to March, 31, 20 …….. for which basic license fee and security deposit has been paid in accordance with Rule-6 and Rule-12.	License for the retail sale of **Country Liquor (plain, perfumed and spiced) containing strength of 25% v/v and 36 % v/v as well as and U.P. Made Liquor (U.P.M.L.) (plain, perfumed and spiced) containing strength of 42.8% v/v in sealed Glass/Pet Bottles/Aseptic Brick Packs** of **capacity** as prescribed by the Excise Commissioner is hereby issued to above license holder(s). at ……. (place) in P.S. ……. Tahsil ……. in the District of …….. w.e.f. from ……. to March, 31, 20 …….. for which basic license fee and security deposit has been paid in accordance with Rule-6 and Rule-12.
The License is subject to the following terms and conditions the infraction of any of which or violation of the provisions as expounded in Rule-21 of U.P. Excise (Settlement of licenses for retail sale of country liquor) rules- 2002 (as amended) or conviction for any offence under the U.P. Excise Act. 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for cancellation of the license and forfeiture of security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.	The License is subject to the following terms and conditions the infraction of any of which or violation of the provisions as expounded in Rule-21 of U.P. Excise (Settlement of licenses for retail sale of country liquor) rules- 2002 (as amended) or conviction for any offence under the U.P. Excise Act. 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for cancellation of the license and forfeiture of security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.
TERMS AND CONDITIONS	TERMS AND CONDITIONS
1. The licensee shall lift country liquor from CL-2 Godown of wholesale licensee after payment of cost and consideration fee in accordance with the provisions of rule-13 preferably by e-payment.	1. The licensee shall lift country liquor from CL-2 Godown of wholesale licensee after payment of cost and consideration fee in accordance with the provisions of rule-13 preferably by e-payment.
2. The licensee is liable to pay the monthly installment of license fee by the last day of the month in accordance with the provisions of rule-14.	2. The licensee is liable to pay the monthly installment of license fee by the last day of the month in accordance with the provisions of rule-14.
3. Maximum Retail Price and strength shall be printed on the label in visible words of 1x1 centimeter at pet/glass bottles/ tetrapacks of country liquor. The retail licensee shall not charge more than the printed maximum retail price.	3. Maximum Retail Price and strength shall be printed in visible **bold font** of 1x1 centimeter on **the right top of labels of bottles/ Aseptic Brick Pack** of country liquor/**(U.P.M.L.)**. The retail licensee shall not charge more than the printed maximum retail price.
4. The Sale of Country Spirit in sealed pet/glass bottles /tetrapacks for consumption both "on" and "off" the premises shall be allowed from the same Gaddi. A portion of the premises shall be set apart where only "on" consumption shall be permitted. Even for "on" consumption the country spirit shall not be served loose and licensee/salesman/ distiller shall be responsible for disposing of pet/glass bottles and tetrapacks as well as capsules affixed upon them after being consumed at the shop as per Solid Waste Management (SWM) Rules, 2016.	4. The Sale of Country Spirit in sealed pet/glass bottles / **Aseptic Brick** for consumption both "on" and "off" the premises shall be allowed from the same Gaddi. A portion of the premises shall be set apart where only "on" consumption shall be permitted. Even for "on" consumption the country spirit/**U.P.M.L shall** not be served loose and licensee/salesman/ distiller shall be responsible for disposing of pet/glass bottles and **Aseptic Brick Packs** as well as capsules affixed upon them after being consumed at the shop as per Solid Waste Management (SWM) Rules, 2016.

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
5. The sales shall be made in 100 ml and 200 ml sealed pet/glass bottles and tetrapacks of country liquor of prescribed strength carrying security Code as approved by the Excise Department, as proof of payment of consideration fees.	5. The sales shall be made in sealed pet/glass bottles and **Aseptic Brick** of country liquor/ **U.P.M.L** of prescribed strength **and capacity** carrying security Code as approved by the Excise Department, as proof of payment of consideration fees.
6. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register as prescribed by the Licensing Authority and SMS upload the same on Uttar Pradesh Excise portal be produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sale etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.	6. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register as prescribed by the Licensing Authority and SMS upload the same on Uttar Pradesh Excise portal be produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sale etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.
7. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of Country Liquor for which license is granted.	7. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of Country Liquor **/U.P.M.L** for which license is granted.
8. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 pm, except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closures by the Licensing Authority, Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No Consideration fee shall be given for the closure of shop on above dates/days.	8. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 pm, except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closures by the Licensing Authority, Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No Consideration fee shall be given for the closure of shop on above dates/days. **Provided that the sale hours may be changed on special occasions for certain duration as the State Government may deem fit.**
9. The licensee shall store entire stock of Country Liquor in the licensed premises only. He shall be required to maintain P.O.S (point of sale) equipment as specified for scanning of bottles as per prescribed security code under the Track and Trace System.	9. The licensee shall store entire stock of Country Liquor **/U.P.M.L** in the licensed premises only. He shall be required to maintain P.O.S (point of sale) equipment as specified for scanning of bottles as per prescribed security code under the Track and Trace System.
10. The licensee shall affix a conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of the shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed. The signboard shall also display the following information :- ">Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable. >Drunken driving can be fatal. Please do not drink and drive."	10. The licensee shall affix a conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of the shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed. The signboard shall also display the following information :- ">Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable. >Drunken driving can be fatal. Please do not drink and drive."

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
11 The licensee may provide within the licensed premises a reasonable seating accommodation i.e. a sufficient number of benches, "takhats", chairs and tables etc. and provide tumbler, water, ice, soda, snacks and other cooked edibles.	11. The licensee may provide within the licensed premises a reasonable seating accommodation i.e. a sufficient number of benches, "takhats", chairs and tables etc. and provide tumbler, water, ice, soda, snacks and other cooked edibles.
12. The Licensee shall not employ any person as salesman who is below 21 years of age or is suffering from any infectious diseases, has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain identity cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.	12. The Licensee shall not employ any person as salesman who is below 21 years of age or is suffering from any infectious diseases, has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain **Naukarnama** of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, **on payment of fee as prescribed by Government from time to time** which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.
13. The licensee shall not sell to any person more than 1.0 litres of plain and spiced country liquor of different strength separately except under permission granted in accordance to Rule 28(3)of rules relating to import, export transit and custody of country liquor under the provisions of Excise Manual Volume-1(1995 edition).	13. The licensee shall not sell to any person more than **the prescribed limit** of country liquor/**U.P.M.L** except under permission granted in accordance **with the** Rule 28(3) of **Rules** relating to import, export transit and custody of country liquor under the provisions of Excise Manual Volume-1 (1995 edition).
14. The sale should not be made to a person below the age of twenty-one years or any official in uniform.	14. The sale should not be made to a person below the age of twenty-one years or any official in uniform.
15. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles or with their labels, security Code, Pilfer proof caps or seals.	15. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles or with their labels, security Code, Pilfer proof caps or seals.
16. The licensee shall not keep in his licensed premises any caramel, colour, essence, security Code making apparatus, labels, capsules, seals or any other noxious material.	16. The licensee shall not keep in his licensed premises any caramel, colour, essence, security Code making apparatus, labels, capsules, seals or any other noxious material.
17. The licensee or his salesmen are strictly prohibited from keeping water on the Gaddi of the shop or within 5 feet of the place where Country Liquor is stored or kept for sale.	17. The licensee or his salesmen are strictly prohibited from keeping water on the Gaddi of the shop or within 5 feet of the place where Country Liquor/ **U.P.M.L** is stored or kept for sale.
18. The licensee shall be responsible for the proper upkeep and cleanliness including its drain etc. which shall be kept disinfected.	18. The licensee shall be responsible for the proper upkeep and cleanliness including its drain etc. which shall be kept disinfected.
19. All kujjar, pattals etc. used in the premises shall be removed immediately to specially erected empty receptacles or bins with a cover kept for this purpose which shall be cleaned at least twice during the sale hours.	19. All kujjar, pattals etc. used in the premises shall be removed immediately to specially erected empty receptacles or bins with a cover kept for this purpose which shall be cleaned at least twice during the sale hours.
20. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.	20. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
21. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales. Gambling and dance programmes are strictly forbidden.	21. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales. Gambling and dance programmes are strictly forbidden.
22. The licensee shall on expiry of the license, report to the District Excise Officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with Rule-18.	22. The licensee shall on expiry of the license, report to the District Excise Officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with Rule-18.
23. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.	23. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.
24. The licensee shall submit the list of sellers to the district excise officer for sale of liquor at his shop. The district excise officer shall issue Naukarnama in prescribed form accordingly.	24. The licensee shall submit the list of sellers to the district excise officer for sale of liquor at his shop. The district excise officer shall **accordingly** issue Naukarnama in prescribed form after **payment of prescribed fees**.
Date……...	Date……...
District……	District……
Licensing Authority	Licensing Authority

By order,
(Senthil Pandian C.)
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

पी0एस0यू0पी0-4 असाधारण गजट-15.07.2023-127 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।

क्रम-संख्या–127

रजिस्टर्ड नं० एल० डब्ल्यू०/एन०पी० 561
लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, सोमवार, 21 जुलाई, 2023 ई0

(आषाढ़ 30, 1945 शक संवत्)

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या-3570/दस-लाइसेंस-33/**मॉडल शाप/**2023-2024
प्रयागराज, दिनांक 21 जुलाई, 2023 ई0

अधिसूचना

सा0प0नि0–30

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 उत्तर प्रदेश (अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 24-ख और 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से अधिसूचना संख्या-17951/दस-लाइसेंस-33/एफ0एल0, माडल शाप/2003-04 दिनांक 03 सितम्बर, 2003 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की माडल शाप के लिए फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2003 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की माडल शाप के लिये फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (सोलहवाँ संशोधन) नियमावली, 2023

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की माडल शाप के लिये फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (सोलहवाँ संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2-उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की माडल शाप के लिये फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2003, (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है), में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
2-परिभाषाएं-	2-परिभाषाएं-
(1) जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में-	(1) जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में-
(क)''अधिनियम'' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;	(क)''अधिनियम'' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;
(ख)''अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क'' का तात्पर्य विदेशी मदिरा एवं बियर के अधिकतम फुटकर मूल्य को 10 रूपये के अगले गुणांक तक पूर्णाकिंत किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो आसवनी/ यवासवनी स्तर पर संदेय होगी तथा आसवनी/यवासवनी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से एक्स डिस्टिलरी लागत/एक्स ब्रिवरी लागत के अतिरिक्त वसूलनीय होगी एवं जो थोक आपूर्तिकर्ता द्वारा फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक लागत के अतिरिक्त वसूल की जा सकेगी।	(ख)''अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क'' का तात्पर्य विदेशी मदिरा एवं बियर के अधिकतम फुटकर मूल्य को 10 रूपये के अगले गुणांक तक पूर्णाकिंत किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो आसवनी/ यवासवनी स्तर पर संदेय होगी तथा आसवनी/यवासवनी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से एक्स डिस्टिलरी लागत/एक्स ब्रिवरी लागत के अतिरिक्त वसूलनीय होगी एवं जो थोक आपूर्तिकर्ता द्वारा फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक लागत के अतिरिक्त वसूल की जा सकेगी;
(ग) ''प्रतिफल शुल्क'' का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा 30 के अधीन विदेशी मदिरा, बियर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय हेतु राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित शुल्क से है, जो विदेशी मदिरा, बियर, वाइन और कम तीव्र्ता के मादक पेय की आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जाएगी।	(ग) ''प्रतिफल शुल्क'' का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा 30 के अधीन विदेशी मदिरा, बियर, वाइन और कम **तीव्रता** के मादक पेय हेतु राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित शुल्क से है, जो विदेशी मदिरा, बियर, वाइन और कम **तीव्रता** के मादक पेय की आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जाएगी;
(घ)"दैनिक लाइसेंस फीस" का तात्पर्य सम्पूर्ण वर्ष के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस के 1/365 वें भाग से है।	(घ)"दैनिक लाइसेंस फीस" का तात्पर्य सम्पूर्ण वर्ष के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस के 1/365 वें भाग से है;
(ङ) 'धरोहर धनराशि' का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 वें भाग के बराबर धनराशि से है, जो व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम-10 के उपबन्धों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी।	(ङ) 'धरोहर धनराशि' का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 वें भाग के बराबर धनराशि से है, जो व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम-10 के उपबन्धों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी;
(च)''आबकारी वर्ष'' का तात्पर्य दिनांक एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है।	(च)''आबकारी वर्ष'' का तात्पर्य दिनांक एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;
(छ) ''परिवार'' का तात्पर्य इसमें दम्पति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र/पुत्रों, अविवाहित पुत्री/पुत्रियां और आश्रित माता-पिता सम्मिलित हैं।	(छ) ''परिवार'' का तात्पर्य इसमें दम्पति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र/पुत्रों, अविवाहित पुत्री/पुत्रियां और आश्रित माता-पिता सम्मिलित हैं;
(ज)''विदेशी मदिरा'' का तात्पर्य भारत में आयातित स्प्रिट या मदिरा अथवा भारत में बनाई गई स्प्रिट या मदिरा से है और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित स्प्रिट या मदिरा जिससे कि वह सुगंध या रंग में भारत में आयातित मदिरा के सदृश्य हो और उसमें माल्ट स्प्रिट, व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, जिन, बोदका, वाइन और मदिरा (लिक्युअर) सम्मिलित हैं और इसमें भारत में किण्वित बीयर, ड्राट बीयर तथा कम तीव्रता के मादक पेय भी सम्मिलित है।	(ज)''विदेशी मदिरा'' का तात्पर्य भारत में आयातित स्प्रिट या मदिरा अथवा भारत में बनाई गई स्प्रिट या मदिरा से है और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित स्प्रिट या मदिरा जिससे कि वह सुगंध या रंग में भारत में आयातित मदिरा के सदृश्य हो और उसमें माल्ट स्प्रिट, व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, जिन, बोदका, वाइन और मदिरा (लिक्युअर) सम्मिलित हैं और इसमें भारत में किण्वित बीयर, ड्राट बीयर तथा कम तीव्रता के मादक पेय भी सम्मिलित है;
(झ) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस निमयावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है।	झ) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस निमयावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ज) 'अनुक्रम' का तात्पर्य ई-लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन आधार के रूप में तात्पर्यित दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है।	(ज) 'अनुक्रम' का तात्पर्य ई-लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन आधार के रूप में तात्पर्यित दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है;
(ट) ''व्यक्ति '' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो।	(ट) ''व्यक्ति '' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो;
(ठ) ''लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य किसी माडल शाप में विदेशी मदिरा, बियर, वाइन, कम तीव्र ता के मादक पेय के विक्रय के लिये एकान्तिक विशेषाधिकार के लाइसेंस प्रदान करने के प्रतिफल स्वरुप निकायवार यथानियत किसी धनराशि से है और बार की सुविधायें प्रदान करने के लिये, समय समय पर निर्धारित अतिरिक्त लाइसेंस फीस इसमें सम्मिलित होगी। परन्तु यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन/ पुनर्व्यवस्थापन मध्य सत्र में अवशेष अवधि के लिये किया जाता है, तो दुकान के लिए लाइसेंस फीस की देयताओं का निर्धारण वर्ष की शेष आबकारी अवधि के समानुपातिक किया जायेगा।	(ठ) ''लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य किसी माडल शाप में विदेशी मदिरा, बियर, वाइन, कम तीव्र ता के मादक पेय के विक्रय के लिये एकान्तिक विशेषाधिकार के लाइसेंस प्रदान करने के प्रतिफल स्वरुप निकायवार यथानियत किसी धनराशि से है और बार की सुविधायें प्रदान करने के लिये, समय समय पर निर्धारित अतिरिक्त लाइसेंस फीस इसमें सम्मिलित होगी; परन्तु यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन/ पुनर्व्यवस्थापन मध्य सत्र में अवशेष अवधि के लिये किया जाता है, तो दुकान के लिए लाइसेंस फीस की देयताओं का निर्धारण वर्ष की शेष आबकारी अवधि के समानुपातिक किया जायेगा;
(ड) ''लाइसेंस प्राधिकारी'' का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है।	(ड) ''लाइसेंस प्राधिकारी'' का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है;
(ढ) ''पोर्टल'' का तात्पर्य मदिरा विनिर्मित करने से लेकर उसके वितरण के अन्तिम स्तर तक की प्रक्रिया से सम्बंधित विहित प्रपत्र में सूचना अपलोड किये जाने के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट रुप से सृजित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म से है।	(ढ) ''पोर्टल'' का तात्पर्य मदिरा विनिर्मित करने से लेकर उसके वितरण के अन्तिम स्तर तक की प्रक्रिया से सम्बंधित विहित प्रपत्र में सूचना अपलोड किये जाने के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट रुप से सृजित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म से है;
(ण) ''त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व'' का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा नियत और लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ किसी आबकारी वर्ष के त्रैमास में अपनी फुटकर दुकान के लिये उठाये जाने हेतु प्रत्याभूत विदेशी मदिरा, बीयर वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय से प्राप्त समान राजस्व से है।	(ण) '**मासिक** न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व'' का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा नियत और लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ किसी आबकारी वर्ष के **किसी माह** में अपनी फुटकर दुकान के लिये उठाये जाने हेतु प्रत्याभूत विदेशी मदिरा, बीयर वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय से **प्राप्त समतुल्य** राजस्व से है;
(त) "प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य लाइसेंस फीस के अनुसार राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित धनराशि से है, जो जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद/बैंक गारंटी के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी तथा जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तिम निस्तारण के पश्चात् वापस किये जाने योग्य है। परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नगद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।	(त) "प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य लाइसेंस फीस के अनुसार राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित धनराशि से है, जो जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत **सावधि जमा रसीद** के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी तथा जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तिम निस्तारण के पश्चात् वापस किये जाने योग्य है; परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नगद/**ई-पेमेन्ट** अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र **अथवा बैंक गारंटी** के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय;

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(थ) ''ऋणशोधन क्षमता'' का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय अर्हता के मानदण्ड से है।	(थ) ''ऋणशोधन क्षमता'' का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय अर्हता के मानदण्ड से है;
(द) राज्य का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है।	(द) राज्य का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;
(ध) ''व्यवस्थापन'' का तात्पर्य नवीकरण, ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से दुकानों के व्यवस्थापन अथवा पुनर्व्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है।	(ध) ''व्यवस्थापन'' का तात्पर्य नवीकरण, ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से दुकानों के व्यवस्थापन अथवा पुनर्व्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है।
(2) इस नियमावली में परिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिये समनुदेशित हैं।	(2) इस नियमावली में परिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिये समनुदेशित हैं।

3- नियम-4 का संशोधन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

4- माडल शाप के लिये आवेदन-पत्र	4- माडल शाप के लिये आवेदन-पत्र
(क) जब कभी किसी क्षेत्र या स्थान में नया लाइसेंस स्वीकृत करना प्रस्तावित हो, प्रस्तावित हो, लाइसेंस प्राधिकारी, दैनिक समाचार पत्रों, जिनका उस क्षेत्र में सर्वाधिक परिचालन हो, के माध्यम से व्यापक प्रचार करने और आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexcise.in) के साथ-साथ जिला की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के पश्चात इस प्रयोजनार्थ आवेदन आमंत्रित करेगा ।	(क) जब कभी किसी क्षेत्र या स्थान में नया लाइसेंस स्वीकृत करना प्रस्तावित हो, **लाइसेंस** प्राधिकारी, दैनिक समाचार पत्रों, जिनका उस क्षेत्र में सर्वाधिक परिचालन हो, के माध्यम से व्यापक प्रचार करने और आबकारी विभाग की वेबसाइट **(www.upexciseportal.in)** के साथ-साथ जिला की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के पश्चात इस प्रयोजनार्थ आवेदन आमंत्रित करेगा ।
(ख) माडल शाप्स, जिनकी लाइसेंस की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित हो, को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा एन०आई०सी० द्वारा विकसित किये गये शाप मास्टर पर अपलोड किया जायेगा, जिसके साथ दुकानवार लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि और धरोहर धनराशि को प्रदर्शित करने वाली सूची कलेक्टर-कार्यालय, तहसील कार्यालय और जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय और प्रभारी उप आबकारी आयुक्त कार्यालय में प्रदर्शित की जायेगी। यह सूचना आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexcise.in) के साथसाथ प्रत्येक जिला की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।	(ख) माडल शाप्स, जिनकी लाइसेंस की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित हो, को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा एन०आई०सी० द्वारा विकसित किये गये शाप मास्टर पर अपलोड किया जायेगा, जिसके साथ दुकानवार लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि और धरोहर धनराशि को प्रदर्शित करने वाली सूची कलेक्टर-कार्यालय, तहसील कार्यालय और जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय और प्रभारी उप आबकारी आयुक्त कार्यालय में प्रदर्शित की जायेगी। यह सूचना आबकारी विभाग की वेबसाइट **(www.upexciseportal.in)** के साथ साथ प्रत्येक जिला की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।
(ग) लाइसेंस की स्वीकृति के लिए आवेदन, समाचार-पत्रों में विज्ञापित समय अनुसूची के अनुसार ऑनलाइन जमा किये जायेंगे	(ग) लाइसेंस की स्वीकृति के लिए आवेदन, समाचार-पत्रों में विज्ञापित समय अनुसूची के अनुसार ऑनलाइन जमा किये जायेंगे
(एक) ऋण शोधन क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत निजी सम्पत्ति प्रमाण-पत्र (दो) आधार कार्ड, (तीन) पैन कार्ड, (चार) पूववर्ती वर्ष की आयकर विवरणी की छायाप्रति (पांच) विहित प्रारूप में शपथ-पत्र (छः) धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी, जो सम्बन्धित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी हों, को अपलोड करना अनिवार्य होगा।	(एक) ऋणशोधन क्षमता **प्रमाण पत्र** अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र **(दो) पैन कार्ड,** (तीन) गतवर्ष की आयकर विवरणी की छायाप्रति (चार) विहित प्रारुप में शपथ पत्र (पॉच) धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी, जो सम्बन्धित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी हों, को अपलोड करना अनिवार्य होगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित दर से प्रसंस्करण फीस व उस पर देय मूल्य संवर्धित कर / माल और सेवा कर का भुगतान आन लाइन किया जायेगा । (घ) आवेदन प्राप्ति के लिए नियत किया जाने वाला अन्तिम दिनांक, समाचार पत्रों और आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexcise.in) में किए गए विज्ञापन में यथानियत दिनों की संख्या से पहले न होगा।	राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित दर से प्रसंस्करण फीस व उस पर देय मूल्य संवर्धित कर / माल और सेवा कर का भुगतान आन लाइन किया जायेगा । (घ) आवेदन प्राप्ति के लिए नियत किया जाने वाला अन्तिम दिनांक, समाचार पत्रों और आबकारी विभाग की वेबसाइट **(www.upexciseportal.in)** में किए गए विज्ञापन में यथानियत दिनों की संख्या से पहले न होगा।

4- नियम-7 का संशोधन- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-7 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

7- लाइसेंस का प्रदान किया जाना- इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस, अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म, और सम्बंधित जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद/बैंक गारंटीके माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से प्रतिभूति धनराशि जमा करने पर लाइसेंस निर्गत किया जायेगा। परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नगद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से जमा प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी जब तक इसकी वापसी न कर दी जाये। लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिले में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी निजी सम्पत्ति प्रमाण-पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करे, जहॉ से उसे लाइसेंस स्वीकृति के समय जारी किया गया है।	7- लाइसेंस का प्रदान किया जाना- इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस, अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म, और सम्बंधित जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत **सावधि जमा रसीद** के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से प्रतिभूति धनराशि जमा करने पर लाइसेंस निर्गत किया जायेगा: परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नगद/**ई-पेमेन्ट** अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा **बैंक गारण्टी** के माध्यम से जमा प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी जब तक इसकी वापसी न कर दी जाये। लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिले में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी निजी सम्पत्ति प्रमाण-पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करे, जहॉ से उसे लाइसेंस स्वीकृति के समय जारी किया गया है।

5- नियम-8 का संशोधन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
8-आवेदक की पात्रता की शर्तें- माडल शाप के लाइसेंस के लिये पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी- अर्थात्- (क) आवेदन, एक व्यक्ति द्वारा हो जो भारत का नागरिक हो। परन्तु नवीकरण की स्थिति में सह-आवेदक, यदि कोई हो, जो भारत का नागरिक हो, भी अनुज्ञात। भागीदार वाली फर्म अथवा कम्पनी माडल शाप के लाइसेंस की स्वीकृति के लिये अर्ह नहीं होगी। इसी प्रकार थोक विक्रेता अथवा आसवनी/ यवासवनी तथा मदिरा/बीयर निर्माता भी किसी माडल शाप का लाइसेंस धारण करने के लिये पात्र नहीं होगा। दुकान के आवंटन के पश्चात् आवेदक की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन अनुज्ञात नहीं होगा। लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में उसका विधिक वारिस, यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारी बना रह सकता है।	8-आवेदक की पात्रता की शर्तें- माडल शाप के लाइसेंस के लिये पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी- अर्थात्- (क) आवेदन, एक व्यक्ति द्वारा हो जो भारत का नागरिक **हो:** परन्तु नवीकरण की स्थिति में सह-आवेदक, यदि कोई हो, जो भारत का नागरिक हो, भी अनुज्ञात **होगा।** भागीदार वाली फर्म अथवा कम्पनी माडल शाप के लाइसेंस की स्वीकृति के लिये अर्ह नहीं होगी। इसी प्रकार थोक विक्रेता अथवा आसवनी/ यवासवनी तथा मदिरा/बीयर निर्माता भी किसी माडल शाप का लाइसेंस धारण करने के लिये पात्र नहीं होगा; दुकान के आवंटन के पश्चात् आवेदक की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन अनुज्ञात नहीं होगा। लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में **लाइसेंसधारी** द्वारा **दिये गये नामनिर्देशन शपथ पत्र (यदि कोई हो) के अनुसार विधिक वारिसों/परिवार के सदस्यों/निकट सम्बन्धियों के नाम, यदि अन्यथा अपात्र न हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बने रहने के लिये नामनिर्देशन शपथ पत्र में उल्लिखित वरीयता के अनुसार विचारित किये जायेंगे:**

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	परन्तु मृतक लाइसेंसधारी के नामनिर्देशन शपथ पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में उसका विधिक वारिस यदि अन्यथा पात्र हो, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बना रह सकता है।
परन्तु यह और कि यदि संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो, तो किसी एक भागीदार की मृत्यु की स्थिति में जीवित व्यक्ति मृतक के विधिक वारिस (वारिसो) के साथ यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंसधारी बना रह सकेगा या दोनो व्यक्तियों की मृत्यु की दशा में उसके विधिक वारिस (वारिसो) यदि अन्यथा पात्र हो/हों अनुज्ञापनधारी बना रह सकता है/ रह सकते हैं। ऐसे दोनों व्यक्तियों के उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा और दोनों संयुक्त रुप से और अलग-अलग उत्तरदायी होगे।	परन्तु यह और कि यदि संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो, तो किसी एक भागीदार की मृत्यु की स्थिति में जीवित व्यक्ति एवं **उपर्युक्तानुसार चयनित मृत लाइसेंसधारी का नामनिर्देशिती अथवा विधिक वारिस,यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंसधारक बना रह सकता है। दोनों व्यक्तियों के विधिक** उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा, **जो** संयुक्त रुप से और अलग-अलग उत्तरदायी **होंगे**;
(ख) आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के लिये नियत अवधि के प्रथम दिवस पर इक्कीस वर्ष की आयु से अधिक हो।	(ख) आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के लिये नियत अवधि के प्रथम दिवस पर इक्कीस वर्ष की आयु से अधिक हो;
(ग) अधिनियम के उपबन्धों या तद्धीन बनायी गयी किसी नियमावली के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने करने के लिये व्यतिक्रमी/काली सूची में न हो या विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति, जो आबकारी अपराध के लिये दोषसिद्ध पाया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोशमुक्त न किया गया हो।	(ग) अधिनियम के उपबन्धों या तद्धीन बनायी गयी किसी नियमावली के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने करने के लिये व्यतिक्रमी/काली सूची में न हो या विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति, जो आबकारी अपराध के लिये दोषसिद्ध पाया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्णतः और अन्तिम रूप से **दोषमुक्त** न किया गया हो;
(गग) आवेदक किसी एक दुकान के लिए स्वयं के नाम से मात्र एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए पात्र होगा। परन्तु नवीकरण की स्थिति में आवेदक एवं सह-आवेदक दोनों पात्र होगें और नवीकरण हेतु दोनों की सहमति आवश्यक होगी।	(गग) आवेदक किसी एक दुकान के लिए स्वयं के नाम से मात्र एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए पात्र होगा: परन्तु नवीकरण की स्थिति में आवेदक एवं सह-आवेदक दोनों पात्र होगें और नवीकरण हेतु दोनों की सहमति आवश्यक होगी;
(घ) निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा,	(घ) निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा, **अर्थात:-**
(एक) यह कि उसके पास समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी की दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबन्धों के अनुसार उस स्थान पर माडल शाप खोलने हेतु उपयुक्त परिसर है अथवा उसने किराये पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध किया है।	(एक) यह कि उसके पास समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी की दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबन्धों के अनुसार उस स्थान पर माडल शाप खोलने हेतु उपयुक्त परिसर है अथवा उसने किराये पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध किया है;
(दो) यह कि उसके दुकान का प्रस्तावित परिसर किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन करके निर्मित नहीं किया गया है।	(दो) यह कि उसके दुकान का प्रस्तावित परिसर किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन करके निर्मित नहीं किया गया है;
(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनिमय, 1910 या स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिये दोषसिद्ध नहीं किया गया हो।	(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनिमय, 1910 या स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिये दोषसिद्ध नहीं किया गया हो;

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(चार) यह कि अनुज्ञापी के रूप में उसके चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का निवासी है, के जिला कलेक्टर या सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामित, सहायक पुलिस आयुक्त की पंक्ति के अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र लाइसेंस निर्गत होने के पूर्व यह दर्शाते हुये प्रस्तुत करना होगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यो का नैतिक चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक अभिलेख नहीं है।	(चार) यह कि **लाइसेंसधारी** के रूप में उसके चयनित हो जाने की दशा में जिला, **जहाँ** का निवासी है, के जिला कलेक्टर या सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट, सहायक पुलिस आयुक्त की पंक्ति के अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र लाइसेंस निर्गत होने के पूर्व यह दर्शाते हुये प्रस्तुत करना होगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यो का नैतिक चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या **आपराधिक** अभिलेख नहीं है;
(पांच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा जिसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि उपरोक्त खण्ड-(तीन) में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक या छुआ-छूत रोग से ग्रसित हो या इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी से अपने प्राधिकृत विक्रेता/प्रतिनिधियों के फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करेगा।	(पाँच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि उपरोक्त खण्ड-(तीन) में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक या छुआ-छूत रोग से ग्रसित हो या इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी जिला आबकारी अधिकारी से **राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित फीस संदाय करने पर अपने** प्राधिकृत विक्रेता/**प्रतिनिधि** का फोटोयुक्त **नौकरनामा** प्राप्त करेगा;
(छः) यह कि उस पर किसी सार्वजनिक देयों का या सरकारी देयों का बकाया नहीं है।	(छः) यह कि उस पर किसी सार्वजनिक देयों का या सरकारी देयों का बकाया नहीं है;
(सात) यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या कारोबार के संचालन के लिये आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्यौरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।	(सात) यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या कारोबार के संचालन के लिये आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्यौरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा;
(आठ) यह कि आवेदक बार काउसिंल से रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने के पश्चात् उसे बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। राज्य सरकार का कर्मचारी लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये भी अनर्ह होगा।	(आठ) यह कि आवेदक बार काउसिंल से रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने के पश्चात् उसे बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। राज्य सरकार का कर्मचारी लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये भी अनर्ह होगा;
(नौ) यह कि लाइसेंसधारी के रुप में चयन हो जाने पर ऐसे चयन के 48 घंटे के भीतर धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जिसे आन-लाइन आवेदन के साथ अपलोड किया गया हो, को जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा कर दिया जायेगा।	(नौ) यह कि लाइसेंसधारी के रुप में चयन हो जाने पर ऐसे चयन के 48 घंटे के भीतर धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जिसे आन-लाइन आवेदन के साथ अपलोड किया गया हो, को जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा कर दिया जायेगा;
(दस) यह कि उसने धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग इस चरण में किसी अन्य दुकान के आवेदन हेतु नही किया है।	(दस) यह कि उसने धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग इस चरण में किसी अन्य दुकान के आवेदन हेतु नही किया है;
(ङ) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जो सम्बन्धित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी हो, की स्कैन प्रति आनलाइन आवेदन के साथ आवेदक द्वारा अपलोड की जायेगी। लाइसेंसधारी के रूप में चयन हो जाने की दशा में धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट चयन के पष्चात् 48 घंटे के भीतर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा, जिसे आवेदक को सभी देयताओं के भुगतान के पश्चात् वापस कर दिया जायेगा।	(ङ) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जो सम्बन्धित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी हो, की स्कैन प्रति आनलाइन आवेदन के साथ आवेदक द्वारा अपलोड की जायेगी।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
	लाइसेंसधारी के रूप में चयन हो जाने की दशा में धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट चयन के पश्चात् **अड़तालीस** घंटे के भीतर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा, जिसे आवेदक को सभी देयताओं के भुगतान के पश्चात् वापस कर दिया जायेगा;
(च) यह कि आवेदक ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र या किसी प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी निजी सम्पत्ति प्रमाण-पत्र का धारक हो एवं ऋणशोधन क्षमता तथा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी निजी सम्पति प्रमाण पत्र की क्षमता जिला में आवेदित दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिए अवधारित लाइसेंस फीस की धनराशि से कम नही होगी।	(च) यह कि आवेदक ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र या किसी प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी निजी सम्पत्ति प्रमाण-पत्र का धारक हो एवं ऋणशोधन क्षमता तथा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी निजी सम्पति प्रमाण पत्र की क्षमता जिला में आवेदित दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिए अवधारित लाइसेंस फीस की धनराशि से कम नही होगी;
परन्तु नवीकरण की स्थिति में गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा प्राधिकृत किसी आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र, यदि यह विधिमान्य एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राहय होंगे।	परन्तु नवीकरण की स्थिति में गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा प्राधिकृत किसी आयकर मूल्यांकक **द्वारा** जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र, यदि यह विधिमान्य एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राहय होंगे।

6- नियम-9 का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-9 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
9-लाइसेंसधारी का चयन-	9-लाइसेंसधारी का चयन-
कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी, माडल शाप के लिए स्थान चिन्हित कर आबकारी आयुक्त से पूर्वानुमोदन प्राप्त कर जिला में प्रसार वाले समाचार पत्रों व अन्य ऐसे माध्यम जिन्हें वह उचित समझे द्वारा व्यापक प्रचार के पश्चात् आन लाइन आवेदन आमंत्रित करेगा। किसी क्षेत्र विशेष के लिए अनुज्ञापी का चयन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसे जिला स्तरीय समिति के माध्यम से किया जायेगा, जो निम्नानुसार हैः-	कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी, माडल शाप के लिए स्थान चिन्हित कर आबकारी आयुक्त से पूर्वानुमोदन प्राप्त कर जिला में प्रसार वाले समाचार/पत्रों व अन्य ऐसे माध्यम जिन्हें वह उचित समझे द्वारा व्यापक प्रचार के पश्चात् आन लाइन आवेदन आमंत्रित करेगा। किसी क्षेत्र विशेष के लिए **लाइसेंसधारी** का चयन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसे जिला स्तरीय समिति के माध्यम से किया जायेगा, जो निम्नानुसार हैः-

(एक)	जिले का कलेक्टर	अध्यक्ष
(दो)	जिले के पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामित एक अधिकारी, जो सहायक पुलिस आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो,	सदस्य
(तीन)	आबकारी आयुक्त द्वारा नामित आबकारी विभाग का एक राजपत्रित अधिकारी	सदस्य
(चार)	जिले का जिला आबकारी अधिकारी	सदस्य/ सचिव

(एक)	जिले का कलेक्टर	अध्यक्ष
(दो)	जिले के पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा **नामनिर्दिष्ट** एक अधिकारी, जो सहायक पुलिस आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो,	सदस्य
(तीन)	आबकारी आयुक्त द्वारा **नामनिर्दिष्ट** आबकारी विभाग का एक राजपत्रित अधिकारी	सदस्य
(चार)	जिले का जिला आबकारी अधिकारी	सदस्य/ सचिव

(क) (एक) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन दुकान के अनुज्ञापन का ऑनलाइन नवीनीकरण किया जा सकेगा।	(क) (एक) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन दुकान के **लाइसेंस** का ऑनलाइन नवीनीकरण किया जा सकेगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(दो) लाइसेंस का नवीनीकरण न होने की स्थिति में लाइसेंसधारियों का चयन आनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा यथा विहित ई-लाटरी अथवा ई-निविदा के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा। जिला आबकारी अधिकारी आनलाइन प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और समस्त पात्र एवं अपात्र आवेदनों की सूची तैयार करेगा, जिसमें अपात्रता के कारणों का उल्लेख होगा और यह सूची ई-लाटरी तथा ई-निविदा हेतु गठित लाइसेंस की जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।	(दो) लाइसेंस का नवीनीकरण न होने की स्थिति में लाइसेंसधारियों का चयन आनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा यथा विहित ई-लाटरी अथवा ई-निविदा के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा। जिला आबकारी अधिकारी आनलाइन प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और समस्त पात्र एवं अपात्र आवेदनों की सूची तैयार करेगा, जिसमें अपात्रता के कारणों का उल्लेख होगा और यह सूची ई-लाटरी तथा ई-निविदा हेतु गठित लाइसेंस की जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
(ख) उक्त समिति आवंटन हेतु पात्र एवं अपात्र आवेदकों को चिन्हित करेगी। ई-लॉटरी की स्थिति में पात्र आवेदकों में से प्रत्येक दुकान के लिये लाइसेंसधारी का चयन कम्प्यूटर चालित यादृच्छिक विन्यास के माध्यम से किया जायेगा। यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित नियम के अधीन विहित अनुक्रम के अनुसार देशी मदिरा, माडल शाप, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर दुकानों के क्रम में अपनायी जायेगी। ई-निविदा द्वारा लाइसेंसधारियों के चयन की स्थिति में भी उसी अनुक्रम का पालन किया जायेगा। किसी भी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण प्रदेश में सभी श्रेणी की देशी शराब, माडल शाप, विदेशी मदिरा, एवं बीयर की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी।	(ख) उक्त समिति आवंटन हेतु पात्र एवं अपात्र आवेदकों को चिन्हित करेगी। ई-लॉटरी की स्थिति में पात्र आवेदकों में से प्रत्येक दुकान के लिये लाइसेंसधारी का चयन कम्प्यूटर चालित यादृच्छिक विन्यास के माध्यम से किया जायेगा। यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित नियम के अधीन विहित अनुक्रम के अनुसार देशी मदिरा, माडल शाप, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर दुकानों के क्रम में अपनायी जायेगी। ई-निविदा द्वारा लाइसेंसधारियों के चयन की स्थिति में भी उसी अनुक्रम का पालन किया जायेगा। किसी भी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण प्रदेश में सभी श्रेणी की देशी शराब, माडल शाप, विदेशी मदिरा, एवं बीयर की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी।
परन्तु यह कि पूर्वोक्त निर्बंधन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार लाइसेंसो के नवीकरण एवं अनुज्ञापी की मृत्युकी दशा में विधिक वारिस के पक्ष में अनुज्ञापन के नामान्तरण से सम्बन्धित मामलों के लिए लागू नहीं होगा।	परन्तु यह कि पूर्वोक्त निर्बंधन **सीमा लाइसेंसधारी/ लाइसेंसधारियों की मृत्यु की स्थिति में नियम-8 (क) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार मृत लाइसेंसधारी /लाइसेंसधारियों के विधिक वारिस/परिवार के सदस्य/निकट सम्बन्धी के पक्ष में लाइसेंस नवीकरण और नामान्तरण से सम्बन्धित मामलों के लिए लागू नहीं होगा।**
परन्तु यह और भी कि किसी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण राज्य में दो या दो से अधिक दुकानों के नवीकरण होने की स्थिति में वह ई-लाटरी के माध्यम से अग्रतर दुकानों के चयन हेतु पात्र नहीं होगा।	परन्तु यह और भी कि किसी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण राज्य में दो या दो से अधिक दुकानों के नवीकरण होने की स्थिति में वह ई-लाटरी के माध्यम से अग्रतर दुकानों के चयन हेतु पात्र नहीं होगा।
(ग) यदि चयनित आवेदक लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकताए पूरी नहीं करेगा या नियत अवधि में दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहेगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन को निरस्त कर देगा और शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करेगा।	(ग) यदि चयनित आवेदक लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकताऐं पूरी नहीं करेगा या नियत अवधि में दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहेगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन को निरस्त कर देगा और शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करेगा।
(घ) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हो या ई-लाटरी के प्रथम चक्र में किसी दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा विहित प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल उपाय करेगा।	(घ) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हो या ई-लाटरी के प्रथम चक्र में किसी दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा विहित प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल उपाय करेगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
7- नियम-10 का संशोधन- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-	
10- लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान- यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रुप में चयनित किया जाता है तो अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयन होने की सूचना के दस कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के बीस कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दे। आवेदक द्वारा लाइसेंस फीस का समस्त भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा एवं प्रतिभूति धनराशि जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद/बैंक गारंटी के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी। परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत-पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।	10- लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान- यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रुप में चयनित किया जाता है तो अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयन होने की सूचना के दस कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के बीस कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दे। आवेदक द्वारा लाइसेंस फीस का समस्त भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा एवं प्रतिभूति धनराशि जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत **सावधि जमा रसीद** के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी: परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत-पत्र **अथवा बैंक गारंटी** के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।
अनुवर्ती वर्ष में दुकान का लाइसेंस, लाईसेंसधारी की इच्छा पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार नवीकृत किया जा सकेगा। नवीकरण हेतु लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति के अन्तर की धनराशि राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट निर्धारित अवधि में जमा की जायेगी। परन्तु, यदि वह विहित अवधि के भीतर लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा; परन्तु यह और कि ई लाटरी/ई टेण्डर के माध्यम से लाइसेंस व्यवस्थित होने की दशा में, उसकी धरोहर धनराशि तथा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि, यदि उसके द्वारा जमा की गयी है, तथा लाइसेंस के नवीकृत होने की दशा में उसकी गत वर्ष की जमा प्रतिभूति का 15 प्रतिशत तथा नवीकरण फीस व लाइसेंस फीस, यदि उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल सरकार द्वारा यथाविहित रीति से पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।	अनुवर्ती वर्ष में दुकान का लाइसेंस, लाईसेंसधारी की इच्छा पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार नवीकृत किया जा सकेगा। नवीकरण हेतु लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति के अन्तर की धनराशि राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट निर्धारित अवधि में जमा की जायेगी: परन्तु, यदि वह विहित अवधि के भीतर लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा; परन्तु यह और कि ई लाटरी/ई टेण्डर के माध्यम से लाइसेंस व्यवस्थित होने की दशा में, उसकी धरोहर धनराशि तथा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि, यदि उसके द्वारा जमा की गयी है, तथा लाइसेंस के नवीकृत होने की दशा में उसकी गत वर्ष की जमा प्रतिभूति का 15 प्रतिशत तथा नवीकरण फीस व लाइसेंस फीस, यदि उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल सरकार द्वारा यथाविहित रीति से पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
8- नियम-12 का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-12 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः-	
12. मदिरा/बीयर का उठान-	12. मदिरा/बीयर का उठान-
(क) इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी विदशी मदिरा और बियर के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित), जो समय-समय पर उद्ग्रहीत किये जाय, जमा करने के पश्चात् जिले के किसी थोक लाइसेंसधारी (वि0श0-2/2ख) से विदेशी मदिरा और बियर के समस्त प्रचलित रजिस्ट्रीकृत ब्राण्डों की पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि सम्बन्धित जिला में (वि0म0-2/वि0 म0-2 ख) लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक बिक्री लाइसेंस (वि0म0-2/वि0 म0-2 ख) से विदेशी शराब (वाइन सहित) और बीयर और कम तीव्रता के साथ मादक पेय के साथ आपूर्ति प्राप्त करेगा। किसी जिला में अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त कर 24 घण्टे के अन्दर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।	(क) इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी विदशी मदिरा और बियर के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित), जो समय-समय पर उद्ग्रहीत किये जाय, जमा करने के पश्चात् जिले के किसी थोक लाइसेंसधारी (वि0श0-2/2ख) से विदेशी मदिरा और बियर के समस्त प्रचलित रजिस्ट्रीकृत ब्राण्डों की पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि सम्बन्धित जिला में (वि0म0-2/वि0 म0-2 ख) लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक बिक्री लाइसेंस (वि0म0-2/वि0 म0-2 ख) से विदेशी शराब (वाइन सहित) और बीयर और कम तीव्रता के साथ मादक पेय के साथ आपूर्ति प्राप्त करेगा। किसी जिला में अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त कर 24 घण्टे के अन्दर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।
(ख) लाइसेंसधारी को, उपभोक्ताओं की मौसमी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ बाजार में नकली, आपूर्ति के किन्ही अवसरों को दूर करने हेतु स्थिर तथा निरन्तर गुणवत्ता को सुनश्चित करने के लिए लगातार विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0) का उठान करना अनिवार्य होगा। उसे निरन्तर, पोर्टल पर लिखित मॉगपत्र अथवा संदेश थोक विक्रेता को प्रस्तुत करना होगा।उपयुक्त अपेक्षाओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से लाइसेंसधारी को कम से कम गत वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में उठाई गयी अथवा प्रत्येक त्रैमास हेतु यथासंगणित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0) की मात्रा में सम्मिलित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य की विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0) की मात्रा का उठान करना बाध्यकारी होगा।	(ख) लाइसेंसधारी को, उपभोक्ताओं की मौसमी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ बाजार में नकली, आपूर्ति के किन्ही अवसरों को दूर करने हेतु स्थिर तथा निरन्तर गुणवत्ता को सुनश्चित करने के लिए लगातार विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0) का उठान करना अनिवार्य होगा। उसे निरन्तर, पोर्टल पर लिखित मॉगपत्र अथवा संदेश थोक विक्रेता को प्रस्तुत करना होगा। **उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लाइसेंसधारी को कम से कम शासन द्वारा विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0) काकिसी माह हेतु निर्धारित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य की विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0) की मात्रा का उठान करना बाध्यकारी होगा;**
(ग) (एक) यदि लाइसेंसधारी किसी त्रैमास में कम से कम अपने त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य मदिरा (विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय) (एल0ए0बी0) का उठान करने में विफल रहता है, तो अगले त्रैमास हेतु उठान रोक दी जायेगी।	(ग) (एक) यदि लाइसेंसधारी **किसी माह** में कम से कम अपने मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य मदिरा **(विदेशी मदिरा, बियर,** वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय) का उठान करने में विफल रहता है तो **उससे सम्बन्धित माह के बकाया राजस्व के समतुल्य 10 दिवस के भीतर अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करने की अपेक्षा की जायेगी, जिसमें विफल रहने पर लाइसेंस स्वतः निरस्त हो जायेगा और बकाया राजस्व की नियमानुसार वसूली की अग्रतर कार्यवाही आरम्भ की जायेगी। दुकान पर अविक्रीत स्टाक जब्त कर लिया जायेगा।**

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(दो) लाइसेंसधारी विलम्बमर्षण हेतु एवं उस त्रैमास के त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में कमी के समतुल्य मदिरा उठाने के लिए एक शपथ पत्र के साथ अनुरोध करेगा। विलम्बमर्षित किये जाने पर लाइसेंसधारी, त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में कमी के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करेगा।	(दो) **अतिरिक्त प्रतिभूति नियत समय के भीतर जमा करने और गत माह के मासिक** न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में कमी के **बराबर** मदिरा उठाने **में विलम्ब मर्षण के पश्चात् लाइसेंसधारी को गतमाह के बकाया राजस्व के साथ चालू माह के न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का उठान अनुमन्य होगा।**
(तीन) इस प्रकार जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति, अगले त्रैमास के त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व सहित गत त्रैमास में इस प्रकार हुयी कमी के बराबर मदिरा का उठान किये जाने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।	(तीन) इस प्रकार जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति, अगले **माह के मासिक** न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व सहित गत **माह** में इस प्रकार हुयी कमी के बराबर मदिरा का उठान किये जाने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।
(चार) यदि लाइसेंसधारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले एक या अधिक त्रैमासों की त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के बराबर मदिरा का उठान करने में विफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति एवं प्रतिभूति राजस्व की ऐसी कमी के सापेक्ष समायोजित कर ली जायेगी और शेष प्रतिभूति वापस कर दी जायेगी। यदि जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति और प्रतिभूति राजस्व में कमी के सापेक्ष समायोजन के लिए अपर्याप्त हो तो शेष राजस्व की वसूली उसी प्रकार से की जायेगी मानों यह भू-राजस्व का बकाया हो।	(चार) यदि लाइसेंसधारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले एक या अधिक **माह के मासिक** न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के बराबर मदिरा का उठान करने में विफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति एवं प्रतिभूति राजस्व की ऐसी कमी के सापेक्ष समायोजित कर ली जायेगी और शेष प्रतिभूति वापस कर दी जायेगी। यदि जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति और प्रतिभूति राजस्व में कमी के सापेक्ष समायोजन के लिए अपर्याप्त हो तो शेष राजस्व की वसूली उसी प्रकार से की जायेगी मानों यह भू-राजस्व का बकाया हो।
(घ) (एक) अपनी दुकान के त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व, जिसे वह उठाने में सक्षम न हो, अन्य दुकान अथवा दुकानों को अन्तरित करना चाहने वाले लाइसेंसधारी को, किसी आबकारी जिला के भीतर त्रैमासिक आधार पर ऐसे अंश (कोटा) का ऐसा अंतरण करने की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है।	(घ) (एक) अपनी दुकान के **मासिक** न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व **का आंशिक भाग**, जिसे वह उठाने में सक्षम न हो, अन्य दुकान अथवा दुकानों को अन्तरित करना चाहने वाले लाइसेंसधारी को, किसी आबकारी जिला के भीतर **मासिक** आधार पर ऐसे अंश (कोटा) का ऐसा अंतरण करने की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है।
(दो) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी, अंतरिती लाइसेंसधारी की सहमति से जिला के जिला आबकारी अधिकारी से अनुरोध करेगा। अंतरण की निबन्धनों का विनिश्चय, दोनों अंतरणकर्ता और अंतरिती लाइसेंसधारियों द्वारा पारस्परिक रुप से किया जायेगा।	(दो) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी, अंतरिती लाइसेंसधारी की सहमति से जिला के जिला आबकारी अधिकारी से अनुरोध करेगा। अंतरण की निबन्धनों का विनिश्चय, दोनों अंतरणकर्ता और अंतरिती लाइसेंसधारियों द्वारा पारस्परिक रुप से किया जायेगा।
(तीन) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के अनुरोध का अनुमोदन किये जाने पर उसके द्वारा अंतरित किये जाने हेतु करारकृत कोटा को उसके मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में से घटा दिया जायेगा और उसे उठा लिया गया समझा जायेगा तथा उसे अंतरिती लाइसेंधारी के लेखा में अंतरित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के रुप में जोड़ दिया जायेगा। यह मात्रा अंतरिती लाइसेंसधारी के मूल मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के अतिरिक्त होगी और उसका मूल कोटा उठाये जाने से सम्बन्धित उसका दायित्व प्रभावित नहीं होगा।	(तीन) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के अनुरोध का अनुमोदन किये जाने पर उसके द्वारा अंतरित किये जाने हेतु करारकृत कोटा को उसके **मासिक** न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में से घटा दिया जायेगा और उसे उठा लिया गया समझा जायेगा तथा उसे अंतरिती लाइसेंधारी के लेखा में अंतरित **मासिक** न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के रुप में जोड़ दिया जायेगा। यह मात्रा अंतरिती लाइसेंसधारी के मूल **मासिक** न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के अतिरिक्त होगी और उसका मूल कोटा उठाये जाने से सम्बन्धित उसका दायित्व प्रभावित नहीं होगा:
परन्तु यह कि इस उपबन्ध के अधीन अंतरित कुल कोटा, अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।	परन्तु यह कि इस उपबन्ध के अधीन अंतरित कुल कोटा, अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के **मासिक** न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
9- नियम 14 का संशोधन- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-14 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-	
14-बिक्री के घन्टे एवं दुकानों की बन्दी - अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेदकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गॉधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निश्चित तीन और दिवसों के अतिरिक्त, सभी दिवसों पर मध्यान्ह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक बिक्री के लिए खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए सम्बन्धित कानून के प्राविधानों के अधीन दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।	14- बिक्री के घन्टे एवं दुकानों की बन्दी--अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (**गॉधी** जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निश्चित तीन और दिवसों के अतिरिक्त, सभी दिवसों पर मध्यान्ह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक बिक्री के लिए खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए सम्बन्धित कानून के प्राविधानों के अधीन दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा: **परन्तु यह कि विशेष अवसरों पर कतिपय अवधि के लिए बिक्री के घंटों में, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे, परिवर्तन किया जा सकेगा।**

10- प्रपत्र एफ0एल0-4 (क) और एफ0एल0-4 (क) (1) का संशोधन- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये **विद्यमान** प्रपत्र एफ0एल0-4 (क) और एफ0एल0 -4 (क) (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये प्रपत्र रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-

वि0 म0-4 (क)
(माडल शॉप लाइसेंस के नवीकरण हेतु)

परिसर के बाहर/परिसर में उपभोग के लिए मुहरबन्द बोतलों में विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय और परिसर में ड्राट बीयर के फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस

आवेदक का फोटो | सहआवेदक का फोटो

दुकान का फोटो

दुकान का अक्षांश/ देशांतर.....
लाइसेंस संख्या.....वर्ष.....
दुकान का नाम.....जिला.....माडल शाप मोहल्ला.....लाइसेंस फीस रूपया.....(अंकों में).....(शब्दों में) प्रतिभूति धनराशि रू0.....(अंकों में).....(शब्दों में) भूगृहादि का विवरण
(चौहद्दी के साथ) .....

प्रपत्र वि0 म0-4 (क)
(माडल शॉप लाइसेंस के नवीकरण हेतु)

परिसर के बाहर/परिसर में उपभोग के लिए मुहरबन्द **कॉच और पेट बोतलों/असेप्टिक ब्रिक पैक** में विदेशी मदिरा/ बीयर/ वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय और परिसर में ड्राट बीयर के फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस

आवेदक का फोटो | सहआवेदक का फोटो

दुकान का फोटो

दुकान का अक्षांश/ देशांतर.....
लाइसेंस संख्या.....वर्ष.....
दुकान का नाम.....जिला.....माडल शाप मोहल्ला.....लाइसेंस फीस रूपया.....(अंकों में).....(शब्दों में) प्रतिभूति धनराशि रू0.....(अंकों में).....(शब्दों में) भूगृहादि का विवरण
(चौहद्दी के साथ) .....

वि0 म0-4 (क)
(माडल शॉप लाइसेंस के नवीकरण हेतु)

उत्तर:.....
दक्षिण:.....
पूरब:.....
पश्चिम:.....
लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते
(1).....पुत्र.....निवासी .....
(2).....पुत्र.....निवासी .....
(3).....पुत्र.....निवासी .....
(4).....पुत्र.....निवासी .....

परिसर के बाहर व परिसर में उपभोग के लिए मानक बोतलों/केन्स/टेट्रापैक में विदेशी मदिरा/ बीयर/ वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय परिसर के अंदर ड्राट बीयर वाइन की फुटकर बिक्री के लिए माडल शाप लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को जिला.....के अन्तर्गत.....
.....स्थान, पुलिस थाना.....,
तहसील.....के लिए दिनांक .....से 31 मार्च 20..... तक के लिए, जिसके लिए नियम-3 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गई है, प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उसमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध होने पर लाइसेंसधारी के लाइसेंस पर नियमावली के अनुसार प्रषमन/निलम्बन/ निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी और लाइसेंसधारक सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।

सामान्य और विशेष शर्ते

1-लाइसेंसधारी समय-समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस (अतिरिक्त प्रतिफल फीस सहित) तथा उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय जिसमें अन्य देशों से आयातित मदिरा सम्मिलित हो, की कीमत का पूर्ण भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से करने के पश्चात् जिले के विदेशी मदिरा थोक लाइसेंसधारक (वि0श0-2/2ख) लाइसेंस से विदेशी मदिरा/ वियर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि सम्बन्धित जिला में विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी) लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया जाता है तो लाइसेंसधारी को आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/ जिलों के थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी) से विदेशी मदिरा/ बीयर/वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति प्राप्त करनी होगी।

प्रपत्र वि0 म0-4 (क)
(माडल शॉप लाइसेंस के नवीकरण हेतु)

उत्तर:.....
दक्षिण:.....
पूरब:.....
पश्चिम:.....
लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते
(1).....पुत्र.....निवासी .....
(2).....पुत्र.....निवासी .....
(3).....पुत्र.....निवासी .....
(4).....पुत्र.....निवासी .....

परिसर के बाहर व परिसर में उपभोग के लिए मानक बोतलों में विदेशी मदिरा/ बीयर/ वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय एवंपरिसर के अंदर ड्राट बीयर वाइन की फुटकर बिक्री के लिए माडल शाप लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को जिला.....के अन्तर्गत.....
.....स्थान, पुलिस थाना.....,
तहसील.....के लिए दिनांक .....से 31 मार्च 20..... तक के लिए, जिसके लिए नियम-3 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गई है, प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उसमें से किसी का **अथवा इस नियमावली** का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध होने पर लाइसेंसधारी के लाइसेंस पर नियमावली के अनुसार प्रषमन/निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी और लाइसेंसधारक सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।

सामान्य और विशेष शर्ते

1-लाइसेंसधारी समय-समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस (अतिरिक्त प्रतिफल फीस सहित) तथा उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय जिसमें अन्य देशों से आयातित मदिरा सम्मिलित हो, की कीमत का पूर्ण भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से करने के पश्चात् जिले के विदेशी मदिरा थोक लाइसेंसधारक (वि0श0-2/2ख) लाइसेंस से विदेशी मदिरा/ वियर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि सम्बन्धित जिला में विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी) लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया जाता है तो लाइसेंसधारी को आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/ जिलों के थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी) से विदेशी मदिरा/ बीयर/वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति प्राप्त करनी होगी।

सामान्य और विशेष शर्तें

2-लाइसेंसधारी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।

3-विदेशी मदिरा /बियर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय की बोतलों/कैन्स/टेट्रा पैक्स के लेबुलों पर 1x1 सेंटीमीटर के दृष्य अक्षरों में तीव्रता एवं अधिकतम् फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम् फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।

4-लाइसेंस प्राप्त परिसर मे बिक्री परिसर के बाहर उपभोग के लिए व परिसर में उपभोग के लिए की जायेगी तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुसार दुकानों पर उपभोग किये जाने के बाद खाली हुई पेट/शीशे की बोतलों/कैन्स/टेट्रा पैक्स एवं उन पर प्रयुक्त ढक्कनों को नष्ट करके हटाने की जिम्मेदारी दुकान के विक्रेता/लाइसेंसधारी की होगी।

5-किसी भी व्यक्ति को 60 मि0ली0 की एक मानक निप बोतल से कम मात्रा की विक्री नहीं की जायेगी।

6-विहित तीव्रता और मानक क्षमता की मुहरबन्द बोतलों/कैन्स/टेट्रा पैक्स में बिक्री की जायेगी और जिन पर प्रतिफल फीस के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो। लाइसेंसधारी मदिरा पान की व्यवस्था भी रखेगा तथा गिलास, पानी, बर्फ, सोडा, स्नैक्स व विभिन्न खाद्य पदार्थ पका कर भी उपलब्ध करायेगा।

7-लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0-25क) में, जैसा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो, नियमित एवं सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा एवं उसका विभागीय वेबसाइट (www.upexcise.in) पोर्टल पर अपलोड करेगा तथा जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।

8-लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा/वाइन/बीयर/कम तीव्रता के मादक पेय के सम्पूर्ण स्टाक का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अधीन यथा विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी0ओ0एस0 (प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र अनुरक्षित रखने की अपेक्षा की जायेगी।

9-लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पदनाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाए भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः-

सामान्य और विशेष शर्तें

2-लाइसेंसधारी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा

3-विदेशी मदिरा/ बियर/ वाइन/ कम तीव्रता के मादक पेय **की मानक** बोतलों के लेबुलों पर **दायी ओर शीर्ष पर 1x1 सेंटीमीटर स्पष्ट दृश्यमान बोल्ड फांट में** तीव्रता एवं अधिकतम् फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम् फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।

4-लाइसेंस प्राप्त परिसर मे बिक्री परिसर के बाहर उपभोग के लिए व परिसर में उपभोग के लिए की जायेगी तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुसार दुकानों पर उपभोग किये जाने के बाद खाली हुई पेट/शीशे की बोतलों/कैन्स/**असेप्टिक ब्रिक पैक** एवं उन पर प्रयुक्त ढक्कनों को नष्ट करके हटाने की जिम्मेदारी दुकान के विक्रेता/लाइसेंसधारी की होगी।

5-किसी भी व्यक्ति को 60 मि0ली0 की एक मानक निप बोतल से कम मात्रा की विक्री नहीं की जायेगी।

6-विहित तीव्रता और मानक क्षमता की मुहरबन्द बोतलों/कैन्स/**असेप्टिक ब्रिक पैक** में बिक्री की जायेगी और जिन पर प्रतिफल फीस के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो। लाइसेंसधारी मदिरा पान की व्यवस्था भी रखेगा तथा गिलास, पानी, बर्फ, सोडा, स्नैक्स व विभिन्न खाद्य पदार्थ पका कर भी उपलब्ध करायेगा।

7-लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0-25क) में, जैसा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो, नियमित एवं सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा एवं उसका विभागीय वेबसाइट (www.upexciseportal.in) पोर्टल पर अपलोड करेगा तथा जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।

8-लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा/वाइन/बीयर/कम तीव्रता के मादक पेय के सम्पूर्ण स्टाक का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अधीन यथा विहित सुरक्षा कोड के अनुसार **मानक** बोतलों की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी0ओ0एस0 (प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र अनुरक्षित रखने की अपेक्षा की जायेगी।

9-लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पदनाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाए भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः-

सामान्य और विशेष शर्तें

'' > दुकान के बाहर, आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।

> शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें। ''

10-लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और/ या छुआ-छूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत विक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करेगा तथा जिसे निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11-लाइसेंसधारी किसी क्रेता को विदेशी मदिरा, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम (व्हाइट रम सहित), जिन, वोदका, वाइन, एल0ए0बी0 (कम तीव्रता के मादक पेय) और भारत में बोतल भराई की गयी और एक ही समय में पृथक-पृथक आयातित अन्य प्रकार की मदिरा की अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा में बिक्री किसी अनुज्ञा पत्र के बिना नहीं करेगा।

12-21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी को बिक्री नहीं की जायेगी।

13-लाइसेंसधारी के लिए किसी भी दशा में जो भी हो बोतलों या उसके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत लगा हुआ सुरक्षा कोड, पिल्फरप्रूफ मुहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा कड़ाई से निषिद्व है।

14-लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञापित परिसर में कोई भी दुग्ध, शर्करा (चाश्नी), रंग, सुगंधि, सुरक्षा कोड निर्मित करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर (हानिकर) सामग्री नहीं रखेगा।

15-परिसर जिसमें दुकान स्थित है, का उपयोग आवास के स्थान के रुप में लाइसेंसधारी/विक्रेता के सिवाय नहीं किया जायेगा।

16-लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने की दृष्टि से ग्राहक को प्रलोभन देने या आकर्षित करने जैसे द्यूत व नृत्य कार्यक्रम का आश्रय लेना कड़ाई से निषिद्ध है।

17-लाइसेंसप्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (अंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिन जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रियाकलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नही प्रदान किया जायेगा।

सामान्य और विशेष शर्तें

'' >दुकान के बाहर, आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।

>शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें। ''

10-लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और/ या छुआ-छूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को **राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित शुल्क के संदाय पर विक्रेताओं हेतु जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सम्यक रुप से जारी फोटोयुक्त नौकरनामा प्राप्त करना होगा** तथा जिसे निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11-लाइसेंसधारी किसी क्रेता को विदेशी मदिरा, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम (व्हाइट रम सहित), जिन, वोदका, वाइन, एल0ए0बी0 (कम तीव्रता के मादक पेय) और भारत में बोतल भराई की गयी और एक ही समय में पृथक-पृथक आयातित अन्य प्रकार की मदिरा की अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा में बिक्री किसी अनुज्ञा पत्र के बिना नहीं करेगा।

12-21वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी को बिक्री नहीं की जायेगी।

13-लाइसेंसधारीके लिए किसी भी दशा में जो भी हो बोतलों या उसके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत लगा हुआ सुरक्षा कोड, पिल्फरप्रूफ मुहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा कड़ाई से निषिद्ध है।

14-लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञापित परिसर में कोई भी दुग्ध, शर्करा (चाश्नी), रंग, सुगंधि, सुरक्षा कोड निर्मित करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर (हानिकर) सामग्री नहीं रखेगा।

15-परिसर जिसमें दुकान स्थित है, का उपयोग आवास के स्थान के रुप में लाइसेंसधारी/विक्रेता के सिवाय नहीं किया जायेगा।

16-लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने की दृष्टि से ग्राहक को प्रलोभन देने या आकर्षित करने जैसे द्यूत व नृत्य कार्यक्रम का आश्रय लेना कड़ाई से निषिद्ध है।

17-लाइसेंसप्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (अंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिन जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रियाकलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नही प्रदान किया जायेगा:

सामान्य और विशेष शर्तें

18-विदेशी मदिरा की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

19-लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टाक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-15 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।

20-लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य एवं विशेष निर्देशों का पालन करेगा।

21-माडल शॉप के परिसर में कोई देशी शराब भंडारित नहीं की जायेगी।

22-अनुज्ञापी अभिलेखों के रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा।

23-अनुज्ञापी अनुज्ञप्त परिसर में अग्निनिरोधक यंत्र/अग्निशमन यंत्र लगायेगा।

24-लाइसेंसधारी अपनी दुकान पर मदिरा बिक्री का कार्य करने के लिये विक्रेताओं की सूची जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिला आबकारी अधिकारी तद्नुसार निर्धारित प्रपत्र में नौकरनामा निर्गत करेगा।

दिनांक.....
जिला.....

वि0 म0-4 (क) (1)
(नवीन माडल शाप लाइसेंस हेतु)

परिसर के बाहर/परिसर में उपभोग के लिए मुहरबन्द बोतलों में विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय और परिसर में ड्राट बीयर के फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस

आवेदक का फोटो	दुकान का फोटो

दुकान का अक्षांश/देशातर.....
लाइसेंस संख्या.....जिला.....दुकान का नाम.....माडल शाप..... मोहल्ला .....
लाइसेंस फीस रूपया ..... (अंकों में) .....
(शब्दों में) प्रतिभूति धनराशि रू0 .... (अंकों में) .....
..... (शब्दों में) भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ)
.....

सामान्य और विशेष शर्तें

परन्तु यह कि विशेष अवसरों पर कतिपय अवधि के लिए बिक्री के घंटों में, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे, परिवर्तन किया जा सकेगा।

18-विदेशी मदिरा की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

19-लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टाक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-15 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।

20-लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य एवं विशेष निर्देशों का पालन करेगा।

21-माडल शॉप के परिसर में कोई देशी शराब भंडारित नहीं की जायेगी।

22-अनुज्ञापी अभिलेखों के रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा।

23-अनुज्ञापी अनुज्ञप्त परिसर में अग्निनिरोधक यंत्र/अग्निशमन यंत्र लगायेगा।

24-लाइसेंसधारी अपनी दुकान पर मदिरा बिक्री का कार्य करने के लिये विक्रेताओं की सूची जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिला आबकारी अधिकारी **तद्नुसार निश्चित फीस के संदाय के पश्चात् विहित** प्रपत्र में नौकरनामा निर्गत करेगा।

दिनांक.....
जिला.....
लाइसेंस प्राधिकारी

वि0 म0-4 (क) (1)
(नवीन माडल शाप लाइसेंस हेतु)

परिसर के बाहर/परिसर में उपभोग के लिए मुहरबन्द काँच और पेट बोतलों/असेप्टिक ब्रिक पैक में विदेशी मदिरा /बीयर /वाइन /कम तीव्रता के मादक पेय और परिसर में ड्राट बीयर के फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस

आवेदक का फोटो	दुकान का फोटो

दुकान का अक्षांश/देशातर.....
लाइसेंस संख्या.....जिला.....दुकान का नाम.....माडल शाप..... मोहल्ला .....
लाइसेंस फीस रूपया ..... (अंकों में) .....
(शब्दों में) प्रतिभूति धनराशि रू0 .... (अंकों में) .... (शब्दों में) भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ)
.....

वि0 म0-4 (क) (1)
(नवीन माडल शाप लाइसेंस हेतु)

उत्तर:.....
दक्षिण:.....
पूरब :.....
पश्चिम:.....
लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते
(1).....पुत्र..... निवासी
(2).....पुत्र.....निवासी
(3).....पुत्र..... निवासी
(4).....पुत्र..... निवासी

परिसर के बाहर व परिसर में उपभोग के लिए मानक बोतलों/केन्स/टेट्रापैक में विदेशी मदिरा/ बीयर/ वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय परिसर के अंदर ड्राट बीयर वाइन की फुटकर बिक्री के लिए माडल शाप लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को जिला.....
.....के अन्तर्गत.....
.....स्थान, पुलिस थाना.....,
तहसील..... के लिए दिनांक
..... से
31 मार्च 20..... तक के लिए, जिसके लिए नियम-3 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गई है, प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उसमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध होने पर लाइसेंसधारी के लाइसेंस पर नियमावली के अनुसार प्रशमन /निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी और लाइसेंसधारक सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।

वि0 म0-4 (क) (1)
(नवीन माडल शाप लाइसेंस हेतु)

उत्तर:.....
दक्षिण:.....
पूरब :.....
पश्चिम:.....
लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते
(1).....पुत्र..... निवासी
(2).....पुत्र.....निवासी
(3).....पुत्र..... निवासी
(4).....पुत्र..... निवासी

परिसर के बाहर व परिसर में उपभोग के लिए मानक बोतलों में विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय **एवं** परिसर के अंदर ड्राट बीयर वाइन की फुटकर बिक्री के लिए माडल शाप लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को जिला .....
के अन्तर्गत .....
..... स्थान, पुलिस थाना .....,
तहसील ..... के लिए
दिनांक ..... से
31 मार्च 20..... तक के लिए, जिसके लिए नियम-3 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गई है, प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उसमें से किसी का **अथवा इस नियमावली का** व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध होने पर लाइसेंसधारी के लाइसेंस पर नियमावली के अनुसार **प्रशमन**/निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी और लाइसेंसधारक सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।

सामान्य और विशेष शर्तें

1- लाइसेंसधारी समय-समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस (अतिरिक्त प्रतिफल फीस सहित) तथा उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय जिसमें अन्य देशों से आयातित मदिरा सम्मिलित हो, की कीमत का पूर्ण भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से करने के पश्चात् जिले के विदेशी मदिरा थोक लाइसेंसधारक (वि0श0-2/2ख) लाइसेंस से विदेशी मदिरा/ वियर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि सम्बन्धित जिला में विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी) लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया जाता है तो लाइसेंसधारी को आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/ जिलों के थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/विदेशी मदिरा-2बी) से विदेशी मदिरा/ बीयर/वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति प्राप्त करनी होगी।

2- लाइसेंसधारी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।

3- विदेशी मदिरा/बियर/वाइन/ कम तीव्रता के मादक पेय की बोतलों/कैन्स/टेट्रा पैक्स के लेबुलों पर 1x1 सेंटीमीटर के दृष्य अक्षरों में तीव्रता एवं अधिकतम् फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम् फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।

4- लाइसेंस प्राप्त परिसर मे बिक्री परिसर के बाहर उपभोग के लिए व परिसर में उपभोग के लिए की जायेगी तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुसार दुकानों पर उपभोग किये जाने के बाद खाली हुई पेट/शीशे की बोतलों/कैन्स/टेट्रा पैक्स एवं उन पर प्रयुक्त ढक्कनों को नष्ट करके हटाने की जिम्मेदारी दुकान के विक्रेता/लाइसेंसधारी की होगी।

5- किसी भी व्यक्ति को 60 मि0ली0 की एक मानक निप बोतल से कम मात्रा की विक्री नहीं की जायेगी।

6- विहित तीव्रता और मानक क्षमता की मुहरबन्द बोतलों/कैन्स/टेट्रा पैक्स में बिक्री की जायेगी और जिन पर प्रतिफल फीस के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो। लाइसेंसधारी मदिरा पान की व्यवस्था भी रखेगा तथा गिलास, पानी, बर्फ, सोडा, स्नैक्स व विभिन्न खाद्य पदार्थ पका कर भी उपलब्ध करायेगा।

7- लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0-25क) में, जैसा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो, नियमित एवं सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा एवं उसका विभागीय वेबसाइट (www.upexcise.in) पोर्टल पर अपलोड करेगा तथा जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।

सामान्य और विशेष शर्तें

1- लाइसेंसधारी समय-समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस (अतिरिक्त प्रतिफल फीस सहित) तथा उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय जिसमें अन्य देशों से आयातित मदिरा सम्मिलित हो, की कीमत का पूर्ण भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से करने के पश्चात् जिले के विदेशी मदिरा थोक लाइसेंसधारक (वि0श0-2/2ख) लाइसेंस से विदेशी मदिरा/ वियर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि सम्बन्धित जिला में विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी) लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया जाता है तो लाइसेंसधारी को आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/विदेशी मदिरा-2बी) से विदेशी मदिरा/बीयर/ वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति प्राप्त करनी होगी।

2- लाइसेंसधारी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।

3- विदेशी मदिरा/ बियर/ वाइन/ कम तीव्रता के मादक पेय **की मानक** बोतलों के लेबुलों पर **दायी ओर शीर्ष पर 1x1 सेंटीमीटर स्पष्ट दृश्यमान बोल्ड फांट में** तीव्रता एवं अधिकतम् फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम् फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।

4- लाइसेंस प्राप्त परिसर मे बिक्री परिसर के बाहर उपभोग के लिए व परिसर में उपभोग के लिए की जायेगी तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुसार दुकानों पर उपभोग किये जाने के बाद खाली हुई पेट/शीशे की बोतलों/कैन्स/**असेप्टिक ब्रिक पैक** एवं उन पर प्रयुक्त ढक्कनों को नष्ट करके हटाने की जिम्मेदारी दुकान के विक्रेता/लाइसेंसधारी की होगी।

5- किसी भी व्यक्ति को 60 मि0ली0 की एक मानक निप बोतल से कम मात्रा की विक्री नहीं की जायेगी।

6- विहित तीव्रता और मानक क्षमता की मुहरबन्द बोतलों/कैन्स/**असेप्टिक ब्रिक पैक** में बिक्री की जायेगी और जिन पर प्रतिफल फीस के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो। लाइसेंसधारी मदिरा पान की व्यवस्था भी रखेगा तथा गिलास, पानी, बर्फ, सोडा, स्नैक्स व विभिन्न खाद्य पदार्थ पका कर भी उपलब्ध करायेगा।

7- लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0-25 क) में, जैसा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो, नियमित एवं सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा एवं उसका विभागीय वेबसाइट(www.upexciseportal.in) पोर्टल पर अपलोड करेगा तथा जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।

सामान्य और विशेष शर्तें	सामान्य और विशेष शर्तें
8- लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा/वाइन/बीयर/कम तीव्रता के मादक पेय के सम्पूर्ण स्टाक का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अधीन यथा विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविनिर्दिश्ट पी0ओ0एस0 (प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र अनुरक्षित रखने की अपेक्षा की जायेगी।	8- लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा/वाइन/बीयर/कम तीव्रता के मादक पेय के सम्पूर्ण स्टाक का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अधीन यथा विहित सुरक्षा कोड के अनुसार **मानक** बोतलों की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी0ओ0एस0 (प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र अनुरक्षित रखने की अपेक्षा की जायेगी।
9- लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पदनाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाए भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः-	9- लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पदनाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाए भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः-
''> दुकान के बाहर, आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।	'' >दुकान के बाहर, आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।
>शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।''	>शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।''
10-लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और/ या छुआ-छूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत विक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करेगा तथा जिसे निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	10- लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और/या छुआ-छूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को **राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित शुल्क के संदाय पर विक्रेताओं हेतु जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त नौकरनामा प्राप्त करना होगा** तथा जिसे निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11-लाइसेंसधारी किसी क्रेता को विदेशी मदिरा, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम(व्हाइट रम सहित), जिन, वोदका, वाइन, एल0ए0बी0 (कम तीव्रता के मादक पेय) और भारत में बोतल भराई की गयी और एक ही समय में पृथक-पृथक आयातित अन्य प्रकार की मदिरा की अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा में बिक्री किसी अनुज्ञा पत्र के बिना नहीं करेगा।	11- लाइसेंसधारी किसी क्रेता को विदेशी मदिरा, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम(व्हाइट रम सहित), जिन, वोदका, वाइन, एल0ए0बी0 (कम तीव्रता के मादक पेय) और भारत में बोतल भराई की गयी और एक ही समय में पृथक-पृथक आयातित अन्य प्रकार की मदिरा की अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा में बिक्री किसी अनुज्ञा पत्र के बिना नहीं करेगा।

सामान्य और विशेष शर्तें	सामान्य और विशेष शर्तें
12- 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी को बिक्री नहीं की जायेगी।	12- 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी को बिक्री नहीं की जायेगी।
13-लाइसेंसधारी के लिए किसी भी दशा में जो भी हो बोतलों या उसके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत लगा हुआ सुरक्षा कोड, पिल्फरप्रूफ मुहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा कड़ाई से निषिद्व है।	13- लाइसेंसधारीके लिए किसी भी दशा में जो भी हो बोतलों या उसके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत लगा हुआ सुरक्षा कोड, पिल्फरप्रूफ मुहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा कड़ाई से निषिद्ध है।
14-लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञापित परिसर में कोई भी दुग्ध, शर्करा (चाश्नी), रंग, सुगंधि, सुरक्षा कोड निर्मित करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर (हानिकर) सामग्री नहीं रखेगा।	14- लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञापित परिसर में कोई भी दुग्ध, शर्करा (चाश्नी), रंग, सुगंधि, सुरक्षा कोड निर्मित करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर (हानिकर) सामग्री नहीं रखेगा।
15-परिसर जिसमें दुकान स्थित है, का उपयोग आवास के स्थान के रुप में लाइसेंसधारी/विक्रेता के सिवाय नहीं किया जायेगा।	15- परिसर जिसमें दुकान स्थित है, का उपयोग आवास के स्थान के रुप में लाइसेंसधारी/विक्रेता के सिवाय नहीं किया जायेगा।
16-लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने की दृष्टि से ग्राहक को प्रलोभन देने या आकर्षित करने जैसे द्यूत व नृत्य कार्यक्रम का आश्रय लेना कड़ाई से निषिद्ध है।	16- लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने की दृष्टि से ग्राहक को प्रलोभन देने या आकर्षित करने जैसे द्यूत व नृत्य कार्यक्रम का आश्रय लेना कड़ाई से निषिद्ध है।
17-लाइसेंसप्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (अंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिन जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रियाकलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नही प्रदान किया जायेगा।	17- लाइसेंसप्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (अंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिन जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रियाकलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नही प्रदान किया जायेगा: **परन्तु यह कि विशेष अवसरों पर कतिपय अवधि के लिए बिक्री के घंटों में, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे, परिवर्तन किया जा सकेगा।**
18-विदेशी मदिरा की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।	18- विदेशी मदिरा की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

सामान्य और विशेष शर्तें	सामान्य और विशेष शर्तें
19-लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टाक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-15 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।	19- लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टाक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-15 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।
20- लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य एवं विशेष निर्देशों का पालन करेगा।	20- लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य एवं विशेष निर्देशों का पालन करेगा।
21-माडल शॉप के परिसर में कोई देशी शराब भंडारित नहीं की जायेगी।	21- माडल शॉप के परिसर में कोई देशी शराब भंडारित नहीं की जायेगी।
22- अनुज्ञापी अभिलेखों के रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा।	22- अनुज्ञापी अभिलेखों के रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा।
23- अनुज्ञापी अनुज्ञप्त परिसर में अग्निनिरोधक यंत्र/अग्निशमन यंत्र लगायेगा।	23- अनुज्ञापी अनुज्ञप्त परिसर में अग्निनिरोधक यंत्र/अग्निशमन यंत्र लगायेगा।
24- लाइसेंसधारी अपनी दुकान पर मदिरा बिक्री का कार्य करने के लिये विक्रेताओं की सूची जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिला आबकारी अधिकारी तद्नुसार निर्धारित प्रपत्र में नौकरनामा निर्गत करेगा।	24- लाइसेंसधारी अपनी दुकान पर मदिरा बिक्री का कार्य करने के लिये विक्रेताओं की सूची जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिला आबकारी अधिकारी तद्नुसार **निश्चित फीस के संदाय के पश्चात् विहित** प्रपत्र में नौकरनामा निर्गत करेगा।
दिनांक ..... जिला..... लाइसेंस प्राधिकारी	दिनांक ..... जिला..... लाइसेंस प्राधिकारी

सेंथिल पांडियन सी0,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

No. 3570 /X-Licence-33/Model Shop Niyamawali/2023-24

Prayagraj, dated: July 21, 2023

NOTIFICATION

In exercise of the powers under sections 24-B and 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no-IV of 1910) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government hereby makes the following rules with a view to **amend** the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Retail Licences for Model Shop of Foreign Liquor) Rules,2003 published vide **N**otification no. 17951/X-Licence-33/F.L.Model Shop/2003-2004, dated September 03, 2003.

THE UTTAR PRADESH EXCISE (SETTLEMENT OF RETAIL LICENCES FOR MODEL SHOP OF FOREIGN LIQUOR) (SIXTEENTH AMENDMENT) RULES, 2023

1. Short title and commencement-(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Retail Licences for Model Shop of Foreign Liquor)(Sixteenth Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2023.

2. Amendment of Rule 2–In the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Retail Licences for Model Shop for Foreign Liquor) Rules, 2003, (hereinafter referred to as the "said rules") for rule-2 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II, shall be substituted, namely:-

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
2-Definition	2-Definition
(1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-	(1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-
(a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time;	(a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time;
(b) "Additional Consideration fee" means difference amount obtained as a result of rounding off the maximum retail price of foreign liquor and beer to the next multiple of 10 rupees, which shall be payable at Distillery/Brewery level and recoverable by distillery/ brewery from wholesale supplier in addition to Ex-Distillery Price/Ex-Brewery price and which in turn could be recovered by wholesale supplier from retail licensee in addition to maximum wholesale price;	(b) "Additional Consideration fee" means difference amount obtained as a result of rounding off the maximum retail price of foreign liquor and beer to the next multiple of 10 rupees, which shall be payable at Distillery/Brewery level and recoverable by distillery/ brewery from wholesale supplier in addition to Ex-Distillery Price/Ex-Brewery price and which in turn could be recovered by wholesale supplier from retail licensee in addition to maximum wholesale price;
(c) "consideration fee" means a fee for foreign liquor ,wine, beer and low alcoholic beverages as fixed by the State Government under section 30 of the Act, which shall be deposited in treasury by the licensee prior to supply of foreign liquor, wine, beer and low alcoholic beverages.	(c) "consideration fee" means a fee for foreign liquor ,wine, beer and low alcoholic beverages as fixed by the State Government under section 30 of the Act, which shall be deposited in treasury by the licensee prior to supply of foreign liquor, wine, beer and low alcoholic beverages**;**
(d) "Daily License Fee" means 1/365th part of the fixed license fee for the whole year;	(d) "Daily License Fee" means 1/365th part of the fixed license fee for the whole year;
(e) "Earnest money" means the amount equal to one-tenth of the amount of licence fee, to be tendered with application form, for ensuring the fulfillment of the eligibility conditions for the grant of license and is liable to be forfeited in case of default under provisions of rule-10 of these rules;	(e) "Earnest money" means the amount equal to one-tenth of the amount of licence fee, to be tendered with application form, for ensuring the fulfillment of the eligibility conditions for the grant of license and is liable to be forfeited in case of default under provisions of rule-10 of these rules;
(f) "Excise Year" means the financial year commencing from 1st April to 31st March of the next calendar year;	(f) "Excise Year" means the financial year commencing from 1st April to 31st March of the next calendar year;
(g) "Family" means and includes spouse (husband or wife), dependent son (s), unmarried daughter (s) and dependent parents;	(g) "Family" means and includes spouse (husband or wife), dependent son(s), unmarried daughter (s) and dependent parents;

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(h) "Foreign liquor" means and includes spirit or liquors imported into India or spirits or liquors made in India, and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour as liquor imported into India and includes Malt Spirit, Whisky, Rum, Brandy, Gin, Vodka, wine and Liqueurs and also includes draught beer, beer brewed in India and low alcoholic beverages (LAB);	(h) "Foreign liquor" means and includes spirit or liquors imported into India or spirits or liquors made in India, and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour as liquor imported into India and includes Malt Spirit, Whisky, Rum, Brandy, Gin, Vodka, wine and Liqueurs and also includes draught beer, beer brewed in India and low alcoholic beverages (LAB);
(i) "Form" means the form appended to these rules;	(i) "Form" means the form appended to these rules;
(j) "Hierarchy" means the earnest money of shops in the descending order purported to be the basis for the selection of licensee through the process of e/lottery;	(j) "Hierarchy" means the earnest money of shops in the descending order purported to be the basis for the selection of licensee through the process of e/lottery;
(k) "Individual" means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years;	(k) "Individual" means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years;
(l) "License fee" means a sum fixed in consideration of the grant of the license as body wise for exclusive privilege for selling of foreign liquor, beer, Wine and low alcoholic brewages in a Model Shop and for giving facilities of bar, additional license fee fixed from time to time shall also be included thereto. Provided that if such shop is settled/ re-settled during middle session for the remaining period of the year, then license fee for shop shall be determined in proportion to the remaining period of the excise year.	(l) "License fee" means a sum fixed in consideration of the grant of the license as body wise for exclusive privilege for selling of foreign liquor, beer, Wine and low alcoholic brewages in a Model Shop and for giving facilities of bar, additional license fee fixed from time to time shall also be included thereto**:** Provided that if such shop is settled/ re-settled during middle session for the remaining period of the year, then license fee for shop shall be determined in proportion to the remaining period of the excise year.
(m) "Licensing Authority" means the Collector of the District;	(m) "Licensing Authority" means the Collector of the District;
(n) "Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the terminal stage of its distribution;	(n) "Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the terminal stage of its distribution;
(o) "Quarterly Minimum Guaranteed Revenue" means the equivalent revenue from Foreign liquor, Beer, Wine and low alcoholic beverages as fixed by the licensing authority in accordance with the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner and guaranteed by the licensee to be lifted by him for his retail shop during a quarter of an Excise year for the purpose of retail sale.	(o) "**Monthly** Minimum Guaranteed Revenue" means the equivalent revenue from Foreign liquor, Beer, Wine and low alcoholic beverages as fixed by the licensing authority in accordance with the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner and guaranteed by the licensee to be lifted by him for his retail shop during a **month** of an Excise year for the purpose of retail sale.

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(p) "Security amount" means a amount as fixed by the State Government according to the licence fee to be deposited through Fixed Deposit Receipt /Bank Guarantee pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government. Provided, in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving certificate shall be acceptable till it is not refunded.	(p) "Security amount" means a amount as fixed by the State Government according to the licence fee to be deposited through **Fixed Deposit Receipt pledged in favor of** District Excise Officer or through e-payment refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government**:** Provided **that** in case of renewal security deposited **earlier through** cash/**e-payment** or through National Saving Certificate **or Bank Guarantee the same** shall be acceptable till it is not refunded**;**
(q) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of retail license;	(q) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of retail license;
(r) "State" means the State of Uttar Pradesh.	(r) "State" means the State of Uttar Pradesh**;**
(s) "Settlement" means settlement or re-settlement of shops through renewal, e-lottery or e-tender which may take place on any day of the week by giving prior notice and intimation through the newspaper and website of the excise department. The settlement of shops for the forthcoming year may also be done prior to the cessation of preceding financial year;	(s) "Settlement" means settlement or re-settlement of shops through renewal, e-lottery or e-tender which may take place on any day of the week by giving prior notice and intimation through the newspaper and website of the excise department. The settlement of shops for the forthcoming year may also be done prior to the cessation of preceding financial year**:**
(2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.	(2)Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3-Amendment of rule -4--In the said rules, for **the** existing rule 4 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
4 -Application for Model shop -	4 -Application for Model shop -
(a) Whenever a new licence is proposed to be granted in an area or locality, the Licensing Authority shall invite the applications for this purpose after giving wide publicity through, daily newspapers having foremost circulation in that area and website of the district as well as website of the Excise Department (www.upexcise.in).	(a) Whenever a new licence is proposed to be granted in an area or locality, the Licensing Authority shall invite the applications for this purpose after giving wide publicity through, daily newspapers having foremost circulation in that area and website of the district as well as website of the Excise Department **(www.upexciseportal.in)**.
(b) Model shops for which the Collector propose to grant licence shall be uploaded by District Excise Officer on shop master developed by N.I.C. along with a list exhibited shop-wise licence fee, security amount, and the earnest money at the Collector's office, Tehsil offices and the offices of the District Excise Officer and the Deputy Excise Commissioner of the charge. This information shall be displayed on the website of Excise Department (www.upexcise.in) along with the website of each District.	(b) Model shops for which the Collector propose to grant licence shall be uploaded by District Excise Officer on shop master developed by N.I.C. along with a list exhibited shop-wise licence fee, security amount, and the earnest money at the Collector's office, Tehsil offices and the offices of the District Excise Officer and the Deputy Excise Commissioner of the charge. This information shall be displayed on the website of Excise Department **(www.upexciseportal.in)**along with the website of each District.

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(c) Application for grant of license shall be submitted online as per time schedule advertised in newspapers. It shall be compulsory to upload a photocopy of :	(c) Application for grant of license shall be submitted online as per time schedule advertised in newspapers. It shall be compulsory to upload a photocopy of **:-**
(i) Solvency certificate, or certificate of own property issued by authorized Income Tax Valuer (ii) Aadhar Card, (iii) PAN Card, (iv) Photocopy of Income Tax return of the preceding year (v) Affidavit in the prescribed format (vi) Scanned copy of bank draft of earnest money which is issued in favour of District Excise Officer of the District of the concerned shop.	(i) Solvency certificate, or certificate of own property issued by authorized Income Tax Valuer **(ii) PAN Card,** (iii) Photocopy of Income **T**ax **R**eturn of the preceding year (iv) Affidavit in the prescribed format (v) Scanned copy of bank draft of earnest money which is issued in favour of District Excise Officer of the District of the concerned shop.
Payment of processing fee shall be made online at the rate as fixed by the State Government and Value Added Tax/Goods and Services Tax payable on the same.	Payment of processing fee shall be made online at the rate as fixed by the State Government and Value Added Tax/Goods and Services Tax payable on the same.
(d) The last date to be fixed for the receipt of application shall not be earlier than such number of days as stipulated, in advertisement in the newspaper and the website of Excise Department (www.upexcise.in).	(d) The last date to be fixed for the receipt of application shall not be earlier than such number of days as stipulated, in advertisement in the newspaper and the website of Excise Department (www.upexcise.in).

4- Amendment of rule 7- In the said rules, for **the** existing rule 7 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

7. Grant of license	7. Grant of license
The licence shall be granted on payment of licence fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through Fixed Deposit Receipt / Bank Guarantee pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment in accordance with the provisions of these rules.	The licence shall be granted on payment of licence fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through **Fixed Deposit Receipt pledged** in favor of District Excise Officer or through e-payment in accordance with the provisions of these **ru**les**:**
Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate shall be acceptable till it is not refunded. The licensee shall be required to furnish the solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer in original copy in the district from where it has been issued at the time of grant of licence.	Provided that in case of renewal security deposited **earlier** through cash/**e-payment** or through National Saving Certificate **or Bank Guarantee the same** shall be acceptable till it is not refunded. The licensee shall be required to furnish the solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer in original copy in the district from where it has been issued at the time of grant of licence.

5- Amendment of rule-8- In the said rules, for **the** existing rule-8 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
8-Eligibility conditions for applicant :-	8-Eligibility conditions for applicant :-
Eligible applicant for licence of a model shop must fulfill following conditions namely:	Eligible applicant for licence of a model shop must **fulfil** following conditions namely:
(a) Application by an individual who is a citizen of India. Provided, in case of renewal co-applicant , if any who is a citizen of India, shall also be allowed.	(a) Application by an individual who is a citizen of India**:** Provided **that** in case of renewal co-applicant, if any**,** who is a citizen of India, shall also be allowed.
No partnership firm or company shall be eligible for the grant of model shop. Likewise, Wholesaler or Distiller/ brewer manufacturer of liquor/beer shall also not be eligible for holding licence of any model shop.	No partnership firm or company shall be eligible for the grant of model shop. Likewise, Wholesaler or Distiller/ brewer manufacturer of liquor/beer shall also not be eligible for holding licence of any model shop.
No change in the status of applicant shall be allowed after allotment of shop. In case of death of licensee his legal heir if otherwise eligible, may continue to hold the license for the remaining period of the license.	No change in the status of applicant shall be allowed after allotment of shop. In case of death of licensee, **the names of legal heirs/family members/ close relatives mentioned as nominee in the nomination affidavit (if any) given by licencee shall be considered as per priority mentioned in the nomination affidavit, if otherwise not ineligible, to hold the license for the remaining period of the license.** **Provided that in the absence of any nomination affidavit of the deceased licensee, his legal heir, if otherwise eligible, may continue to hold the license for the remaining period of the license:**
Provided further that if a license is jointly held by two persons, in the event of death of either of them, the survivor along with the legal heir (s) of deceased if otherwise eligible, may continue to hold the license or in case of death of both persons their legal heir(s), if otherwise eligible may continue to hold the license. No distinction will be made between the legal liabilities of the two persons who will be jointly and severally responsible:	Provided further that if a **licence** is jointly held by two persons, in the event of death of either of them, the survivor along with the **nominee or legal heir of the deceased licensee, selected as above, if otherwise eligible, may continue to hold the license.** No distinction will be made between the legal liabilities of the two persons who will be jointly and severally responsible;
(b) be above twenty-one years of age on the first day of the period fixed for receiving application.	(b) be above twenty-one years of age on the first day of the period fixed for receiving application**;**
(c) not be a defaulter/ blacklisted or debarred from holding an excise license under the provisions or any rules made under the Act. Any person who has been convicted of any excise offence shall be automatically debarred from holding the license until and unless fully and finally acquitted by the competent court of law.	(c) not be a defaulter/ blacklisted or debarred from holding an excise license under the provisions or any rules made under the Act. Any person who has been convicted of any excise offence shall be automatically debarred from holding the license until and unless fully and finally acquitted by the competent court of law**;**

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(cc) The applicant shall be eligible to make only one application in his own name for any one shop. Provided, in case of renewal, applicant and co-applicant both shall be eligible and their mutual consent for renewal shall be essential.	(cc) The applicant shall be eligible to make only one application in his own name for any one shop. Provided, in case of renewal, applicant and co-applicant both shall be eligible and their mutual consent for renewal shall be essential**;**
(d) submit an affidavit duly verified by notary public as proof of the following namely;	(d) submit an affidavit duly verified by notary public as proof of the following**,** namely**:-**
(i) that he possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premises in that locality for opening the Model Shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop Rules, 1968 as amended from time to time.	(i) that he possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premises in that locality for opening the Model Shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop Rules, 1968 as amended from time to time**;**
(ii) that his proposed premises of the shop has not been constructed in violation of any law or rules.	(ii) that his proposed premises of the shop has not been constructed in violation of any law or rules**;**
(iii) That he and his family members possess good moral character and have no criminal background and have not been convicted of any offence punishable under United Provinces Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and nonbailable offence.	(iii) that he and his family members possess good moral character and have no criminal background and have not been convicted of any offence punishable under United Provinces Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and nonbailable offence**;**
(iv) That in case he is selected as licensee he will furnish a certificate issued by the District Collector or Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police of the concerned district or an officer not below the rank of assistant commissioner of police nominated by the police commissioner of the concerning police Commissionerate of which he is the resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record, prior to the issuance of licence.	(iv) that in case he is selected as licensee he will furnish a certificate issued by the District Collector or Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police of the concerned district or an officer not below the rank of **A**ssistant **C**ommissioner of **P**olice nominated by the **P**olice **C**ommissioner of the concerning **P**olice Commissionerate of which he is the resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record, prior to the issuance of licence**;**
(v) that he shall not employ any salesman or representative who has criminal background as mentioned in clause (iii) or, who suffers from any infectious contagious diseases or is below twenty-one years of age or a women. Licensee shall have to obtain Identity Cards bearing photographs of his authorized salesman / representative from District Excise Officer.	(v) that he shall not employ any salesman or representative who has criminal background as mentioned in clause (iii) or, who suffers from any infectious contagious diseases or is below twenty-one years of age or a **woman**. Licensee shall have to obtain **Naukarnama** bearing photographs of his authorized salesman/representative from District Excise Officer **on payment of fee as may be prescribed by the State Government from time to time;**
(vi) that he is not in arrear of any public dues or Government dues.	(vi) that he is not in arrear of any public dues or Government dues**;**

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(vii) That he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds for conducting the business, the details of which shall be made available to licensing authority if required.	(vii) That he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds for conducting the business, the details of which shall be made available to licensing authority if required**;**
(viii) That applicant is not an advocate registered with Bar Council. If he is found registered advocate after getting the license then the license shall be cancelled. An employee of the State Government shall also be ineligible to apply for the grant of license.	(viii) That applicant is not an advocate registered with Bar Council. If **it** is found **that he is a** registered advocate after getting the license**,** then the license shall be cancelled. An employee of the State Government shall also be ineligible to apply for the grant of license**;**
(ix)That In case of being selected as licensee, bank draft of earnest money which has been uploaded online along with application shall be deposited in the office of District Excise Officer within forty eight hours of such selection.	(ix) That In case of being selected as licensee, bank draft of earnest money which has been uploaded online along with application shall be deposited in the office of District Excise Officer within forty eight hours of such selection**;**
(x)That he has not made use of bank draft of earnest money for the application of any other shop in the same phase.	(x) That he has not made use of bank draft of earnest money for the application of any other shop in the same phase**;**
(e) The applicant shall upload a scanned copy of bank draft issued in favour of District Excise Officer of the district of concerned shop for earnest money, along with online application, as may be fixed by the Excise Commissioner with the prior sanction of the State Government. In case of selection as licensee, it shall be necessary to deposit bank draft of earnest money in the office of the concerned District Excise Officer within forty eight hours after selection, which shall be refunded to applicant after payment of all dues.	(e) **T**he applicant shall upload a scanned copy of bank draft issued in favour of District Excise Officer of the district of concerned shop for earnest money, along with online application, as may be fixed by the Excise Commissioner with the prior sanction of the State Government. In case of selection as licensee, it shall be necessary to deposit bank draft of earnest money in the office of the concerned District Excise Officer within forty eight hours after selection, which shall be refunded to applicant after payment of all dues.
(f) That he is holder of solvency or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer and the worth of solvency or certificate of owned property certificate issued by authorized Income Tax valuer shall be equivalent to an amount not less than the license fee determined for the grant of licence of the applied shop in the district: Provided, in case of renewal, solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized income Tax Valuer produced during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount .	(f) That he is holder of solvency or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer and the worth of solvency or certificate of owned property certificate issued by authorized Income Tax valuer shall be equivalent to an amount not less than the license fee determined for the grant of licence of the applied shop in the district: Provided **that** in case of renewal, solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized income Tax Valuer produced during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount .

6. Amendment of rule-9- In the said rules, for **the** existing rule-9 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column I

Existing rule

9.Selection of licensee-

The Collector/ Licensing Authority shall identify areas for model shops and after prior approval from Excise Commissioner invite online applications after giving wide publicity through news papers having circulation in the District and such other means which he may deem fit. Licensee for a particular area shall be selected among the eligible candidates by the District Level Committee which is as follows:-

(i)	The Collector of the District	Chairman
(ii)	The Senior Superintendent of Police / Superintendent of Police of the concerning district or an Officer not below the rank of Assistant Commissioner of Police nominated by the Police Commissioner of the concerning Police Commissionerate.	Member
(iii)	One Gazetted Officer of Excise Department nominated by the Excise Commissioner	Member
(iv)	The District Excise Officer of the District	Member/Secretary

(a) (i) Licenses of shops shall be renewed online under the terms and conditions as specified by the State Government.

(ii)In case of non-renewal, of licences, licensees shall be selected shop wise through the process of e-lottery or e-tender as specified by the State Government through inviting online applications. District Excise Officer shall scrutinize the applications received online and prepare list of all eligible and ineligible applications, describing the reasons of ineligibility and shall put up this list before the District Level Committee of Licensing constituted for e-lottery and e-tender.

(b)The said committee shall identify eligible and ineligible applicants. In case of e-lottery the licensee shall be selected for each shop from amongst the eligible applicants through the computer driven randomized arrangement. Randomization process shall be adopted in the order of country liquor, Model Shops, foreign liquor and beer shops as per prescribed hierarchy under respective rule. In case of selection of licensee through e-tender the same aforesaid sequence shall be adopted. Not more than two shops including all categories of country liquor, model shop, foreign liquor and beer shall be allotted in favour of an applicant in the entire State:

Column II

Rule as hereby substituted

9.Selection of licensee-

The Collector/ Licensing Authority shall identify areas for model shops and after prior approval from Excise Commissioner invite online applications after giving wide publicity through **news/papers** having circulation in the District and such other means which he may deem fit. Licensee for a particular area shall be selected among the eligible candidates by the District Level Committee which is as follows:-

(i)	The Collector of the District	Chairman
(ii)	The Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police of the concerning district or an Officer not below the rank of Assistant Commissioner of Police nominated by the Police Commissioner of the concerning PoliceCommissionerate.	Member
(iii)	One Gazetted Officer of Excise Department nominated by the Excise Commissioner	Member
(iv)	The District Excise Officer of the District	Member/Secretary

(a) (i) Licenses of shops shall be renewed online under the terms and conditions as specified by the State Government.

(ii) In case of non-renewal of licences, licensees shall be selected shop wise through the process of e-lottery or e-tender as specified by the State Government through inviting online applications. District Excise Officer shall scrutinize the applications received online and prepare list of all eligible and ineligible applications, describing the reasons of ineligibility and shall put up this list before the District Level Committee of Licensing constituted for e-lottery and e-tender.

(b)The said committee shall identify eligible and ineligible applicants. In case of e-lottery**,** the licensee shall be selected for each shop from amongst the eligible applicants through the computer driven randomized arrangement. Randomization process shall be adopted in the order of country liquor, Model Shops, foreign liquor and beer shops as per prescribed hierarchy under respective rule. In case of selection of licensee through e-tender the same aforesaid sequence shall be adopted. Not more than two shops including all categories of country liquor, model shop, foreign liquor and beer shall be allotted in favour of an applicant in the entire State:

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
Provided that the aforesaid restriction shall not be applicable to the matter related to renewal of licenses and mutation of licence in favor of legal heir in the event of death of licencee as per the criteria laid down by the State Government.	Provided that aforesaid restriction limit shall not be applicable to matter related to renewal and mutation of licences in favour of legal heir/**family member/close relative of deceased licencee/ licencees in the event of death of licencee/ licencees as per procedure mentioned in Rule-8(a):**
Provided also that in case of renewal of two or more shops in favour of any applicant in the entire State, he will be ineligible for selection of further shops through e- lottery.	Provided **further** that in case of renewal of two or more shops in favour of any applicant in the entire State, he will be ineligible for selection of further shops through e- lottery.
(c) In case the selected applicants does not deposit the required amount and does not fulfill the prescribed formalities or unable to arrange suitable premises for the shop within stipulated period, the Licensing authority shall cancel the allotment and take immediate necessary steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the Government.	(c) In case the selected applican**t** does not deposit the required amount and does not **fulfil** the prescribed formalities or **is** unable to arrange suitable premises for the shop within stipulated period, the Licensing authority shall cancel the allotment and take immediate necessary steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the Government.
(d) In case there is no application for a particular shop or no candidate is found suitable for a shop in first round of e/lottery the Licensing Authority shall take immediate steps for resettlement of the shop through the process prescribed by the Government.	(d) In case there is no application for a particular shop or no candidate is found suitable for a shop in first round of **e-lottery** the Licensing Authority shall take immediate steps for resettlement of the shop through the process prescribed by the Government.

7. Amendment of rule-10-- In the said rules, for existing rule 10 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
10. Deposit of license fee and Security amount- In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of licence fee within three working days of being intimated of his selection. He shall be required to deposit half of the security amount within ten working days of intimation of his selection, and balance of the security amount within twenty working days of intimation of his selection. Entire amount of license fee shall be deposited by the applicant preferably through E-payment, security amount will be deposited through Fixed Deposit Receipt/ Bank Guarantee pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment. Provided, in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate shall be acceptable till it is not refunded.	10.Deposit of license fee and Security amount- In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of licence fee within three working days of being intimated of his selection. He shall be required to deposit half of the security amount within ten working days of intimation of his selection, and balance of the security amount within twenty working days of intimation of his selection. Entire amount of license fee shall be deposited by the applicant preferably through E-payment, security amount will be deposited **through Fixed Deposit Receipt** pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment: Provided **that** in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate **or Bank Guarantee, the same** shall be acceptable till it is not refunded.

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
In subsequent year, the licence of the shop may be renewed on the desire of the licensee according to the parameter as fixed by the State Government, entire amount of license fee and difference of security shall be deposited for renewal within stipulated period as specified by the State Government.	In subsequent year, the licence of the shop may be renewed on the desire of the licensee according to the parameter as fixed by the State Government, entire amount of license fee and difference of security shall be deposited for renewal within stipulated period as specified by the State Government**:**
Provided, if he fails to deposit the amount of license fee and security amount within prescribed period, his selection shall stand cancelled;	Provided **that** if he fails to deposit the amount of license fee and security amount within prescribed period, his selection shall stand cancelled**:**
Provided further that in case of licence being settled through the e-lottery/ e-tender, his earnest money and license fee as well as the security amount, if deposited by him, and in case of licence being renewed, fifteen percent of security amount of last year along with renewal fee and licence fee, if deposited by him, shall also be forfeited in favour of State Government and the said shop shall be resettled forthwith, in manner as prescribed by the Government.	Provided further that in case of licence being settled through the e-lottery/e-tender, his earnest money and license fee as well as the security amount, if deposited by him, and in case of licence being renewed, fifteen percent of security amount of last year along with renewal fee and licence fee, if deposited by him, shall also be forfeited in favour of State Government and the said shop shall be resettled forthwith, in manner as prescribed by the Government

8. Amendment of rule-12-- In the said rules, for existing rule-12 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

12. Lifting of liquor/beer	12. Lifting of liquor/beer
(a)The licensee under these rules shall obtain sufficient supplies of all prevalent registered brands of foreign liquor/wine/beer/low alcoholic beverages from any wholesale license (F.L.2/FL-2B) of the Districts after making full payment of cost price of Foreign Liquor and beer including all Taxes, Consideration fee (including additional consideration fee) as levied from time to time. If the (F.L.2/FL-2B) license is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of foreign liquor including wine, beer and low alcoholic beverages from wholesale license (F.L.2/FL-2B) of other district/districts with prior permission of the Excise Commissioner. In case of insufficient supply of any district, district excise officer shall seek the orders from Excise Commissioner and ensure supply within twenty four hours.	(a)The licensee under these rules shall obtain sufficient supplies of all prevalent registered brands of foreign liquor/wine/beer/low alcoholic beverages from any wholesale license (F.L.2/FL-2B) of the Districts after making full payment of cost price of Foreign Liquor and beer including all Taxes, Consideration fee (including additional consideration fee) as levied from time to time. If the (F.L.2/FL-2B) license is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of foreign liquor including wine, beer and low alcoholic beverages from wholesale license (F.L.2/FL-2B) of other district/districts with prior permission of the Excise Commissioner. In case of insufficient supply of any district, district excise officer shall seek the orders from Excise Commissioner and ensure supply within twenty four hours.

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(b) "Licensee shall be under obligation to regularly lift Foreign Liquor, Beer, Wine and LAB to ensure steady and continuous quality supply as per the seasonal requirements of the customers as well as to remove any chances of spurious supplies in the market. He shall regularly place written indents on portal or messages to the wholesaler. In order to meet the above requirements the licensee shall be under obligation to lift in each quarter, Foreign Liquor, Beer, Wine and LAB at least equivalent to the consideration fee involved in the quantity of Foreign Liquor, Beer, Wine and LAB lifted in the preceding year or as calculated for each quarter."	(b) "Licensee shall be under obligation to regularly lift Foreign Liquor, Beer, Wine and LAB to ensure steady and continuous quality supply as per the seasonal requirements of the customers as well as to remove any chances of spurious supplies in the market. He shall regularly place written indents on portal or messages to the wholesaler. In order to meet the above requirements the licensee shall be under obligation to lift Foreign Liquor, Beer, Wine and LAB at least equivalent to the consideration fee involved in the quantity of Foreign Liquor, Beer, Wine and LAB **for** a **month fixed by government**;
(c) (i) Provided, In case the licensee fails to lift liquor (Foreign Liquor, Beer, Wine and LAB) at least equivalent to his Quarterly Minimum Guaranteed Revenue in a quarter, lifting for the next quarter shall be withheld.	(c) (i) In case the licensee fails to lift liquor (Foreign Liquor, Beer, Wine and LAB) at least equivalent to **fixed Monthly Minimum Guaranteed Revenue in a month, then he shall be expected to deposit the additional security equivalent to remaining part of revenue of concerned month within 10 days, failing which the licence shall stand cancelled automatically and further proceedings shall be initiated to recover the loss of revenue as per Rules. The unsold stock on the shop shall also be forfeited.**
(ii)The licensee shall make a request for condonation of delay and for lifting of liquor equivalent to the shortfall in Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of that quarter along with an affidavit. Upon condonation, the licensee shall deposit an additional security equivalent to the shortfall in Quarterly Minimum Guaranteed Revenue.	**(ii) After deposit of additional security made within the stipulated time and delay being condoned in lifting the shortfall in Monthly Minimum Guaranteed Revenue of previous month, licensee shall be allowed to lift the shortfall in revenue of previous month along with Minimum Guaranteed Revenue of the current month.**
(iii) Additional security so deposited shall be refunded after lifting of liquor equivalent to such short fall in previous quarter along with Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of the next quarter.	(iii) Additional security so deposited shall be refunded after lifting of liquor equivalent to such short fall in previous **month** along with **Monthly** Minimum Guaranteed Revenue of the next **month**.
(iv)In case licensee fails to lift liquor equivalent to the Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of one or more quarters before the end of financial year, then the additional security and security deposited by him shall be adjusted against such shortfall of revenue and the remaining security shall be refunded.	(iv In case licensee fails to lift liquor equivalent to the **Monthly** Minimum Guaranteed Revenue of one or more **months** before the end of financial year, then the additional security and security deposited by him shall be adjusted against such shortfall of revenue and the remaining security shall be refunded.

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
If the additional security and security deposited is insufficient for adjustment against the shortfall in revenue, the revenue remaining shall be recovered as if it were arrears of land revenue .	If the additional security and security deposited is insufficient for adjustment against the shortfall in revenue, the revenue remaining shall be recovered as if it were arrears of land revenue .
(d)(i)The licensee desiring to transfer Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of his shop, which he is not able to lift, to another shop or shops, may be allowed such transfer of such portion(quota) on quarterly basis, within an excise district.	(d)(i)The licensee desiring to transfer **a part of Monthly** Minimum Guaranteed Revenue of his shop, which he is not able to lift, to another shop or shops, may be allowed such transfer of such portion(quota) on **monthly** basis, within an excise district.
(ii)The transferor licensee shall make a request along with the consent of the transferee licensee to the District Excise Officer of the district. The terms of transfer shall be decided by both the transferor and transferee licensees mutually.	(ii)The transferor licensee shall make a request along with the consent of the transferee licensee to the District Excise Officer of the district. The terms of transfer shall be decided by both the transferor and transferee licensees mutually.
(iii)On approval of the request of the transferor licensee, the quota agreed upon to be transferred by him shall be deducted from his Quarterly Minimum Guaranteed Revenue and shall be deemed to have been lifted and it will be added as a transferred Quarterly Minimum Guaranteed Revenue in the account of the transferee licensee. This quantity will be over and above the original Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of the transferee licensee and his obligations regarding lifting of his original quota shall not be affected.	(iii) On approval of the request of the transferor licensee, the quota agreed upon to be transferred by him shall be deducted from his **Monthly** Minimum Guaranteed Revenue and shall be deemed to have been lifted and it will be added as a transferred **Monthly** Minimum Guaranteed Revenue in the account of the transferee licensee. This quantity will be over and above the original **Monthly** Minimum Guaranteed Revenue of the transferee licensee and his obligations regarding lifting of his original quota shall not be affected**:**
Provided that the total quota transferred under this provision shall not exceed 20% of the Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of the transferor licensee.	Provided that the total quota transferred under this provision shall not exceed 20% of the **Monthly** Minimum Guaranteed Revenue of the transferor licensee.

9. Amendment of rule-14--In the said rules, for existing rule-14 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

15- Hours of the sale and closure of shops-	15- Hours of the sale and closure of shops-
The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 p.m. except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) , and upto 3 more days as notified by the Licensing Authority, he may also order for closure of shop on account of law and order or General Election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds.	The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 p.m. except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) , and upto 3 more days as notified by the Licensing Authority. **He** may also order for closure of shop on account of law and order or General Election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds**:** **Provided that the sale hours may be changed on special occasions for certain duration as the State Government may deem fit.**

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*

10. Amendment of **Form** F.L.-4 (A) and F.L-4(A)(1)--In the said rules, for existing Forms F.L.-4 (A) and F.L-4(A)(1) set out in Column-I below, the **F**orms as **set out** in Column-II shall be substituted, namely:-

F.L.-4(A)
(FOR RENEWAL OF MODEL SHOP LICENCE)

License for the Retail Sale of Foreign Liquor/Beer/ Wine/LAB in sealed Bottles for consumption "on" and "off" the premises and Draught Beer on the premises

Photo of applicant	Photo of Shop

Latitude/Longitude of shop……...
License No……District……
Name of shop……Model.....Shop……
Locality……
License fee Rs……..(in figures)…… … (in words)
Security amount Rs…….(in figures)… ……(in words)

Description of premises (without boundaries)

North……South……
East……West……

Name, Father's Name & Address of Licensee(s)-
1…….s/o ……R/o……
2…….s/o ……R/o……

Form F.L.-4(A)
(FOR RENEWAL OF MODEL SHOP LICENCE)

License for the Retail Sale of Foreign Liquor/Beer/ Wine/LAB in sealed Glass and PET Bottles/ Aseptic Brick Pack for consumption "on" and "off" the premises and Draught Beer on the premises

Photo of applicant	Photo of Shop

Latitude/Longitude of shop……...
License No……District……
Name of shop……Model.....Shop……
Locality……
License fee Rs……..(in figures)…… … (in words)
Security amount Rs…….(in figures)… ……(in words)

Description of premises (without boundaries)

North……South……
East……West……

Name, Father's Name & Address of Licensee(s)-
1…….s/o ……R/o……
2…….s/o ……R/o……

F.L.-4(A)
(FOR RENEWAL OF MODEL SHOP LICENCE)

Model shop license for the retail sale of Foreign Liquor/Beer/Wine/LAB in standard Bottles/Cans /Tetrapack for consumption "off" and "on" the premises and draught beer on the premises is hereby granted to above license holder(s)….at……(place) in P.S. ……Tehsil ……. in the District of ……..w.e.f.……to March 31, 20……for which license fee and security fee and security deposit has been made in accordance with rule-3.

The license is subject to the following special & general conditions, the infraction of any which or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, the action of compound / suspension/ cancelation shall be done on licence of the licensee according to rules and shall make the licensee´s liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

General and special conditions

1.The licensee shall obtain supply of the foreign liquor/beer/wine/LAB including overseas imported liquor from the wholesale licensee (F.L.2/ F.L.-2B) of the district after making full payment of price of foreign liquor/ beer/wine/LAB including all taxes, consideration fee (including additional consideration fee), cess etc. leviable from time to time preferably through e-payment. If the F.L-.2/ F.L.-2B license is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of foreign liquor, beer, wine and low alcoholic beverages from wholesale licencee (F.L.-2/F.L.2B) of other district/ districts with prior permission of Excise Commissioner.

2. In case of insufficient supply, the licensee shall inform to the District Excise Officer, who shall obtain orders from Excise Commissioner.

3. Maximum retail price and strength will be printed in visible words of 1x1 centimeter on the label of bottles/cans/tetra packs of Foreign Liquor/ beer/ wine/LAB. The retail licensee shall not charge more than the printed M.R.P.

Form F.L.-4(A)
(FOR RENEWAL OF MODEL SHOP LICENCE)

Model shop license for the retail sale of Foreign Liquor/Beer/Wine/LAB in standard Bottles for consumption "off" and "on" the premises and draught beer on the premises is hereby granted to above license holder(s)….at…… ……(place) in P.S.… …….Tehsil …… …….in the District of…….w.e.f. …… …to March 31, 20……for which license fee and security fee and security deposit has been made in accordance with **R**ule-3.

The license is subject to the following special **and** general conditions, the **infraction of any which or this rule,** conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, the action of compound / suspension/ cancelation shall be done on licence of the licensee according to rules and shall make the licensee´s liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

General and special conditions

1.The licensee shall obtain supply of the foreign liquor/beer/wine/LAB including overseas imported liquor from the wholesale licensee (F.L.2/ F.L.-2B) of the district after making full payment of price of foreign liquor/ beer/wine/LAB including all taxes, consideration fee (including additional consideration fee), cess etc. leviable from time to time preferably through e-payment. If the F.L-.2/ F.L.-2B license is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of foreign liquor, beer, wine and low alcoholic beverages from wholesale licencee (F.L.-2/F.L.2B) of other district/ districts with prior permission of Excise Commissioner.

2. In case of insufficient supply, the licensee shall inform to the District Excise Officer, who shall obtain orders from Excise Commissioner.

3. Maximum retail price and strength will be printed in visible **bold font** of 1x1 centimeter **on the right top of labels of standard bottles** of Foreign Liquor/ beer/ wine/LAB. The retail licensee shall not charge more than the printed M.R.P.

General and special conditions

4. Sale at the licensed premises shall be made for consumption "off" and "on" the premises and licensee/salesman shall be responsible for disposing of remaining PET/glass bottles/cans/ /Tetrapack as well as capsules affixed upon them after being consumed at the shop as per the SWM Rules 2016.

5. No quantity less than one standard Nip bottle of 60Ml. of liquor shall be sold to any person. No. sale be made to a person below the age of 21 years.

6. The sale shall be made in sealed bottles/cans/Tetrapack of standard capacity and of prescribed strength and which is affixed with security code approved by Excise Department, as proof of payment of consideration fee. Licensee shall also keep arrangement for consumption of liquor and provide tumbler, water, ice, soda, snacks and other cooked edibles.

7. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25A), as prescribed by the Licensing Authority and the account register shall be uploaded on the (www.upexcise.in) portal of the department and produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.

8. The licensee shall store entire stock of Foreign Liquor/wine/beer/low alcoholic beverages in the licensed premises only. He shall be required to maintain P.O.S (Point Of Sale) equipment as specified for scanning of bottles as per prescribed security code under the Track and Trace System.

9. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed.

General and special conditions

4. Sale at the licensed premises shall be made for consumption "off" and "on" the premises and licensee/salesman shall be responsible for disposing of remaining PET/glass bottles/cans/ **Aseptic Brick Pack** as well as capsules affixed upon them after being consumed at the shop as per the SWM Rules 2016.

5. No quantity less than one standard Nip bottle of 60Ml. of liquor shall be sold to any person. No. sale be made to a person below the age of 21 years.

6. The sale shall be made in sealed bottles/cans/**Aseptic Brick Pack** of standard capacity and of prescribed strength and which is affixed with security code approved by Excise Department, as proof of payment of consideration fee. Licensee shall also keep arrangement for consumption of liquor and provide tumbler, water, ice, soda, snacks and other cooked edibles.

7. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25A), as prescribed by the Licensing Authority and the account register shall be uploaded on the (**www.upexciseportal.in**) portal of the department and produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.

8. The licensee shall store entire stock of Foreign Liquor/wine/beer/low alcoholic beverages in the licensed premises only. He shall be required to maintain P.O.S (Point Of Sale) equipment as specified for scanning of **standard** bottles as per prescribed security code under the Track and Trace System.

9. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed.

General and special conditions

The signboard will also display the following information :-

">Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable.

>Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive."

10.The licensee shall not employ any person as salesmen who is below 21 years of age or is suffering from any infectious and /or contagious diseases, or has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain identity cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.

11. Licensee shall not sell to any purchaser in quantity more than the notified quantities of foreign liquor inclusive of whisky, brandy, rum (including white rum), gin, vodka, wine, LAB and other kind of liquor bottled in India and imported separately at a time, except under a permit.

12. The sale should not be made to a person below the age of twenty-one years, Police personnel below the rank of sub inspector or to a soldier or a Government official in uniform.

13. The licensee is strictly forbidden from tampering with bottles, pilfer proof seals or their labels and security Code affixed under security System any pretext whatsoever.

14. The Licensee shall not keep in his licenced premises any spirit, caramel, colour, essence, security Code making apparatus lables capsules, seals or any other noxious material.

15. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen.

16. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales such as dancing floors or gambling.

General and special conditions

The signboard will also display the following information :-

">Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable.

>Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive."

10.The licensee shall not employ any person as salesmen who is below 21 years of age or is suffering from any infectious and /or contagious diseases, or has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain **Naukarnama** of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, **on payment of fee as may be prescribed by the State Government from time to time** which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.

11. Licensee shall not sell to any purchaser in quantity more than the notified quantities of foreign liquor inclusive of whisky, brandy, rum (including white rum), gin, vodka, wine, LAB and other kind of liquor bottled in India and imported separately at a time, except under a permit.

12. The sale should not be made to a person below the age of twenty-one years, Police personnel below the rank of sub inspector or to a soldier or a Government official in uniform.

13. The licensee is strictly forbidden from tampering with bottles, pilfer proof seals or their labels and security Code affixed under security System any pretext whatsoever.

14. The Licensee shall not keep in his licenced premises any spirit, caramel, colour, essence, security Code making apparatus lables capsules, seals or any other noxious material.

15. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen.

16. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales such as dancing floors or gambling.

General and special conditions	General and special conditions
17. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 pm except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions or relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above basis.	17. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 pm except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions or relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above basis: **Provided that the sale hours may be changed on special occasions for certain duration as the State Government may deem fit.**
18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of Foreign Liquor for which licence is granted.	18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of Foreign Liquor for which licence is granted.
19. The licensee shall on expiry of the licence, report to the District Excise officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with Section 15 of this Rule.	19. The licensee shall on expiry of the licence, report to the District Excise officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with Section 15 of this Rule.
20. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.	20. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.
21. No Country Liquor should be stored in Model Shop premises.	21. No Country Liquor should be stored in Model Shop premises.
22. The licensee shall appoint computer operator for the upkeep and maintenance of the records.	22. The licensee shall appoint computer operator for the upkeep and maintenance of the records.
23. The licensee shall install firefighting instrument/ fire extinguisher in the licensed premises.	23. The licensee shall install firefighting instrument/ fire extinguisher in the licensed premises.
24. The licensee shall submit the list of salesmen to the district excise officer for carrying out sale of liquor at his shop. The district excise officer shall issue Naukarnama in prescribed form accordingly	24. The licensee shall submit the list of salesmen to the district excise officer for carrying out sale of liquor at his shop. The district excise officer shall **accordingly** issue Naukarnama **in prescribed form after payment of fixed fee**.
Date…….. District…….	Date…….. District…….
Licensing Authority	Licensing Authority

F.L.-4(A)(1)
(FOR LICENCE OF NEW MODEL SHOP)

Licence for the Retail Sale of Foreign Liquor/Beer/ Wine/LAB in sealed Bottles for consumption "on" and "off" the premises and Draught Beer on the premises

Photo of applicant	Photo of Shop

Latitude/Longitude of shop……

License No……District……..

Name of shop……Model.....Shop… …

Locality……

License fee Rs…….(in figures)…....…(in words)

Security amount Rs…….(in figures)… ……(in words)

Description of premises (without boundaries)

North……South……

East……West……

Name, Father's Name & Address of Licensee(s)---

1…….s/o ……R/o……

2…….s/o ……R/o……

Model shop license for the retail sale of Foreign Liquor/Beer/Wine/LAB in standard Bottles/Cans//Tetrapack for consumption "off" and "on" the premises and draught beer on the premises is hereby granted to above license holder(s) ….at……(place) in P.S. ……..Tehsil ……. in the District of ……..w.e.f. ……to March 31, 20……for which license fee and security fee and security deposit has been made in accordance with rule-3.

The license is subject to the following special & general conditions, the infraction of any which or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, the action of compound / suspension/ cancelation shall be done on licence of the licensee according to rules and shall make the licensee´s liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

Form F.L.-4(A)(1)
(FOR LICENCE OF NEW MODEL SHOP)

Licence for the Retail Sale of Foreign Liquor/Beer/ Wine/LAB in sealed **Glass and PET Bottles/ Aseptic Brick Pack** for consumption "on" and "off" the premises and Draught Beer on the premises

Photo of applicant	Photo of Shop

Latitude/Longitude of shop……..

License No……District……

Name of shop……Model.....Shop……

Locality……

License fee Rs…….(in figures)……..…(in words)

Security amount Rs….(in figures)……(in words)

Description of premises (without boundaries)

North……South……

East……West……

Name, Father's Name & Address of Licensee(s)---

1…….s/o ……R/o……

2…….s/o ……R/o……

Model shop license for the retail sale of Foreign Liquor/Beer/Wine/LAB in standard Bottles for consumption "off" and "on" the premises and draught beer on the premises is hereby granted to above license holder(s)….at…… ……(place) in P.S.… ……..Tehsil …… ……in the District of…….w.e.f. …… …to March 31, 20……for which license fee and security fee and security deposit has been made in accordance with rule-3.

The license is subject to the following special **and** general conditions, the **infraction of any which or this rule,** conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, the action of compound / suspension/ cancelation shall be done on licence of the licensee according to rules and shall make the licensee´s liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

General and special conditions

1. The licensee shall obtain supply of the foreign liquor/beer/wine/LAB including overseas imported liquor from the wholesale licensee (F.L.2/ F.L.-2B) of the district after making full payment of price of foreign liquor/ beer/wine/LAB including all taxes, consideration fee (including additional consideration fee), cess etc. leviable from time to time preferably through e-payment. If the F.L-.2/ F.L.-2B license is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of foreign liquor, beer, wine and low alcoholic beverages from wholesale licencee (F.L.-2/F.L.2B) of other district/ districts with prior permission of Excise Commissioner.

2. In case of insufficient supply, the licensee shall inform to the District Excise Officer, who shall obtain orders from Excise Commissioner.

3. Maximum retail price and strength will be printed in visible words of 1x1 centimeter on the label of bottles/cans/tetra packs of Foreign Liquor/ beer/ wine/LAB. The retail licensee shall not charge more than the printed M.R.P.

4. Sale at the licensed premises shall be made for consumption "off" and "on" the premises and licensee/salesman shall be responsible for disposing of remaining PET/glass bottles/cans/ /Tetrapack as well as capsules affixed upon them after being consumed at the shop as per the SWM Rules 2016.

5. No quantity less than one standard Nip bottle of 60Ml. of liquor shall be sold to any person. No. sale be made to a person below the age of 21 years.

6. The sale shall be made in sealed bottles/cans//Tetrapack of standard capacity and of prescribed strength and which is affixed with security code approved by Excise Department, as proof of payment of consideration fee. Licensee shall also keep arrangement for consumption of liquor and provide tumbler, water, ice, soda, snacks and other cooked edibles.

General and special conditions

1. The licensee shall obtain supply of the foreign liquor/beer/wine/LAB including overseas imported liquor from the wholesale licensee (F.L.2/ F.L.-2B) of the district after making full payment of price of foreign liquor/ beer/wine/LAB including all taxes, consideration fee (including additional consideration fee), cess etc. leviable from time to time preferably through e-payment. If the F.L-.2/ F.L.-2B license is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of foreign liquor, beer, wine and low alcoholic beverages from wholesale licencee (F.L.-2/F.L.2B) of other district/ districts with prior permission of Excise Commissioner.

2. In case of insufficient supply, the licensee shall inform to the District Excise Officer, who shall obtain orders from Excise Commissioner.

3. Maximum retail price and strength will be printed in visible **bold font** of 1x1 centimeter **on the right top of labels of standard bottles** of Foreign Liquor/ beer/ wine/LAB. The retail licensee shall not charge more than the printed M.R.P.

4. Sale at the licensed premises shall be made for consumption "off" and "on" the premises and licensee/salesman shall be responsible for disposing of remaining PET/glass bottles/cans/**Aseptic Brick Pack** as well as capsules affixed upon them after being consumed at the shop as per the SWM Rules 2016.

5. No quantity less than one standard Nip bottle of 60Ml. of liquor shall be sold to any person. No. sale be made to a person below the age of 21 years.

6. The sale shall be made in sealed bottles/cans/**Aseptic Brick Pack** of standard capacity and of prescribed strength and which is affixed with security code approved by Excise Department, as proof of payment of consideration fee. Licensee shall also keep arrangement for consumption of liquor and provide tumbler, water, ice, soda, snacks and other cooked edibles.

General and special conditions	General and special conditions
7. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25A), as prescribed by the Licensing Authority and the account register shall be uploaded on the (www.upexcise.in) portal of the department and produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.	7. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25A), as prescribed by the Licensing Authority and the account register shall be uploaded on the **(www.upexciseportal.in)** portal of the department and produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.
8. The licensee shall store entire stock of Foreign Liquor/wine/beer/low alcoholic beverages in the licensed premises only. He shall be required to maintain P.O.S (Point Of Sale) equipment as specified for scanning of bottles as per prescribed security code under the Track and Trace System.	8. The licensee shall store entire stock of Foreign Liquor/wine/beer/low alcoholic beverages in the licensed premises only. He shall be required to maintain P.O.S (Point Of Sale) equipment as specified for scanning of **standard** bottles as per prescribed security code under the Track and Trace System.
9. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed.	9. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed.
The signboard will also display the following information :-	The signboard will also display the following information :-
">Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable.	">Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable.
>Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive."	>Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive."
10. The licensee shall not employ any person as salesmen who is below 21 years of age or is suffering from any infectious and /or contagious diseases, or has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain identity cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.	10. The licensee shall not employ any person as **salesman** who is below 21 years of age or is suffering from any infectious and /or contagious diseases, or has criminal background or **is** a woman. The Licensee shall have to obtain **Naukarnama** of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, **on payment of fee as may be prescribed by the State Government from time to time** which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.

General and special conditions

11. Licensee shall not sell to any purchaser in quantity more than the notified quantities of foreign liquor inclusive of whisky, brandy, rum (including white rum), gin, vodka, wine, LAB and other kind of liquor bottled in India and imported separately at a time, except under a permit.

12. The sale should not be made to a person below the age of twenty-one years, Police personnel below the rank of sub inspector or to a soldier or a Government official in uniform.

13. The licensee is strictly forbidden from tampering with bottles, pilfer proof seals or their labels and security Code affixed under security System any pretext whatsoever.

14. The Licensee shall not keep in his licenced premises any spirit, caramel, colour, essence, security Code making apparatus lables capsules, seals or any other noxious material.

15. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen.

16. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales such as dancing floors or gambling.

17. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 pm except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions or relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above basis.

General and special conditions

11. Licensee shall not sell to any purchaser in quantity more than the notified quantities of foreign liquor inclusive of whisky, brandy, rum (including white rum), gin, vodka, wine, LAB and other kind of liquor bottled in India and imported separately at a time, except under a permit.

12. The sale should not be made to a person below the age of twenty-one years, Police personnel below the rank of sub inspector or to a soldier or a Government official in uniform.

13. The licensee is strictly forbidden from tampering with bottles, pilfer proof seals or their labels and security Code affixed under security System any pretext whatsoever.

14. The Licensee shall not keep in his licenced premises any spirit, caramel, colour, essence, security Code making apparatus lables capsules, seals or any other noxious material.

15. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen.

16. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales such as dancing floors or gambling.

17. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 pm except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions or relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above basis:

Provided that the sale hours may be changed on special occasions for certain duration as the State Government may deem fit.

General and special conditions

18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of Foreign Liquor for which licence is granted.

19. The licensee shall on expiry of the licence, report to the District Excise officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with Section 15 of this Rule.

20. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.

21. No Country Liquor should be stored in Model Shop premises.

22. The licensee shall appoint computer operator for the upkeep and maintenance of the records.

23. The licensee shall install firefighting instrument/ fire extinguisher in the licensed premises.

24. The licensee shall submit the list of salesmen to the district excise officer for carrying out sale of liquor at his shop. The district excise officer shall issue Naukarnama in prescribed form accordingly.

Date……..
District…….

Licensing Authority

General and special conditions

18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of Foreign Liquor for which licence is granted.

19. The licensee shall on expiry of the licence, report to the District Excise officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with Section 15 of this Rule.

20. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.

21. No Country Liquor should be stored in Model Shop premises.

22. The licensee shall appoint computer operator for the upkeep and maintenance of the records.

23. The licensee shall install firefighting instrument/ fire extinguisher in the licensed premises.

24. The licensee shall submit the list of salesmen to the district excise officer for carrying out sale of liquor at his shop. The district excise officer shall **accordingly** issue Naukarnama in prescribed form after **payment of prescribed fees.**

Date……
District…….

Licensing Authority

SENTHIL PANDIAN C.,
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

पी0एस0यू0पी0-5 असाधारण गजट-24.07.2023-127 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।

क्रम-संख्या–159(क–1)

रजिस्टर्ड नं० एल० डब्ल्यू०/एन०पी० 561
लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, सोमवार, 03 अक्टूबर, 2023 ई0

(आश्विन 11, 1945 शक संवत्)

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या-6034/दस-लाइसेंस-40/बी0डब्लू0एफ0एल0-2 नियमावली /2023-2024

प्रयागराज, दिनांक 03 अक्टूबर, 2023 ई0

अधिसूचना

सा0प0नि0–38

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उक्त अधिनियम सन् 1910 की धारा 18 के खण्ड(घ) के अधीन **नियत लाइसेंस फीस** पर विदेशी मदिरा के बंधित गोदाम के लाइसेंस देने के लिए उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा बंधित गोदाम के लाइसेंसो का व्यवस्थापन) नियमावली, 2011 में संशोधन करने की दृष्टि से **एतद्वारा** निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा बंधित गोदाम के लाइसेंसों का व्यवस्थापन)
(नवम् संशोधन) नियमावली, 2023

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा बंधित गोदाम के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) (**नवम्** संशोधन) नियमावली, **2023** कही जायेगी;

(2) यह दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. नियम-3-का संशोधन– उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा बंधित गोदाम के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2011 (जिसे आगे"उक्त नियमावली" कहा गया है) में, नीचे स्तम्भ-1 में, दिए गए विद्यमान नियम-3 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
3-लाइसेंस की स्वीकृति-	3-लाइसेंस की स्वीकृति-
(1) आबकारी आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जो संयुक्त आबकारी आयुक्त से निम्न श्रेणी का न हो, के द्वारा विदेशी मदिरा के बंधित गोदाम के लिये विदेशी मदिरा के थोक विक्रय का लाइसेंस निर्धारित संलग्न प्रारूप (बी0 डब्लू0 एफ0 एल0-2ए, बी0 डब्लू0 एफ0 एल0-2बी, बी0 डब्लू0 एफ0 एल0-2सी, बी0 डब्लू0 एफ0 एल0-2डी) लाइसेंस शुल्क का भुगतान किये जाने, प्रतिभूति धनराशि जमा किये जाने और आबकारी आयुक्त के पक्ष में प्रपत्र बी0 डब्ल्यू0 एफ0 एल0-3 में सामान्य बन्ध-पत्र निष्पादित किये जाने पर स्वीकृत/ नवीकृत किया जायेगा।	(1) आबकारी आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जो संयुक्त आबकारी आयुक्त से निम्न श्रेणी का न हो, के द्वारा विदेशी मदिरा के बंधित गोदाम के लिये विदेशी मदिरा के थोक विक्रय का लाइसेंस निर्धारित संलग्न प्रारूप (बी0 डब्लू0 एफ0 एल0-2ए, बी0 डब्लू0 एफ0 एल0-2बी, बी0 डब्लू0 एफ0 एल0-2सी, बी0 डब्लू0 एफ0 एल0-2डी) लाइसेंस शुल्क का भुगतान किये जाने, प्रतिभूति धनराशि जमा किये जाने और आबकारी आयुक्त के पक्ष में प्रपत्र बी0 डब्ल्यू0 एफ0 एल0-3 में सामान्य बन्ध-पत्र निष्पादित किये जाने पर स्वीकृत/ नवीकृत किया जायेगा: **परन्तु यह कि रुपये तीन हजार से अधिक एम.आर.पी. (प्रति बोतल) वाले भारत निर्मित विदेशी मदिरा के स्कॉच एवं सिंगल माल्ट ब्राण्डों की बिक्री हेतु बी0डब्लू0एफ0एल0-2एए लाइसेंस, राज्य सरकार द्वारा यथानियत लाइसेंस फीस जमा करने पर जारी किये जायेगें। यह लाइसेंस ऐसे व्यक्तियों/फर्मों/कम्पनियों को दिये जायेगें, जिनके पास सम्बन्धित उत्पादकों के प्राधिकार पत्र होगें। इस प्रकार के लाइसेंस में सभी प्रकारों सहित अधिकतम कुल पाँच ब्राण्डों की बिक्री की अनुमति दी जायेगी।**
(2) विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय के थोक विक्रय के लिये विदेशी मदिरा के बंधित गोदाम का लाइसेंस, लाइसेंस प्राप्त अन्य राज्यों की आसवनियों, यवासवनियों, द्राक्षासवनियों को दिया जायेगा। अन्य राज्य के बाटलिंग प्लान्ट का लाइसेंसधारक भी लाइसेंस के लिये अर्ह होगा परन्तु ऐसे लाइसेंसधारक की बाटलिंग इकाई निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करती हो:-	(2) विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय के थोक विक्रय के लिये विदेशी मदिरा के बंधित गोदाम का लाइसेंस, लाइसेंस प्राप्त अन्य राज्यों की आसवनियों, यवासवनियों, द्राक्षासवनियों को दिया जायेगा। अन्य राज्य के बाटलिंग प्लान्ट का लाइसेंसधारक भी लाइसेंस के लिये अर्ह होगा परन्तु ऐसे लाइसेंसधारक की बाटलिंग इकाई निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करती हो:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(एक) बाटलिंग इकाई की वार्षिक कारबार व्यापारावर्त रुपये 100 करोड़ (राजस्व/ आबकारी शुल्क सहित) से कम न हो;	(एक) बाटलिंग इकाई की वार्षिक कारबार व्यापारावर्त रुपये 100 करोड़ (राजस्व/ आबकारी शुल्क सहित) से कम न हो;
(दो) बाटलिंग इकाई की वार्षिक उत्पादन क्षमता, पाँच लाख केसेस से कम न हो;	(दो) बाटलिंग इकाई की वार्षिक उत्पादन क्षमता, **पाँच** लाख केसेस से कम न हो;
(तीन) बाटलिंग इकाई का कारबार कम से कम 03 राज्यों में हो, जिसमें प्रत्येक की जनसंख्या एक करोड़ से कम न हो;	(तीन) बाटलिंग इकाई का कारबार कम से कम 03 राज्यों में हो, जिसमें प्रत्येक की जनसंख्या एक करोड़ से कम न हो;
(3) लाइसेंस की स्वीकृति हेतु आवेदन प्रपत्र बी0डबलू0 एफ0एल0-1 में किया जायेगा। यदि राज्य के बाहर की कोई इकाई विभिन्न जिलों में बाण्ड लेना चाहे तो प्रत्येक जिले हेतु पृथक-पृथक लाइसेंस फीस प्रभारित की जायेगी ।	(3) लाइसेंस की स्वीकृति हेतु आवेदन प्रपत्र बी0डबलू0एफ0एल0-1 में किया जायेगा। यदि राज्य के बाहर की कोई इकाई विभिन्न जिलों में बाण्ड लेना चाहे तो प्रत्येक जिले हेतु पृथक-पृथक लाइसेंस फीस प्रभारित की जायेगी ।
(4) प्रतिभूति धनराशि आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से निर्धारित की जायेगी, जो आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद/बैंक गारंटी के रूप में अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी ।	(4) प्रतिभूति धनराशि आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से निर्धारित की जायेगी, जो आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत **सावधि जमा रसीद** के रूप में अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी ।
(5) लाइसेंस फीस, लाइसेंसधारी द्वारा ई-पेमेन्ट के माध्यम से सरकारी कोषागार में या राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट, जो आबकारी आयुक्त को संदेय हो, जमा की जायेगी।	(5) **लाइसेंस फीस, लाइसेंसधारी द्वारा ई-पेमेन्ट के माध्यम से सरकारी कोषागार में जमा की जायेगी।**
(6) लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके आंशिक भाग के लिए होगी, जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत किया गया हो।	(6) लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके आंशिक भाग के लिए होगी, जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत किया गया हो।
(7) लाइसेंसधारी को लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित करने अथवा उप-पट्टे पर देने की अनुमति नहीं होगी।	(7) लाइसेंसधारी को लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित करने अथवा उप-पट्टे पर देने की अनुमति नहीं होगी।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(8) राज्य के बाहर की कोई इकाई, जिसकी अन्य राज्यों में कई इकाईयां हो,जो उत्तर प्रदेश में बाण्ड लाइसेंस लेकर अपनी विभिन्न इकाईयों एवं राज्य में स्थित अपने एफ0एल0-1 और एफ0एल0-1ए लाइसेंसों को सम्मिलित करते हुए एक मास्टर वेयर हाउस से इकाईयों से विनिर्मित आई0 एम0 एफ0 एल0/ बीयर/ वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री एक ही परिसर से करना चाहती हों, को प्रत्येक इकाई के लिये विहित लाइसेंस फीस प्रभारित करने के पश्चात् अनुमति प्रदान की जायेगी।	(8) राज्य के बाहर की कोई इकाई, जिसकी अन्य राज्यों में कई इकाईयां हो,जो उत्तर प्रदेश में बाण्ड लाइसेंस लेकर अपनी विभिन्न इकाईयों एवं राज्य में स्थित अपने एफ0एल0-1 और एफ0एल0-1ए लाइसेंसों को सम्मिलित करते हुए एक मास्टर वेयर हाउस से इकाईयों से विनिर्मित आई0 एम0 एफ0 एल0/ बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री एक ही परिसर से करना चाहती हों, को प्रत्येक इकाई के लिये विहित लाइसेंस फीस प्रभारित करने के पश्चात् अनुमति प्रदान की जायेगी।
परन्तु यह कि विभिन्न इकाईयों के पारेषण,उन परिसरों में पृथक-पृथक भण्डारित किये जायेगेः	परन्तु यह कि विभिन्न इकाईयों के पारेषण, उन परिसरों में पृथक-पृथक भण्डारित किये जायेगेः
परन्तु यह और कि प्रपत्र वि0म0-2 एवं वि0म0-2ख में लाइसेंसधारण करने व कोई थोक लाइसेंसधारक, एकल मांग पत्र के अन्तर्गत भारत निर्मित विदेशी मदिरा/ बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय के विभिन्न ब्राण्डों की आपूर्ति ऐसे मास्टर वेयरहाउस से प्राप्त कर सकता है।	परन्तु यह और कि प्रपत्र वि0म0-2 एवं वि0म0-2ख में लाइसेंसधारण करने व कोई थोक लाइसेंसधारक, एकल मांग पत्र के अन्तर्गत भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/ कम तीव्रता के मादक पेय के विभिन्न ब्राण्डों की आपूर्ति ऐसे मास्टर वेयरहाउस से प्राप्त कर सकता है।
प्रपत्र बी0 डब्लू0 एफ0 एल0-2ए, बी0 डब्लू0 एफ0 एल0-2बी, बी0 डब्लू0 एफ0 एल0-2सी एवं बी0 डब्लू0 एफ0 एल0-2डी एवं मास्टर वेयरहाउस में लाइसेंस का नवीकरण, आबकारी आयुक्त अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा विहित निबन्धन एवं शर्तों के अध्यधीन कर सकता है।	प्रपत्र बी0 डब्लू0 एफ0 एल0-2ए, **बी0 डब्लू0 एफ0 एल0-2एए,** बी0 डब्लू0 एफ0 एल0-2बी, बी0 डब्लू0 एफ0 एल0-2सी, बी0 डब्लू0 एफ0 एल0-2डी, एवं मास्टर वेयरहाउस में लाइसेंस का नवीकरण, आबकारी आयुक्त अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा विहित निबन्धन एवं शर्तों के अध्यधीन कर सकता है।
(9) नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र/गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।	(9) नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र/गिरवीकृत सावधि जमा रसीद/**बैंक गारंटी** के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।
	(10) राज्य के बाहर की कोई इकाई, जिसकी अन्य राज्यों में कई इकाइयाँ/बाटलिंग इकाइयाँ हो, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के एक जिला/विभिन्न जिलों में बाण्ड लाइसेंस प्राप्त किये गये हो, उनके लेबुलों एवं एम.आर.पी. का अनुमोदन उत्पादक/बाटलिंग इकाई द्वारा बाण्डवार कराया जायेगा।

3-नियम-5 का संशोधन–उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
5. विदेशी शराब की प्राप्ति- विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन व कम तीव्रता का मादक पेय, उत्तर प्रदेश के बाहर की अपनी आसवनी, यवासवनी, द्राक्षसवनी या बंधित गोदाम से बन्ध पत्र के लाइसेंसधारक द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जिसके लिए नियमावली के अधीन लाइसेंसधारक को अपने जिले से सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी या सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त द्वारा परमिट निर्धारित संलग्न प्रारुप एफ॰ एल॰ 22 प्रपत्र पर जारी किया गया हो।	5. विदेशी शराब की प्राप्ति- विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन व कम तीव्रता **के** मादक पेय, उत्तर प्रदेश के बाहर की अपनी आसवनी, यवासवनी, द्राक्षसवनी या **बॉटलिंग इकाई** से बन्ध पत्र के लाइसेंसधारक द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जिसके लिए नियमावली के अधीन लाइसेंसधारक को अपने जिले से सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी या सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त द्वारा परमिट निर्धारित संलग्न प्रारुप एफ॰एल॰22 प्रपत्र पर जारी किया गया हो।

4-नियम-6 का संशोधन–उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
6. बंधित गोदाम में विदेशी शराब का आयात	6. बंधित गोदाम में विदेशी शराब का आयात
(1) बी0 डब्लू**0** एफ0 एल0-2ए, बी0 डब्लू0 एफ0 एल0-2बी, बी0 डब्लू0 एफ0 एल0-2सी, या बी0 डब्लू0 एफ0 एल0-2डी के प्रपत्र में लाइसेंस धारक, कोई व्यक्ति आयातित जिला के कलेक्टर को आयात के लिये निम्न विवरण विर्निदिष्ट करते हुये एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगाः-	(1) बी0 डब्लू0 एफ0 एल0-2ए, **बी**0 **डब्लू**0 **एफ**0 **एल**0-2**एए** बी0 डब्लू0 एफ0 एल0-2बी, बी0 डब्लू0 एफ0 एल0-2सी, या बी0 डब्लू0 एफ0 एल0-2डी के प्रपत्र में लाइसेंस धारक, कोई व्यक्ति आयातित जिला के कलेक्टर को आयात के लिये निम्न विवरण विर्निदिष्ट करते हुये एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगाः-
(एक) भारत में निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय के आयात की जाने वाली ब्राण्डवार मात्रा का विवरण;	(एक) भारत में निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय के आयात की जाने वाली ब्राण्डवार मात्रा का विवरण;
(दो) आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन व कम तीव्रता के मादक पेय के प्रत्येक ब्राण्ड का पंजीयन संख्या तथा अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य और आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा लेबुल अनुमोदन का प्रमाण-पत्र;	(दो) आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन व कम तीव्रता के मादक पेय के प्रत्येक ब्राण्ड का पंजीयन संख्या तथा अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य और आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा लेबुल अनुमोदन का प्रमाण-पत्र;

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(तीन) आसवनी, यवासवनी, द्राक्षासवनी या बंधित गोदाम के नाम जहाँ से विदेशी मदिरा, बीयर वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय की श्रेणी और प्रत्येक ब्राण्ड के बल्क लीटरों और बोतलों/कैंन्स के विवरण के साथ, आयात किया जाना है;	(तीन) आसवनी, यवासवनी, द्राक्षासवनी या **बॉटलिंग इकाई** के नाम जहाँ से विदेशी मदिरा, बीयर वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय की श्रेणी और प्रत्येक ब्राण्ड के बल्क लीटरों और बोतलों/कैंन्स के विवरण के साथ, आयात किया जाना है;
(चार) लाइसेंस धारक द्वारा जमा किये गये आयात परमिट शुल्क एवं प्रतिफल शुल्क के साथ समस्त प्रकार के देयों आदि का प्रमाण और साथ ही जमाकर्ता की प्रति का मूल चालान;	(चार) लाइसेंस धारक द्वारा जमा किये गये आयात परमिट शुल्क एवं प्रतिफल शुल्क के साथ समस्त प्रकार के देयों आदि का प्रमाण और साथ ही जमाकर्ता की प्रति का मूल चालान;
(पाँच) परेषण का मार्ग और उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित प्रवेश बिन्दु का नाम और दिनांक, जिसके द्वारा परेषण बंधित गोदाम तक पहुचेगा।	(पाँच) परेषण का मार्ग और उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित प्रवेश बिन्दु का नाम और दिनांक, जिसके द्वारा परेषण बंधित गोदाम तक पहुचेगा।
(2) जिलाधिकारी या जिला आबकारी अधिकारी यदि अन्यथा कोई कारण विपरीत न हो तो एफ0एल0-22 प्रारूप में चार प्रतियों में आयात परमिट तैयार करेगा। प्रथम प्रति आयात करने वाले लाइसेंस धारक को दे दी जायेगी, दूसरी प्रति निर्यात करने वाली आसवनी/यवासवनी/द्राक्षासवनी या बंधित गोदाम के आबकारी अधिकारी को तत्काल प्रेषित की जायेगी। तृतीय प्रति राज्य के प्रवेश बिन्दु के सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी को प्रेषित की जायेगी और चौथी प्रति परेषण के पहुचने पर सत्यापन व अभिलेखार्थ रखी जायेगी। परमिट की प्रविष्टि आयात के रजिस्टर में भी की जायेगी और परमिट की वैधता परमिट में विर्निदिष्ट दिनांक तक मानी जायेगी।	(2) जिलाधिकारी या जिला आबकारी अधिकारी यदि अन्यथा कोई कारण विपरीत न हो तो एफ0एल0-22 प्रारूप में चार प्रतियों में आयात परमिट तैयार करेगा। प्रथम प्रति आयात करने वाले लाइसेंस धारक को दे दी जायेगी, दूसरी प्रति निर्यात करने वाली आसवनी/यवासवनी/द्राक्षासवनी या बंधित गोदाम के आबकारी अधिकारी को तत्काल प्रेषित की जायेगी। तृतीय प्रति राज्य के प्रवेश बिन्दु के सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी को प्रेषित की जायेगी और चौथी प्रति परेषण के पहुँचने पर सत्यापन व अभिलेखार्थ रखी जायेगी। परमिट की प्रविष्टि आयात के रजिस्टर में भी की जायेगी और परमिट की वैधता परमिट में विर्निदिष्ट दिनांक तक मानी जायेगी।

5-नियम-7 का संशोधन–उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-7 के स्थान पर स्तम्भ-2में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
7- मदिरा की प्राप्ति - बंधित गोदाम में कोई भी मदिरा तब तक प्राप्त नहीं की जायेगी, जब तक निर्यात या परिवहन करने वाली आसवनी, यवासवनी, द्राक्षसवनी या बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी किया गया पास साथ न हो।	7- मदिरा की प्राप्ति- बंधित गोदाम में कोई भी मदिरा तब तक प्राप्त नहीं की जायेगी, जब तक निर्यात या परिवहन करने वाली आसवनी, यवासवनी, द्राक्षसवनी या **बॉटलिंग इकाई** के प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी किया गया पास साथ न हो।

6-नियम-8 का संशोधन– उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
8 –मदिरा का सत्यापन- बंधित गोदाम में किसी परेषण के पहुँचने पर तुरन्त ही प्रभारी अधिकारी को सूचित किया जायेगा और जब तक कि प्रभारी अधिकारी द्वारा उसकी जाँच तथा सत्यापन, पास से न कर लिया जाये तथा उसके परिणाम को उस प्रयोजनार्थ अनुरक्षित रजिस्टर बी0 डब्लू0 एफ0 एल0-4 में तथा उस निर्यात पास जिसके अन्तर्गत ऐसा परेषण आया हो, पर भी अंकित न कर दिया जाय, तब तक परेषण बंधित गोदाम के भण्डारागार में संचित नहीं किया जायेगा। परेषण की प्राप्ति से सम्बन्धित प्रविष्टियों तथा प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर सहित पास की एक प्रति उस अधिकारी को जिसने पास जारी किया हो, तुरन्त वापस कर दी जायेगी और प्रविष्टियों के साथ दूसरी प्रति बंधित गोदाम के अभिलेख के लिये रखी जायेगी।	8 –मदिरा का सत्यापन- बंधित गोदाम में किसी परेषण के पहुँचने पर तुरन्त ही प्रभारी अधिकारी को सूचित किया जायेगा और जब तक कि प्रभारी अधिकारी द्वारा उसकी जाँच तथा सत्यापन, पास से न कर लिया जाये तथा उसके परिणाम को उस प्रयोजनार्थ अनुरक्षित रजिस्टर बी0 डब्लू0 एफ0 एल0-4 में तथा उस निर्यात पास जिसके अन्तर्गत ऐसा परेषण आया हो, पर भी अंकित न कर दिया जाय, तब तक परेषण बंधित गोदाम के भण्डारागार में संचित नहीं किया जायेगा। परेषण की प्राप्ति से सम्बन्धित प्रविष्टियों तथा प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर सहित पास की एक प्रति उस अधिकारी को जिसने पास जारी किया हो, तुरन्त वापस कर दी जायेगी और प्रविष्टियों के साथ दूसरी प्रति बंधित गोदाम के अभिलेख के लिये रखी जायेगी। **परेषण से सम्बन्धित प्रविष्टियों को उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग द्वारा यथा विहित पोर्टल पर भरा जायेगा।**

7-नियम-10 का संशोधन– उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
10.मदिरा का संग्रह- जब तक आबकारी आयुक्त अन्यथा आदेश न दें समस्त शराब बंधित गोदाम में सील बन्द कॉच की बोतलों /कैन्स/टेट्रापैक में संग्रहण की जायेगी।	10. मदिरा का संग्रह- जब तक आबकारी आयुक्त अन्यथा आदेश न दें समस्त शराब बंधित गोदाम में सील बन्द कॉच की बोतलों /कैन्स/टेट्रापैक में संग्रहण की जायेगी। **परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा यथाविहित फीस जमा करने पर अगले वर्ष की विक्री के लिये विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन औऱ कम तीव्रता के मादक पेय के अग्रिम संग्रह हेतु बांड लाइसेंसो पर अस्थायी गोदाम परिसर देने की अनुज्ञा आबकारी आयुक्त द्वारा दी जा सकती है।**

8-नियम-11 का संशोधन– उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-11 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम-11 गोदाम से निकासी-	नियम-11 गोदाम से निकासी-
(1) बंधित गोदाम से कोई भी शराब की निकासी तब तक नहीं की जायेगी, जब तक उस पर निर्धारित दर पर प्रतिफल शुल्क का भुगतान न कर दिया गया हो तथा आबकारी विभाग **द्वारा** अनुमोदित सुरक्षा कोड मदिरा की बोतलों/पेटियों पर न लगाये गये हो।	(1) बंधित गोदाम से कोई भी शराब की निकासी तब तक नहीं की जायेगी, जब तक उस पर निर्धारित दर पर प्रतिफल शुल्क का भुगतान न कर दिया गया हो तथा आबकारी विभाग **द्वारा** अनुमोदित सुरक्षा कोड मदिरा की बोतलों/पेटियों पर न लगाये गये हो।
(2) परिवहन को शासित करने वाले नियमों के अनुसार राज्य में किसी अन्य बंधित गोदाम को विदेशी शराब की निकासी जी.पी.एस. सिस्टम(ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम) में वाहनों से ही की जा सकती है।	(2) परिवहन को शासित करने वाले नियमों के अनुसार राज्य में किसी अन्य बंधित गोदाम को विदेशी शराब की निकासी जी.पी.एस. सिस्टम(ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम) में वाहनों से ही की जा सकती है।
(3) बंधित शराब गोदाम से राज्य के एफ0एल0-2 व एफ0एल0-2बी थोक विक्रेताओं को प्रतिफल शुल्क के भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से करने पर निकासी दी जायेगी। बंधित गोदाम से मदिरा की निकासी का लेखा प्रपत्र बी0डब्ल्यू0एफ0एल0-6 रजिस्टर में रखा जायेगा और आबकारी विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। आवेदनपत्र- प्रपत्र बी0डब्ल्यू0एफ0एल0-5 में मदिरा की श्रेणी के अनुसार निर्धारित प्रतिफल फीस जमा होने के प्रमाण स्वरुप ई-ट्रेजरी चालान के साथ प्रस्तुत करने पर निकासी दी जायेगी।	(3) बंधित शराब गोदाम से राज्य के एफ0एल0-2 व एफ0एल0-2बी थोक विक्रेताओं को प्रतिफल शुल्क के भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से करने पर निकासी दी जायेगी। बंधित गोदाम से मदिरा की निकासी का लेखा प्रपत्र बी0डब्ल्यू0एफ0एल0-6 रजिस्टर में रखा जायेगा और आबकारी विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। आवेदनपत्र- प्रपत्र बी0डब्ल्यू0एफ0एल0-5 में मदिरा की श्रेणी के अनुसार निर्धारित प्रतिफल फीस जमा होने के प्रमाण स्वरुप ई-ट्रेजरी चालान के साथ प्रस्तुत करने पर निकासी दी जायेगी।
(4) कोई मदिरा तब तक गोदाम से नही हटाई जायेगी जब तक शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड के चस्पा होने का परीक्षण प्रभारी अधिकारी द्वारा न कर लिया गया हो और उसके द्वारा प्रपत्र बी0डब्ल्यू0एफ0एल0-7 में पास जारी न कर दिया गया हो। पास तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा। पास की एक प्रति विदेशी मदिरा के थोक विक्रेता को सौंपी जायेगी, दूसरी प्रति उस जिले के जिला आबकारी अधिकारी को अग्रसारित की जायेगी, जिसमें थोक विक्रय की दुकान स्थित है और तीसरी प्रति अभिलेखार्थ रखी जायेगी।	(4) कोई मदिरा तब तक गोदाम से नही हटाई जायेगी जब तक शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड के चस्पा होने का परीक्षण प्रभारी अधिकारी द्वारा न कर लिया गया हो और उसके द्वारा प्रपत्र बी0डब्ल्यू0एफ0एल0-7 में पास जारी न कर दिया गया हो। पास तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा। पास की एक प्रति विदेशी मदिरा के थोक विक्रेता को सौंपी जायेगी, दूसरी प्रति उस जिले के जिला आबकारी अधिकारी को अग्रसारित की जायेगी, जिसमें थोक विक्रय की दुकान स्थित है और तीसरी प्रति अभिलेखार्थ रखी जायेगी।
	(5) **बाण्ड लाइसेंसो से एक वाहन के माध्यम से किसी एक जिले के एक से अधिक थोक लाइसेंसो को एक श्रेणी की मदिरा के परेषण की अनुमति दी जायेंगी।**

9-नियम-14 का संशोधन–उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-13 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
14-बंधित गोदाम का नियंत्रण	14-बंधित गोदाम का नियंत्रण
(1) आबकारी विभाग के अधिकारियों, राजस्व विभाग के उच्चाधिकारियों, लाइसेंसधारी, उसके अभिकर्ताओं या सेवकों के अलावा किसी को भी, बंधित गोदाम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।	(1) आबकारी विभाग के अधिकारियों, राजस्व विभाग के उच्चाधिकारियों, लाइसेंसधारी, उसके अभिकर्ताओं या सेवकों के अलावा किसी को भी, बंधित गोदाम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
(2) लाइसेंसधारी एक सक्षम व्यक्ति को अपना एजेन्ट नियुक्त करेगा। जिसकी नियुक्ति उप आबकारी आयुक्त, प्रभार के अनुमोदन के अधीन होगी। अन्य कर्मचारी बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी के अनुमोदन पर रखे जायेंगे।	(2) लाइसेंसधारी एक सक्षम व्यक्ति को अपना **अभिकर्ता के रूप में** नियुक्त करेगा। जिसकी नियुक्ति **प्रभार के** उप आबकारी आयुक्त के अनुमोदन के अध्यधीन होगी। अन्य **कर्मचारियों को** बंधित गोदाम के **प्रभारी अधिकारी की शिफारिस पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ऐसी फीस जैसा की विहित किया जाये के संदाय पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी कर सेवायोजित किया जायेगा।**
(3) लाइसेंसधारी प्रभारी अधिकारी को एक सूची प्रस्तुत करेगा, जिसमें अभिकर्ता तथा समस्त सेवायोजित कर्मचारियों के नाम होंगे जिनकी अपने कर्तव्यों के कारण बंधित गोदाम में प्रवेश करने की अपेक्षा की जाये।	(3) लाइसेंसधारी प्रभारी अधिकारी को एक सूची प्रस्तुत करेगा, जिसमें अभिकर्ता तथा समस्त सेवायोजित कर्मचारियों के नाम होंगे जिनकी अपने कर्तव्यों के कारण बंधित गोदाम में प्रवेश करने की अपेक्षा की जाये।
(4) प्रभारी अधिकारी प्रपत्र बी०डब्लू0एफ0एल0-8 में एक सूची तैयार करेगा, जिसमें लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत गोदाम के समस्त कर्मचारियों के व्योरे होंगे और उसकी एक प्रति उप आबकारी आयुक्त प्रभार को भेजेगा।	(4) प्रभारी अधिकारी प्रपत्र बी०डब्लू0एफ0एल0-8 में एक सूची तैयार करेगा, जिसमें लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत गोदाम के समस्त कर्मचारियों के व्योरे होंगे और उसकी एक प्रति उप आबकारी आयुक्त प्रभार को भेजेगा।
(5) बंधित गोदाम में प्रवेश करने वाले और बाहर जाने वाले समस्त व्यक्तियों की प्रभारी अधिकारी के निदेश के अधीन उनकी तलाशी ली जायेगी।	(5) बंधित गोदाम में प्रवेश करने वाले और बाहर जाने वाले समस्त व्यक्तियों की प्रभारी अधिकारी के निदेश के अधीन उनकी तलाशी ली जायेगी।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(6) यदि लाइसेंसधारी की जानकारी में यह बात आये कि उसके द्वारा सेवा योजित किसी व्यक्ति ने अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों अथवा उसके द्वारा किये गये बचनबद्धता का उल्लंघन किया है तो प्रभारी आबकारी अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित उप आबकारी आयुक्त को उस मामले की सूचना देगा तथा ऐसे व्यक्ति को सेवा योजन में बनाये रखने के सम्बन्ध में पश्चात्वर्ती अधिकारी के निर्देशों का पालन करना उसका कर्तव्य होगा।	(6) यदि लाइसेंसधारी की जानकारी में यह बात आये कि उसके द्वारा सेवा योजित किसी व्यक्ति ने अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों अथवा उसके द्वारा किये गये वचनबद्धता का उल्लंघन किया है तो प्रभारी आबकारी अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित उप आबकारी आयुक्त को उस मामले की सूचना देगा तथा ऐसे व्यक्ति को सेवा योजन में बनाये रखने के सम्बन्ध में पश्चातवर्ती अधिकारी के निर्देशों का पालन करना उसका कर्तव्य होगा।
(7) यदि कोई कर्मचारी या अनुज्ञापी का अभिकर्ता अधिनियम के उपबंधों या उसके अन्तर्गत बने नियमों के प्राविधानों का उल्लंघन करता है तो उसका अनुज्ञापी का प्रतिनिधि या कर्मचारी होना समाप्त हो जायेगा।	(7) यदि **लाइसेंसधारी का** कोई कर्मचारी या अभिकर्ता अधिनियम या **तदधीन बनाये गये** नियमों **के उपबंधो को भंग** करता है तो **उसे सम्बन्धित लाइसेंसधारी के कर्मचारी या अभिकर्ता के रूप में रोक दिया** जायेगा।
(8) बंधित गोदाम का प्रभारी अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का कोई उल्लंघन किया है अथवा उसके द्वारा कोई उल्लंघन किया जाने वाला है अथवा जो मनोन्मत्त या उच्छृंखल है, भू- गृहादि से बेदखल तथा अलग कर सकता है। इस नियम के अधीन समस्त कार्यवाही उसके द्वारा अपने उच्चाधिकारी की सूचना के लिये अपनी सरकारी डायरी में तुरन्त अभिलिखित की जायेगी।	(8) बंधित गोदाम का प्रभारी अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का कोई उल्लंघन किया है अथवा उसके द्वारा कोई उल्लंघन किया जाने वाला है अथवा जो मनोन्मत्त या उच्छृंखल है, भू- गृहादि से बेदखल तथा अलग कर सकता है। इस नियम के अधीन समस्त कार्यवाही उसके द्वारा अपने उच्चाधिकारी की सूचना के लिये अपनी सरकारी डायरी में तुरन्त अभिलिखित की जायेगी।
(9) लाइसेंसधारी बंधित गोदाम से भारत निर्मित विदेशी मदिरा की निकासी के लिये बंधित गोदाम के प्रबन्ध के निमित्त समस्त सामान्य नियमों जो पहले से प्रवृत्त हो अथवा जो वर्तमान आबकारी विधियों या किसी ऐसे विधि के अधीन जो एतत्पश्चात् अधिनियमित की जाये तथा विशिष्ट गोदाम के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा किये गये समस्त सामान्य या विशेष आदेशों से बाध्य होगा और मदिरा के भण्डारकरण, निकासी आदि के लिये अपने द्वारा सेवायोजित व्यक्तियों से समस्त ऐसे नियमों का पालन करायेगा ।	(9) लाइसेंसधारी **पूर्व या विद्यमान आबकारी विधियों के अधीन या ऐसी विधि, जिसे आगे अधिनियमित किया जाये, के अधीन** बंधित गोदाम से विदेशी मदिरा/ **बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय** निकासी **करने के संबंध में** बंधित गोदाम के प्रबन्ध **मामले** के **लिये** आबकारी आयुक्त द्वारा **दिये** गये समस्त सामान्य या विशेष **अनुदेशों द्वारा आबद्ध होगा** और मदिरा के **संग्रह एवं** निकासी के लिये अपने द्वारा सेवायोजित **सभी** व्यक्तियों से समस्त ऐसे नियमों का पालन करायेगा ।

10-बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए प्रपत्र का संशोधन–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में **दिये गये** विद्यमान प्रपत्र बी0डब्लू0एफ**0**एल**0-**2ए के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रारुप रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
विदेशी मदिरा बंधित गोदाम	विदेशी मदिरा बंधित गोदाम
(बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए) विदेशी मदिरा बंधित गोदाम स्थापित करने व चलाने का लाइसेंस ..... लाइसेंस संख्या	(बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए) विदेशी मदिरा बंधित गोदाम स्थापित करने व चलाने का लाइसेंस ..... लाइसेंस संख्या
(नियम-3)	(नियम-3)
आवेदक का फोटो	आवेदक का फोटो
गोदाम का फोटो	गोदाम का फोटो
गोदाम का अक्षांश/देशांतर	गोदाम का **अक्षांश**/देशांतर .....
1- लाइसेंस संख्या	1- लाइसेंस संख्या .....
2- जिला	2- जिला .....
3-लाइसेंसधारक का नाम, पता एवं आधार संख्या .... ने विदेशी मदिरा बंधित गोदाम-2ए के लिए लाइसेंस शुल्क रू0 ..... तथा प्रतिभूति धनराशि रू0 ..... का सरकारी कोषागार में अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से या सावधि जमा रसीद/बैंक गारंटी के माध्यम से आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत नीचे यथा उल्लिखित विस्तृत विवरण जमा किया है। उसने एक सामान्य बन्ध-पत्र भी निष्पादित किया है।	3-लाइसेंसधारक का नाम, पता एवं आधार संख्या ..... ने विदेशी मदिरा बंधित गोदाम-2ए के लिए लाइसेंस शुल्क रू0 ..... तथा प्रतिभूति धनराशि रू0 ..... का सरकारी कोषागार में अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से या **सावधि जमा रसीद** के माध्यम से आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत नीचे यथा उल्लिखित विस्तृत विवरण जमा किया है। उसने एक सामान्य बन्ध-पत्र भी निष्पादित किया है।
संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम 4 सन् 1910) और तद्धीन बनाये गये नियमों/आदेशों के उपबंधों के अधीन बोतल बन्द/कैन्स/टेट्रा पैक्स विदेशी मदिरा को उत्तर प्रदेश में बन्ध-पत्र के अधीन आयात, संचय व बिक्री करने के लिये उसे प्राधिकृत करते हुये स्थान ..... जिला ..... .(जिसे आगे लाइसेंस प्राप्त परिसर कहा गया है) के लिये दिनांक ..... से प्रारम्भ होने वाली और दिनांक 31 मार्च, ... को समाप्त होने वाली अवधि (दोनो तिथियों को सम्मिलित कर) के दौरान	संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम 4 सन् 1910) और तद्धीन बनाये गये नियमों/आदेशों के उपबंधों के अधीन **श्री ..... (जिसे आगे लाइसेंसधारी कहा गया है) को** बोतल बन्द/**केन**/**असेप्टिक ब्रिक पैक विदेशी मदिरा** को उत्तर प्रदेश में बन्ध-पत्र के अधीन **परमिट शुल्क एवं प्रतिफल शुल्क सहित समस्त प्रकार के देयों को जमा करने पर** आयात, संचय व बिक्री करने के लिये उसे प्राधिकृत करते हुये स्थान ..... जिला ..... (जिसे आगे लाइसेंस प्राप्त परिसर कहा

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन, जिनका लाइसेंसधारी या उसके द्वारा लगाये गये व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने पर, लाइसेंसधारी, अर्थदण्ड, प्रतिभूति समपहरण और उसका लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए उत्तरदायी होगा, एतद्द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है।	गया है) के लिये दिनांक ..... से प्रारम्भ होने वाली और दिनांक 31 मार्च, ... को समाप्त होने वाली अवधि (दोनो तिथियों को सम्मिलित कर) के दौरान निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन, जिनका लाइसेंसधारी या उसके द्वारा लगाये गये व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने पर, लाइसेंसधारी, अर्थदण्ड, प्रतिभूति समपहरण और उसका लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए उत्तरदायी होगा, एतद्द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है।
परिसर:- भवन स्वामी का नाम व पूरा पता ..... स्थान-ग्राम/मुहल्ला ..... थाना ..... तहसील .....जिला ..... सीमाः- उत्तर ..... दक्षिण ..... पूर्व ..... पश्चिम	परिसर:-भवन स्वामी का नाम व पूरा पता ..... स्थान-ग्राम/मुहल्ला ..... थाना ..... तहसील .....जिला ..... सीमाः- उत्तर ..... दक्षिण ..... पूर्व ..... पश्चिम .....
शर्तें	शर्तें
1. उक्त बंधित गोदाम से विदेशी मदिरा की निकासी राज्य के किसी अन्य बंधित गोदाम को बन्ध-पत्र या राज्य के किसी थोक विक्रेता एफ0एल0-2 लाइसेंसधारी को देय प्रतिफल शुल्क व अन्य प्रभारों के भुगतान करने के पश्चात् ही दी जायेगी।	1. उक्त बंधित गोदाम से विदेशी मदिरा की निकासी राज्य के किसी अन्य बंधित गोदाम को बन्ध-पत्र या राज्य के किसी थोक विक्रेता एफ0एल0-2 लाइसेंसधारी को देय प्रतिफल शुल्क व अन्य प्रभारों के भुगतान करने के पश्चात् ही दी जायेगी।
2. उक्त बंधित गोदाम से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर निर्धारित केवल ऐसी तीव्रता की ही विदेशी मदिरा की निकासी दी जायेगी।	2. उक्त बंधित गोदाम से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर **यथा**निर्धारित तीव्रता की ही विदेशी मदिरा की निकासी दी जायेगी।
3. बंधित गोदाम का प्रभारी अधिकारी, सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से, आयुक्त के आदेश के रहने पर भी, ऐसी विदेशी मदिरा, जिसे वह उपभोग के लिए संदिग्ध समझता है और जिसका अविलम्ब नमूना भेजकर परीक्षण कराया जाना आवश्यक है, की निकासी रोकने के लिए सक्षम है।	3. बंधित गोदाम का प्रभारी अधिकारी, सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से, आयुक्त के आदेश के रहने पर भी, ऐसी विदेशी मदिरा, जिसे वह उपभोग के लिए संदिग्ध समझता है और जिसका अविलम्ब नमूना भेजकर परीक्षण कराया जाना आवश्यक है, की निकासी रोकने के लिए सक्षम है।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
4. लाइसेंसधारी थोक बिक्रेताओं द्वारा किये गये विशिष्ट ब्रान्डों की मांगों और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये गोदाम पर ऐसे ब्राण्डों के न्यूनतम स्टॉक को अनुरक्षित रखेगा।	4. लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं द्वारा किये गये विशिष्ट ब्रान्डों की मांगों और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये गोदाम पर ऐसे ब्राण्डों के न्यूनतम स्टॉक को अनुरक्षित रखेगा।
5. गोदाम में विदेशी मदिरा के समुचित अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लाइसेंसधारी का होगा। लाइसेंसधारी रैकों की पर्याप्त संख्या, आल्मारियों, बक्से और अन्य उपस्कर, भंडारण स्टाक के लिये जो आवश्यक हो, उपलब्ध करायेगा और उस पर प्रभारी अधिकारी के ताले के साथ अपना भी ताला लगायेगा।	5. गोदाम में विदेशी मदिरा के समुचित अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लाइसेंसधारी का होगा। लाइसेंसधारी रैकों की पर्याप्त संख्या, आल्मारियों, बक्से और अन्य उपस्कर, भंडारण स्टाक के लिये जो आवश्यक हो, उपलब्ध करायेगा और उस पर प्रभारी अधिकारी के ताले के साथ अपना भी ताला लगायेगा।
6. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्देशित बोतल/ फ्लास्क/कैन्स/टेट्रा पैक्स की धारिता में विदेशी मदिरा की आपूर्ति करेगा।	6. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त **द्वारा** समय-समय पर **जैसा अवधारित किया जाये** बोतल/ फ्लास्क/**असेप्टिक ब्रिक पैक** की धारिता में विदेशी मदिरा की आपूर्ति करेगा।
7. बोतलों पर लगाये गये लेबुलों पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा भराई नियमावली, **1969** में विहित समस्त आवश्यक मुद्रित अपेक्षाएं होंगी। लाइसेंसधारी आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड के लागू करने के लिये उचित प्रबन्ध करेगा। मदिरा के किसी भी बोतल/टेट्रापैक/कैन्स की बिक्री तब तक नहीं की जायेगी, जब तक उस पर आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा न हो।	7. बोतलों पर लगाये गये लेबुलों पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा भराई नियमावली, 1969 में विहित समस्त आवश्यक मुद्रित अपेक्षाएं होंगी। लाइसेंसधारी आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड के लागू करने के लिये उचित प्रबन्ध करेगा। मदिरा के किसी भी बोतल/**असेप्टिक ब्रिक पैक** की बिक्री नहीं की जायेगी, **जिस** पर आबकारी विभाग **द्वारा** अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा न हो।
8. लाइसेंसधारी को उप आबकारी आयुक्त प्रभार द्वारा अनुमोदित अधिकृत प्रतिनिधि बंधित गोदाम में रखना होगा तथा बंधित गोदाम से निकासी और विदेशी मदिरा के आने वाले परेषण माल के लिये चढ़ाने व उतारने का प्रबन्ध करेगा। गोदाम में आई**0**पी**0** एड्रेस युक्त कैमरा लगा होगा। गोदाम अग्निशमन संयत्रों से सज्जित होना चहिये।	8. लाइसेंसधारी को उप आबकारी आयुक्त प्रभार द्वारा अनुमोदित अधिकृत प्रतिनिधि बंधित गोदाम में रखना होगा तथा बंधित गोदाम से निकासी और विदेशी मदिरा के आने वाले परेषण माल के लिये चढ़ाने व उतारने का प्रबन्ध करेगा। गोदाम में आई0पी0 एड्रेस युक्त कैमरा लगा होगा। गोदाम अग्निशमन संयत्रों से सज्जित होना चहिये।
9. लाइसेंसधारी बंधित गोदाम में विदेशी मदिरा की प्राप्ति, निकासी की गई तथा अवशेष स्टाक की मात्रा का सही-सही लेखा-जोखा रखेगा। दैनिक रजिस्टर के निर्धारित प्रपत्र में मदिरा का सही-सही लेखा रखा जायेगा।	9. लाइसेंसधारी बंधित गोदाम में विदेशी मदिरा की प्राप्ति, निकासी की गई तथा अवशेष स्टाक की मात्रा का सही-सही लेखा-जोखा रखेगा। दैनिक रजिस्टर के निर्धारित प्रपत्र में मदिरा का सही-सही लेखा रखा जायेगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
लेखा रजिस्टर के समस्त पृष्ठों पर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के रबर सील के साथ लगाकर पृष्ठ संख्या अंकित की जायेगी। विदेशी मदिरा की प्राप्ति व निकासी सहित पृष्ठों व पन्नों को समुचित ढंग से रखा जायेगा तथा आबकारी विभाग के प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय मांगने पर हर समय प्रस्तुत किया जायेगा। सम्बन्धित विवरण का एम0आई0एस0 (मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम) विहित पोर्टल पर नियत अन्तराल पर अपलोड किया जायेगा।	लेखा रजिस्टर के समस्त पृष्ठों पर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के रबर सील के साथ लगाकर पृष्ठ संख्या अंकित की जायेगी। विदेशी मदिरा की प्राप्ति व निकासी सहित पृष्ठों व पन्नों को समुचित ढंग से रखा जायेगा तथा आबकारी विभाग के प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय मांगने पर हर समय प्रस्तुत किया जायेगा। सम्बन्धित **ब्यौरों का एम.आई.एस. मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम आबकारी विभाग के विहित पोर्टल पर नियमित अन्तराल पर अपलोड किया जायेगा।**
10. लाइसेंसधारी बंधित गोदाम से मदिरा की निकासी के लिये तथा बंधित गोदाम के समुचित प्रबन्ध के लिये समस्त सामान्य नियमों का पालन करने के लिये बाध्य होगा।	10. लाइसेंसधारी बंधित गोदाम से मदिरा की निकासी के लिये तथा बंधित गोदाम के समुचित प्रबन्ध के लिये समस्त सामान्य नियमों का पालन करने के लिये बाध्य होगा।
11. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार ब्रान्डों के रजिस्ट्रेशन के लिये रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ अनुमोदित अधिकतम् थोक व अधिकतम फुटकर बिक्री की दरें, एक्स बाण्ड मूल्य, ब्राण्डों की विस्तृत सूची आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी किसी लेबुल को प्रयोग करने से पूर्व प्रतिवर्ष चार प्रतियों में आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रत्येक लेबुल धारितावार के अनुमोदित शुल्क के साथ ई-ट्रेजरी चालान की प्रति संलग्न करके संबंधित जिले के जिला आबकारी अधिकारी, जो उसके अनुमोदन के लिए आबकारी आयुक्त को प्रेषित करेगा, अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य की दर में कोई परिवर्तन वर्ष के मध्य में तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि विशेष रुप से आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमति प्रदान न कर दी जाय।	11. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार ब्रान्डों के रजिस्ट्रेशन के लिये रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ अनुमोदित अधिकतम् थोक व अधिकतम फुटकर बिक्री की दरें, एक्स बाण्ड मूल्य,ब्राण्डों की विस्तृत सूची आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी किसी लेबुल को प्रयोग करने से पूर्व प्रतिवर्ष चार प्रतियों में आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रत्येक लेबुल धारितावार के अनुमोदित शुल्क के साथ ई-ट्रेजरी चालान की प्रति संलग्न करके संबंधित जिले के जिला आबकारी अधिकारी, जो उसके अनुमोदन के लिए आबकारी आयुक्त को प्रेषित करेगा, अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य की दर में कोई परिवर्तन वर्ष के मध्य में तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि विशेष रुप से आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमति प्रदान न कर दी जाय।
12. उत्तर प्रदेश में आयात की जाने वाली विदेशी मदिरा की पेटियों (कार्टन) की समस्त छः सतहों (फेस) पर गाढे लाल रंग की डेढ़ इंच चौड़ी पट्टी पर कम से कम एक इंच आकार के काले रंग के अक्षरों में "फार सेल इन यूपी" मुद्रित कराया जायेगा।	12. उत्तर प्रदेश में आयात की जाने वाली विदेशी मदिरा की पेटियों (कार्टन) की समस्त छः सतहों (फेस) पर गाढे लाल रंग की डेढ़ इंच चौड़ी पट्टी पर कम से कम एक इंच आकार के काले रंग के अक्षरों में "फार सेल इन यूपी" मुद्रित कराया जायेगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
13. लाइसेंसधारी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम 4 सन् 1910) और तद्धीन बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबंधों के अधीन इस लाइसेंस की शर्तों का पालन करेगा।	13. लाइसेंसधारी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम 4 सन् 1910) और तद्धीन बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबंधों के अधीन इस लाइसेंस की शर्तों का पालन करेगा।
14. यदि लाइसेंस निर्धारित अवधि के पूर्व ही निरस्त किया जाता है या निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात् नवीकृत नहीं होता है तो लाइसेंसधारी बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी को बचे हुये शराब के थोक स्टाक की सूचना देगा और आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों के अधीन केवल बचे हुये स्टाक का निस्तारण करेगा।	14. यदि लाइसेंस निर्धारित अवधि के पूर्व ही निरस्त किया जाता है या निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात् नवीकृत नहीं होता है तो लाइसेंसधारी बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी को बचे हुये शराब के थोक स्टाक की सूचना देगा और आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों के अधीन केवल बचे हुये स्टाक का निस्तारण करेगा।
15. लाइसेंसप्राप्त परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गॉधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिये समस्त दिनों में 9.00 बजे प्रातः से लेकर 8.00 बजे सायं तक खुला रहेगा। लाइसेंसिंग प्राधिकारी/ जिलाधिकारी संबंधित विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त दिनांक व दिनों में दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।	15. लाइसेंसप्राप्त परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 02 अक्टूबर (गॉधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 03 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिये समस्त दिनों में 9.00 बजे प्रातः से लेकर 8.00 बजे सायं तक खुला रहेगा। लाइसेंसिंग प्राधिकारी/जिलाधिकारी संबंधित विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त दिनांक व दिनों में दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
16. जिलों के एफ**0**एल0-2 लाइसेंसधारियों से विदेशी मदिरा की थोक आपूर्ति हेतु मांग-पत्र प्राप्त होने पर आपूर्ति प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के अनुसार की जायेगी,जिसमें विफल होने पर लाइसेंसधारी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जा सकती है।	16. जिलों के एफ0एल0-2 लाइसेंसधारियों से विदेशी मदिरा की थोक आपूर्ति हेतु मांग-पत्र प्राप्त होने पर आपूर्ति प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के अनुसार की जायेगी,जिसमें विफल होने पर लाइसेंसधारी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जा सकती है।
17. बंधित गोदाम से निकासी होने वाले समस्त ब्रान्डों की बोतलों के लेबुलों पर 1x1 सेंटीमीटर के दृश्य शब्दों में अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य अंकित होना अनिवार्य है। लेबुलों पर बिना अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य अंकित किये हुये मदिरा की बिक्री प्रतिबन्धित है।	17. बंधित गोदाम से निकासी होने वाले समस्त ब्रान्डों की बोतलों के लेबुलों पर 1x1 सेंटीमीटर के दृश्य शब्दों में अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य अंकित होना अनिवार्य है। लेबुलों पर बिना अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य अंकित किये हुये मदिरा की बिक्री प्रतिबन्धित है।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
18. लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा की सील्ड पेटियों का ठठान ठन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात सुनिश्चित करेगा।	18. लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा की सील्ड पेटियों का ठठान ठन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात सुनिश्चित करेगा।
19. लाइसेंसधारी अपनी थोक दुकान पर मदिरा की बिक्री के लिये विक्रेताओं की सूची आबकारी आयुक्त/आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। वह तद्नुसार विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा।	19. लाइसेंसधारी अपनी थोक दुकान पर मदिरा की बिक्री के लिये विक्रेताओं की सूची आबकारी आयुक्त/ आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। वह तद्नुसार विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा।

(लाइसेंस शुल्क/प्रतिभूति धनराशि का विवरण)

बैंक का नाम	डिमांड ड्राफ्ट संख्या/ ई-ट्रेजरी चालान/ एफ0डी0आर/ बैंक गारन्टी संख्या	दिनांक	धनराशि

दिनांक .....

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

(लाइसेंस शुल्क/प्रतिभूति धनराशि का विवरण)

बैंक का नाम	ई-ट्रेजरी चालान/ एफ0डी0आर संख्या	दिनांक	धनराशि

दिनांक.....

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

11–बी**0**डब्लू**0**एफ**0**एल**0-2**एए प्रपत्र को जोड़ा जाना–उक्त नियमावली में, प्रपत्र बी**0**डब्लू**0**एफ**0**एल**0-2**ए के पश्चात् निम्नलिखित प्रपत्र जोड़ दिया जायेगा, अर्थात्:–

बी0डब्लू0एफ0एल0-2एए

रूपया तीन हजार से अधिक एम.आर.पी. (प्रति बोतल) वाली समस्त प्रकार की भारत निर्मित विदेशी मदिरा के स्काच और सिंगल माल्ट ब्रान्ड सहित अधिकतम 5 ब्रान्डो की बिक्री हेतु विदेशी मदिरा बंधित गोदाम स्थापित करने व चलाने का लाइसेंस

लाइसेंस संख्या.....

(नियम-3)

आवेदक का फोटो	गोदाम का फोटो

गोदाम का अक्षांशा/देशांतर .....

1- लाइसेंस संख्या .....

2- जिला .....

3-लाइसेंसधारी का नाम, पता एवं आधार संख्या .....

श्री/श्रीमती ..... ने ..... (कम्पनी/ फर्म का नाम) ..... की ओर से विदेशी मदिरा बंधित गोदाम-**2**एए के लिए जैसा कि नीचे विस्तृत रूप से उल्लिखित है, लाइसेंस शुल्क रू**0** ..... तथा प्रतिभूति धनराशि रू**0** ..... सरकारी कोषागार में अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से या आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से जमा किया है। उन्होंने एक सामान्य बन्ध-पत्र भी निष्पादित किया है।

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम,**1910 (**संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या **4** सन् **1910)** और तद्धीन बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबंधों के अध्यधीन श्री ....., की ओर से .....(जिसे आगे लाइसेंसधारी कहा गया है), नीचे यथा उल्लिखित पांच ब्रान्डो के बोतल बन्द/असेप्टिक ब्रिक पैक में समस्त वैरियेंट सहित रूपया तीन हजार से अधिक एम.आर.पी.(प्रति बोतल वाली) भारत निर्मित विदेशी मदिरा के स्काच और सिंगल माल्ट को उत्तर प्रदेश में बन्ध-पत्र के अधीन परमिट शुल्क एवं प्रतिफल शुल्क सहित समस्त प्रकार देयों को जमा करने पर आयात, संचय व बिक्री करने के लिये उन्हें प्राधिकृत करते हुये स्थान ..... जिला ..... (जिसे आगे लाइसेंस प्राप्त परिसर कहा गया है) के लिये दिनांक ..... से प्रारम्भ होने वाली और दिनांक **31** मार्च, ... को समाप्त होने वाली अवधि (दोनो दिनांकों को सम्मिलित कर) के दौरान नियमावली और निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन, जिनका लाइसेंसधारी या उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन/अतिलंघन किये जाने पर, लाइसेंसधारी, पर शास्ति अधिरोपण लाइसेंस की प्रतिभूति का समपहरण और रद्द हो सकता है, एतद्द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में आयात और बिक्री हेतु अनुमन्य भारत निर्मित विदेशी मदिरा के ब्राण्ड और उनके वैरियेंट के नाम

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....
7.....
8.....

परिसर**:-**स्वामी का नाम व पता .....

स्थान-ग्राम/मुहल्ला .....

थाना.....

तहसील ..... जिला .....

सीमा

उत्तर .....

दक्षिण .....

पूर्व .....

पश्चिम .....

शर्तें

1. उक्त बंधित गोदाम से ऊपर यथा उल्लिखित भारत निर्मित विदेशी मदिरा की निकासी राज्य के किसी एफ**0**एल**0-2** लाइसेंसधारी को देय प्रतिफल शुल्क व अन्य प्रभारों के पूर्व भुगतान पर दी जायेगी।
2. उक्त बंधित गोदाम से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर जैसा नियत किया जाये तीव्रता की ही ऊपर यथा उल्लिखित भारत निर्मित विदेशी मदिरा की निकासी दी जायेगी।
3. बंधित गोदाम का प्रभारी अधिकारी, सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से, आबकारी आयुक्त के आदेश के लम्बित रहने पर भी, ऐसी भारत निर्मित विदेशी मदिरा, जिसे वह उपभोग के लिए संदिग्ध समझता है और जिसका अविलम्ब नमूना भेजकर परीक्षण कराया जान अपेक्षित है, की निकासी रोकने के लिए सक्षम है।
4. लाइसेंसधारी थोक बिक्रेताओं द्वारा किये गये विशिष्ट ब्रान्डों की मांगों और आवश्यकताओं के दृष्टिगत गोदाम पर ऐसे ब्राण्डों के न्यूनतम स्टॉक को अनुरक्षित रखेगा।
5. गोदाम में विहित भारत निर्मित विदेशी मदिरा के समुचित अनुरक्षण तथा संग्रहण का उत्तरदायित्व लाइसेंसधारी का होगा। लाइसेंसधारी रैकों की पर्याप्त संख्या, आल्मारियों, बक्से और अन्य उपस्कर, भंडारण स्टाक के लिये जो आवश्यक हो, उपलब्ध करायेगा और उस पर प्रभारी अधिकारी के ताले के साथ अपना भी ताला लगायेगा।
6. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निश्चित बोतल/ फ्लास्क/असेप्टिक ब्रिक पैक की धारिता में विहित भारत निर्मित विदेशी मदिरा की आपूर्ति करेगा।
7. बोतलों पर लगाये गये लेबुलों पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा भराई नियमावली, **1969** में यथा विहित समस्त आवश्यक अपेक्षाएं मुद्रित होंगी। लाइसेंसधारी बाण्ड परिसरों में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड के लागू करने के लिये उचित प्रबन्ध करेगा। मदिरा के किसी भी बोतल/असेप्टिक ब्रिक पैक की बिक्री तब तक नहीं की जायेगी, जब तक उस पर आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा न हो।
8. लाइसेंसधारी को उप आबकारी आयुक्त प्रभार द्वारा अनुमोदित अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त कराना अपेक्षित होगा तथा बंधित गोदाम से निकासी और विदेशी मदिरा के आने वाले परेषण माल के लिये चढ़ाने व उतारने का प्रबन्ध करेगा। गोदाम में आई**0**पी**0** एड्रेस युक्त कैमरा लगा होगा तथा अग्निशामक उपस्करों से सज्जित होना चाहिये।
9. लाइसेंसधारी ऐसे बंधित गोदाम में विहित भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्राप्ति, निकासी की गई तथा अवशेष स्टाक की मात्रा का सही-सही लेखा रखेगा। लेखा को ठीक प्रकार से विहित प्रपत्र में एक रजिस्टर में दैनिक रुप से अद्यतन रखा जायेगा। लेखा रजिस्टर के पृष्ठों पर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के रबर सील के साथ लगाकर पृष्ठ संख्या अंकित की जायेगी। विदेशी मदिरा की प्राप्ति व निकासी सहित पृष्ठों व पन्नों को समुचित ढंग से रखा जायेगा तथा आबकारी विभाग के प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिये हर समय प्रकट किया जायेगा। सम्बन्धित विवरण का एम॰आई॰एस॰ (मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम) विहित पोर्टल पर नियत अन्तराल पर अपलोड किया जायेगा।
10. लाइसेंसधारी बंधित गोदाम से विदेशी मदिरा की निकासी के लिये तथा उसके समुचित प्रबन्ध के लिये समस्त सामान्य नियमों का पालन करने के लिये बाध्य होगा।
11. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों के अनुसार ब्रान्डों के रजिस्ट्रेशन के लिये रजिस्ट्रीकरण शुल्क के साथ अनुमोदित अधिकतम् थोक व अधिकतम फुटकर बिक्री की दरें,एक्स बाण्ड मूल्य, ब्राण्डों की विस्तृत सूची आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी किसी लेबुल को प्रयोग करने से पूर्व प्रतिवर्ष चार प्रतियों में आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर यथाविहित प्रत्येक लेबुल धारितावार के अनुमोदित शुल्क के साथ ई-ट्रेजरी चालान की प्रति संलग्न करके संबंधित जिले के जिला आबकारी अधिकारी, जो उसके

अनुमोदन के लिए आबकारी आयुक्त को अग्रेषित करेगा। अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन/प्रवर्तन वर्ष के दौरान तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि विशेष रुप से आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमति प्रदान न कर दी जाय।

12. उत्तर प्रदेश में आयात की जाने वाली विहित भारत निर्मित विदेशी मदिरा की पेटियों (कार्टन) की समस्त छः सतहों (फेस) पर गाढे लाल रंग की डेढ़ इंच चौड़ी पट्टी पर कम से कम एक इंच आकार के काले रंग के अक्षरों में "फार सेल इन यूपी" मुद्रित कराया जायेगा।
13. लाइसेंसधारी इस लाइसेंस की शर्तें और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, **1910 (**संयुक्त प्रान्त अधिनियम **4** सन् **1910)** के उपबंधों और तद्धीन बनाये गये नियमों और आदेशों का पालन करेगा।
14. यदि लाइसेंस की चालू रहने की अवधि के दौरान रद्द कर दिया जाता है या इसके अवसान पर नवीकृत नही किया जाता है तो लाइसेंसधारी तत्काल प्रभारी अधिकारी को बंधित गोदाम में बचे हुये भारत निर्मित विदेशी मदिरा के थोक स्टाक की संसूचना देगा और आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों के अधीन केवल बचे हुये स्टाक का निस्तारण करेगा।
15. लाइसेंसप्राप्त परिसर, **14** अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), **15** अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 0**2** अक्टूबर (गॉधी जयन्ती),**26** जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 0**3** ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि कलेक्टर द्वारा अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिये समस्त दिनों में प्रातः **9.00** बजे से सायं **8.00** बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंसिंग प्राधिकारी/कलेक्टर सुसंगत विधियों के उपबन्धों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के लिये आदेश दे सकता है। उपरोक्त दिनांक व दिनों में दुकान की बन्दी के लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगी।
16. जिलों के एफ**0**एल**0-2** लाइसेंसधारियों से विदेशी मदिरा की थोक आपूर्ति हेतु मांग-पत्र प्राप्त होने पर आपूर्ति प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त पर सुनिश्चित की जायेगी,जिसमें विफल होने पर लाइसेंसधारी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जा सकती है।
17. बोतलों पर चिपकाये गये लेबलों पर बान्ड से निकासी होने वाली मदिराओं के प्रत्येक ब्राण्डों हेतु नियत मानक बोतलों के लेबलों के उपयुक्त स्थान पर **1x1** सेंटीमीटर के दृश्य मोटे फोंट में अधिकतम फुटकर मूल्य अंकित होंगी लेबलों पर मुद्रित एम0आर0पी0 के बिना किसी बिक्री की अनुमति नही है।
18. लाइसेंसधारी अपने भाण्डार परिसर से सील्ड पेटियों डिब्बों में लगे उन पर सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने और पोर्टल की प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात विहित भारत निर्मित विदेशी मदिरा का प्रेषण सुनिश्चित करेगा।
19. लाइसेंसधारी अपने थोक दुकान से मदिरा की बिक्री के लिये बिक्रीकर्ता की सूची आबकारी आयुक्त /आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जो तद्नुसार विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा।

(लाइसेंस शुल्क/प्रतिभूति धनराशि का विवरण)

बैंक का नाम	ई-ट्रेजरी चालान/ एफ**0**डी**0**आर संख्या	दिनांक	धनराशि

दिनांक .....

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

12–**बी0**डब्लू**0**एफ**0**एल**0-2**बी प्रारुप का संशोधन–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-**1** में विद्यमान प्रारुप **बी0**डब्लू**0**एफ**0**एल**0-2**बी के स्थान पर स्तम्भ-**2** में दिया गया प्रारुप रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
बीयर बंधित गोदाम **(बी0**डब्लू**0**एफ**0**एल**0-2**बी**)**	बीयर बंधित गोदाम **(बी0**डब्लू**0**एफ**0**एल**0-2**बी**)**
बीयर बंधित गोदाम स्थापित करने व चलाने का लाइसेंस लाइसेंस संख्या ..... नियम-(**3**)	बीयर बंधित गोदाम स्थापित करने व चलाने का लाइसेंस लाइसेंस संख्या ..... **[**(नियम-(**3**)**]**
आवेदक का फोटो	आवेदक का फोटो
गोदाम का फोटो	गोदाम का फोटो
गोदाम का अक्षांश/देशांतर ..... **1-**लाइसेंस संख्या ..... **2-**जिला ..... **3-**लाइसेंसधारक का नाम, पता एवं आधार संख्या ..... ने बीयर बंधित गोदाम-**2**बी के लिए लाइसेंस शुल्क रूपये ..... (शब्दों में) ..... तथा प्रतिभूति धनराशि रूपये ..... (शब्दों में) ..... का सरकारी कोषागार में अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से या आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद/बैंक गांरटी के माध्यम से रखी जायेगी और नीचे यथा उल्लिखित विस्तृत विवरण जमा किया है। उसने एक सामान्य बन्ध-पत्र भी निष्पादित किया है। संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, **1910** (संयुक्त प्रान्त अधिनियम **4**, सन् **1910**) और तद्धीन बनाये गये नियमों/आदेशों के उपबंधों के अधीन बोतल बन्द/कैन्स बीयर को उत्तर प्रदेश में बंधपत्र के अधीन आयात, संचय व बिक्री करने के लिये उसे प्राधिकृत करते हुये स्थान ..... जिला ..... (जिसे आगे लाइसस प्राप्त	गोदाम का अक्षांश/देशांतर ..... **1-**लाइसेंस संख्या ..... **2-**जिला ..... **3-**लाइसेंसधारक का नाम, पता एवं आधार संख्या ..... ने बीयर बंधित गोदाम-**2**बी के लिए लाइसेंस शुल्क रूपये ..... (शब्दों में) ..... तथा प्रतिभूति धनराशि रूपये ..... (शब्दों में) ..... का सरकारी कोषागार में अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से या आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद/ बैंक गारंटी के माध्यम से रखी जायेगी और नीचे यथा उल्लिखित विस्तृत विवरण जमा किया है। उसने एक सामान्य बन्ध-पत्र भी निष्पादित किया है। संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, **1910** (संयुक्त प्रान्त अधिनियम **4**, सन् **1910**) और तद्धीन बनाये गये नियमों/आदेशों के उपबंधों के अधीन बोतल बन्द/कैन्स बीयर को उत्तर प्रदेश में बंधपत्र के अधीन **समस्त प्रकार के देयों के साथ-साथ परमिट शुल्क एवं प्रतिफल शुल्क को जमा करने पर** आयात, संचय व बिक्री करने

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
परिसर कहा गया है), के लिये दिनांक ..... से प्रारम्भ होने वाली और दिनांक **31** मार्च ..... को समाप्त होने वाली अवधि (दोनों तिथियों को सम्मिलित कर) के दौरान निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन जिनका लाइसेंसधारी या उसके द्वारा लगाये गये व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने पर लाइसेंसधारी अर्थदण्ड, प्रतिभूति समपहरण और लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंस प्रदान किया जाता है:-	के लिये उसे प्राधिकृत करते हुये स्थान ..... जिला ..... (जिसे आगे लाइसेंस प्राप्त परिसर कहा गया है), के लिये दिनांक ..... से प्रारम्भ होने वाली और दिनांक **31** मार्च ..... को समाप्त होने वाली अवधि (दोनों तिथियों को सम्मिलित कर) के दौरान निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन जिनका लाइसेंसधारी या उसके द्वारा लगाये गये व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने पर लाइसेंसधारी अर्थदण्ड, प्रतिभूति समपहरण और लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंस प्रदान किया जाता है:-
परिसरः- स्वामी का नाम व पता ..... स्थान ग्राम/मुहल्ला ..... थाना ..... तहसील ..... जिला	परिसरः- स्वामी का नाम व पता ..... स्थान ग्राम/मुहल्ला ..... थाना ..... तहसील ..... जिला .....
सीमाः- उत्तर ..... दक्षिण ..... पूर्व ..... पश्चिम	सीमाः- उत्तर ..... दक्षिण ..... पूर्व ..... पश्चिम .....
शर्तें	शर्तें
1. उक्त बंधित गोदाम से बीयर की निकासी राज्य के किसी अन्य बंधित गोदाम को बंध-पत्र, या राज्य के किसी थोक विक्रेता एफ**0**एल**0-2**बी लाइसेंसधारी को देय प्रतिफल शुल्क व अन्य प्रभारों के भुगतान करने के पश्चात् ही दी जायेगी।	**1.** उक्त बंधित गोदाम से बीयर की निकासी राज्य के किसी अन्य बंधित गोदाम को बंध-पत्र, या राज्य के किसी थोक विक्रेता एफ**0**एल**0-2**बी लाइसेंसधारी को देय प्रतिफल शुल्क व अन्य प्रभारों के भुगतान करने के पश्चात् ही दी जायेगी।
2. उक्त बंधित गोदाम से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर ऐसे (**5** वीवी से **8** वीवी) निर्धारित तीव्रता की ही बीयर की निकासी दी जायेगी।	**2.** उक्त बंधित गोदाम से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर ऐसे (**5** वीवी से **8** वीवी) निर्धारित तीव्रता की ही बीयर की निकासी दी जायेगी।
3. लाइसेंसधारी गोदाम के प्रभारी अधिकारी, सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से, आयुक्त के आदेश के रहने पर भी, ऐसी बीयर जिसे वह उपभोग के लिए संदिग्ध समझता है और जिसका अविलम्ब नमूना भेजकर परीक्षण कराया जाना आवश्यक है, की निकासी रोकने के लिए सक्षम है।	**3.** लाइसेंसधारी गोदाम के प्रभारी अधिकारी, सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से, आयुक्त के आदेश के रहने पर भी, ऐसी बीयर जिसे वह उपभोग के लिए संदिग्ध समझता है और जिसका अविलम्ब नमूना भेजकर परीक्षण कराया जाना आवश्यक है, की निकासी रोकने के लिए सक्षम है।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
4. लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं द्वारा किये गये विशिष्ट ब्रांडो की मांगो और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये गोदाम पर ऐसे ब्रांडों के न्यूनतम स्टॉक को अनुरक्षित रखेगा।	**4.** लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं द्वारा किये गये विशिष्ट ब्रांडो की मांगो और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये गोदाम पर ऐसे ब्रांडों के न्यूनतम स्टॉक को अनुरक्षित रखेगा।
5. गोदाम में बीयर के समुचित अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लाइसेंसधारी का होगा। लाइसेंसधारी रैकों की पर्याप्त संख्या, आलमारियाँ, बॉक्सों और अन्य उपस्कर भंडारण स्टॉक के लिये, जो आवश्यक हो, उपलब्ध करायेगा और उस पर प्रभारी अधिकारी के ताले के साथ अपना भी ताला लगायेगा।	**5.** गोदाम में बीयर के समुचित अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लाइसेंसधारी का होगा। लाइसेंसधारी रैकों की पर्याप्त संख्या, आलमारियाँ, बॉक्सों और अन्य उपस्कर भंडारण स्टॉक के लिये, जो आवश्यक हो, उपलब्ध करायेगा और उस पर प्रभारी अधिकारी के ताले के साथ अपना भी ताला लगायेगा।
6. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्देशित बोतल/केन्स की धारिता में बीयर की आपूर्ति करेगा।	**6.** लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्देशित बोतल/केन्स की धारिता में बीयर की आपूर्ति करेगा।
7. बोतलों पर लगाये गये लेबुलों पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा भराई नियमावली, **1969** में विहित समस्त आवश्यक मुद्रित अपेक्षाएं होंगी। लाइसेंसधारी सुरक्षा कोड हेतु आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड लागू करने के लिये उचित प्रबंध करेगा। बीयर के किसी भी बोतल/केन्स की बिक्री तब तक नहीं की जायेगी, जब तक उस पर आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा न हो।	**7.** बोतलों पर लगाये गये लेबुलों पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा भराई नियमावली, **1969** में विहित समस्त आवश्यक मुद्रित अपेक्षाएं होंगी। लाइसेंसधारी सुरक्षा कोड हेतु आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड लागू करने के लिये उचित प्रबंध करेगा। बीयर के किसी भी बोतल/केन्स की बिक्री तब तक नहीं की जायेगी, जब तक उस पर आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा न हो।
8. लाइसेंसधारी को उप आबकारी आयुक्त प्रभार द्वारा अनुमोदित प्राधिकृत प्रतिनिधि बंधित गोदाम में रखना होगा तथा बंधित गोदाम से निकासी और बीयर के आने वाले माल के लिये चढ़ाने व उतारने का प्रबंध करना होगा। गोदाम में आई**0**पी**0** एड्रेस युक्त कैमरा लगा होगा। गोदाम अग्निशमन सयंत्रों से सज्जित होना चाहिये।	**8.** लाइसेंसधारी को उप आबकारी आयुक्त प्रभार द्वारा अनुमोदित प्राधिकृत प्रतिनिधि बंधित गोदाम में रखना होगा तथा बंधित गोदाम से निकासी और बीयर के आने वाले माल के लिये चढ़ाने व उतारने का प्रबंध करना होगा। गोदाम में आई**0**पी**0** एड्रेस युक्त कैमरा लगा होगा। गोदाम अग्निशमन सयंत्रों से सज्जित होना चाहिये।
9. लाइसेंसधारी बंधित गोदाम में बीयर की प्राप्ति, निकासी की गई तथा अवशेष स्टॉक की मात्रा का सही-सही लेखा-जोखा रखेगा। दैनिक रजिस्टर के निर्धारित प्रपत्र में बीयर का सही-सही लेखा रखा जायेगा। लेखा रजिस्टर के पृष्ठों पर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के रबर सील के साथ लगाकर पृष्ठ संख्या अंकित की जायेगी। बीयर की प्राप्ति व निकासी के पासों के पृष्ठों व पन्नों को समुचित ढंग से रखा जायेगा तथा आबकारी विभाग के प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय मांगने पर हर समय प्रस्तुत किया जायेगा। सम्बन्धित विवरण का एम**0**आई**0**एस**0** (मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम) विहित पोर्टल पर नियत अन्तराल पर अपलोड किया जायेगा।	9. लाइसेंसधारी बंधित गोदाम में बीयर की प्राप्ति, निकासी की गई तथा अवशेष स्टॉक की मात्रा का सही-सही लेखा-जोखा रखेगा। दैनिक रजिस्टर के विहित प्रपत्र में बीयर का सही-सही लेखा रखा जायेगा। लेखा रजिस्टर के पृष्ठों पर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के रबर सील के साथ लगाकर पृष्ठ संख्या अंकित की जायेगी। बीयर की प्राप्ति व निकासी के पासों के पृष्ठों व पन्नों को समुचित ढंग से रखा जायेगा तथा आबकारी विभाग के प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय मांगने पर हर समय प्रस्तुत किया जायेगा। सम्बन्धित विवरण का एम**0**आई**0**एस**0** (मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम) विहित पोर्टल पर नियत अन्तराल पर अपलोड किया जायेगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
10. लाइसेंसधारी बंधित गोदाम से बीयर की निकासी के लिये तथा बंधित गोदाम के समुचित प्रबन्ध के लिये सभी सामान्य नियम के पालन करने के लिये बाध्य होगा।	**10.** लाइसेंसधारी बंधित गोदाम से बीयर की निकासी के लिये तथा बंधित गोदाम के समुचित प्रबन्ध के लिये सभी सामान्य नियम के पालन करने के लिये बाध्य होगा।
11. लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों के अनुसार ब्रांडों के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ अनुमोदित अधिकतम् थोक व अधिकतम् फुटकर विक्री की दरें, एक्स बांड मूल्य, ब्रांडों की विस्तृत सूची आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी किसी लेबुल को प्रयोग करने से पूर्व प्रतिवर्ष चार प्रतियों में आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रत्येक लेबुल धारितावार के अनुमोदन शुल्क के साथ ई-ट्रेजरी चालान/ई-पेमेन्ट की प्रति संलग्न करके सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो उसके अनुमोदन के लिये आबकारी आयुक्त को प्रेषित करेगा। अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य की दर में कोई परिवर्तन वर्ष के मध्य में तब तकनहीं किया जायेगा, जब तक कि विशेष रूप से आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमति प्रदान न की जाये।	11. लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों के अनुसार ब्रांडों के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ अनुमोदित अधिकतम् थोक व अधिकतम् फुटकर विक्री की दरें, एक्स बांड मूल्य, ब्रांडों की विस्तृत सूची आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी किसी लेबुल को प्रयोग करने से पूर्व प्रतिवर्ष चार प्रतियों में आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रत्येक लेबुल धारितावार के अनुमोदन शुल्क के साथ ई-ट्रेजरी चालान/ई-पेमेन्ट की प्रति संलग्न करके सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो उसके अनुमोदन के लिये आबकारी आयुक्त को प्रेषित करेगा। अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य की दर में कोई परिवर्तन वर्ष के मध्य में तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि विशेष रूप से आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमति प्रदान न की जाये।
12. लाइसेंसधारी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, **1910** (उत्तर प्रदेश अधिनियम- संख्या **4** सन् **1910)** और इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबंधों के अधीन व इस लाइसेंस की शर्तो का पालन करेगा।	12. लाइसेंसधारी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, **1910** (उत्तर प्रदेश अधिनियम-संख्या **4** सन् **1910)** और इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबंधों के अधीन व इस लाइसेंस की शर्तो का पालन करेगा।
13. यदि लाइसेंस निर्धारित अवधि के पूर्व ही निरस्त किया जाता है या निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात् नवीकृत नहीं होता है तो लाइसेंसधारी बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी को बचे हुये बीयर के थोक स्टाक की सूचना देगा और आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निदेशों के अधीन बचे हुये स्टॉक का निस्तारण करेगा।	**13.** यदि लाइसेंस निर्धारित अवधि के पूर्व ही निरस्त किया जाता है या निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात् नवीकृत नहीं होता है तो लाइसेंसधारी बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी को बचे हुये बीयर के थोक स्टाक की सूचना देगा और आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निदेशों के अधीन बचे हुये स्टॉक का निस्तारण करेगा।
14. लाइसेंसप्राप्त परिसर **14** अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), **15** अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), **2** अक्टूबर (गांधी जयन्ती), **26** जनवरी (गणतंत्र दिवस) और **3** ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिये समस्त दिनों में **9.00** बजे प्रातः से लेकर **8.00** बजे सायं तक खुला रहेगा। लाइसेंसिग प्राधिकारी/ जिलाधिकारी सम्बन्धित विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त दिनांक व दिनों में दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।	**14.** लाइसेंसप्राप्त परिसर **14** अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), **15** अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), **2** अक्टूबर (गांधी जयन्ती), **26** जनवरी (गणतंत्र दिवस) और **3** ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिये समस्त दिनों में **9.00** बजे प्रातः से लेकर **8.00** बजे सायं तक खुला रहेगा। लाइसेंसिग प्राधिकारी/ जिलाधिकारी सम्बन्धित विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त दिनांक व दिनों में दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
15. जिलों के एफ**0**एल**0-2**बी लाइसेंसधारी से बीयर की थोक आपूर्ति हेतु मांग-पत्र प्राप्त होने पर आपूर्ति प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत के अनुसार की जायेगी, ऐसा न करने पर लाइसेंसधारी दण्ड का भागी होगा।	**15.** जिलों के एफ**0**एल**0-2**बी लाइसेंसधारी से बीयर की थोक आपूर्ति हेतु मांग-पत्र प्राप्त होने पर आपूर्ति प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत के अनुसार की जायेगी, ऐसा न करने पर लाइसेंसधारी दण्ड का भागी होगा।
16. बंधित गोदाम से निकासी होने वाले समस्त ब्रान्डों की बोतलों/केन्स के लेबुलों पर **1x1** सेन्टीमीटर के दृश्य शब्दों में अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य अंकित होना अनिवार्य है। लेबुलों पर बिना अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य अंकित किये हुये बीयर की बिक्री प्रतिबन्धित है।	16. बंधित गोदाम से निकासी होने वाले समस्त ब्रान्डों की बोतलों/केन्स के लेबुलों पर **1x1** सेन्टीमीटर के दृश्य शब्दों में अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य अंकित होना अनिवार्य है। लेबुलों पर बिना अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य अंकित किये हुये बीयर की बिक्री प्रतिबन्धित है।
17. लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा की सील्ड पेटियों का उठान उन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।	**17.** लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा की सील्ड पेटियों का उठान उन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।
18. उत्तर प्रदेश में आयात की जाने वाली बीयर की पेटियों (कार्टन) की समस्त छः सतहों (फेस) पर गाढे लाल रंग की डेढ़ इंच चौड़ी पट्टी पर कम से कम एक इंच आकार के काले रंग के अक्षरों में "फार सेल इन यूपी" मुद्रित कराया जायेगा।	**18.** उत्तर प्रदेश में आयात की जाने वाली बीयर की पेटियों (कार्टन) की समस्त छः सतहों (फेस) पर गाढे लाल रंग की डेढ़ इंच चौड़ी पट्टी पर कम से कम एक इंच आकार के काले रंग के अक्षरों में "फार सेल इन यूपी" मुद्रित कराया जायेगा।
19. लाइसेंसधारी अपनी थोक दुकान पर मदिरा बिक्री के लिये विक्रेताओं की सूची आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। वह तद्नुसार विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा।	**19.** लाइसेंसधारी अपनी थोक दुकान पर मदिरा बिक्री के लिये विक्रेताओं की सूची आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। वह तद्नुसार विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा।

(लाइसेंस शुल्क/ प्रतिभूति धनराशि का विवरण)

बैंक का नाम	डिमांड ड्राफ्ट/ ई-ट्रेजरी चालान/एफ**0**डी**0**आर/बैंक गारन्टी संख्या	दिनांक	धनराशि

दिनांक .....

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

(लाइसेंस शुल्क/ प्रतिभूति धनराशि का विवरण)

बैंक का नाम	डिमांड ड्राफ्ट/ ई-ट्रेजरी चालान/एफ**0**डी**0**आर बैंक गारन्टी संख्या	दिनांक	धनराशि

दिनांक .....

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

13-बी0डब्लू0एफ0एल0-2सी प्रारुप का संशोधन–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में विद्यमान प्रारुप **बी0डब्लू0एफ0एल0-2सी** के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रारुप रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वियमान नियम	एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
वाइन बंधित गोदाम **(बी0डब्लू0एफ0एल0-2सी)** वाइन बंधित गोदाम स्थापित करने व चलाने का लाइसेंस लाइसेंस संख्या ..... [नियम - **(3)**]	वाइन बंधित गोदाम **(बी0डब्लू0एफ0एल0-2सी)** वाइन बंधित गोदाम स्थापित करने व चलाने का लाइसेंस लाइसेंस संख्या ..... [नियम - **(3)**]
आवेदक का फोटो	आवेदक का फोटो
गोदाम का फोटो	गोदाम का फोटो
गोदाम का अक्षांश/देशांतर	गोदाम का अक्षांश/देशांतर .....
1- लाइसेंस संख्या	**1-** लाइसेंस संख्या .....
2-जिला	**2-**जिला .....
3-लाइसेंसधारी का नाम, पता एवं आधार संख्या ..... ने वाइन बंधित गोदाम-**2** सी के लिए लाइसेंस शुल्क रूपये ..... तथा प्रतिभूति धनराशि रूपये ..... का सरकारी कोषागार में अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से या आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद /बैंक गारन्टी के माध्यम से नीचे उल्लिखित ब्यौरे जमा किये जायेंगे। उसने एक सामान्य बन्ध-पत्र भी निस्पादित किया है। संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, **1910** (संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या- **4** सन् **1910)** और तद्धीन बनाये गये नियमों/आदेशों के उपबंधों के अधीन श्री .....(जिसे आगे लाइसेंसधारी कहा गया है) को बोतल बन्द वाइन को उत्तर प्रदेश में बंधपत्र के अधीन आयात, संचय व बिक्री करने के लिये उसे प्राधिकृत करते हुये स्थान ..... जिला ..... (जिसे आगे लाइसेंसप्राप्त परिसर कहा गया है), के लिये दिनांक ..... से प्रारम्भ होने वाली और दिनांक **31** मार्च ..... को समाप्त होने वाली अवधि (दोनो तिथियों को सम्मिलित कर) के दौरान निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन जिनका लाइसेंसधारी या उसके द्वारा लगाये गये व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने पर लाइसेंसधारी अर्थदण्ड, प्रतिभूति समपहरण और लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए उत्तरदायी होगा, एतद्द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है:-	**3-**लाइसेंसधारी का नाम, पता एवं आधार संख्या ..... ने वाइन बंधित गोदाम-**2** सी के लिए लाइसेंस शुल्क रूपये ..... तथा प्रतिभूति धनराशि रूपये ..... का सरकारी कोषागार में अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से या आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत **सावधि जमा रसीद** के माध्यम से नीचे उल्लिखित ब्यौरे जमा किये जायेंगे। उसने एक सामान्य बन्ध-पत्र भी निस्पादित किया है। संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, **1910** (संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या- **4** सन् **1910)** और तद्धीन बनाये गये नियमों/आदेशों के उपबंधों के अधीन **समस्त प्रकार के देयों के साथ-साथ परमिट शुल्क एवं प्रतिफल शुल्क को जमा करने पर** श्री ..... (जिसे आगे लाइसेंसधारी कहा गया है) को बोतल बन्द वाइन को उत्तर प्रदेश में बंधपत्र के अधीन आयात, संचय व बिक्री करने के लिये उसे प्राधिकृत करते हुये स्थान ..... जिला ..... (जिसे आगे लाइसेंसप्राप्त परिसर कहा गया है), के लिये दिनांक ..... से प्रारम्भ होने वाली और दिनांक 31 मार्च ..... को समाप्त होने वाली अवधि (दोनो तिथियों को सम्मिलित कर) के दौरान निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन जिनका लाइसेंसधारी या उसके द्वारा लगाये गये व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने पर लाइसेंसधारी अर्थदण्ड, प्रतिभूति समपहरण और लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए उत्तरदायी होगा, एतद्द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
परिसर - स्वामी का नाम व पता	परिसर - स्वामी का नाम व पता .....
स्थान ग्राम/मुहल्ला ..... थाना ..... तहसील ..... जिला	स्थान ग्राम/मुहल्ला ..... थाना ..... तहसील ..... जिला .....
सीमाः-	सीमाः-
उत्तर.....	उत्तर .....
दक्षिण	दक्षिण .....
पूर्व	पूर्व .....
पश्चिम	पश्चिम .....
शर्तें	शर्तें
1. उक्त बंधित गोदाम से वाइन की निकासी राज्य के किसी अन्य बंधित गोदाम को बंध-पत्र, या राज्य के किसी थोक विक्रेता एफ**0**एल**0-2** लाइसेंसधारी को देय प्रतिफल शुल्क व अन्य प्रभारों के भुगतान करने के पश्चात् ही दी जायेगी।	**1.** उक्त बंधित गोदाम से वाइन की निकासी राज्य के किसी अन्य बंधित गोदाम को बंध-पत्र, या राज्य के किसी थोक विक्रेता एफ**0**एल**0-2** लाइसेंसधारी को देय प्रतिफल शुल्क व अन्य प्रभारों के भुगतान करने के पश्चात् ही दी जायेगी।
2. उक्त बंधित गोदाम से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर निर्धारित तीव्रता की ही वाइन की निकासी दी जायेगी।	**2.** उक्त बंधित गोदाम से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश **द्वारा** समय-समय पर निर्धारित तीव्रता की ही वाइन की निकासी दी जायेगी।
3. बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी, सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से, आयुक्त के आदेश के रहने पर भी, ऐसी वाइन जिसे वह उपभोग के लिए संदिग्ध समझता है और जिसका अविलम्ब नमूना भेजकर परीक्षण कराया जाना आवश्यक है, की निकासी रोकने के लिए सक्षम है।	**3.** बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी, सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से, आयुक्त के आदेश के रहने पर भी, ऐसी वाइन जिसे वह उपभोग के लिए संदिग्ध समझता है और जिसका अविलम्ब नमूना भेजकर परीक्षण कराया जाना आवश्यक है, की निकासी रोकने के लिए सक्षम है।
4. लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं द्वारा किये गये विशिष्ट ब्रांडो की मांगो और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये गोदाम पर ऐसे ब्रांडों के न्यूनतम स्टाक को अनुरक्षित रखेगा।	**4.** लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं **द्वारा** किये गये विशिष्ट ब्रांडो की मांगो और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये गोदाम पर ऐसे ब्रांडों के न्यूनतम स्टाक को अनुरक्षित रखेगा।
5. गोदाम में वाइन के समुचित अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लाइसेंसधारी का होगा। लाइसेंसधारी रैको की पर्याप्त संख्या में आलमारियाँ, बक्सें और अन्य उपस्कर भंडारण स्टाक के लिये, जो आवश्यक हो, उपलब्ध करायेगा और उस पर प्रभारी अधिकारी के ताले के साथ अपना भी ताला लगायेगा।	**5.** गोदाम में वाइन के समुचित अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लाइसेंसधारी का होगा। लाइसेंसधारी रैको की पर्याप्त संख्या में आलमारियाँ, बक्सें और अन्य उपस्कर भंडारण स्टाक के लिये, जो आवश्यक हो, उपलब्ध करायेगा और उस पर प्रभारी अधिकारी के ताले के साथ अपना भी ताला लगायेगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
6. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्देशित बोतल/फ्लास्क /पात्र की धारिता में वाइन की आपूर्ति करेगा।	**6.** लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्देशित बोतल/फ्लास्क /पात्र की धारिता में वाइन की आपूर्ति करेगा।
7. बोतलों पर लगाये गये लेबुलों पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा भराई नियमावली, **1969** में विहित **समस्त** आवश्यक मुद्रित अपेक्षाएं होंगी। लाइसेंसधारी सुरक्षा कोड के लिए गोदाम परिसर में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड लागू करने के लिये उचित प्रबंध करेगा। वाइन की किसी भी बोतल की बिक्री तब तक नहीं की जायेगी, जब तक उस पर आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा न हो।	**7.** बोतलों पर लगाये गये लेबुलों पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा भराई नियमावली, **1969** में विहित समस्त आवश्यक मुद्रित अपेक्षाएं होंगी। लाइसेंसधारी सुरक्षा कोड के लिए गोदाम परिसर में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड लागू करने के लिये उचित प्रबंध करेगा। वाइन की किसी भी बोतल की बिक्री तब तक नहीं की जायेगी, जब तक उस पर आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा न हो।
8- लाइसेंसधारी को उप आबकारी आयुक्त प्रभार द्वारा अनुमोदित प्राधिकृत प्रतिनिधि बंधित गोदाम में रखना होगा तथा बंधित गोदाम से निकासी और वाइन के आने वाले माल के लिये चढ़ाने व उतारने का प्रबंध करेगा। गोदाम में आई**0**पी**0** एड्रेस युक्त कैमरा लगा होगा। गोदाम अग्निशमन सयंत्रों से सज्जित होना चाहिए।	**8-** लाइसेंसधारी को उप आबकारी आयुक्त प्रभार द्वारा अनुमोदित प्राधिकृत प्रतिनिधि बंधित गोदाम में रखना होगा तथा बंधित गोदाम से निकासी और वाइन के आने वाले माल के लिये चढ़ाने व उतारने का प्रबंध करेगा। गोदाम में आई**0**पी**0** एड्रेस युक्त कैमरा लगा होगा। गोदाम अग्निशमन सयंत्रों से सज्जित होना चाहिए।
9- लाइसेंसधारी बंधित गोदाम में वाइन की प्राप्ति, निकासी की गई तथा अवशेष स्टाक की मात्रा का सही-सही लेखा-जोखा रखेगा। दैनिक रजिस्टर के निर्धारित प्रपत्र में वाइन का सही-सही लेखा रखा जायेगा। लेखा रजिस्टर के पृष्ठों पर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के रबर सील के साथ लगाकर पृष्ठ संख्या अंकित की जायेगी। वाइन की प्राप्ति व निकासी के पासों के पृष्ठों व पन्नों को समुचित ढंग से रखा जायेगा तथा आबकारी विभाग के प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय मांगने पर हर समय प्रस्तुत किया जायेगा। सम्बन्धित विवरण का एम**0**आई**0**एस**0** (मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम) विहित पोर्टल पर नियत अन्तराल पर अपलोड किया जायेगा ।	**9-** लाइसेंसधारी बंधित गोदाम में वाइन की प्राप्ति, निकासी की गई तथा अवशेष स्टाक की मात्रा का सही-सही लेखा-जोखा रखेगा। दैनिक रजिस्टर के निर्धारित प्रपत्र में वाइन का सही-सही लेखा रखा जायेगा। लेखा रजिस्टर के पृष्ठों पर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के रबर सील के साथ लगाकर पृष्ठ संख्या अंकित की जायेगी। वाइन की प्राप्ति व निकासी के पासों के पृष्ठों व पन्नों को समुचित ढंग से रखा जायेगा तथा आबकारी विभाग के प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय मांगने पर हर समय प्रस्तुत किया जायेगा। सम्बन्धित विवरण का एम**0**आई**0**एस**0**(मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम) विहित पोर्टल पर नियत अन्तराल पर अपलोड किया जायेगा ।
10-लाइसेंसधारी बंधित गोदाम से वाइन की निकासी के लिये तथा बंधित गोदाम के समुचित प्रबन्ध के लिये समस्त सामान्य नियमों का पालन करने के लिये बाध्य होगा।	**10-**लाइसेंसधारी बंधित गोदाम से वाइन की निकासी के लिये तथा बंधित गोदाम के समुचित प्रबन्ध के लिये समस्त सामान्य नियमों का पालन करने के लिये बाध्य होगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
11- लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों के अनुसार ब्रांडो के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ अनुमोदित अधिकतम् थोक व अधिकतम् फुटकर बिक्री की दरें, एक्स बांड मूल्य, ब्रांडो की विस्तृत सूची आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी किसी लेबुल को प्रयोग करने से पूर्व प्रतिवर्ष चार प्रतियों में आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रत्येक लेबुल धारितावार के अनुमोदन शुल्क के साथ ई-ट्रेजरी चालान की प्रति संलग्न करके सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो उसके अनुमोदन के लिये आबकारी आयुक्त को प्रेषित करेगा। अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य की दर में कोई परिवर्तन वर्ष के मध्य में तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि विशेष रूप से आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमति प्रदान न की जाये।	**11-** लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त **द्वारा** समय-समय पर दिये गये निदेशों के अनुसार ब्रांडो के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ अनुमोदित अधिकतम् थोक व अधिकतम् फुटकर बिक्री की दरें, एक्स बांड मूल्य, ब्रांडो की विस्तृत सूची आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी किसी लेबुल को प्रयोग करने से पूर्व प्रतिवर्ष चार प्रतियों में आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर **यथाविहित** प्रत्येक लेबुल धारितावार के अनुमोदन शुल्क के साथ ई-ट्रेजरी चालान की प्रति संलग्न करके सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो उसके अनुमोदन के लिये आबकारी आयुक्त को प्रेषित करेगा। अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य की दर में कोई परिवर्तन वर्ष के मध्य में तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि विशेष रूप से आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमति प्रदान न की जाये।
12- लाइसेंसधारी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, **1910 (**संयुक्त प्रान्त अधिनियम सख्या **4** सन् **1910)** और इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और आदेशो के उपबंधों के अधीन व इस लाइसेंस की शर्तो का पालन करेगा।	**12-** लाइसेंसधारी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, **1910 (**संयुक्त प्रान्त अधिनियम सख्या **4** सन् **1910)** और इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और आदेशो के उपबंधों के अधीन व इस लाइसेंस की शर्तो का पालन करेगा।
13- यदि लाइसेंस निर्धारित अवधि के पूर्व ही निरस्त किया जाता है या निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात् नवीकृत नहीं होता है तो लाइसेंसधारी बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी को बचे हुये वाइन के थोक स्टॉक की सूचना देगा और आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निदेशों के अधीन बचे हुये स्टाक का निस्तारण करेगा।	**13-** यदि लाइसेंस निर्धारित अवधि के पूर्व ही निरस्त किया जाता है या निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात् नवीकृत नहीं होता है तो लाइसेंसधारी बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी को बचे हुये वाइन के थोक स्टॉक की सूचना देगा और आबकारी आयुक्त **द्वारा** दिये गये निदेशों के अधीन बचे हुये स्टाक का निस्तारण करेगा।
14. लाइसेंसप्राप्त परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिये समस्त दिनों में 9.00 बजे प्रातः से लेकर 8.00 बजे सायं तक खुला रहेगा। लाइसेंसिंग प्राधिकारी/ जिलाधिकारी सम्बन्धित विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त दिनांक व दिनों में दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।	**14.** लाइसेंसप्राप्त परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी **द्वारा** बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिये समस्त दिनों में 9.00 बजे प्रातः से लेकर 8.00 बजे सायं तक खुला रहेगा। लाइसेंसिंग प्राधिकारी/ जिलाधिकारी सम्बन्धित विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त दिनांक व दिनों में दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
15. जिलों के एफ**0**एल**0**-2 लाइसेंसधारी से वाइन की थोक आपूर्ति हेतु मांग-पत्र प्राप्त होने पर आपूर्ति प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के अनुसार की जायेगी, ऐसा न करने पर लाइसेंसधारी दण्ड का भागी होगा।	**15.** जिलों के एफ**0**एल**0**-2 लाइसेंसधारी से वाइन की थोक आपूर्ति हेतु मांग-पत्र प्राप्त होने पर आपूर्ति प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के अनुसार की जायेगी, ऐसा न करने पर लाइसेंसधारी दण्ड का भागी होगा।
16. बंधित गोदाम से निकासी होने वाले समस्त ब्रांडों की बोतलों के लेबुलों पर 1**x**1 सेन्टीमीटर के दृश्य शब्दों में अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य अंकित होना अनिवार्य है। लेबुलों पर बिना अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य अंकित किये हुये वाइन की बिक्री प्रतिबन्धित है।	**16.** बंधित गोदाम से निकासी होने वाले समस्त ब्रांडों की बोतलों के लेबुलों पर 1**x**1 सेन्टीमीटर के दृश्य शब्दों में अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य अंकित होना अनिवार्य है। लेबुलों पर बिना अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य अंकित किये हुये वाइन की बिक्री प्रतिबन्धित है।
17- लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा की सील्ड पेटियों का उठान उन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।	**17-** लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा की सील्ड पेटियों का उठान उन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।
18- उत्तर प्रदेश में आयात की जाने वाली वाइन की पेटियों (कार्टन) की समस्त छः सतहों (फेस) पर गाढ़े लाल रंग की डेढ़ इंच चौड़ी पट्टी पर कम से कम एक इंच आकार के काले रंग के अक्षरों में "फार सेल इन यूपी" मुद्रित कराया जायेगा।	**18-** उत्तर प्रदेश में आयात की जाने वाली वाइन की पेटियों (कार्टन) की समस्त छः सतहों (फेस) पर गाढ़े लाल रंग की डेढ़ इंच चौड़ी पट्टी पर कम से कम एक इंच आकार के काले रंग के अक्षरों में "फार सेल इन यूपी" मुद्रित कराया जायेगा।
19- लाइसेंसधारी अपनी थोक दुकान पर मदिरा बिक्री के लिये विक्रेताओं की सूची आबकारी आयुक्त/ आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। वह तद्नुसार विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा।	19-लाइसेंसधारी अपनी थोक दुकान पर मदिरा बिक्री के लिये विक्रेताओं की सूची आबकारी आयुक्त/ आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। वह तद्नुसार विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा।

लाइसेंस/ शुल्क, प्रतिभूति धनराशि का विवरण

बैंक का नाम	डिमांड ड्राफ्ट/ ई-ट्रेजरी चालान / एफ**0**डी**0**आर/ बैंक गारन्टी संख्या	दिनांक	धनराशि

दिनांक .....

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

(लाइसेंस शुल्क/ प्रतिभूति धनराशि का विवरण**)**

बैंक का नाम	डिमांड ड्राफ्ट/ ई-ट्रेजरी चालान /एफ**0**डी**0**आर/ बैंक गारन्टी संख्या	दिनांक	धनराशि

दिनांक .....

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

14- बी**0**डब्लू**0**एफ**0**एल**0-2**डी प्रारुप का संशोधन --उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-**1** में विद्यमान प्रारुप **बी0डब्लू0एफ0एल0-2डी** के स्थान पर स्तम्भ-**2** में दिया गया प्रारुप रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
कम तीव्रता के मादक पेय बंधित गोदाम	कम तीव्रता के मादक पेय बंधित गोदाम
(बी0डब्लू0एफ0एल0-2डी)	**(बी0डब्लू0एफ0एल0-2डी)**
कम तीव्रता के मादक पेय बंधित गोदाम स्थापित करने व चलाने का लाइसेंस	कम तीव्रता के मादक पेय बंधित गोदाम स्थापित करने व चलाने का लाइसेंस
लाइसेंस संख्या	लाइसेंस संख्या .....
[नियम-**3]**	**[**नियम-**3]**
आवेदक का फोटो	आवेदक का फोटो
गोदाम का फोटो	गोदाम का फोटो
गोदाम का अक्षांश/देशांतर	गोदाम का अक्षांश/देशांतर .....
1- लाइसेंस संख्या	**1**- लाइसेंस संख्या .....
2-जिला	**2**-जिला .....
3-लाइसेंसधारी का नाम, पता एवं आधार संख्या .... ने कम तीव्रता के मादक पेय बंधित गोदाम-**2**डी के लिए लाइसेंस शुल्क रूपये ..... (शब्दों में) ..... तथा प्रतिभूति धनराशि रूपये ..... (शब्दों में) ..... का सरकारी कोषागार में अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से या आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद /बैंक गारन्टी के माध्यम से नीचे यथा उल्लिखित विस्तृत विवरण जमा किया है। उसने एक सामान्य बन्ध-पत्र भी निष्पादित किया है।	**3**-लाइसेंसधारी का नाम, पता एवं आधार संख्या .... ने कम तीव्रता के मादक पेय बंधित गोदाम-**2**डी के लिए लाइसेंस शुल्क रूपये ..... (शब्दों में) ..... तथा प्रतिभूति धनराशि रूपये ..... (शब्दों में) ..... का सरकारी कोषागार में अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से या आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत **सावधि जमा रसीद** के माध्यम से नीचे यथा उल्लिखित विस्तृत विवरण जमा किया है। उसने एक सामान्य बन्ध-पत्र भी निष्पादित किया है।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, **1910** (संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या **4** सन् **1910)** और तद्धीन बनाये गये नियमों/आदेशों के उपबंधों के अधीन बोतल बन्द कम तीव्रता के मादक पेय को उत्तर प्रदेश में बंधपत्र के अधीन आयात, संचय व बिक्री करने के लिये उसे प्राधिकृत करते हुये स्थान .... जिला ..... (जिसे आगे लाइसेंस युक्त परिसर कहा गया है) के लिये दिनांक ..... से प्रारम्भ होने वाली और दिनांक **31** मार्च ..... को समाप्त होने वाली अवधि (दोनो तिथियों को सम्मिलित कर) के दौरान निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन जिनका लाइसेंसधारी या उसके द्वारा लगाये गये व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने पर लाइसेंसधारी अर्थदण्ड, प्रतिभूति समपहरण और लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए उत्तरदायी होगा, एतद्द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है:-	संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, **1910** (संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या **4** सन् **1910)** और तद्धीन बनाये गये नियमों/आदेशों के उपबंधों के अधीन **समस्त प्रकार के देयों के साथ-साथ परमिट शुल्क एवं प्रतिफल शुल्क को जमा करने पर** बोतल बन्द कम तीव्रता के मादक पेय को उत्तर प्रदेश में बंधपत्र के अधीन आयात, संचय व बिक्री करने के लिये उसे प्राधिकृत करते हुये स्थान ..... जिला ..... (जिसे आगे लाइसेंस युक्त परिसर कहा गया है) के लिये दिनांक ..... से प्रारम्भ होने वाली और दिनांक **31** मार्च ..... को समाप्त होने वाली अवधि (दोनो तिथियों को सम्मिलित कर) के दौरान निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन जिनका लाइसेंसधारी या उसके द्वारा लगाये गये व्यक्ति **द्वारा** उल्लंघन किये जाने पर लाइसेंसधारी अर्थदण्ड, प्रतिभूति समपहरण और लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए उत्तरदायी होगा, एतद्द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है:-
परिसर स्वामी का नाम व पता ..... स्थान-ग्राम/मुहल्ला ..... थाना ..... तहसील ..... जिला ..... सीमाः- उत्तर ..... दक्षिण ..... पूर्व ..... पश्चिम	परिसर स्वामी का नाम व पता ..... स्थान-ग्राम/मुहल्ला ..... थाना ..... तहसील ..... जिला ..... सीमाः- उत्तर ..... दक्षिण ..... पूर्व ..... पश्चिम .....
शर्तें	शर्तें
1. उक्त बंधित गोदाम से कम तीव्रता के मादक पेय की निकासी, राज्य के किसी अन्य बंधित गोदाम को बंध-पत्र या राज्य के किसी थोक विक्रेता एफ**0**एल**0-2**बी लाइसेंसधारी को देय प्रतिफल शुल्क व अन्य प्रभारों के भुगतान करने के पश्चात् ही दी जायेगी।	1. उक्त बंधित गोदाम से कम तीव्रता के मादक पेय की निकासी, राज्य के किसी अन्य बंधित गोदाम को बंध-पत्र या राज्य के किसी थोक विक्रेता एफ**0**एल**0-2**बी लाइसेंसधारी को देय प्रतिफल शुल्क व अन्य प्रभारों के भुगतान करने के पश्चात्

स्तम्भ-1 वियमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
2. उक्त बंधित गोदाम से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर निर्धारित तीव्रता की ही कम तीव्रता के मादक पेय की निकासी दी जायेगी।	2. उक्त बंधित गोदाम से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश **द्वारा** समय-समय पर निर्धारित तीव्रता की ही कम तीव्रता के मादक पेय की निकासी दी जायेगी।
3. बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी, सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से, आयुक्त के आदेश के रहने पर भी, ऐसी कम तीव्रता के मादक पेय जिसे वह उपभोग के लिए संदिग्ध समझता है और जिसका अविलम्ब नमूना भेजकर परीक्षण कराया जाना आवश्यक है, की निकासी रोकने के लिए सक्षम है।	3. बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी, सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से, आयुक्त के आदेश के रहने पर भी, ऐसी कम तीव्रता के मादक पेय जिसे वह उपभोग के लिए संदिग्ध समझता है और जिसका अविलम्ब नमूना भेजकर परीक्षण कराया जाना आवश्यक है, की निकासी रोकने के लिए सक्षम है।
4. लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं द्वारा किये गये विशिष्ट ब्रांडो की मांगो और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये गोदाम पर ऐसे ब्रांडों के न्यूनतम **स्टॉक** को अनुरक्षित रखेगा।	4. लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं द्वारा किये गये विशिष्ट ब्रांडो की मांगो और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये गोदाम पर ऐसे ब्रांडों के न्यूनतम **स्टॉक** को अनुरक्षित रखेगा।
5. गोदाम में कम तीव्रता के मादक पेय के समुचित अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लाइसेंसधारी का होगा। लाइसेंसधारी रैंको की पर्याप्त संख्या में आलमारियाँ, बक्सों और अन्य उपस्कर भंडारण स्टाक के लिये, जो आवश्यक हो, उपलब्ध करायेगा और उस पर प्रभारी अधिकारी के ताले के साथ अपना भी ताला लगायेगा।	5.गोदाम में कम तीव्रता के मादक पेय के समुचित अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लाइसेंसधारी का होगा। लाइसेंसधारी रैंको की पर्याप्त संख्या में आलमारियाँ, बक्सों और अन्य उपस्कर भंडारण स्टाक के लिये, जो आवश्यक हो, उपलब्ध करायेगा और उस पर प्रभारी अधिकारी के ताले के साथ अपना भी ताला लगायेगा।
6. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्देशित बोतल/फ्लास्क /कैन्स की धारिता में कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति करेगा।	6.लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त **द्वारा** समय-समय पर निर्देशित बोतल/फ्लास्क/कैन्स की धारिता में कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति करेगा।
7. बोतलों पर लगाये गये लेबुलों पर समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा भराई नियमावली, 1969 में विहित समस्त आवश्यक मुद्रित अपेक्षाएं होंगी। लाइसेंसधारी गोदाम के परिसर में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड लागू करने हेतु उचित प्रबंध करेगा। कम तीव्रता के मादक पेय के किसी भी बोतल की बिक्री तब तक नहीं की जायेगी, जब तक उस पर आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा न हो।	**7.** बोतलों पर लगाये गये लेबुलों पर समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा भराई नियमावली, 1969 में विहित समस्त आवश्यक मुद्रित अपेक्षाएं होंगी। लाइसेंसधारी गोदाम के परिसर में आबकारी विभाग **द्वारा** अनुमोदित सुरक्षा कोड लागू करने हेतु उचित प्रबंध करेगा। कम तीव्रता के मादक पेय के किसी भी बोतल की बिक्री तब तक नहीं की जायेगी, जब तक उस पर आबकारी विभाग **द्वारा** अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा न हो।
8- लाइसेंसधारी को उप आबकारी आयुक्त प्रभार द्वारा अनुमोदित प्राधिकृत प्रतिनिधि बंधित गोदाम में रखना होगा तथा बंधित गोदाम से निकासी और कम तीव्रता के मादक पेय के आने वाले माल के लिये चढ़ाने व उतारने का प्रबंध करेगा। गोदाम में आई**0**पी**0** एड्रेस युक्त कैमरा लगा होगा। गोदाम	8-लाइसेंसधारी को उप आबकारी आयुक्त प्रभार **द्वारा** अनुमोदित प्राधिकृत प्रतिनिधि बंधित गोदाम में रखना होगा तथा बंधित गोदाम से निकासी और कम तीव्रता के मादक पेय के आने वाले माल के लिये चढ़ाने व उतारने का प्रबंध करेगा। गोदाम में आई**0**पी**0** एड्रेस युक्त कैमरा लगा होगा। गोदाम

अग्निशमन सयंत्रो से सज्जित होना चाहिये।	अग्निशमन सयंत्रो से सज्जित होना चाहिये।
स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
9- लाइसेंसधारी बंधित गोदाम में कम तीव्रता के मादक पेय की प्राप्ति, निकासी की गई तथा अवशेष स्टॉक की मात्रा का सही-सही लेखा-जोखा रखेगा। दैनिक रजिस्टर के निर्धारित प्रपत्र में कम तीव्रता के मादक पेय का सही-सही लेखा रखा जायेगा। लेखा रजिस्टर के पृष्ठों पर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के रबर सील के साथ लगाकर पृष्ठ संख्या अंकित की जायेगी। कम तीव्रता के मादक पेय की प्राप्ति व निकासी के पासों के पृष्ठों व पन्नों को समुचित ढंग से रखा जायेगा तथा आबकारी विभाग के प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय मांगने पर हर समय प्रस्तुत किया जायेगा। सम्बन्धित विवरण का एम0आई0एस0 (मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम) विहित पोर्टल पर नियत अन्तराल पर अपलोड किया जायेगा ।	9-लाइसेंसधारी बंधित गोदाम में कम तीव्रता के मादक पेय की प्राप्ति, निकासी की गई तथा अवशेष स्टॉक की मात्रा का सही-सही लेखा-जोखा रखेगा। दैनिक रजिस्टर के निर्धारित प्रपत्र में कम तीव्रता के मादक पेय का सही-सही लेखा रखा जायेगा। लेखा रजिस्टर के पृष्ठों पर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के रबर सील के साथ लगाकर पृष्ठ संख्या अंकित की जायेगी। कम तीव्रता के मादक पेय की प्राप्ति व निकासी के पासों के पृष्ठों व पन्नों को समुचित ढंग से रखा जायेगा तथा आबकारी विभाग के प्राधिकारियों **द्वारा** निरीक्षण के समय मांगने पर हर समय प्रस्तुत किया जायेगा। सम्बन्धित विवरण का एम0आई0एस0 (मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम) विहित पोर्टल पर नियत अन्तराल पर अपलोड किया जायेगा ।
10. लाइसेंसधारी बंधित गोदाम से कम तीव्रता के मादक पेय की निकासी के लिये तथा बंधित गोदाम के समुचित प्रबन्ध के लिये समस्त सामान्य नियमों के पालन करने के लिये बाध्य होगा।	10. लाइसेंसधारी बंधित गोदाम से कम तीव्रता के मादक पेय की निकासी के लिये तथा बंधित गोदाम के समुचित प्रबन्ध के लिये समस्त सामान्य नियमों के पालन करने के लिये बाध्य होगा।
11. लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों के अनुसार ब्रांडों के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ अनुमोदित अधिकतम् थोक व अधिकतम् फुटकर विक्री की दरें, एक्स बांड मूल्य, ब्रांडों की विस्तृत सूची आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी किसी लेबुल को प्रयोग करने से पूर्व प्रतिवर्ष चार प्रतियों में आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रत्येक लेबुल धारितावार के अनुमोदन शुल्क के साथ ई-ट्रेजरी चालान की प्रति संलग्न करके सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो उसके अनुमोदन के लिये आबकारी आयुक्त को प्रेषित करेगा। अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य की दर में कोई परिवर्तन वर्ष के मध्य में तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि विशेष रूप से आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमति	11.लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त **द्वारा** समय-समय पर दिये गये निदेशों के अनुसार ब्रांडों के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ अनुमोदित अधिकतम् थोक व अधिकतम् फुटकर विक्री की दरें, एक्स बांड मूल्य, ब्रांडों की विस्तृत सूची आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी किसी लेबुल को प्रयोग करने से पूर्व प्रतिवर्ष चार प्रतियों में आबकारी आयुक्त **द्वारा** समय-समय पर **यथाविहित** प्रत्येक लेबुल धारितावार के अनुमोदन शुल्क के साथ ई-ट्रेजरी चालान की प्रति संलग्न करके सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो उसके अनुमोदन के लिये आबकारी आयुक्त को प्रेषित करेगा। अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य की दर में कोई परिवर्तन वर्ष के मध्य में तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि विशेष रूप से आबकारी आयुक्त **द्वारा** अनुमति प्रदान न की जाये।

प्रदान न की जाये।

स्तम्भ-1 वियमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
12. लाइसेंसधारी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) और इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अधीन व इस लाइसेंस की शर्तों का पालन करेगा।	12.लाइसेंसधारी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या **4** सन् 1910) और इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अधीन व इस लाइसेंस की शर्तों का पालन करेगा।
13. यदि लाइसेंस निर्धारित अवधि के पूर्व ही निरस्त किया जाता है या निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात् नवीकृत नहीं होता है तो लाइसेंसधारी बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी को बचे हुये कम तीव्रता के मादक पेय के थोक स्टॉक की सूचना देगा और आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निदेशों के अधीन बचे हुये स्टॉक का निस्तारण करेगा।	13.यदि लाइसेंस निर्धारित अवधि के पूर्व ही निरस्त किया जाता है या निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात् नवीकृत नहीं होता है तो लाइसेंसधारी बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी को बचे हुये कम तीव्रता के मादक पेय के थोक स्टॉक की सूचना देगा और आबकारी आयुक्त **द्वारा** दिये गये निदेशों के अधीन बचे हुये स्टॉक का निस्तारण करेगा।
14. लाइसेंसप्राप्त परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती) , 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) **2** अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और **3** ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिये समस्त दिनों में 9.00 बजे प्रातः से लेकर 8.00 बजे सायं तक खुला रहेगा। लाइसेंसिंग प्राधिकारी/ जिलाधिकारी सम्बन्धित विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त दिनांक व दिनों में दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।	14.लाइसेंसप्राप्त परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती) , 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) **2** अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और **3** ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी **द्वारा** बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिये समस्त दिनों में 9.00 बजे प्रातः से लेकर 8.00 बजे सायं तक खुला रहेगा। लाइसेंसिंग प्राधिकारी/ जिलाधिकारी सम्बन्धित विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त दिनांक व दिनों में दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
15. जिलों के एफ**0**एल**0.2**बी लाइसेंसधारियों से कम तीव्रता के मादक पेय की थोक आपूर्ति हेतु माँग.पत्र प्राप्त होने पर आपूर्ति प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के अनुसार की जायेगी। ऐसा न करने पर लाइसेंसधारी दण्ड का भागी होगा।	15.जिलों के एफ**0**एल**0.2**बी लाइसेंसधारियों से कम तीव्रता के मादक पेय की थोक आपूर्ति हेतु माँग.पत्र प्राप्त होने पर आपूर्ति प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के अनुसार की जायेगी। ऐसा न करने पर लाइसेंसधारी दण्ड का भागी होगा।
16. बंधित गोदाम से निकासी होने वाले समस्त ब्रांडों की बोतलों के लेबुलों पर **1x1** सेन्टीमीटर के दृश्य शब्दों में अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य अंकित होना अनिवार्य है। लेबुलों पर बिना अधिकतम फुटकर बिक्रय मूल्य अंकित किये हुये कम	16.बंधित गोदाम से निकासी होने वाले समस्त ब्रांडों की बोतलों के ले**ब**लों पर **1x1** सेन्टीमीटर के **दृ**श्य शब्दों में अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य अंकित होना अनिवार्य है। लेबुलों पर बिना अधिकतम फुटकर बिक्रय मूल्य अंकित किये हुये कम

तीव्रता के मादक पेय की बिक्री प्रतिबन्धित है।	तीव्रता के मादक पेय की बिक्री प्रतिबन्धित है।
स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
17- लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा की सील्ड पेटियों का उठान उन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।	17- लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा की सील्ड पेटियों का उठान उन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।
18- उत्तर प्रदेश में आयात की जाने वाली कम तीव्रता के मादक पेय की पेटियों (कार्टन) की समस्त छः सतहों (फेस) पर गाढ़े लाल रंग की डेढ़ इंच चौड़ी पट्टी पर कम से कम एक इंच आकार के काले रंग के अक्षरों में " फार सेल इन यूपी" मुद्रित कराया जायेगा।	18- उत्तर प्रदेश में आयात की जाने वाली कम तीव्रता के मादक पेय की पेटियों (कार्टन) की समस्त छः सतहों (फेस) पर गाढ़े लाल रंग की डेढ़ इंच चौड़ी पट्टी पर कम से कम एक इंच आकार के काले रंग के अक्षरों में "फार सेल इन यूपी" मुद्रित कराया जायेगा।
19 लाइसेंसधारी अपनी थोक दुकान पर मदिरा बिक्री के लिये विक्रेताओं की सूची आबकारी आयुक्त/ आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। वह तद्नुसार विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा।	19-लाइसेंसधारी अपनी थोक दुकान पर मदिरा बिक्री के लिये विक्रेताओं की सूची आबकारी आयुक्त/ आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। वह तद्नुसार विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा।

लाइसेंस/ शुल्क, प्रतिभूति धनराशि का विवरण

बैंक का नाम	डिमांड ड्राफ्ट/ ट्रेजरी चालान संख्या/एफ0डी0आर/राष्ट्रीय बचत पत्र संख्या	दिनांक	धनराशि

दिनांक .....

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश।

(लाइसेंस शुल्क/प्रतिभूति धनराशि का विवरण)

बैंक का नाम	डिमांड ड्राफ्ट **संख्या**/ **ई**-ट्रेजरी चालान / एफ0डी0आर/**बैंक गारन्टी** संख्या	दिनांक	धनराशि

दिनांक .....

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
(सैंथिल पांडियन सी0),
आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

No. 6034/X-Licence-40/BWFL-2 Rules/2023-24

Prayagraj, dated: October 03, 2023

NOTIFICATION

In exercise of the powers under section 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no IV of 1910), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no 1 of 1904) the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government **hereby** makes the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Foreign Liquor Bonded Warehouses) Rules, 2011 for the grant of licenses of Foreign Liquor Bonded Warehouse under clause(d) of section 18 of the said Act of 1910 on fixed license fee.

THE UTTAR PRADESH EXCISE (SETTLEMENT OF LICENSES FOR FOREIGN LIQUOR BONDED WAREHOUSE) (NINTH AMENDMENT) RULES, 2023

1. Short title and Commencement–(1)These rules may be called the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Foreign Liquor Bonded Warehouse) (**Ninth A**mendment) Rules, **2023.**

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2023.

2. Amendement of rule-3–In the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Foreign Liquor Bonded Warehouses) Rules, 2011 **(**herein**af**ter referred to as the **"**said rules**")** for **the existing** rule 3 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:–

Column I	**Column II**
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
3. Grant of License-	3. Grant of License-
(1) The licenses for Foreign liquor bonded warehouse on a defined format of annexed (BWFL-2A, BWFL-2B, BWFL-2C and BWFL-2D) for issue of Foreign liquor in wholesale shall be granted/renewed by Excise Commissioner or an Officer authorized by him, not below the rank of Joint Excise Commissioner on payment of License fee, deposit of the security amount and execution of general bond in form BWFL-3 in favour of the Excise Commissioner.	(1) The licenses for Foreign liquor bonded warehouse on a defined format of annexed (BWFL-2A, BWFL-2B, BWFL-2C and BWFL-2D) for issue of Foreign liquor in wholesale shall be granted/renewed by Excise Commissioner or an Officer authorized by him, not below the rank of Joint Excise Commissioner on payment of License fee, deposit of the security amount and execution of general bond in form BWFL-3 in favour of the Excise Commissioner**:** **Provided that for the sale of Scotch and single malt brands of India-made foreign liquor having MRP(per bottle) of more than rupees three thousand,BWFL-2AA license will be issued on depositing the license fee as fixed by the State Government. This license will be given to such individuals/firms/companies, which have authorization letters of the concerned producers. In this type of license, sale of maximum five brands including all variants will be allowed.**
(2) License for Foreign liquor Bonded warehouse for wholesale of Foreign liquor, beer, wine and low strength alcoholic beverages shall be given to the licensed Distilleries, Brewery, Vintineries of other State. License holder of the bottling plant of other State shall also be eligible for the license provided bottling unit of such license holder fulfills the following criteria-	(2) License for Foreign liquor Bonded warehouse for wholesale of Foreign liquor, beer, wine and low strength alcoholic beverages shall be given to the licensed Distilleries, Brewery, Vintineries of other State. License holder of the bottling plant of other State shall also be eligible for the license provided bottling unit of such license holder fulfills the following criteria-

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(I) Bottling unit has annual turnover of business income (including revenue/excise duty) not less than Rs. 100 Crore.	(I) Bottling unit has annual turnover of business income (including revenue/excise duty) not less than Rs. 100 Crore.
(II) Annual production capacity of bottling unit not less than five lakh cases.	(II) Annual production capacity of bottling unit not less than five lakh cases.
(III) Bottling unit has its business at least in three states with minimum one Crore population.	(III) Bottling unit has its business at least in three states with minimum one Crore population.
(3) Application for grant of license shall be made in the Form BWFL-1.If any out of State unit desires to obtain bond licenses in various districts, then for each separate license fee for every district shall be charged.	(3) Application for grant of license shall be made in the Form BWFL-1.If any out of State unit desires to obtain bond licenses in various districts, then for each separate license fee for every district shall be charged.
(4) Security amount shall be prescribed by the Excise Commissioner with the prior approval of the State Government, which shall be in the form of Fixed Deposit Receipt/Bank Guarantee pledged in favour of Excise commissioner Uttar Pradesh, or through e-payment.	(4) Security amount shall be prescribed by the Excise Commissioner with the prior approval of the State Government, which shall be in the form of **Fixed Deposit Receipt** pledged in favour of Excise Commissioner Uttar Pradesh, or through e-payment.
(5) License fee shall be deposited by the licensee through e-payment in Government Treasury or by Bank-draft issued by a Nationalized Bank payable to Excise Commissioner.	(5) **License fee shall be deposited by the licencee through e-payment in Government Treasury.**
(6) The period of license shall be for an excise year or part thereof for which the license has been granted.	(6) The period of license shall be for an excise year or part thereof for which the license has been granted.
(7) The license shall not be permitted to transfer or sublet the license to any other person.	(7) The license shall not be permitted to transfer or sublet the license to any other person.
(8) Any out of state unit having multiple units in other states ,desirous of selling IMFL/ Beer /Wine/LAB manufactured in its different units including FL-1 and FL-1A licences situated in the state from a master warehouse on same premises after obtaining bond licenses in Uttar Pradesh, may be allowed so after charging prescribed license fee for every unit: "Provided that consignment from various units shall be stored separately in that premises: Provided further that any wholesale licensee holding license in Form FL-2 and FL-2B may procure supply of different brands of Indian made foreign liquor/Beer/ Wine/ Low Strength Alcoholic Beverage under a single indent from such a master warehouse. License in Form BWFL-2A, BWFL-2B,BWFL-2C and BWFL-2D and master warehouse may be renewed by Excise Commissioner or an officer authorized by him, subject to the terms and conditions prescribed by the State Government.	(8) Any out of state unit having multiple units in other states ,desirous of selling IMFL/ Beer /Wine/LAB manufactured in its different units including FL-1 and FL-1A licences situated in the state from a master warehouse on same premises after obtaining bond licenses in Uttar Pradesh, may be allowed so after charging prescribed license fee for every unit: "Provided that consignment from various units shall be stored separately in that premises: Provided further that any wholesale licensee holding license in Form FL-2 and FL-2B may procure supply of different brands of Indian made foreign liquor/Beer/ Wine/ Low Strength Alcoholic Beverage under a single indent from such a master warehouse. License in Form BWFL-2A, **BWFL-2AA**, BWFL-2B,BWFL-2C and BWFL-2D and master warehouse may be renewed by Excise Commissioner or an officer authorized by him, subject to the terms and conditions prescribed by the State Government.

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(9) In case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate/Pledged fixed deposit receipt shall be acceptable till it is not refunded.	(9) In case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate/Pledged fixed deposit receipt/**Bank Guarantee** shall be acceptable till it is not refunded.
	(10) Any unit outside the state, which has many units/bottling units in other states, through which bond licenses have been obtained in one district/various districts of Uttar Pradesh, the brands, their labels and Approval of MRP will be done bond wise by the producer/bottling unit.

3. Amendment of rule-5– In the said rules, for existing rule- 5 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely :–

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
5- How to obtain Foreign liquor:-	5- How to obtain Foreign liquor:-
Foreign liquor, beer, wine and low strength alcoholic beverages may be obtained by license holder of bond from his own Distillery, Brewery, Ventinery or Bonded Warehouse outside Uttar Pradesh on a permit in define format of annexed FL-22 Form issued by the District Excise Officer or Deputy Excise Commissioner, Charge belonging to the district/ charge of license holder under rules.	Foreign liquor, beer, wine and low strength alcoholic beverages may be obtained by license holder of bond from his own Distillery, Brewery, Ventinery or **Bottling Unit** outside Uttar Pradesh on a permit in define format of annexed FL-22 Form issued by the District Excise Officer or Deputy Excise Commissioner, Charge belonging to the district/ charge of license holder under rules.

4. Amendment of rule-6– In the said rules, for the existing rule- 6 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely :–

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
6. Import of Foreign Liquor into bonded warehouse-	6. Import of Foreign Liquor into bonded warehouse-
(1) Any person holding a licence in the Form of BWFL-2A, BWFL-2B, BWFL-2C or BWFL-2D shall present an application to the Collector of the importing district specifying:-	(1) Any person holding a licence in the Form of BWFL-2A, **BWFL-2AA** BWFL-2B, BWFL-2C or BWFL-2D shall present an application to the Collector of the importing district specifying:-
(i) The quantity and brand wise description of the Indian Made Foreign Liquor, Beer, Wine and low strength alcoholic Beverages to be imported.	(i) The quantity and brand wise description of the Indian Made Foreign Liquor, Beer, Wine and low strength alcoholic Beverages to be imported.
(ii) The registration number and maximum retail price of Foreign Liquor, Beer, Wine and low strength alcoholic Beverages of every brand approved by the Excise Commissioner and also produce the label approval certificate of the Excise Commissioner Uttar Pradesh.	(ii) The registration number and maximum retail price of Foreign Liquor, Beer, Wine and low strength alcoholic Beverages of every brand approved by the Excise Commissioner and also produce the label approval certificate of the Excise Commissioner Uttar Pradesh.
(iii) The name of the distillery, Brewery, Vintinery or Bonded Warehouse from which the Foreign liquor, beer, wine and low strength alcoholic beverages is to be imported in terms of bottles/cans and Bulk litres of each brand and category.	(iii) The name of the distillery, Brewery, Vintinery or **Bottling Unit** from which the Foreign liquor, beer, wine and low strength alcoholic beverages is to be imported in terms of bottles/cans and Bulk litres of each brand and category.

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(iv) Proof of import permit fee and all types of dues along with consideration fees etc, deposited by the licence holder with original challan of depositor's copy.	(iv) Proof of import permit fee and all types of dues along with consideration fees etc, deposited by the licence holder with original challan of depositor's copy.
(v) The route of consignment and name of concerning entry points of Uttar Pradesh and also the date by which the consignment shall reach the Bonded Warehouse.	(v) The route of consignment and name of concerning entry points of Uttar Pradesh and also the date by which the consignment shall reach the Bonded Warehouse.
(2) The Collector or the District Excise Officer shall, unless there is any reason to the contrary, prepare the import permit in Form FL-22 in quadruplets. One copy of the permit shall be made over to the importer licensee, the second copy shall be sent immediately to the Excise Officer of the concerned distillery, Brewery, Vintinery, or Bonded Warehouse of export, third copy shall be sent to the District Excise Officer of the concerned entry points of districts and fourth copy shall be kept for record and verification of the consignment on arrival. The permit shall also be entered into the register of import and the permit shall be in force upto the date specified in the permit.	(2) The Collector or the District Excise Officer shall, unless there is any reason to the contrary, prepare the import permit in Form FL-22 in quadruplets. One copy of the permit shall be made over to the importer licensee, the second copy shall be sent immediately to the Excise Officer of the concerned distillery, Brewery, Vintinery, or Bonded Warehouse of export, third copy shall be sent to the District Excise Officer of the concerned entry points of districts and fourth copy shall be kept for record and verification of the consignment on arrival. The permit shall also be entered into the register of import and the permit shall be in force upto the date specified in the permit.

5. Amendment of rule 7– In the said rules, for existing rule-7 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:–

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
7-Recepit of liquor - No liquor shall b received in the bonded warehouse unless accompanied by a pass from the office-in-charge of the distillery, Brewery, Vintinery or Bonded warehouse from where it has been imported or transported.	7-Recepit of liquor - No liquor shall b**e** received in the bonded warehouse unless accompanied by a pass from the office-in-charge of the distillery, Brewery, Vintinery or **bottling unit** from where it has been imported or transported.

6. Amendment of rule 8–In the said rules, for **the** existing rule-8 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
8. Verification of liquor--Immediately on arrival of any consignment at a Bonded Warehouse the Officer-in-charge shall be informed and consignment shall not be stored in bonded warehouse until the same has been examined and verified with the pass by the Officer-in-charge who shall also note the result and endorse his remark in the Register BWFL-4 maintained for the purpose and also on the import pass covering the consignment. One copy of the pass with entries relating to receipt of the consignment and bearing the initial of Officer-in-charge shall be immediately returned to the officer, who issued the pass, and the second copy with entries thereon shall be kept at bonded warehouse for record.	8. Verification of liquor--Immediately on arrival of any consignment at a Bonded Warehouse the Officer-in-charge shall be informed and consignment shall not be stored in bonded warehouse until the same has been examined and verified with the pass by the Officer-in-charge who shall also note the result and endorse his remark in the Register BWFL-4 maintained for the purpose and also on the import pass covering the consignment. One copy of the pass with entries relating to receipt of the consignment and bearing the initial of Officer-in-charge shall be immediately returned to the officer, who issued the pass, and the second copy with entries thereon shall be kept at bonded warehouse for record. **Entries related to consignment will be filled on the portal as prescribed by Uttar Pradesh Excise department.**

7. Amendment of rule 10– In the said rules, for **the** existing rule-10 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:–

Column I	**Column II**
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
10- Storage of liquor- All liquor shall be stored in the bonded warehouse in sealed bottles unless the Excise Commissioner orders otherwise.	10- Storage of liquor- All liquor shall be stored in the bonded warehouse in sealed bottles unless the Excise Commissioner orders otherwise**:** **Provided that permission may be granted by the Excise Commissioner to grant temporary warehouse premises on bond licenses for advance storage of foreign liquor, beer, wine and low alcoholic beverages for sale in the next year on depositing the fee as prescribed by the state government.**

8. Amendment of rule 11– In the said rules, for **the** existing rule-11 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:–

Column I	**Column II**
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
11. Issues from Warehouse.	11. Issues from Warehouse.
(1)-No liquor shall be removed from the Bonded Warehouse unless the consideration fee has been paid on it at the prescribed rate and the security codes approved by the Excise Department has been affixed on the bottles/boxes of liquor category wise and capacity wise.	(1)-No liquor shall be removed from the Bonded Warehouse unless the consideration fee has been paid on it at the prescribed rate and the security codes approved by the Excise Department has been affixed on the bottles/boxes of liquor category wise and capacity wise.
(2) Foreign liquor may be issued in bond to any other Bonded Warehouse in the State in accordance with the rules governing the transport using G.P.S.(Global Positioning System) vehicles.	(2) Foreign liquor may be issued in bond to any other Bonded Warehouse in the State in accordance with the rules governing the transport using G.P.S.(Global Positioning System) vehicles.
(3) Issues from the Bonded warehouse on payment of consideration fee through e-payment shall be made only to the FL-2 and FL-2B wholesale vendors of the State. An account of issue of liquor from the Bonded Warehouse shall be maintained in Register in form BWFL-6 and uploaded on the portal of excise department. All issues shall be made only on an application in Form BWFL-5 accompanied with treasury challan showing payment of prescribed consideration fee according to the category of the liquor.	(3) Issues from the Bonded warehouse on payment of consideration fee through e-payment shall be made only to the FL-2 and FL-2B wholesale vendors of the State. An account of issue of liquor from the Bonded Warehouse shall be maintained in Register in form BWFL-6 and uploaded on the portal of excise department. All issues shall be made only on an application in Form BWFL-5 accompanied with treasury challan showing payment of prescribed consideration fee according to the category of the liquor.
(4) No liquor shall be removed from the Bonded Warehouse until security codes affixed on it, has been checked by the Officer-in-charge and a pass in Form BWFL-7 has been issued by him. The pass shall be prepared in triplicate. One copy of the pass shall be made over to the wholesale vendor of the foreign liquor, second copy shall be forwarded to the District Excise Officer of the district where wholesale shop is situated and the third copy shall be kept for record.	(4) No liquor shall be removed from the Bonded Warehouse until security codes affixed on it, has been checked by the Officer-in-charge and a pass in Form BWFL-7 has been issued by him. The pass shall be prepared in triplicate. One copy of the pass shall be made over to the wholesale vendor of the foreign liquor, second copy shall be forwarded to the District Excise Officer of the district where wholesale shop is situated and the third copy shall be kept for record. **(5) Consignment of one category of liquor will be allowed from the bond licenses to more than one wholesale licenses of any one district through one vehicle.**

9. Amendment of rule 14– In the said rules, for **the** existing rule-14 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:–

Column I	**Column II**
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
14.Control of Bonded Warehouse-.	14.Control of Bonded Warehouse-.
(1) No one except officer of the Excise Department, Superior Officers of the land Revenue Department, Licensee, his agents or approved servants shall be allowed to enter the Bonded Warehouse.	(1) No one except officer of the Excise Department, Superior Officers of the land Revenue Department, Licensee, his agents or approved servants shall be allowed to enter the Bonded Warehouse.
(2) The licensee may appoint a competent person as his Agent, whose appointment shall be subject to the approval of Deputy Excise Commissioner of the Charge. Other employees shall be employed by licensee with the approval of officer in-charge of Bonded Warehouse.	(2) The licensee may appoint a competent person as his Agent, whose appointment shall be subject to the approval of Deputy Excise Commissioner of the Charge. Other employees shall be employed **on the recommendation of the officer-in-charge of the bonded warehouse, issued by the District Excise Officer on payment of such fees as may be prescribed by the State Government from time to time**.
(3) The licensee shall furnish to the Officer In-charge a list of Agent and all the employees whose duties require them to enter the Bonded Warehouse.	(3) The licensee shall furnish to the Officer In-charge a list of Agent and all the employees whose duties require them to enter the Bonded Warehouse.
(4) The Officer In-charge shall maintain a list in Form BWFL-8 containing the particulars of all employees in the warehouse as furnished by the licensee and shall forward a copy thereof to the Deputy Excise Commissioner of the charge.	(4) The Officer In-charge shall maintain a list in Form BWFL-8 containing the particulars of all employees in the warehouse as furnished by the licensee and shall forward a copy thereof to the Deputy Excise Commissioner of the charge.
(5) All person entering or going out of the bonded warehouse shall be subject to search under the direction of the Officer In-charge.	(5) All person entering or going out of the bonded warehouse shall be subject to search under the direction of the Officer In-charge.
(6) If it comes to the knowledge of a licencee that any person employed by him has committed any such breach of the provisions of the Act, and the Rules made there under or of the agreements entered into by him, it shall be his duty to report the matter to the concerned Deputy Excise Commissioner through the officer in-charge and to comply with the directions of the latter Officer regarding the continued employment of such person.	(6) If it comes to the knowledge of a licencee that any person employed by him has committed any such breach of the provisions of the Act, and the Rules made there under or of the agreements entered into by him, it shall be his duty to report the matter to the concerned Deputy Excise Commissioner through the officer in-charge and to comply with the directions of the latter Officer regarding the continued employment of such person.
(7) If any employee or agent of licencee commits any breach of provisions of the Act or of rules made there under, he shall discontinue to be employee or agent of the licencee.	(7) If any employee or agent of licencee commits any breach of provisions of the Act or of rules made there under, **he shall be discontinued as employee** or agent of the concerned licencee.
(8) The Officer In-charge of a Bonded Warehouse may reject and exclude from the premises any person who has committed or is about to commit any breach of the provisions of the Act and the rules made there under or who is intoxicated or disorderly, All actions under this rule shall forthwith be recorded by him in writing in his official diary for the information to his superiors.	(8) The Officer In-charge of a Bonded Warehouse may reject and exclude from the premises any person who has committed or is about to commit any breach of the provisions of the Act and the rules made there under or who is intoxicated or disorderly, All actions under this rule shall forthwith be recorded by him in writing in his official diary for the information to his superiors.

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(9) The Licencee shall be bound by all general or special instructions given by Excise Commissioner for managing affair of Bonded Warehouse in reference to issue of foreign liquor from Bonded Warehouse under the prior or existing Excise laws or under any law which may hereinafter be enacted, and shall cause all persons employed by him to obey all such rules for the storage and issue of liquor.	(9) The Licencee shall be bound by all general or special instructions given by Excise Commissioner for managing affair of Bonded Warehouse in reference to issue of foreign liquor **Beer/Wine/Low alcoholic beverages** from Bonded Warehouse under the prior or existing Excise laws or under any law which may hereinafter be enacted, and shall cause all persons employed by him to obey all such rules for the storage and issue of liquor.

10. Amendment of Form B.W.F.L.-2A – In the said rules, for existing form B.W.F.L-2A set out in Column I below, the form as setout in Column II shall be substituted, namely:–

Column I *Existing Format*	Column II *Format as hereby substituted*
FOREIGN LIQUOR BONDED WAREHOUSE (BWFL-2A) Licence to establish and run a Foreign Liquor Bonded Warehouse. Licence No..... [Rule-(3)]	FOREIGN LIQUOR BONDED WAREHOUSE (BWFL-2A) Licence to establish and run a Foreign Liquor Bonded Warehouse. Licence No..... [Rule-(3)]
Photo of Applicant	Photo of Applicant
Photo of warehouse	Photo of warehouse
Latitude /Longitude of Warehouse…… 1- Licence Number …… 2- District ……. 3- Name, address and aadhar number of Licencee ……	Latitude /Longitude of Warehouse…… 1- Licence Number …… 2- District ……. 3- Name, address and aadhar number of Licencee ……
has deposited the licence fee Rs. ..... for BWFL-2A and security amount of Rs. ..... in the government treasury preferably through e-payment or Fixed Deposit Receipt/Bank Guarantee pledged in favour of Excise Commissioner Uttar Pradesh as detail mentioned below. He has also executed a general bond.	has deposited the licence fee Rs. ..... for BWFL-2A and security amount of Rs. ..... in the government treasury preferably through e-payment or **Fixed Deposit Receipt pledged** in favour of Excise Commissioner Uttar Pradesh as detail mentioned below. He has also executed a general bond.
Licence is hereby, granted under and subject to provisions of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) and the rules and orders made there under to ..... (Here in after referred to as licensee) authorizing him to import under bond, store and sell of sealed bottles/cans/tetra packs of foreign liquor in U.P. at place ..... in the district ..... (Hereinafter called the licensed premises) during the period commencing of ..... ending on 31st March ..... (both days inclusive) subject to the following conditions, the infringement of which either by the licensee or any person employed by him may entail imposition of penalty on the licensee, forfeiture of security and cancellation of licence.	Licence is hereby, granted under and subject to provisions of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) and the rules and orders made there under to ..... (Here in after referred to as licensee) authorizing him to import **on depositing all dues including permit fee and consideration fee** under bond, store and sell of sealed bottles/cans/**aseptic brick pack** of foreign liquor in U.P. at place ..... in the district ..... (Hereinafter called the licensed premises) during the period commencing of ..... ending on 31st March ..... (both days inclusive) subject to the following conditions, the infringement of which either by the licensee or any person employed by him may entail imposition of penalty on the licensee, forfeiture of security and cancellation of licence.

Column I *Existing Format*	**Column II** *Format as hereby substituted*
Premises: Name & Address of owner -------	Premises: Name & Address of owner -------
Place-village/mohalla---------- P.S.....	Place-village/mohalla---------- P.S.....
Tehsil.....	Tehsil.....
District.....	District.....
Boundary:-	Boundary:-
North..... South.....	North..... South.....
East..... West.....	East..... West.....
CONDITIONS	CONDITIONS
1-Issue of foreign liquor from the said Bonded Warehouse shall be made to any other bonded warehouse of the State under bond or to any wholesaler FL-2 licensee of State on prepayment of consideration fee and other charges.	1- Issue of foreign liquor from the said Bonded Warehouse shall be made to any other bonded warehouse of the State under bond or to any wholesaler FL-2 licensee of State on prepayment of consideration fee and other charges.
2-Issue of foreign liquor from the said Bonded Warehouse shall be made at such strength only as may be fixed from time to time by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh.	2- Issue of foreign liquor from the said Bonded Warehouse shall be made at such strength only as may be fixed from time to time by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh.
3-The Officer In-charge of the Bonded Warehouse is empowered to stop with the prior sanction of the Deputy Excise Commissioner of the charge concerned, pending the orders of the Excise Commissioner, the issues of foreign liquor which he considers doubtful for consumption and is required to send samples of such foreign liquor for analysis without delay.	3- The Officer In-charge of the Bonded Warehouse is empowered to stop with the prior sanction of the Deputy Excise Commissioner of the charge concerned, pending the orders of the Excise Commissioner, the issues of foreign liquor which he considers doubtful for consumption and is required to send samples of such foreign liquor for analysis without delay.
4-The licensee shall maintain such minimum stock of such brand at the warehouse keeping in view the demands and requirements of the particular brands by the wholesale vendors.	4- The licensee shall maintain such minimum stock of such brand at the warehouse keeping in view the demands and requirements of the particular brands by the wholesale vendors.
5- The licensee shall be responsible for the proper upkeep and storage of foreign liquor at the Warehouse. The licensee shall provide adequate number of racks, almirahs, boxes and other equipments as may be necessary for storing stocks and may also put his own lock thereon along with the lock of officer in-charge.	5- The licensee shall be responsible for the proper upkeep and storage of foreign liquor at the Warehouse. The licensee shall provide adequate number of racks, almirahs, boxes and other equipments as may be necessary for storing stocks and may also put his own lock thereon along with the lock of officer in-charge.
6-The licensee shall supply foreign liquor in bottles/flasks/cans/tetrapacks of capacities as may be determined by Excise Commissioner from time to time.	6- The licensee shall supply foreign liquor in bottles/flasks/cans/ **aseptic brick pack** of capacities as may be determined by Excise Commissioner from time to time.

Column I *Existing Format*	Column II *Format as hereby substituted*
7-The labels affixed to the bottles shall contain all essential printed requirements prescribed in the U.P. Bottling of Foreign Liquor Rules, 1969 as amended from time to time. The licensee shall make proper arrangement for applying the security code as approved by the Excise Department in the bond premises. No bottles/tetra packs/Cans of liquor shall be sold on which the security code approved by the Excise Department is not affixed.	7- The labels affixed to the bottles shall contain all essential printed requirements prescribed in the U.P. Bottling of Foreign Liquor Rules, 1969 as amended from time to time. The licensee shall make proper arrangement for applying the security code as approved by the Excise Department in the bond premises. No bottles/ **aseptic brick pack** of liquor shall be sold on which the security code approved by the Excise Department is not affixed.
8- The licensee shall be required to post his authorized Agent duly approved by the Deputy Excise Commissioner of the charge and shall arrange for the loading and unloading of the incoming consignments of foreign liquor and issues from the Bonded Warehouse. The warehouse shall be fitted with a camera having a I.P. address and should be equipped with fire fighting equipments.	8- The licensee shall be required to post his authorized Agent duly approved by the Deputy Excise Commissioner of the charge and shall arrange for the loading and unloading of the incoming consignments of foreign liquor and issues from the Bonded Warehouse. The warehouse shall be fitted with a camera having a I.P. address and should be equipped with fire fighting equipments.
9-The licensee shall keep a true and correct account of the quantity of foreign liquor received, issued and held in balance at such bonded warehouse. The account shall be correctly maintained up to date daily in a register in prescribed form. Pages of the Account Register shall be numbered and sealed with a rubber seal of concerned District Excise Officer. Pages and counterfoils of the passes covering the receipt and issues of foreign liquor shall be properly kept and shall at all times be open to inspection by the authorities of Excise Department. MIS Management Information System) of related details shall be uploaded on the prescribed portal at regular intervals.	9- The licensee shall keep a true and correct account of the quantity of foreign liquor received, issued and held in balance at such bonded warehouse. The account shall be correctly maintained up to date daily in a register in prescribed form. Pages of the Account Register shall be numbered and sealed with a rubber seal of concerned District Excise Officer. Pages and counterfoils of the passes covering the receipt and issues of foreign liquor shall be properly kept and shall at all times be open to inspection by the authorities of Excise Department. MIS Management Information System) of related details shall be uploaded on the prescribed portal **of excise department at regular intervals.**
10-Licensee shall be bound by all the general rules for the management of the Bonded Warehouse and for issues of foreign liquor there from.	10- Licensee shall be bound by all the general rules for the management of the Bonded Warehouse and for issues of foreign liquor there from.
11-Licensee shall furnish to the Excise Commissioner an exhaustive list of brands ex-bond price, maximum wholesale and maximum retail rates for approval along with registration fee for brands registration as directed by the Excise Commissioner from time to time. Licensee shall also before bringing any label into use, submit exact copies thereof in quadruplet every year with the e-treasury challan copy of approved fee of every label capacity wise as prescribed by the Excise Commissioner from time to time to the District Excise Officer of the concerned district who will forward them to the Excise Commissioner for his approval . No change in the MRP shall be allowed during the year of operation unless especially permitted by the Excise Commissioner.	11- Licensee shall furnish to the Excise Commissioner an exhaustive list of brands ex-bond price, maximum wholesale and maximum retail rates for approval along with registration fee for brands registration as directed by the Excise Commissioner from time to time. Licensee shall also before bringing any label into use, submit exact copies thereof in quadruplet every year with the e-treasury challan copy of approved fee of every label capacity wise as prescribed by the Excise Commissioner from time to time to the District Excise Officer of the concerned district who will forward them to the Excise Commissioner for his approval . No change in the MRP shall be allowed during the year of operation unless especially permitted by the Excise Commissioner.

Column I *Existing Format*	Column II *Format as hereby substituted*
12-On all the six faces of the cartons of foreign liquor to be imported in Uttar Pradesh, "For Sale in U.P." shall be printed in the minimum size of one inch black letters on a red strip of one and a half inch broad.	12- On all the six faces of the cartons of foreign liquor to be imported in Uttar Pradesh, "For Sale in U.P." shall be printed in the minimum size of one inch black letters on a red strip of one and a half inch broad.
13-The licensee shall abide by the conditions of this licence and provisions of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) and the rules and orders made there under.	13- The licensee shall abide by the conditions of this licence and provisions of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) and the rules and orders made there under.
14-In case the licence is cancelled during the currency of the period of licence or is not renewed on its expiry, the licensee shall forthwith intimate the whole stock of foreign liquor held in balance at the Bonded Warehouse to the Officer In-charge and dispose off the balance stock only under directions given by the Excise Commissioner.	14- In case the licence is cancelled during the currency of the period of licence or is not renewed on its expiry, the licensee shall forthwith intimate the whole stock of foreign liquor held in balance at the Bonded Warehouse to the Officer In-charge and dispose off the balance stock only under directions given by the Excise Commissioner.
15-The license premises shall remain open for sale on all days from 9.00 am. to 8.00 pm by evening, except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26 January (Republic Day) and upto 3 more days as notified by the Collector. The Licensing Authority/ Collector may also order for closure of shop in account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above dates/ days.	15- The license premises shall remain open for sale on all days from 9.00 am. to 8.00 pm by evening, except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26 January (Republic Day) and upto 3 more days as notified by the Collector. The Licensing Authority/ Collector may also order for closure of shop in account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above dates/ days.
16-On receiving demand for wholesale supply of foreign liquor from Fl-2 licensees of the districts, the supply may be ensured on the principle of "first come and first served" failing which penal action may be taken against the licensees.	16- On receiving demand for wholesale supply of foreign liquor from Fl-2 licensees of the districts, the supply may be ensured on the principle of "first come and first served" failing which penal action may be taken against the licensees.
17-The labels affixed to the bottles shall carry the maximum retail price in visible words of 1x1 centimeter fixed for every brand of liquors issued from the bond. Without printed M.R.P. on the labels no sale is allowed.	17- The labels affixed to the bottles shall carry the maximum retail price in visible words of 1x1 centimeter fixed for every brand of liquors issued from the bond. Without printed M.R.P. on the labels no sale is allowed
18-Licencee shall ensure lifting of liquor from his godown premises in sealed cartons after scanning of security code on them.	18-Licencee shall ensure lifting of liquor from his godown premises in sealed cartons after scanning of security code on them.
19-The licensee shall submit the list of sellers to the Excise Commissioner/officer authorized by Excise Commissioner for sale of liquor at his wholesale shop. He will issue Naukarnama in prescribed form accordingly.	19- The licensee shall submit the list of sellers to the Excise Commissioner/officer authorized by Excise Commissioner for sale of liquor at his wholesale shop. He will issue Naukarnama in prescribed form accordingly.

(Details of License fee/Security Amount)

Name of Bank	DD No./e-Treasury challan/ FDR/Bank Guarantee NO	Dated	Amount

Date

Excise Commissioner,
Uttar Pradesh

(Details of License fee/Security Amount)

Name of Bank	E-Treasury challan /FDR	Dated	Amount

Date

Excise Commissioner,
Uttar Pradesh

11. Addition of Form of B.W.F.L.-2AA–In the said rules, after the Form BWFL-2A the following Form shall be added namely :–

(BWFL-2AA)

Licence to establish and run a Foreign Liquor Bonded Warehouse to sell upto maximum of 5 brands with all variants of Scotch and single malt brands of India-made foreign liquor having MRP (per bottle) of more than rupees three thousand.

Licence No.....

[Rule-(3)]

Photo of Applicant	Photo of warehouse

Latitude /Longitude of Warehouse …….....…

1- Licence Number …….....…

2- District …….....

3- Name, address and aadhar number of Licencee ……

Sri …… has deposited the licence fee Rs ..... for BWFL-2AA and security amount of Rs. ..... in the government treasury preferably through e-payment or Fixed Deposit Receipt pledged in favour of Excise Commissioner Uttar Pradesh as detail mentioned below on behalf of ..... (Company/firm name) ..... (if any) . He has also executed a general bond.

Licence is hereby, granted under and subject to provisions of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) and the rules and orders made there under to Sri ..... on behalf of ..... (Here in after referred to as licensee) authorizing him to import under bond on depositing all dues including permit fee and consideration fee alongwith all other, store and sell of sealed bottles/aseptic brick pack of 5 brands as mentioned below with all variants of Scotch and single malt brands of India-made foreign liquor having MRP (per bottle) of more than rupees three thousand in U.P. at place ..... in the district ..... (Here in after called the licensed premises) during the period commencing of ..... ending on 31st March ..... (both days inclusive) subject to the rules and following conditions, the infringement of which either by the licensee or any person employed by him may entail imposition of penalty on the licensee, forfeiture of security and cancellation of licence.

Name of Brands and it's variants of India Made Foreign Liquor permitted to import and sell in U.P.

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....
7.....
8.....

Premises: Name & Address of owner ……...…
Place-village/mohalla …… P.S .....
Tehsil .....
District .....
Boundary
North ..... South .....
East..... West .....

CONDITIONS

1-Issue of India-made foreign liquor as mentioned above from the said Bonded Warehouse shall be made to any FL-2 licensee of State on prepayment of consideration fee and other charges.

2-Issue of India-made foreign liquor as mentioned above from the said Bonded Warehouse shall be made at such strength only as may be fixed from time to time by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh.

3-The Officer In-charge of the Bonded Warehouse is empowered to stop with the prior sanction of the Deputy Excise Commissioner of the charge concerned, pending the orders of the Excise Commissioner, the issues of India-made foreign liquor which he considers doubtful for consumption and is required to send samples of such India-made foreign liquor for analysis without delay.

4-The licensee shall maintain such minimum stock of such brand at the warehouse keeping in view the demands and requirements of the particular brands by the wholesale vendors.

5-The licensee shall be responsible for the proper upkeep and storage of prescribed India-made foreign liquor at the Warehouse. The licensee shall provide adequate number of racks, almirahs, boxes and other equipment as may be necessary for storing stocks and may also put his own lock thereon along with the lock of officer in-charge.

6-The licensee shall supply prescribed India-made foreign liquor in bottles/flasks/aseptic brick pack of capacities as may be determined by Excise Commissioner from time to time.

7-The labels affixed to the bottles shall contain all essential requirements printed on it as prescribed in the U.P. Bottling of Foreign Liquor Rules, 1969 as amended from time to time. The licensee shall make proper arrangement for applying the security code as approved by the Excise Department in the bond premises. No bottles/aseptic brick pack of liquor shall be sold on which the security code approved by the Excise Department is not affixed.

8-The licensee shall be required to post his authorized Agent duly approved by the Deputy Excise Commissioner of the charge and shall arrange for the loading and unloading of the incoming consignments of foreign liquor and issues from the Bonded Warehouse. The warehouse shall be fitted with a camera having a I.P. address and should be equipped with firefighting equipment.

9-The licensee shall keep a true and correct account of the quantity of prescribed India-made foreign liquor received, issued and held in balance at such bonded warehouse. The account shall be correctly maintained up to date daily in a register in prescribed form. Pages of the Account Register shall be numbered and sealed with a rubber seal of concerned District Excise Officer. Pages and counterfoils of the passes covering the receipt and issues of foreign liquor shall be properly kept and shall at all times be open to inspection by the authorities of Excise Department. MIS Management Information System) of related details shall be uploaded on the prescribed portal at regular intervals.

10-Licensee shall be bound by all the general rules for the management of the Bonded Warehouse and for issues of foreign liquor there from.

11-Licensee shall furnish to the Excise Commissioner an exhaustive list of brands ex-bond price, maximum wholesale and maximum retail rates for approval along with registration fee for brands registration as directed by the Excise Commissioner from time to time. Licensee shall also before bringing any label into use, submit exact copies thereof in quadruplet every year with the e-treasury challan copy of approved fee of every label capacity wise as prescribed by the Excise Commissioner from time to time to the District Excise Officer of the concerned district who will forward them to the Excise Commissioner for his approval . No change in the MRP shall be allowed during the year of operation unless especially permitted by the Excise Commissioner.

12-On all the six faces of the cartons of prescribed India-made foreign liquor to be imported in Uttar Pradesh, "For Sale in U.P." shall be printed in the minimum size of one inch black letters on a red strip of one and a half inch broad.

13-The licensee shall abide by the conditions of this licence and provisions of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) and the rules and orders made there under.

14-In case the licence is cancelled during the currency of the period of licence or is not renewed on its expiry, the licensee shall forthwith intimate the whole stock of India-made foreign liquor held in balance at the Bonded Warehouse to the Officer In-charge and dispose off the balance stock only under directions given by the Excise Commissioner.

15-The licensensed premises shall remain open for sale on all days from 9.00 am. to 8.00 pm by evening, except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26 January (Republic Day) and upto 3 more days as notified by the Collector. The Licensing Authority/ Collector may also order for closure of shop in account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above dates/ days.

16-On receiving demand for wholesale supply of foreign liquor from Fl-2 licensees of the districts, the supply may be ensured on the principle of "first come and first served" failing which penal action may be taken against the licensees.

17-The labels affixed to the bottles shall carry the maximum retail price in visible bold font of 1x1 centimeter on the suitable place on labels of standard bottles fixed for every brand of liquors issued from the bond. No sale is allowed without printed M.R.P. on the labels.

18-Licencee shall ensure dispatch of prescribed India Made Foreign liquor from his godown premises in sealed cartons after scanning the security code on them and following the procedure of the portal.

19-The licensee shall submit the list of salesmen to the Excise Commissioner/officer authorized by Excise Commissioner for sale of liquor at his wholesale shop who will issue Naukarnama in prescribed form accordingly.

(Details of License fee/Security Amount)

Name of Bank	E-Treasury challan /FDR	Dated	Amount

Date……

Excise Commissioner,
Uttar Pradesh

12. Amendment of Format B.W.F.L.-2B–In the said rules, for existing format B.W.F.L.-2B set out in Column I below, the format as setout in Column II shall be substituted, namely :–

Column I

Existing Format

BEER BONDED WAREHOUSE

(BWFL-2B)

Licence to establish and run a Beer Bonded Warehouse.

Licence No.....

[Rule-(3)]

Photo of Applicant

Photo of warehouse

Latitude /Longitude of Warehouse ……..……

1- Licence Number ……..……

2- District ……..….

3- Name, address and aadhar number of Licencee ……..…

Column II

Format as hereby substituted

BEER BONDED WAREHOUSE

(BWFL-2B)

Licence to establish and run a Beer Bonded Warehouse.

Licence No.....

[Rule-(3)]

Photo of Applicant

Photo of warehouse

Latitude /Longitude of Warehouse ….....……

1- Licence Number ……..……

2- District ……..….

3- Name, address and aadhar number of Licencee ……..…

Column I *Existing Format*	Column II *Format as hereby substituted*
has deposited the licence fee Rs ..... for BWFL-2B and security amount of Rs. ..... in the government treasury preferably through e-payment or Fixed Deposit Receipt/ Bank Guarantee pledged in favour of Excise commissioner Uttar Pradesh as detail mentioned below. He has also executed a general bond.	has deposited the licence fee Rs ..... for BWFL-2B and security amount of Rs. ..... in the government treasury preferably through e-payment or **Fixed Deposit Receipt/ Bank Guarantee pledged in favour of Excise commissioner** Uttar Pradesh as detail mentioned below. He has also executed a general bond.
Licence is hereby, granted under and subject to provisions of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P.Act no. IV of 1910) and the rules and orders made there under to ..... (hereinafter referred to as licensee) authorizing him to import under bond, store and sell of sealed bottles/cans of beer in U.P. at place ..... in the district ..... (hereinafter called the licensed premises) during the period commencing of ..... ending on 31st March ..... (both days inclusive) subject to the following conditions, the infringement of which either by the licensee or any person employed by him may entail imposition of penalty on the licensee, forfeiture of security and cancellation of licence.	Licence is hereby, granted under and subject to provisions of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P.Act no. IV of 1910) and the rules and orders made there under to ..... (hereinafter referred to as licensee) authorizing him to import under bond, store and sell of sealed bottles/cans of beer in U.P. **on deposition of permit fee and consideration fee along with all the dues** at place ..... in the district ..... (hereinafter called the licensed premises) during the period commencing of ..... ending on 31st March ..... (both days inclusive) subject to the following conditions, the infringement of which either by the licensee or any person employed by him may entail imposition of penalty on the licensee, forfeiture of security and cancellation of licence.
Premises: Name & Address of owner ..... Place-village/mohalla ..... P.S..... Tehsil ..... District ..... Boundary:-North..... South..... East..... West.....	Premises: Name & Address of owner ..... Place-village/mohalla ..... P.S ..... Tehsil ..... District ..... Boundary:-North..... South..... East..... West.....
CONDITIONS	CONDITIONS
1. Issue of beer from the said Bonded Warehouse shall be made to any other bonded warehouse of the State under bond or to any wholesaler FL-2B licensee of State on prepayment of consideration fee and other charges.	1. Issue of beer from the said Bonded Warehouse shall be made to any other bonded warehouse of the State under bond or to any wholesaler FL-2B licensee of State on prepayment of consideration fee and other charges.
2. Issue of beer from the said Bonded Warehouse shall be made at such strength only (5 vv to 8vv) as may be fixed from time to time by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh.	2. Issue of beer from the said Bonded Warehouse shall be made at such strength only (5 vv to 8vv) as may be fixed from time to time by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh.
3. The Officer Incharge of the Bonded Warehouse is empowered to stop with the prior sanction of the Deputy Excise Commissioner of the charge concerned, pending the orders of the Excise Commissioner, the issues of beer which he considers doubtful for consumption and is required to send samples of such beer for analysis without delay.	3. The Officer Incharge of the Bonded Warehouse is empowered to stop with the prior sanction of the Deputy Excise Commissioner of the charge concerned, pending the orders of the Excise Commissioner, the issues of beer which he considers doubtful for consumption and is required to send samples of such beer for analysis without delay.

Column I *Existing Format*	Column II *Format as hereby substituted*
4. The licensee shall maintain such minimum stock of such brand at the warehouse keeping in view the demands and requirements of the particular brands by the wholesale vendors.	4. The licensee shall maintain such minimum stock of such brand at the warehouse keeping in view the demands and requirements of the particular brands by the wholesale vendors.
5. The licensee shall be responsible for the proper upkeep and storage of beer at the Warehouse. The licensee shall provide adequate number of racks, almirahs, boxes and other equipments as may be necessary for storing stocks and may also put his own lock thereon along with the lock of officer in-charge.	5. The licensee shall be responsible for the proper upkeep and storage of beer at the Warehouse. The licensee shall provide adequate number of racks, almirahs, boxes and other equipments as may be necessary for storing stocks and may also put his own lock thereon along with the lock of officer in-charge.
6. The licensee shall supply beer in bottles/cans of capacities as may be determined by Excise Commissioner from time to time.	6. The licensee shall supply beer in bottles/cans of capacities as may be determined by Excise Commissioner from time to time.
7. The labels affixed to the bottles shall contain all essential printed requirements prescribed in the U.P. Bottling of beer Rules, 1969 as amended from time to time. For security code the licensee shall make proper arrangement for applying the security code as approved by the Excise Department in the bond premises. No bottles/cans of beer shall be sold on which the security code approved by the Excise Department is not affixed.	7. The labels affixed to the bottles shall contain all essential printed requirements prescribed in the U.P. Bottling of beer Rules, 1969 as amended from time to time. For security code the licensee shall make proper arrangement for applying the security code as approved by the Excise Department in the bond premises. No bottles/cans of beer shall be sold on which the security code approved by the Excise Department is not affixed.
8. The licensee shall be required to post his authorized Agent duly approved by the Deputy Excise Commissioner of the charge and shall arrange for the loading and unloading of the incoming consignments of beer and issues from the Bonded Warehouse. The warehouse shall be fitted with a camera having an I.P. address. The warehouse should be equipped with fire fighting equipments.	8. The licensee shall be required to post his authorized Agent duly approved by the Deputy Excise Commissioner of the charge and shall arrange for the loading and unloading of the incoming consignments of beer and issues from the Bonded Warehouse. The warehouse shall be fitted with a camera having an I.P. address. The warehouse should be equipped with fire fighting equipments.
9. The licensee shall keep a true and correct account of the quantity of beer received, issued and held in balance at such bonded warehouse. The account shall be correctly maintained up to date daily in a register in prescribed form. Pages of the Account Register shall be numbered and sealed with a rubber seal of concerned District Excise Officer. Pages and counterfoils of the passes covering the receipt and issues of beer shall be properly kept and shall at all times be open to inspection by the authorities of Excise Department. MIS (Management Information System) of related details shall be uploaded on the prescribed portal at fixed intervals.	9. The licensee shall keep a true and correct account of the quantity of beer received, issued and held in balance at such bonded warehouse. The account shall be correctly maintained up to date daily in a register in prescribed form. Pages of the Account Register shall be numbered and sealed with a rubber seal of concerned District Excise Officer. Pages and counterfoils of the passes covering the receipt and issues of beer shall be properly kept and shall at all times be open to inspection by the authorities of Excise Department. MIS (Management Information System) of related details shall be uploaded on the prescribed portal at fixed intervals.
10. Licensee shall be bound by all the general rules for the management of the Bonded Warehouse and for issues of beer there from.	10. Licensee shall be bound by all the general rules for the management of the Bonded Warehouse and for issues of beer there from.

Column I *Existing Format*	Column II *Format as hereby substituted*
11. Licensee shall furnish to the Excise Commissioner an exhaustive list of brands, ex-bond price, maximum wholesale and maximum retail rates for approval along with registration fee for brands registration as directed by the Excise Commissioner from time to time. Licensee shall also before bringing any label into use, submit exact copies thereof in quadruplet every year with the treasury e-challan/e-payment copy of approval fee of every label capacity wise as prescribed by the Excise Commissioner from time to time to the District Excise Officer of the concerned district who will forward them to the Excise Commissioner for his approval . No change in the MRP shall be allowed during the year of operation unless especially permitted by the Excise Commissioner.	11. Licensee shall furnish to the Excise Commissioner an exhaustive list of brands, ex-bond price, maximum wholesale and maximum retail rates for approval along with registration fee for brands registration as directed by the Excise Commissioner from time to time. Licensee shall also before bringing any label into use, submit exact copies thereof in quadruplet every year with the treasury e-challan/e-payment copy of approval fee of every label capacity wise as prescribed by the Excise Commissioner from time to time to the District Excise Officer of the concerned district who will forward them to the Excise Commissioner for his approval . No change in the MRP shall be allowed during the year of operation unless especially permitted by the Excise Commissioner.
12. The licensee shall abide by the conditions of this licence and provisions of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P.Act no. IV of 1910) and the rules and orders made there under.	12. The licensee shall abide by the conditions of this licence and provisions of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P.Act no. IV of 1910) and the rules and orders made there under.
13. In case the licence is cancelled during the currency of the period of licence or is not renewed on its expiry, the licensee shall forthwith intimate the whole stock of beer held in balance at the Bonded Warehouse to the Officer In-charge and dispose off the balance stock only under directions given by the Excise Commissioner.	13. In case the licence is cancelled during the currency of the period of licence or is not renewed on its expiry, the licensee shall forthwith intimate the whole stock of beer held in balance at the Bonded Warehouse to the Officer In-charge and dispose off the balance stock only under directions given by the Excise Commissioner.
14. The license premises shall remain open for sale on all days from 9.00 am. to 8.00 pm by evening, except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26 January (Republic Day) and upto 3 more days as notified by the Collector. The Licencing Authority/ Collector may also order for closure of shop in account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above dates/ days.	14. The license premises shall remain open for sale on all days from 9.00 am. to 8.00 pm by evening, except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26 January (Republic Day) and upto 3 more days as notified by the Collector. The Licencing Authority/ Collector may also order for closure of shop in account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above dates/ days.
15. On receiving demand for wholesale supply of beer from Fl-2B licensees of the districts, the supply may be ensured on the principle of "first come and first served " failing which penal action may be taken against the licensees.	15. On receiving demand for wholesale supply of beer from Fl-2B licensees of the districts, the supply may be ensured on the principle of "first come and first served " failing which penal action may be taken against the licensees.
16. The labels affixed to the bottles/cans shall carry the maximum retail price in visible words of 1x1 centimeter fixed for every brand of liquors issued from the bond. Without printed M.R.P. on the labels no sale is allowed.	16. The labels affixed to the bottles/cans shall carry the maximum retail price in visible words of 1x1 centimeter fixed for every brand of liquors issued from the bond. Without printed M.R.P. on the labels no sale is allowed.

Column I *Existing Format*	**Column II** *Format as hereby substituted*
17. Licencee shall ensure lifting of liquor from his godown premises in sealed cartons after scanning of security code on them.	17. Licencee shall ensure lifting of liquor from his godown premises in sealed cartons after scanning of security code on them.
18. On all the six faces of the cartons of beer to be imported in Uttar Pradesh, "For Sale in U.P." shall be printed in the minimum size of one inch black letters on a red strip of one and a half inch broad.	18. On all the six faces of the cartons of beer to be imported in Uttar Pradesh, "For Sale in U.P." shall be printed in the minimum size of one inch black letters on a red strip of one and a half inch broad.
19. The licensee shall submit the list of sellers to the Excise Commissioner/officer authorized by Excise Commissioner for sale of liquor at his wholesale shop. He will issue Naukarnama in prescribed form accordingly.	19. The licensee shall submit the list of sellers to the Excise Commissioner/officer authorized by Excise Commissioner for sale of liquor at his wholesale shop. He will issue Naukarnama in prescribed form accordingly.
(Details of License fee/Security Amount)	(Details of License fee/Security Amount)
Name of Bank / DD No./e-Treasury challan/FDR /Bank Guarantee NO / Dated / Amount	Name of Bank / DD No./e-Treasury challan/FDR /Bank Guarantee NO / Dated / Amount
Date	Date .....
Excise Commissioner, Uttar Pradesh.	Excise Commissioner, Uttar Pradesh.

13. Amendment of Format B.W.F.L.-2C –In the said rules, for existing format B.W.F.L-2C set out in Column I below, the format as setout in Column II shall be substituted, namely:-

Column I *Existing Format*	**Column II** *Format as hereby substituted*
WINE BONDED WAREHOUSE	WINE BONDED WAREHOUSE
(BWFL-2C)	(BWFL-2C)
Licence to establish and run a Wine Bonded Warehouse.	Licence to establish and run a Wine Bonded Warehouse.
Licence No.....	Licence No.....
[Rule-(3)]	[Rule-(3)]
Photo of Applicant	Photo of Applicant
Photo of warehouse	Photo of warehouse
Latitude /Longitude of Warehouse …….....….	Latitude /Longitude of Warehouse …….....….
1. Licence Number …….....….	1. Licence Number …….....….
2. District …….....….	2. District …….....….
3. Name, address and aadhar number of Licencee …….....….	3. Name, address and aadhar number of Licencee …….....….

Column I *Existing Format*	**Column II** *Format as hereby substituted*
has deposited the licence fee Rs ..... for BWFL-2C and security amount of Rs. ..... in government treasury preferably through e-payment or Fixed Deposit Receipt/Bank Guarantee pledged in favour of Excise commissioner Uttar Pradesh as detail mentioned below. He has also executed a general bond.	has deposited the licence fee Rs .....for BWFL-2C and security amount of Rs. ..... in government treasury preferably through e-payment **or Fixed Deposit Receipt pledged in favour of Excise** commissioner Uttar Pradesh as detail mentioned below. He has also executed a general bond.
Licence is hereby, granted under and subject to provisions of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) and the rules and orders made there under to ..... (hereinafter referred to as licensee) authorizing him to import under bond, store and sell of sealed bottles of wine in Uttar Pradesh at place ..... in the district ..... (hereinafter called the licensed premises) during the period commencing of ..... ending on 31st March ..... (both days inclusive) subject to the following conditions, the infringement of which either by the licensee or any person employed by him may entail imposition of penalty on the licensee, forfeiture of security and cancellation of licence.	Licence is hereby, granted under and subject to provisions of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) and the rules and orders made there under to ..... (hereinafter referred to as licensee) authorizing him to import under bond, store and sell of sealed bottles of wine in Uttar Pradesh on **deposition of permit fee and consideration fee along with all the dues** at place ..... in the district ..... (hereinafter called the licensed premises) during the period commencing of ..... ending on 31st March ..... (both days inclusive) subject to the following conditions, the infringement of which either by the licensee or any person employed by him may entail imposition of penalty on the licensee, forfeiture of security and cancellation of licence.
Premises: Name & Address of owner..... Place-village/mohalla..... P.S..... Tehsil..... District..... Boundary:- North..... South..... East..... West.....	Premises: Name & Address of owner..... Place-village/mohalla..... P.S..... Tehsil..... District..... Boundary:- North..... South..... East..... West.....
CONDITIONS 1. Issue of wine from the said Bonded Warehouse shall be made to any other bonded warehouse of the State under bond or to any wholesaler FL-2 licensee of State on prepayment of consideration fee and other charges. 2. Issue of wine from the said Bonded Warehouse shall be made at such strength only as may be fixed from time to time by the Excise Commissioner, U.P. 3. The Officer In-charge of the Bonded Warehouse is empowered to stop with the prior sanction of the Deputy Excise Commissioner of the charge concerned, pending the orders of the Excise Commissioner, the issues of wine with he considers doubtful for consumption and is required to send samples of such wine for analysis without delay.	**CONDITIONS** 1. Issue of wine from the said Bonded Warehouse shall be made to any other bonded warehouse of the State under bond or to any wholesaler FL-2 licensee of State on prepayment of consideration fee and other charges. 2. Issue of wine from the said Bonded Warehouse shall be made at such strength only as may be fixed from time to time by the Excise Commissioner, U.P. 3. The Officer In-charge of the Bonded Warehouse is empowered to stop with the prior sanction of the Deputy Excise Commissioner of the charge concerned, pending the orders of the Excise Commissioner, the issues of wine with he considers doubtful for consumption and is required to send samples of such wine for analysis without delay.

Column I *Existing Format*	Column II *Format as hereby substituted*
4. The licensee shall maintain such minimum stock of such brand at the warehouse keeping in view the demands and requirements of the particular brands by the wholesale vendors.	4. The licensee shall maintain such minimum stock of such brand at the warehouse keeping in view the demands and requirements of the particular brands by the wholesale vendors.
5. The licensee shall be responsible for the proper upkeep and storage of wine at the Warehouse. The licensee shall provide adequate number of racks, almirahs, boxes and other equipments as may be necessary for storing stocks and may also put his own lock thereon along with the lock of officer in-charge.	5. The licensee shall be responsible for the proper upkeep and storage of wine at the Warehouse. The licensee shall provide adequate number of racks, almirahs, boxes and other equipments as may be necessary for storing stocks and may also put his own lock thereon along with the lock of officer in-charge.
6. The licensee shall supply wine in bottles/ flasks/container of capacities as may be determined by Excise Commissioner from time to time.	6. The licensee shall supply wine in bottles/ flasks/container of capacities as may be determined by Excise Commissioner from time to time.
7. The labels affixed to the bottles shall contain all essential printed requirements prescribed in the U.P. Bottling of wine Rules, 1969 as amended from time to time. For security code the licensee shall make proper arrangement for applying the security code as approved by the Excise Department in the bond premises. No bottles of wine shall be sold on which the security code approved by the Excise Department is not affixed.	7. The labels affixed to the bottles shall contain all essential printed requirements prescribed in the U.P. Bottling of wine Rules, 1969 as amended from time to time. For security code the licensee shall make proper arrangement for applying the security code as approved by the Excise Department in the bond premises. No bottles of wine shall be sold on which the security code approved by the Excise Department is not affixed.
8. The licensee shall be required to post his authorized Agent duly approved by the Deputy Excise Commissioner of the charge and shall arrange for the loading and unloading of the incoming consignments of wine and issues from the Bonded Warehouse. The warehouse shall be fitted with a camera having an I.P. address and should be equipped with fire fighting equipments.	8. The licensee shall be required to post his authorized Agent duly approved by the Deputy Excise Commissioner of the charge and shall arrange for the loading and unloading of the incoming consignments of wine and issues from the Bonded Warehouse. The warehouse shall be fitted with a camera having an I.P. address and should be equipped with fire fighting equipments.
9. The licensee shall keep a true and correct account of the quantity of wine received, issued and held in balance at such bonded warehouse. The account shall be correctly maintained up to date daily in a register in prescribed form. Pages of the Account Register shall be numbered and sealed with a rubber seal of concerned District Excise Officer . Pages and counterfoils of the passes covering the receipt and issues of wine shall be properly kept and shall at all times be open to inspection by the authorities of Excise Department. MIS (Management Information System) of related details shall be uploaded on the prescribed portal at fixed intervals.	9. The licensee shall keep a true and correct account of the quantity of wine received, issued and held in balance at such bonded warehouse. The account shall be correctly maintained up to date daily in a register in prescribed form. Pages of the Account Register shall be numbered and sealed with a rubber seal of concerned District Excise Officer . Pages and counterfoils of the passes covering the receipt and issues of wine shall be properly kept and shall at all times be open to inspection by the authorities of Excise Department. MIS (Management Information System) of related details shall be uploaded on the prescribed portal at fixed intervals.
10. Licensee shall be bound by all the general rules for the management of the Bonded Warehouse and for issues of wine there from.	10. Licensee shall be bound by all the general rules for the management of the Bonded Warehouse and for issues of wine there from.

Column I *Existing Format*	Column II *Format as hereby substituted*
11. Licensee shall furnish to the Excise Commissioner an exhaustive list of brands ex-bond price, maximum wholesale and maximum retail rates for approval along with registration fee for brands registration as directed by the Excise Commissioner from time to time. Licensee shall also before bringing any label into use, submit exact copies thereof in quadruplet every year with the treasury challan of approval fee of every label capacity wise as prescribed by the Excise Commissioner from time to time to the District Excise Officer of the concerned district who will forward them to the Excise Commissioner for his approval . No change in the MRP shall be allowed during the year of operation unless especially permitted by the Excise Commissioner.	11. Licensee shall furnish to the Excise Commissioner an exhaustive list of brands ex-bond price, maximum wholesale and maximum retail rates for approval along with registration fee for brands registration as directed by the Excise Commissioner from time to time. Licensee shall also before bringing any label into use, submit exact copies thereof in quadruplet every year with the treasury **e-**challan **copy** of approval fee of every label capacity wise as prescribed by the Excise Commissioner from time to time to the District Excise Officer of the concerned district who will forward them to the Excise Commissioner for his approval . No change in the MRP shall be allowed during the year of operation unless especially permitted by the Excise Commissioner.
12. The licensee shall abide by the conditions of this licence and provisions of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) and the rules and orders made there under.	12. The licensee shall abide by the conditions of this licence and provisions of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) and the rules and orders made there under.
13. In case the licence is cancelled during the currency of the period of licence or is not renewed on its expiry, the licensee shall forthwith intimate the whole stock of wine held in balance at the Bonded Warehouse to the Officer In-charge and dispose off the balance stock only under directions given by the Excise Commissioner.	13. In case the licence is cancelled during the currency of the period of licence or is not renewed on its expiry, the licensee shall forthwith intimate the whole stock of wine held in balance at the Bonded Warehouse to the Officer In-charge and dispose off the balance stock only under directions given by the Excise Commissioner.
14. The license premises shall remain open for sale on all days from 9.00 am. to 8.00 pm by evening, except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26 January (Republic Day) and upto 3 more days as notified by the Collector. The Licensing Authority/Collector may also order for closure of shop in account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above dates/ days.	14. The license premises shall remain open for sale on all days from 9.00 am. to 8.00 pm by evening, except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26 January (Republic Day) and upto 3 more days as notified by the Collector. The Licensing Authority/Collector may also order for closure of shop in account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above dates/ days.
15. On receiving demand for wholesale supply of wine from Fl-2 licensees of the districts, the supply may be ensured on the principle of "first come and first served " failing which penal action may be taken against the licensees.	15. On receiving demand for wholesale supply of wine from Fl-2 licensees of the districts, the supply may be ensured on the principle of "first come and first served " failing which penal action may be taken against the licensees.
16. The labels affixed to the bottles shall carry the maximum retail price fixed for every brand of liquors issued from the bond. Without printed M.R.P. on the labels no sale is allowed.	16. The labels affixed to the bottles shall carry the maximum retail price **in visible words of 1x1 centimeter** fixed for every brand of liquors issued from the bond. Without printed M.R.P. on the labels no sale is allowed.

Column I *Existing Format*	Column II *Format as hereby substituted*
17. Licencee shall ensure lifting of liquor from his godown premises in sealed cartons after scanning of security code affixed on them.	17. Licencee shall ensure lifting of liquor from his godown premises in sealed cartons after scanning of security code affixed on them.
18. On all the six faces of the cartons of wine to be imported in Uttar Pradesh, "For Sale in U.P." shall be printed in the minimum size of one inch black letters on a red strip of one and a half inch broad.	18. On all the six faces of the cartons of wine to be imported in Uttar Pradesh, "For Sale in U.P." shall be printed in the minimum size of one inch black letters on a red strip of one and a half inch broad.
19. The licensee shall submit the list of sellers to the Excise Commissioner/officer authorised by Excise Commissioner for sale of liquor at his wholesale shop. He will issue Naukarnama in prescribed form accordingly.	19. The licensee shall submit the list of sellers to the Excise Commissioner/officer authorised by Excise Commissioner for sale of liquor at his wholesale shop. He will issue Naukarnama in prescribed form accordingly.
(Details of License fee/Security Amount)	(Details of License fee/Security Amount)

Name of Bank	DD No./ Treasury challan/ FDR NO	Dated	Amount

Date

Excise Commissioner,
Uttar Pradesh

Name of Bank	DD No./ e-Treasury challan/ FDR/Bank Guarantee NO	Dated	Amount

Date

Excise Commissioner,
Uttar Pradesh

14. Amendment of Format B.W.F.L.-2D– In the said rules for the existing format B.W.F.L.-2D set out in Column I below, the format as setout in Column II shall be substituted, namely :–

Column I *Existing Format*	Column II *Format as hereby substituted*
LOW STRENGTH ALCOHOLIC BEVERAGE BONDED WAREHOUSE	**LOW STRENGTH ALCOHOLIC BEVERAGE BONDED WAREHOUSE**
(BWFL-2D)	**(BWFL-2D)**
Licence to establish and run a Low strength alcoholic beverage Bonded Warehouse.	Licence to establish and run a Low strength alcoholic beverage Bonded Warehouse.
Licence No.....	Licence No.....
[Rule-(3)]	[Rule-(3)]
Photo of Applicant	Photo of Applicant
Photo of warehouse	Photo of warehouse
Latitude /Longitude of Warehouse …….....	Latitude /Longitude of Warehouse …….....
1- Licence Number …….....	1- Licence Number ……
2- District …….....	2- District ……..…….
3- Name, address and aadhar number of Licencee……	3- Name, address and aadhar number of Licencee……

Column I *Existing Format*	Column II *Format as hereby substituted*
has deposited the licence fee Rs.....for BWFL-2D and security amount of Rs. .....in government treasury preferably through e-payment or Fixed Deposit Receipt/ Bank Guarantee pledged in favour of Excise commissioner Uttar Pradesh as detail mentioned below. He has also executed a general bond.	has deposited the licence fee Rs.....for BWFL-2D and security amount of Rs. .....in government treasury preferably through e-payment or **Fixed Deposit Receipt pledged in favour of Excise commissioner** Uttar Pradesh as detail mentioned below. He has also executed a general bond.
Licence is hereby, granted under and subject to provisions of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P.Act no. IV of 1910) and the rules and orders made there under to ..... (hereinafter referred to as licensee) authorizing him to import under bond, store and sell sealed bottles of low strength alcoholic beverage in U.P. at place ..... in the district ..... (hereinafter called the licensed premises) during the period commencing of ..... ending on 31st March ..... (both days inclusive) subject to the following conditions, the infringement of which either by the licensee or any person employed by him may entail imposition of penalty on the licensee, forfeiture of security and cancellation of licence.	Licence is hereby, granted under and subject to provisions of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P.Act no. IV of 1910) and the rules and orders made there under to ..... (hereinafter referred to as licensee) authorizing him to import under bond, store and sell sealed bottles of low strength alcoholic beverage in U.P**. on deposition of permit fee and consideration fee along with all the dues** at place ..... in the district ..... (hereinafter called the licensed premises) during the period commencing of ..... ending on 31st March ..... (both days inclusive) subject to the following conditions, the infringement of which either by the licensee or any person employed by him may entail imposition of penalty on the licensee, forfeiture of security and cancellation of licence.
Premises:Name & Address of owner ..... Place-village/mohalla..... P.S..... Tehsil..... District..... Boundary:- North..... South..... East..... West.....	Premises:Name & Address of owner ..... Place-village/mohalla..... P.S..... Tehsil..... District..... Boundary:- North..... South..... East..... West.....
CONDITIONS	**CONDITIONS**
1- Issue of low strength alcoholic beverage from the said Bonded Warehouse shall be made to any other bonded warehouse of the State under bond or to any wholesaler FL-2B licensee of State on prepayment of consideration fee and other charges.	1- Issue of low strength alcoholic beverage from the said Bonded Warehouse shall be made to any other bonded warehouse of the State under bond or to any wholesaler FL-2B licensee of State on prepayment of consideration fee and other charges.
2- Issue of low strength alcoholic beverage from the said Bonded Warehouse shall be made at such strength only as may be fixed from time to time by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh.	2- Issue of low strength alcoholic beverage from the said Bonded Warehouse shall be made at such strength only as may be fixed from time to time by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh.

Column I *Existing Format*	Column II *Format as hereby substituted*
3- The Officer In-charge of the Bonded Warehouse is empowered to stop with the prior sanction of the Deputy Excise Commissioner of the charge concerned, pending the orders of the Excise Commissioner, the issues of low strength alcoholic beverage which he considers doubtful for consumption and is required to send samples of such low strength alcoholic beverage for analysis without delay.	3- The Officer In-charge of the Bonded Warehouse is empowered to stop with the prior sanction of the Deputy Excise Commissioner of the charge concerned, pending the orders of the Excise Commissioner, the issues of low strength alcoholic beverage which he considers doubtful for consumption and is required to send samples of such low strength alcoholic beverage for analysis without delay.
4- The licensee shall maintain such minimum stock of such brand at the warehouse keeping in view the demands and requirements of the particular brands by the wholesale vendors.	4- The licensee shall maintain such minimum stock of such brand at the warehouse keeping in view the demands and requirements of the particular brands by the wholesale vendors.
5- The licensee shall be responsible for the proper upkeep and storage of low strength alcoholic beverage at the Warehouse. The licensee shall provide adequate number of racks, almirahs, boxes and other equipments as may be necessary for storing stocks and may also put his own lock thereon along with the lock of officer in-charge.	5- The licensee shall be responsible for the proper upkeep and storage of low strength alcoholic beverage at the Warehouse. The licensee shall provide adequate number of racks, almirahs, boxes and other equipments as may be necessary for storing stocks and may also put his own lock thereon along with the lock of officer in-charge.
6- The licensee shall supply low strength alcoholic beverage in bottles/flasks/cans of capacities as may be determined by Excise Commissioner from time to time.	6- The licensee shall supply low strength alcoholic beverage in bottles/flasks/cans of capacities as may be determined by Excise Commissioner from time to time.
7- The labels affixed to the bottles shall contain all essential printed requirements prescribed in the U.P. Bottling of low strength alcoholic beverage Rules, 1969 as amended from time to time. The licensee shall make proper arrangement for applying the security code as approved by the Excise Department in the bond premises. No bottles of low strength alcoholic beverages shall be sold on which the security code approved by the Excise Department is not affixed.	7- The labels affixed to the bottles shall contain all essential printed requirements prescribed in the U.P. Bottling of low strength alcoholic beverage Rules, 1969 as amended from time to time. The licensee shall make proper arrangement for applying the security code as approved by the Excise Department in the bond premises. No bottles of low strength alcoholic beverages shall be sold on which the security code approved by the Excise Department is not affixed.
8- The licensee shall be required to post his authorized Agent duly approved by the Deputy Excise Commissioner of the charge and shall arrange for the loading and unloading of the incoming consignments of low strength alcoholic beverage and issues from the Bonded Warehouse. The warehouse shall be fitted with a camera having an I.P. address. The warehouse should be equipped with fire fighting equipments.	8- The licensee shall be required to post his authorized Agent duly approved by the Deputy Excise Commissioner of the charge and shall arrange for the loading and unloading of the incoming consignments of low strength alcoholic beverage and issues from the Bonded Warehouse. The warehouse shall be fitted with a camera having an I.P. address. The warehouse should be equipped with fire fighting equipments.

Column I *Existing Format*	Column II *Format as hereby substituted*
9- The licensee shall keep a true and correct account of the quantity of low strength alcoholic beverage received, issued and held in balance at such bonded warehouse. The account shall be correctly maintained upto date daily in a register in prescribed form. Pages of the Account Register shall be numbered and sealed with a rubber seal of concerned District Excise Officer. Pages and counterfoils of the passes covering the receipt and issues of low strength alcoholic beverage shall be properly kept and shall at all times be open to inspection by the authorities of Excise Department. MIS (Management Information System) of related details shall be uploaded on the prescribed portal at fixed intervals.	9- The licensee shall keep a true and correct account of the quantity of low strength alcoholic beverage received, issued and held in balance at such bonded warehouse. The account shall be correctly maintained upto date daily in a register in prescribed form. Pages of the Account Register shall be numbered and sealed with a rubber seal of concerned District Excise Officer. Pages and counterfoils of the passes covering the receipt and issues of low strength alcoholic beverage shall be properly kept and shall at all times be open to inspection by the authorities of Excise Department. MIS (Management Information System) of related details shall be uploaded on the prescribed portal at fixed intervals.
10- Licensee shall be bound by all the general rules for the management of the Bonded Warehouse and for issues of low strength alcoholic beverage there from.	10- Licensee shall be bound by all the general rules for the management of the Bonded Warehouse and for issues of low strength alcoholic beverage there from.
11- Licensee shall furnish to the Excise Commissioner an exhaustive list of brands ex-bond price, maximum wholesale and maximum retail rates for approval along with registration fee for brands registration as directed by the Excise Commissioner from time to time. Licensee shall also before bringing any label into use, submit exact copies thereof in quadruplet every year with the treasury challan of approval fee of every label capacity wise as prescribed by the Excise Commissioner from time to time to the District Excise Officer of the concerned district who will forward them to the Excise Commissioner for his approval . No change in the MRP shall be allowed during the year of operation unless especially permitted by the Excise Commissioner.	11- Licensee shall furnish to the Excise Commissioner an exhaustive list of brands ex-bond price, maximum wholesale and maximum retail rates for approval along with registration fee for brands registration as directed by the Excise Commissioner from time to time. Licensee shall also before bringing any label into use, submit exact copies thereof in quadruplet every year with the treasury **e-**challan **copy** of approval fee of every label capacity wise as prescribed by the Excise Commissioner from time to time to the District Excise Officer of the concerned district who will forward them to the Excise Commissioner for his approval . No change in the MRP shall be allowed during the year of operation unless especially permitted by the Excise Commissioner.
12- The licensee shall abide by the conditions of this licence and provisions of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P.Act no. IV of 1910) and the rules and orders made there under.	12- The licensee shall abide by the conditions of this licence and provisions of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P.Act no. IV of 1910) and the rules and orders made there under.
13- In case the licence is cancelled during the currency of the period of licence or is not renewed on its expiry, the licensee shall forthwith intimate the whole stock of low strength alcoholic beverage held in balance at the Bonded Warehouse to the Officer In-charge and dispose off the balance stock only under directions given by the Excise Commissioner.	13- In case the licence is cancelled during the currency of the period of licence or is not renewed on its expiry, the licensee shall forthwith intimate the whole stock of low strength alcoholic beverage held in balance at the Bonded Warehouse to the Officer In-charge and dispose off the balance stock only under directions given by the Excise Commissioner.
14- The license premises shall remain open for sale on all days from 9.00 am. to 8.00 pm by evening, except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26 January (Republic Day) and upto 3 more days as notified by the Collector. The Licencing Authority/Collector may also order for closure of shop in account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above dates/ days.	14- The license premises shall remain open for sale on all days from 9.00 am. to 8.00 pm by evening, except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26 January (Republic Day) and upto 3 more days as notified by the Collector. The Licencing Authority/Collector may also order for closure of shop in account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above dates/ days.

Column I *Existing Format*	Column II *Format as hereby substituted*
15- On receiving demand for wholesale supply of low strength alcoholic beverage from FL-2B licensees of the districts , the supply may be ensured on the principle of "first come and first served " failing which penal action may be taken against the licensees.	15- On receiving demand for wholesale supply of low strength alcoholic beverage from FL-2B licensees of the districts , the supply may be ensured on the principle of "first come and first served " failing which penal action may be taken against the licensees.
16- The labels affixed to the bottles shall carry the maximum retail price fixed for every brand of liquors issued from the bond. Without printed M.R.P. on the labels no sale is allowed.	16- The labels affixed to the bottles shall carry the maximum retail price in visible words of 1x1 centimeter fixed for every brand of liquors issued from the bond. Without printed M.R.P. on the labels no sale is allowed.
17- Licencee shall ensure lifting of liquor from his godown premises in sealed cartons after scanning of security code affixed on them.	17- Licencee shall ensure lifting of liquor from his godown premises in sealed cartons after scanning of security code affixed on them.
18- On all the six faces of the cartons of Low Strength Alcoholic Beverages to be imported in Uttar Pradesh, "For Sale in U.P." shall be printed in the minimum size of one inch black letters on a red strip of one and a half inch broad.	18- On all the six faces of the cartons of Low Strength Alcoholic Beverages to be imported in Uttar Pradesh, "For Sale in U.P." shall be printed in the minimum size of one inch black letters on a red strip of one and a half inch broad.
19- The licensee shall submit the list of sellers to the Excise Commissioner/officer authorized by Excise Commissioner for sale of liquor at his wholesale shop. He will issue Naukarnama in prescribed form accordingly.	19- The licensee shall submit the list of sellers to the Excise Commissioner/officer authorized by Excise Commissioner for sale of liquor at his wholesale shop. He will issue Naukarnama in prescribed form accordingly**.**

(Details of License fee/Security Amount)

Name of Bank	DD No./ Treasury challan/ FDR NO	Dated	Amount

Date

Excise Commissioner,
Uttar Pradesh

(Details of License fee/Security Amount)

Name of Bank	DD No./ **e**-Treasury challan/ FDR /**Bank Guarantee Number**	Dated	Amount

Date

Excise Commissioner,
Uttar Pradesh

By order,
(Senthil Pandian C.)
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

पी0एस0यू0पी0-10 असाधारण गजट-12.10.2023-127 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।